Tuesday, 20 August, 1969

# लोक-सभा वाद-विवाद

## संक्षिप्त अनूदित संस्करण

## SUMMARISED TRANSLATED VERSION
## OF
4Th
## LOK SABHA DEBATES

आठवाँ सत्र
**Eigth Session**

Rack No ...57(1)...
Acc. No ...8.12.67...
PARLIAMENT LIBRARY

Preservation Unit
4-8-92
Fumigated
On 5/1/84
Parliament Library

[ खंड 32 में अंक 21 से 29 तक हैं
Vol. XXXII contains Nos. 21 to 29 ]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

*Price* : One Rupee

## विषय—सूची/CONTENTS

अंक 22, मंगलवार, 20 अगस्त, 1969/29 श्रावण, 1891 (शक)

**No. 22 Tuesday, August 20, 1969/ Sravana 29, 1891 (Saka)**

### प्रश्नों के मौखिक उत्तर — ORAL ANSWERS TO QUESTIONS


| ता० प्र० संख्या S.Q. Nos. | विषय | SUBJECT | पृष्ठ/PAGES |
|---|---|---|---|
| 631. | विदेशियों द्वारा भारतीय विश्वविद्यालयों के विद्यार्थियों के साथ मित्रता की जाना | Befriending of Indian University Students by Foreigners | 2-6 |
| 632. | जस्ते का आयात | Import of Zinc | 6-9 |
| 633. | पटसन उद्योग | Jute Industry | 9-12 |
| 634. | सूती कपड़ा मिलों द्वारा रखे गये भण्डारों पर प्रतिबन्ध | Restriction on stocks of Cotton held by Cotton Mills | 12-15 |
| 636. | संयुक्त राष्ट्र संघ में तिब्बत का मामला उठाया जाना | Raising of Tibet Issue in UNO | 15-16 |


### प्रश्नों के लिखित उत्तर — WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS


| ता० प्र० संख्या S. Q. Nos. | विषय | SUBJECT | पृष्ठ/PAGES |
|---|---|---|---|
| 601. | चुनावों के दौरान मोटर गाड़ियाँ किराये पर लेना | Hiring of Vehicles during Elections | 16 |
| 602. | हिन्दू धर्मस्वों सम्बन्धी आयोग के प्रतिवेदन पर कार्यवाही | Action of Report of Commission on Hindu Religious Endowments | 17 |
| 603. | हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, राँची को हानि | Losses incurred by Heavy Engineering Corporation, Ranchi | 17-18 |


* किसी नाम पर अंकित + यह चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

*The sign + marked above the name of a Member indicated that the question was actually asked on the floor of the House by him.

ता० प्र० संख्या
S. Q. Nos.


| | विषय | SUBJECT | पृष्ठ/PAGES |
|---|---|---|---|
| 604. | पश्चिम बंगाल में औद्योगिक वातावरण | Industrial Climate in West Bengal | 18 |
| 605. | इस्पात का उत्पादन | Production of Steel | 18-20 |
| 606. | रेलवे फायरमैन | Railway Firemen | 20 |
| 607. | दुर्लभ किस्म के इस्पात की आवश्यकता | Requirements of scarce categories of Steel | 22-21 |
| 608. | हरिजनों को रिहाइशी प्लाटों का हस्तान्तरण | Transfer of Housing plots to Harijans | 21 |
| 609. | हंगरी के सहयोग से अधिक दबाव वाले गैस सिलिंडरों का निर्माण करने का कारखाना स्थापित किया जाना | Setting up a plant for manufacturing high pressure gas cylinders with Hungarain Collaboration | 21-22 |
| 610. | मेसर्स स्टैण्डर्ड ड्रम एण्ड बैरल मैनुफैक्चरिंग कम्पनी तथा मेसर्स हिन्द गैलवेनाइजिंग एण्ड इंजीनियरिंग कम्पनी (प्रा० लिमिटेड) द्वारा आयातित इस्पाती चादरों का उपयोग | Utilisation of imported sheets by M/s Standard Drum and Barrel Mfg. Co. and M/s. Hind Galvanising and Engineering Co. (P) Ltd. | 22 |
| 611. | हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, राँची को हानि | Loss to Heavy Engineering Coporation, Ranchi | 23 |
| 612. | रेलवे उपकरणों की चोरी | Theft of Railway Equipment | 24 |
| 613. | नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर दुर्व्यवस्था के बारे में समाचार-पत्रों में समाचार | Press Report re: Chaotic Conditions at New Delhi Railway Station | 24-25 |
| 614. | सरकारी क्षेत्र में इस्पात के कारखाने | Public Sector Steel Plants | 25-26 |
| 615. | मेसर्स हिंद गैलवेनाइजिंग एंड इंजीनियरिंग कम्पनी (प्राइवेट) लिमिटेड, कलकत्ता | M/s Hind Galvanising and Engineering Company (P) Ltd., Calcutta | 26-27 |
| 616. | उत्तर प्रदेश में सैनिक अधिकारियों की पत्नियों द्वारा लड़े गये मध्यावधि चुनाव | Mid-term Elections contested by wives of Army Officers in U.P. | 27 |

ता० प्र० संख्या
S. Q. Nos.


| | विषय | SUBJECT | पृष्ठ/PAGES |
|---|---|---|---|
| 617. | गुजरात स्माल इंडस्ट्रीज कारपोरेशन द्वारा स्कूटरों का निर्माण | Manufacture of scooters by Gujarat Small Industries Corporation | 27-28 |
| 618. | आदिम जातीय ईसाइयों को प्राप्त विशेषाधिकार | Privileges enjoyed by Tribal Christians | 28 |
| 619. | चौथी पंचवर्षीय योजना में विद्युत्चालित पम्पों का उत्पादन | Power pump production in Fourth Plan | 28-29 |
| 620. | स्कूटरों का निर्माण | Production of scooters | 29 |
| 621. | वर्ष 1970 तक इस्पात की कमी | Shortage of steel by 1970 | 30 |
| 622. | चौथी योजना में उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन | Consumer goods production in Fourth Plan | 30-31 |
| 623. | वरिष्ठ रेलवे अधिकारियों तथा निम्नपदाली के अन्य अधिकारियों को स्थायी बनाने के बारे में नियमों में असमानता | Disparity in Rules regarding confirmation of senior Railway Officers and other officers in Lower Cadres | 31-32 |
| 624. | दिल्ली और नई दिल्ली में उपरि-मोनो रेल-व्यवस्था | Overhead Mono-rail system in Delhi and New Delhi | 32 |
| 625. | रेलवे को खान-पान व्यवस्था के कारण हानि | Loss due to catering on Railways | 32-33 |
| 626. | बिहार विधान परिषद् की समाप्ति | Abolition of Bihar Vidhan Parishad | 33 |
| 627. | मेसर्स टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी द्वारा ऋण तथा ब्याज का भुगतान | Repayment of loans and interest by M/s Tata Iron and Steel Co. | 33-34 |
| 628. | लम्ब्रेटा-टायरों के वितरण पर से नियंत्रण का हटाया जाना | Lifting of control on distribution of lamberata Tyres | 34 |
| 629. | विधान सभा तथा विधान परिषद् के सदस्यों के लिये निःशुल्क पास और कूपन | Free passes and coupons to M.L.As. and MLCs | 34-35 |

सा० प्र० संख्या

S. Q. Nos.


| | विषय | SUBJECT | पृष्ठ/PAGES |
|---|---|---|---|
| 630. | स्टेनलैस स्टील के बर्तनों का उत्पादन | Production of Stainless Steel Utensils | 35-36 |
| 635. | इंजीनियरिंग निर्यात संवर्धन परिषद्, कलकत्ता | Engineering Export Promotion Council, Calcutta | 36 |
| 637. | भारत के लिए रूसी हैली-काप्टर | Soviet Helicopters for India | 36-37 |
| 638. | पश्चिमी देशों में काजू की माँग | Demand for cashewnuts in Western countries | 37 |
| 639. | भारत में इलैक्ट्रोनिक संग-णकों का निर्माण | Manufacture of Eletronic Computers in India | 37-38 |
| 640. | विमान द्वारा भारत-बर्मा सीमा के फोटो | Aerial Photos of Indo-Burma Boundary | 38 |
| 641. | आयात में कमी | Decline in Imports | 38-39 |
| 642. | विज्ञान तथा परमाणु प्राद्यो-गिकी के लिए एक मंत्रालय बनाना | Creation of a Ministry for Science and Nuclear Technology | 39 |
| 643. | पूर्ति निदेशक (कपड़ा) बम्बई द्वारा अस्तर के कपड़े की खरीद के लिए दिया गया क्रयादेश | Order placed by Director of Supplies (Textiles), Bombay for purchase of Lining cloth | 40 |
| 644. | सैनिक प्रशिक्षण देना | Imparting of military training | 40 |
| 645. | मिग विमानों का निर्माण | Manufacture of MIG Planes | 40-41 |
| 646. | जल्दी बिजली पैदा करने वाले (फास्ट ब्रीडिंग) परमाणु रिएक्टर की स्थापना | Setting up of a Fast Breeding Atomic Reactor | 41 |
| 647. | मेसर्स देहली स्माल स्केल इंडस्ट्रीज | M/s Delhi Small Scale Industries | 41-42 |
| 648. | पाकिस्तान को विरोध पत्र | Protest Notes to Pakistan | 42 |
| 649. | पूर्वोत्तर सीमा पर संचार व्यवस्था | Communication system in North-East Frontiers | 42-43 |
| 650. | राज्य व्यापार निगम | State Trading corporation | 43-44 |
| 651. | शक्तिमान ट्रकों का मूल्य | Price of Shaktiman Trucks | 44 |

ता० प्र० संख्या
S. Q. Nos.

| | विषय | SUBJECT | पृष्ठ/PAGES |
|---|---|---|---|
| 652. | पूर्वी पाकिस्तान में टैगोर का मकान | Tagore House in East Pakistan | 44 |
| 653. | देसी टेलीविजन सेट | Indigenous T.V. Sets | 44-45 |
| 654. | भूमिगत नागा नेता श्री इज्जाक स्वू का चीन से वापस आना | Return of underground Naga Leader Mr. Issac Swu, from China | 45 |
| 655. | अर्थ-व्यवस्था की प्रगति की दर | Rate of Growth of Economy | 45-46 |
| 656. | ब्रिटेन और अमेरिका में भारतीय सप्लाई मिशन | India Supply Missions in U.K. and USA | 46 |
| 657. | चौथी पंचवर्षीय योजना को अन्तिम रूप दिया जाना | Finalisation of Fourth Five Year Plan | 46-47 |
| 658. | नेताजी बोस और आजाद हिन्द फौज की सैनिक उपलब्धियाँ तथा एक सैनिक अकादमी का नाम नेताजी के नाम पर रखना | Military Achievements of Netaji Bose and INA and Naming of a Military Academy after Netaji | 47 |
| 659. | विदेश नीति में परिवर्तन | Change in foreign policy | 47-48 |
| 660. | भूतपूर्व सैनिक लीग द्वारा की गई माँग | Demands made by Ex-servicemen League | 48 |

अता० प्र० संख्या
U. S. Q. Nos.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3910. | मद्रास जनता एक्सप्रेस में तीसरी श्रेणी के गैर आरक्षित स्थान | Non-reserved third class seats in Delhi-Madras Janata Express | 48-49 |
| 3911. | आयात प्रतिस्थापन अनुसंधान / संवर्द्धन पुरस्कार | Import Substitution Inventions promotion Awards | 49 |
| 3912. | बिना टिकट यात्रा | Ticketless travel | 49-51 |
| 3913. | कारों का निर्माण | Production of cars | 51-52 |
| 3914. | केन्द्रीय औद्योगिक परियोजनाओं में विनियोजन | Investment in Central Industrial Projects | 52-53 |
| 3915. | आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण | Income-tax appellate Tribunals | 53-54 |

अता० प्र० संख्या

U. S. Q. Nos.


| | विषय | SUBJECT | पृष्ठ/PAGES |
|---|---|---|---|
| 3916. | जहानाबाद कोर्ट स्टेशन को मिलाने वाली सड़क की मरम्मत | Repair of approach road leading from Jahanabad Court Station | 54 |
| 3917. | जहानाबाद कोर्ट स्टेशन पर प्रतीक्षालय | Waiting Room at Jahanabad Court Station | 54 |
| 3918. | जहानाबाद कोर्ट स्टेशन पर पीने का पानी | Drinking water at Jahanabad Court Station | 55 |
| 3919. | विभिन्न उद्योगों में औद्योगिक उत्पादन | Industrial production in different Industries | 55-56 |
| 3920. | रेलवे लाइन का बिहार शरीफ जहानाबाद के अरवल तक बढ़ाया जाना | Extension of Railway line from Bihar Sharif Jahanabad to Arwal | 56 |
| 3921. | गुजरात में नई रेलवे लाइन | New Railway line in Gujarat | 56-57 |
| 3922. | गुजरात में विशेष परियोजना | Special project in Gujarat | 57 |
| 3923. | पश्चिम रेलवे पर बाढ़ों के कारण रेल की पटरियों और पुलों को क्षति | Damage to Rail Tracks and Bridgss due to Floods on Western Railway | 57-58 |
| 3924. | गुजरात में रेल की पटरियों और पुलों को क्षति | Damage to Rail Tracks and Bridges in Gujarat | 58 |
| 3925. | गुजरात में उद्योग | Industries in Gujarat | 58-59 |
| 3926. | दिल्ली और अहमदाबाद के बीच तेज गति से चलने वाली गाड़ी | High Speed Train Between Delhi and Ahmedabad | 59 |
| 3927. | आनन्द रेलवे स्टेशन का पुर्ननिर्माण | Reconstruction of Anand Railway Station | 59 |
| 3928. | मध्य प्रदेश में आदिवासियों को ऋण की सुविधाएं | Credit facilities to Tribals in Madhya Pradesh | 59-60 |
| 3929. | रेलवे सम्पत्ति पर हमले | Attack on Railway properties | 60 |
| 3930. | हैवी इंजीनियरिंग निगम में उत्पादन | Production in Heavy Engineering Corporation | 60-62 |
| 3931. | अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति आयुक्त | Commissioner for Scheduled castes and Scheduled Tribes | 62 |

अता० प्र० संख्या

U. S. Q. Nos.


| विषय | SUBJECT | पृष्ठ/PAGES |
|---|---|---|
| 3932. सिक्योरिटी प्रिंटर्स आफ इण्डिया लिमिटेड, कानपुर | Security Printers of India Ltd., Kanpur | 62 |
| 3933. ट्रैक्टरों के निर्यात में आत्म-निर्भरता | Self-sufficiency in Tractors | 62-63 |
| 3934. हैवी इलेक्ट्रीकल्ज, भोपाल में घाटा | Losses incurred by Heavy Electricals, Bhopal | 63 |
| 3935. राजस्थान में डीजल इंजन चलाना | Dieselisation in Rajasthan | 63-64 |
| 3936. चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स में डीजल हाईड्रालिक इंजन का निर्माण | Manufacture of Diesel Hydraulic Engines at CLW | 64 |
| 3937. आसाम को आलुओं की बुकिंग स्थगित करना | Suspension of booking of potatoes to Assam | 64-66 |
| 3938. सरकारी उपक्रमों के लिए साम्य पूंजी ऋण और अग्रिम धन राशि की व्यवस्था | Equity capital, loans and advances raised for public undertakings. | 66 |
| 3939. नेशनल न्यूज प्रिंट एण्ड पेपर मिल्स लिमिटेड के कार्यकरण के परिणाम | Working Results of National Newsprint and paper Mills Ltd. | 66-67 |
| 3940. त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स, लिमिटेड इलाहाबाद के कार्यकरण के परिणाम | Working results of Triveni Structurals Ltd., Allahabad | 67-68 |
| 3941. नये स्टेशन प्लेटफार्म तथा हाल्टिंग स्टेशन के लिए दिल्ली का सर्वेक्षण | Survey of Delhi area for New Stations Platforms and Halting Stations | 68 |
| 3942. रेलवे इंजन तथा डिब्बे | Railway Engines and Coaches | 68-69 |
| 3943. बिलैटों का निर्यात | Export of Billets | 69 |
| 3944. बरौनी-कटिहार लाइन को बड़ी लाइन में बदलना | Conversion of Barauni-Katihar Line into Broad Gauge Line | 69-70 |
| 3945. उत्पादन में कार्यकुशलता प्राप्त करने के लिए संतुलनकारी उपकरणों के लगाने पर प्रतिबन्ध | Restriction on installation of Balancing Enquipments to attain Efficiency in production | 70 |

| अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos. | विषय | SUBJECT | पृष्ठ/PAGES |
|---|---|---|---|
| 3946. | उत्तर तथा पूर्वोत्तर रेलवे में सहायक स्टेशन मास्टरों को स्थायी बनाना | Confirmaiion of A.S.Ms. on Northern and N.E. Rlys. | 70-71 |
| 3947. | बोकारो इस्पात कारखाना सम्बन्धी समिति | Committee on Bokaro Steel Plant | 71 |
| 3948. | अलाभप्रद शाखा रेलवे लाइन सम्बन्धी समिति | Committee on uneonomic Branch Railway Lines | 71-72 |
| 3949. | वातानुकूलित डिब्बे के कैबिनों की चोरी | Theft of cabins of Air conditioned Coach | 72 |
| 3950. | दिल्ली से वाराणसी तक सीधी गाड़ी सेवा | Direct train service from Delhi to Varanasi | 72-73 |
| 3951. | डालमियाँ की फर्में | Dalmia Group of Firms | 73 |
| 3952. | मेसर्स स्टैंडर्ड ड्रम एण्ड बैरल मैन्यूफैक्चरिंग कम्पनी, बम्बई | M/s Standard Drum and Barrel Manufacturing Co. Bombay | 73-74 |
| 3953. | हाई स्पीड रोटरी मशीनों का निर्माण | Manufactnre of high speed Rotary Machines | 74-75 |
| 3954. | रेलवे के कार्यालयों में हिन्दी अधिकारी तथा हिन्दी अनुवादक | Hindi officers and Hindi Translators in Bombay offices | 75-76 |
| 3955. | दुर्गापुर इस्पात कारखाने की धमन भट्टी नं. 2 की मरम्मत करना तथा उसको चालू करना | Repairing and Commissioning of Durgapur Steel plants' Blast Furnance No. 2 | 76 |
| 3956. | अधिक गति वाली गाड़ियाँ | High speed Trains | 76-77 |
| 3957. | अल्प संख्यकों को परिभाषा | Definition of Minorities | 77 |
| 3958. | अखिल भारतीय सेवाओं के लिये अनुसूचित जातियों / अनुसूचित आदिम जातियों के उम्मीदवारों की मौखिक परीक्षा | Vice-Voce Test of SC/ST students for All India Services | 77-78 |
| 3959. | भारी कम्प्रेसरों और विशेष पम्पों का निर्माण | Manufecture of Heavy Compressors and special pumps | 78 |

अतां० प्र० संख्या
U. S. Q. Nos.


| | विषय | SUBJECT | पृष्ठ/PAGES |
|---|---|---|---|
| 3960. | भारतीय रेलवे पर प्लास्टिक के माल डिब्बे चालू करना | Introduction of Plastic Railway Wagons on Indian Railways | 78 |
| 3961. | बीजू पटनायक उद्योग समूह | Biju Patnaik Group of Industries | 78-79 |
| 3962. | श्रम विवाद के कारण दुर्गापुर इस्पात कारखाने के उत्पादन में कमी तथा सम्पत्ति को क्षति | Loss in Production and damage to property of Durgapur steel plant as a result of labour troubles | 79 |
| 3963. | अखिल भारतीय स्टेशन मास्टर संघ द्वारा माँग-पत्र | Charter of Demands by All India Station Masters' Association | 80 |
| 3964. | वर्धा फाउंडरी फोर्ज परियोजना पर अत्यधिक व्यय | Wasteful Expenditure on Wardha Foundry Forge Project | 80 |
| 3965. | शू लास्ट फैक्टरी आगरा में उत्पादन | Production in Shoe Last Factory, Agra | 80-81 |
| 3966. | लघु सेवा संस्थान, आगरा | Small Service Institute, Agra | 81-82 |
| 3967. | कारों पर भारी कर लगाया जाना | Levy of heavy taxes on cars | 82-83 |
| 3968. | औद्योगिक विकास के लिए विनियोजन | Investment on Industrial Development | 83 |
| 3969. | श्री जे. आर. डी. टाटा द्वारा भारत के औद्योगिक विकास की आलोचना | Criticism by Shri JRD Tata regarding Industrial development of India | 83-84 |
| 3970. | दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में अन्धों के लिए परियोजनायें | Projects for the Blind in Union Territory of Delhi | 84 |
| 3971. | नई दिल्ली में धोबी समुदाय को होने वाली कठिनाइयाँ | Difficulties faced by Dhobi community in New Delhi | 84-85 |
| 3972. | उत्तर प्रदेश में पंजीकृत उद्योग | Registered industries in U.P. | 85 |
| 3973. | उद्योगों का विकास | Development of Industries | 85-86 |
| 3974. | हरदुआगंज स्टेशन के निकट बस तथा गाड़ी में टक्कर | Bus train collision near Harduaganj Station | 86 |
| 3975. | डीजल तथा भाप इंजनों की तुलनात्मक चालन लागत | Comparative Running cost of Diesel and Steam Engines | 86-87 |
| 3976. | लोकाजन (आसाम) में सीमेंट फैक्टरी | Cement Factory at Boknjan (Assam) | 87 |

अता० प्र० संख्या
U. S. Q. Nos.


| | विषय | SUBJECT | पृष्ठ /PAGES |
|---|---|---|---|
| 3977. | अन्दमान द्वीप समूह में उपलब्ध कच्चे माल का उपयोग | Utilisation of Raw Materials available in Andaman Islands | 87-88 |
| 3978. | हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड में कार्यकारी पद | Executive posts in Hindustan Steel Ltd. | 88 |
| 3979. | अलाभकर रेलवे लाइनों को बन्द करना | Closure of unremunerative Railway Lines | 88-89 |
| 3980. | भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड का कार्यफल | Working Results of Bharat Heavy Electricals Ltd. | 89-90 |
| 3981. | दुर्गापुर इस्पात कारखाना | Durgapur steel plant | 90-91 |
| 3982. | पश्चिम बंगाल से उद्योगों का उत्तर प्रदेश में स्थानान्तरण | Shifting of Industries from West Bengal to U.P. | 91 |
| 3983. | भारतीय रेलवे में प्रशीतक डिब्बे | Refrigerated Vans on Indian Railways | 91-92 |
| 3984. | इंडियन आँयरन एण्ड स्टील कम्पनी द्वारा मेसर्स डल्हौजी होल्डिंग को शेयरों का हस्तान्तरण | Transfer of Shares by Indian Iron and Steel Co. to M/s Dalhousie Holdings | 92 |
| 3986. | पटना में रेलवे डाक सेवा की इमारत का निर्माण | Construction of RMS Building at Patna | 92-93 |
| 3987. | मेसर्स मैकेनजी लिमिटेड, बम्बई | M/s Mackenzies Ltd. Bombay | 93 |
| 3988. | बम्बई बर्मा ट्रेडिंग कारपोरेशन लिमिटेड बम्बई | Bombay-Barma Trading Corporation Ltd., Bombay | 93 |
| 3989. | वोल्टास लिमिटेड, बम्बई | Voltas Ltd., Bombay | 93-94 |
| 3990. | मेसर्स टाटा इंजीनियरिंग एण्ड लोकोमोटिव कम्पनी लिमिटेड, बम्बई | M/s Tata Engineering and Locomotive Company Ltd., Bombay | 94 |
| 3991. | गुड ईयर इंडिया (प्राइवेट) लिमिटेड, कलकत्ता | Good Year India (P) Ltd., Calcutta | 94 |
| 3992. | इलाहाबाद स्टेशन पर आरक्षण प्रणाली | Reservation system at Allahabad Station | 95 |

अता० प्र० संख्या
U. S. Q. Nos.


| | विषय | SUBJECT | पृष्ठ/PAGES |
|---|---|---|---|
| 3693. | पीली बंगान स्टेशन (उत्तर रेलवे) पर पेयजल की व्यवस्था | Drinking Water Pili Bangan Station (N. Rly.) | 95-96 |
| 3994. | समस्तीपुर (पूर्वोत्तर रेलवे) में नैमित्तिक रेलवे कर्मचारी | Casual Railway Workers at Samastipur (NE Rly.) | 96 |
| 3995. | भारत इंजीनियरिंग निगम, राँची के निकट उद्योग समूह | Industrial complex near HEC, Ranchi | 96-97 |
| 3996. | नई यात्री गाड़ियों का चलाया जाना | Running of new passenger trains | 97 |
| 3997. | नैरो गेज इंजनों के स्थान पर डीजल इंजनों का प्रयोग | Replacement of NG. Engines by Diesel Engines | 98 |
| 3998. | दम दम जंकशन स्टेशन पर रेलगाड़ियों का घेराव | Gherao of Trains at Dum Dum Junction | 98-99 |
| 3999. | उड़ीसा में आदिवासियों पर हमला | Attack on Adivasis in Orissa | 99 |
| 4000. | भारी इंजीनियरिंग निगम के पास ग्राहकों के निलम्बित क्रयादेश | Customor's Orders Pending with Heavy Engineering Corporation | 99-100 |
| 4001. | दुर्गापुर इस्पात कारखाने में फालतू श्रमिक | Surplus labour in Durgapur Steel Plant | 100 |
| 4002. | लोहा तथा इस्पात सम्बन्धी कर्णधार समिति की सिफारिशें | Recommendations of Steering Committee on Iron and Steel | 100-101 |
| 4003. | रेलवे में अपराध | Crime in Railways | 101 |
| 4004. | हैवी इलेक्ट्रिकल्स, लिमिटेड, भोपाल में उत्पादन | Production in Heavy Electricals Ltd., Bhopal | 101-102 |
| 4005. | बोकारो इस्पात कारखाने की लागत का अनुमान | Cost Estimates of Bokaro Steel | 102-103 |
| 4006. | तीसरी, पहली और वातानुकूलित श्रेणी के डिब्बे | III Class, I Class and AC coaches | 103 |
| 4007. | रेलवे अधिकारियों को दण्ड | Pnnishment to Railway Officers | 103-104 |
| 4008. | तीर्थयात्रा गाड़ियाँ | Teerath Yatra (Pilgrim) Trains | 104 |
| 4009. | मध्य रेलवे में विद्यार्थियों को यात्रा-दर में रियायत | Travel Concession to students on Central Railway | 104 |

अतो० प्र० संख्या
U. S. Q. Nos.


| विषय | SUBJECT | पृष्ठ /PAGES |
|---|---|---|
| 4010. रेलवे कर्मचारियों के लिए सस्ते अनाज की दुकानें | Cheap Grain Shops for Railway Employees | 104-105 |
| 4011. काजीपेट मद्रास एक्सप्रेस तथा दिल्ली मद्रास जनता एक्सप्रेस रेलगाड़ियों की टक्कर | Collision betwecn Kasipet-Madras Express and Delhi-Madras Janata Express | 105 |
| 4012. पश्चिमोत्तर रेलवे (पाकिस्तान) से आये हुए रेलवे कर्मचारियों के लिए अवकाश सुविधायें | Leave Facilities to Railway Staff migrated from N. W. Railway (Pakistan) | 106 |
| 4013. ट्रैक टाइप ट्रैक्टरों का निर्माण | Manufacture of Track Type Tractors | 106-107 |
| 4014. कैपीटल फाइनेंस आफ इंडिया (प्राइवेट) लिमिटेड | Capital Finanee of India (P) Ltd. | 108 |
| 4015. दानेदार सुहागे का मूल्य | Price of Borax Granular | 108-109 |
| 4016. सोनाई स्टेशन के लिये नये स्थान का सर्वेक्षण | Survey of New Site for Sonai Station | 109-110 |
| 4017. अतिरिक्त क्षमता की मान्यता देने के लिए बैरल उद्योगों में अनियमिततायें | Irregularities in Becognition of ADDITIONAL Capacity in Barrel Industry | 110 |
| 4018. कम्पनी (संशोधन) अधिनियम के उपबन्धों को प्रवंचना | Circumventions of Provisions of the Companies (Amendment) Act | 110-111 |
| 4019. दुर्बल, अन्धों तथा मानसिक रोगियों के लिए राष्ट्रीय संस्थायें | National institutes for physically Infirm, Blind and Mentally affected people | 111-112 |
| 4020. पश्चिम रेलवे में सहायक निर्माण परीक्षक की सेवा समाप्त किया जाना | Termination of service of assistant Inspectors of Works of Western Railway | 112-113 |
| 4021. स्थायी सहायक रेलपथ निरीक्षकों का प्रशिक्षण | Training of Assis:ant Permanent Way Inspectors | 113 |
| 4022. राँची रोड, स्टेशन (पूर्व रेलवे) पर खान-पान-कक्ष रेस्तराँ | Refreshment Room/Restaurant at Ranchi Road Station (Eastern Rly.) | 113-114 |
| 4023. आन्दोलनों के कारण रेलवे सम्पत्ति को हानि | Loss to Railway property due to Agitations | 114 |

अता० संख्या

U. S. Q. Nos.


| | विषय | SUBJECT | पृष्ठ /PAGES |
|---|---|---|---|
| 4024. | समस्तीपुर (पूर्वोत्तर रेलवे) में डिविजनल सुपरिटेन्डेंट का कार्यालय | DS Office at Samastipur (NE Rly.) | 114-115 |
| 4025. | समस्तीपुर तथा बनारस में मंडल अधीक्षक के कार्यालय | D.S's offices at Samastipur and Banaras | 115 |
| 4026. | राजस्थान में बेरोजगारी को हल करने के लिए लघु तथा कुटीर उद्योगों की स्थापना | Setting up of Small Scale and Cottage industeies in Rajasthan to solve Unemployment | 115-116 |
| 4027. | जूते बनाने के कारखाने को मशीनों के आयात को अनुमति देने में देरी | Delay in authorising import of machinery for shoe Factory | 116-117 |
| 4028. | भारत में वेश्यावृत्ति का उन्मूलन | Prevention of prostitution in India | 117 |
| 4029. | कानपुर सेन्ट्रल स्टेशन में मुख्यालय वाले टिकट कलेक्टर के विरुद्ध शिकायतें | Complaints against ticket collectors with Headquarters at Kanpur Central Station | 117-118 |
| 4030. | हिन्द गैलवेनाइजिंग एण्ड इंजीनियरिंग कम्पनी (प्राइवेट) लिमिटेड की आस्तियाँ | Assets of Hind Galvanising and Engineering Co. (P) Ltd. | 118 |
| 4031. | पश्चिम बंगाल में मालगाड़ियों तथा सवारी गाड़ियों का लूटा जाना | Looting of goods and passenger trains in West Bengal | 118-119 |
| 4032. | यूगोस्लाविया तथा संयुक्त अरब गणराज्य के सहयोग से छोटी कार परियोजना | Small Car Project in Collaboration with Yugoslavia and UAR | 119-120 |
| 4033. | औद्योगिक बस्तियों का उपयोग | Utilisation of Industrial estates | 120 |
| 4034. | पूर्वोत्तर रेलवे के स्टेशनों पर पीने का पानी तथा खाद्य पदार्थ सप्लाई करने के लिए सहकारी समितियों निजी ठेकेदारों को ठेके देना | Contracts to co-operative societies private Contractors for supply of drinking water and food stuffs on stations on North Eastern Railway | 120-121 |
| 4035. | उत्तर प्रदेश के समाज कल्याण विभाग को अनुदान | Grants to U. P. Social Welfare Department | 121 |

अता० प्र० संख्या

U. S. Q. Nos.


| | विषय | SUBJECT | पृष्ठ /PAGES |
|---|---|---|---|
| 4036. | पूर्वोत्तर रेलवे पर 74 डाउन सवारी गाड़ी का पटरी से उतरना | Derailment of 74 Dn. passenger train on N. E. Rly. | 121 |
| 4037. | क्यूबा को इस्पात का निर्यात | Export of Steel to Cuba | |
| 4038. | पूर्व रेलवे के सियालदह डिवीजन के क्लर्कों के लिए पदोन्नति के अवसर | Promotional Avenues for clerks of Sealdah Division, Eartern Railway | 122<br>129-123 |
| 4039. | पूर्व रेलवे में सियालदह डिवीजन के क्लर्क | Clerks of Sealdah Division (Eastern Railway) | 123 |
| 4040. | जापान के सहयोग से उद्योगों की स्थापना | Setting up of Industries with Japanese Collaboration | 123 |
| 4041. | रेलवे लेखा विभाग में परिशिष्ट 2–ए परीक्षा | Appendix II-A Examination in the Railway Account Department | 124 |
| 4042. | अन्य रेलवे यातायात लेखा कार्यालय पश्चिम रेलवे, दिल्ली में ग्रेड 2 के क्लर्कों को स्थायी बनाना | Confirmation of elerks grade II in Foreign Traffic Accounts Office, Western Railway, Delhi | 124 |
| 4043. | उत्तर रेलवे के लेखा विभाग के जूनियर क्लर्कों ग्रेड–1 द्वारा मुकदमा दायर किया जाना | Suit filed by Junior Clerks Grade I of Accounts Department of Northern Railway | 124-125 |
| 4044. | रेलवे लेखा विभाग में परिशिष्ट 2–ए परीक्षा | Appendix IIA Examination in the Railway Accounts Department | 125 |
| 4045. | इगतपुरी मुसावल सेक्शन (मध्य रेलवे) के लिए विद्युत् चालित इंजन | Electric Locomotives for Igatpuri-Bhusaval Section (Central Rly.) | 125-126 |
| 4046. | मुसावल नागपुर सेक्शन का विद्युतीकरण | Electrification of Bhusaval-Nagpur Section | 126 |
| 4047. | कागज और लुग्दी तैयार करने के लिए फर्मों को लाइसेंस देना | Grant of Licences to firms to manufacture paper and pulp | 126-127 |
| 4048. | हैवी इलेक्ट्रिकल्स / तापीय कारखानों के लिए क्रयादेशों की कमी | Shortage of orders for heavy electrical Thermal Plants | 127-128 |

अता प्र० संख्या
U. Q. Nos.


| | विषय | SUBJECT | पृष्ठ/PAGES |
|---|---|---|---|
| 4049. | हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन द्वारा न्यायालयों में मुकदमों पर किया गया खर्च | Expenditure incurred by HEC Ranchi on Court Cases | 128-129 |
| 4050. | सलेम में इस्पात संयंत्र | Steel Plant at Salem | 129 |
| 4051. | उत्तर रेलवे में चतुर्थ श्रेणी के रेलवे कर्मचारियों को वर्दियों की सप्लाई | Supply of uniforms to Class IV Railway employees in Northern Rly. | 129 |
| 4052. | जबलपुर इटारसी सेक्शन में यात्री गाड़ी का चलने का समय | Running time of passenger trains on Jabalpur-Itarsi Section | 129-130 |
| 4053. | आसाम में कोच राजवंशी समाज का सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण | Socio Economic Survey of Koch-rajbonshi Community in Assam | 130-131 |
| 4054. | टिकट निरीक्षक कर्मचारियों की ओर से ज्ञापन | Memorandum from Ticket Checking staff | 131 |
| 4055. | तुमकुर, मैसूर राज्य के सिद्दाराजू द्वारा अपने नियंत्रण में ली गई रेलवे सम्पत्ति के दावों के बारे में शिकायत | Complaint with respect to claims of Railway property taken over by Siddaraju of Tumkur, Mysore State | 131 |
| 4056. | मैसूर राज्य में नीचे के पुल / उपरि पुल | Under/over bridges in Mysore State | 131-132 |
| 4057. | देशी कच्चे माल का उपयोग तथा स्थानीय प्रतिभावान लोगों को प्रोत्साहन | Utilisation of indigenous raw materials and encouragement of local talent | 132 |
| 4058. | पिछड़े क्षेत्रों का औद्योगिक विकास | Industrial development in Backward areas | 133 |
| 4059. | बाँदा और चित्रकोट रेलवे स्टेशनों के बीच रेलगाड़ियों में अधिक भीड़भाड़ का होना | Overcrowding in Trains between Banda and Chaitrakot Railway Stations | 133-134 |
| 4060. | चकिया रेलवे स्टेशन (पूर्वोत्तर रेलवे) को जाने वाली सड़क की मरम्मत | Repair of Appcoach Road to Chakia Railway Station (N. E. Rly.) | 134 |

अता० प्र० संख्या
U. S. Q. Nos.


| | विषय | SUBJECT | पृष्ठ/PAGES |
|---|---|---|---|
| 4061. | मिलाई (मध्य प्रदेश) में मौलिक ऐनहाइड्राइड संयंत्र की स्थापना | Setting up of Maleic Anhydride Plant in Bhilai (Madhya Pradesh) | 134-135 |
| 4062. | मध्य प्रदेश सरकार से अर्जित की गई भूमि में से खनिज निकालने के बारे में विवाद | Dispute over Extraction of Minerals from Land acquired from Madhya Pradesh Government | 135 |
| 4063. | दुर्गापुर इस्पात कारखाने में हड़ताल | Strike in Duargapur Steel Plant | 136 |
| 4064. | विदेशों से भारतीय तकनीकी जानकारी की माँग | Demands from Foreign Countries for Indian Technical know-how | 136 |
| 4065. | बिकलाँग व्यक्तियों को रोजगार | Employment to Handicapped persons in Delhi | 136-137 |
| 4066. | मेसर्स नारायण दास ब्रदर्स कालबादेवी रोड बम्बई से अभ्यावेदन | Representation from M/s Naraindas Bros. Kalbadevi Road, Bombay | 137-138 |
| 4067. | रेलवे के स्कूलों में अध्यापकों का वेतन | Pay of Teachers in Railway Schools | 138 |
| 4068. | रेल कर्मचारियों के संगठनों को मान्यता | Recognition of Association of Railway Workers | 138-139 |
| 4069. | कलकत्ता में वृत्ताकार रेलवे | Circular Railway in Calcutta | 139 |
| 4070. | रेल यात्रियों के लिए बीमा की सुविधायें | Insurance facilities to Rail Passengers | 139 |
| 4071. | आय-कर अपीलीय न्याया-धिकरण के सामने अपीलें | Appeals before Income-tax Appellate Tribunal | 140 |
| 4072. | छोटे पैमाने के उद्योगों के लिए निर्यात संवर्धन सम्बन्धी विचार गोष्ठी | Seminar on export promotion for small scale industries | 140-141 |
| 4073. | लघु उद्योग सम्बन्धी निर्यात संवर्धन गोष्ठी | Seminar on export promotion for small scale industries | 141 |
| 4074. | पूर्वी रेलवे के गोहाटी कार्यालय के एक कर्मचारी के पास से बम का बरामद होना | Recovery of bombs from an Employee of Gauhati office of Eastern Railway | 141 |

अता० प्र० संख्या
U. S. Q. Nos.


| | विषय | SUBJECT | पृष्ठ /PAGES |
|---|---|---|---|
| 4075. | बीकानेर डिवीजन में बिना टिकट रेल यात्रा | Ticketless Travel in Bikaner Division | 142 |
| 4076. | बाँदा जंक्शन पर प्लेटफार्म का निर्माण | Construction of a Platform at Banda Junction | 142 |
| 4077. | बाँदा जंक्शन पर रेल के एक उपरि पुल का निर्माण | Construction of an overbridge at Banda Junction | 142-143 |
| 4078. | अस्पृश्यता सम्बन्धी समिति के भूतपूर्व अध्यक्ष का प्रधान मंत्री को पत्र | Letter to Prime Minister by Ex-chairman of Committee on untouchability | 143 |
| 4079. | धर्मनगर से अगरतला तक रेलवे लाइन का विस्तार | Extension of Railway line from Dharmanagar upto Agartala | 143-144 |
| 4080. | रेलवे के तार संकेत चिह्नों के हिन्दी समानार्थ तैयार करना | Preparation of Hindi Equivalent of Telegraph codes of Railways | 144 |
| 4081. | रेलवे स्टेशनों के हिन्दी में संकेत नाम | Hindi Code Names of Railway Stations | 144 |
| 4082. | राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम का प्रतिवेदन | Report of National Industrial Development Corporation | 145 |
| 4083. | ऋणदाताओं को सूदखोरी से अनुसूचित जातियों के लोगों की रक्षा के लिए कानून | Legislation for the protection of Scheduled Castes from Usury of Money Lenders | 145 |
| 4084. | इस्पात सम्बन्धी प्रक्रिया | Procedure regarding distribution of Steel | 145-146 |
| 4085. | दिल्ली और जयपुर के बीच चलने वाली यात्री गाड़ी में भीड़-भाड़ | Over-crowding in passenger train running between Delhi and Jaipur | 147 |
| 4086. | जयपुर तथा दिल्ली के बीच बड़ी रेल लाइन | Broad Gauge line between Jaipur and Delhi | 147-148 |
| 4088. | मध्य प्रदेश में आदिवासियों के गाँवों में पेयजल के लिये नलकूप लगाना | Sinking of Tubewells for drinking water in Adivasi village of Madhya Pradesh | 148-149 |
| 4089. | कारों और ट्रकों का निर्माण | Production of cars and trucks | 149-150 |

| | विषय | SUBJECT | पृष्ठ/PAGES |
|---|---|---|---|
| 4090. | बेरोजगारों की समस्या के समाधान के लिये लघु उद्योग प्रारम्भ करना | Starting of small scale industries to solve unemployment | 150 |
| 4091. | पुनर्वलन के लिए प्रक्रिया संहिता में संशोधन | Revision of code of practice for reinforcement | 151 |
| 4092. | छड़ों तथा सलाखों की आवश्यकता | Requirement of bars and rods | 152-153 |
| 4093. | बिलेटों की कमी | Shortage of Billets | 153-154 |
| 4094. | बिलेट वितरण नीति | Billet Distribution Policy | 154 |
| 4095. | हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड तथा लक्समबर्ग के मैसर्स टोरइसटेग स्टील के बीच अधिक तनाव वाली छड़ों तथा डंडों के निर्माण के लिए करार | Agreement between Hindustan Steel Ltd. and Messrs. Toristeg Steel of Luxumbourg for production of high tensile bars and rods | 155 |
| 4096. | अधिक तनाव वाली छड़ों तथा डंडों का निर्माण | Manufacture of High Tensile Bars and Rods | 155-156 |
| 4097. | मेसर्स करमचन्द थापर | M/s Karam Chand Thapar | 156-157 |
| 4098. | रेलवे के कार्यसंचालन के बारे में, प्रशासनिक सुधार आयोग के दल की सिफारिशें | Recommendations of Administrative Reforms Commission Team on Railway Working | 157 |
| 4099. | आदिलाबाद (दक्षिण मध्य रेलवे) से राजूरा मानिकगढ़ तक रेलवे लाइन | Railway line from Adilabad (South Central Railway) to Rajpura Manikgarh | 157 |
| 4100. | बेल्लमपल्ली रेलवे स्टेशन (दक्षिण मध्य रेलवे) के प्लेटफार्म को ऊंचा करना | Raising of level of platform at Bellampali Station (SC Rly.) | 157-158 |
| 4101. | अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लोगों को रोजगार की सुविधायें | Employment to Scheduled caste/ Scheduled Tribe Persons | 158 159 |
| 4102. | औद्योगिक लाइसेंस नीति पर दत्त समिति | Dutt Committee on Industrial Licensing policy | 159 |

अता० संख्या
U. S. Q. Nos.


| | विषय | SUBJECT | पृष्ठ/PAGES |
|---|---|---|---|
| 4103. | संसद तथा विधान सभाओं में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिए 1971 के बाद भी स्थानों का आरक्षण जारी रखना | Continuance of Reservation of seats for Scheduled Castes and Scheduled Tribes in Parliament and Assemblies beyond 1971 | 160 |
| 4104. | हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन के अध्यक्ष की नियुक्ति | Appointment of Chairman of Heavy Engineering Corporation, Ranchi | 160 |
| 4105. | इस्पात के मूल्यों का पुनरीक्षण | Revision of prices of Steel | 161 |
| 4106. | कारों के मूल्यों के संशोधन | Revision of car prices | 161 |
| 4107. | आसाम में उद्योगों का विकास | Development of Industries in Assam | 161-162 |
| 4108. | त्रिवेन्द्रम कोचीन मीटरगेज लाइन को बड़ी लाइन में बदलना | Conversion of Trivandrum Cochin Metre Gauge line into Broad Gauge | 162 |
| 4109. | ओलवक्कोट रेलवे स्टेशन पर सूक्षम तरंग व्यवस्था के उद्घाटन समारोह के अवसर पर रेलवे अधिकारियों द्वारा बाँटा गया भारत का नक्शा | Map of India Distributed by the Railway Authorities at the time of opening Ceremony of Micro-wave system at Olavokkot Railway Station | 162-163 |
| 4110. | भूतपूर्व सैनिकों का पुनर्वास | Resettlement of Ex-servicemen | 163 |
| 4111. | भारतीय केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा नेपाल में आरम्भ की गई परियोजनायें | Projects under taken by C.P.W.D. of India in Nepal | 183-164 |
| 4112. | एक पाकिस्तानी जासूस गुलजार हुसेन शाह की श्री त्रिलोक चन्द्र के बदले में रिहाई | Release of Gulzar Hussain, Pakistani Spy in Exchange of Shri Trilok Chandra | 164-165 |
| 4113. | राजकीय व्यापार निगम के अध्यक्ष की विदेश यात्रा पर व्यय | Expenditure on Foreign Tours by Chairman State Trading Corporation | 165 |
| 4114. | राजकीय व्यापार निगम द्वारा रेलवे के माल डिब्बों का निर्यात | Export of Rail Wagons by State Trading Corporation | 165-166 |

अता० संख्या
U. S. Q. Nos.


| | विषय | SUBJECT | पृष्ठ/PAGES |
|---|---|---|---|
| 4115. | भारतीय फलों तथा सब्जियों के निर्यात के लिए प्रतिनिधि मंडल | Delegations for Export of Indian Fruits and Vegetables | 166-167 |
| 4116. | कैंटीन स्टोर्स डिपार्टमेंट (भारत) के महा प्रबन्धक द्वारा विमान यात्रा | Air Travel by General Manager Canteen Stores Department (India) | 167-168 |
| 4117. | कैंटीन स्टोर्स डिमार्टमेंट (इंडिया) | Canteen Stores Department (India) | 160 |
| 4118. | सेवामुक्त सैनिक अधिकारियों को रोजगार दिलाना | Employment provided to released Army Officers | 168-169 |
| 4119. | जलपाईगुड़ी में चाय बगानों को ऋण | Loans to Tea Plantations in Jalpaiguri | 169 |
| 4120. | सीमा सड़क महानिदेशालय के अधिकारियों के विरुद्ध शिकायतें | Complaints against officers of Directorate General of Border Roads | 169-170 |
| 4121. | जन्म तिथि प्रमाण पत्र में परिवर्तन | Change in date of Birth-certificate | 170 |
| 4123. | टेरीवूल उत्पादों का मिथ्या निर्यात | Bogus exports of Terrywool products | I71 |
| 4124. | हांगकांग में औद्योगिक प्रदर्शनी | Industrial Exhibition in Hong Kong | 171 |
| 4126. | केबलों का आयात | Import of Cables | 171-172 |
| 4127. | आयुध कारखानों में पदोन्नति के लिए मानदंड | Criteria for promotion in Ordinance Factories | 172-173 |
| 4128. | प्रतिरक्षा मंत्रालय द्वारा बम्बई नगर निगम के सियों माटुंगा में एक भूमिस्थल का किराया दिया जाना | Payment of Rent by Defence Ministry to Bombay Municipal Corporation for a plot of land at Sion Matunga | 173-174 |
| 4129. | छावनी बोर्ड के उप-प्रधानों का झांसी में सम्मेलन | Conference of Vice-Presidents of Cantonment Boards in Jhansi | 174 |
| 4130. | मद्रास स्थित अवाड़ी फैक्टरी में निर्मित मोटर गाड़ियाँ | Vehicles manufactured in Avadi factory at Madras | 174-175 |

अता० प्र० संख्या

U. S. Q. Nos.


| | विषय | SUBJECT | पृष्ठ/PAGES |
|---|---|---|---|
| 4131. | टेलीविजन सेटों का निर्माण | Production of T.V. Sets | 175 |
| 4132. | 1969–70 की प्रतिरक्षा योजना का आकार | Size of Defence plan for 1969-70 | 175-176 |
| 4133. | आयुध कारखाना, सेवरी (बम्बई) | Ordnance depot Sewri (Bombay) | 176-177 |
| 4134. | पी० एल० 480 के अन्तर्गत रूई का आयात | Import of Cotton nnder PL 480 | 177 |
| 4136. | भारत-नेपाल व्यापार करार | Indo-Nepal Trade Agreement | 177-178 |
| 4137. | डिम्बार में गोमती नदी पर बाँध | Dam on Gomti River at Dumber | 178 |
| 4138. | पटसन उद्योग को सहायता | Assistance to Jute Industry | 178-179 |
| 4139. | देश में रूई की माँग तथा पूर्ति | Demand and Supply of Cotton in the country | 179 |
| 4140. | रेशम बोर्ड, बम्बई | Silk Board, Bombay | 180 |
| 4141. | आयात लाइसेंसों के लिये राज्यों से आवेदन | Applications of Import Licence from States | 180·181 |
| 4142. | निर्यात कार्यक्रम | Export programme | 181-182 |
| 4143. | निर्यात व्यापार | Export Trade | 182-183 |
| 4144. | भारतीय सीमाओं पर चीन और पाकिस्तान की सैनिक गतिविधियों में वृद्धि | Increase in Military Activities of China and Pakistan on Indian Borders | 183 |
| 4145. | अणुशक्ति से बिजली उत्पन्न करने पर लागत | Cost of Generating Power from Atomic Energy | 883 |
| 4146. | एटम बम तथा हाइड्रोजन बम के विस्फोटकों के कुप्रभाव | Effects of Explosions of Atom and Hydrogen Bombs | 183-184 |
| 4147. | सीमा सड़क संगठन द्वारा बनाई गई सड़कें | Roads constructed by Border Road Organisation | 184-885 |
| 4148. | चैकोस्लोवाकिया में रूसी हस्तक्षेप | Soviet Intervention in Czechoslovakia | 185 |
| 4149. | गणतन्त्र दिवस परेड, 1969 के लिए निमंत्रण-पत्र | Invitation cards for Republic Day Parade, 1969 | 185-186 |
| 4150. | गणतन्त्र दिवस परेड के लिये झांकी | Tableau for Republic Day Parade | 186 |

अता० प्र० संख्या

U. S. Q. Nos.


| | विषय | SUBJECT | पृष्ठ /PAGES |
|---|---|---|---|
| 4151. | राज्य व्यापार निगम के माध्यम से वूल टाप्स का आयात | Import of wool tops through State Trading Corporation | 186-187 |
| 4152. | मजगोन डौक लिमिटेड | Mazagon Dock Ltd. | 187-188 |
| 4153. | गैर-परम्परागत सामान का निर्यात | Export of non-traditional Goods | 188 |
| 4154. | समुद्र तल के सम्बन्ध में अमेरिका / रूस की प्रारूप संधि | US Soviet Draft Treaty on Sea Bed | 189 |
| 4155. | जापान से यूरिया की खरीद | Purchase of Urea from Japan | 189 |
| 4156. | पटसन का आयात | Import of Jute | 189-190 |
| 4157. | तारापुर परमाणु बिजलीघर | Tarapur Atomic Power Plant | 190 |
| 4158. | इलैक्ट्रानिक उपकरणों के नये कारखानों की स्थापना | Setting up of New Establishments of Electronic Components | 190 |
| 4159. | भारत की सूचना सेवा | Information Service of Indian | 191 |
| 4160. | योजना के द्वारा रोजगार तथा उत्पादन को बढ़ाना | Increasing Employment and production through plan | 191-192 |
| 4161. | चौथी योजना में परिकल्पित समाजवादी व्यवस्था | Socialist pattern of society envisaged in Fourth Plan | 192-193 |
| 4162. | उत्पादन दर तथा तदनुसार खपत | Growth Rates and Corresponding consumption | 193-194 |
| 4163. | काँग्रेस के प्रधान की विदेश यात्रा | Congress President's visit Abroad | 194-195 |
| 4164. | थोरियम के प्रयोग के बारे में अनुसंधान कार्य | Research work on use of Thorium | 195 |
| 4165. | समुद्र जल से परमाणु शक्ति पैदा करना | Generation of Atomic Power from Sea Water | 195 |
| 4166. | कीनिया में भारतीयों का पुनर्वास | Rehabilitation of Kenya Indians | 195-196 |
| 4167. | संघ राज्यक्षेत्र सम्बन्धी योजनाओं के लिए धन का नियतन | Allocation for Union Territories Scheme | 196 |
| 4168. | भारतीय हस्तशिल्प तथा हथकरघा निर्यात निगम द्वारा निर्यात | Exports by Handicrafts and Handlooms Exports Corporation of India Ltd. | 196-197 |

अता० प्र० संख्या

U. S. Q. Nos.


| | विषय | SUBJECT | पृष्ठ/PAGES |
|---|---|---|---|
| 4169. | भारतीय खनिज तथा धातु व्यापार निगम | Minerals and Metals Trading Corporation of India | 198 |
| 4170. | पाकिस्तान को पटसन मशीनों की बिक्री | Sale of Jute Machinery to Pakistan | 198 |
| 4171. | कच्छ का सीमांकन | Demarcation of Kutch | 198-199 |
| 4172. | विदेशों में स्थित भारतीय दूतावासों द्वारा भारतीय संस्कृति का प्रतिनिधित्व करना | Representation of Indian Culture by Indian Embassies Abroad | 199-200 |
| 4173. | वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में अनुसूचित जातियों के कर्मचारियों की पदोन्नतियाँ | Promotion of Scheduled Caste Employees in External Affairs Ministry | 200 |
| 4174. | प्रधान मंत्री के साथ विदेशों के दौरों पर जाने वाले गैर-सरकारी व्यक्ति | Non-officials accompanying the Prime Minister on Foreign Tours | 200-201 |
| 4175. | उत्तरी क्षेत्र में परमाणु बिजली घर | Atomic Power Plant in Northern Region | 201 |
| 4176. | उत्तर प्रदेश में कृषि उद्योग समूह | Agro Industrial Complex in Uttar Pradesh | 202 |
| 4177. | राजदूतों तथा वैदेशिक-कार्य मंत्रालय के अधिकारियों की शिक्षा संबंधी अर्हताएँ | Exducational Qualifications of Ambassadors and Staff of the External Affairs Ministry | 202 |
| 4179. | नायलोन सूत का वितरण | Distribution of Nylon Yarn | 202-203 |
| 4180. | फिल्मों का आयात | Import of Films | 203 |
| 4181. | भारत का निर्यात व्यापार | India's export trade | 203-204 |
| 4182. | हिमाचल प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण | Construction of Roads in Border Areas of Himachal Pradesh | 204-205 |
| 4183. | गत आम चुनावों में पराजित राजनीतिज्ञों की उच्च पदों पर नियुक्तियाँ | Appointment to High posts of Politicians defeated in East General Elections | 205 |
| 4184. | सरकारी क्षेत्र द्वारा निर्यात | Exports by Public Sector | 205 |
| 4185. | हज यात्रियों को होने वाली कठिनाइयाँ | Difficulties faced by Haj Pilgrims | 206 |

अता० प्र० संख्या

U. S. Q. Nos.


| | विषय | SUBJECT | पृष्ठ/PAGES |
|---|---|---|---|
| 4186. | नए विकसित देशों को निर्यात | Export to newly developed countries | 206 |
| 4187. | प्रधान मंत्री की विदेश यात्रा | Prime Minister's tour abroad | 206-207 |
| 4188. | तारापुर परमाणु केन्द्र में विद्युत्-शक्ति का उत्पादन | Production of electric energy iu Tarapore Atomic Station | 207 |
| 4189. | भारत में यूरेनियम और थोरियम का उत्पादन | Production of Uranium and Thorium in India | 207-208 |
| 4190. | विज्ञान के पृथक मंत्रालय की माँग | Demand for a separate Ministry of science | 208-209 |
| 4191. | चाँद पर बस्तियाँ बसाना | Colonisation of Moon | 209 |
| 4192. | नेताजी सुभाष चन्द्र बोस द्वारा मास्को रेडियो से प्रसारण के समाचार | Reported broadcast by Netaji Subhas Chandra Bose from Radio Moscow | 209-210 |
| 4193. | भारत बौद्ध धर्म के प्रचारक के रूप में काम करने के लिये श्री उ० नू० की प्रार्थना | U. Nu's request to work in India as a Budhist's Missionary | 210 |
| 4194. | भारत एक मुस्लिम देश | India a Muslim country | 210 |
| 4195. | भारत के निर्यात तथा आयात में अन्य देशों द्वारा नियंत्रित कंपनियों का अंश | Share of foreign controlled companies in India's Exports and Imports | 210-211 |
| 4196. | मैसर्स बिड़लाओं द्वारा आयात लाइसेंसों का दुरुपयोग | Misuse of Import licences by M/s Birlas | 211-212 |
| 4197. | तम्बाकू के स्टाक का जमा होना | Accumulation of Tobacco Stocks | 212 |
| 4198. | मध्य प्रदेश में हथकरघा उद्योग का विकास | Development of Handloom Industry in Madhya Pradesh | 212-213 |
| 4199. | मध्य प्रदेश में भूमिहीन सैनिकों को भूमि का आवंटन | Allotment of Land to landless Army Personnel in Madhya Pradesh | 213 |
| 4200. | मध्य प्रदेश के लिये आयात लाइसेंस जारी करना | Issue of Import Licences to Madhya Pradesh | 213 |
| 4201. | कोसा कपड़े का उत्पादन | Production of Kosa Cloth | 213-214 |
| 4202. | दिल्ली छावनी के गाँवों में नागरिक सुविधाओं की व्यवस्था | Provision of civic Amenities in villages in Delhi Cantonment | 214 |

अता० प्र० संख्या

U. S. Q. Nos.


| विषय | SUBJECT | पृष्ठ/PAGES |
|---|---|---|
| 4203. सेना में अधिकारियों तथा अन्य पदों के अधिकारियों को दी जाने वाली सुविधाओं में असमानता | Disparities in facilities for officers and other ranks to Army | 214-215 |
| 4204. बन्द सूती कपड़ा मिलों का पुनः खोला जाना | Re-opening of closed Textile Mills | 215 |
| 4205. सूती कपड़ा सम्बन्धी नीति | Textile Policy | 215-216 |
| 4206. फिल्मों का निर्यात | Export of Films | 216 |
| 4207. केन्द्रीय आयुध विभाग के कर्मचारियों द्वारा कानपुर में शोक-सभा का आयोजन | Holding of a condolence meeting by COD Wokers at Kanpur | 217 |
| 4208. कोहिनूर मिल्स लिमिटेड, बम्बई | Kobinoor Mills Ltd. Bombay | 217-218 |
| 4209. पाकिस्तान द्वारा चिट्टगाँव, (पूर्व पाकिस्तान) में हथियारों का कारखाना स्थापित करना | Establishment by Pakistan of an Arms Factory at Chittagong (East Pakistan) | 218 |
| 4210. 1966 की विश्व सुन्दरी रीता फारिया का वैध पारपत्र के बिना विदेशों का दौरा | Visit by Rita Faria Miss World 1966, to Countries without a valid passport | 218-219 |
| 4211. भारत-रूस व्यापार | Indo Soviet Trade | 289 |
| 4212. रबड़ का मूल्य | Prices of Rubber | 219 |
| 4213. पाकिस्तान अधिकृत काश्मीर में सैनिक तैयारियाँ | Military preparations in Pakistan occupied Kashmir | 220 |
| 4214. काँग्रेस अध्यक्ष तथा महासचिव की विदेश यात्रा | Visit of Congress President and General Secretary Abroad | 220 |
| 4215. पारपत्रों का दुरुपयोग | Misuse of Passports | 220-221 |
| 4216. विदेशी सैनिक प्रतिनिधिमण्डलों द्वारा भारत का दौरा | Visit by Foreign Military Delegations to India | 221 |
| 4217. राजकीय व्यापार निगम के पास निर्यात सम्बन्धी क्रयादेश | Export orders with State trading Corporation | 221-222 |

अता० प्र० संख्या

U. S. Q. Nos.


| | विषय | SUBJECT | पृष्ठ/PAGES |
|---|---|---|---|
| 4218. | हिन्द महासागर में टोह लेने वाली रूसी परमाणु पनडुब्बी | Soviet Nuclear Submarine cruising in Indian Ocean | 222-223 |
| 4219. | कोसीपुर फैक्टरी में हुए गोलीकाण्ड की जाँच | Enquiry into firing in Cossipore Factory | 223 |
| 4220. | भारतीय दूतावासों के कर्मचारी | Employees of Indian Embassies | 223 |
| 4221. | राष्ट्रपति भवन में नियुक्त सैनिक सचिव | Military Secretaries appointed in Rashtrapati Bhavan | 224 |
| 4222. | बिहार की खनिज सम्पत्ति | Mineral wealth of Bihar | 224 |
| 4223. | नेपाल द्वारा उपहार पार्सल योजना का दुरुपयोग | Misuse of Gift Parcel scheme by Nepal | 225 |
| 4224. | वर्ल्ड एसेम्बली फार पीस | World Assembly for Peace | 225-228 |
| 4225. | यूनेस्को के प्रशासनिक अधिकारी श्री दीवान को राजनयिकों में शामिल करना | Inclusion of Shri Dewan, Administrative officer of UNESCO in Diplomatic List | 228 |
| 4226. | संयुक्त राष्ट्र अभिकरणों में कार्य करने वाले भारतीय नागरिकों का राजनयिक सूची में शामिल करना | Indian citizens in UN Agencies on Diplomatic List | 228-229 |
| 4227. | ऊनी कपड़ा उद्योग के आयात में अनियमितताएं | Irregularities in imports for woollen Textile Industry | 229 |
| 4228. | अन्तर्राष्ट्रीय नियंत्रण आयोग की अध्यक्षता समाप्त करना | Discontinuing chairmanship of International Control Commission | 229-230 |
| 4229. | सेना में जवानों तथा अधिकारियों को दण्ड देने सम्बन्धी नियम | Rules regarding punishment of Jawans and Officers in Army | 230 |
| 4230. | अशोधित लोह अयस्क का निर्यात | Export of Iron Ore in raw form | 230 |
| 4231. | व्यापार करार | Trade Agreements | 231 |
| 4232. | आगरा और जोधपुर के निकट भारतीय नौसेना के विमानों का दुर्घटनाग्रस्त होना | IAF Planes crashcd near Agra and Jodhpur | 231-232 |

अता० प्र० संख्या

U. S. Q. Nos.


| | विषय | SUBJECT | पृष्ठ/PAGES |
|---|---|---|---|
| 4233. | पाकिस्तान द्वारा चिट्टगाँव-सिलहट तक एक लम्बी खन्दक का निर्माण | Construction of a long trench by Pakistan from Chittagang to Sylhet | 232 |
| 4234. | नियंत्रित प्रक्षेपणास्त्रों (गाइडेड मिसाइल) का निर्माण | Manufacture of Guided Missiles | 232-233 |
| 4235. | यूरोपीय आर्थिक साझा बाजार के देशों को भारतीय चाय का निर्यात | Export of Indian Tea to European Common Market Countries | 233-234 |
| 4236. | खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा मैंगनीज अयस्क का निर्यात | Export of Manganese Ore by Minerals and Metals Trading Corporation | 234 |
| 4237. | एक्सरे फिल्मों की कमी | Shortage of X-Ray Films | 234-235 |
| 4238. | पश्चिम बंगाल में सैनिक स्पेशल गाड़ी का लूटा जाना | Military Special Train looted in West Bengal | 236 |
| 4239. | आमों का निर्यात | Export of Mangoes | 237 |
| 4240. | विदेशों में पकोड़ों को लोकप्रिय बनाना | Popularisation of Pakoras in foreign countries | 237-238 |
| 4241. | रोडेशिया की जेल में बन्द भारतीय अध्यापक | Indian Teacher held in prison in Rhodesia | 238 |
| 4242. | सिलाई की मशीनों का निर्यात | Export of Sowing Machines | 238-239 |
| 4243. | केरल में केन्द्रीय विधि मंत्री का भाषण | Union Law Minister's speech in Kerala | 239 |
| 4244. | सशस्त्र सेना मुख्यालय के लोअर डीविजन क्लर्क | LDCs in Armed Forces Headquarters | 239-240 |
| 4245. | नेपाल से माल का आयात | Import of Goods from Nepal | 240 |
| 4246. | पश्चिमी जर्मनी में भारतीय महा वाणिज्य दूत द्वारा कथित अपमानजनक बात | Alleged derogatory remarks by Indian Consul General in West Germany | 240 |
| 4247. | प्रतिरक्षा कर्मचारियों को उद्योगों में रोजगार देना | Rehabilitation of Defence personnel in Industries | 241 |
| 4248. | रेयन धागे के मूल्य | Prices of Rayon Yarn | 241 |
| 4249. | ब्रिटेन को सूती कपड़े का निर्यात | Export of Cotton Textiles to Britain | 242 |

अता० प्र० संख्या
U. S. Q. Nos.


| विषय | SUBJECT | पृष्ठ/PAGES |
| --- | --- | --- |
| 4250. उत्तर प्रदेश में हथकरघा उद्योग का विकास | Development of Handloom Industry in U.P. | 242-243 |
| 4251. छावनी क्षेत्रों में सम्पत्ति का हस्तान्तरण | Transfer of property in Cantonment Areas | 243 |
| 4252. छावनी क्षेत्रों में भूमि के स्लामित्व सम्बन्धी अधिकारों के बारे न्यायालयों में अनीर्णीत मामले | Cases Pending in Law Courts Proprietary Rights to Lands in Cantonment Areas | 243 |
| 4253. प्रतिरक्षा मंत्रालय के अन्तर्गत कार्यालयों में हिन्दी का प्रयोग | Use of Hindi in Offices under Defence Ministry | 243-244 |
| 4254. दक्षिण वियतनाम के साथ व्यापार सम्बन्ध | Trade Relations with South Vietnam | 244 |
| 4255. नागालैण्ड में युद्ध विराम अवधि का विस्तार | Extension of period of cease fire in Nagaland | 244-245 |
| 4256. राजकीय व्यापार निगम द्वारा निर्यात | Exports by State Trading Corporation | 245 |
| 4257. राजकीय व्यापार निगम द्वारा कच्चे माल का आयात | Import of Raw Materials by State Trading corporation | 245 |
| 4258. विगों का निर्यात | Export of Wigs | 246 |
| 4259. छावनियों की सीमाओं के अन्दर निजी सम्पत्ति का हस्तान्तरण | Transfer of private property within Cantonment Limits | 247 |
| 4260 छावनी क्षेत्रों में सम्पत्ति की किरायेदारी समाप्त करना | Dehiring of properties in Cantoment Areas | 247-248 |
| 4261. विदेशों से ट्रैक्टरों का उपहार | Gift of Tractors by Foreign Countries | 248 |
| 4262. आयुध कारखानों के लिये परामर्शदाताओं की एक अमरीकी फर्म की नियुक्ति | American Firm Consultants Engaged for Ordnance Factories | 248-249 |
| 4263. पाकिस्तान तथा चीन द्वारा अधिकृत भारतीय क्षेत्रों में पाकिस्तान तथा चीन द्वारा बनाई गई सड़कें | Roads constructed by China and Pakistan in Pakistan-occupied and China-occupied Areas | 249 |

अता० प्र० संख्या
U. S. Q. Nos.

| | विषय | SUBJECT | पृष्ठ/PAGES |
|---|---|---|---|
| 4264. | हिन्द महासागर में विदेशी अड्डे | Foreign Bases in Indian Ocean | 249 |
| 4265. | भारत इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड, बंगलौर में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कर्मचारी | Scheduled Castes and Scheduled Tribes Employees in Bharat Electronics Ltd., Bangalore | 250 |
| 4266. | व्यापार प्रतिनिधि मंडल | Trade Delegations | 250-251 |
| 4267. | देहू छावनी में प्रतिरक्षा कर्मचारियों के लिय बनाये गए मकान | Tenements built for Defence Personnel in Delhi Contonment | 251 |
| 4268. | देहू छावनी में प्रतिरक्षा कर्मचारियों के लिये बनाये गए मकान | Tenements constructed for Defence Personnel in Delhi Contonment | 251-252 |
| 4269. | अमरीका तथा रूस का हिन्द महासागर में अड्डे स्थापित करने का प्रयत्न | US-USSR move to set up Bases in Indian Ocean | 252 |
| 4270. | ट्रैक्टर उपहार योजना | Tractor Gift Scheme | 252-253 |
| 4271. | कोटा अणुशक्ति केन्द्र में राजस्थानी कर्मचारी | Rajasthanis employed in Kota Atomic Power Station | 253 |
| 4272. | इन्दौर में हुए दंगों के बारे में पाकिस्तन रेडियो से प्रचार | Pakistan Radio Propaganda re. Indore Riots | 253 |
| 4273. | रासायनिक तथा जीवाणु शस्त्रों के प्रयोग पर प्रतिबन्ध लगाने के लिए संयुक्त राष्ट्र का प्रस्ताव | Proposal to ban use of Chemical and Bacteriological Weapons | 253-254 |
| 4274. | रूरकेला इस्पात कारखाने की लोह अयस्क की आवश्यकता | Iron Ore Requirements of Rourkela Steel Plant | 254-255 |
| 4275. | मुद्रण (प्रिंटिंग) मशीनों का आयात | Import of Printing Machines | 255 |
| 4276. | उप-प्रधान मंत्री के पद का समाप्त किया जाना | Abolition of Post of Deputy Prime Minister | 255-256 |

अता० प्र० संख्या

U. S. Q. Nos.


| | विषय | SUBJECT | पृष्ठ/PAGES |
|---|---|---|---|
| 4277. | देहू रोड के एक प्रतिरक्षा कर्मचारी द्वारा रेलवे माल डिब्बे से चुराया गया माल | Goods stolen by a Defence Employee of Dehu Road from Railway Goods Wagon | 256 |
| 4278. | देहू रोड छावनी क्षेत्र | Dehu Road Cantonment Area | 256-257 |
| 4280. | श्री भगवत झा आजाद द्वारा जयपुर में दिया गया वक्तव्य | Statement made by Shri Bhagwat Jha Azad at Jaipur | 257 |
| 4281. | चम्पारन जिला (बिहार) में शैल बटन उद्योग को प्रोत्साहन | Incentive to Shell Button Industry in Champaran District, Bihar | 257 |
| 4282. | सरसों के तेल का निर्यात | Export of Mustard Oil | 257-258 |
| 4283. | पटसन तथा पटसन के माल का निर्यात | Export of Jute and Jute goods | 258 |
| 4284. | अमरीकी राष्ट्रपति के साथ आए प्रेस प्रतिनिधियों तथा अन्य व्यक्तियों पर किया गया व्यय | Expenditure on Press Reporters and others accompanying the U.S. President | 258-259 |
| 4285. | अमरीका और जापान को फैरो सिलिकोन का निर्यात | Export of Ferro Silicon to USA and Japan | 259 |
| 4286. | पाकिस्तान के साथ वार्ता के बारे में शेख अब्दुल्ला का बयान | Sheikh Abdullah's Statement re.talks with Pakistan | 259 |
| 4287. | गैर-सरकारी तथा सरकारी क्षेत्र द्वारा निर्यात का ब्यौरा | Break up of exports by Private and Public Sector | 259-260 |
| 4288. | विदेशों में भारतीय वस्तुओं का प्रचार अभियान | Publicity campagin of Indian goods in foreign countries | 260-261 |
| 4289. | मैसर्ज रामबहादुर ठाकुर एण्ड कम्पनी द्वारा मैंगनीज तथा अन्य अयस्कों का निर्यात | Export of Managanese and other ores by M/s Ram Bahadur Thakur and Co. | 261 |
| 4290. | कांडला बन्दरगाह के कार्य की धीमी प्रगति के कारणों की जाँच | Inquiry into causes of the slow progress of Kandla Port | 261-262 |
| 4291. | अपोलो—11 को सन्देश | Message to Appollo-II | 262 |
| 4292. | कृषि उद्योग समूह | Agro Industrial Complex | 262 |

अता० संख्या

U. S. Q. Nos.


| विषय | | SUBJECT | पृष्ठ /PAGES |
|---|---|---|---|
| 4293. | भारत तथा नेपाल के बीच चौकियों से भारतीय सैनिकों की वापसी | Withdrawal of Indian Military personnel from check posts between India and Nepal | 263 |
| 4294. | इस्पात के आयात के लिये मध्य प्रदेश के लिये विदेशी मुद्रा का नियतन | Allocation of Foreign Exchange for Import of Steel to Madhya Pradesh | 263-264 |
| 4295. | प्रतिरक्षा मंत्रालय द्वारा नियंत्रित हवाई अड्डों पर विमान उतारने के लिये मध्य प्रदेश सरकार द्वारा अनुमति माँगा जाना | Permission sought by Government of Madhya Pradesh for Landing Air craft on Airfields controlled by Defence Ministry | 464 |
| 4296. | प्रतिरक्षा संस्थानों में अनुसूचित जातियों / अनुसूचित आदिम जातियों के असैनिक प्रशिक्षु | Scheduled castes and scheduled Tribes Civilian Apprentices in Defence Establishments | 264-265 |
| 4297. | डमडम आयुध कारखाने में सफल प्रशिक्षुओं को कार्य पर लगाना | Absorption of successful Apprentices in Dum Dum Ordnance Factory | 265 |
| 4298. | डमडम आयुध कारखाने में नियुक्त तकनीकी व्यक्ति | Technical Hands Employed in Dum Dum Ordnanee Factory | 265 |
| 4299. | अणुशक्ति का उत्पादन | Production of Nuclear Power | 265-266 |
| 4300. | ट्रैक्टर उपहार योजना | Tractor Gift Scheme | 266 |
| 4301. | पाक अधिकृत काश्मीर की मुक्ति | Liberation of Pak. held Kashmir | 266 |
| 4302. | अभ्रक का निर्यात | Export of Mica | 267 |
| 4303. | पटसन उद्योग के कर्मचारियों की मजूरी में वृद्धि | Wage Rise for Jute Industry Workers | 268 |
| 4304. | ऊन का उत्पादन तथा निर्यात | Production and Export of Wool | 268-269 |
| 4305. | रबड़ का आयात | Import of Rubber | 269 |
| 4306. | इस्पात की ट्यूबों के निर्यात के लिये क्रयादेश | Export orders for Steel Tubes | 269 |
| 4307. | मद्रास में भारतीय नौसेना का बेड़ा | Fleet of Indian Navy in Madras | 269-270 |

अता० प्र० संख्या
U. S. Q. Nos.


| विषय | SUBJECT | पृष्ठ /PAGES |
|---|---|---|
| 4308. उत्तर प्रदेश के पिछड़े पहाड़ी क्षेत्रों का विकास | Development of Backward Hill Areas of U. P. | 270 |
| सभा-पटल पर रखे गए पत्र | Papers Laid on the Table | 270-271 |
| प्राक्कलन सम्मिति सतानवेंवाँ प्रतिवेदन | Estimates Committee Ninety-seventh Report | 271 |
| केन्द्रीय श्रम विधियां (जम्मू तथा कश्मीर पर विस्तारण) विधेयक-पुर:स्थापित | Central Labour (Extention to Jammu and Kashmir) Bill Laws intrc-duced | 272-273 |
| नियम 377 के अधीन मामला नवनिर्वाचित राष्ट्रपति को शपथग्रहण कराने में विलम्ब | Matter under Rule 377 Delay in installation of the President-eleet | 273-274 |
| पश्चिम बंगाल में चाय बागान श्रमिकों की हड़ताल के बारे में | Re-Strike of Tea Garden Workers in West Bengal | 274 |
| लोकपाल तथा लोकायुक्त विधेयक खण्ड 2 से 22,1 और अनुसूचियाँ संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव | Lokpal and Lokayuktas Bill Clause 2 to 22, 1 and the Sehedules Mation to pass, as amended | 275-292 |
| श्री विद्या चरण शुक्ल | Shri Vidya Charan Shukla | 277 |
| श्री रंगा | Shri Ranga | 278 |
| श्री शिव चन्द्र झा | Shri Shiva Chandra Jha | 278 |
| श्री नरेन्द्र सिंह महीडा | Shri Narendra Singh Mahida | 290 |
| श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी | Shri S. S. Kothari | 291 |
| श्री पी० विश्वम्भरन् | Shri P. Viswambharan | 291 |
| श्री रा० कृ० बिड़ला | Shri R. K. Birla | 291 |
| श्री रामावतार शास्त्री | Shri Ramavatar Shastri | 292 |
| श्री अब्दुल गनी दार | Shri Abdul Ghani Dar | 292 |
| श्री वेणी शंकर शर्मा | Shri Beni Shanker Sharma | 292 |
| अनुपूरक अनुदानों की माँगे (रेलवे), 1969–70 | Demands for Supplementary Grants (Railways) 1969-70 | 293-299 |
| श्री परिमल घोष | Shri Parimal Ghosh | 294 |
| श्री धी० ना० देव | Shri D. N. Deb. | 294 |
| श्री चिन्तामणि पाणिग्रही | Shri Chintamani Panigrahi | 295 |
| श्री वेणी शंकर शर्मा | Shri Beni Shanker Sharma | 295 |
| श्री शिव चन्द्र झा | Shri Shiva Chandra Jha | 296 |

| विषय | SUBJECT | पृष्ठ/PAGES |
|---|---|---|
| श्री वी० कृष्णामूर्ति | Shri V. Krishnamoorthi | 296 |
| श्री यशपाल सिंह | Shri Yashpal Singh | 297 |
| श्री बि० प० मंडल | Shri B. P. Mandal | 297 |
| श्री रा० कृ० बिड़ला | Shri R. K. Birla | 298 |
| श्री चंद्रिका प्रसाद | Shri Chandrika Prasad | 298 |
| श्री लषन लाल कपूर | Shri Lakhan Lal Kapoor | 298 |
| बसुमती की पूंजी ढाँचों के बारे में -आधे घन्टे की चचा | Re. Capital Structure of 'Basumati' -Half-an-hour Dircussion | 299-302 |
| श्री ज्योतिमर्य बसु | Shri Jyotirmoy Basu | 299 |
| श्री अ० कु० सेन | Shri A. K. Sen | 301 |
| श्री फखरुद्दीन अली अहमद | Shri F. A. Ahmed | 301 |

# लोक-सभा

# LOK SABHA

मंगलवार, 20 अगस्त, 1969/29 श्रावण, 1891 (शक)
**Tuesday, August 20, 1969/ Sravana 29, 1891 (Saka)**

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

*The Lok Sabha met at Eleven of the Clock*

[ **अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए
MR. SPEAKER *in the Chair* ]

## प्रश्नों के मौखिक उत्तर

## ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

**श्री धीरेश्वर कलिता** : अध्यक्ष महोदय मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है....।

**अध्यक्ष महोदय** :जब किसी विषय पर चर्चा न हो रही हो तो व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठाया जा सकता।

**श्री धीरेश्वर कलिता** : मेरा व्यवस्था का प्रश्न इस प्रश्न की ग्राह्यता के संबंध में है। नियम 41 के अधीन.....

**श्री बलराम मधोक** : इस सभा की यह परंपरा रही है कि प्रश्न-काल के दौरान व्यवस्था का प्रश्न न उठाया जाये।

**अध्यक्ष महोदय** : संक्षेप में बताइए कि आप क्या कहना चाहते हैं ? यह खेद की बात है कि प्रश्न-काल में व्यवस्था का प्रश्न पूछा जा रहा है।

**Shri Om Prakash Tyagi** : Mr. Speaker, Sir, if point of order is accepted, it will be raised daily and you cannot check Members from raising points of orders.

**श्री अ० सि० सहगल** : प्रश्न-काल के दौरान व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठाया जा सकता।

**अध्यक्ष महोदय** : आशा है आप व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठायेंगे। नियम तो ठीक हैं। लेकिन यह परंपरा भी रही है कि प्रश्न-काल के दौरान व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठाया जाता।

**श्री उमानाथ** : लेकिन यह परंपरा हाल ही में श्री कंवरलाल गुप्त ने तोड़ी दी। **(व्यवधान)**

**श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी** : ऐसी परंपरा है लेकिन यदि किसी प्रश्न की ग्राह्यता के बारे में व्यवस्था का प्रश्न उठाया जाता है तो मैं समझता हूँ कि आपको किसी सदस्य को इस तरह का प्रश्न उठाने से नहीं रोकना चाहिये।

**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न 3-4 दिन पहले परिचालित कर दिये जाते हैं। यदि कोई सदस्य यह समझे कि कोई प्रश्न ग्राह्य नहीं है तो वह मुझे लिख सकता है या मेरे कक्ष में मुझसे मिल सकता है, लेकिन प्रश्न उठाने का यह उपयुक्त समय नहीं है।

**श्री ज्योतिर्मय बसु** : नियमों में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि जब प्रश्न गृहीत किया जाये तो सदस्य अध्यक्ष महोदय से मिले।

**अध्यक्ष महोदय** : मैं हमेशा नियमों का पालन करता हूँ। मेरा सदस्यों से अनुरोध है कि जब कभी भी वे यह समझें कि कोई प्रश्न समुचित ढँग से गृहीत नहीं किया गया है या ग्राह्य नहीं है तो वे किसी भी समय मेरे कक्ष में मुझसे मिल सकते हैं, क्योंकि सूची पहले ही परिचालित कर दी जाती है और उन्हें पर्याप्त समय मिल जाता है तथा वे मुझसे मिल सकते हैं।

**श्री हेम बरुआ** : महोदय, क्या आपका यह विनिर्णय भविष्य के लिये है या इस समय के लिये ही है?

**अध्यक्ष महोदय** : इसे परंपरा पर छोड़ दिया जाये।

**श्री हेम बरुआ** : महोदय, उन्हें व्यवस्था का प्रश्न उठाने की अनुमति दी जाये।

**कुछ सदस्य** : नहीं, नहीं।

**विदेशियों द्वारा भारतीय विश्वविद्यालयों के विद्यार्थियों के साथ मित्रता की जाना**

*631. †**श्री राम स्वरूप विद्यार्थी** : **श्री झा० सुन्दर लाल** : **श्री ओम प्रकाश त्यागी** : **श्री कार्तिक उरांव** :

क्या **वैदेशिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को मालूम है कि रूसी दूतावास के कुछ अधिकारियों को दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रांगण में विद्यार्थियों और अध्यापकों से मित्रता बढ़ाते हुए देखा गया है?

(ख) यदि हाँ, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) सरकार ने विदेशियों द्वारा विश्वविद्यालयों के विद्यार्थियों से अनुचित लाभ उठाने को रोकने लिये क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है?

**वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह)** : (क) सरकार की निगाह में रूसी दूतावास के अधिकारियों को विश्वविद्यालय के छात्रों और प्राध्यापकों के साथ ऐसा व्यवहार करते नहीं देखा गया है जिन्हें आपत्तिजनक कार्रवाइयाँ कहा जाय।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

**Shri Ram Swarup Vidyarthi** : Mr. Speaker, Sir, the officials of Russian Embassy are found roaming with the students in the compus of Delhi University. They can easily be seen in Coffee House and other places. But the hon. Minister says that it is not so. The students who have direct contacts with Russian Embassy get admitted to the University and fail in their Examinations year after year and go on instigating students,

**अध्यक्ष महोदय**: उनका उत्तर यह है कि इस संबंध में कुछ भी नहीं किया जा रहा है।

**Shri Ram Swarup Vidyarthi** : I would like to know the number of such students as have failed during the last three years and were admitted after they had failed in their examinations.

**अध्यक्ष महोदय**: यह प्रश्न ही नहीं उठता। इसके लिये अलग से सूचना दी जाये। आपको निश्चित प्रश्न पूछना चाहिये। वह इसका उत्तर एकाएक कैसे दे सकते हैं?

**श्री राम स्वरूप विद्यार्थी**: मेरा प्रश्न यह है कि क्या सरकार को यह मालूम है कि रूसी दूतावास के अधिकारी छात्रों और अध्यापकों के साथ मित्रता बढ़ा रहे हैं तथा उन्हें भड़ाका रहे हैं?

**अध्यक्ष महोदय**: आपका प्रश्न यह है कि क्या सरकार को यह मालूम है कि रूसी दूतावास के अधिकारी दिल्ली विश्वविद्यालय के अहाते में छात्रों और अध्यापकों से मित्रता बढ़ा रहे हैं। लेकिन आपने यह नहीं पूछा कि कितने विद्यार्थी विदेश भेजे गए? यह एक अलग प्रश्न है और इसकी सूचना अलग से देनी होगी।

**Shri Ram Swarup Vidyarthi** : I would like to know whether these things appeard in News Papers also and the hon. Minister would find out whether people from foreign Embassies meet in Coffee House and such other places.

**Shri Surendra Pal Singh** : I have newer said that the people from Russian Embassy did not go there. It is a fact that the officials of Russian and other Embassies go there and meet students and teachers. People go to attend their social functions also. At the same time it is also a fact that they have done nothing against the interests of our country.

**Shri Ram Swarup Vidyarthi** : Mr. Speaker, Sir, election is going to be held in Delhi University on 23rd and a candidate supported by Russian Embassy is contesting election. Students are brought from their homes and their lodging and boarding arrangements are made in the hotels which are in the vicinity of the University and all facilities are provided to them and they would not be allowed to go unless the election is over. Lakhs of rupees are being spent in this way. I would like to know whether Government would find out the source from which money is coming for the said election.

**The Minister for External Affairs (Shri Dinesh Singh)** : We would certainly enquire into the matter if hon. Member supplies us the details in this regard.

**Shri Om Prakash Tyagi** : Two foreign camps *viz.*—Russian and American—are trying to influence India. Russian and American groups pose a great danger to India. They are trying to influence us politically. They are trying to influence our universities and students. I think agents of C. I. A., Russia and China are trying to influence us. These foreign elements should be driven away from the country. Mainly these are Chinese are Russian agents.

**Shri Yogendra Sharma** : I want to raise a point of order. Just now Mr. Tyagi has pointed out that some of the people here are agents of Russia and China. Your predecessor had pointed out times again that it is not proper to call a Member of the House as an agent of some foreign country. It was his ruling and it is being violated repeatedly. I want to warn them that whenever they would raise an issue like this we would give them a fitting reply.

**Mr. Speaker** : It is a matter of surprise that neither anybody asks a question nor anybody replies it and they come and start quarreling as if they have preplanned all this. Mr. Tyagi may please ask a specific question so that we may not have to face such a difficulty.

**Shri Om Prakash Tyagi** : My question is this whether Government would prohibit officials of foreign Embassies from entering universities and educational institutions without obtaining permission from the Government so that the students may not be influenced by foreign power.

**Shri Dinesh Singh** : It is for the Vice-chancellor to decide as to who can and who cannot enter the university campus, so far as foreign embassies are concerned we try to ensure that nobody should indulge in such activities as my prove detrimental to our national interest.

**श्री कार्तिक उरांव** : कौन, कहाँ, कैसे, कब तथा क्यों जा रहा है यह बात कोई माने नहीं रखती। परन्तु जो चीज हमारी जनता पर दुष्प्रभाव डाल रही है उससे हमारा संबंध अवश्य है। मैं सरकार से यह जानना चाहूँगा कि क्या उन्होंने विश्वविद्यालयों के प्राधिकारियों को ऐसे निर्देश दिये हैं जिनमें उनसे दूतावास या दूसरे लोगों से बात सुनने को मना किया गया हो? क्या यह विभिन्न देशों के दूतावासों को बताया गया है? क्या इस विषय में विद्यार्थियों अथवा विश्वविद्यालयों से शकायतें आयी हैं?

**अध्यक्ष महोदय** : मंत्री महोदय इस प्रश्न का उत्तर पहले ही दे चुके हैं। सदस्य महोदय का प्रश्न असंगत है।

**श्री कार्तिक उरांव** : मैं यह जानना चाहता हूँ कि विद्यार्थियों अथवा विश्वविद्यालयों से कोई शिकायत आई है या नहीं?

**श्री दिनेश सिंह** : मुझे ऐसी शकायत की जानकारी नहीं है। लेकिन क्योंकि सदस्य महोदय ने यह प्रश्न किया है तो मैं कहना चाहूँगा कि अपने विद्यार्थियों को बाहरी मामलों से अनभिज्ञ रखना हमारे स्वतंत्र समाज के नियमों के प्रतिकूल होगा। उनको संसारिक समस्यायों, विचारधाराओं तथा दबावों का सामना करना है। उनको संसार के दूसरे भागों से जानकारी प्राप्त करने की छूट होनी चाहिये बशर्ते कि वह उसका अनुचित लाभ न उठायें।

**श्री उमा नाथ** : दिल्ली विश्ववद्यालयों के मामलों में विदेशी हस्तक्षेप के कुछ गंभीर आरोप हैं। यह बताया गया है कि दिल्ली विश्वविद्यालय की योजना-इकाई ने अपने बोर्ड में दो अमरीकियों को शामिल किया हुआ है (**व्यवधान**) मेरी धारणा रिकार्ड पर आधारित है। उनमें से एक का नाम अमरीकी-सदस्य-परिचय के 1967-68 के संस्करण में अमरीकी गुप्तचर विभाग की सूची में पाया गया है। यह भी बताया गया है कि फोर्ड फाउन्डेशन के कुछ अमरीकियों ने विभाग प्रमुखों तथा कुछ अध्यापकों से ऋण देने के विषय में सीधे बातचीत की जिसका कि योजना इकाई के कुछ सदस्यों ने विरोध किया। श्री गिल पैट्रिक के विरुद्ध यह आरोप है कि वह दिल्ली विश्वविद्यालय में व्यक्तिगत आधार पर कुछ अध्यापकों तथा विद्यार्थियों को सीधे ऋण दे रहे हैं। मैं जानना चाहूँगा कि क्या इन आरोपों की जो कि योजना इकाई के कार्यवाही सारांश में निहित हैं तथा जिन पर मेरे प्रश्न आधारित हैं, मंत्री महोदय को जानकारी दी गई है? यदि हाँ, तो क्योंकि यह आरोप राजस्थान तथा कुछ अन्य विश्वविद्यालयों से संबंधित हैं, मैं जानना चाहूँगा कि क्या

सरकार विदेशी सहायता तथा हमारे देश के शिक्षण संस्थानों की और दूसरी चीजों के ढाँचे का सम्पूर्ण पुनर्विलोकन करने के लिये एक उच्च स्तरीय आयोग नियुक्त करने के पक्ष में है ?

**श्री दिनेश सिंह**: मुझे खेद है कि मैं मंत्री महोदय द्वारा बतायी गयी विशेष बातों का उत्तर तुरन्त नहीं दे सकता। मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करूँगा कि वह ईर्षा न करें, मैं किसी प्रकार का भेदभाव नहीं बरतना चाहता। मैं इस विषय को माननीय शिक्षा मंत्री को सौंप दूँगा ताकि वह इस विषय में छानबीन कर सकें।

**श्री प० गोपालन**: मुझे पता चला है कि भारतीय छात्रों को रूसी छात्रवृत्ति भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के माध्यम से दी जाती है जब कि विभिन्न अमरीकी संस्थानों द्वारा प्रदत्त छात्रवृत्ति..

**अध्यक्ष महोदय**: वह मुख्य प्रश्न से संबंधित नहीं है।

**श्री प० गोपालन**: यह मुख्य प्रश्न के (ग) भाग से संबंधित है, जो कि एक सामान्य प्रश्न है।

विभिन्न अमरीकी संस्थानों द्वारा छत्रवृत्ति सीधे रूप में दी जाती है, तथा मुझे पता चला है कि कुछ अमरीकी पत्रिकाओं जैसे 'रैमपार्ट' (Rampart) में इनमें से कुछ संस्थानों का भेद पहले ही खोला जा चुका है और इन्हें अमरीकी गुप्तचर विभाग के सदस्य बताया गया है।

**अध्यक्ष महोदय**: मुझे खेद है कि मैं इस प्रश्न की आज्ञा नहीं दे सकता। यह संगत नहीं है।

**श्री प० गोपालन**: इन छात्रवृत्तियों को अमरीकी अधिकारी भारतीय विद्यार्थी वर्ग पर प्रभाव डालने के लिये एक साधन के रूप में प्रयोग करते हैं जो कि एक गंभीर बात है।

**अध्यक्ष महोदय**: मुझे खेद है मैं इसकी आज्ञा नहीं दे सकता।

**श्री प० गोपालन**: कृपया मुख्य प्रश्न का (ग) भाग देखें।

**अध्यक्ष महोदय**: मुझे खेद है कि इसकी आज्ञा नहीं दे सकता। यह संगत नहीं है।

**श्री ज्योतिर्मय बसु**: दिल्ली विश्वविद्यालय के प्राध्यापक श्री सुभाष चक्रवर्ती ने **यू०ए०स० फैक्ट्स स्पीक अबाउट एड एण्ड एडुकेशन** नामक एक बहुत ही तथ्यपूर्ण पुस्तक प्रकाशित की है। क्या मैं जान सकता हूँ कि सरकार का ध्यान इस पुस्तिका की ओर आकर्षित किया गया अथवा नहीं, यदि हाँ तो इसका क्या परिणाम निकला! यह एक प्रकाशित पुस्तक है। यह अमरीकी गुप्तचर विभाग के सदस्यों की दिल्ली विश्वविद्यालय में छात्रवृत्तियाँ दे कर घुसपैठ तथा विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों में अमरीकी विचारधारा के प्रचार से सबंधित है। आप इस पुस्तक को कैसे अमान्य करार दे सकते हैं? यह बहुत ही संगत है। आप इस देश में विद्यार्थियों के कल्याण में इतनी ही रुचि रखते हैं जतनी कि मैं रखता हूँ। क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि क्या सरकार को इस पुस्तक के विषय में जानकारी है, यदि हाँ, तो सरकार ने पुस्तक में दी गयी जानकारी की जाँच करने के लिये क्या कदम उठाये हैं? यदि नहीं, तो क्या वह इस पुस्तक की एक प्रति लेंगे तथा जाँच पड़ताल करेंगे ?

**अध्यक्ष महोदय**: प्रश्न यह है कि 'क्या सरकार को पता है कि रूसी दूतावास के कुछ अधिकारी विद्यार्थियों से मैत्री करते पाये गए' इस पुस्तक द्वारा नहीं।

**श्री वासुदेवन नायर**: कृपया (ग) भाग देखिये।

**श्री दिनेश सिंह**: मैंने एक प्रश्न के अपने उत्तर में कहा है कि यदि माननीय सदस्य मुझे एक प्रति भेजेंगे तो मैं अपने साथी शिक्षा मंत्री का ध्यान इस ओर आकर्षित करूँगा।

**श्री ज्योतिर्मय बसु** : मैं इसको सभा-पटल पर रखूँगा। यह एक आश्चर्यजनक दस्तावेज है।

**अध्यक्ष महोदय** : नहीं, वह उसको मंत्री महोदय को दे सकते हैं।

**जस्ते का आयात**

*632. +**श्री क० लकप्पा** : **श्री ए० श्रीधरन** :
**श्री यशपाल सिंह** :

क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने पोलैण्ड तथा अन्य देशों से जस्ते का आयात करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हाँ, तो वर्ष 1969–70 में कितने जस्ते का आयात किये जाने की सम्भावना है; और

(ग) इसके लिये कितनी राशि नियत की गई है?

**वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्री (श्री ब० रा० भगत)** :

(क) तथा (ख) पोलैन्ड, सोवियत संघ, बल्गारिया तथा कोरिया के लोकतंत्रीय जनवादी गणराज्य के साथ हुए व्यापार करारों के अनुसार 1969 के दौरान इन देशों से 20,000 मे० टन जस्ते का आयात किया जायेगा। इतनी ही मात्रा कनाडा, सं० रा० अमरीका तथा जापान से आयात किये जाने की संभावना है।

(ग) इस सम्बन्ध में कोई ठीक-ठीक अनुमान नहीं लगाया जा सकता क्योंकि जस्ते के मूल्यों में आवधिक तथा देशवार परिवर्तन होते हैं फिर भी इस में 9 करोड़ रु० की धनराशि लगने की सम्भावना है।

**श्री क० लकप्पा** : इस प्रश्न का संबंध नीति से है। आज समाचार-पत्रों में प्रधान मंत्री को काँग्रेसियों से यह कहते बताया गया है कि संस्थाओं के प्रधान सरकार को आर्थिक विकास के दस सूत्री कार्यक्रम को लागू करने में बाधाएँ उपस्थित कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में......

**अध्यक्ष महोदय** : क्या यह जन्तर-मन्तर है?

**श्री क० लकप्पा** : मैं असल बात अब बताता हूँ। इन वर्षों में सरकार ने आर्थिक आत्मनिर्भरता के कार्यक्रम को मूर्तरूप नहीं दिया तथा विदेशों से जस्ते के आयात पर निर्भर रही जबकि हमारे ही देश में राजस्थान में उदयपुर तथा आन्ध्र प्रदेश में विशाखापतनम नामक स्थानों में इससे बड़े भंडार हैं। सरकार जस्ते के स्वदेशी उत्पादन की ओर ध्यान क्यों नहीं देती ताकि हम इसका आयात रोक सकें? इस संदर्भ में मैं "इकोनौमिक टाइम्स" का जिक्र करना चाहता हूँ जिसमें इस विषय में बहुत ही संगत बात कही है।

**अध्यक्ष महोदय** : यह एक संगत बात हो सकती है, संगत प्रश्न नहीं। वह बहस में पहले ही काफी समय ले चुके हैं। अच्छा हो यदि वह अब अपना प्रश्न करें।

**श्री क० लकप्पा** . महोदय, ठीक है, सामूहिक उत्तरदायित्व में सबों को हाथ बटाना चाहिये।

प्रश्न वैदेशिक व्यापार मंत्रालय से संबंधित है लेकिन इस बात का जिक्र संगत है। भारत सरकार जस्ते के भंडारों का प्रभावी ढंग से उपयोग करने में असफल रही है। यह पत्र बताता है:—

"यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण तथा खेद की बात है कि आयातित जस्ते के आधार पर विशाखापतनम में जस्ता प्रद्रावक लगाने में विवाद उत्पन्न किया जाय। यह स्थिति दो राज्य सरकारों के परस्पर विरोधी प्रदेशवाद संबंधी दबाव से उत्पन्न होती है।"

**अध्यक्ष महोदय**: क्या मैं आपसे बार-बार असल प्रश्न करने के लिये अनुरोध करूँ? यह आध घंटे की चर्चा अथवा वाद-विवाद नहीं है। यह एक प्रश्न है तथा आपको माननीय मंत्री के उत्तर से मेल खाने वाले अनुपूरक प्रश्न ही करने चाहिये। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि भविष्य में इसका ध्यान रखें तथा अपने अनुपूरक प्रश्नों के साथ और बहस न करें।

**श्री क० लकप्पा**: विदेशों में जस्ते का क्या मूल्य माँगा जा रहा है? देश में प्राप्त जस्ते को खोज निकालने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं?

**श्री ब० रा० भगत**: वास्तविक प्रश्न निर्यात के विषय में है। इस वर्ष देश में 38,000 टन उत्पादन की संभावना है तथा यही अगले वर्ष भी संभावित है, लेकिन 1972–73 में यह बढ़ कर 76,000 टन हो जायेगा। यदि विशाखापतनम प्रद्रावक, जिसके विषय में खान तथा धातु मंत्रालय को निर्णय लेना है, 1973–74 में काम शुरू कर देता है तो यह लगभग एक लाख टन हो जायेगा। जस्ते की भारत ही नहीं वरन् विदेशों में भी कमी है तथा हम इसको स्वदेशी अनुसंधानों से ही पूरी मात्रा में खोज निकालने का भरसक प्रयत्न कर रहे हैं। इसका मूल्य अलग-अलग देशों में अलग-अलग है। तथा यह 2,300 रुपए से ले कर 2,500 रुपए प्रति टन तक है।

**श्री क० लकप्पा**: पत्र आगे बताता है:

"जापान के अधिकतर प्रद्रावक, जो कि आयातित जस्ते से चलते हैं, बन्दरगाहों पर स्थित हैं। कच्चा माल कनाडा में ही प्राप्त नहीं जहाँ से अलवाई प्लांट की पूर्ति की जाती है, बल्कि बर्मा तथा ईरान में भी है।"

यदि हम अपनी अर्थ-व्यवस्था को मज़बूत बनाना चाहते हैं, तो क्या सरकार ईरान के वित्तीय सहयोग की संभावना पर विचार करेगी ताकि विदेशी मुद्रा को आयात पर व्यय करने की आवश्यकता न पड़े?

**श्री ब० रा० भगत**: यह एक अच्छा सुझाव है तथा हम इस पर अवश्य विचार करेंगे। यदि इससे हमें कुछ लाभ होने की संभावन होगी तथा विदेशी मुद्रा की बचत होगी तो इसका अवश्य ही प्रयत्न किया जायेगा।

**श्री ए० श्रीधरन**: जस्ते के संबंध में प्रश्न जब उठा है जब कि सरकार की स्थिति डांवाडोल है। आज हम भाग्य के भरोसे हैं। यह देश सन् 1100 से जस्ते का उत्पादन कर रहा है तथा जस्ते के आयात की आज्ञा दिये जाने के कारण इसके उत्पादन को भारी आघात लगा है। हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड के चेयरमैन के भाषण से सरकार की असफलता स्पष्ट हो जाती है। जयपुर जो कि एक सरकारी उपक्रम है:

"....बाजार में जस्ते की स्थायी भरमार हो गई है जिसके कारण हमारा जस्ता बिकना कठिन हो गया है। डाइमोनियम फासफेट की बड़ी मात्रा में आयात किये जाने के कारण...."

आयात नीति बनाते समय क्या राष्ट्रीय उद्योगों के संरक्षण का ध्यान दिया जाता है? यदि यह विचार सरकार के ध्यान में था तो सरकार ने जस्ते के आयात के लिये आयात-नीति बनाते समय इस बात को प्राथमिकता क्यों नहीं दी?

**श्री ब० रा० भगत** : यदि आयात-क्रम बनाते समय राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखने का प्रश्न है तो इसका पूरा-पूरा ध्यान रखा गया है। राष्ट्रीय उत्पादन तथा इसकी व्यापक कमी को ध्यान में रखते हुए ही जस्ते का आयात किया गया।

**Shri Yaspal Singh** : I would like to know whether the zinc is being imported by us at present on barter system? Will the Minister be pleased to state when are we expected to become self sufficient in this respect ?

**Shri B. R. Bhagat** : We are not importing it on barter basis. From Rupee areas it is imported on rupee payment, from Canada we import it under credit agreement that we have with them, from Japan it is under Yen credit and from U. S. A. it is imported according to Free Foreign Exchange. As far as the self-sufficiency is concerned, as I have already told you, we expect to produce 4 tonnes of zinc in the Fourth Five Year Plan. But the country's demand is greater than that, so we cannot be completely self-sufficient now.

**Shri Onkar Lal Bohra** : In Rajasthan Udaipur and its neighbourbood have such a big deposit of zinc that if properly used we can become self-sufficient in this respect and can also save foreign exchange. In view of making our country self-sufficient would it not be proper that we should exercise some restraint ourselves in respect of imports? Today the hon. Minister has put the figures of production in our country as 38,000 tonnes. In public sector Hindustan Zinc Limited can produce 18,000 tonnes of zinc and in private sector Comico Benani produces 10,000 tonnes, thus a total of 28,000 tonnes of zinc is produced. In the context of the efforts, which the Ministry is making to save the foreign exchange, I would like to know how the State enterpises under public sector are proposed to be controlled so that the efforts can be successful?

**Shri B. R. Bhagat** : This Ministry is concerned with Imports. Production is the concern of Ministry of Mines and Metals. I have told that every effort is being made and it is expected that 38,000 tonnes of zinc will be produced this year.

**श्री रा० कृ० बिड़ला** : मान्यवर, माननीय मंत्री ने अभी स्वीकार किया है कि सरकार 40,000 टन जस्ता आयात करने का विचार कर रही है। उदयपुर में इसका कच्चा माल बड़ी मात्रा में उपलब्ध है। मुझे पता चला है कि राजस्थान के मुख्य मंत्री श्री मोहन लाल सुखाड़िया ने केन्द्रीय सरकार को लिखा है कि यदि उदयपुर प्लांट को प्रोत्साहन दिया गया तो वह अवश्य ही देश की माँग को पूरा कर सकेगा। इसको ध्यान में रखते हुए मैं माननीय मंत्री से एक प्रश्न करना चाहूँगा कि सरकार जस्ते के आयात का विचार क्यों कर रही है जिसमें कि विदेशी मुद्रा भी खत्म हो रही है तथा यह उदयपुर के सरकारी उपाय पर ही अपना ध्यान क्यों नहीं केन्द्रित करती जो कि सारे देश की माँग को पूरा कर सकता है?

**श्री ब० रा० भगत** : जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि उत्पादन कार्यक्रम पैट्रोलियम तथा रसायन तथा खान तथा धातु मंत्रालय द्वारा संगठित किया जाता है। एक अलोह धातु दल है जिसकी

हर वर्ष बैठक होती है तथा वह व्यापक तौर पर आवश्यकताओं तथा माँगों की स्थिति पर उत्पादन की तुलना में गौर करते हैं तथा आयात का निर्णय अधिकतम प्राप्त उत्पादन को देखते हुए ही किया जाता है। अनावश्यक वस्तुओं को बिल्कुल निकाल दिया जाता है तथा केवल अत्यंत आवश्यक वस्तुओं का ही आयात किया जाता है।

**एक माननीय सदस्य**: उनमें तालमेल नहीं है।

**श्री ब० रा० भगत**: उनमें पूरा तालमेल है।

**Shri Onkar Lal Berwa :** What are the names of Provinces which have been surveyed in connection with zinc ? Has Rajasthan also been surveyed ? If so, the details of the report thereof?

**श्री ब० रा० भगत**: यह प्रश्न बार-बार पूछा जा रहा है। इस संबंध में खान मंत्री ब्यौरा दे सकते हैं, क्योंकि यह प्रश्न उनके मंत्रालय के बारे में है।

**Shri Onkar Lal Berwa :** So far as the question of importing this item is concerned, we look out for it in foreign countries.

**श्री हेम बरुआ**: श्री रघुनाथ सिंह को हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड का चेयरमैन बनाये जाने के बाद इस संस्था ने क्या कुछ प्रगति की?

**श्री ब० रा० भगत**: यह प्रश्न मेरे सहयोगी से पूछा जाना चाहिये है।

**श्री हेम बरुआ**: पिछले चुनावों में श्री रघुनाथ सिंह हार गए थे और उन्हें उपरोक्त संस्था का चेयरमैन बनाया गया। मैं चाहता हूँ कि उपरोक्त संस्था प्रगति करे। मैं यह जानना चाहता हूँ कि श्री रघुनाथ सिंह को चेयरमैन बनाये जाने के बाद संस्था ने कितनी प्रगति की?

**अध्यक्ष महोदय**: हालाँ कि मुख्य प्रश्न आयात के बारे में है लेकिन यह खेद की बात है अन्य प्रश्न पूछे जा रहे हैं।

**श्री पीलू मोडी**: प्रश्न यह है कि आयात क्यों हो?

**श्री चेंगलराया नायडू**: यदि राजस्थान में उपलब्ध कच्चे माल का पूर्णतया विकास किया जाये और वहाँ संयंत्र भी कायम किया जाये तो भी इससे केवल 10 से 15 प्रतिशत आवश्यकता पूरी होगी। इसलिये हमें फिर भी विदेशों से जस्ता मँगाना पड़ेगा। इसके बजाय हम कच्चे माल का आयात करके विशाखापतनम में जस्ता क्यों न तैयार करें?

**अध्यक्ष महोदय**: यह कार्यवाही के लिए एक सुझाव है।

**पटसन उद्योग**

*633. **श्री हिम्मतसिंहका**: क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मई, 1969 के अन्तिम सप्ताह में कलकत्ता में पटसन उद्योग की श्रमिक समस्याओं के बारे में एक त्रिपक्षीय सम्मेलन हुआ था;

(ख) यदि हाँ, तो उस सम्मेलन में क्या निर्णय किए गए;

(ग) क्या इन निर्णयों को लागू करने से पटसन की वस्तुओं की उत्पादन लागत के और बढ़ जाने की सम्भावना है, यदि हाँ, तो किस हद तक; और

(घ) इस वृद्धि से होने वाले व्यय को पूरा करने के लिये तथा अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में पटसन की वस्तुओं के निर्यात को बनाये रखने में पटसन उद्योग की मदद करने के लिये सरकार का क्या सहायता देने का विचार है?

**वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्री (श्री ब० रा० भगत)** : (क) से (घ) पटसन उद्योग में हड़ताल के बारे में 5 अगस्त, 1969 तथा 11 अगस्त, 1969 को इस सभा में मेरे द्वारा दिए गए वक्तव्यों की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है।

**श्री हेम बरुआ** : हड़ताल समाप्त होनें के बाद अब इस प्रश्न से क्या उद्देश्य पूरा होगा?

**श्री हिम्मतसिंहका** : इस प्रश्न की सूचना हड़ताल समाप्त होने से पहले दी गई थी। क्या सरकार को यह मालूम नहीं है कि कुछ प्राकृतिक परिस्थितयाँ पाकिस्तान के पटसन उद्योग के लिये अनुकूल होने और भारत में पटसन पर निर्यात शुल्क लगाये जाने और पाकिस्तान में पटसन पर किसी प्रकार का निर्यात शुल्क न लगाये जाने के कारण भारतीय पटसन उद्योग को पाकिस्तान के मुकाबले में विश्व बाजार में घाटा हो रहा है? इस स्थिति को देखते हुए क्या सरकार ने इस तरह के कदम उठाने पर विचार किया है जिससे भारत अपने पहले की स्थिति को फिर से प्राप्त कर सके और यदि हाँ, तो वे कदम क्या हैं?

**श्री ब० र० भगत** : हम स्वभावतः विश्व बाजार में, खासकर पाकिस्तान के मुकाबले में, पटसन उत्पादों की प्रतिस्पर्द्धा के बारे में चिन्तित हैं। प्राकृतिक दृष्टि से ही कच्चे माल के मामले में पाकिस्तान की स्थिति कुछ अच्छी है। इसके अलावा वह विशेष बोनस वाउचर जारी करता है जिससे हमें प्रतिस्पर्द्धा में कठिनाई होती है। हम इस पर विचार कर रहे हैं। इस उद्योग के लागत ढाँचे पर टैरिफ आयोग विचार कर रहा है। आयोग का प्रतिवेदन मिलने पर इस बात पर विचार करेंगे कि इस उद्योग की सहायता करने और विश्व बाज़ार में इसकी स्थिति बनाये रखने के लिये क्या कदम उठाये जाने चाहिये।

**श्री हिम्मतसिंहका** : पटसन उद्योग के चेयरमैन ने एक वक्तव्य में कहा कि लगभग डेढ़ वर्ष पहले औद्योगिक वित्त निगम ने इस उद्योग के लिये 500 करोड़ रुपए का ऋण मंजूर किया था तथा इस संबंध में मामलों की अलग-अलग छानबीन किए जाने पर भी ऋण नहीं दिया गया। क्या सरकार कोई ऐसी कार्यवाही करेगी जिससे इस उद्योग को धन मिल सके और उद्योग अपनी स्थिति में आधुनिक ढंग से सुधार कर सके?

**श्री ब० रा० भगत** : जहाँ तक कालीन के पीछे के भाग (कार्पेट बैकिंग) और चौड़े करघों का संबंध है, नई इकाइयाँ कायम करने तथा आधुनिकीकरण के संबंध में उदारतापूर्वक लाइसेंस देने की नीति अपनायी गई है। इन ऋणों की मंजूरी और वित्तीय सहायता संबंधी मामलों पर अलग-अलग विचार किया जाता है और इन्हें उदारतापूर्वक निपटाया जाता है।

**श्री स्वैल** : मैं यह जानना चाहता हूँ कि विश्व बाजार में पटसन के सौदे में प्रतिदिन कितना रुपया लगता है और पिछले दिनों हुई हड़ताल में विदेशी मुद्रा की कितनी हानि हुई तथा क्या इस हड़ताल का विश्व बाजार में हमारी प्रतिस्पर्द्धा–क्षमता पर बुरा असर पड़ा?

**श्री ब० रा० भगत** : मैं अपने वक्तव्य में बता चुका हूँ कि प्रति दिन 1 करोड़ रुपए

की हानि हुई जिसमें से दो-तिहाई हानि विदेशी मुद्रा के रूप में हुई। यह हड़ताल सात या आठ दिन तक चली।

**श्री स्वैल**: मेरे अन्तिम प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया। मेरा अन्तिम प्रश्न यह था कि क्या इस हड़ताल का विश्व बाजार में हमारी प्रतिस्पर्द्धा-क्षमता पर बुरा असर पड़ा?

**श्री ब० रा० भगत**: मैंने कहा कि सात या आठ दिन तक उत्पादन में घाटा हुआ और मैंने श्रमिकों तथा उद्योगपतियों से अनुरोध किया कि वे उत्पादन बढ़ा कर इस घाटे को पूरा करें।

**श्री स्वैल**: मेरा प्रश्न यह नहीं था कि कितना घाटा हुआ बल्कि यह था कि हड़ताल का हमारी प्रतिस्पर्द्धा-क्षमता पर बुरा असर पड़ा या नहीं?

**श्री बा० रा० भगत**: हड़ताल के कारण प्रतिस्पर्द्धा–क्षमता पर बुरा असर नहीं पड़ा लेकिन यदि माननीय सदस्य का अभिप्राय यह है कि अन्तरिम समझौते और ऊँची मजूरी संबंधी बिल के कारण उद्योगों पर अधिक बोझ पड़ेगा तो उस सीमा तक उत्पादन लागत बढ़ सकती है। लेकिन इस घाटे को उत्पादन बढ़ा कर और परस्पर संबंध में सुधार करके पूरा किया जा सकता है। इसका उद्योगों पर अपरिहार्य बोझ नहीं डाला जाना चाहिये।

**श्री बि० प्र० मंडल**: मैं जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार ने मई, 1969 में हुए त्रिपक्षीय सम्मेलन में उत्पादकों के प्रतिनिधियों को भी आमंत्रित किया था? यदि नहीं, तो क्यों?

**श्री ब० रा० भगत**: त्रिपक्षीय सम्मेलन में श्रमिकों के, उद्योगपतियों के और सरकारी प्रतिनिधि होते हैं। यही सामान्य परंपरा है।

**Shri Beni Shanker Sharma** : Particulary sacking, Hessian and carpet-backing are manufactured in jute mills. Due to the competition with Pakistan export of sacking has been completely stopped. I would like to know whether Government propose to give bonus voucher for sacking as is done in Pakistan. Carpet-backing has to run the risk of competing with American Synthetic. I would like to know whether Government have decided to reduce the export duty and if so, the extent to which export duty would be reduced?

**Shri B. R. Bhagat** : We are not in favour of issuing bonus vouchers as a matter of policy. We had made it clear to International Monetary Fund that bonus vouchers issued by Pakistan are against the obligations of International Trade Agreement, GATT Agreement, Monetary Fund etc. So far as reduction in export duty is concerned we have already reduced the export duty in the last budget. Cost structure is being examined and we would consider the matter after receiving report in this regard.

**श्री फ० गो० सेन**: क्या किसानों के लिये कठिनाई पैदा करके श्रमिकों और मिल मालिकों ने ये निर्णय किये हैं? कच्चे पटसन का मूल्य घटता चला जा रहा है।

**श्री ब० रा० भगत**: इस उद्योग में किसानों, खास तौर पर कच्चा पटसन पैदा करने वालों, के हितों को सर्वोपरि रखा गया है क्योंकि हमें जिन लोगों के साथ मुकाबला करना होता है उनके माल की किस्म अच्छी होती है और मूल्य भी कम होता है।

इसके अलावा यह कार्यवाही भी की गई है कि राज्य व्यापार निगम जूट की कीमत 40 रुपए से नीचे गिरने पर सभी उपलब्ध जूट खरीदेगा। इस प्रकार जूट उत्पादकों के हितों की रक्षा होगी।

**श्री फ० गो० सेन**: क्या यह सच है कि बाजार में कच्ची जूट का कोई खरीदार नहीं है, न तो मिल मालिक ही और न राज्य व्यापार निगम?

**श्री लोबो प्रभु**: सरकार के पास ऐसी व्यवस्था है कि वह इस प्रकार की हड़तालों के बारे में कानूनी तौर पर न्याय-निर्णय कराये। क्या सरकार को मालूम है कि जूट की कीमत बढ़ाई जाने वाली है और उसके परिणामस्वरूप अन्य चीजों की कीमतों भी बढ़ेंगी और यदि हाँ, तो सरकार इसका न्याय-निर्णय क्यों नहीं कराती?

**श्री ब० रा० भगत**: जूट की कीमत में कोई वृद्धि नहीं हुई है। हड़ताल शुरू होते ही न्याय-निर्णय या पंच निर्णय या समझते के लिए बातचीत का क्रम शुरू हो जाता है।

**श्री इन्द्रजीत गुप्त**: मैं यह मानता हूँ कि सरकार विदेशी मुद्रा कमाने में उतनी दिलचस्पी ले रही है जितनी कि जूट उद्योग अपना माल बेचने और लाभ कमाने में दिलचस्पी ले रहा है। मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूँ कि यह उद्योग बराबर यह शिकायत करता रहा है कि उनके हाथ से विदेशी बाजार निकलने का कारण अधिक निर्यात-शुल्क है और उनके हाथ से विदेशी बाजार निकलने के फलस्वरूप सरकार को भी विदेशी मुद्रा की हानि हो रही है तो क्या इस शकायत में कोई सचाई है और सरकार का इस बारे में क्या विचार है? क्या सरकार का विचार है कि वर्तमान निर्यात शुल्क इना अधिक है कि उसके परिणामस्वरूप जूट के विदेशी बाजार हमारे हाथ से निकलते जा रहे हैं?

**श्री ब० रा० भगत**: पिछले बजट के समय इस प्रश्न पर विचार किया गया था और इस पर भी विचार किया गया था कि जूट की प्रतिस्पर्द्धा-क्षमता पर निर्यात-शुल्क का कितना प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है और स्थिति सुधारने के लिए कार्यवाही की गई थी। आज भी, जूट मिल एसोसियेशन और जूट आयुक्त द्वारा बताये गए जूट के लागत-ढाँचे में अन्तर है। दूसरे, अमरीकी बाजारों में आये सिन्थेटिक माल की प्रतिस्पर्द्धा भी एक मुख्य बाधा है। अतः निर्यात किए जाने वाले जूट-सामान को प्रतिस्पर्द्धा-योग्य बनाना पड़ेगा और चूंकि जूट मिल एसोसियेशन तथा जूट आयुक्त द्वारा बताये गए जूट के लागत आँकड़ों में अन्तर है इसलिए उपरोक्त बात को ध्यान में रखते हुए समूचे मामले पर टैरिफ आयोग विचार कर रहा है। उसका प्रतिवेदन मिलने पर ही पूरी तस्वीर हमारे सामने आ सकती है।

**सूती कपड़ा मिलों द्वारा रखे गये भण्डारों पर प्रतिबन्ध**

***634. †श्री गु० ब० नायक:** **श्री एस० जेवियर:**
**श्री रा० रा० सिंह देव:** **श्री रा० की० अमीन:**
**श्री जे० मुहम्मद इमाम:** **श्री ब० रा० परमार:**

क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में विभिन्न सूती कपड़ा मिलों द्वारा रुई का भण्डार रखने तथा रुई की खरीद के बारे में कोई नियम बनाये हैं;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस आशय के समाचार मिले हैं कि कुछ मिलें इन नियमों का पालन नहीं कर रही हैं;

(घ) क्या इस बात को सुनिश्चित करने के लिये कि मिलें निर्धारित सीमा से अधिक रुई का भण्डार न रखें सरकार ने इण्डियन काटन मिल्स फेडरेशन के साथ कोई सम्पर्क स्थापित किया है; और

(ङ) क्या इन प्रतिबन्धों से सूती कपड़ा उद्योग के लिए कुछ कठिनाइयाँ उत्पन्न हो गई हैं और इसके कारण मजदूरों की जबरी छुट्टी हो गई है, और यदि हाँ, तो किस हद तक ?

**वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्री (श्री ब० रा० भगत) :** (क) वस्त्र आयुक्त को रुई की खरीद तथा भण्डारण को विनयमित करने की शक्ति प्रदान करने के लिए रुई नियंत्रण आदेश, 1955 में उपलब्ध रखे गए हैं। यद्यपि रुई खरीदने के लिए वस्त्र आयुक्त ने कोई सीमा अथवा शर्त निर्धारित नहीं की है तथापि उसने रुई से भण्डारण की सीमा निश्चित कर दी है।

(ख) रुई के उत्पादन के स्तर में पर्याप्त घट-बढ़ होती रहती है जिससे रुई की उपलब्धता तथा मूल्यों में विभिन्नता हो जाती है। रुई के भण्डार रखने तथा खरीदने पर विनियमन करने की कानूनी व्यवस्था से रुई की उपलब्ध मात्रा के उचित मूल्यों पर सुव्यवस्थित विपणन तथा सम्यक आवंटन में सहायता मिलती है।

(ग) हाल में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(घ) रुई भण्डारण सीमा का प्रवर्तन करने के लिये भारतीय सूती मिल संघ के साथ सम्पर्क स्थापित करने की आवश्यकता नहीं पड़ी।

(ङ) जी नहीं।

**श्री गु० च० नायक :** इस समय कपड़ा मिलों के पास कपास का कुल कितना भण्डार है, विभिन्न कपड़ा मिलों की कुल अधिष्ठापित क्षमता कितनी है, इस अधिष्ठापिति का कितना प्रतिशत भाग उपयोग में लाया जा रहा है और अधिष्ठापित-क्षमता का पूर्ण उपयोग क्यों नहीं किया जा रहा है ? क्या कपास उपलब्ध न होने के कारण अथवा अन्य किसी कारण से उसका उपयोग नहीं किया जा रहा है ?

**श्री ब० रा० भगत :** इस प्रश्न के लिए आँकड़े इकट्ठे करने पड़ेंगे ? यदि सदस्य महोदय मुझे समय दें तो यह जानकरी इंकट्ठा कर उन्हें दे सकता हूँ।

**अध्यक्ष महोदय :** इस प्रश्न के साथ छः सदस्यों के नाम जोड़े गए हैं। कई अन्य सदस्य भी प्रश्न पूछने के लिए उत्सुक हैं। ऐसे मामलों में क्या किया जावे ? यह समस्या है......

**श्री सु० कु० तापड़िया :** पहले उन छः सदस्यों के नाम पुकारे जायें (**अन्तर्बाधा**)

**अध्यक्ष महोदय :** मैं उन्हें प्रश्न पूछने से मना नहीं करता। श्री बनर्जी तथा कुछ अन्य सदस्य प्रश्न पूछने के लिए उठ रहे हैं। मैं उन्हें सलाह देता हूँ कि प्रश्न-सूची जब तक पूरी न हो जाये वे न उठें।

श्री नायक दूसरा प्रश्न पूछें। वह ऐसे प्रश्न पूछ रहे हैं जिनमें अत्यधिक आँकड़े इकट्ठा करने की जरूरत है। अतः वह मुख्य प्रश्न से संगति र ने वाला प्रश्न पूछें।

**श्री गु० च० नायक** : क्या सरकार का ध्यान 30 मई, 1969 के 'इकानामिक टाइम्स' में छपे कपड़ा निर्माता कम्पनियों के वर्ष 1967-68 के सर्वेक्षण की ओर दिलाया गया है जिसमें यह बताया गया है कि हाल ही में लगभग 80 कपड़ा मिलें बन्द कर दी गई हैं और अन्य कुल मिलों में कुल अधिष्ठापित-क्षमता का 30 प्रतिशत भाग अप्रयुक्त पड़ा है और समस्त कपड़ा मिलों का लाभ घट रहा है और यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं ?

**श्री ब० रा० भगत** : यह सच है कि अनेक कपड़ा मिलें बन्द कर दी गई हैं। ऐसी मिलों की संख्या हम इस सभा में कई बार बता चुके हैं। क्षमता अप्रयुक्त हो सकती है परन्तु मैं सदस्य महोदय को बता सकता हूँ कि कपास के विशेष रूप बाहर से मँगाई गई कपास के नियतन में उचित तरीका अपनाया जाता है, तकवों की क्षमता को ध्यान में रखा जाता है।

**श्री रा० की० अमीन** : क्या यह सच है कि भण्डार रखने की निर्धारित सीमा रहती है कि सीजन के अन्त तथा नए सीज़न के आरम्भ के बीच के समय की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भण्डार पर्याप्त नहीं होता। जैसा कि आपने बताया है, आप उन्हें निर्धारित सीमा से अधिक भण्डार नहीं रखने देते और न खरीदने देते हैं। क्या इसके परिणामस्वरूप मिलें कपास खरीदती रहती हैं और खरीदी कपास को व्यापारी के पास पड़ा रहने देती हैं ?

**श्री ब० रा० भगत** : हमें शिकायतें मिली हैं कि कुछ मिलें, विशेष रूप से अधिक समृद्ध मिलें, व्यापारी के पास अपना भण्डार पड़ा रहने देतीं हैं। परन्तु यह उनकी अनौपचारिक व्यवस्था होती है। इसलिए भण्डार की वास्तविक स्थिति का पता नहीं लगाया जा सकता। परन्तु यह बात पूरी तरह सम्भव है।

**श्री रा० की० अमीन** : परन्तु मेरे प्रश्न के इस पहले भाग का उत्तर नहीं दिया कि निर्धारित सीमा के कारण सीज़न के अन्त तथा नए सीजन के आरम्भ के बीच मिलों के पास पर्याप्त भण्डार नहीं रहता।

**श्री ब० रा० भगत** : किसी एक समय पर वे ढाई या चार महीने का भण्डार रख सकती हैं।

**श्री रा० की० अमीन** : यह भण्डार दो सीजनों के बीच की अवधि में नहीं रख पातीं।

**श्री ब० रा० भगत** : इसके लिए मुझे प्रत्येक मिल की भण्डार सूची को सीजन के अन्त तथा नए सीज़न के आरम्भ में देखना पड़ेगा।

**श्री जे० मुहम्मद इमाम** : यदि कपड़ा उद्योग को जीवित रखना है तो उसके लिए आवश्यक है कि हर मिल कपास का पर्याप्त भण्डार रखे। यह बात स्वीकार की गई है कि देश में कपास की कमी है और इसलिए दूसरे देशों से कपास मँगाना जरूरी है। देश में कपास की कमी को पूरा करने की दृष्टि से कपास के आयात की क्या व्यवस्था की गई है और किन देशों से कपास का आयात किया जा रहा है ?

दूसरे, आयात की गई कपास को विभिन्न मिलों में किस प्रकार वितरित किया जाता है ? क्या यह वितरण न्यायपूर्ण और उचित ढंग से किया जा रहा है ?

**श्री ब० रा० भगत**: खाद्य तथा कृषि मंत्रालय के अब तक के अनुमान के अनुसार गत वर्ष के मुकाबले इस वर्ष देश में 3–4 लाख कपास की गाँठें अधिक पैदा हुईं, फिर भी लगभग 4 लाख गाँठें संसार-भर से और 2.5 लाख गाँठें पी० एल० 480 के अन्तर्गत आयात की जायेंगी, यदि अमरीका सरकार ने इसकी आज्ञा दे दी।

**श्री रंगा**: वितरण की क्या व्यवस्था होगी? क्या देश के विभिन्न भागों में स्थित कपास मिलों में समान वितरण किया जाएगा?

**श्री ब० रा० भगत**: विश्व-भर से आयात की जाने वाली कपास का वितरण तकलों की संख्या के आधार पर करने की नीति की घोषणा की जा चुकी है। सहकारी मिलों के लिए विशेष नियतन किया गया है। पूरी नीति घोषित की जा चुकी है और यह वही है जो गत वर्ष अपनाई गई थी।

जहाँ तक देशी कपास का संबंध है, मिलें खरीद कर इसका भंडार बना सकती हैं।

**श्री स० मो० बनर्जी**: क्या मंत्री महोदय को पता है कि मोटा और कम मोटा सूत तैयार करने वाली अधिकांश मिलें संकटग्रस्त हैं और यदि हाँ, तो क्या यह भी उन्हें पता है कि कुछ बन्द मिलें वस्त्र निगम अपने अधिकार में ली जानी थीं? मैं जानना चाहता हूँ कि इसके लिये क्या कदम उठाए गए और कितनी मिलें इस निगम द्वारा अपने अधिकार में ले ली गईं?

**श्री ब० रा० भगत**: मेरे पास ठीक-ठीक संख्या नहीं है, फिर भी 15 मिलें प्राधिकृत नियंत्रकों के अधीन थीं। 4 मिलें निगम द्वारा अपने अधिकाराधीन ली गईं। सात मिलों के मामले विचाराधीन हैं। वर्तमान स्थिति यह है। जाँच आयोग की रिपोर्ट में कुछ परिवर्तन हो सकता है।

**Mr. Speaker:** next question.

**Shri Hukam Chand Kachwai:** I have not been given a chance to ask a question although my name is also there on the question.

**अध्यक्ष महोदय**: मैं क्या कर सकता हूँ? छः सदस्यों के नाम तो प्रश्न पर हैं और दूसरे भी अनेक सदस्य प्रश्न पूछ लेते हैं। पूरे प्रश्न-काल में हम केवल 4 प्रश्न ही पूरे कर पा रहे हैं।

**Raising of Tibet issue in U. N. O.**

*636. +**Shri Prakash Vir Shastri :** **Shri Shiv Kumar Shastri :** **Shri Beni Shanker Sharma :**

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether proposals received sometime back to raise the Tibet issue in the United Nations have since been considered by Government;

(b) if so, the nature of decision taken thereon; and

(c) whether it is a fact that due to lack of any decision the culture, civilisation and religion of the Tibetans are being affected adversely ?

**The Minister of External affairs (Shri Dinesh Singh) :**

(a) and (b) The question whether India should raise at the next session of the U.N. General Assembly the suppression of human rights in Tibet is under the consideration of Government.

(c) The protection of the culture, civilisation and religion of the Tibetan people in Tibet is the responsibility of the people of Tibet and the Government of the People's

Republic of China. We are deeply distressed to learn of the violation of the rights of the Tibetan people and our sympathy is with them.

**Shri Prakash Vir Shastri :** I want to know whether Shri Panchen Lama has been done to death or whether he has been imprisoned at an unknown place and secondly, whether there is going to be any shift in Government's policy in this regard ?

**Shri Dinesh Singh :** Sir, we do not have any define information about Panchen Lama. It is reported that he is no longer there where he was under detention but his exact whereabout are not known.

**Shri Prakash Vir Shastri :** My question was specific *i.e.* what is the difficulty in not raising the issue involving human rights in the U. N. ?

**Shri Dinesh Singh :** Hon. Members are aware that this issue has not come up before U.N. for a long time now and unless sufficient number of countries are not prepared to back up, only our...... (**Interruptions**)....

# प्रश्नों के लिखित उत्तर

## WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

### Hiring of Vehicles during Elections

*601. **Shri Molahu Prashad :** Will the Minister of **Law and Social Welfare** be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 695 on the 25th March, 1969 regarding transport facilities to voters and state :

(a) whether the Election Commission has since examined proposals to check the evil of hiring or procuring vehicles in an illegal manner;

(b) if so, the details thereof; and

(c) if not, the time by which they are likely to be examined ?

**The Minister of Law and Social Welfare (Shri Govinda Menon):**

(a) Yes, Sir.

(b) The following proposals are under consideration of the Election Commission. :—

(i) to make the offence cognizable;

(ii) to provide for the seizure and forfeiture of the vehicle by the Court in suitable cases where the offence has been proved ;

(iii) to amend the law to the effect that if on a polling day any vehicle is found carrying a number of persons towards or near the polling station, then the presumption (although it will be a refutable one) will be that the vehicle is being used for the purpose of conveyance of voters to the polling station and the onus will be upon the owner of the vehicle to prove to the contrary ;

(iv) to provide that on the polling day no vehicle shall ply in any polling area except under a permit to be granted by the Returning Officer or the District Election Officer;

(v) to set up polling stations, wherever possible, close to the residence of the voters so that the candidates and election agents will not find it necessary to hire vehicles for conveyance of voters and to set up mobile polling stations for suitable polling areas.

(c) Does not arise.

## हिन्दू धार्मिक विन्यास आयोग की रिपोर्ट पर कार्यवाही

*602. **डा० सुशीला नैयर :** क्या **विधि तथा समाज-कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने श्री सी० पी० रामास्वामी अय्यर की अध्यक्षता में नियुक्त हिन्दू धार्मिक विन्यास आयोग द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में की गई सिफारिशों को इस बीच क्रियान्वित कर लिया है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**विधि तथा समाज-कल्याण मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) :**

(क) जी नहीं।

(ख) श्री सी० पी० रामास्वामी अय्यर की अध्यक्षता में नियुक्त हिन्दू धार्मिक विन्यास आयोग द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में की गई सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिये हिन्दू धार्मिक विन्यास विधेयक 1965 के नाम से यद्यपि एक विधेयक तृतीय लोक सभा में पुरःस्थापित किया गया था किन्तु वह तृतीय लोक सभा के विघटन पर व्यपगत हो गया। सभी लोक धार्मिक और खैराती न्यासों को लागू लोक न्यास विधेयक, 1968 के नाम से ज्ञात अधिक व्यापक विधेयक का एक प्रारूप जिसमें आयोग की सिफारिशें सम्मिलित कर ली गई हैं, अगस्त, 1968 में सभी राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों के पास टिप्पणियों के लिए भेज दिया गया है। कुछ राज्य सरकारों को अपना टिप्पण अभी भेजना है। सभी राज्य सरकारों से टिप्पण प्राप्त हो जाने के पश्चात् शीघ्र ही विधेयक को अंतिम रूप दिया जाने वाला है।

## हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, रांची को हानि

*603. **श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी :** क्या **इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, राँची को गत तीन वर्षों में भारी हानि हुई है ;

(ख) यदि हाँ, तो कितनी हानि हुई है;

(ग) इस समवाय में कब तक हानि की स्थिति समाप्त होने की आशा है; और

(घ) इस कारखाने के कार्यकरण में सुधार करने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

**इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) :**

(क) और (ख) हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन को 1966 से 1969 तक निम्नलिखित घाटा हुआ :

| | |
|---|---|
| 1966-67 | रु० 6.23 करोड़ |
| 1967-68 | रु० 16.47 करोड़ |
| 1968-69 | रु० 17.60 करोड़ (अनुमानित) |

(ग) यदि समुचित कार्यादेश प्राप्त होते रहे तो 1973–74 तक कंपनी के हानि-लाभ बराबर हो जाने की आशा है।

(घ) कंपनी के उच्च स्तरीय प्रबंधक वर्ग का पुनर्गठन किया गया है और कमियों का पता लगाने तथा उनको सुधारने के लिए प्रयत्न किए जा रहे हैं।

**पश्चिम बंगाल में औद्योगिक वातावरण**

*604. **श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :** **श्री नीतिराज सिंह चौधरी :**

क्या **औद्योगिक विकास,, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत आठ महीनों में जब से पश्चिम बंगाल में नई सरकार बनी है क्या वहाँ के औद्योगिक वातावरण में कोई सुधार हुआ है;

(ख) क्या विभिन्न संस्थानों में उपस्थिति सुधरी है;

(ग) क्या श्रमिकों का सहयोग मिल रहा है तथा उद्योगों में उत्पादन धीरे-धीरे बढ़ रहा है; और

(घ) यदि नहीं, तो पश्चिम बंगाल में औद्योगिक सामान के उत्पादन में कितनी कमी हुई है तथा श्रमिकों के साथ संबंध अच्छे न होने के कारण कितनी क्षमता का उपयोग नहीं किया जाता है?

**औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) :**

(क) तकनीकि विकास के महानिदेशालय के पास उपलब्ध आँकड़ों से पता चलता है कि अधिकांश उद्योगों में 1968 की अपेक्षा 1969 की प्रथम तथा द्वितीय तिमाही में उत्पादन में कोई विशिष्ट कमी नहीं हुई है।

(ख) और (ग) यह जानकारी उपलब्ध नहीं है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

**इस्पात का उत्पादन**

*605. **श्री प्रेम चन्द वर्मा:** क्या **इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्रों में किस्मवार इस्पात का वार्षिक उत्पादन कितना है;

(ख) इस्पात की वार्षिक आवश्यकता कितनी है, हमारे देश में होने वाला इसका उत्पादन कितनी माँग पूरी करता है और कितने इस्पात का विदेशों से आयात होता है;

(ग) क्या विद्यमान इस्पात कारखाने हमारी आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं अथवा कुछ और कारखाने स्थापित किए जाएँगे और यदि हाँ, तो इसका कार्यक्रम क्या है;

(घ) इस्पात के उत्पादन के मामले में हमारे देश के कब तक आत्मनिर्भर हो जाने की संभावना है; और

(ङ) देश में किस किस्म के इस्पात का अभी उत्पादन आरम्भ नहीं किया गया और देश में इसका उत्पादन करने के लिए क्या प्रयत्न किए जा रहे हैं?

**इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) :**

(क) और (ख) निम्नलिखित तालिका में वर्ष 1968-69 में साधारण इस्पात और मिश्र इस्पात के देश में हुए उत्पादन (सरकारी और निजी क्षेत्र में अलग-अलग), निर्यात और आयात का ब्यौरा दिया गया है—

(हजार टन)

| | साधारण इस्पात | मिश्र तथा विशिष्ट इस्पात |
|---|---|---|
| 1. विक्रेय इस्पात का देशीय उत्पादन सरकारी क्षेत्र | 2685 | 40 |
| निजी क्षेत्र | 2121 | 58 |
| कुल | 4806 | 98 |
| 2. निर्यात | 816 | ++ |
| 3. देशीय इस्पात की उपलब्धता (1–2) | 3990 | 98 |
| 4. आयात | 508 | 41 |
| 5. देश में खपत (3+4) | 4498 | 139 |

+इसमें विद्युत् भट्टियों का इस्पात उत्पादन और स्क्रैप से बेलित इस्पात शामिल नहीं है।

++मिश्र इस्पात के निर्यात की अनुमति नहीं दी जाती।

(ग) इस मंत्रालय द्वारा नियुक्त लोहा और इस्पात संबंधी कर्णधार समिति ने 1973–74 तक तैयार इस्पात की वार्षिक माँग का अनुमान 8.42 मिलियन टन का किया था। वर्तमान क्षमता के 90 प्रतिशत उपयोग के आधार पर इस्पात के मुख्य उत्पादकों तथा गौण उत्पादकों से तैयार इस्पात की उपलब्धता 6.346 मिलयन टन होगी, जिससे 2.07 मिलियन टन का अन्तर शेष रह जायेगा। इस अंतर की पूर्ति के लिए कर्णधार समिति की सिफारिशों के आधार पर योजना आयोग ने एक कार्यक्रम को स्वीकृत किया है जिसके अंतर्गत बोकारो इस्पात कारखाने के प्रथम चरण को पूरा करने और इन्डियन आइरन एण्ड स्टील कंपनी के विस्तार के अतिरिक्त तकनीकी सुधारों को लागू करना, वर्तमान कारखानों में बैलेंसिंग और फिनिशिंग सुविधाओं का स्थापन और मिलाई इस्पात कारखाने का विस्तार शामिल है। चतुर्थ योजना काल में प्लेटों की माँग की पूर्ति के लिए एक प्लेट कारखाना भी स्थापित किया जायेगा। इसके अतिरिक्त पाँचवी योजना काल की बढ़ती हुई माँग को ध्यान में रखते हुए यह निश्चय किया गया है कि बोकारो के द्वितीय चरण का और एक या दो नए इस्पात कारखाने लगाने का कार्य जारी रहे। देशीय उत्पादन और माँग के अंतर को पूरा करने के लिये कुछ विशेष वर्ग के इस्पात के आयात को अनुमति देनी होगी। चौथी योजना के पूरा हो जाने पर उपयोग तत्त्व को ध्यान में रखते हुए तैयार इस्पात की 8.46 मिलियन टन वार्षिक क्षमता के उपलब्ध होने की आशा है।

जहाँ तक मिश्र और विशिष्ट इस्पात का प्रश्न है, लोहा और इस्पात संबंधी कर्णधार समिति का अनुमान है कि इनकी माँग 1969–70 में 162,000 टन और 1973–74 में 294,000 टन की होगी। दुर्गापुर स्थित मिश्र इस्पात कारखाने, मैसूर आइरन एण्ड स्टील लिमिटेड तथा निजी क्षेत्र के उत्पादकों से कुछ विशेष वर्ग को छोड़ कर औजारी और मिश्र इस्पात की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाने की आशा है।

(घ) चतुर्थ योजना के अंत तक यथासंभव आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए योजना बना ली गई है। आत्मनिर्भरता होना साधनों की उपलब्धि और विकास कार्यक्रम के कार्यान्वयन पर निर्भर करता है।

(ङ) जिन इस्पात वर्गों का अभी उत्पादन नहीं हो रहा है अथवा जिसके उत्पादन में अभी स्थिरता प्राप्त नहीं हुई है, उनमें से कुछ हैं—ठंडी बेलित ग्रेन आरिएन्टेड शीट, हाई स्पीड स्टील, बेदाग-इस्पात, और उच्च मिश्र इस्पात। ठंडी बेलित ग्रेन ओरिएन्टेड शीट के राउरकेला इस्पात कारखाने में उत्पादन के संबंध में शक्यता अध्ययन किया जा रहा है। उच्च मिश्र इस्पातों की उत्पादन क्षमता स्थापित की जा चुकी है और इन इस्पातों के उत्पादन को बढ़ाने का प्रयत्न किया जा रहा है।

### रेलवे फायरमैन

*606. **श्री समर गुह** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि रेलवे फायरमैनों को निरन्तर 14 घंटे कार्य करना पड़ता है, यहाँ तक कि उनको भोजन अथवा शौच आदि जाने के लिए भी समय नहीं दिया जाता;

(ख) क्या यह भी सच है कि उन्हें इंजनों से तेजी से निकलने वाली आग की लपटों का सामना करना पड़ता है क्योंकि इंजनों का रख-रखाव ठीक नहीं होता और उनमें घटिया किस्म के कोयले का प्रयोग किया जाता है; और

(ग) यदि हाँ, तो इस मामले में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है?

**रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) :**

(क) जी नहीं।

(ख) जी नहीं।

(ग) सवाल नहीं उठता।

### दुर्लभ किस्म के इस्पात की आवश्यकता

*607. **श्री जुल्फिकार अली खां :** **श्री मीठालाल मीना :**
**श्री रा० की० अमीन :** **श्री द० रा० परमार :**

क्या **इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में उद्योगों को दुर्लभ किस्म के इस्पात की कितनी आवश्यकता है;

(ख) इस विशेष किस्म की इस्पात का कुल कितनी मात्रा में आयात किया जाता है;

(ग) क्या आयात-नीति को उदार बनाने के लिए कोई योजनायें बनाई गई हैं ताकि

उद्योग की माँगों को पूरा किया जा सके तथा इस प्रकार उसे अपनी निर्धारित क्षमता से काम करने दिया जा सके; और

(घ) क्या सरकार का ध्यान 27 मई, 1969 के "इकानामिक टाइम्स" में इस सम्बन्ध में छपे समाचार की ओर आकर्षित किया गया है ?

**इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) :**

(क) काली सादी चादरों/ स्ट्रिपों की वर्तमान अनुमानित माँग 910,000 टन की है और प्लेटों के लिए 570,000 टन की है। चादरें और प्लेटें दोनों ही दुर्लभ वर्ग में आती हैं।

(ख) वर्ष 1968-69 में प्लेटों का कुल आयात लगभग 51,981 टन और चादरों का 115,315 टन था।

(ग) और (घ) वर्तमान आयात-नीति में सभी वास्तविक उपभोक्ताओं को उदारतापूर्वक आयात लाइसेंस देने की व्यवस्था है। यह प्रश्न कि दुर्लभ वर्गों का थोक आयात किया जाय कि नहीं, अभी विचाराधीन है।

**Transfer of Housing Plots to Harijans**

*608. **Shri Kanwar Lal Gupta : Shri Onkar Singh : gh Ayarwal : Shri Sharda Nand :**

Will the Minister of **Law and Social Welfare** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that in several States, the land on which Harijans have built their houses has not been transferred in their names ;

(b) if so, the name of States where this problem exists and the names of the States where such land has been transferred in the names of Harijans;

(c) the position as it exists in Delhi and the decision taken by the Delhi Administration in this connection ; and

(d) whether the Government of India would issue orders to the State Governments in the matter ?

**The Deputy Minister in the Ministry of Law and in the Department of Social Welfare (Shri Muthyal Rao) :**

(a) and (b) Information available indicates that occupancy rights over lands on which Harijans have built houses are generally acquired through permanent lease or tenancy. In some cases, laws are being enacted to transfer proprietary rights to Harijans.

(c) There is no surplus land in Delhi which, if encroached upon, can be transferred to the Harijans.

(d) No, Sir, because, this subject is enumerated in the State List under the Constitution.

**हंगरी के सहयोग से अधिक दबाव वाले गैस सिलिंडरों का निर्माण करने का कारखाना स्थापित किया जाना**

*609. **श्री चंद्र शेखर सिंह : श्री य० अ० प्रसाद : श्री श्रद्धाकर सूपकार : श्री न० कु० सांघी : श्री रा० रा० सिंह देव :**

क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हंगरी के सहयोग से भारत में अधिक दबाव वाले गैस सिलिंडरों का निर्माण करने का कारखाना स्थापित करने का एक प्रस्ताव है;

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) प्रस्ताव पर कुल कितना खर्चा आने का अनुमान है?

**औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) :**

(क) से (ग) एच० पी० गैस सिलेंडरों के उत्पादन के लिए सरकारी क्षेत्र में एक संयंत्र स्थापित करने का सिद्धांत रूप में निर्णय किया गया है। इस परियोजना पर राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम द्वारा तैयार किया गया संभाव्यता तथा परियोजना प्रतिवेदन विचाराधीन है। इस परियोजना के लिए आवश्यक विदेशी तकनीकी सहायता के स्रोत तथा उसके पूँजीगत मूल्य का निश्चय परियोजना प्रतिवेदन पर निर्णय लेने के पश्चात् ही किया जायेगा। फिर भी हंगरी से तकनीकी सहायता की एक पेशकश प्राप्त हुई है।

## मैसर्स स्टैण्डर्ड एण्ड बैरल मैनुफैक्चरिंग कम्पनी तथा मैसर्स हिन्द गैलवेनाइजिंग एण्ड इंजीनियरिंग कम्पनी (प्रा०) लिमिटेड द्वारा आयातित इस्पाती चादरों का उपयोग

***610. श्री सीताराम केसरी : श्री स० मो० बनर्जी :**

क्या **इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारतीय तेल निगम ने मैसर्स स्टैण्डर्ड एण्ड ड्रम बैरल मैनुफैक्चरिंग कम्पनी और मेसर्स हिन्द गैलवेनाइजिंग एण्ड इंजीनियरिंग कम्पनी (प्राइवेट) लिमिटेड को 24 गेज की कितनी-कितनी आयातित इस्पाती चादरें बेची हैं;

(ख) क्या सरकार को कोई शिकायत प्राप्त हुई है कि इन कम्पनियों द्वारा भारतीय तेल निगम से खरीदी गई 24 गेज की चादरों का दुरुपयोग किया गया है; और

(ग) क्या इस मामले में जाँच कराने का सरकार का विचार है कि उक्त कम्पनियों ने इन आयातित चादरों का किस प्रकार से उपयोग किया?

**इस्पात तथा भारी इंजीनियरी मंत्री (श्री चे० मु पुनाचा) :**

(क) भारतीय तेल निगम ने आयातित इस्पात की 24 गेज की चादरें निम्नलिखित मात्रा में बेची हैं:—

| | |
|---|---|
| (i) स्टैण्डर्ड ड्रम एण्ड बैरल मैनुफैक्चरिंग कम्पनी | 1,300 टन |
| (ii) मैसर्स हिन्द गैलवेनाइजिंग एण्ड इंजीनियरिंग कम्पनी (प्रा०) लि० | 600 टन |

(ख) और (ग) एक प्राइवेट कम्पनी से इस विषय पर पत्र प्राप्त हुआ था। मामले की जाँच की जा रही है।

**Loss to Heavy Engineering Corporation, Ranchi**

*611. **Shri Ranjeet Singh : Shri Brij Bhushan Lal : Shri Jagannath Rao Joshi : Shri Atal Bihari Vajpayee : Shri Suraj Bhan : Shri Ram Gopal Shalwale :**

Will the Minister of **Steel and Heavy Engineering** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the cumulative loss of the Heavy Engineering Corporation, Ranchi upto the 31st March, 1969 was Rs. 25.57 crores, out of which loss for the year 1967-68 was Rs. 15.97 crores ;

(b) if so, the names and designations of the officers responsible for the losses and the extent to which each of them was responsible therefor ;

(c) the action taken against them in this regard ;

(d) the number of orders received and supplies made so far in proporation to the capacity of the Corporation ; and

(e) the present comparative position of 'Capacity and Order Supply' and the position that is likely to be in future ?

**The Minister of Steel and Heavy Engineering (Shri C. M. Poonacha) :**

(a) The cumulative loss of Heavy Engineering Corporation Ltd., Ranchi upto the 31st March, 1968 was Rs. 26.0674 crores of which loss for the year 1967-68 was Rs. 16.4652 crores.

(b) Projects of this nature and size inevitably have a long gestation period during which skills and productivity can be improved only gradually. The period during which these losses were incurred constituted the construction period and the early gestation years during which production commenced and was gradually being built up. Therefore the oss could not be attributed to any particular cause nor to any officer.

(c) Does not arise.

(d) This information is being collected to the extent possible and will be laid on the Table of the House.

(e) On the basis of the firm orders, the position is as under :

**(i) Foundry Forge Plant**

| Year | Capacity | Order in hand (in tonnes) | Capacity available |
|---|---|---|---|
| 1969-70 | 32,350 | 29,721 | 2,629 |
| 1970-71 | 48,990 | 15,120 | 33,870 |

There are no orders for the peried 1971-72 and onwards.

**(ii) Heavy Machine Building Plant**

| Year | Capacity | Orders in hand | Capacity available |
|---|---|---|---|
| 1969-70 | 27,000 | 27,000 | Nil |
| 1970-71 | 35,000 | 34,000 | 1,000 |
| 1971-72 | 38,000 | 24,000 | 14,000 |

There are no orders for 1972-73 and onwards.

**(iii) Heavy Machine Tools Plant**

At present, orders are sufficient for 1969-70 when the capacity will be for the manufacture of 41 numbers of machine tools. There are no orders for 1970-71 and onwards.

**Theft of Railway Equipment.**

***612. Shri J. Sundar Lal : Shri Narain Swarup Sharma :**
**Shri Mahant Digvijai Nath :**

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the total value of Railway equipment stolen from different Railways during the last two years :

(b) whether it is a fact that the Railway employees have greater hand in these thefts ; and

(c) if so, the action being taken to check such thefts ?

**The Minister of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) :**

(a) Value of Railway equipment stolen during 1967 and 1968 was rupees 35.28 lakhs and 32.59 lakhs respectively.

(b) and (c) No; Sir. However, in a few cases some Railway employees have been found involved. Whenever Railway employees are found involved in cases of thefts they are prosecuted under the relevant sections of the law and if for some reason they cannot be prosecuted they are dealt with departmentally.

Enforcement of the Railway Property (Unlawful Possession) Act, 1966 since April, 1968 has proved an added deterrent to check such thefts.

**नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर दुर्व्यवस्था के बारे में, समाचार-पत्रों में समाचार**

***613. श्री अजमल खाँ : श्री एस० पी० राममूर्ति :**
**श्री नन्द कुमार सोमानी :**

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 29 मई, 1969 के "इंडियन एक्सप्रैस" में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि नई दिल्ली स्टेशन पर एकदम दुर्व्यवस्था है; और

(ख) यदि हाँ, तो प्रशासन में सुधार करने और रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों को उचित सुविधायें प्रदान करने के बारे में यदि कोई प्रयास किए गए हैं, तो उनका ब्यौरा क्या है?

**रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) :**

(क) जी हाँ।

**(ख) नयी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर यात्रियों के लिए सुविधाएँ:**

29-5-1969 के इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में उल्लिखित सुविधाओं के विशेष संदर्भ में, नयी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर समुचित सुविधाओं की व्यवस्था की स्थिति और इस व्यवस्था को, रेल प्रशासन द्वारा सुदृढ़ करने के लिए किए गए प्रयास का ब्यौरा नीचे दिया गया है:—

**(i) नयी दिल्ली से दक्षिण की ओर जाने वाली गाड़ियों का देर से चलना**

मई, 1969 में दक्षिण-मध्य रेलवे में गाड़ियों की सेवा भंग हो जाने के कारण दक्षिण से आने वाली गाड़ियाँ नयी दिल्ली स्टेशन पर अत्यधिक देर से पहुँचीं। इसके परिणामस्वरूप कुछ दिनों नयी दिल्ली से दक्षिण की ओर जाने वाली गाड़ियाँ देर से छोड़ी गयीं। जनता को गाड़ियों के पहुँचने/छूटने आदि के बारे में लाउड स्पीकरों से समय-समय पर सूचना दी गयी।

**(ii) पीने के पानी की सुविधाएँ**

नयी दिल्ली स्टेशन पर पीने के पानी की सप्लाई की व्यवस्था के सम्बन्ध में स्थिति की समीक्षा की गयी और गर्मी के दिनों में पानी वालों की संख्या जरूरत के मुताबिक बढ़ा दी गयी ताकि यात्रियों की पानी सम्बन्धी आवश्यकताएँ पूरी की जा सकें। स्टेशन पर पानी के ठेले/प्याऊ/बिजली के जल-शीतक पर्याप्त समझे गए हैं।

**(iii) प्लेटफार्म बदलने के कारण दुविधापूर्ण स्थिति**

27 से 29 मई, 1969 तक 3 दिन की अवधि में दक्षिण भारत को जाने वाली सभी गाड़ियाँ नयी दिल्ली स्टेशन से नामित प्लेटफार्मों से छूटीं लेकिन 27-5-69 को 16 अप जी० टी० एक्सप्रैस गाड़ी प्लेटफार्म नं० 1 के बजाय प्लेटफार्म नं० 2 से छूटी। प्लेटफार्म बदलने की घोषणा गाड़ी छूटने के निर्धारित समय से 1 घंटा पहले की गयी थी।

**(iv) भारिकों द्वारा एक प्लेटफार्म से दूसरे प्लेटफार्म पर सामान ले जाने के लिए अधिक प्रभार लेना——**

नयी दिल्ली स्टेशन के रेल-अधिकारियों के ध्यान में ऐसी कोई शिकायत नहीं लायी गयी। स्टेशन अधीक्षक और लाइसेंसशुदा भारिक-निरीक्षक नयी दिल्ली स्टेशन पर इस प्रकार की कोई शिकायत ध्यान में लाने के बाद उन्हें तुरन्त दूर करने के लिए तैयार रहते हैं।

**(v) यात्रियों को उनकी आरक्षित जगहों पर बिठाने के लिए रेल-कर्मचारियों का न होना और कंडक्टरों की देर से उपस्थिति।**

प्लेटफार्म पर ज्योंही रैक खड़ा कर दिया जाता है त्योंही कंडक्टर और चल टिकट परीक्षक अपनी ड्यूटी पर आ जाते हैं। इसके अलावा अपनी आरक्षित जगहों का पता लगाने में यात्रियों की सहायता के लिए प्लेटफार्म पर आरक्षण ड्यूटी पर तैनात टिकट जाँच कर्मचारी भी उपलब्ध रहते हैं। फिर भी चूँकि आरक्षण-चार्ट पहले से ही प्लेटफार्मों पर प्रदर्शित रहते हैं इसलिए कंडक्टरों और टिकट-जाँच कर्मचारयों की सहायता के बिना ही कुछ कर्मचारी अपनी शायिकाओं/सीटों पर अधिकार कर लेते हैं।

**(vi) लाउडस्पीकरों द्वारा दी जाने वाली सूचनाएँ प्रायः समझ में नहीं आतीं**

लाउडस्पीकरों से जो सूचनाएँ दी जाती हैं वे सामान्यतः ठीक ढँग से सुनाई पड़ती हैं।

**सरकारी क्षेत्र में इस्पात के कारखाने**

*614. **श्री मधु लिमये** : क्या **इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चतुर्थ पंचवर्षीय योजना अवधि में सरकारी क्षेत्र के तीनों इस्पात कारखानों की विस्तार योजनायें क्या हैं;

(ख) बोकारो इस्पात कारखाने में उत्पादन कब आरम्भ हो जाएगा;

(ग) चतुर्थ पंचवर्षीय योजना अवधि के अन्त में सरकारी क्षेत्र के इस्पात कारखानों में अनुमानतः कितना धन लग जायेगा; और

(घ) अगले पाँच वर्षों में प्रत्येक कारखाने में लाभ की स्थिति क्या होगी ?

**इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) :**

(क) भिलाई इस्पात कारखाने का 2.5 से 3.2 मिलियन तक विस्तार करने का प्रस्ताव है। यह भी विचार है कि बोकारो के प्रथम चरण के पूरा होने के साथ ही द्वितीय चरण का कार्य प्रारम्भ कर दिया जाय।

(ख) वर्तमान कार्यक्रम के अनुसार मार्च, 1971 से कच्चे लोहे का उत्पादन प्रारम्भ हो जायेगा और जून 1972 से इस्पात का उत्पादन और बेलन प्रारम्भ हो जायेगा।

(ग) एक बिवरण संलग्न है।

(घ) एक विवरण संलग्न है।

**विवरण**

31-3-1968 तक हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड का कुल पूँजीगत व्यय 11,323.2 मिलियन रुपये था। वर्ष 1968-69 का पूँजीगत व्यय (अनुमानित) 413.2 मिलियन रुपये है। चतुर्थ योजना में हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के कारखानों की चल रही योजनाओं पर 194.7 मिलियन रुपए खर्च करने की व्यवस्था है। बोकारो इस्पात कारखाने के प्रथम चरण पर चतुर्थ योजना के अंत तक 620 करोड़ रुपए के खर्च होने का अनुमान है जिसके लिए सरकार ने स्वीकृति दे दी है। चतुर्थ योजना के प्रारूप के आधार पर प्रायोजना के प्रथम चरण पर कुल 700 करोड़ की लागत आने का अनुमान है।

**विवरण**

अधिकतम उत्पादन स्तर और वर्तमान लागत / मूल्य के आधार पर चतुर्थ योजना-काल में प्रति-इकाई का अनुमानित कार्य-फल नीचे दिया जा रहा है:—

**करोड़ रुपये में**

लाभ / हानि

(+) (—)

| | 1969-70 | 1970-71 | 1971-72 | 1972-73 | 1973-74 |
|---|---|---|---|---|---|
| भिलाई इस्पात संयंत्र | (–) 4.22 | (–) 5.0 | (–) 1.0 | (–) 1.0 | (–) 1.0 |
| राउरकेला इस्पात संयंत्र | (+) 4.70 | (+) 20.1 | (+) 20.1 | (+) 20.1 | (+) 20.1 |
| दुर्गापुर इस्पात संयंत्र | (–) 15.80 | (–) 7.9 | (–) 5.4 | (–) 5.4 | (–) 5-4 |
| मिश्र इस्पात संयंत्र | (–) 1.12 | (–) 1.0 | (+) 0.4 | (+) 0.4 | (+) 0.4 |

अभी तक बोकारो इस्पात कारखाने की लाभदायकता का हिसाब नहीं लगाया गया है। फिर भी ऐसी आशा है कि कारखाने के 4 मिलियन टन के चरण के पूरा हो जाने पर इससे लाभ होने लगेगा।

**मैसर्स हिन्द गैलवेनाइजिंग एण्ड इंजीनियरिंग कम्पनी (प्राइवेट) लिमिटेड, कलकत्ता**

*615. **श्री जार्ज फरनेन्डीज :** क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल के भूतपूर्व मुख्य मंत्री श्री पी० सी० सेन ने तत्कालीन उद्योग मंत्री श्री नित्यानन्द कानूनगो को अपने अर्ध-सरकारी पत्र संख्या 116-सी एम०

दिनांक 4 मई, 1963 के द्वारा यह अनुरोध किया था कि मैसर्स हिन्द गैलवेनाइजिंग एण्ड इंजीनियरिंग कम्पनी (प्राइवेट) लिमिटेड, कलकत्ता को इस आधार पर 40 से 45 गैलन तेल के ढोलों के निर्माण करने की अनुमति दी जाए कि यह फर्म इन ढोलों का निर्माण कर के प्रतिरक्षा विभाग को सप्लाई कर रही थी ?

(ख) क्या यह सच है कि श्री पी० सी० सेन का उक्त पत्र उनकी नई क्षमता की स्वीकृति का एक आधार था;

(ग) यदि हाँ, तो क्या सरकार ने इस नई क्षमता की स्वीकृति देने से पूर्व श्री पी० सी० सेन के उक्त पत्र में लिखे गए तथ्यों की जाँच कर ली थी; और

(घ) यदि हाँ, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले थे, और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) :**

(क) से (घ) 30 अप्रैल, 1969 को लोक सभा में प्रस्तुत की गई प्राक्कलन समिति की 85वीं रिपोर्ट में पूरे मामले पर विस्तार से विवेचन किया गया है। विशेष तौर पर रिपोर्ट के पृष्ठ 42 से 52 तक की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है। समिति ने अनेक सिफारिशें की हैं जिन पर सरकार विचार कर रही है। सरकार को समिति की अन्य सिफारिशें मिल जाने पर ही उन पर अन्तिम निर्णय हो सकेगा तथा सरकार की राय समिति को बताई जायेगी।

**Mid-term Elections contested by wives of Army Officers in U. P.**

*616. **Shri Ram Swarup Vidyarthi :** Will the Minister of **Law and Social Welfare** be pleased to state :

(a) whether his attention has been drawn to the news-item published at page 5 of the Daily 'Hindustan' dated the 16th December, 1968 that the wives of Major-General Habibullah and Major-General Misri Chand had contested elections from Barabanki and Moradabad, respectively, on Congress tickets during the last Mid-term elections in Uttar Pradesh ;

(b) if so, the steps taken to ensure that the said candidates were not in a position to make use of their husbands and their husbands were not in a position to make use of their official position in the election drive of their wives; and

(e) whether the wives of serving senior Army Officers would be allowed to contest elections on the ticket of non-Congress parties also ?

**The Minister of Law and Social Welfare (Shri Govinda Menon) :**

(a) Yes, Sir. However, Major-General Habibullah and Major-General Misri Chand retired long ago and were not serving Army Officers on their date of Elections.

(b) Does not arise.

(c) Yes, Sir.

**गुजरात स्माल इंडस्ट्रीज कारपोरेशन द्वारा स्कूटरों का निर्माण**

*617. **श्री मुहम्मद शरीफ :** क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गुजरात स्माल इंडस्ट्रीज कारपोरेशन ने पूर्णतया देश में बनाये जाने वाले पुर्जों से स्कूटर-निर्माण की योजना बनाई है:

(ख) क्या कारपोरेशन को स्कूटर बनाने के लिये लाइसेंस दिया गया है; और

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार द्वारा कारपोरेशन को कोई सहायता दी गई है; और यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है?

**औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद):**

(क) और (ख) मई, 1965 में गुजरात लघु उद्योग निगम से देश में स्कूटर बनाने के लिए एक योजना प्राप्त हुई थी। इसी प्रकार की अन्य योजनाओं के साथ ही उनकी योजना पर विचार किया गया था परन्तु औद्योगिक लाइसेंस प्रदान किए जाने के लिए इसे उपयुक्त नहीं समझा गया। तदनुसार, 9 सितम्बर, 1968 को इस योजना को अस्वीकृत कर दिया गया था।

(ग) नहीं जी।

**आदिम जातीय ईसाइयों को प्राप्त विशेषाधिकार**

*618. **श्री कार्तिक उरांव :** क्या **विधि तथा समाज-कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को पता है कि अनुसूचित आदिम जातियों के विशेषाधिकारों का लाभ उठाने के मामले में आदिम जातीय ईसाई लोग 90 प्रतिशत विशेषाधिकारों का लाभ उठा रहे हैं, जबकि उनकी संख्या कुल आदिम जनसंख्या का केवल 5.53 प्रतिशत है;

(ख) क्या सरकार को यह भी पता है कि आदिम जातीयों ईसाई लोग उच्च शिक्षा-प्राप्त हैं, आर्थिक दृष्टि से खूब अच्छे हैं; राजनीतिक दृष्टि से पूर्णतया जागरूक हैं और यदि एक समुदाय के रूप में विचार किया जाये तो वे अन्य उन्नत समुदाय के समान अपने विचारों को व्यक्त करने में समर्थ हैं; और

(ग) यदि हाँ, तो संविधान के अनुच्छेद 46 के उपबन्धों के उल्लंघन के बारे में सरकार द्वारा मौन रहने के क्या कारण हैं?

**विधि-मंत्रालय तथा समाज-कल्याण विभाग में उप-मंत्री (श्री मुत्यालराव) :**

(क) से (ग) किसी व्यक्ति का अनुसूचित आदिम जाति से सम्बन्धित होने का निश्चय करते समय वर्ग पर ध्यान नहीं दिया जाता है और धर्म के आधार पर आदिम जातियों के बीच कोई भेद नहीं किया जा सकता। अनुसूचित आदिम जातियों के मामले में धर्म को अर्हक बात रखे जाने के प्रश्न पर इस समय अनुसूचित जातियाँ तथा अनुसूचित आदिम जातियाँ आदेश (संशोधन) विधेयक, 1967 से सम्बद्ध संयुक्त समिति विचार कर रही है।

**Power Pump Production in Fourth Plan**

*619. **Shri Maharaj Singh Bharati :** Will the Minister of **Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs** be pleased to state ;

(a) whether it is a fact that the power pump production capacity would not be increased dnring the Fourth Five Year Plan ; and

(b) if so, whether the gap between the present production capacity of 90 per cent pumping sets and thc target of installing 300 per cent sets would be bridged by imports?

**The Minister of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed):**

(a) and (b) The manufacture of power-driven pumps is exempted since 13.5.66 from the licensing provisions of the Industries Act and increase in the capacity is, therefore, permitted. The target of production in the draft Fourth Five Plan is 3,50,000 nos. per annum. The existing units can meet the demand for agricultnral purposes with certain marginal increases. However, certain categories of pumps, particularly those required for petro-chemical, fertilizer and chemical industries, are at present being imported to meet the necessary requirements. In order to fill part of this gap, the manufacture of certain types of pumps have been included in the propsed project for manufacture of pumps and compressors in the public sector.

**Production of Scooters**

*620. **Shri Raghuvir Singh Shastri : Shri M. Sudarsanam : Shri N. R. Deoghare : Shri Vikram Chand Mahajan :**

Will the Minister of **Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn to the fact that scooter has become the chief means of transport in various urban areas;

(b) whether Government have assessed the requirement of scooters in the country;

(c) if so, the extent thereof and the production capacity, factory-wise; and

(d) the action taken by Government to plug the gap ?

**The Minister of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed) :**

(a) Yes, Sir.

(b) and (c) The demand for Scooters, Motor-cycles, Three-wheelers, Mopeds etc. has been estimated by the Planning Group for Machinery Industries as 2,00,000 Nos. per annum by 1973-74. The demand for scooters alone has not heen assessed separately.

The licensed capacity and the production of three types of scooters at present produced in the country are as under :—

| Name of the Manufactures | Model of Vehicles | Lincensed capacity Nos. P.A. | PRODUCTION | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 (Jan. to July) |
| 1. M/s. A.P.I. Ltd., Bombay. | Lambratta | *24,000 | 8,632 | 13,270 | 16,367 | 13,829 |
| 2. M/s. Bajaj Auto Ltd., Poona. | Vespa | *24,000 | 10,389 | 15,982 | 19,040 | 14,592 |
| 3. M/s. Enfield India Ltd., Madras. | Fantabulus | 6,000 | 1,950 | 1,050 | 545 | 268 |

( * ) Licensed capacity for scooters (including three-wheelers).

(d) Government have decided to license one more unit with a capacity of 50,000 scooters per annum. It is expected that the production from the existing units and the proposed new unit would, by and large, meet the demand for scooters in the country, as anticipated at present.

## वर्ष 1970 तक इस्पात की कमी

***621. श्री यशपाल सिंह : श्री यमुना प्रसाद मंडल :**

क्या **इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 28 मार्च, 1969 को "इकनामिक टाइम्स" में छपे इस आशय के समाचार की ओर दिलाया गया है कि यदि इस्पात की माँग वर्तमान दर से बढ़ती रही तो मार्च, 1970 में इस्पात की कमी हो जायेगी, जिससे इस्पात का मूल्य बढ़ जायेगा और उत्पादन कारखानो में कम समय के लिए काम होगा;

(ख) यदि हाँ, तो इसके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) चालू वित्तीय वर्ष में देश में इस्पात का उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा क्या कार्यवाही करने का विचार किया है?

**इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) :**

(क) से (ग) हाल की मंदी के बाद अर्थ-व्यवस्था में सुधार, और निर्यात पर जोर दिए जाने के कारण निर्यात में उल्लेखनीय वृद्धि के कारण बिलट और कुछ चपटे-उत्पादों की कमी की स्थिति सामने आई है। परिस्थिति का सामना करने के लिए उत्पादन वृद्धि और वितरण-व्यवस्था में सुधार के लिए कुछ उपायों पर विचार किया जा रहा है। कमी को पूरा करने के लिए कुछ श्रेणियों के इस्पात के आयात में छूट भी दी जा रही है। उत्पादन के क्षेत्र में सरकार द्वारा नियुक्त कर्णधार समिति के कुछ सुझावों पर अमल किया जा रहा है, यथा, तकनीकी सुधार, संतुलन सुविधाओं का अधिष्ठापन और मौजूदा कारखानों में से कुछ की क्षमता-वृद्धि और साथ ही बोकारो इस्पात कारखाने के निर्माण में तेजी लाना। बोकारो इस्पात कारखाना पूरा हो जाने पर चपटे-उत्पादों का उत्पादन करेगा जिनकी अभी कमी है। वितरण के क्षेत्र में सतत् सावधानी बरती जा रही है और जहाँ आवश्यक होता है प्रणाली को सुप्रवाही बनाने और उपभोक्ताओं की अनिवार्य आवश्यकताओं को यथासम्भव पूरा करने के लिए कदम उठाये जाते हैं जिससे कि मौजूदा कमी के कारण इस्पात के उत्पादों की मूल्य-वृद्धि न हो।

## चौथी योजना में उपभोक्ता-वस्तुओं का उत्पादन

***622. श्री लोबो प्रभु :** क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) औद्योगिक विकास पर 2910 करोड़ रुपए के कुल विनियोजन में से उपभोक्ता-वस्तुओं पर विनियोजन केवल 36.99 करोड़ रुपए होने के क्या कारण हैं;

(ख) क्या गैर-सरकारी क्षेत्र में उपभोक्ता-वस्तुओं का उत्पादन करने का विचार है; यदि हाँ, तो क्या उनका निश्चित ब्यौरा तैयार कर लिया गया है और क्या आम जनता का जीवन-स्तर बढ़ाने सम्बन्धी द्योतक योजना में लघु उद्योगों की तरह इसके लिये ऋण दिया जायेगा;

(ग) निर्दिष्ट अन्य विनियोजन से आम जनता को क्या लाभ होंगे जबकि कर तथा मूल्य दोनों ही बढ़ते जा रहे हैं; और

(घ) क्या उनके मंत्रालय ने उपभोक्ता-वस्तु उद्योगों के लिये, जिनकी पूर्ण क्षमता का उपयोग नहीं हो रहा है, कर-प्रमाणपत्रों तथा करों में अन्य प्रकार की छूट देने के सुझाव दिए हैं?

**औद्योगिक विकास, तथा आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद)** :

(क) से (घ) चतुर्थ योजना के लिए प्राक्कल्पित औद्योगिक विकास पर कुल 2,910 करोड़ रुपए के विनियोजन में से 36.99 करोड़ रु० की व्यवस्था केवल उन उपभोक्ता-वस्तुओं के लिए है जो सरकारी क्षेत्र में बनाई जा रही हैं अथवा इस उद्देश्य के लिए स्थापित होने वाले सरकारी क्षेत्र के नए एककों में जिनका उत्पादन किया जाने वाला है। इस प्रकार की उपभोक्ता वस्तुओं में से कुछ अधिक महत्त्वपूर्ण वस्तुएँ हैं :— घड़ियाँ, जूते, प्रतिभूपत्र एवं बैंक नोट का कागज, भेषजें दवाइयाँ। यह औद्योगिक नीति संकल्प, 1956 के अनुरूप है, उसके अनुसार चतुर्थ योजना अवधि में औद्योगिक विकास की मुख्य नीतियाँ प्रशासित होंगी। औद्योगिक नीति संकल्प में सरकारी-गैर-सरकारी तथा सहकारी क्षेत्रों में उद्योगों के विकास के लिये सम्भाव्य उपगमनों का विधान है। ये कार्यक्रम सरकारी क्षेत्र के औद्योगिक ढाँचे में उच्च प्राथमिक क्षेत्रों से सम्बन्धित कमी की पूर्ति के लिए हैं। सरकारी क्षेत्र में केवल कुछ उपभोक्ता-वस्तु उद्योगों जैसे दवाइयाँ, प्रतिभूपत्र तथा बैंक नोट कागज, घड़ियाँ आदि के लिए व्यवस्था की गई है। शेष क्षेत्र गैर-सरकारी क्षेत्र द्वारा विकास करने के लिए छोड़ दिया गया है। चतुर्थ योजना का प्रलेख सदन के पटल पर पहले ही प्रस्तुत किया जा चुका है जिसमें उपभोक्ता-वस्तुओं के विभिन्न क्षेत्रों में वांच्छित उत्पादन के लिये लक्ष्य और अनुमान निहित हैं। योजना प्रलेख के पृष्ठ 261 से 165 में लिखित "उद्योग तथा खनिजों" के अनुच्छेद के परिशिष्ट 3 तथा परिशिष्ट 4 की ओर ध्यान दिलाया जाता है। वहाँ से यह देखा जा सकता है कि उपभोक्ता वस्तु उद्योगों के कई क्षेत्रों में जैसे साइकिल, सिलाई की मशीन आदि के औद्योगिक विकास में यह आशा की जाती है कि छोटे पैमाने के क्षेत्र का योगदान महत्त्वपूर्ण होगा। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना प्रलेख में सशर्त उधार देने वाली संस्थाओं को सरकार की ओर से 250 करोड़ रुपए तक की निधि हस्तान्तरित करने की भी व्यवस्था है, जिससे कि ये संस्थाएँ गैर-सरकारी और सहकारी क्षेत्रों को ऋण देने में सक्षम हो सकें। जहाँ इस प्रकार के विशेष कार्य-क्रमों को प्राप्त सारे साधनों द्वारा सहायता मिलती है वहाँ कार्यक्रम की उपलब्धियाँ अधिकांश में गैर-सरकारी तथा सहकारी क्षेत्रों द्वारा साधनों के प्रयोग करने के सुप्रभावी ढंग पर निर्भर करती है। विशेषकर उपभोक्ता वस्तु उद्योगों के लिये कर-प्रमाणपत्रों की स्वीकृति का या अन्य कर-सुविधाओं का कोई सुझाव अभी तक नहीं दिया है।

### Disparity in Rules Regarding Confirmation of Senior Railway Officers and Other Officers in Lower Cadres

*623. **Shri Om Prakash Tyagi :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that there is a rule on the Railways that a Senior Officer who has put in three years' continuous service in not required to receive training or to take any examination for confirmation, but this rule is not applicable to officers of lower cadre and until they take the examination, they remain temporary irrespective of the number of years for which they have served in the Department; and

(b) if so, the reasons for this discrimination ?

**The Minister of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) :**

(a) No Sir,

(b) Does not arise.

**दिल्ली और नई दिल्ली में उपरि मोनो-रेल-व्यवस्था**

*624. **श्री म० ला० सोंधी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नई दिल्ली और दिल्ली में उपरि मोनो-रेल-व्यवस्था चालू करना तकनीकी दृष्टि से व्यावहारिक है;

(ख) इस परियोजना पर कितनी लागत आने का अनुमान है; और

(ग) क्या इस परियोजना के लिए विदेशी तकनीकी सहायता की आवश्यकता होगी अथवा इसे देशीय साधनों से बनाया जा सकता है?

**रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह)** :

(क) से (ग) देश के दिल्ली जैसे महानगरों में बड़े पैमाने पर तेज परिवहन प्रणाली की व्यवस्था करने (जैसे भूमिगत अथवा शिरोपरि रेलवे लाइनें बनाने) के प्रश्न पर योजना आयोग के महानगर परिवहन दल द्वारा जाँच की जा रही है। उसने दल्ली में ऐसी प्रणाली की व्यवस्था के सम्बन्ध में अभी तक कोई सिफारिश नहीं की है। अतः ऐसी प्रणाली या तकनीकी सहायता (विदेशी या अन्य) की व्यावहारिकता पर टीका-टिप्पणी करना असामयिक होगा।

**रेलवे को खान-पान व्यवस्था के कारण हानि**

*625. **श्री कृ० मा० कौशिक** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि रेलवे को खान-पान व्यवस्था के कारण हानि हो रही है; और

(ख) यदि हाँ, तो वर्ष 1965 से 1968 तक प्रत्येक जोन में रेलवे को कितनी हानि हुई ?

**रेलवे-मंत्री (डा० राम सुभग सिंह)** :

(क) वर्ष 1963–64 को छोड़ कर वर्ष, 1966–67 के पहले रेलों की विभागीय खान-पान व्यवस्था को हानि हुई। 1966-67, 1967–68 और 1968–69 में कुल मिला कर रेलों की विभागीय खान-पान व्यवस्था को कुछ लाभ हुआ।

(ख) 1965–66, 1966–67 और 1967–68 में प्रत्येक जोन में विभागीय खान-पान व्यवस्था को जो लाभ/हानि हुई उसका ब्यौरा इस प्रकार है:—

लाभ (+) हानि (−)

(आँकड़े लाख रुपयों में हैं)

| रेलवे | 1965–66 | 1966–67 | 1967–68 |
|---|---|---|---|
| | रु० | रु० | रु० |
| मध्य | (−)3.94 | (−)1.64 | (+)0.34 |
| पूर्व | (+)5.22 | (+)5.86 | (+)2.55 |
| उत्तर | (−)1.87 | (−)0.46 | (+)0.17 |
| पूर्वोत्तर | (−)0.44 | (+)0.54 | (+)1.03 |
| पूर्वोत्तर सीमा | (−)0.91 | (−)0.05 | (−)0.01 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| दक्षिण-पूर्व | (−)3.31 | (+)1.28 | (+)0.77 |
| दक्षिण-मध्य | — | (−)0.52 | (−)0.42 |
| दक्षिण | (−)0.68 | (−)2.22 | (+)1.56 |
| पश्चिम | (−)1.17 | (−)1.60 | (−)0.14 |
| जोड़ | (−)6.60 | (+)1.19 | (+)5.85 |

**बिहार विधान परिषद् की समाप्ति**

*626. **श्री बैयर बेहूंरा** : क्या **विधि तथा समाज-कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संविधान के अनुच्छेद 169 के अन्तर्गत उपबंधित बिहार विधान परिषद् को समाप्त करने के बारे में बिहार विधान सभा में बढ़ती जा रही माँग की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है; और

(ख) यदि हाँ, तो क्या विधान परिषद् को समाप्त करने के लिये उपयुक्त विधान लाने का सरकार का विचार है?

**विधि तथा समाज-कल्याण मंत्री (श्री गोविन्द मेनन)** :

(क) सरकार को कोई जानकारी नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

**मैसर्स टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी द्वारा ऋण तथा ब्याज का भुगतान**

*627. **श्री पी० विश्वम्भरन** : क्या **इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारत सरकार को मैसर्स टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी द्वारा ऋणों तथा ब्याज के रूप में कितनी धन-राशि देय है;

(ख) क्या वर्ष 1965 से अब तक ऋणों का कोई भुगतान किया गया है और यदि हाँ, तो कुल कितनी धन-राशि का भुगतान किया गया है ; और

(ग) इन ऋणों पर ब्याज की क्या दर ली गई और ब्याज के रूप में कुल कितनी राशि प्राप्त की गयी?

**इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा)** :

(क) 31–3–69 को ऋण की निम्नलिखित राशियाँ टिस्को द्वारा सरकार को देय थीं:—

विशेष अग्रिम ऋण: 4,28,00,000 रुपये।

पहली अप्रैल, 1961 से 31 मार्च, 1965 की अवधि की ब्याज की रकम 1,49,95,304 रुपये।

(इसके अतिरिक्त विशेष अग्रिम ऋण की बकाया रकम पर रिज़र्व बैंक ऑफ इण्डिया द्वारा समय-समय पर निर्धारित दर से ब्याज देना पड़ता है)

(ख) जी, हाँ। 31-1-1966 के करार के अनुसार, वर्ष 1962 से अब तक विशेष अग्रिम ऋण का 5.72 करोड़ रुपया वापस किया जा चुका है।

(ग) बकाया मूल राशि पर ब्याज रिज़र्व बैंक ऑफ इण्डिया द्वारा समय-समय पर निर्धारित दर पर लिया जाता है। 1 अप्रैल, 1965 से 31 मार्च, 1969 की अवधि के लिए विशेष अग्रिम ऋण की बकाया राशि के ब्याज के रूप में, 139.62 लाख रुपए की राशि दी गई है। इसके अतिरिक्त 1 अप्रैल, 1961 से 31 मार्च, 1965 की अवधि के लिये 28.99 लाख रुपए की रकम 31 मार्च, 1969 को ब्याज के रूप में दी गई थी।

**लम्ब्रेटा टायरों के वितरण पर से नियन्त्रण का हटाया जाना**

*628. **श्री बें० कृ० दासचौधरी** : क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जम्मू-काश्मीर सरकार ने मई, 1969 में लम्ब्रेटा-टायरों के वितरण पर से नियंत्रण हटा दिया है; और

(ख) क्या अन्य राज्यों में भी टायरों के वितरण पर नियंत्रण लगा हुआ है और यदि हाँ, तो इसे कब हटाये जाने की संभावना है?

**औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद)** :

(क) और (ख) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

**Free Passes and Coupons to M. L. As. and M. L. Cs.**

*629. **Shri Bibhuti Mishra** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the names of State Governments which have provided for the issue of free Passes or Coupons to members of their respective Legislative Assemblies and Legislative Councils for travel within their jurisdiction ;

(b) whether regular payments are being made in time to the Ministry of Railways by the States in lieu thereof;

(c) whether it is a fact that this free Pass facility has resulted in shortage of seats in First Class ; and

(d) if so, whether Government propose to increase the number of First Class seats on various trains ?

**The Minister of Railways (Dr. Ram Subhag Singh)** :

(a) The following State Governments have provided for the issue of Rail Travel Coupons to the members of their respective Legislative Assemblies/Councils:—

(i) Maharashtra.
(ii) West Bengal
(iii) Uttar Pradesh
(iv) Gujarat
(v) Bihar

The Government of Haryana have also decided to give this facility to the member of its Legislature and the same will be introduced after the coupons have been printed.

In the case of West Bengal and Haryana, the coupons are available for journey over

any Indian Railway. In the case of other States, they are available for journey only within the State concerned.

(b) Yes, Sir.

(c) No, Sir.

(d) Does not arise.

### स्टेनलैस स्टील के बर्तनों का उत्पादन

***630. श्री बलराज मधोक :** क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में स्टेनलैस स्टील के बर्तन बनाने वाले एककों का, राज्य-वार, ब्यौरा क्या ह ;

(ख) 1968-69 में स्टेनलैस स्टील के आयात के लिए कुल कितने लाइसेंस जारी किए गए तथा कुल कितने स्टेनलैस स्टील का आयात किया गया और उस पर कुल कितनी विदेशी मुद्रा व्यय हुई ;

(ग) क्या यह सच है कि स्टेनलैस स्टील के आयात के अधिकांश पर्मिट वालों के अपने कारखाने नहीं हैं और वे उसे चोर-बाजार में बेचते हैं ; और

(घ) यदि हाँ, तो उसके आयात पर प्रतिबन्ध लगाने तथा चोर-बाजारी रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

**औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) :**

(क) बड़े स्टेनलेस स्टील के बर्तन बनाने वाले बड़े पैमाने के 9 एकक हैं:—

| | |
|---|---|
| हरियाणा | 2 एकक |
| राजस्थान | 1 एकक |
| महाराष्ट्र | 4 एकक |
| तमिलनाडु | 1 एकक |
| केरल | 1 एकक |

लघु क्षेत्र के एककों के सम्बन्ध में अपेक्षित जानकारी उपलब्ध नहीं है।

(ख) से (घ) 1968-69 की अवधि में आयात किये गये स्टेनलेस स्टील की मात्रा और कीमत निम्न प्रकार है :—

| ब्यौरा | मात्रा मी० टनों में | मूल्य करोड़ रु० में |
|---|---|---|
| स्टेनलेस स्टील के बर्तन तथा अन्य वस्तुएँ | 1,993 | 4.56 |
| स्टेनलेस स्टील की चादरें विभिन्न मोटाई की तथा गेजों की | 6,547 | 4.02 |
| | 8,540 | 8.58 |

शेष मामलों के सम्बन्ध में जानकारी इकट्ठी की जा रही है और वह सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

**इंजीनियरिंग निर्यात संवर्धन परिषद्, कलकता**

*635. **डा० सुशीला नैयर:** क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने गत तीन वर्षों में इंजीनियरिंग निर्यात संवर्धन परिषद्, कलकत्ता को दिए गए सहायक अनुदान के संदर्भ में उसके कार्य-संचालन के बारे में कोई अनुमान लगाया है;

(ख) यदि हाँ, तो उक्त अवधि में सरकार द्वारा इस परिषद् को दिये गए सहायक अनुदान की राशि के उपयोग के बारे में पाई गई अनियमितताओं का स्वरूप क्या है; और

(ग) इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है?

**वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री चौधरी राम सेवक):**

(क) जी हाँ। इंजीनियरी निर्यात संवर्धन परिषद् को, विगत वर्ष में किए गए कार्य के परिणामों का पूरा आकलन करने के पश्चात् तथा चालू वर्ष में कार्य की प्रस्तावित मदों की जाँच करके ही सहायतार्थ अनुदान दिये जाते हैं। परिषद् के प्रयत्नों के परिणाम इंजीनियरी सामान के निर्यातों से प्रकट है जो वर्ष 1966-67 में 31.14 करोड़ रु० के थे और 1968 में बढ़ कर 84.97 करोड़ रु० के हो गये।

(ख) और (ग) अनियमितताओं के दो मामूली मामले हमारे ध्यान में लाये गए हैं जिनमें एक परिषद् के विदेश-अधिकारी द्वारा बिना पूर्व अनुमति लिये सरकारी काम से सिंगापुर जाने से सम्बन्धित था और दूसरा यस लडार्फ स्थित विदेश कार्यालय में नजर चूक जाने से हुए दोहरे भुगतान से सम्बन्धित था। पहले मामले में अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की गयी और अन्ततः उसने इस्तीफा दे दिया और दूसरे मामले में फालतू चुकाई गई राशि मामूली ही थी फिर भी परिषद् ने इसे गंभीरतापूर्वक लिया तथा राशि लौटा दी गयी और सम्बद्ध अधिकारी को चेतावनी दे दी गयी।

**भारत के लिए रूसी हेलीकोप्टर**

*637. **श्री यज्ञ दत्त शर्मा:** **श्री हरदयाल देवगुण:**
**श्री जय सिंह:**

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि मई, 1969 में एक रूसी दल अपने नवीनतम एम-8 हेलीकोप्टर बेचने के लिए भारत आया था;

(ख) क्या रूसी दल ने इन हेलीकोप्टरों की कोई परीक्षा-उड़ान दिखाई थी;

(ग) क्या रूसी दल के साथ इन हेलीकोप्टरों की सप्लाई के बारे में कोई करार किया गया है; और

(घ) यदि हाँ, तो इसका ब्यौरा क्या है?

**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) :**

(क) जी हाँ। हाल ही में एक रूसी दल एक मी०–8 हेलीकोप्टर को भारतीय परिस्थितियों में मूल्यांकन परीक्षण-हेतु भारत लाया था। परीक्षण दो स्थानों पर किए गए।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

**पश्चिमी देशों में काजू की माँग**

*638. **श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी:** क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि पश्चिमी देशों में काजू की बड़ी माँग है;

(ख) यदि हाँ, तो इसके निर्यात को बढ़ाने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है; और

(ग) क्या सरकार का विचार अधिक मूल्य प्राप्त करने हेतु, परिष्करण के पश्चात् पैकटों में इसकी बिक्री को प्रोत्साहन देने का है?

**वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री चौधरी राम सेवक) :**

(क) जी हाँ।

(ख) निर्यात संवर्धन के लिए की गयी कार्यवाही निम्नलिखित है:—

(1) खुले सामान्य लाइसेंस के अधीन कच्ची काजू की गिरियों के आयात की अनुमति है।

(2) काजू की गिरियों के निर्यात के जहाज पर मूल्य की 2 प्र० श० दर पर संवेष्टन सामग्री के आयातों की अनुमति है।

(3) भारत में कच्ची काजू की गिरि के उत्पादन को बढ़ाया जा रहा है।

(4) काजू की गिरियों के निर्यात पर गुण-नियंत्रण लागू किया गया है।

(5) सरकार द्वारा प्रायोजित काजू निर्यात संवर्धन परिषद्, एर्णाकुलम अनेक निर्यात संवर्धन उपाय कर रही है, यथा बाजार सर्वेक्षण, बाजार-जानकारी का वितरण, विज्ञापनों, वृत्तचित्रों, पत्रिकाओं, पुस्तिकाओं, पैम्फ्लेटों के माध्यम से प्रचार, प्रदर्शनियों में भाग लेना, विभागीय भंडारों में विशेष शो करना, एयर इण्डिया की कतिपय उड़ानों में काजू की गिरियों का वितरण, व्यापार प्रतिनिधिमंडल भेजना आदि।

(ग) परिषद् के ब्रसेल्स स्थित विदेश कार्यालय ने भी उपरोक्त ढंग के विभिन्न बिक्री संवर्धन उपाय किए हैं।

**भारत में इलेक्ट्रोनिक संगणकों का निर्माण**

*639. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि·

(क) क्या एक अन्तर्राष्ट्रीय संगणक-निर्माण कम्पनी ने इलैक्ट्रोनिक संगणकों का निर्माण करने के लिए भारत में एक कारखाना स्थापित करने का प्रस्ताव रखा है;

(ख) यदि हाँ, तो उस कम्पनी ने क्या शर्तें पेश की हैं; और

(ग) क्या सरकार ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है?

**प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) :**

(क) भारत में दो वृहत विदेशी कम्प्यूटर निर्माता कम्पनियाँ काम कर रही हैं अर्थात् यू० एस० ए० की सर्वश्री इंटरनेश्नल बिज़नेस मशीन्ज़ (आई० बी० एम०) और यू० के की सर्वश्री इन्टरनेशनल कम्पूटर्ज लि० (आई० सी० एल०)। दोनों के पास कम्प्यूटरों के निर्माण के लिए लाइसेंस हैं, और दोनों ने अपने कार्यकलाप में अधिक प्रसार करने की योजनायें भेजी हैं।

(ख) सर्वश्री आई० बी० एम० शत-प्रतिशत विदेशी सरमाए की कम्पनी है और किसी प्रकार के भारतीय सरमाए से संबंध रखने का उनका विचार नहीं है। सर्वश्री आई० सी० एल० ने कि जिनकी भारत में दो कम्पनियाँ हैं, एक निर्माता कम्पनी अर्थात् इंटरनेशनल कम्प्युटर्ज इंडिया मैन्युफैक्चरिंग कं० लि० (आई० सी० आई० एम०) जिसमें 40 प्रतिशत भारतीय इक्विटी हैं और एक व्यापार कम्पनी सर्वश्री आई० सी० एल० जो 100 प्रतिशत विदेशी है, 40 प्रतिशत भारतीय इक्विटी सहित दोनों को समाविष्ट करके एक कम्पनी बना देने का प्रस्ताव भेजा है।

(ग) आई० सी० एल० और आई० बी० एम० के अन्तिमतम प्रस्ताव परीक्षणाधीन हैं।

### विमान द्वारा भारत-बर्मा सीमा के फोटो

***640. श्री सु० कु० तापड़िया : श्री हुक्म चन्द कछवाय :**
**श्री भारत सिंह चौहान :**

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 1968–69 में सीमांकित भारत-वर्मा की सीमा के एयर सर्वे कम्पनी द्वारा लिये गए फोटो बर्मा की ओर से लिये गए फोटो से मेल खाते हैं;

(ख) क्या इस प्रकार लिये गए फोटो किसी सरकारी एजेंसी के पास हैं; और

(ग) इस कार्य को भारतीय वायु सेना की बजाय उस कम्पनी को सोंपने के क्या कारण थे?

**वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) :**

(क) जी हाँ।

(ख) जी हाँ। फिल्में भारत सर्वेक्षण की अभिरक्षा में हैं।

(ग) यह काम एक गैर-सरकारी कम्पनी को सौंपा गया था, क्योंकि भारतीय वायु सेना के पास इस काम को अपने ऊपर लेने के लिए वांछनीय छिपी दृष्टियों का उपकरण नहीं था।

### आयात में कमी

***641. श्री सीताराम केसरी :** क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि आयात की जाने वाली वस्तुओं की सरकार द्वारा खरीद काफी घट गई है;

(ख) यदि हाँ, तो आयात की जाने वाली किन-किन मुख्य वस्तुओं की खरीद में कमी आई है;

(ग) इसके परिणामस्वरूप कितनी विदेशी मुद्रा की बचत हुई है; और

(घ) क्या आयातित वस्तुओं की कमी के कारण उद्योगों पर उन वस्तुओं के निर्माण में जिनमें आयातित माल का प्रयोग किया जाता है, किसी तरह का प्रभाव पड़ा है?

**वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री चौधरी राम सेवक) :**

(क) जी, हाँ।

(ख) खाद्यान्न, सोया-बीन का तेल, उर्वरक, पेट्रोलियम-तेल तथा चिकनाई, मिट्टी हटाने की मशीनरी, विद्युत्-शक्ति-संयंत्र, ताँबे के पिंड आदि।

(ग) अपेक्षित जानकारी एकत्रित करने में कुछ समय लग जाएगा।

(घ) आयात की जाने वाली वस्तुओं के स्थान पर स्वदेशी-वस्तुओं के विक्रय क्षेत्र में किए जा रहे निरन्तर यत्नों के कारण आयात में हुई कमी का उद्योग पर किसी भी प्रकार का असर नहीं पड़ा है।

**विज्ञान एवं परमाणु प्रौद्योगिकी के लिए एक मंत्रालय का गठन**

*642. **श्री म० ला० सोंधी**: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उन्होंने विज्ञान तथा परमाणु प्रौद्योगिकी के लिए एक पृथक मंत्रालय बनाने के सुझाव पर विचार कर लिया है;

(ख) क्या राष्ट्रीय वैज्ञानिक नीति के स्पष्ट न होने के कारण विज्ञान के मामलों से संबंधित विभिन्न मंत्रालयों में बहुत मत वैभिन्य हैं; और

(ग) आत्मनिर्भर प्रौद्योगिकी के लिए, विशेषकर परमाणु प्रौद्योगिकी के संदर्भ में, स्वदेशी आधार बनाने के लिए क्या कार्यवाही की जायेगी?

**प्रधान मंत्री, वित्त मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) :**

(क) जी हाँ।

(ख) जी नहीं।

(ग) विज्ञान-उद्योग-अनुसंधान परिषद्, परमाणु ऊर्जा आयोग, प्रतिरक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन तथा कई अन्य अनुसंधान और विकास प्रतिष्ठान, जो विभिन्न मंत्रालयों के अधीन कार्य कर रहे हैं, वे आत्मनिर्भर प्रौद्योगिकी आधार के विकास के लिए कार्य-कलाप तथा प्रयास का आयोजन कर रहे हैं।

धीरे-धीरे परमाणु प्रौद्योगिकी के लिए एक आधार तैयार किया जा रहा है। इससे तारापुर, राणा प्रताप सागर तथा कल्पकम् स्थित परमाणु शक्ति संयंत्रों की स्वदेशीय मात्रा में उत्तरोत्तर वृद्धि होगी। हमारे परमाणु वैज्ञानिक अपने क्षेत्र के नवीनतम ज्ञान में औरों के समकक्ष हैं और सैद्धान्तिक तथा प्रयोगात्मक कार्य में भी लगे हैं जो परमाणु ऊर्जा के शान्तिपूर्ण उपयोगों के समस्त क्षेत्र के विकास के लिए, विशेषकर हमारी विकास सम्बन्धी योजनाओं तथा कार्यक्रमों के संदर्भ में अपेक्षित है।

**पूर्ति निदेशक (कपड़ा), बम्बई द्वारा अस्तर के कपड़े की खरीद के लिए दिया गया क्रयादेश ।**

*643. **श्री मधु लिमये** : क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि जुलाई-नवम्बर, 1967 में पूर्ति निदेशक (कपड़ा), बम्बई ने अस्तर के कपड़े की सप्लाई के लिए एक फर्म को क्रयादेश दिया था;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस फर्म ने रेलवे रसीदों पर जाली नम्बर तथा तारीखें डाल कर ठेके के अनुसार कथित सप्लाई किये जाने के लिये धोखेबाजी से अग्रिम राशि प्राप्त की थीं;

(ग) क्या जालसाजी के बारे में लेखापरीक्षा विभाग को नहीं बताया गया था जैसा कि सामान्य वित्तीय नियमों के अन्तर्गत अपेक्षित है;

(घ) यदि हाँ, तो उस फर्म का नाम क्या है, और इस फर्म तथा इस भुगतान के लिये उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है; और

(ङ) लेखापरीक्षा विभाग को जालसाजी से किए गए इस भुगतान के बारे में न बताने के लिए पूर्ति निदेशक के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

**वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री चौधरी राम सेवक) :**

(क) जी, हाँ।

(ख) फर्म ने अग्रिम-अदायगी के अपने बिलों पर रेलवे रसीदों के नम्बर तथा तारीखें तो सही लिखी थीं, परन्तु अदायगी को राशि को, वेतन और लेखा अधिकारों से यह झूठ बोल कर धोकेबाजी से प्राप्त कर लिया कि रेलवे रसीदें प्रेषितियों को भेज दी गई हैं, जब कि रसीदें प्रेषितियों के नाम में बनाई ही नहीं गई थीं।

(ग) से (ङ) यह जालसाजी बम्बई के मेसर्स खुशहाल भाई पटेल एण्ड सन्स द्वारा की गई थी। पूर्ति निदेशक (वस्त्र), बम्बई ने लेखा-परीक्षा को इस मामले के बारे में रिपोर्ट नहीं की परन्तु उन्होंने हिदायतें जारी कर दी थीं कि फर्म को देय सभी अदायगियाँ रोक दी जाएँ और उन्होंने विशेष पुलिस स्थापना, बम्बई को मामले के बारे में रिपोर्ट कर दी थी, जिसने इस मामले में अपनी सारी जाँच पूरी कर ली है। फर्म के एक अभियुक्त साझीदार को 31 जुलाई, 1969 को गिरफ्तार कर लिया गया। विशेष पुलिस स्थापना ने अभियुक्त तथा फर्म के विरुद्ध बम्बई के अपर चीफ प्रेज़ीडेंसी मैजिस्ट्रेट की अदालत में आरोप-पत्र दायर कर दिया है। फर्म को काली सूची में डाल दिया गया है । इस स्थिति में किसी भी अधिकारी के विरुद्ध कोई भी कार्यवाही करना उचित प्रतीत नहीं होता।

**सैनिक प्रशिक्षण देना**

*644. **श्री महन्त दिग्विजय नाथ** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय प्रतिरक्षा सेवाओं की तीनों शाखाओं में भर्ती होने वाले सभी कर्मचारियों को तीनों प्रकार का सैनिक प्रशिक्षण (स्थल सेना, नौसेना तथा वायु सेना) देने के लिए कोई योजना विचाराधीन है;

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है;
(ग) ऐसा प्रशिक्षण देना कब तक आरम्भ किए जाने की सम्भावना है; और
(घ) भारतीय सेना की संख्या में कितनी वृद्धि की जाएगी ?

**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) :**

(क) जी नहीं।
(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

**Manufacture of Mig Planes**

*645. **Shri Atal Bihari Vajpayee :** **Shri Jagannath Rao Joshi :** **Shri Suraj Bhan :** **Shri Brij Bhushan Lal :** **Shri Ranjeet Singh :** **Shri Ram Gopal Shalwale :**

Will the Minister of **Defence** be pleased to state ;

(a) when the manufacture of Mig planes was taken in hand in India :

(b) the number of such planes manufactured so far and the number of such planes likely to be manufactured during 1970 ; and

(c) the impact on the production of MIGs in the event of sudden interruption of Soviet assistance ?

**The Minister of State in the Ministry of Defence (Shri L. N. Mishra) :**

(a) The first phase of production of MIG aircraft commenced in 1966.

(b) It is not in the public interest to divulge the information.

(c) It is a hypothetical question, however, every care has been taken to ensure that the production programme is not affected by shortages of the materials etc.

**Setting up of a Fast Breeding Atomic Reactor**

*646. **Shri Maharaj Singh Bharati :** Will the **Prime Minister** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that U.S.S.R. Government has succeeded in making two major experiments at a time and now they are installing a fast breeder reactor on the shore of Caspian Sea which would produce electricity at lesser cost and would also filter 1½ lakh tons of water; and

(b) if so, the reasons for which Government are not setting up such reactor with the collaboration of U.S.S.R. Government ?

**The Prime Minister, Minister of Finance, Minister of Atomic Energy and Minister of Planning (Shrimati Indira Gandhi):**

(a) Yes, Sir.

(b) Action has been initiated already to build up the necessary expertise for developing fast breeder technology by undertaking the construction of a Prototype fast reactor at Kalpakkam, Madras. The U.S.S.R. experience will be studied before deciding on a combined nuclear power and water desalination plant.

**मैसर्स देहली स्माल स्केल इंडस्ट्रीज**

*647. **श्री जार्ज फरनेन्डीज :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने प्रतिरक्षा विभाग की कुछ आवश्यकताओं की पूर्ति करने के मामले में सरकार को धोखा देने के आरोपों पर मैसर्स देहली स्माल स्केल इंडस्ट्रीज के विरुद्ध अभियोग चलाए हैं;

(ख) यदि हाँ, तो इन आरोपों का व्यौरा क्या है; और

(ग) इस समय इस फर्म के विरुद्ध इस मामले की क्या स्थिति है ?

**प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) :**

(क) अभी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) सी० बी० आई०/एस० पी० ई० दिल्ली ब्रांच द्वारा मामलों की जाँच की जा रही है।

### Protest Notes to Pakistan

*648. **Shri Bal Raj Madhok** : Will the Minister of **External Affairs** be pleased to refer to reply given to Unstarred Question No. 1695 on the 14th May, 1969, and state :

(a) the total number of Protest Notes sent by India after the receipt of Pakistan's Protest Note of the 7 March, 1969 to Pakistan against the atrocities being inflicted by the Pakistan Government on Hindus in West Pakistan and their continuous influx to India in large number and the reply received from that Government in regard thereto ; and

(b) whether it is proposed to impose the same restrictions on the officers and employees of the Pakistan High Commission in India as have been imposed by Pakistan on their counterparts in the Indian High Commission in Pakistan ?

**The Minister of External Affairs (Shri Dinesh Singh) :**

(a) The House will recall that Pakistan's Note of 7th March, 1969, was in connection with a demonstration in Calcutta and was not connected with the treatment of minorities in West Pakistan. We have not protested to Pakistan recently on the treatment of the minorities in West Pakistan.

(b) At present we are trying to get restrictions on our High Commission in Pakistan liberalized.

### पूर्वोत्तर सीमा पर संचार व्यवस्था

*649. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत को पूर्वोत्तर सीमाओं में संचार-व्यवस्था में सुधार करने के लिये आवश्यक उपकरण लगाने के लिये अमरीकी सरकार ने कोई ऋण देने की पेशकश की है; यदि हाँ, तो कब तथा अमरीकी सरकार ने कितने ऋण की पेशकश की थी और क्या भारत ने उसे स्वीकार कर लिया है;

(ख) क्या किसी अन्य देश ने भी भारत को ऐसा ही ऋण अथवा सुविधा देने का प्रस्ताव किया है; यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या संचार-व्यवस्था के लिए आवश्यक उपकरण लगा दिए गए हैं; यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और वे कब तक लगा दिए जायेंगे ?

**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह)**

(क) जी हाँ। अमेरिका सरकार ने 1967 में उस आधुनिक ट्रोपोस्केटर कम्युनिकेशन

सिस्टम को जिसे कि प्रारम्भ में अनुदान आधार पर 1964-65 में दिए जाने की योजना थी, स्थापित करने के लिये 170 लाख स्टर्लिंग का ऋण देने की पेशकश की थी और उसे हमने मई 1968 में स्वीकार किया।

(ख) जी नहीं।

(ग) ट्रोपोस्केटर कम्युनिकेशन सिस्टम को स्थापित करने के लिये अमेरिका की वायु सेना, भारत इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड और परमाणु शक्ति विभाग से टेन्डर आमंत्रित किए गये हैं। ये टेन्डर अभी आने हैं और उन पर विचार किया जाना है। इसके कार्य की पूर्ति का समय उस टेन्डरकर्ता द्वारा दी जाने वाली समय-सूची पर निर्भर है जिसकी कि बोली को अन्तिम रूप से स्वीकार किया जाएगा।

### राज्य व्यापार निगम

***650. श्री प्रेम चन्द वर्मा : श्री देवेन सेन :**

क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राज्य व्यापार निगम का कार्य-क्षेत्र बढ़ाने की दृष्टि से सरकार अपनी नीति पर फिर से विचार कर रही है;

(ख) क्या सरकार इस प्रस्ताव पर भी विचार कर रही है कि आयात की जाने वाली उन वस्तुओं का जिनसे एकाधिकार की शक्तियाँ प्राप्त होती हैं, आयात राज्य व्यापार निगम के माध्यम से किया जाना चाहिए;

(ग) क्या आयात तथा निर्यात व्यापार का, राष्ट्रीयकरण सम्बन्धी नीति सरकार के विचाराधीन है;

(घ) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में कब तक निर्णय किए जाने की संभावना है, और यदि नहीं, तो राष्ट्रीयकरण के मार्ग में कौन-कौन से कारण बाधक हैं; और

(ङ) वर्ष 1968-69 में राज्य व्यापार निगम ने कितने मूल्य का आयात तथा निर्यात किया और उसे कितना लाभ अथवा हानि हुई ?

**वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री चौधरी राम सेवक) :**

(क) से (घ) यह सरकार की नीति है कि आयात तथा निर्यात व्यापार के सम्बन्ध में राज्य व्यापार निगम के कार्य-क्षेत्र को उत्तरोत्तर बढ़ाया जाए। इस नीति के अनुसार अनेक वस्तुओं का आयात तथा निर्यात राज्य व्यापार निगम तथा खनिज तथा धातु व्यापार निगम के माध्यम से ही कर दिया गया है। भविष्य में ऐसी नई मदों का भी आयात तथा निर्यात इनके माध्यम से ही किए जाने का प्रस्ताव है जो राज्य व्यापार के लिए उचित समझी जाँय।

(ङ) 1968-69 में राज्य व्यापार निगम का व्यापार तथा लाभ निम्नलिखित था:—

| | | (करोड़ रु० में) |
|---|---|---|
| निर्यात | .. | 48.46 |
| आयात | .. | 114.46 |
| घरेलू व्यापार | .. | 4.66 |
| | योग: | 167.18 |

| | | |
|---|---|---|
| कर देने से पूर्व लाभ | .. | 12.09 |
| कर देने के उपरान्त लाभ | .. | 3.97 |

**शक्तिमान ट्रकों का मूल्य**

*651. **श्री बे० कृ० दास चौधरी :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(ख) क्या यह सच है कि देश में बनने वाले अन्य ट्रकों के मूल्यों की तुलना में शक्तिमान ट्रक का मूल्य बहुत अधिक है;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इसके मूल्यों को कम करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है?

**प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) :**

(क) से (ग) जानकारी प्राप्त की जा रही है और उसे सभा के पटल पर रख दिया जाएगा।

**पूर्वी पाकिस्तान में टैगोर का मकान**

*652. **श्री स० मो० बनर्जी :** क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि पूर्वी पाकिस्तान में पवना में स्वर्गीय कवि रवीन्द्र नाथ टैगोर का मकान तूफान से बहुत टूट-फूट गया है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या पाकिस्तान सरकार का ध्यान इस बात की ओर दिलाया गया है; और

(ग) यदि हाँ, तो इस बारे में पाकिस्तान सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

**वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुरेन्द्र पालसिंह) :**

(क) सरकार को ये खबरें मिली हैं कि पूर्वी पाकिस्तान में कचरीवारी नामक कवीन्द्र रवीन्द्र के घर को अप्रैल, 1969 में तूफान से आघात पहुँचा और वह टूट-फूट गया।

(ख) जी हाँ।

(ग) पूर्वी पाकिस्तान सरकार के उत्तर की प्रतीक्षा की जा रही है।

**देशी टेलीविजन सैट**

*653. **श्री अदिचन :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में निर्मित टैलीविज़न सैट बाजार में आ चुके हैं;

(ख) यदि हाँ, तो किन कम्पनियों ने इन सैटों का निर्माण किया तथा इन सैटों में किस सीमा तक स्वदेशी पुर्जों का प्रयोग हुआ है;

(ग) प्रत्येक प्रकार के सैट की प्रमुख विशेषतायें तथा फुटकर मूल्य क्या हैं; और

(घ) अघि संख्या में सस्ते टेलीविजन सैट बनाने के लिये आगे और क्या प्रयत्न किए जा रहे हैं तथा चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत क्रियान्वित किए जाने वाले कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है?

**प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) :**

(क) जी हाँ।

(ख) जे० के० इलैक्ट्रानिक्स। इसमें स्वदेशी अवयव 85 प्रतिशत से अधिक हैं।

(ग) इस सैट का निर्माण सी० ई० ई० आर० आई० पिलानी द्वारा विकसित विधा द्वारा किया गया है और उसका फुटकर मूल्य 1900 रुपए है।

(घ) अगले कुछ वर्षों में टेलीविजन सैटों की कितनी आवश्यकता होगी—इसकी निर्धारणा के लिए सर्वेक्षण किया जा रहा है। इलैक्ट्रानिक उपकरणों का उत्पादन अधिक पैमान पर करने तथा टेलीविजन सेटों के अधिक निर्माण से धीरे-धीरे कीमतें कम होती जायेंगी।

**भूमिगत नागा नेता श्री इज्जाक स्वू का चीन से वापस आना**

*654. **श्री राम चरण :** **श्री मोहन स्वरूप :**

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि छिपे नागाओं के नेता, श्री इज्जाक स्वू, जो सरकार और छिपे नागाओं के बीच वार्ता में विद्रोही नागाओं के प्रतिनिधि थे, पीकिंग से वापस आ गए हैं;

(ख) यदि हाँ, तो क्या वे छिपे नागाओं के शिविर में पहुँच गए हैं; और,

(ग) यदि नहीं, तो उनका अता-पाता क्या है?

**वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) :**

(क) से (ग) सरकार को जो सूचना प्राप्त है उसके अनुसार इज्जाक स्वू ने मार्च 1969 में नागालैण्ड में प्रवेश किया और ऐसा प्रतीत होता है कि वह फिर छिपे नागाओं के साथ जा कर मिल गया। वह छिपा हुआ है और उसका वर्तमान पता मालूम नहीं है।

**अर्थ-व्यवस्था की प्रगति की दर**

*655. **श्री रा० कृ० सिंह :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पाँचवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त में पाँच सदस्यों के परिवार के लिये 100 रुपए की न्यूनतम आय अथवा अत्यावश्यक न्यूनतम राशि की व्यवस्था करने के लिये अर्थ-व्यवस्था की प्रगति की अपेक्षित दर क्या है;

(ख) क्या चौथी पंचवर्षीय योजना में प्रस्तावित प्रगति की दर इस लक्ष्य को पूरा करने के लिये पर्याप्त है; और

(ग) यदि नहीं, तो प्रगति की अपेक्षित दर की प्राप्ति के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है?

**प्रधान मंत्री, वित्त मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) :**

(क) से (ग) माननीय सदस्य के प्रश्न के प्रथम भाग का कोई अर्थपूर्ण उत्तर देना सम्भव नहीं क्योंकि इसमें मूल्य स्तर, जनसंख्या की वृद्धि, परिकल्पित आय-वितरण आदि कई धारणायें सन्निहित हैं।

थोड़े से समय के अन्तर्गत, विकास की दर बढ़ाने का कोई आसान तरीका नहीं है। विकास की उच्चतर दर के लिये पूंजी निर्माण की उच्चतर दर अधिक निजी और सरकारी बचत, कराधान, उद्यमों का लाभप्रद कार्य संचालन, अधिक विदेशी सहायता, अधिक निर्यात, जनसंख्या की गति धीमी करना और उच्चतर दरों पर कृषि व औद्योगिक उत्पादन निरन्तर बढ़ाना आवश्यक है।

अतिरिक्त संसाधनों को जुटाने की क्षमता, शीघ्र स्वावलम्बन प्राप्त करने की आवश्यकता और अन्य सभी सम्बद्ध घटकों को ध्यान में रखते हुए योजना आयोग ने राष्ट्रीय विकास परिषद् की स्वीकृति से चौथी पंचवर्षीय योजना की विकास की दर 5.5 से 6 प्रतिशत के लक्ष्य की व्यवस्था की है।

**ब्रिटेन और अमेरिका में भारतीय सप्लाई मिशन**

*656. **श्री लोबो प्रभु :** क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत वर्ष ब्रिटेन और अमेरिका में भारतीय सप्लाई मिशनों ने कुल कितने मूल्य की सप्लाई उपलब्ध की तथा उसी अवधि में इन मिशनों पर हुए व्यय का तुलनात्मक प्रतिशत क्या है;

(ख) उत्पाद-वृद्धि तथा वस्तु-विकास के लिये दी गई सहायता का व्यौरा क्या है तथा इस सहायता को प्राप्त करने के पात्र लोगों को जानकारी पहुँचाने के लिए क्या उपाय किए गए हैं; और

(ग) क्या सरकार विदेशों में रहने वाले भारतीय व्यापारियों के बारे में जानकारी रखती है और यदि हाँ, तो निर्यात में वृद्धि के उद्देश्य से उनका उपयोग और उनकी सहायता किस प्रकार की जाती है?

**वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (श्री चौधरी राम सेवक) :**

(क) 1968–69 में अमेरिका तथा ब्रिटेन स्थित पूर्ति मिशनों द्वारा क्रमशः 233.49 करोड़ रुपए तथा 47.75 करोड़ रुपए के कुल मूल्य के सामान के ठेके दिए गए थे। इस अवधि में मिशनों पर क्रमशः 0.3 प्रतिशत तथा 1.5 प्रतिशत तुलनात्मक व्यय हुआ।

(ख) मिशनों द्वारा की गई खरीद के व्यौरे भारतीय व्यापार पत्रिका (इंडियन ट्रेड जरनल) में प्रकाशित किए जाते हैं। जिन वस्तुओं का स्वदेश में ही निर्माण होता है, उनके आयात के लिए सामान्यतया अनुमति नहीं दी जाती।

(ग) विदेशों में स्थित वाणिज्य-प्रतिनिधि भारतीय वाणिज्य-समुदाय के सम्बन्ध में एक अनुक्रमणी रखते हैं, जिसमें उनके भारत के साथ व्यापारिक-सम्बन्धों, तथा व्यापार में लगाए गए धन आदि के बारे में व्यौरे दिए होते हैं। उनको यह भी परामर्श दिया जाता है कि वे उन सभी भारतीय व्यापारिक संस्थाओं के उस देश में व्यापार कर रहे स्थानीय एजेंटों की सूची भी रखें।

**चौथी पंचवर्षीय योजना को अन्तिम रूप दिया जाना**

*657. **श्री श्रद्धाकर सूपकार :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) चौथी पंचवर्षीय योजना की अन्तिम रिपोर्ट कब प्रकाशित होने की सम्भावना है; और

(ख) क्या किसी राज्य ने योजना के आकार में और फेर-बदल करने का कोई सुझाव दिया है?

**प्रधान मंत्री, वित्त मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी):**

(क) इस वर्ष के उत्तरार्द्ध में किसी समय जैसा कि 21 अप्रैल, 1966 को लोक सभा के पटल पर प्रस्तुत चौथी पंचवर्षीय योजना—1969–74—प्रारूप के साथ संलग्न टिप्पणी में बताया गया है।

(ख) अधिक केन्द्रीय सहायता के नियतन के आधार पर कई राज्य सरकारों ने अधिक योजिना परव्ययों के लिए अनुरोध किया है।

**नेताजी बोस और आजाद हिन्द फौज की सैनिक उपलब्धियां तथा एक सैनिक-अकादमी का नाम नेताजी के नाम पर रखना**

*658. **श्री समर गुह :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री 26 मार्च, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4448 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय ने राष्ट्रीय कर्तव्य की दृष्टि से और स्वाधीन भारत की प्रतिरक्षा सेवाओं के लाभार्थ नेताजी सुभाष चन्द्र बोस तथा आजाद हिन्द फौज के प्रेरणादायक सैनिक परम्परा का सम्मान करने के लिए कोई कार्यवाही की है;

(ख) क्या लगभग 20 वर्ष पहले इस मंत्रालय के ऐतिहासिक अनुभाग ने आजाद हिन्द फौज का इतिहास लिखने के लिए एक समिति स्थापित की थी और यदि हाँ, तो आजाद हिन्द फौज का इतिहास अब तक प्रकाशित न किए जाने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार हमारे देश में किसी सैनिक-अकादमी का नाम नेताजी बोस के नाम पर रख कर उनको सम्मानित करने के लिए सहमत है; और

(घ) क्या नेता जी बोस और आजाद हिन्द फौज का, विशेषकर भारतीय स्वतंत्रता आन्दोलन के सम्बन्ध में उनकी सैनिक उपलब्धियों को ध्यान में रख कर, सम्मानित करने की सरकार की कोई योजना है?

**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) :**

(क) सरकार ने अपनी नीति का उल्लेख पहले ही 26 मार्च, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4448 के उत्तर में किया हुआ है।

(ख) जैसा कि पहले बताया गया है ऐतिहासिक अनुभाग ने इंडियन नेशनल आर्मी के इतिहास का संकलन कर लिया है, और उस पर विचार किया जा रहा है।

(ग) सरकार यह समझती है कि यह नहीं हो सकेगा।

(घ) नेता जी बोस की याद में डाक तथा तार विभाग ने एक स्मारक टिकट जारी किया था। प्रकाशन विभाग ने हिन्दी में नेताजी सुभाषचन्द्र बोस की जीवनी और उनके महत्त्वपूर्ण अभिभाषणों तथा लेखों से युक्त और प्रकाशन निकाले हैं।

**विदेश-नीति में परिवर्तन**

*659. **श्री विभूति मिश्र :** क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि उस विदेश-नीति में परिवर्तन लाने का सरकार का विचार है, जिसका अनुसरण 20 जुलाई, 1969 तक किया जाता रहा है; और

(ख) यदि हाँ, तो प्रस्तावित परिवर्तनों की विस्तृत रूप-रेखा क्या है?

**वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह)** :

(क) जी नहीं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जिस विदेश नीति का सूत्रपात किया था, वह अब भी सही है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

### भूतपूर्व सैनिक लीग द्वारा की गई माँग

*660. **श्री रा० कृ० बिड़ला : श्री एन० शिवप्पा :**

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि भूतपूर्व सैनिक लीग ने हाल की अपनी वार्षिक बैठक में पेंशन बढ़ाने, सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्रों में पुन: रोजगार की सुविधाएँ देने तथा लड़ाई में मारे गए सैनिकों की विधवाओं तथा आश्रितों के लिए कल्याण योजनाओं की अपनी माँगों को फिर से दुहराया है;

(ख) यदि हाँ, तो इन माँगों के सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इन माँगों को पूरा करने के सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है?

**प्रतिरक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मं० रं० कृष्ण) :**

(क) से (ङ) इंडियन एक्स सर्विसिंग लीग ने 17–18 अप्रैल, 1969 को हुई अपनी चौथी वार्षिक आम बैठक में कुछ प्रस्ताव पास किये थे, जिसमें माननीय सदस्य द्वारा उल्लिखित विषय भी शामिल है, यद्यपि उसमें लड़ाई में मृत्यु-प्राप्त सैनिकों की विधवाओं और आश्रितों का विशेष रूप से उल्लेख नहीं किया गया है। इंडियन एक्स सर्विसिज लीग ने औपचारिक रूप में 8 अगस्त, 1969 को ये प्रस्ताव सरकार को भेजे और उनमें से बहुत से सुझाव सरकार के विचाराधीन हैं।

### मद्रास जनता एक्सप्रेस में तीसरी श्रेणी के गैर-आरक्षित स्थान

3910. **श्री कृ० मा कौशिक** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिल्ली-मद्रास जनता एक्सप्रेस में तीसरी श्रेणी के गैर-आरक्षित स्थान कितनी संख्या में उपलब्ध हैं;

(ख) क्या जनता की माँग को ध्यान में रखते हुए ये स्थान अपर्याप्त नहीं हैं, क्योंकि जनता एक्सप्रेस तेज चलने वाली और धीमी चलने वाली गाड़ियों के बीच की एक गाड़ी है; और

(ग) यदि हाँ, तो सरकार का जतना को कठिनाइयों से बचाने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है;

**रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) :**

(क) दिल्ली-मद्रास जनता एक्सप्रेस गाड़ी में तीसरे दर्जे की गैर-आरक्षित सीटों की संख्या

सप्ताह में 4 दिन दिल्ली और काजीपेट के बीच 120 और काजीपेट और मद्रास के बीच 200 और सप्ताह के शेष 3 दिन दिल्ली और काजीपेट के बीच 40 और काजीपेट और मद्रास के बीच 120 है।

(ख) सप्ताह में 4 दिन तीसरे दर्जे में गैर-आरक्षित स्थान यथोचित रूप से पर्याप्त हैं लेकिन 3 दिन स्थान पर्याप्त नहीं हैं और आगरा और भोपाल के बीच भीड़-भाड़ रहती है।

(ग) इस गाड़ी में सप्ताह में 3 दिन भोजनालय चलता है और उसी के अनुसार इन तीनों दिन गैर-आरक्षित स्थान कम हो जाता है। इस बात पर विचार किया जा रहा है कि क्या इन गाड़ियों से भोजन यान बिल्कुल हटा लिया जाये जिससे सप्ताह में प्रतिदिन इन गाड़ियों में तीसरे दर्जे का गैर-आरक्षित स्थान पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो सके।

### आयात प्रतिस्थापन अनुसन्धान संवर्द्धन पुरस्कार

3911. **श्री जुगल मंडल : क्या औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने 1968 से उन अनुसंधान केन्द्रों को पुरस्कार देने का आयोजन किया है जिन्होंने आयात प्रतिस्थापन के संबंध में अनुसंधान किए हैं;

(ख) क्या ये पुरस्कार जरूरतमंद उद्यमियों को वास्तव में दिए गए हैं; और

(ग) क्या डी० जी० टी० डी० तथा अनुसंधान संवर्द्धन बोर्ड पुरस्कृत व्यक्तियों द्वारा किए गए विकास कार्यों पर ध्यान दे रहा है;

**औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद):**

(क) आयात प्रतिस्थापन की समस्याओं पर जनता का विशेष ध्यान केन्द्रित करने की दृष्टि से, और आयातित माल के स्थान पर भारतीय प्रतिस्थाओं सम्बन्धी क्रियात्मक विचारों और योजनाओं को प्रस्तुत करने वाले व्यक्तियों और संस्थाओं को उचित प्रोत्साहन और लोकमान्यता प्रदान करने के लिए भारत सरकार ने 1966 के अन्त में आयात प्रतिस्थापन पर इसी उद्देश्य के लिए गठित एक बोर्ड के माध्यम से पुरस्कार देने के हेतु एक योजना बनाई है।

(ख) आयातित वस्तुओं का सफल प्रतिस्थाओं को विकसित करने के लिये 1967-68 वर्ष में 16 व्यक्तियों तथा 5 संस्थाओं को और 1968-69 की अवधि में 18 व्यक्तियों तथा 12 संस्थाओं को पुरस्कार प्रदान किए गए। ये पुरस्कार, प्रतिस्थाओं के मूल्यांकन के पश्चात् उसकी क्रियात्मक उपयोगिता के लिए, उपभोक्ता द्वारा उसकी स्वीकृति एवं विदेशी वस्तु की तुलना में निहित विदेशी मुद्रा की बचत पर प्रदान किए गए।

(ग) जी, हाँ।

### बिना टिकट यात्रा

3912. **श्री बाबूराव पटेल : श्री सीताराम केसरी**

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि रेलवे को बिना टिकट यात्रा करने वाले व्यक्तियों से प्रतिवर्ष लगभग 25 करोड़ रुपए की हानि होती है;

(ख) गत 31 मार्च, 1961 को समाप्त होने वाले वर्ष मे कितने यात्री बिना टिकट यात्रा करते पकड़े गए;

(ग) उक्त अवधि में उन यात्रियों से कितना किराया तथा कितना जुर्माना वसूल किया गया;

(घ) कितने व्यक्तियों को सजा दी गई और औसतन कितनी-कितनी सजा दी गई;

(ङ) बिना टकट यात्रा को रोकने और बिना टिकट यात्रा करने वाले व्यक्तियों को सजा देने के लिये क्या व्यावहारिक कार्यवाही की गई है; और

(च) क्या सरकार चल-टिकट परीक्षकों और विशेष दल के सदस्यों को अतिरिक्त प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से बिना टिकट यात्रियों से एकत्रित धनराशि में से 10 प्रतिशत लाभ देने की व्यवहार्यता के विषय में विचार करेगी; और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) :**

(क) बिना टिकट यात्रा के कारण 20–25 करोड़ रुपए की वार्षिक हानि का अनुमान लगाया गया है।

(ख) 1,11,75,508

(ग) नीचे लिखी रकमें वसूल की गयीं

| | | |
|---|---|---|
| किराया .. .. | 2,58,54,237 | रुपए |
| अधिप्रभार .. .. | 82,51,772 | रुपए |
| न्यायालयों द्वारा वसूल किए गए जुर्माने .. | 15,17,715 | रुपए |

(घ) 1,13,265 व्यक्तियों को जेल की सजा दी गयी। सजा का औसत पश्चिम रेलवे पर 2 दिन से लेकर पूर्वोत्तर रेलवे पर 37 दिन तक अलग-अलग रहा।

(ङ) टिकट जाँचने के परम्परागत तरीकों के पूरक के रूप में बड़े पैमाने पर अचानक जाँच शुरू की गयी है जिसमें टिकट जाँच-कर्मचारियों के एक बड़े दस्ते को तैनात किया जाता है जिनकी सहायता के लिए पर्याप्त संख्या में रेलवे सुरक्षा दल और रेलवे पुलिस के आदमी साथ रहते हैं। इनके साथ रेलवे मस्जिट्रेट भी जाते हैं जो वहीं मौके पर अभियोग चलाते हैं।

बिना टिकट यात्रा के विरुद्ध अभियान में विद्यार्थियों, गाँव के बड़े-बूढ़ों और सामाजिक सेवा संगठनों की मदद भी ली गयी है।

इस बुराई को रोकने के लिए व्यापक संचार के विभिन्न साधनों के जरिये शिक्षात्मक प्रचार भी किया जा रहा है।

भारतीय रेल अधिनियम में संशोधन द्वारा बिना टिकट यात्रा के लिए सजाएँ बढ़ा दी गयी हैं ताकि उनसे पर्याप्त निवारण हो सके।

(च) टिकट जाँचने वाले कर्मचारी जो अच्छा काम करते हैं, उसके लिए प्रोत्साहन की

व्यवस्था पहले ही की जा चुकी है। उनके कार्य और उपलब्ध परिणामों के अनुसार उन्हें धन के रूप में पुरस्कार और प्रशंसा-पत्र दिये जाते हैं । इस संबंध में हाल ही में स्थिति की समीक्षा की गयी थी और पुरस्कार और अधिक उदार बना दिया गया है। चल टिकट परीक्षकों द्वारा बिना टिकट यात्रियों से वसूल की गयी रकम के प्रतिशत अंश के रूप में कोई प्रोत्साहन देना व्यावहारिक नहीं है क्योंकि इससे यात्रियों को बिना वजह तंग किए जाने की संभावना है। इसके अलावा, यह वेतन पाने वाले सरकारी कर्मचारियों को एक किस्म का कमीशन देना हुआ जो ड्यूटी के सामान्य समय में किए जाने वाले सामान्य कार्य के लिहाज से औचित्यपूर्ण न होगा।

## कारों का निर्माण

3913. **श्री बाबूराव पटेल :** क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 1969 को समाप्त होने वाले वर्ष में कितनी-कितनी फियट, स्टैन्डर्ड तथा एम्बैसेडर कारें बनाई गई ;

(ख) 31 मार्च, 1969 को प्रत्येक कार के लिए प्रतीक्षा-सूची मे कितने-कितने ग्राहकों के नाम दर्ज थे;

(ग) कारों की लगातार बढ़ती हुई माँग को पूरी करने के लिये सरकार द्वारा क्या व्यावहारिक कार्यवाही की गई है;

(घ) कारों की माँग पूरी करने के लिये तथा किस्म और मूल्य के मामले में स्वस्थ प्रतियोगिता के अवसर देने के लिए सरकार दो और कार निर्माताओं को भारत में कारें बनाने के लिए आमंत्रित क्यों नहीं करती है; और

(ङ) सरकार ने इस उत्पादन के बाजार को कब तक विक्रेताओं के हाथ में रखने का विचार किया है?

**औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद):**

(क) अप्रैल, 1968 से मार्च, 1969 तक की अवधि में तीनों मेकों की कारों का उत्पादन निम्न प्रकार है:—

| | |
|---|---|
| एम्बासेडर | 21,400 संख्या |
| फिएट | 12,116 संख्या |
| स्टैन्डर्ड | 2,283 संख्या |
| योग | 35,799 संख्या |

(ख) देश में विभिन्न विक्रेताओं के पास 31-3-1969 को कारों के लिए पड़े हुए आर्डरों की संख्या इस प्रकार है:—

| | |
|---|---|
| एम्बासेडर | 29,451 |
| फिएट | 39480 |
| स्टैन्डर्ड | 192 |
| योग | 69,123 |

(ग) से (ङ) विद्यमान तीनों निर्माताओं को अपनी पूरी अधिष्ठापित क्षमता तक उत्पादन में वृद्धि करने के लिये हर संभव सहायता दी जा रही है। इसके अतिरिक्त, यात्री कारों के निर्माण हेतु किस प्रकार अतिरिक्त क्षमता स्थापित की जाए इस प्रश्न पर सरकार विचार कर रहीं है। विद्यमान एककों की भाँति दो और एकक स्थापित कर देने से माग पूरी नहीं की जा सकेगी। किस्म तथा मूल्य में स्वस्थ्य प्रतियोगिता की व्यवस्था का केवल एक ही उपाय है कि आधुनिक तरीकों से उत्पादन करने वाला एक बहुत बड़ा लाभप्रद एकक स्थापित किया जाए। सरकारी क्षेत्र में कम लागत की कार बनाने के लिए एक कारखाना स्थापित करने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है। परियोजना पर निर्णय किया जाना समूची योजना के साधनों तथा प्राथमिकताओं के अन्तर्गत परियोजना के लिए धनराशि के नियतन से सम्बद्ध है। सभी मुख्य पहलुओं पर सावधानी पूर्वक विचार करना होता है और इससे काफी समय लग रहा है।

**केन्द्रीय औद्योगिक परियोजनाओं में विनियोजन**

3914. **श्री बाबूराव पटेल :** क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1951 से 1968 तक की अवधि में बिहार, मध्य प्रदेश, मद्रास, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में केन्द्रीय औद्योगिक परियोजनाओं को कुल कितना विनियोजन किया गया;

(ख) उक्त अवधि में महाराष्ट्र और गुजरात में केन्द्रीय औद्योगिक परियोजनाओं में कुल कितना विनियोजन किया गया; और

(ग) महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों की बहुत उपेक्षा किए जाने के क्या कारण हैं?

**औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) :**

(क) से (ग) 1951-68 में केन्द्रीय औद्योगिक परियोजनाओं में कुल निवेश लगभग 2450 करोड़ रुपए हुआ। इस अवधि में इन परियोजनाओं पर बिहार, मध्य प्रदेश, मद्रास, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बंगाल, महाराष्ट्र तथा गुजरात में किया गया निवेश निम्नलिखित है:—

| | राज्य | निवेश (रु० करोड़ में) |
|---|---|---|
| 1. | बिहार | 356.5 |
| 2. | मध्य प्रदेश | 459.1 |
| 3. | मद्रास | 245.8 |
| 4. | उड़ीसा | 418.1 |
| 5. | उत्तर प्रदेश | 147.9 |
| 6. | पश्चिमी बंगाल | 408.2 |
| 7. | महाराष्ट्र | 49.9 |
| 8. | गुजरात | 48.0 |

1957 से 68 तक की अवधि में केन्द्रीय औद्योगिक परियोजनाओं में विनियोजन का अधिक अंश बिहार राज्य को मिला है। मध्य प्रदेश, उड़ीसा, तथा पश्चिमी बंगाल राज्यों में सरकारी क्षेत्र में इस्पात संयंत्रों को स्थपित किया गया है। बड़ी औद्योगिक परियोजनाओं का स्थापना स्थल प्रधानतया तकनीकी आर्थिक दृष्टि से निश्चित किया जाता है। काफी हद तक तो प्राकृतिक साधनों की प्राप्ति पर परियोजनाओं की स्थपना स्थल तय किया जाता है। तकनीकी आर्थिक दृष्टि-कोण के अधीन औद्योगिक परियोजनाओं के स्थान पर स्थल पर विचार करते समय पिछड़े क्षेत्रों की विशिष्ट आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा जाता है।

**आय-कर अपील अधिकरण**

3915. **श्री बाबूराव पटेल :** क्या **विधि तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 30 जून, 1967 को आय-कर अपील अधिकरण के पास कितनी अपीलें विचाराधीन थीं;

(ख) उनमें से कितनी अपीलें करदाताओं ने दायर की थीं और कितनी आय-कर विभाग ने;

(ग) देश में कितने आय-कर अपील अधिकरण हैं और वे कहाँ-कहाँ स्थित हैं?

(घ) क्या यह सच है कि इन अधिकरणों ने एक बहुत खर्चीली तथा जटिल प्रक्रिया बनाई है जिससे करदाताओं को कठिनाई होती है और विलम्ब होता है;

(ङ) क्या बकाया अपीलें निपटाने के लिए प्रक्रिया सरल बनाने तथा और अधिक अधि-करण नियुक्त करने का विचार है; और

(च) यदि नहीं तो बकाया अपीलों को, जिनकी संख्या निरन्तर बढ़ती जा रही है, सरकार किस प्रकार निपटाने का विचार करती है ?

**विधि मन्त्रालय तथा समाज कल्याण विभाग में उपमंत्री (श्री मु० यूनुस सलीम) :**

(क) और (ख) जानकारी संगृहीत की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) इस समय आय-कर अपील अधिकरण की 19 न्यायपीठें हैं जो निम्नलिखित स्थानों पर स्थित हैं—

| | | |
|---|---|---|
| बंबई | — | 4 न्यायपीठें |
| कलकत्ता | — | 4 न्यायपीठें |
| दिल्ली | — | 3 न्यायपीठें |
| मद्रास | — | 1 न्यायपीठ |
| इलाहाबाद | — | 1 न्यायपीठ |
| हैदराबाद | — | 1 न्यायपीठ |
| पटना | — | 1 न्यायपीठ |

| | | |
|---|---|---|
| कोचीन | — | 1 न्यायपीठ |
| अहमदाबाद | — | 1 न्यायपीठ |
| बंगलौर | — | 1 न्यायपीठ |
| इंदौर | — | 1 न्यायपीठ |
| | कुल— | 19 न्यायपीठें |

(घ) जी, नहीं।

(ङ) उपरोक्त (घ) को ध्यान में रखते हुए, प्रक्रिया को सरल बनाने का प्रश्न ही नहीं उठता जहाँ तक बकाया अपीलों को निपटाने का प्रश्न है, अधिकरण की चार और न्यायपीठें शीघ्र ही स्थापित की जा रही हैं।

(च) अधिकरण के सामने मामलों के लम्बित रहने के बारे में लगातार विचार किया जा रहा है। संस्थित की जाने वाली अपीलों की बढ़ती हुई संख्या से निपटने के लिए तथा लंबित अपीलों की संख्या को कम करने के लिये अनेक उपाय उनके निपटाए जाने की गति तीव्र करने के लिए किए गए हैं।

**जहानाबाद कोर्ट स्टेशन को मिलाने वाली सड़क की मरम्मत**

3916. **श्री चन्द्रशेखर सिंह** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि जहानाबाद (गया-पटना सेक्शन) से नगर को मिलाने वाली रेलवे सड़क के बुरी दशा में होने के कारण स्टेशन जाने वाली जनता को बहुत कठिनाई होती है; और

(ख) यदि हाँ, तो सरकार द्वारा उसकी मरम्मत करने और उसकी दशा में सुधार करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है?

**रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) :**

(क) और (ख) जहानाबाद कोर्ट स्टेशन से आने वाली सड़क पानी कुटी मैकेडैम है और अच्छी हालत में है। इसके अलावा इस सड़क पर तारकोल बिछाने का काम हो रहा है और उसके शीघ्र पूरा होने की संभावना है।

**जहानाब द कोर्ट स्टेशन पर प्रतिक्षालय**

3917. **श्री चन्द्रशेखर सिंह:** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि गया-पटना सेक्शन पर स्थित जहानाबाद कोर्ट स्टेशन के यातायात के दृष्टिकोण से एक महत्त्वपूर्ण स्टेशन होने पर भी वहाँ प्रथम तथा द्वितीय श्रेणी के यात्रियों के लिये प्रतीक्षालय की व्यवस्था नहीं है; और

(ख) यदि हाँ, तो सरकार द्वारा यात्रियों की सुविधा के लिये वहाँ प्रथम और द्वितीय श्रेणी के अलग-अलग प्रतीक्षालय बनाने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है?

**रेलवे मंत्री (श्री राम सुभग सिंह) :**

(क) और (ख) इस स्टेशन पर ऊँचे दर्जे के टिकटों की औसत दैनिक बिक्री केवल दो है और इससे स्टेशन पर ऊँचे दर्जे के प्रतीक्षालय की व्यवस्था करने का औचित्य नहीं बनता।

## जहानाबाद कोर्ट स्टेशन पर पीने का पानी

3918. **श्री चन्द्रशेखर सिंह**: क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि गया-पटना सैक्टर पर स्थित जहानाबाद कोर्ट स्टेशन के प्लेटफार्मों पर पीने के पानी की पर्याप्त सुविधाएँ उपलब्ध नहीं हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो यात्रियों की सुविधा के लिए इस स्टेशन के प्लेटफार्मों पर कम से कम चार स्थायी प्याऊ बनाने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है?

**रेलवे-मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) :**

(क) जी नहीं। पीने का पानी सप्लाई करने के लिये प्लेटफार्म पर एक नलकूप और प्रतीक्षालय के निकट एक खुले कुएँ की व्यवस्था की गयी है। इसके अलावा यात्रियों के लिए पीने का पानी मिट्टी के घड़ों में रखा जाता है जो भारिकों द्वारा भरे जाते हैं। गर्मी के मौसम में पीने का पानी सप्लाई करने के लिये एक पानी वाले की व्यवस्था की जाती है।

(ख) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए सवाल नहीं उठता। उपर्युक्त सुविधाओं के अलावा इस स्टेशन पर नल द्वारा पानी पहुँचाने की व्यवथा करने का भी प्रस्ताव है और इससे सम्बन्धित काम की मंजूरी दी जा चुकी है।

## विभिन्न उद्योगों में औद्योगिक उत्पादन

3919. **श्री ज्योतिर्मय बसु**: क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि (1) सभी उद्योगों (2) सामान्य इंजीनियरिंग (3) इलैक्ट्रिक इंजीनियरिंग (4) रसायनों (5) अलौह धातुओं (6) लोहा तथा इस्पात (7) पटसन के कपड़े तथा (8) सूती कपड़े के संबंध में गत तीन वर्षों की वर्षवार, औद्योगिक उत्पादन की वार्षिक मिश्रित प्रगति दर क्या थी?

**औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद):** एक विवरण संलग्न है।

**विवरण**

**1965, 1966, 1967 तथा 1968 की अवधि में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक बताने वाला विवरण।**

(1960 को आधार 100 मान कर)

| उद्योग समूह | तौल | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | परिवर्तित प्रतिशत 1966 अधिक 1965 | 1967 अधिक 1966 | 1968 अधिक 1967 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| सामान्य सूचकांक | 100.00 | 153.6 | 152.4 | 151.4 | 160.0 | -0.8 | -0.7 | +6.2 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. धातु के उत्पादों | 2.51 | 205.6 | 208.4 | 192.1 | 181.3 | +1.4 | −7.8 | −5.6 |
| 2. मशीनें, बिजली की मशीनों को छोड़कर | 3.38 | 316.0 | 291.2 | 299.3 | 326.6 | −7.8 | +2.8 | +9.1 |
| 3. बिजली की मशीनें एपरटेस एप्लीएंसेज़ एण्ड सप्लाई | 3.05 | 204.4 | 225.1 | 243.4 | 297.6 | +10.1 | +8.1 | +14.1 |
| 4. लोहा तथा इस्पात के आधारभूत उद्योग | 6.23 | 185.3 | 193.6 | 177.7 | 185.4 | −4.5 | −8.2 | +4.3 |
| 5. अलौह धातु पर आधारित उद्योग | 1.15 | 152.1 | 167.5 | 204.0 | 238.5 | +10.1 | +21.8 | +16. |
| 6. जूट टेक्सटाइल | 3.97 | 120.3 | 100.4 | 104.1 | 96.4 | −16.5 | +3.7 | −7.4 |
| 7. सूती कपड़ा | 2.118 | 111.7 | 106.5 | 104.9 | 111.7 | −4.7 | −1.5 | +6.5 |
| 8. रसायन तथा रसायन उत्पाद | 7.26 | 153.9 | 168.4 | 172.2 | 197.4 | +9.4 | +2.3 | +14.6 |

**रेलवे लाइन का बिहार-शरीफ-जहानाबाद से अरवल तक बढ़ाया जाना**

3920. **श्री चन्द्रशेखर सिंह** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे प्रशासन ने बिहार में पूर्व रेलवे पर रेलवे लाइन को बिहार-शरीफ-जहानाबाद से अरवल तक बढ़ाने के बारे में कोई योजना तैयार की है; और

(ख) यदि हाँ, तो यह प्रस्तावित नई रेलवे लाइन रेल यातायात के लिए किस तारीख से चालू हो जायेगी ?

**रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह)** :

(क) जी नहीं।

(ख) सवाल नहीं उठता।

**गुजरात में नई रेलवे लाइन**

3921. **श्री नरेन्द्र सिंह महीडा** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात में वर्ष 1969-70 में कोई नई रेलवे लाइन के निर्माण करने का प्रस्ताव है;

(ख) क्या सरकार का गुजरात में भावनगर-तारापुर रेलवे लाइन का निर्माण करने का विचार है;

(ग) क्या इस रेलवे लाइन से सम्बन्धित सर्वेक्षण-कार्य पूरा हो गया है;

(घ) यदि हाँ, तो इस रेलवे लाइन पर कब से काम आरम्भ किया जायेगा; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) :**

(क) जी नहीं।

(ख) से (ङ) भावनगर-तारापुर रेलवे लाइन की संशोधित यातायात-सर्वेक्षण रिपोर्ट की अभी रेलवे बोर्ड द्वारा जाँच की जा रही है और जाँच पूरी हो जाने पर ही इस लाइन के निर्माण करने या न करने के सम्बन्ध में विनिश्चय किया जायेगा।

### गुजरात में विशेष परियोजना

3922. **श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा :** क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार ने अब तक गुजरात राज्य में कोई विशेष परियोजना स्थापित नहीं की है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार का विचार सौराष्ट्र (गुजरात राज्य) में परमाणु बिजली-घर स्थापित करने का है ताकि उद्योगों को सहायता मिल सके?

**औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद):**

(क) से (ग) भारत सरकार द्वारा कोयाली (गुजरात राज्य) में प्रतिवर्ष 3 मि० टन कच्चा तेल शोधने की क्षमता वाला एक तेल-शोधक कारखाना पहले ही स्थापित किया जा चुका है तथा सरकार इसमें विस्तार के प्रस्तावों पर विचार कर रही है। चतुर्थ योजना में गुजरात राज्य में एक ऐरोमेटिक संयंत्र तथा एक नेफ्ताक्रैकर परियोजना का प्रावधान है। हाल में ही बड़ौदा में एक हैवी वाटर संयंत्र की स्थापना के प्रस्ताव को भी अनुमत दी गई है। फिलाहल गुजरात राज्य में किसी अणुशक्ति संस्थान की स्थापना का कोई प्रस्ताव नहीं है। तारापुर अणुशक्ति संस्थान की निपज का गुजरात तथा महाराष्ट्र राज्यों द्वारा उपयोग किया जायेगा।

### पश्चिम रेलवे पर बाढ़ों के कारण रेल की पटरियों और पुलों को क्षति

3923. **श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 1968 में आई अभूतपूर्व विनाशकारी बाढ़ों से गुजरात राज्य में पश्चिम रेलवे पर, बुलसर और सूरत के बीच क्षतिग्रस्त हुई रेलवे पटरियों और पुलों की इस बीच पूरी मरम्मत कर दी गई है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या रेल की पटरियों और पुलों में सुधार करने तथा उन्हें मजबूत बनाने का विचार है जिससे भविष्य में आने वाली विनाशकारी बाढ़ों से उनकी रक्षा की जा सकें; और

(ग) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या ह?

**रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) :**

(क) रेल की पटरी और पुलों को जो क्षति हुई थी, उसकी पूरी तरह से मरम्मत कर दी

गयी है, लेकिन जिन किनारों की मरम्मत की गयी है, वे जब तक पूरी तरह से मजबूत नहीं हो जाते और पुलों को फिर से चालू करने के लिये किए गए अस्थायी प्रबन्धों को हटा नहीं दिया जाता तब तक रफ्तार की पाबन्दी लगी रहेगी।

(ख) जी हाँ।

(ग) रेलों द्वारा ब्यौरे तैयार किए जा रहे हैं।

**गुजरात में रेल की पटरियों और पुलों को क्षति**

3924. **श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत वर्ष गुजरात में आई बाढ़ के परिणामस्वरूप पश्चिम रेलवे पर रेलवे पटरियों, पुलों और रेलवे सम्पत्ति को कितनी क्षति हुई;

(ख) क्या क्षतिग्रस्त रेल की पटरियों और पुलों की पुनः मरम्मत कर दी गई है;

(ग) क्या बम्बई से बड़ोदा मार्ग पर चलने वाली सब यात्री गाड़ियों को पुनः चालू कर दिया गया है;

(घ) क्या विभिन्न स्थानों पर, जहाँ दरार पड़ गई है, बाढ़ के पानी को बहा देने के लिये रेल-मार्ग पर पुल को चौड़ा किया जा रहा है; और

(ङ) यदि हाँ, तो दरार पड़े विभिन्न स्थानों पर उनको कितना चौड़ा किया जायेगा ?

**रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) :**

(क) 135.82 लाख रुपए।

(ख) रेल-पथ और पुलों में टूट-फूट की पूरी तरह से मरम्मत कर दी गयी है लेकिन जब तक मरम्मत किए गए किनारे सुदृढ़ नहीं हो जाते और पुलों के पुनः संस्थापन सम्बन्धी अस्थायी प्रबन्धों को हटा नहीं लिया जाता तब तक कुछ स्थानों में गति पर प्रतिबन्ध जारी रखना पड़ेगा।

(ग) जी हाँ।

(घ) और (ङ) भविष्य में बाढ़ द्वारा टूट-फूट के विरुद्ध जल-मार्गों को बढ़ाने या पुलों में सुधार करने के सम्बन्ध में जाँच की जा रही है।

**गुजरात में उद्योग**

3925. **श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा :** क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या क्षेत्रीय असन्तुलनों के बारे में तुलनात्मक अध्ययन करने के लिये नियुक्त कार्यकारी दलों ने अपनी सिफारिशें प्रस्तुत कर दी हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो सिफारिशों का ब्यौरा क्या है और सरकार ने गुजरात राज्य के बनसकंठा, सुबरकंठा और पंचमहल क्षेत्रों में पिछड़ापन दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की है ?

**औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) :**

(क) और (ख) क्षेत्रीय असंतुलनों पर कार्यकारी दलों के प्रतिवेदन गत अधिवेशन में ही सभा-पटल पर रखे गए हैं। प्रतिवेदनों के अनुच्छेद 3 में की गई सिफारिशों की ओर ध्यान आकर्षित

किया जाता है। कार्यकारी दलों द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदनों को राष्ट्रीय विकास परिषद् द्वारा विस्तृत परीक्षण के लिए अपनी समितियों को भेज दिया गया है। इन सिफारिशों पर राष्ट्रीय विकास परिषद के विचार कर लेने के पश्चात् ही सरकार निर्णय करेगी।

**दिल्ली और अहमदाबाद के बीच तेज गति से चलने वाली गाड़ी**

3926. **श्री सोमचन्द सोलंकी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली और अहमदाबाद के बीच तेज गति से चलने वाली गाड़ी चलाने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हाँ, तो कब से; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह)** :

(क) से (ग) दिल्ली-अहमदाबाद मीटर लाइन मार्ग पर तेज रफ्तार वाली गाड़ी चलाने के लिये व्यवहारिकता अध्ययन करने का विनिश्चय किया गया है। तेज रफ्तार वाली गाड़ी का वास्तविक रूप से चलाया जाना इस बात पर निर्भर करेगा कि अध्ययन का क्या परिणाम निकलता है।

**आनन्द रेलवे स्टेशन का पुनर्निर्माण**

3927. **श्री सोमचन्द सोलंकी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार ने पश्चिम रेलवे के आनन्द रेलवे स्टेशन के पुनः निर्माण करने का कोई प्रस्ताव सरकार को प्रस्तुत किया है;

(ख) क्या उनके मंत्रालय ने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह)** :

(क) जी नहीं।

(ख) और (ग) सवाल नहीं उठता।

**मध्य प्रदेश में आदिवासियों को ऋण की सुविधाएँ**

3928. **श्री दे० वि० सिंह** : क्या **विधि तथा समाज-कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश के 20 आदिवासी खण्डों में आदिवासियों को ऋण की सुविधायें देने की एक योजना क्रियान्वित करने के लिए 10 लाख रुपए सहायता तथा 10 लाख रुपए ऋण देने की मध्य प्रदेश सरकार ने गत वर्ष प्रार्थना की थी;

(ख) यदि हाँ, तो क्या योजना को स्वीकृति दे दी गई थी, तथा इस प्रयोजना के लिए राज्य सरकार को कितनी राशि उपलब्ध कराई गयी थी; और

(ग) इस प्रयोजन के लिए चालू वित्तीय वर्ष में कितनी राशि उपलब्ध कराई गई है?

**विधि मंत्रालय तथा समाज-कल्याण विभाग में उपमंत्री (श्री मुत्याल राव) :**

(क) आदिम जातियों के लोगों को गैर-उत्पादक प्रयोजनों के लिए कर्ज की सुविधाएँ प्रदान करने की योजना का विस्तार करने के निमित्त राज्य सरकार ने 20 आदिम जातीय विकास खण्डों को 1967–68 में 10 लाख रुपए की राशि कर्ज के रूप में दिए जाने का प्रस्ताव किया था।

(ख) और (ग) यह योजना मार्गदर्शी प्रकार की है और इसका उद्देश्य त्यौहारों, विवाहों और मौतों जैसे गैर-उत्पादक प्रयोजनों के लिए कर्ज देने और उसे वसूल करने की सार्थकता की खोज करना था । व्यक्तिगत लाभ प्राप्तकर्त्ताओं को पिछले वर्षों में दी गई राशियों की वसूली अब तक पूरी तरह शुरू नहीं हुई है, जिससे इसकी कारगरता को आँकना कठिन हो गया है। इसलिए, यह प्रयोग अब तक पूरा नहीं हुआ है। वसूली का पहलू अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है और उसकी स्थापना अभी की जानी है। जैसे ही इस प्रयोग का यह पहलू स्पष्ट हो जाएगा, राज्य सरकार को और धन दिया जाएगा।

## रेलवे सम्पत्ति पर हमले

3929. **श्री रा० कृ० बिड़ला :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि उत्तेजित भीड़ द्वारा अक्सर रेलवे सम्पत्ति पर हमला किया जाता है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार ने रेलवे सम्पत्ति की सुरक्षा के लिये राज्य सरकार से सहायता प्राप्त करने के लिए कोई कार्यवाही की है; और

(ग) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

**रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) :**

(क) जी हाँ। रेल सम्पत्ति पर उत्तेजित भीड़ द्वारा यत्र-तत्र हमले किए जाने की घटनाएँ हुई हैं।

(ख) और (ग) जी हाँ। राज्य सरकारें यथासंभव सहायता करती रही हैं।

## हैवी इंजीनियरिंग निगम में उत्पादन

3930. **श्री वीरेन्द्र कुमार शाह :** क्या **इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) हैवी इंजीनियरिंग निगम के विभिन्न एककों का वर्ष 1968–69 का उत्पादन-लक्ष्य क्या था और उन्होंने वास्तव में कितना उत्पादन किया;

(ख) उत्पादन में लक्ष्य से कमी होने के क्या कारण हैं;

(ग) वर्ष 1969–70 का उत्पादन-लक्ष्य कितना है और वर्ष की प्रथम तिमाही में एकक-वार वास्तविक उत्पादन कितना हुआ; और

(घ) क्या आप इस बात का आश्वासन देंगे कि वर्ष 1969–70 में उत्पादन लक्ष्य के अनुरूप होगा?

**इस्पात तथा भारी इंजीनियरी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) :**

(क) आँकड़े इस प्रकार हैं —

| | लक्ष्य (टन) | वास्तविक उत्पादन (टन) |
|---|---|---|
| (i) भारी मशीनें बनाने का कारखाना | 30,000 | 23849.20 |
| (ii) ढलाई कारखाना | 21,650 | 16,641.82 |
| (iii) भारी उपयंत्र बनाने का कारखाना | 33 उपयंत्र तथा 10 सी० एल० डब्ल्यु ट्रैक्शन गियर | 8 उपयंत्र, इनके अतिरिक्त सहायक और आन्तरिक कार्य किया गया जिसका कुल भार 127.8 टन था और जिसका मूल्य 8.25 लाख रुपये था। |

(ख) (i) **भारी मशीनें बनाने का कारखाना** : कमी अधिकांशतः गढ़ाई, ढलाई तथा दूसरे खरीदे जाने वाले सामान की अपर्याप्त उपलब्धि के कारण हुई। कुछ कारखानों में कुशल प्रचालकों की कमी थी।

(ii) **ढलाई कारखाना** : कमी मुख्यतः निम्नलिखित कारणों से हुई :—

(1) कारखाने के क्रेण चालकों का 27 मार्च, 1968 से ले कर 20 अप्रैल, 1969 तक हाथ पर हाथ धर कर बैठना।

(2) धूसर लोहे के ढलाई कारखाने के साँचेकारों द्वारा 20 मई, 1968 से 4 जून, 1968 तक धीरे काम करो की नीति अपनाना।

(3) मई, 1968 में कारखाने के लोको ड्राइवरों द्वारा 'धीरे काम करो की' नीति अपनाना।

(4) सैण्ड ड्रेसिंग यूनिट, इस्पात ढलाई कारखाने के मोल्ड और कोर ड्राइंग भट्टियों में उन सुविधाओं की अनुपलब्धता, जिनकी अनुपलब्धता की उत्पादन-कार्यक्रम बनाते समय आशंका थी।

(5) कुछ उपस्कारों का विभंग।

(iii) **भारी उपयंत्र बनाने का कारखाना** : कमी मुख्यतः कास्टिंग्स की पूर्ति में कमी के कारण हुई।

| (ग) | 1969-70 का लक्ष्य | अप्रैल-जून 1969 की अवधि में वास्तविक उत्पादन |
|---|---|---|
| भारी मशीनें बनाने का कारखाना | 27,000 टन | 6,248.2 टन |
| ढलाई कारखाना | 4,538.4 टन | 6,455.3 टन (13,034 टन संश्लिष्ट कच्चा लोहा और इस्पात पिण्ड भी शामिल है) |

| | | |
|---|---|---|
| भारी उपयंत्र बनाने का कारखाना | 41 उपयंत्र और 40 सी० एल० डब्ल्यु० ट्रैक्शन गियर | 3 उपयंत्र |

(घ) जब कि लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए हर सम्भव उपाय किए जायेंगे इस समय कोई आश्वासन नहीं दिया जा सकता।

### Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes

3931. **Shri Molahu Prashad :** Will the Minister of **Law and Social Welfare** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 9376 on the 13th May, 1969 and state the details regarding the functions, qualifications, experience, pay and allowances and other facilities given to the Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes ?

**The Deputy Minister in the Ministry of Law and in the department of Social Welfare (Shri Muthyal Rao) :**

The functions of the Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes are defined in article 338 (2) of the Constitution. No qualifications have been prescribed for the post. The principle followed is that the post should be filled by appointment of a prominent public person, having administrative experience and a symathetic understanding of the problem of the backward classes.

The pay is fixed on each change of incumbency. The present incumbent has been allowed a pay of Rs. 2,000 p.m. Other facilities given to the Commissioner are the same as are admissible to the Secretaries to the Government of India.

### Security Printers of India Ltd., Kanpur

3932. **Shri Molahu Prashad :** Will the Minister of **Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 7198 on the 24th April, 1969 regarding Security Printers of India Ltd., Kanpur and state :

(a) whether the requisite information has since been collected ;

(b) if so, the details thereof ; and

(c) if not, the reasons therefor ?

**The Minister of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs (Shri F.A. Ahmed) :**

(a) Yes, Sir.

(b) A statement is laid on the Table of the House. **[Placed in Library. See No. LT—1724/69)**

(c) Does not arise.

### Self-sufficiency in Tractors

3933. **Shri Om Prakash Tyagi :** **Shri Ram Swarup Vidyarthi :**
**Shri Narain Swarup Sharma :**

Will the Minister of **Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs** be pleased to state whether it is a fact that India could not become self-sufficient in the manufacture of tractors even after twenty years and the cultivation is mainly done with the help of bullocks ?

**The Minister of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed) :**

The indigenous production of tractors is not yet sufficient to meet the internal demand. In order to meet the gap between the demand and the indigenous availability of tractors, imports are being made to the extent possible. Government is, however, taking all possible steps to achieve self-sufficiency in the production of tractors as early as possible. The existing manufacturers have been given assistance for the import of capital goods as well as components and raw materials, to enable them to maximise production to the fullest possible extent. In order to encourage the establishment of more manufacturing units, the tractor Industry has been delicensed. A number of new projocts for manufacture of tractors in the private sector have been approved and at least some of them are expected to go into production in the next two or three years. There is also a proposal to set up a project in the public sector. However, cultivation with the help of bullock also continues.

## हैवी इलेक्ट्रीकल्ज, भोपाल में घाटा

3934. **श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी** : क्या औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हैवी इलेक्ट्रीकल्ज, भोपाल को पिछले तीन वर्षों में भारी घाटा हुआ है;

(ख) यदि हाँ, तो कितना घाटा हुआ;

(ग) कम्पनी में घाटे की स्थिति कब तक समाप्त होने की आशा है;

(घ) इस संयंत्र की कार्य-प्रणाली में सुधार करने के लिये सरकार क्या कार्यवाही करना चाहती है ।

**औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद):**

(क) और (ख) गत तीन वर्षों में हैवी इलेक्ट्रिकल्स (इंडिया) लि० में हुई हानि निम्न प्रकार है ।

| | |
|---|---|
| 1966–67 | 677 लाख रुपये |
| 1967–68 | 580 लाख रुपये |
| 1968–69 | 576 लाख रुपये (अन्तिम आकड़ों के निर्माण होने की स्थिति में) |

(ग) 50 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष की निपज होने पर कम्पनी का घाटा पूरा हो जाने की आशा है, जो लक्ष्य वर्तमान क्रयादेशों को देखते हुए 1973-74 तक पूरा हो जायगा ।

(घ) उत्पादन तथा लागत को कम करने के लिए कम्पनी द्वारा हर संभव अभ्युपाय बरते जा रहे हैं। इस प्रकार की इतनी बड़ी पूर्ति प्रमुख प्रायोजनाओं में निर्माण की अवधि और उत्पादन के प्रारंभिक वर्षों में ऐसी हानियाँ का होना सहज है। ऐसी हानियों का पूर्वानुमान परामर्शदाताओं ने विस्तृत प्रायोजना विवरण में कर लिया था ।

## राजस्थान में डीजल इंजन चलाना

3935. **श्री देवकीनन्दन पाटोदिया** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राजस्थान में यात्री तथा माल यातायात दोनों के लिए कुछ रेल-मार्गों पर डीजल इंजन चलाने के बारे में कोई योजना बनाई है;

(ख) यदि हाँ, तो किन रेल-मार्गों पर यह चालू की जायेगी;

(ग) चौथी योजना में इस प्रयोजन के लिये क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं; और

(घ) यदि उपर्युक्त भाग (ग) का उत्तर नकारात्मक हो, तो उसके क्या कारण हैं?

**रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) :**

(क) से (घ) भारतीय रेलों के विभिन्न खण्डों पर परिचालन और यातायात की प्रत्याशित आवश्यकताओं के आधार पर एक निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार गाड़ियों को डीजल इंजनों से चलाया जा रहा है। राजस्थान में किन्हीं मार्गों पर डीजल से गाड़ियाँ चलाने के लिये कोई अलग कार्यक्रम नहीं बनाया गया है।

### चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स में डीजल हाईड्रालिक इजन का निर्माण

3936. **श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स विभिन्न छोटी लाइनों पर पुराने इंजनों के स्थान पर प्रयोग करने के लिये डीज़ल हाईड्रालिक इंजनों का निर्माण करेगा;

(ख) विभिन्न रेलवे में कितने पुराने इंजन बदले जाने हैं; और

(ग) नये इंजनों को लगाने पर क्या व्यय होगा तथा यदि कोई उत्पादन अनुसूची बनाई गई हो तो वह क्या है?

**रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) :**

(क) जी हाँ।

(ख) चौथी योजनावधि में, बदलाव के लिए, डीजल के 10 रेल इंजन बनाने की व्यवस्था की गयी है।

(ग) इन 10 डीज़ल रेल इंजनों की अनुमानित लागत लगभग एक करोड़ रुपए होगी। अंतिम रूप से 1972-73 में उत्पादन का कार्यक्रम बनाया गया है।

### आसाम को आलुओं की बुकिंग स्थगित करना

3937. **श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आलुओं का मौसम शुरू होने पर उत्तर प्रदेश से आसाम को आलुओं की बुकिंग 45 दिन तक बन्द रही जिससे आलुओं की बहुत बड़ी मात्रा में हानि हुई;

(ख) यदि हाँ, तो यह पता लगाने के लिए कि ऐसे समय पर जब कि आलुओं की बुकिंग की बहुत आवश्यकता थी, सामान्य प्रथा के विरुद्ध उत्तर प्रदेश से बुकिंग क्यों बन्द की गई, कोई जाँच की गई है और यदि हाँ, तो जाँच की उपपत्तियाँ क्या हैं;

(ग) क्या देश में होने वाली कृषि के क्षेत्र में क्रान्ति को देखते हुए रेलवे ने चौथी योजना में खराब हो जाने वाली वस्तुओं के लिए माल-डिब्बों की अपनी पूरी आवश्यकता का अनुमान लगाया है; और

(घ) यदि हाँ, तो वे कब उपलब्ध होंगे और उनकी कितनी माँग होगी ?

**रेलवे-मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) :**

(क) और (ख) इस वर्ष उत्तर प्रदेश में आलू का मौसम दिसम्बर, 1968 से शुरू हुआ। असम के लिए आलू का अधिकांश लदान पूर्वोत्तर रेलवे के स्टेशनों से किया जाता है। वर्षा के कारण भारी टूट-फूट होने से 4 अक्टूबर, 1968 से पूर्वोत्तर सीमा रेलवे पर सीधी संचार व्यवस्था भंग हो गयी। यद्यपि 6 नवम्बर, 1968 से मीटर लाइन पर सीधी एंचार व्यवस्था फिर से चालू कर दी गयी थी फिर भी बड़ी लाइन पर वह 1968 में दिसम्बर के अन्त तक फिर से चालू नहीं की जा सकी। मीटर लाइन पर सिलीगुड़ी से पूरब पूर्वोत्तर सीमा रेलवे के स्टेशनों के लिए लाइन में टूट-फूट के दौरान ढुलाई की प्रतीक्षा में रुके यातायात के भारी जमाव को हटाने के लिए सीधी गाड़ियों का चलना शुरू होने के बाद भी कुछ समय तक यातायात का संचलन नियमित करना पड़ा था। इसके अलावा, बड़ी लाइन पर भी सीधी गाड़ियों का चलना फिर से जारी होने तक मीटर लाइन पर खाद्यान्नों, उर्वरक और सैन्य सामग्री जैसी उच्च अग्रता वाले आवश्यक यातायात का भारी दबाव था। पूर्वोत्तर सीमा रेलवे पर यातायात रुक जाने के फलस्वरूप जमाव को दूर करने के लिए दिसम्बर, 1968 में, जब उत्तर प्रदेश में आलू का मौसम शुरू हुआ, पूर्वोत्तर रेलवे को 11 दिन की अवधि में तीन बार प्रतिबन्ध लगाना पड़ा।

ऊपर बतायी गयी कठिनाइयों के बावजूद पूर्वोत्तर रेलवे द्वारा असम को आलू भेजने के लिए विशेष व्यवस्था की गयी। दिसम्बर, 1968 में असम के लिए 410 माल-डिब्बों का लदान किया गया और 179 माल डिब्बों के लिए माँग-पत्र वापस ले लिए गए। धीरे-धीरे, ढुलाई में तेजी हुई और जनवरी, 1969 में 726 माल-डिब्बे, फ़रवरी, 1969 में 797 माल-डिब्बे, मार्च, 1969 में 1200 माल-डिब्बे भेजे गए और बाद में माँग कम हो कर अप्रैल, में 358 और मई, 1969 में 73 माल-डिब्बे तक रह गयी।

1 दिसम्बर, 1968 से 31 मई, 1969 तक की अवधि में असम के लिये मीटर लाइन के 3564 और बड़ी लाइन के 31 माल-डिब्बों का लदान हुआ जब कि 1967–68 की इसी अवधि में मीटर लाइन के 3003 और बड़ी लाइन के 17 माल-डिब्बों का लदान हुआ था। 1968-69 में असम के लिए आलू भेजने के लिए मीटर लाइन के 4442 और बड़ी लाइन के 13 माल-डिब्बों का माँग-पत्र डिब्बों की स्थूल सप्लाई के बाद या तो रद्द कर दिया गया या पार्टियों (व्यापारियों) द्वारा वापस ले लिया गया।

बुकिंग पर प्रतिबन्ध के कारण आलू बरबाद होने के बारे में कोई शिकायत नहीं मिली है क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में माल-डिब्बों का लदान अन्य गन्तव्य स्थानों के लिए किया गया था। 1968–69 में पूर्वोत्तर रेलवे पर मीटर लाइन के 8957 माल-डिब्बों का लदान हुआ। इसके अलावा उत्तर रेलवे पर बड़ी लाइन के 9471 माल-डिब्बों का लदान हुआ।

(ग) रेल प्रशासन ने चौथी योजना में सभी प्रत्याशित यातायात के लिए माल-डिब्बों की आवश्यकताओं का पूरा तखमीना लगा लिया है जिसमें हरी क्रान्ति के कारण प्रत्याशित यातायात को देखते हुए नश्य माल भी शामिल है।

(घ) चौथी पंचवर्षीय योजना के अलग-अलग वर्षों में वर्ष प्रतिवर्ष की प्रत्याशित आवश्यक-

ताओं के आधार पर निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार अतिरिक्त माल-डिब्बों की व्यवस्था की जायेगी। चौथी योजना के अतिरिक्त लेखे में कार्यक्रम के अनुसार माल-डिब्बों की कुल संख्या बड़ी लाइन पर 66,557, मीटर लाइन पर 8,323 और छोटी लाइन पर 1312 होगी।

**सरकारा उपक्रमों के लिए साम्य पूंजी, ऋण और अग्रिम धन-राशि की व्यवस्था**

3938. **श्री प्रेम चन्द वर्मा** : क्या **इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय के अधीन सरकारी उपक्रमों के सम्बन्ध में, प्रत्येक उपक्रम के लिये अलग-अलग, कितनी साम्य पूंजी, ऋण तथा अग्रिम राशि की व्यवस्था की गयी है;

(ख) इन उपक्रमों के कार्यकरण के परिणाम क्या हैं, उनको कितना लाभ अथवा हानि हुई, उनकी बिक्री तथा उत्पादन कितना है और उनके पास कितना स्टाक जमा है और क्या सरकार उनके कार्य से संतुष्ट है;

(ग) उनकी विशेष सफलताएँ क्या हैं और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या सरकार ने ऐसे उपक्रमों की ओर विशेष ध्यान दिया है, जो घाटे में चल रहे हैं और इस प्रवृत्ति को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई है?

**इस्पात तथा भारी इंजीनियरी मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) :**

(क) और (ख) एक विवरण सभा-पटल पर रखा गया। **[पुस्कालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1725/69]** वर्ष 1968-69 के लिए ठीक-ठीक सूचना अभी उपलब्ध नहीं है। वर्ष 1967-68 में हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड, भारी इंजीनियरिंग निगम और माइनिंग एण्ड एलाइड मशीनरी कारपोरेशन का काम संतोषजनक नहीं था।

(ग) हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड की विशेष उपलब्धि निर्यात के क्षेत्र में विशेष सफलता रही है—उनके निर्यात का जहाज तक निष्प्रभार मूल्य 1966-67 के 93.5 मिलियन रुपए से बढ़ कर 1967-68 में 309.6 रुपए हो गया।

(घ) जी हाँ। सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की कार्यकारिता और उनकी लाभदायकाता को उन्नत करने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपायों का संकेत फरवरी 1969 में बजट-पत्रों के साथ परिचालित सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों पर ज्ञापन में दिया गया है। हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के बारे में किए गए विशेष उपायों का ब्यौरा 5 अप्रैल, 1968 को सभा-पटल पर रखी गयी "परफौर्मेन्स ऑफ हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड" नामक पुस्तिका में दिया गया है। भारी इंजीनियरी निगम में रेलवे के दो अनुभवी वरिष्ट अधिकारियों को अप्रैल, 1969 में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है।

**नेशनल न्यूजप्रिंट एण्ड पेपर मिल्स लिमिटेड के कार्यकरण के परिणाम**

3939. **श्री प्रेम चन्द वर्मा :** **श्री गं० च० दीक्षित :**

क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने नेशनल न्यूजप्रिंट एण्ड पेपर मिल्स लि० के 31 मार्च, 1969 को समाप्त होने वाले वर्ष के कार्य-संचालन के परिणाम देखे हैं और क्या उसमें कोई प्रगति अथवा हानि दिखाई गई है;

(ख) क्या कम्पनी का कार्य गत वर्षों की तुलना में अच्छा रहा है, लाभ और हानि, उत्पादन, विक्रय, निर्यात तथा माल की सूची के तुलनात्मक आँकड़े क्या हैं;

(ग) क्या गत तीन वर्षों में वही अधिकारी कम्पनी को चला रहे थे और इसके प्रधान प्रबन्ध-निदेशक, तथा सचिव के नाम क्या हैं; वे कब से इन पदों पर काम कर रहे हैं; उनके वेतन तथा भत्तों का ब्यौरा क्या है और वे किन संगठनों अथवा विभागों से आये हैं; और

(घ) पिछली त्रुटियों को दूर करने के लिये गत वर्ष क्या कदम उठाये गए तथा क्या जनता में कम्पनी की प्रतिष्ठा को बनाने के लिए कोई कार्यवाही की जाती है?

**औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) :**

(क) से (घ) अपेक्षित जानकारी इकट्ठी की जा रही है और वह सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

**त्रिवेणी स्ट्रकचरल्स लिमिटेड, इलाहाबाद के कार्यकरण के परिणाम**

3940. **श्री प्रेम चन्द वर्मा :** क्या **इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उन्होंने त्रिवेणी स्ट्रकचरल्स, के 31 मार्च, 1969 को समाप्त होने वाले वर्ष के कार्य-संचालन के परिणाम देखे हैं तथा क्या उसमें कोई प्रगति अथवा हानि दिखाई गई है;

(ख) क्या कम्पनी का कार्य पिछले वर्षों की तुलना में अच्छा रहा है, लाभ तथा हानि, उत्पादन, विक्रय, निर्यात तथा माल की सूची के सम्बन्ध में तुलनात्मक आँकड़े क्या हैं;

(ग) क्या गत तीन वर्षों में कम्पनी का कार्य वही अधिकारी चला रहे थे; और इसके प्रधान, प्रबन्ध निदेशक तथा सचिव के नाम क्या हैं, वे कब से इस पदों पर कार्य कर रहे हैं तथा उनके वेतन तथा भत्ते आदि क्या हैं और वे किन संगठनों अथवा विभागों से यहाँ आये हैं; और

(घ) पिछली त्रुटियों को दूर करने के लिये गत वर्ष क्या विशेष कदम उठाये गए तथा क्या जनता में कम्पनी की प्रतिष्ठा को जानने के लिए कोई कार्यवाही की जाती है?

**इस्पात तथा भारी इंजीनियरी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) :**

(क) और (ख) कारखाने ने जो अब पूरा होने जा रहा है, कुछ वर्गों का उत्पादन जुलाई, 1968 से ही प्रारम्भ किया है। यद्यपि इ० ओ० टी० क्रेनों के परिचालन में कम्पनी के नियंत्रण से बाहर के कारणों से विलम्ब हुआ फिर भी उस वर्ष 2146.9 टन का उत्पादन हुआ जो 500 टन प्रतिमास के निर्धारित लक्ष्य की तुलना में 350 टन प्रति मास के लगभग था। कम्पनी के 1968-69 के लेखे की परीक्षा अभी पूरी होनी है।

(ग) कम्पनी के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा तथा इसके सचिव की नियुक्ति कम्पनी

द्वारा की जाती है। अध्यक्ष अंश-कालिक होता है और कम्पनी के कार्यों की देखभाल के लिए यात्रा-भत्ता तथा बोर्ड की सभाओं में शामिल होने के लिए बैठक-फीस के अतिरिक्त कोई वेतन अथवा भत्ता नहीं लेता। कम्पनी के प्रथम अध्यक्ष श्री के० बी० माथुर थे जो रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष पद से रिटायर हुए थे और वे कम्पनी के अध्यक्ष पद पर 7 दिसम्बर, 1965 से 6 दिसम्बर, 1966 तक रहे। उनके बाद इन्डियन इन्वेस्टमैंट संघ के कार्यपालक निदेशक श्री आर० वी० रमन अध्यक्ष बने और वे इस पद पर 12 जनवरी, 1968 से 14 अक्तूबर 1968, तक बने रहे। कम्पनी के वर्तमान अध्यक्ष इस्पात और भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय के सह-सचिव श्री ओ० एन० मिश्र हैं, वे 29 दिसम्बर, 1968 से अध्यक्ष पद पर हैं।

श्री पी० पी० दानी 15 नवम्बर, 1965 से कम्पनी के प्रबंध निदेशक हैं। इस नियुक्ति से तत्काल-पूर्व वे प्रशासी मंत्रालय में विशेष-कार्य अधिकारी थे और प्रायोजना के कार्यों की देखरेख कर रहे थे। उनका वेतन 3000 रुपए प्रति माह नियत है।

कम्पनी के सचिव एवं प्रशासन अधिकारी श्री जे० सी० पाण्डे हैं जो यू० पी० सिविल सेवा के अधिकारी हैं और यू० पी० सरकार से प्रतिनियुक्ति पर आये हैं। वे 29 मार्च, 1966 से इस पद पर हैं और उनका वर्तमान वेतन 1600-100-2000 के वेतन-क्रम में 2000) रुपए प्रति माह है।

(घ) पिछली त्रुटियों को दूर करने का प्रश्न नहीं उठता। यह एक नया कारखाना है जिसने हाल में ही उत्पादन प्रारम्भ किया है। इसी प्रकार कम्पनी की जनता में ख्याति की स्थापना के लिए किसी विशेष उपाय की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती। कम्पनी के अच्छे कार्य परिणामों से ख्याति स्वयं फैलेगी।

**Survey of Delhi Area for New Stations, Platforms and Halting Stations**

3941. **Shri Kanwar Lal Gupta** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether the Railways have carried out any surveys of Delhi in order to find out the number of new Railway stations, platforms, halting stations and other facilities needed to be provided;

(b) if so, the details thereof and if not, whether Government would carry out such a survey; and

(c) the action being taken by Government to provide more facilities in Delhi during the next two years ?

**The Minister of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) :**

(a) to (c) Studies of the additional facilities required in the Delhi area have been undertaken from time to time. Various proposals are at present under consideration.

**Railway Engines and Coaches**

3942. **Shri Kanwar Lal Gupta :** **Shri Onkar Singh :**
**Shri Ram Singh Ayarwal :** **Shri Sharda Nand :**

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the target fixed for the production of Railway engines and coaches during the last three years, the extent to which it has been achieved, the reasons for not achieving this target and the action taken by Government in regard thereto ; and

(b) the names of countries to which Railway equipment was exported during the last two years and the quantity thereof ?

**The Minister of Railways (Dr. Ram Subhag Singh):**

(a) and (b) A statement is laid or the table of the house. **[Placed in Library. See No. LT—1726/69]**

## बिलेटों का निर्यात

3943. **श्री सीताराम केसरी :** क्या **इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि 1968-69 में बिलेट तथा कच्चे लोहे का निर्यात लक्ष्य से बहुत कम रहा है;

(ख) यदि हाँ, तो उसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या यह भी सच है कि लोहे तथा इस्पात सम्बन्धी मार्गदर्शी दल ने लोहे तथा इस्पात के निर्यात में लगातार वृद्धि करने की सिफारिश की है; और

(घ) यदि हाँ, तो इस बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है?

**इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) :**

(क) जी, नहीं। कच्चे लोहे का निर्यात लक्ष्य से बढ़ गया जबकि बिलेट का निर्यात कुछ ही कम रहा।

(ख) बिलेट के निर्यात में कमी का कारण यह है कि पुनर्वेलकों की बिलेट की बढ़ती हुई माँग को देखते हुए सरकार ने 1969 में शुरू में यह फैसला किया था कि बिलेट का निर्यात मुख्यत: पहले किए गए वायदों को पूरा करने के लिए ही किया जाय।

(ग) जी, हाँ।

(घ) पाँचवी योजना अवधि में देश में इस्पात का उत्पादन बढ़ाने के लिए कार्यवाही शुरू की जा रही है।

## बरौनी-कटिहार लाइन को बड़ी लाइन में बदलना

3944. **श्री सीताराम केसरी :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बरौनी-कटिहार लाइन को बड़ी लाइन में बदलने की योजना स्वीकार कर ली गई है;

(ख) यदि हाँ, तो यह कार्य कब आरम्भ होने की सम्भावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार इस कार्य को तुरन्त आरम्भ करने पर विचार करेगी?

**रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) :**

(क) से (ग) बरौनी-कटिहार मीटर लाइन को बड़ी लाइन में बदलने के लिए 9-6-69 को स्वीकृत प्रारम्भिक इंजीनियरिंग और यातायात सर्वेक्षण किए जा रहे हैं। आमान-परिवर्तन के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय उपर्युक्त सर्वेक्षणों के परिणाम मालूम होने पर ही किया जायेगा।

### उत्पादन में कार्यकुशलता प्राप्त करने के लिये संतुलनकारी उपकरणों के लगाने पर प्रतिबन्ध

3945. **श्री सीताराम केसरी :** क्या औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 के उपबन्धों और इसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों के अधीन किसी कारखाने को अपने संयंत्र की क्षमता बढ़ाये बिना अपने उत्पादन में कार्य-कुशलता प्राप्त करने के लिए संतुलनकारी उपकरण लगाने का अधिकार नहीं है ?

**औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद):**

जी, नहीं। वास्तव में 29 नवम्बर, 1966 से लाइसेंस देने की प्रक्रिया को उद्धृत किए जाने की घोषणा की गई थी और औद्योगिक उपक्रमों को अपनी लाइसेंस प्राप्त क्षमता से 25 प्रतिशत तक अधिक उत्पादन करने की स्वतंत्रता दे दी गई थी बशर्ते कि वे विना अतिरिक्त मशीनों तथा संयंत्र (देय में प्राप्त कुछ थोड़े से संतुलन उपकरणों को छोड़ कर) के ऐसा कर सकते हों और उसमें न तो विदेशी मुद्रा पर कोई अतिरिक्त व्यय किया गया हो और न ही उसके लिये दुर्लभ कच्चे माल का कोई अतिरिक्त आवन्टन होगा ।

### Confirmation of A. S. Ms. on Northern and N. E. Railways

3946. **Shri Ranjeet Singh : Shri Brij Bhushan Lal : Shri Jagannath Rao Joshi : Shri Atal Behari Vajpayee : Shri Suraj Bhan : Shri Ram Gopal Shalwale :**

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Assistant Station Masters have not been confirmed in Delhi Division since 1966 ; in Bikaner Division since 1956 and in Fatehgarh and Izatnagar since 1955 ;

(b) if so, the reasons therefor ;

(c) whether they would be treated as confirmed after the completion of their one year's service ; and

(d) whether they would be given compensation for the loss sustained by them during this period and, if not, the reasons therefor ?

**The Minister of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) :**

(a) The position of confirmation of Assistant Station Masters in various Divisions is as under :—

| Name of Division | Period upto which confirmations have been ordered |
|---|---|
| Delhi | September 1947 |
| Bikaner | July 1968 |
| Fatehgarh | 1969 |
| Izatnagar | 1969 |

(b) The delay in confirmation of the Assistant Station Masters in the Delhi Division is due to a dispute in fixation of seniority of Assistant Station Masters belonging to various groups. A final decision has since been taken in regard to seniority and efforts are being made to issue necessary orders of confirmation early.

(c) and (d) No. Confirmation depends upon availability of permanent posts and further fulfilment of certain pre-requisites by the concerned employees *viz.* suitability, passing of obligatory examination like First Aid Examination, payment of security deposit etc.

**Committee on Bokaro Steel Plant**

3947. **Shri Ranjeet Singh :** **Shri Brij Bhusan Lal :** **Shri Jagannath Rao Joshi :** **Shri Atal Bihari Vajpayee :** **Shri Suraj Bhan :** **Shri Ram Gopal Shalwale :**

Will the Minister of **Steel and Heavy Engineering** be pleased to state .

(a) whether the report of the Bokaro Steel Plant Committee has been received by Government ;

(b) if so, the details thereof and the reaction of Government thereto ;

(c) the steps taken in the matter and the results thereof ; and

(d) if no action has been taken in the matter, the reasons for the inordinate delay ?

**The Minister of State in the Ministry of Steel and Heavy Engineering (Shri K. C. Pant):**

(a) No, Sir.

(b) Does not arise.

(c) and (d) The task assigned to the Committee is mainly to examine the possibilities of economy of land requirements, construction of township and personnel requirements at Bokaro. All the necessary studies and enquiries for this purpose and in relation to the current and future requirements of Bokaro have been completed. It has not been possible to finalise the report of the Committee yet due to the absence abroad of one of the members of the Study Team and other pressing preoccupations of some of the members.

**अलाभप्रद शाखा रेलवे-लाइन सम्बन्धी समिति**

3948. **श्री मोहन स्वरूप :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) "भारतीय रेलवे की अलाभप्रद शाखा लाइनों" के कार्यकरण की जाँच करने के लिये सरकार द्वारा नियुक्त समिति की अब तक कितनी बैठक हुई हैं; और

(ख) इस समिति ने क्या सिफारिश अथवा सुझाव दिए हैं?

**रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह)** :

(क) इस समिति की अब तक तीन बैठकें हुई हैं और इसने 15 अलाभप्रद शाखा लाइनों का दौरा किया है।

(ख) समिति द्वारा अभी तक कोई सिफारिश या सुझाव नहीं दिए गए हैं, क्योंकि अभी जाँच पूरी नहीं हुई है।

### Theft of Cabins of Air-Conditioned Coach

3949. **Shri J. Sundar Lal** : **Shri Narain Swarup Sharma** : **Shri Ram Swarup Vidyarthi** : **Shri P. M. Sayeed** : **Shri Om Prakash Tyagi** :

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether his attention has been drawn to the news-item published in the Indian Express dated the 17th May, 1969 that the cabins of the air-conditioned coach, by which he was to travel, were stolen and on an enquiry the Railway officials stated that that was an ordinary incident of theft and was of a routine nature ;

(b) if so, the action taken against the Security Police by the Railway Officials who are unable to check such incidents of thefts ; and

(c) the steps being taken by Government to check such incidents of theft ?

**The Minister of Railways (Dr. Ram Subhag Singh)** :

(a) Yes, but an attempt was made to cut the kent coupler of the coach marshalled next to the coach in which Minister of Railways was travelling, which was detected in time and the cut kent coupler which was not stolen, was replaced.

(b) Railway Protection Force has heen able to check the incidence of theft of electrical fittings in Delhi and New Delhi yards in the recent past.

(c) Patrolling in Delhi and New Delhi yards has been intensified and extra men have been detailed to collect crime intelligence.

### Direct Train Service from Delhi to Varanasi

3950. **Shri J. Sundar Lal** : **Shri Narain Swarup Sharma** : **Shri Om Prakash Tyagi** :

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that there is no direct Railway train service from Deihi to Varanasi via Moradabad-Lucknow and the passengers are experiencing considerable difficulty on this Railway line;

(b) whether it is also a fact that the trains running between Delhi and Lucknow remain heavily crowded ;

(c) if so, whether Government would consider starting a direct Railway train service from Delhi to Varanasi via Moradabad-Lucknow ; and

(d) if not, the reasons therefor and the other measures being taken to provide facilities to the passengers on this line ?

**The Minister of Railways (Dr. Ram Subhag Singh)** :

(a) For the convenience of passengers between Delhi and Varanasi, 13 UP/14Dn. Upper India Express running by the direct route via Allahabad provide convenient services. With effect from 1-10-69, it is also proposed to run the biweekly 81/82 Howrah-New Delhi

ir-conditioned Expresses via Varanasi. Similarly for passengers between Moradabad/ ucknow and Varanasi, a large number of direct trains including 5/6 Howrah-Amritsar Aails, 51/52 Sealdah-Pathankot Expresses and 9/10 Hawrah-Dehradun Express are available.

For the few through passengers desirous of travelling from Delhi (ex)-Moradabad ection towards Varanasi, convenient connected services with a change at Moradabad ucknow are also available.

(b), (c) and (d) Apart from the question of traffic justification, introduction of a irect train between Varanasi and Delhi via Moradabad is not at present operationally feasile for want of requiste resources by way of line capacity on certain sections enroute etc. Vith the augmentation of the loads of 29Up/30Dn. Lucknow-New Delhi Mails, consequent pon their dieselisation from 1-7-1969, considerable relief has however become available the public on New Delhi-Moradabad-Lucknow route.

**डालमिया की फर्में**

3951. **श्री क० लकप्पा :** **श्री ए० श्रीधरन :**

क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस समय जो डालमिया-फर्म हैं उनके नाम क्या हैं ;

(ख) उन फर्मों का पूंजी-निवेश क्या है;

(ग) इनमें कितने कर्मचारी काम कर रहे हैं;

(घ) सरकार ने गत तीन वर्षों में इन कम्पनियों के समूह को कितनी राशि दी; और

(ङ) धन देने वाली एजेंसियों के नाम क्या हैं और उन्होंने यह किस ब्याज-दर पर दिया है?

**औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) :** (क) और (ख) एकाधिकार जाँच आयोग द्वारा, डालमिया समूह में सम्मिलित की गई कम्पनियों के नाम तथा 1967-68 में इन कम्पनियों में से प्रत्येक की प्रदत्त पूंजी दिखाता हुआ एक विवरण-पत्र सभा-पटल पर रखा गया है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1727/69**]

(ग) सूचना उपलब्ध नहीं है, क्योंकि कम्पनी अधिनियम 1956 के उपबन्धों के अन्तर्गत कम्पनियों के लिये इसे भेजना अपेक्षित नहीं है।

(घ) और (ङ) सूचना संग्रह की जा रही है, व सदन के पटल पर प्रस्तुत कर दी जायेगी।

**मेसर्स स्टैंडर्ड ड्रम एण्ड बैरल मेन्यूफैक्चरिंग कम्पनी, बम्बई**

3952. **श्री जार्ज फरनेन्डीज़ :** क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसर्स स्टैंडर्ड ड्रम एण्ड बैरल मैन्यूफैक्चरिंग कम्पनी, बम्बई द्वारा वर्ष 1954 में सेवरी

में लगाई गई मशीनों तथा उपकरणों की विस्तृत सूची क्या है तथा उनके द्वारा अपने संयंत्रों में 1959 तक क्या वृद्धि की गई;

(ख) वर्ष 1959 में उनके द्वारा सेवरी से ट्राम्बे ले जाई गई मशीनों तथा उपकरणों आदि की विस्तृत सूची क्या है और उसके बाद उनमें क्या वृद्धि की गई है;

(ग) क्या तेल के ड्रम बनाने के कारखाने को ट्राम्बे ले जाने के बाद उसके पास सेवरी में छोटे ड्रमों का निर्माण करने का कोई संयंत्र भी था; और

(घ) यदि हाँ, तो क्या सरकार द्वारा उनको छोटे ड्रमों के निर्माण के लिए कोई कच्चा माल दिया जा रहा है?

**औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) :**

(क) और (ख) दिनांक 23-7-68 को लोक सभा में पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या 374 के भाग (ग) के उत्तर में दी गई सूची 1, जिसमें कम्पनी को 1954 में उपलब्ध मशीनों की जानकारी दी गई है, की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है। बाकी जानकारी का निश्चय किया जा रहा है और वह सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

(ग) जी, हाँ।

(घ) जी, हाँ।

**हाई स्पीड रोटरी मशीनों का निर्माण**

3953. **श्री जार्ज फरनेन्डींज : श्री दा० ना तिवारी :**

क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बम्बई के श्री हरदयाल हांडा ने भारत में एक अधिक गति वाली रोटरी मशीन बनाई है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या श्री हांडा ने अपने आविष्कार की समूची तकनीकी जानकारी उपलब्ध करने के बारे में हिन्दुस्तान मशीन टूल्स से पेशकश की है;

(ग) क्या हिन्दुस्तान मशीन टूल्स ने श्री हांडा की पेशकश को अस्वीकार कर दिया है;

(घ) यदि हाँ, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ङ) क्या भारत में अधिक गति वाली रोटरी मशीनें बनाने के लिये, हिन्दुस्तान मशीन टूल्स किसी विदेशी फर्म के साथ सहयोग करने पर विचार कर रहा है?

**औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) :**

(क) मैसर्स ग्रैफिक रोटरी मैन्यूफैक्चरिंग कारपोरेशन, बम्बइ के श्री गुरदियाल हांडा ने यह दावा किया है कि उन्होंने पूर्ण रूप से एक देशी हाई स्पीड रोटरी मशीन अविष्कृत की है।

(ख) हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड को ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं मिला है। फिर भी,

श्री हांडा ने अपने आविष्कार को उचित मान्यता प्राप्त करने के बारे में सरकार से अनुरोध किया है।

(ग) और (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

(ङ) हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड का विचार साधारण किस्म की मशीनों जैसे सिलेन्ड्रीकल लैटर प्रेसों तथा आफसेट प्रिंटिंग प्रेसों का निर्माण स्थापित करवाने के पश्चात् विदेशी सहयोग से मुद्रण मशीन परियोजना के अन्तर्गत रोटरी मशीनों के निर्माण करने का है।

**Hindi officers and Hindi Translators in Railway Offices**

3954. **Shri Ram Swarup Vidyarthi :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the number of offices and autonomous organisations under his Ministry and the places where they are situated ;

(b) the names of offices in which the Hindi Officers and Hindi Translators are working;

(c) the manner in which the Hindi work is conducted in those Offices in which Hindi Officers and Translators have not been appointed and whether Hindi letters are replied to in Hindi;

(d) whether the Hindi Officers and Hindi Translators are proposed to be appointed in all such Offices and organisation ; and

(e) if so, when and, if not, whether the anti-Hindi atmosphere of his Ministry is causing hinderance in this regard?

**The Minister of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) :**

(a) There are no autonomous organisations under the Ministry of Railways. The major offices under the Ministry of Railways are the nine Zonal Railways, three Production Units and one attached office *viz* :—

| **Zonal Railways** | **Headquarters.** |
|---|---|
| 1. Central Railway | Bombay. |
| 2. Eastern Railway | Calcutta. |
| 3. Northern Railway | New Delhi. |
| 4. North-Eastern Railway | Gorakhpur. |
| 5. North-east Frontier Railway | Gauhati. |
| 6. Southern Railway | Madras. |
| 7. South-Central Railway | Secunderabad. |
| 8. South-Eastern Railway | Calcutta. |
| 9. Western Railway | Bombay. |

(These Zonal Railways have under them Divisional/District offices).

| **Production Units** | **Headquarters** |
|---|---|
| 1. Chittaranjan Locomotive Works | Chittaranjan. |
| 2. Diesel Locomotive Works | Varanasi. |
| 3. Integral Coach Factory | Perambur (Madras). |
| **Attached Office** | |
| Research Designs and Standards Organisation, | Lucknow. |

(b) At present there are no posts of Hindi Officers on the Zonal Railways. Names of offices in which Hindi Translators have been appointed are given in Annexure 'A' laid on the table of the House. [**Placed in Library. See No. LT**-1728/69].

(c) The Hindi work is attended to by Hindi-knowing officers and staff. As far as possible, Hindi letters are replied to in Hindi.

(d) The Railways have been asked to review the existing arrangements for translation work and come up with proposals for additional posts that may be required.

(e) Proposals are still awaited from some of the Railways. The question of providing additional staff for Hindi work will be considered when proposals from all Railways are received.

## दुर्गापुर इस्पात कारखाने की धमन भट्टी नं० 2 की मरम्मत करना तथा उसको चालू करना

3955. **श्री मुहम्मद शरीफ :** क्या **इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दुर्गापुर इस्पात कारखाने की धमन भट्टी नं० 2 की, जिसमें अभी हाल में बड़ी खराबी आ गई थी, मरम्मत कर दी गई है तथा उसे चालू कर दिया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो मरम्मत पर कुल कितना व्यय हुआ है; और

(ग) भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचने के लिए क्या कार्यवाही की गई है?

**इस्पात तथा भारी इंजीनियरी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) :**

(क) 12 अप्रैल, 1969 को दुर्गापुर इस्पात कारखाने की धमन भट्टी नं० 2 उष्मसह खराब हो गया था। आवश्यक मरम्मत के बाद भट्टी को 16 अप्रैल, 1969 को चालू किया गया।

(ख) प्रत्यक्ष रूप में कोई खर्च नहीं पड़ा। मरम्मत का काम उष्मसह ईंटों की ख़राबी की जगह को उष्मसह मिट्टी भर कर पूरा किया गया।

(ग) धमन भट्टी और इसके उष्मसह के कार्य-करण के संबंध में आवश्यक-तकनीकी सुधार के लिए कदम उठाए गए हैं। परन्तु अत्यधिक समुन्नत देशों में भी इस तरह की खराबी असंभव नहीं है।

## अधिक गति वाली गाड़ियाँ

3956. **श्री मुहम्मद शरीफ :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे निकट भविष्य में अधिक गति वाली गाड़ियाँ चलाने के बारे में योजना बना रही है;

(ख) यदि हाँ, तो अधिक गति वाली गाड़ियाँ किन मार्गों पर चलेंगी; और

(ग) अधिक गति वाली गाड़ियाँ कब से चलनी आरम्भ हो जायेंगी?

**रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) :**

(क) और (ख) निम्नलिखित दो मार्गों पर तेज रफ्तार की गाड़ियों को चालू करने के लिये व्यावहारिकता अध्ययन करने का विचार किया जा रहा है:—

(i) दिल्ली-बम्बई (कोटा के रास्ते) और

(ii) दिल्ली-अहमदाबाद (मीटर लाइन)

(ग) तेज रफ्तार की गाड़ियाँ शुरू करने का कार्यक्रम अध्ययन के परिणामों पर निर्भर करेगा।

**अल्प संख्यकों की परिभाषा**

3957. **श्री कार्तिक उरांव** : क्या **विधि तथा समाज-कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास मार्गदर्शन के लिये "अल्प संख्यक" शब्द की कोई परिभाषा है;

(ख) क्या कुछ विशेष परिस्थितियों में एक अल्पसंख्यक वर्ग का व्यक्ति अनुसूचित जातियों/अनुसूचित आदिम जातियों का व्यक्ति बन सकता है; और

(ग) क्या भिन्न-भिन्न प्रयोजनों के लिए भिन्न-भिन्न अस्तित्व रखने का अधिकार संविधान के उपबंधों के अंतर्गत सम्भव है?

**विधि मंत्रालय तथा समाज-कल्याण विभाग में उप मंत्री (श्री मुत्यालराव)** :

(क) से (ग) संविधान के अनुच्छेद 29 में किसी भी नागरिक-वर्ग को जिसकी अपनी अलग भाषा, लिपि अथवा संस्कृति है, उसे बनाए रखने की गारंटी दी गई है, तथा अनुच्छेद 30 में धर्म अथवा भाषा पर आधारित सभी अपसंख्यकों को अल्पनी शिक्षा संस्थाओं का अपनी इच्छानुसार प्रशासन करने का अधिकार दिया गया है। अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 341 तथा 342 के अन्तर्गत किया गया है। किसी भी नागरिक-वर्ग के लिए, जिसमें अनुसूचित जातियाँ अथवा अनुसूचित आदिम जातियाँ या उनके वर्ग शामिल हैं, अनुच्छेद 29 तथा 30 के अधीन अधिकारों का दावा करना सम्भव है।

**अखिल भारतीय सेवाओं के लिए अनुसूचित जातियों/अनुसूचित आदिम जातियों के उम्मीदवारों की मौखिक परीक्षा**

3958. **श्री कार्तिक उरांव** : क्या **विधि तथा समाज-कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि भारतीय प्रशासनक सेवा/भारतीय पुलिस सेवा/भारतीय विदेश सेवा/भारतीय वन सेवा में भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग द्वारा ली जाने वाली मौखिक परीक्षा में बैठने वाले अनुसूचित जातियों/अनुसूचित आदिम जातियों के अधिकांश उम्मीदवार उनके लिये रक्षित स्थानों के लिये भी उपयुक्त नहीं पाये जाते हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो अनुसूचित जातियों ने अनुसूचित आदिम जातियों के उम्मीदवारों के पक्ष में उपयुक्त तरीके अपनाने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही करने का विचार है ताकि वे इस परीक्षा में सफल हो सकें और उनके लिये रक्षित स्थान भर सकें?

**विधि मंत्रालय तथा समाज-कल्याण विभाग में उप मंत्री (श्री मुत्यालराव)** :

(क) नहीं, श्रीमान्।

(ख) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के जो विद्यार्थी भारतीय प्रशासनिक सेवा, इत्यादि की परीक्षाओं में बैठना चाहते हैं, उन्हें कोचिन्ग देने के लिये भारत सरकार इलाहाबाद तथा मद्रास में परीक्षा-पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र चला रही है।

**Manufacture of Heavy Compressors and Special Pumps**

3959. **Shri Maharaj Singh Bharati :** Will the Minister of **Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs** be pleased to state :

(a) the progress made so far in manufacturing heavy compressors and special pumps ; and

(b) the time by which the country would become self-sufficient in this regard?

**The Minister of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed) :**

(a) A few firms in the private sector have recently been permitted to take up the manufacture of certain ranges of compressors but the country is still far from self-sufficiency in so far as heavy compressors are concerned. Similarly, while requirements of special types of pumps are by and large being met indigenously, certain ranges of sophisticated pumps are still being imported. A proposal to set up a plant in the public sector for the manufacture of special types of pumps and heavy compressors, which are still being imported, is under consideration of the Government.

(b) It is expected that a substantial portion of the requirements of the country would be met after the proposed plant for the manufacture of special types of pumps and compressors goes into production.

**Introduction of Plastic Railway Wagons on Indian Railways**

3960. **Shri Maharaj Singh Bharati ;** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that plastic wagons are being used by the under-ground Railway in Frankfurt, Germany;

(b) whether it is also a fact that the weight of such wagons is 25 per cent less and as such more load can be carried with less power ; and

(c) if so, whether Government have considered the utility and economy of introducting plastic wagons to tackle the heavy traffic problem around big cities in India ?

**The Minister of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) :**

(a) According to the information available, the under-ground Railway in Frankfurt, Germany, operates only passenger services and there being no goods trains on this system, the use of wagons does not arise.

(b) and (c) Do not arise.

**बीजू पटनायक उद्योग समूह**

3961. **श्री ए० श्रीधरन :** **श्री क० लकप्पा :**

क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस समय देश में चल रहे बीजू पटनायक उद्योग समूह तथा सार्थों के नाम क्या हैं;

(ख) इन सार्थों में कितनी पूंजी लगी हुई है;

(ग) उनमें कार्य कर रहे कर्मचारियों की संख्या कितनी है;

(घ) गत तीन वर्षों में इस उद्योग समूह को सरकार द्वारा कितना ऋण दिया गया; और

(ङ) ऋण देने वाली एजेंसियों के नाम और व्याज की दर क्या है?

**औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) :**

(क), (ख), (घ) और (ङ) सूचना संग्रह की जा रही है व सदन के पटल पर प्रस्तुत कर दी जायेगी।

(ग) यह सूचना उपलब्ध नहीं है, क्योंकि कम्पनी अधिनियम, 1956 के उपबन्धों के अन्तर्गत, कम्पनियों के लिये इसे भेजना अपेक्षित नहीं है।

**Loss in Production and Damage to property of Durgapur Steel Plant as a result of Labour troubles**

3962. **Shri Raghuvir Singh Shastri :** Will the Minister of **Steel and Heavy Engineering** be pleased to state :

(a) the loss in production and the damage caused to the machines and property due to indiscipline and labour disputes etc. in the Durgapur Steel Plant during the last three years ;

(b) whether the cooperation of the State Government had been sought to maintain peace and to prevent such incidents of sabotage in this plant ; and

(c) if so, the results thereof ?

**The Minister of State in the Ministry of Steel and Heavy Engineering (Shri K. C. Pant) :**

(a) A number of units at the Durgapur Steel Plant have been affected and even damaged in varying degress as a result of the general labour situation prevailing at the Plant. It is difficult to quantify individually loss resulting from 'indiscipline' "labour unrest", etc. It is, however, estimated that labour troubles in general have resulted in loss of production as follows :

| | Loss of saleable Pig iron and saleable steel (in tonnes) | |
|---|---|---|
| 1966—67 | 62098 | +904 wheel sets. |
| 1967—68 | 72416 | |
| 1968—69 | 78485 | +100 wheel sets. |

(b) and (c) The coroperation of the State Government is sought for maintenance of law and order. The Minister of Steel and Heavy Engineering has also discussed this matter with the Chief Minister and the Deputy Chief Minister of West Bengal and it is hoped that the situation will improve.

### अखिल भारतीय स्टेशन मास्टर संघ द्वारा माँग-पत्र

3963. **श्री यशपाल सिंह :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 2 दिसम्बर, 1968 को अखिल भारतीय स्टेशन मास्टर संघ द्वारा प्रस्तुत माँग-पत्र पर सरकार ने इस बीच विचार कर लिया है;

(ख) यदि हाँ, तो माँग-पत्र का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा उस पर क्या निर्णय किया गया है?

**रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह):**

(क) से (ग) स्टेशन मास्टरों की एसोसियेशन की माँगें आम तौर पर वेतन-मान में संशोधन, पदोन्नति सरणि आदि से सम्बन्धित थीं। इनकी जाँच की गयी है लेकिन इन्हें स्वीकार नहीं किया जा सका। फिर भी उनके लिए पदोन्नति की एकीकृत सरणि निर्धारित करने के प्रश्न पर रेल प्रशासनों के परामर्श से पहले से ही विचार किया जा रहा है। साथ ही, जो कर्मचारी अपने वेतन-मान के अधिकतम पर पहुँच चुके हैं, उन्हें कुछ राहत देने के प्रश्न पर भी विचार किया जा रहा है।

### वर्धा फाउण्ड्री फोर्ज परियोजना पर अत्यधिक व्यय

3964. **श्री लोबो प्रभु :** क्या औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्धा फाउन्ड्री फोर्ज परियोजना की, जिसे आवश्यकता न होने के कारण 27.98 लाख रुपए की पूंजी लगाने के बाद इसलिए त्याग दिया गया था क्योंकि इसकी आवश्यकता नहीं समझी गई थी स्वीकृति किसने दी थी; और

(ख) क्या इसके लिए जिम्मेदारी निर्धारित की गई है तथा तदनुसार कार्य किया गया है और यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं?

**औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मन्त्री ( श्री फखरुद्दीन अली अहमद) :**

(क) और (ख) इस उद्योग के सरकारी क्षेत्र की विभिन्न परियोजनाओं में उपलब्ध क्षमता का ध्यान में रखते हुए सरकार ने वर्धा में एक फाउन्ड्री फोर्ज संयंत्र स्थापित करने का निश्चय किया था और इसकी एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिये चैकोस्लोवाकिया से सहयोग लिया गया था। किन्तु जब तक यह प्रतिवेदन प्राप्त हुआ और उस पर विचार किया गया तब तक इस उद्योग की माँग का स्वरूप ही बिल्कुल बदल गया। विद्यमान उपलब्ध क्षमता तथा ढलाई-गढ़ाई की तदोपरान्त माँग को देखते हुए सरकार ने यह निश्चय किया कि फिलहाल इस परियोजना को कार्यान्वियन न दिया जाये। ऐसी परिस्थितियों में इस मामले में उत्तरदायित्व के निर्धारण करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

### शू लास्ट फेक्ट्री, आगरा में उत्पादन

3965. **श्री लोबो प्रभु :** क्या औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आगरा के 'शू लास्ट कारखाने' को पाँच वर्ष तक 33 रुपए 30 पैसे प्रति जोड़े की औसत लागत पर उत्पादन जारी रखने की अनुमति क्यों दी गई जबकि अनुमानित लागत 9 रुपए 60 पैसे थी और विक्रय-मूल्य 12 रुपए 10 पैसे था; और

(ख) क्या जिम्मेवारी निर्धारित की गई है और 1967–68 तक 7.01 लाख रुपए की हानि के बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

**औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद):**

(क) और (ख) जूतों के छोटे निर्माताओं द्वारा शुद्ध माप वाले फर्मे बनाना प्रारम्भ करना तथा शुद्ध माप वाले फर्मों का प्रयोग करने की शिक्षा देना विशेष रूप से निर्यात व्यापार के लिए और जूतों के वर्तमान फर्म निर्माताओं को सामान्य सेवा सुविधाएँ एवं प्रशिक्षण देना शू लास्ट के लिए पाइलट परियोजना की स्थापना का मुख्य उद्देश्य था। यह केन्द्र विकासशील परियोजना के रूप में स्थापित किया गया पूर्ण रूपेण व्यापारिक एकक के रूप में नहीं। मूलभूत अनुमान कुछ विशेष प्रकार की लकड़ी पर आधारित था जो अनुपयुक्त सिद्ध हुई तथा तीन गुनी कीमत लकड़ी, चुननी पड़ी थी। जूते के फर्मे के अधिक मूल्य होने के कुछ अन्य कारण छोटे निर्माताओं द्वारा परम्परागत ढंग से जूते बनाने के कारण बड़ी मात्रा में क्रयादेशों की कमी-लकड़ी सिझाने के लिये स्थानीय सुविधाओं की कमी तथा लकड़ी का अनियमित संभरण आदि हैं।

विभिन्न उपायों से ऊपरी खर्चों में कमी करने समेत कीमत में कमी करने के लिए पहले ही कार्यवाही की जा चुकी है। किसी एक अधिकारी के घाटे के लिये उत्तरदायी ठहराने का प्रश्न ही नहीं उठता क्योंकि यह एकक छोटे एककों के उत्पादन की किस्म में सुधार करने के लिये एक पाइलट परियोजना के रूप में प्रारम्भ किया गया था, पूर्णरूपेण व्यापारिक उद्यम के रूप में नहीं।

### लघु सेवा संस्थान, आगरा

3966. **श्री लोबो प्रभु** : क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आगरा स्थित लघु सेवा संस्थान के लिये 1959 में 1.16 लाख रुपए अधिशुल्क तक 292 रुपए वार्षिक किराये पर ली गई भूमि को किन कारणों से प्रयोग में नहीं लाया गया है; और

(ख) क्या विलम्ब के लिये किसी को उत्तरदायी ठहराया गया है ?

**औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद):**

(क) और (ख) आगरे के लघु उद्योग सेवा संस्थान के लिए जमीन 1959 में खरीदी गई थी। लघु उद्योग सेवा संस्थान की इमारत बनाने का प्रश्न प्रिशीजन शू लास्टस फैक्टरी तथा सेंट्रल फुटवियर ट्रेनिंग सेंटर, आगरे की इमारतों के बनाने के साथ जुड़ा है। जब इन तीनों इमारतों के बने हुए नक्शों को 1960 में जाँचा जा रहा था तो इसी बीच उत्तर प्रदेश सरकार से लघु उद्योग सेवा संस्थान की इमारत को औद्योगिक बस्ती, आगरा में बनाने का एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ जहाँ उत्तर प्रदेश सरकार जमीन देने को तैयार थी। अतः एक अस्थायी निर्णय लिया गया कि लघु उद्योग सेवा

संस्थान की इमारत औद्योगिक बस्ती क्षेत्र में बनेगी तथा पी० एस० एल० कारखाना औद्योगिक बस्ती में प्राप्त एक मकान को खरीद कर उसमें स्थापित किया जायेगा एवं सी० एफ० टी० सी० की इमारत ही केवल उस जमीन पर बनेगी जो मूलतः लघु उद्योग सेवा संस्थान के लिए खरीदी गई थी और बाकी की बची जमीन को राज्य सरकार को वापिस लौटा दिया जायेगा । राज्य सरकार जमीन का भाग अथवा 5 एकड़ से कम जमीन वापिस लेने को सहमत नहीं थी । अंतिम निर्णय लिया जाने से पूर्व ही चीन के आक्रमण के कारण 1962 में आपातकालीन स्थिति घोषित हो गई और नई इमारतों के बनाने पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया।

1966 में प्रतिबन्ध उठाया गया तथा देश के विभिन्न भागों में लघु उद्योग सेवा संस्थानों की नई इमारतें बनाने के प्रश्न पर को नए सिरे से लिया गया। धन की कमी तथा घाटे के बजट में कमी करने के लिए दृढ़ता से आर्थिक बचत की आवश्यकता को देखते हुए सरकार ने निश्चित किया कि भविष्य में लघु उद्योग सेवा संस्थानों तथा विस्तार केन्द्र की इमारतें बनाने का काम उसी स्थिति में किया जायेगा जहाँ कि वर्तमान किराये बहुत अधिक दिये जा रहे हैं। आगरे का संस्थान इसके अन्तर्गत ही आयेगा तथा केन्द्रीय सार्वजनिक निर्माण विभाग से अभिन्याय तथा प्राक्कलन प्राप्त करने का कार्य प्रारम्भ हो गया है।

**Levy of Heavy Taxes on Cars**

3967. **Shri Om Prakash Tyagi :** Will the Minister of **Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs** be pleased to state:

(a) the ex-factory price of cars manufactured in India;

(b) the amount of different taxes realised by Government in respect of each such car ;

(c) whether Government are not creating difficulties in the functioning of the car industry and in meeting their demand by imposing heavy taxes and thereby increesing the prices thereof in this manner; and

(d) if not, the reasons for levying heavy taxes on cars ?

**The Minister of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed) :**

(a) The ex-factory retail prices of the three makes of cars are as follows :—

| **Make of car** | **Ex-factory retail price** |
|---|---|
| Ambassador | Rs. 14,892,00 |
| Fiat | Rs. 13,551,00 |
| Standard Herald 4-door | Rs. 14,003,00 |

(b) The amounts of different taxes realised in respect of each of the cars are as follows :—

| | **Ambassador** | **Fiat** | **Standard Herald** |
|---|---|---|---|
| | Rs. | Rs. | Rs. |
| Excise duty and surcharge thereon paid on complete vehicles | 1,840.00 | 1,688.00 | 1,779.80 |
| Central Sales Tax | 472.94 | 430.95 | 455.67 |
| State Sales Tax as in Delhi | 1,796.16 | 1,624.75 | 1,737.41 |
| Registration | 16.00 | 1.600 | 16.00 |
| Road Tax for one quarter | 25.00 | 20.00 | 20.00 |
| OTAL | 4,150.10 | 3,779.70 | 4,008.88 |

In addition, there is some incidence of Government levies on the components and raw materials which go into the making of the car but details of the exact amount of such levies in respect of each make of car are not available.

(c) and (d) Levy of taxes on cars (or any other product) is a matter of Government policy. The justification for and the consequences of such taxes cannot be discussed within the scope of a reply to a question.

**Investment on Industrial Development**

3968. **Shri Om Prakash Tyagi** : Will the Minister of **Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that investment made for industrial development during the last three years has been very much less than in the previous years;

(b) whether it is also a fact that Banks are not getting clients who take loans for industrial development ; and

(e) if so, the causes of this staggerring in the industrial field and the steps taken by Government to remove them ?

**The Minister of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed)** :

(a) to (c) The information is being collected and will be laid on the Table of the House in due course.

**Criticism by Shri J.R.D. Tata Regarding Industrial Development of India**

3969. **Shri Om Prakash Tyagi** : Will the Minister of **Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn to the criticism made by Shri J.R.D. Tata at the meeting of the Central Industrial Advisory Committee that the carelessness of Government machinery and their habit of taking decisions late has created a wrong impression in foreign countries about Government and the people of the country and that it takes two years in all to set up a factory in a country like Malayasia while in India it takes two years in only getting a permit for the factory;

(b) if so, the steps taken or proposed to be taken by the Government of India to remove this slow speed in the working of their Offices; and

(c) if no action is proposed to be taken, the reasons thereof ?

**The Minister of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed)** :

(a) In the meeting of the Central Advisory Council of Industries held in New Delhi on the 3rd and 4th January, 1969 Shri J. R. D. Tata stressed that all constraints against the faveurable economic forces which have become visible particularly after our success in the agricultural field, should be removed and where positive action was required, it should be taken quickly and with decisiveness. Shri Tata also observed that the decision making machinery of the Government was cumbersome and slow. In this connection, he stated, that a leading Japanese Delegation in Delhi had said that in Malayasia it take two years to start a factory and in India, it takes two years to get the permission to start a factory.

(b) and (c) These observations were made by Shri Tata mainly in the context of a few proposals such as the small car project, the Tata Fertiliser project, the Korba Thermal Station, etc., decisions of the Government on which were pending. Cases like these

involving heavy investment and far-reaching implications require very careful examination at the hands of the Government. The industrial licensing procedures are under constant review so as to minimise delays in the grant of licences for setting up of industries. However, the entire question of what further changes are necessary in the industrial licensing policies and procedures is at present under examination by the Government in the light of the recommendations of the Planning Commission and the Industrial Licensing Policy Inquiry Committee.

### दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में अन्धों के लिए परियोजनायें

3970. **श्री म० ला० सोंधी** : क्या **विधि तथा समाज-कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में अंधों की सहायता के लिए चालू की गई परियोजनाओं के नाम क्या हैं; और

(ख) क्या सरकार का विचार कोई औद्योगिक उपक्रम स्थापित करने का है जिसमें केवल अंधे व्यक्ति ही करेंगे ?

**विधि मन्त्रालय और समाज-कल्याण विभाग में राज्य मन्त्री (डा० (श्रीमती) फूलरेणु गुह)** :

(क) दिल्ली में नेत्रहीनों की शिक्षा, प्रशिक्षण तथा पुनर्वास के लिए निम्नलिखित परियोजनाएँ हैं :—

**सरकार** :— 1. नेत्रहीनों के अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए एक केन्द्र, जिसके लिए पूरा खर्च भारत सरकार देती है।

2. दिल्ली प्रशान द्वारा नेत्रहीनों के लिए एक स्कूल स्थापित किए जाने के लिए 1969-70 के लिए बजट में व्यवस्था की गई है।

**स्वयंसेवी** :—1. पंचकुंइया रोड, नई दिल्ली पर नेत्रहीनों के लिए संस्था।

2. नेत्रहीन समाज-कल्याण सोसाइटी, पंचकुंइयाँ रोड, नई दिल्ली।

3. राष्ट्रीय विरजानन्द अंध कन्या विद्यालय, न्यू राजेन्द्र नगर, नई दिल्ली।

4. भारतीय अंध विद्यालय, शाहदरा, दिल्ली।

5. ब्लाइंड रिलीफ एसोसियेशन, नई दिल्ली।

(ख) नहीं, श्रीमान।

### नई दिल्ली में धोबी समुदाय को होने वाली कठिनाइयाँ

3971. **श्री म० ला० सोंधी** : क्या **विधि तथा समाज-कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नई दिल्ली के धोबी आर्थिक तथा सामाजिक दृष्टि से समाज के सबसे अधिक पिछड़े समुदायों में से हैं;

(ख) क्या उन्हें बंगलों में रहने वालों तथा नगर अधिकारियों के हाथों अपमान सहना पड़ता है; और

(ग) यदि हाँ, तो क्या नई दिल्ली में धोबियों के कल्याण के लिए सरकार का कोई कार्यवाही करने का विचार है?

**विधि मंत्रालय तथा समाज-कल्याण विभाग में उपमंत्री (श्री मुत्यालराव) :**

(क) नहीं, श्रीमान।

(ख) इस प्रकार के किसी दृष्टान्त का पता नहीं चला है।

(ग) नई दिल्ली नगरपालिका ने धोबी घाटों के निर्माण के लिए एक योजना शुरू की है। धोबियों के लिए क्वाटर बनाने के एक प्रस्ताव पर भी विचार किया जा रहा है, परन्तु भूमि उपलब्ध न होने के कारण कठिनाई उत्पन्न हो गई है।

**Registered Industries in U. P.**

3972. **Shri Molahu Prashad :** Will the Minister of **Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 1722 on the 4th March, 1969 and state the details of economic information in respect of each Industry referred to in reply to part (c) of the aforesaid question ?

**The Minister of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed) :**

Economic Information includes advising the party about the scope or otherwise of setting up of a particular industry in a specific area, investment and other ingredients required for the purpose, supplying him technical scheme for that purpose, advising him about thc sources of supply of raw materials and machinery needed for that industry procedures involved in getting the scarce imported raw materials and machinery, sources of financial assistance for that purpose, programmes and policies for respective items as being adopted from time to time by the Govt., and advising on the marketing channels of the product in question. Details of the economic information made available by the S.I.S.I. to each entrepreneur are not readily available.

**Development of Industries**

3973. **Shri Molahu Prashad.** Will the Minister of **Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 1723 on the 4th Mach, 1969 and state :

(a) whether the requisite information has since been collected ;

(b) if so, the details thereof;

(c) if not, the details regarding the measures adopted with effect from the 13th February 1968 and the reasons for, and the purpose of, the inordinate and extraordinary delay in this regard ; and

(d) whether Government have changed their policy of fulfilling the assurance with 60 or 90 days and, if so, when and what change has been affected ?

**The Minister of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed) :**

(a) Yes, Sir.

(b) A statement prepared on the basis of replies furnished by the different State Governments will be placed in the Lok Sabha Library in another 10 days' time as typing of voluminous statements is in progress.

(c) The delay is due to the fact that the information required covers the entire field of financial assistance to industries in all sectors over a period of 15 years and had to be collected from all the State Governments and Union Territories.

(d) No, Sir.

**Bus-train Collision near Harduaganj Station**

3974. **Shri K. M. Madhukar :** **Shri Vishwa Nath Pandey :**

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a bus and a train collided near Harduaganj Station in the Agra-Bareilly line on the Northern Railway on the 12th May, 1969, as a result of which 21 persons were killed ;

(b) if so, the names of the persons responsible for this accident; and

(c) whether Government have by now paid compensation to the families of the persons killed ?

**The Minister of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) :**

(a) In all 23 persons died as a result of this accident : 14 persons died on the spot, 2 on way to hospital and 7 in the hospital.

(b) Shri Fatte, the Gateman and Shri Zafar, the bus driver (deceased) have been held responsible for the accident.

(c) No compensation has been claimed or paid so far.

**डीजल तथा भाप इंजनों की तुलनात्मक चालन लागत**

3975. **श्री बलराज मधोक** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इसके बारे में कोई अध्ययन किया गया है कि एक डीज़ल तथा एक भाप इंजन पर कितना धन लगता है तथा उसकी चालन-लागत क्या है; और

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

**रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) :**

(क) जी हाँ। भारतीय रेलों के कुछ खंडों में डीज़ल या भाप कर्षण से कुछ निर्दिष्ट वर्तमान स्थितियों में यातायात की ढुलाई की सापेक्ष लागत (केवल परिवर्ती मदों की) की तुलना करने की दृष्टि से अध्ययन किया गया है।

(ख) अध्ययन से पता चला है कि लागतें कई परिवर्ती उपादानों पर निर्भर करती हैं। इसलिए परिणाम भिन्न-भिन्न होते हैं। कर्षण के साथ लागत की जिन मदों में फर्क पड़ता है, केवल उनके आधार पर किए गए कुछ अध्ययन के परिणाम इस प्रकार हैं:—

(i) पश्चिम रेलवे के रतलाम शेड से जिन खंडों की आवश्यकताएँ पूरी होती हैं, उन खंडों पर प्रति 1000 कुल मीटरिक टन किलोमीटर यातायात की सापेक्ष लागत का अनुमान डीज़ल कर्षण के लिए 2.88 रुपए और भाप-कर्षण के लिए 3.40 रुपए आता है।

(ii) उत्तर रेलवे कानपुर-टूण्डला खंड पर प्रति 1000 कुल मीटरिक टन किलोमीटर यातायात की सापेक्ष लागत डीजल कर्षण के लिए 3.76 रुपए और भाप कर्षण

के लिए 4.76 रुपए है। लेकिन इस खंड पर बिजली कर्षण की लागत केवल 2.25 रुपए आती है।

(iii) दक्षिण रेलवे के मद्रास–विल्लुपुरम मीटर लाइन खंड पर प्रति 1000 कुल मीट-रिक टन किलोमीटर माल यातायात की लागत डीजल कर्षण के लिए 5.73 रुपए और भाप कर्षण के लिए 5.83 रुपए पायी गयी है। इस खंड पर बिजली कर्षण की लागत माल यातायात के लिए 2.72 रुपए पायी गयी थी। इस खंड का अब विद्युतीकरण कर दिया गया है।

**बोकाजन (आसाम) में सीमेंट फैक्ट्री**

3976. **श्री देवव्रत बरुआ :** क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चौथी योजना में आसाम में बोकाजन में सीमेंट फैक्ट्री स्थापित करने के बारे में अन्तिम रूप से निर्णय कर लिया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो इस फैक्ट्री में कितनी पूंजी लगाने का प्रस्ताव है और कब तक इसके चालू हो जाने की आशा है; और

(ग) इसमें सीमेंट का कितना उत्पादन होने की आशा है ?

**औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) :**

(क) जी, हाँ।

(ख) 858 लाख। सीमेंट कारखाने के चालू होने की अवधि (गर्भावधि) सामान्यतः 3 से 4 वर्ष की होती है।

(ग) लगभग 200,000 मी० टन वार्षिक ।

**अन्दमान द्वीप समूह में उपलब्ध कच्चे माल का उपयोग**

3977. **श्री रा० कृ० बिड़ला :** क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अन्दमान द्वीप समूह में किस प्रकार का कच्चा माल उपलब्ध है;

(ख) इस माल का किस प्रकार उपयोग किया जाता है;

(ग) द्वीप समूह में प्रयोग में लाये जाने वाले कच्चे माल तथा मुख्य भूमि को भेजे जाने वाले कच्चे माल की प्रतिशतता क्या है; और

(घ) द्वीप समूह में साधनों का पूर्णतः उपयोग करने के बारे में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

**औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) :**

(क) लकड़ी, मछली, नारियल तथा सुपारी।

(ख) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1729/69]** ।

(ग) लगभग 20 से 30 प्रतिशत वार्षिक लकड़ी निकाली जाती है और उत्पन्न नारियल का 67 प्रतिशत मुख्य भूमि को निर्यात किया जाता है। स्थानीय आवश्यकताओं से अतिरिक्त सुपारी भी निर्यात की जाती है

(घ) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1729/69 ]**

**हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड में कार्यकारी पद**

3978. **श्री रा० कृ० बिड़ला** : क्या **इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड में कितने उच्च कार्यकारी पद हैं :

(ख) क्या यह सच है कि इस उपक्रम में सभी उच्च कार्यकारी पदों को नहीं भरा जाता है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि कई सुयोग्य व्यक्तियों ने हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड में नियुक्ति के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया है;

(घ) यदि हाँ, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ङ) हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के पदों के लिए अनुभवी तथा सुयोग्य व्यक्तियों को आकर्षित करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

**इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मन्त्री (श्री चें० मु० पुनाचा)** :

(क) हिन्दुस्तान स्टील लि० में 9 उच्च कार्यकारी पद हैं (ऐसे पद जिन पर नियुक्ति या सरकार करती है या सरकार की अनुमति से की जाती है) ।

(ख) उपर्युक्त 9 पदों में से इस समय तीन पद रिक्त हैं।

(ग) और (घ) केवल एक ऐसा मामला हुआ है जिसमें एक व्यक्ति ने व्यक्तिगत कारणों से नियुक्ति-प्रस्ताव अस्वीकार किया था।

(ङ) ये बहुत महत्वपूर्ण पद हैं और अपेक्षित योग्यता और अनुभव रखने वाले उपयुक्त व्यक्तियों को विविध क्षेत्रों से ढूंढना पड़ता है और प्रायः काफी बातचीत करनी पड़ती है।

**अलाभकर रेलवे लाइनों को बन्द करना**

3979. **श्रीमती इला पाल चौधरी** : **श्री रामचन्द्र वीरप्पा** :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे उप मंत्री की अध्यक्षता में नियुक्त समिति ने रेलवे के सम्बन्ध में अपनी जाँच पूरी कर ली है तथा अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है;

(ख) क्या यह भी सच है कि अनेक राज्य सरकारों ने अधिकतर अलाभकर रेल सेवाओं को बन्द करने के प्रति विरोध प्रकट किया है;

(ग) यदि हाँ, तो वे राज्य कौन से हैं और उन्होंने क्या कारण बताये हैं; और

(घ) निर्दिष्ट समिति की मुख्य सिफारिशें क्या हैं ?

**रेल मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह)**

(क) जी नहीं।

(ख) और (ग) अभी तक जिन राज्य सरकारों के साथ समिति ने बातचीत की है उन सब ने निम्नलिखित कारणों से शाखा लाइनें बन्द करने का विरोध किया है:—

(i) ये लाइनें कम विकसित क्षेत्रों की सेवा करती हैं;

(ii) इन्हें बंद करने से जनता में बड़ा असंतोष फैलेगा; और

(iii) कई उपायों द्वारा इन लाइनों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने की संभावनाएँ हैं।

(घ) उपर्युक्त भाग (क) को देखते हुए सवाल नहीं उठता।

**भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड का कार्य-फल**

3980. **श्री प्रेम चन्द वर्मा** : क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उन्होंने भारत हैवी इलैक्ट्रिलल्स लिमिटेड का 31 मार्च, 1969 को समाप्त होने वाले वर्ष का कार्यफल देखा है और क्या उसमें कोई प्रगति या गिरावट दिखाई गई है;

(ख) क्या इस कम्पनी का कार्य गत वर्षों की तुलना में बेहतर हो रहा है और लाभ-हानि, उत्पादन, विक्रय, निर्यात और माल सूची के तुलनात्मक आँकड़े क्या हैं;

(ग) क्या इस कम्पनी के गत तीन वर्षों से वही अधिकारी हैं? इसके अध्यक्ष, प्रबन्ध निदेशक तथा सचिव के नाम क्या हैं और वे कितने समय से इन पदों पर काम कर रहे हैं और उनके वेतन तथा भत्तों आदि का ब्यौरा क्या है और वे इस कम्पनी में किस संस्था अथवा विभाग से लाए गए हैं; और

(घ) पिछली त्रुटियों को दूर करने के लिये गत वर्ष क्या विशेष कार्यवाही की गई है और क्या जनता में इस कम्पनी की प्रसिद्धि तथा साख कायम करने के लिए कोई कार्यवाही की जाती है?

**औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद)** :

(क) और (ख) यद्यपि वर्ष 1968-69 के कार्यफल और इस अवधि के जाँचे हुए लेखे अभी उपलब्ध नहीं हैं, तो भी 1968-69 के प्रारम्भिक लेखाओं से पता चलता है कि उत्पादन मूल्य तथा वित्तीय परिणामों में भी सम्पूर्ण रूप से सुधार हुआ है। वर्ष 1965-66 से 1968-69 में हुई हानि, उत्पादन-मूल्य, बिक्री, निर्यात, स्टाक वस्तु सूची (प्रारंभिक) के तुलनात्मक आँकड़े नीचे दिए गए हैं:—

(लाख रु० में)

| | 1965-66 | 1966-67 | 1967-68 | 1968-69 (अस्थायी) |
|---|---|---|---|---|
| हानि | 143.70 | 582.74 | 577.11 | 341.90 |
| उत्पादन-मूल्य | 43.77 | 640.88 | 2,018.09 | 3,524.80 |
| बिक्री | 1.92 | 184.33 | 841.53 | 2,193.81 |
| निर्यात | — | — | — | 0.50 |
| स्टाक वस्तु सूची | 724.14 | 2,262.80 | 3,814.99 | 5,437.13 |

(ग)

| नाम तथा पद नाम | ग्रेड रु० | कार्य ग्रहण तारीख | भार सौंपने की तारीख | मूल विभाग |
|---|---|---|---|---|
| 1. डी० पी० बैंजल, अध्यक्ष | 3000.00 निश्चित | अगस्त 8, 1965 | 31 दिसम्बर, 68 (अपरान्ह) | रेलवे बोर्ड से अवकाश प्राप्त |
| 2. श्री ओ० एस० मूर्ति, अध्यक्ष | 3500–125–4000 | 13 दिसम्बर 1968 (अपरान्ह) | – | रेल मंत्रालय |
| 3. श्री पी० पी० खन्ना, सचिव | 900-50-1000-60–1600–50–1800+300–विशेष वेतन | 27 अप्रैल, 64 | 15 नवम्बर, 1968 | उत्तर प्रदेश के० आई० ए० |
| 4. श्री जी० एन० टंडन, सचिव | 1100-50-1300-60-1600-100 1800 | 24 दिसम्बर, 1968 | – | आई० ए० ए० एस० |

वेतन के अतिरिक्त, अधिकारी नगर प्रतिपूरक-भत्ता, मंहगाई-भत्ता आदि भी पाने के हकदार हैं जो केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को समय-समय पर मिलते रहते हैं।

(घ) उपक्रम के कार्यों पर ध्यान निरन्तर रखा जाता है और उन्हें बनाये रखने, उत्पादन बढ़ाने में समक्ष आने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिये कदम उठाए जाते हैं। उत्पादन में रुकावट न पड़े इसका सुनिश्चय करने के लिए कच्चे माल की सप्लाई करने हेतु वैकल्पिक साधनों का पता लगाने के लिये इस वर्ष विशेष प्रयास किए गए। संयंत्र की क्षमता में वृद्धि करके उत्पादन में विविधता लाने के लिए भी कार्यवाही की गई है। निर्यात बाजार में शामिल होने की संभावनाओं का भी पूर्ण रूप से पता लगाया जा रहा है तथा वाल्वों का पहले से ही निर्यात हो रहा है।

पत्रकारों के एक दल की इन संयंत्रों की प्रगति और कार्य-प्रणाली के बारे में प्रत्यक्ष जानकारी प्रदान करने के लिये हैवी पावर इक्विपमेंट प्लांट तथा स्विचगियर प्लांट, हैदराबाद और हाई प्रेशर बायलर प्लांट, तिरुचिरापल्ली ले जाया गया था।

अध्यक्ष तथा महाप्रबन्धकों द्वारा समय-समय पर पत्रकार सम्मेलनों का आयोजन भी किया गया था जिनमें कम्पनी के कार्यों और उपलब्धियों के बारे में पत्रकारों को संक्षेप में जानकारी दी गई थी।

**दुर्गापुर इस्पात कारखाना**

3981. **श्री ज्योतिर्मय बसु: क्या इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 10 मई, 1969 के "स्टेट्समैन" के कलकत्ता संस्करण में "दुर्गापुर इस्पात कारखाने को अच्छी तरह चलाये जाने पर भारतीय साम्यवादी दल (मार्क्सवादी) नेताओं के विचार" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) क्या सरकार को पता है कि श्री दिलीप मजुमदार पश्चिम बंगाल विधान सभा के सदस्य ने और जो हिन्दुस्तान इस्पात कर्मचारी संघ, दुर्गापुर के संयुक्त सचिव भी हैं ब्रिटेन के एक समाचार-पत्र के संवाददाता को बताया था कि दुर्गापुर इस्पात कारखाना उस समय तक अच्छी तरह नहीं चल सकता जब तक श्रमिकों की बुनियादी माँगों को पूरा नहीं किया जाता और सरकार प्रबन्ध में त्रुटियों को दूर करने के लिए कार्यवाही नहीं करती; और

(ग) यदि हाँ, तो श्री दिलीप मजुमदार के उक्त वक्तव्य पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

**इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) :**

(क) और (ख) जी, हाँ।

(ग) सरकार यह नहीं मान सकती कि दुर्गापुर इस्पात कारखाने की समस्याएँ मूलतः प्रबन्धक वर्ग की त्रुटियों और मजदूरों की बुनियादी मागों को समझ न सकने की कमी के कारण है। प्रबन्धकवर्ग की कमियाँ जब कभी ध्यान में आई हैं तब-तब उनका पुनर्विलोकन किया गया है और उचित कदम उठाए गए हैं। भविष्य में भी ऐसा ही किया जाएगा और प्रबन्ध की नई और प्रगतिशील तकनीकों की जब-जब आवश्यकता होगी और उन्हें लागू करना सम्भव होगा तब-तब लागू किया जाएगा। जहाँ तक मजदूरों की माँगों का सवाल है, उसके लिए मजदूरों और प्रबन्धक वर्ग के प्रतिनिधियों के बीच विभिन्न स्तरों पर बात-चीत और विचार-विमर्श चलता रहता है। कई प्रश्नों पर समझौते हो भी चुके हैं। ऐसी आशा है कि उससे एक दूसरे को अधिकाधिक समझ सकने और दृष्टिकोण की समानता में वृद्धि होगी जिससे प्रबन्धक वर्ग और मजदूरों में सहयोग बढ़ेगा जोकि करखाने के सुचारु रूप से चलने के लिए अत्यावश्यक है।

### पश्चिम बंगाल से उद्योगों का उत्तर प्रदेश में स्थानान्तरण

3982. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार का ध्यान "पश्चिम बंगाल की सात फर्में उत्तर प्रदेश में स्थनान्तरित होना चाहती हैं" शीर्षक के अन्तर्गत 22 मई, 1969 के 'स्टेट्स्मैन' (दिनांक 21 मई, लखनऊ से) में प्रकाशित हुए समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

**औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री ( श्री फखरुद्दीन अली अहमद) :**

(क) और (ख) कृपया लोक-सभा में 22 जुलाई, 1969 को पुरः स्थापित अतारांकित प्रश्न संख्या 238 के दिए गए उत्तर को देखें।

### भारतीय रेलवे में प्रशीतक डिब्बे

3983. **श्री ज्योतिर्मय बसु : श्री भगवान दास :**

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारतीय रेलवे में कितने प्रशीतक डिब्बे हैं;

(ख) उनमें से कितने डिब्बे 30 अप्रैल, 1969 को वस्तुत: काम कर रहे थे;

(ग) क्या खाद्य विभाग ने डिब्बों के लिए रेलवे को कोई वित्तीय सहायता दी थी; और

(घ) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है?

**रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) :**

(क) भारतीय रेलों पर बड़ी लाइन के 9 और मीटर लाइन के 2 प्रशीतक डिब्बे हैं।

(ख) 30-4-69 को 4 डिब्बे काम में लाये जा रहे थे और बाद में 3 और डिब्बों को देखभाल और मरम्मत करके इस्तेमाल में लाया गया।

(ग) और (घ) खाद्य और कृषि मंत्रालय ने, मछली यातायात को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अपने कार्यक्रम के अंग के रूप में, अपने खर्च से रेल कारखानों में अब तक बड़ी लाइन के 6 और मीटर लाइन के 2 प्रशीतक डिब्बों के निर्माण की व्यवस्था की है। खाद्य और कृषि मंत्रालय के लिए फिलहाल बड़ी लाइन के 2 और मीटर लाइन के दो अतिरिक्त डिब्बों की व्यवस्था की जा रही है।

### Transfer of Shares by Indian Iron and Steel Co. To M/s Dalhousie Holdings

3984. **Shri Prakash Vir Shastri : Shri Raghuvir Singh Shastri : Shri Bibhuti Mishra :**

Will the Minister of **Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs,** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 9489 on the 13th May, 1969 and state :

(a) whether the opinion of Ministry of Law about the shares transferred by Indian Iron and Steel Co. Ltd. to M/s Dalhousie Holdings has been received ;

(b) if so, the nature of their opinion and the steps proposed to be taken by his Ministry in the matter; and

(c) whether Government propose to take some other decision in future on the basis of complaints regarding wrong transfer of the shares ?

**The Minister of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed) :**

(a) Yes, Sir.

(b) and (c) The matter is under consideration.

### Construction of R. M. S. Building at Patna

3986. **Shri Ramavatar Shastri :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government have accorded sanction for the construction of Railway Mail Service Building at Patna ;

(b) if so, the amount sanctioned for the purpose ; and

(c) the time by which Government propose to start its construction work ?

**The Minister of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) :**

(a) Yes.

(b) Rs. 6.69 lakhs.

(c) The work is expected to be taken in hand during the next working season.

**M/s Mackenzies Ltd., Bombay**

3987. **Shri Bansh Narain Singh** : Will the Minister of **Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 192 on the 18th February, 1969 regarding M/s. Mackenzies Limited, Bombay and state:

(a) whether the requisite information has since been colleected ;

(b) if so, the details thereof ;

(c) if not, the reasons for the delay ; and

(d) the time by which the information would be collected and laid on the Table of the House ?

**The Minister of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed)**:

(a) to (d) As the data is required to be collected from a number of sources, it has not been possible yet to obtain complete information. It is expected that the information will become available shortly.

**Bombay-Burma Trading Corporation Ltd., Bombay**

3988. **Shri Bansh Narain Singh** : Will the Minister of **Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 187 on the 18th February, 1969 regarding Bombay-Burma Trading Corporation Ltd., Bombay and state :

(a) whether the requisite information has since been collected ;

(b) if so, the details thereof ; and

(c) if not, the time by which the information would be collected and laid on the Table of the House ?

**The Minister of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed)** :

(a) to (c) As the data is required to be collected from a number of sources, it has not been possible yet to obtain complete information. It is expected that the information will become available shortly.

**Voltas Ltd., Bombay**

3989. **Shri Bansh Narain Singh** : Will the Minister of **Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 1089 on the 25th February, 1969 regarding Voltas Ltd,, Bombay and state ;

(a) whether the requisite information on has since been collected;

(b) if so, the details thereof, and

(c) if not, the reasons therefor and the date by which it would be collected and laid on the Table of the House ?

**The Minister of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed)** :

(a) Yes, Sir.

(b) A Statement is laid on the Table of the House. **[Placed in Library. See No. LT**-1730/69].

(c) Does not arise.

**M/s. Tata Engineering and Locomotive Company Ltd., Bombay**

3990. **Shri Bansh Narain Singh :** Will the Minister of **Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 191 on the 18th February, 1969 regarding M/s. Tata Engineering and Locomotive Co. Ltd., Bombay and state :

(a) whether the requisite information has since been collected;

(b) if so, the details thereof; and

(c) if not, the resons therefor and the time by which it would be collected and laid on the Table of the House ?

**The Minister of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed) :**

(a) to (c) As the data is required to be collected from a number of sources, it has not been possible yet to obtain complete information. It is expected that the information will become available shortly.

**Good Year India (P) Ltd., Calcutta**

3991. **Shri Bansh Narain Singh :** Will the Minister of **Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 1757 on the 4th March, 1969 regarding Good Year India (P) Ltd., Calcutta and state :

(a) whether the requisite information has since been collected;

(b) if so, the details thereof; and

(c) if not, the reasons for the delay and the time by which it would be collected and laid on the Table of the House ?

**The Minister of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed) :**

(a) Yes, Sir.

(b) A Statement is attached.

(c) Does not arise.

**Statement**

M/s. Good Year India (P) Ltd., Calcutta have so far submitted four applications for licences under the Industries (Development and Regulation) Act, 1951. The required information about the dates on which applications were made, the articles of manufacture and their production from the date of commencement is given below :—

| Date of application | | Article of manufacture | Date of commencement | Total Production |
|---|---|---|---|---|
| 8.12.58 | i. | Automobile Tyres & Tubes. | 1962 | 1720146 Nos. |
| 16.1.61 (for sub-expansion) | ii. | Camel Back (Tyre retreading compound). | | 5846343 „ |
| 10.6.1966 | | Rubber Dock-Fenders. | 1967 | 172986 |
| 5.12.1964 | | Bicycle Tyres & Tubes. | (Production not yet commenced) | |

The industrial licences granted to the party contained the usual conditions regarding location of the undertaking, articles of manufacture, lincensed capacity and the periods within which "effective steps" were to be taken for establishment of the undertaking.

**Reservation System at Allahabad Station**

3992. **Shri Kukam Khand Kachwai** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the quota of sleepers and seats in the 40 Dn. Janata Express, 39 Up Janta Express and Upper India Express trains fixed by Government for journey from Allahabad to Delhi and to Calcutta ;

(b) whether Government are aware that the reservation system at Allahabad Station is not like that of Delhi and New Delhi stations as a result of which people experience great difficulty in having the seats reserved ;

(c) whether it is a fact that tickets are not sold at the Reservation counter; and

(d) whether Government propose to introduce the system of tickets and reservation tiekets at the same counter as it being done in Delhi and other places ?

**The Minister of Railways (Dr. Ram Subhag Singh)** :

(a) The following quotas have been allotted to Allahabad station for reservation of accommodation in the trains referred to :—

**(i) 40 Dn. Delhi-Howrah Janata Express**

| | |
|---|---|
| Third Class | Three berths in 3-tier sleeper coach. |

**(ii) 39 Up Howrah-Delhi Janata Express**

| | |
|---|---|
| Third Class | Twelve berths in 3-tier sleeper coach. |

**(iii) 14 Dn. Upper India Express**

| | |
|---|---|
| Third Class | Three berths upto Bhagalpur in 3-tier sleeper coach. |

**(iv) 13 Up Upper India Express**

| | |
|---|---|
| First Class | Ten berths on Mondays, Wednesdays, Thursdays and Saturdays and four berths on Tuesdays, Fridays and Sundays. |
| Third Class | Eight berths in 3-tier sleeper coach. |

(b) and (c) The reservation system at Allahabad is similar to that at Delhi and New Delhi stations except that at New Delhi, Reservation and Booking for third class and Air-conditioned chair cars are combined at the same counter. At Allahabad tickets are not sold at the Reservation counter.

(d) A proposal to introduce combined Booking-cum-Reservation system at Allahabad is under examination.

**Drinking Water at Pili Bangan Station (N. Rly.)**

3993. **Shri P. L. Barupal** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that adequate arrangements of drinking water for the passengers do not exist at the Pili Bangan Station in Bikaner Division of the Northern Railway :

(b) if so, whether any concrete steps are being taken in this regard ;

(c) whether it is also a fact that local People, passengers and Railway employees quench their thirst with sub-soil brackish water at the said Railway station and the adjoining market ;

(d) whether his Ministry proposes to make arrangements for filtered water for the passengers and employees by constructing a water tank there ; and

(e) if so, the time by which such arrangements are likely to be made ?

**The Minister of of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) :**

(a) No. An underground tank of 6,000 gallons capacity for storage of water already exists. This tank is filled with good drinking water brought through travelling water tank rom Hanumangarh.

(b) Does not arise in view of reply to (a) above.

(c) Adequate good drinking water is available at the Station for passengers and Railway Employees.

(d) Underground water tank already exists.

(e) Doos not arise in view of reply to (d) above.

**Casual Railway Workers at Samastipur (N. E. Rly.)**

3994. **Shri Ramavatar Shastri** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the casual Railway workers working at Samastipur in the North Eastern Railway are paid wages at the rate of two rupees per day;

(b) whether it is also a fact that in the same Railway the casual workers working al Garhara Goods yard near Barauni are paid at the rate of rupees two and a half per day ;

(c) if so, the reasons and justification for this discrimination ;

(d) whether it is further a fact that the North Eastern Railway Workers' Union have submitted a memorandum to the Divisional Superintendent, Samastipur, demanding that the casual labourers should be paid at the rate of rupees three per day ; and

(e) if so, the reaction of Government thereto ;

**The Minister of Railways (Dr. Ram Subhag Singh):**

(a) and (b) Yes.

(c) to (e) Casual labour not governed by the Minimum Wages Act are remunerated on a daily rate ascertained from the local authorities. Those authorities have fixed different rates for Samastipur and Garhara/Barauni. On a representation from North Eastern Railway Mazdoor Sabha, the local rates for these areas are being ascertained afresh.

**Industrial Complex near H. E. C., Ranchi**

3995. **Shri Valmiki Chowdhury** : Will the Minister of **Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs** be pleesed to state :

(a) whether there is any proposal to create an industrial complex near the Heavy Engineering Corporation, Ranchi ;

(b) if so, the nature of industries which would be set up in the complex and the production capacity in respect of each item ; and

(c) the steps being taken in this regard ?

**The Minister of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed):**

(a) An ancillary Industrial area is being developed by Bihar Government near the Heavy Engineering Corporation, Ltd. Ranchi.

(b) Statement showing the nature of industries to be set up in the ancillary industrial area near Heavy Engineering Corporation, Ranchi.

Fabrication.
General Engineering.
Sheet Metal.
Machine Shop.
Forging and Foundry.
Tool Shop.
Non-standard Tools.
Forging with Machine shop.
Cast Iron Foundry.
Dies and General Cutting Tools.

N. B. All the units are general purpose units and are not manufacturing any specific items. It is, therefore, not possible to specify production capacity of these units.

(c) Steps being taken for setting up of Industrial Complex near Heavy Engineering Corporation Limited, Ranchi.

Nine units are at present in production as detailed below ;—

| | |
|---|---|
| Febrication. | 3 units. |
| General Engineering. | 1 unit. |
| Sheet Metal | 1 unit. |
| Machine shop. | 2 units. |
| Forging and Foundry | 1 unit. |
| Tool shop | 1 unit. |

The units are being established according to schemes given to the partles and full facilities have not been established by some of these units so far. Construction of sheds in respect of five more units is in progress for the items indicated against each :—

| | |
|---|---|
| Non-standard Tools. | 1 unit. |
| Forging with machin shop. | 1 unit. |
| Machine shop. | 1 unit. |
| Cast iron foundry. | 1 unit. |
| Dies and General cutting Tools. | 1 unit. |

**Running of New Passenger Trains**

3996. **Shri Bharat Singh Chauhan : Shri Hukam Chand Kachwai :**

Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) the total number of new Passenger trains run by the Indian Railways since 1st April, 1969 to date and the number of suburban trains out of them ; and

(b) the number of new passenger trains proposed to be run by Government during the Fourth Five-year Plan ?

**The Minister of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) :**

(a) 69 passenger carrying trains, including 35 suburban trains have been introduced/ extended since 1-4-69.

(b) As hitherto. additional trains will continue to be introduced or runs of existing services extended to relieve overcrowding and/or to cater for increases in traffic on various routes subject to availability of requisite resources by way of line/terminal capacity, rolling stock etc. It is not possible in indicate the ber of services to be introduced/extended during the 4th Five Year Plan.

**नैरो-गेज इंजनों के स्थान पर डीजल इंजनों का प्रयोग**

3997. **श्री रा० कृ० बिड़ला** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नैरो-गेज इंजनों के स्थान पर डीज़ल इंजनों का प्रयोग करने का कोई प्रस्ताव रेलवे प्रशासन के विचाराधीन है;

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस समय कितने नैरो-गेज इंजन काम कर रहे हैं?

**रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) :**

(क) जी हाँ।

(ख) चितरंजन रेल इंजन कारखाने में, बदलाव के लिए, छोटी लाइन के 10 डीज़ल रेल इंजन बनाने की योजना बनायी गयी है।

(ग) 1-4-1969 को, छोटी लाइन पर इस्तेमाल में आने वाले रेल इंजनों की संख्या इस प्रकार थी;

| | | |
|---|---|---|
| भाप रेल इंजन | — | 400 |
| डीज़ल रेल इंजन | — | 33 |

**दमदम जंक्शन पर रेलगाड़ियों का घेराव**

3998. **श्री रवि राय** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उनका ध्यान 9 जून, 1969 के कलकत्ता से निकलने वाले "स्टेट्समैन" में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि सियालदह डिवीजन में दमदम जंक्शन पर रेलगाड़ियों को समय पर चलाने के लिये उनका घेराव किया गया था ; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

**रेलवे मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह) :**

(क) जी हाँ। 7-6-69 को डमडम जंक्शन पर गाड़ियों को रोके जाने के बारे में 8-6-69 के कलकत्ता स्टेट्समैन के 'लेट सिटी एडिशन' में रिपोर्ट छपी थी।

(ख) 7-6-69 को नं० एन० 28 डाउन नैहाटी-सियालदह स्थानीय गाड़ी से यात्रा करने वाले यात्री डमडम जंक्शन पर 9.20 बजे पहुँचे क्योंकि वह गाड़ी 13 मिनट लेट चल रही थी और वे नं० बी बी 197 अप सियालदह-बोनगाँव स्थानीय गाड़ी नहीं पकड़ सके जो कि डमडम जंक्शन से 9.18 बजे (ठीक समय) छूटती है। इस पर यात्रियों ने प्रदर्शन किया और पटरी पर धरना देकर नं० ड० डी० 271 अप सियालदह डमडम कैंट स्थानीय गाड़ी को 9·48 बजे डमडम जंक्शन पहुँचने पर रोक लिया और माँग की कि गाड़ी को बारासत तक बढ़ा दिया जाये। यद्यपि बोनगाँव खण्ड के लिए एक के बाद एक कई गाड़ियाँ थीं, जिनमें से सबसे पहली नं० बी० बी० 199 अप सियालदह-बोनगाँव स्थानीय गाड़ी डमडम जंक्शन से 10.33 बजे गुजरनी थी और वे उससे यात्रा कर सकते थे।

इस बीच यात्रियों के एक और वर्ग ने मामले में हस्तक्षेप किया और बाद में रुकावट हटा

ली गयी और अन्त में 32 मिनट रुके रहने के बाद नं० डी० डी० 271 अप 10.20 बजे डमडम जंक्शन से छूटी।

इस कारण डमडम कैंट से तदनुरूपी डाउन गाड़ी नं० डी० डी० 272 डाउन को (अनुसूची से भिन्न) 'बिना समय' के चलाना पड़ा।

**उड़ीसा में आदिवासियों पर हमला**

3999. **श्री रवि राय** : क्या **विधि तथा समाज-कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उनके मंत्रालय में राज्य मंत्री को लोक-सभा के एक सदस्य से उड़ीसा में पुरी जिले के पुलिस स्टेशन पुरी-सपर में केरंदीपुर गाँव के आदिवासियों पर हमले के बारे में पत्र मिला था; और

(ख) यदि हाँ' तो उस पत्र में उठाये गए मामले के सम्बन्ध में उनके (राज्य मंत्री) द्वारा की गई कार्यवाही का व्यौरा क्या है?

**विधि मंत्रालय तथा समाज-कल्याण विभाग में उप-मंत्री (श्री मुत्यालराव) :**

(क) पुरी जिले के उत्तरन मथासाही गाँव में हुई एक घटना के बारे में एक पत्र प्राप्त हुआ था।

(ख) राज्य मंत्री ने उड़ीसा के आदिम जातीय तथा ग्राम कल्याण मंत्री के साथ इस मामले को उठाया था। उड़ीसा के मंत्री ने घटना-स्थल पर स्थिति का अध्ययन किया था। 24 पीड़ित आदिवासी परिवारों के लिए मकान बनवाने के वास्ते मुख्य मंत्री के राहत कोष में से 400 रुपए की राशि मंजूर की गई थी। राज्य सरकार ने उनके लिए अग्नि-प्रूफ मकानों, चार कुओं और एक प्राथमिक स्कूल की व्यवस्था करने का तथा जिन परिवारों के सदस्यों को चोटें आई थीं, उन्हें वित्तीय सहायता देने का भी प्रस्ताव किया था।

**भारी इंजीनियरिंग निगम के पास ग्राहकों के निलम्बित क्रयादेश**

4000. **श्री रवि राय** : क्या **इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि भारी इंजीनियरिंग निगम के पास ग्राहकों के 1800 क्रयादेश हैं जिनकी उसने अभी क्रियान्वित नहीं की है;

(ख) यदि हाँ, तो इन क्रयादेशों की क्रियान्विति कब तक की जायेगी;

(ग) क्या यह भी सच है कि भारी इंजीनियरिंग निगम की पूरी क्षमता का उपयोग न किए जाने के कारण इन क्रयादेशों की क्रियान्विति नहीं हो सकी है; और

(घ) यदि हाँ, तो उसका व्यौरा क्या है?

**इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) :**

(क) जी, नहीं। 31 मार्च, 1969 की स्थिति के अनुसार 126,042 टन वजन के साज-सामान के आदेश भारी इंजीनियरिंग निगम के पास बाकी थे जिनका मूल्य 119.01 लाख रुपए था।

(ख) उपर्युक्त आदेशों में से 11902 टन वजन और 4.71 लाख रुपए के मूल्य के 159 आदेशों की पूर्ति 1968-69 में की जानी थी और अब इनकी पूर्ति 1969 में होने की संभावना है। शेष 244 आदेशों को जिनका भार 114,140 टन और मूल्य 114.30 लाख रुपए है, 1971-72 तक पूरा किया जाना है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) आदेशों की पूर्ति में विलम्ब उत्पादन की प्रारम्भिक कठिनाइयों और कास्टिंग्स तथा फोर्जिंग्स की अपर्याप्त पूर्ति के कारण हुआ। 1967-68 में हुई श्रमिक अशान्ति और दंगों के कारण भी उत्पादन पर प्रभाव पड़ा।

**दुर्गापुर इस्पात कारखाने में फालतू श्रमिक**

4001. **श्री रवि राय :** क्या **इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हैदराबाद स्टाफ कालिज ने बताया है कि दुर्गापुर इस्पात कारखाने में लगभ 5000 श्रमिक फालतू हैं;

(ख) यदि हाँ, तो वह इस निर्णय पर कैसे पहुँचा; और

(ग) इन लोगों को रोजगार के क्या अन्य अवसर प्रदान करने का सरकार ने निर्णय लिया है ?

**इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त):**

(क) जी, हाँ।

(ख) हैदराबाद के ऐडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कालेज आफ इण्डिया के कन्सल्टिंग एण्ड एप्लाइड रिसर्च डिवीजन के सहयोग से, उत्पादन प्रोत्साहन बोनस योजनाओं में सुधार के लिए, हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड विचार कर रहा है। विभिन्न कार्यों के लिए समय का मानदण्ड एवं आवश्यक कामगारों की संख्या निर्धारित करने के लिए विस्तृत कार्य-माप अध्ययन भी इसमें शामिल है। ये अध्ययन अभी चल रहे हैं।

(ग) सवाल नहीं उठता।

**लोहा तथा इस्पात सम्बन्धी कर्णधार समिति की सिफारिशें**

4002. **श्री रवि राय :** क्या **इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उनके मंत्रालय ने पाँचवीं पंचवर्षीय योजना तक उद्योग की मिता को तीस लाख टन और बढ़ाने के बारे में लोहा तथा इस्पात सम्बन्धी कर्णधार समिति द्वारा की गई सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है; और

(ख) यदि हाँ, तो उन सिफारिशों का ब्यौरा क्या है ?

**इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) :**

(क) और (ख) सम्भवतः संकेत पाँचवीं योजना की अवधि में 3 मिलियन टन इस्पात पिण्ड की क्षमता के निर्माण के प्रस्ताव की ओर है जिसे संभवतः नए इस्पात कारखानों द्वारा किया

जाना है और जिस प्रस्ताव को योजना आयोग की लोहा और इस्पात संबंधी कर्णधोर समिति ने प्रस्तुत किया था। सिफारिश पर योजना आयोग और सरकार द्वारा विचार किया जायेगा।

**रेलवे में अपराध**

4003. **श्री देवकीनन्दन पाटोदिया : श्री तुलसीदास दासप्पा : श्री के० प्र० सिंह देव : डा० कर्णी सिंह :**

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 14 जून, 1969 के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि केन्द्र तथा राज्य के बीच अप्रभावी समन्वय तथा क्षेत्राधिकार के बारे में झगड़े के कारण गाजियाबाद-सहारनपुर-मुरादाबाद क्षेत्र में रेलवे में अपराधों की सक्रियता असाधारण रूप से बढ़ गयी है;

(ख) क्या यह भी सच है कि सेक्स (यौन) अपराध असाधारण रूप से बढ़ गए हैं और इन लाइनों में महिलाएँ स्वतंत्र रूप से यात्रा करना सुरक्षित महसूस नहीं करतीं;

(ग) क्या यह भी सच है कि यद्यपि महाप्रबन्धक को इस बारे में रिपोर्ट की जाती है लेकिन उन्हें कार्यवाही के लिए केवल राज्य सरकार के पास भेज दिया जाता है और केन्द्र द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जाती; और

(घ) यदि हाँ, तो रेलवे में इस बढ़ते हुए अपराध की समस्या को हल करने में रेलवे पुलिस इतनी निष्क्रिय क्यों रहती है?

**रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह)** :

(क) जी हाँ, समाचार में दिए गए ब्यौरे में 1968 और 1969 में घटित कुछ मामलों के कथन को बहुत बढ़ा-चढ़ा कर, तोड़-मरोड़ और बिगाड़ कर पेश किया गया है। इन खण्डों को पर अपराधों की संख्या में कोई वृद्धि नहीं हुई है और उत्तर प्रदेश राज्य के सरकारी रेलवे पुलिस और रेलवे सुरक्षा दल के बीच प्रभावकारी तालमेल रखा जा रहा है।

(ख) जी नहीं।

(ग) कानून और व्यवस्था राज्य सरकार का विषय होने के कारण अपराधों की रिपोर्ट सरकारी रेलवे पुलिस को जाती है न कि महाप्रबन्धकों को। फिर भी राज्य के सरकारी रेलवे पुलिस के साथ निकट सम्पर्क रखा जाता है और जहाँ कहीं जरूरत पड़ती है रेलवे सुरक्षा दल द्वारा उनकी सहायता की जाती है।

(घ) सरकारी रेलवे पुलिस मामले में उपयुक्त कार्यवाही करती रही है और गाजियाबाद सहारनपुर–मुरादाबाद क्षेत्र में अपराधों में कोई वृद्धि नहीं हुई है।

**हैवी इलेक्ट्रिकल्स, लिमिटेड, भोपाल में उत्पादन**

4004. **श्री हिम्मतसिंहका : श्री यशपाल सिंह :**

क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बड़ी-बड़ी औद्योगिक परियोजनाएँ स्थापित करने के लिए अपेक्षित वस्तुओं का उत्पादन

करके हैवी इलैक्ट्रिक्लस लिमिटेड, भोपाल ने वर्ष 1967–68, 1968–69 तथा चालू वित्तीय वर्ष की प्रथम तिमाही में कितनी-कितनी विदेशी मुद्रा की बचत की ;

(ख) इन वर्षों में प्रत्येक वर्ष कारखाने ने कितनी-कितनी क्षमता से काम किया; और

(ग) उस कारखाने ने पहले कितने ऐसे क्रयादेश लिये हुए हैं जो अभी तक पूरे नहीं किए गए तथा उपर्युक्त कारखानों को इन क्रयादेशों को पूरा करने के लिये कब तक पूरी क्षमता से काम करना पड़ेगा ?

**औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद)**:

(क) विद्युत्-शक्ति के विकास तथा बड़े औद्योगिक संस्थानों की आवश्यकता के औजारों का इलेक्ट्रिक्ल्स (इण्डिया) लि० में उत्पादन किए जाने के फलस्वरूप होने वाली विदेशी मुद्रा बचत निम्नलिखित है :—

| | |
|---|---|
| 1967–68 | 900 लाख रु० |
| 1968–69 | 1275 लाख रु० |
| 1969–70 (प्रथम तिमाही में) | 225 लाख रु० |

(ख) प्रयुक्त अधिष्ठापित क्षमता का प्रतिशत निम्न प्रकार है :—

| वर्ष | कम्पनी के कुल उत्पादन का मूल्य (रु० लाख में) | स्थापित क्षमता (रु० लाख में) | क्षमता का प्रतिशत उपयोग |
|---|---|---|---|
| 1967–68 | 2149 | 3365 | 63.8 |
| 1968–69 | 2636 (लगभग) | 3600 (लगभग) | 73.3 |

(ग) अभी सम्भरण किए जाने वाले आर्डरों की कुल कीमत करीब 115 करोड़ रुपए है। इसमें सम्भरण के लिए स्वीकार की गई ऐसे औजारों की सप्लाई सम्मिलित है। जो छः महीने से आगामी 6 वर्षों तक सम्भरित किए जाने हैं।

### बोकारो इस्पात कारखाने की लागत का अनुमान

4005. **श्री हिम्मतसिंहका** : **श्री वीरेन्द्र कुमार शाह** :

क्या **इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नवीनतम प्राक्कलनों के अनुसार, बोकारो इस्पात कारखाने पर लागत इस परियोजना का निर्माण आरम्भ करते समय तैयार किए गए मूल प्राक्कलनों से कहीं अधिक आने की संभावना है ;

(ख) यदि हाँ, तो नवीनतम प्राक्कलनों में मूल प्राक्कलनों की अपेक्षा कितनी अधिक लागत दिखायी गयी है;

(ग) इस लागत में वृद्धि के क्या कारण हैं; और

(घ) क्या लागत में वृद्धि के ये दो मुख्य कारण हैं कि पहला यह कि इस संयंत्र के निर्माण में भारी इंजीनियर निगम द्वारा सप्लाई किए जाने वाले कल-पुर्जों की कीमत ज्यादा है

और दूसरा यह कि उसमें रूसी कल-पुर्जों का अधिक मात्रा में प्रयोग किया जा रहा है और यदि हाँ, तो इनमें से प्रत्येक कारण कहाँ तक जिम्मेदार है?

**इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त)** :

(क) से (घ) बोकारो स्टील लिमिटेड से पता चला है कि बोकारो इस्पात कारखाने के मूल लागत प्राक्कलनों में, जो 1966 में बनाये गए थे, अभी तक कोई संशोधन नहीं किया गया है। फिर भी हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन को उपस्करों की पूर्ति के लिए पहले जितनी रकम की व्यवस्था की गयी थी अब उससे अधिक मूल्य देने के कारण इन प्राक्कलनों में वृद्धि हो सकती है। इनमें इस कारण भी वृद्धि हो सकती है यदि प्रायोजना के पूरा होने में पूर्व अनुमान से अधिक समय लगता है।

**तीसरी, पहली और वातानुकूलित श्रेणी के डिब्बे**

4006. **श्री अब्दुल गनी दार** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों में वर्षवार तीसरी, पहली और वातानुकूलित श्रेणी के कितने डब्बों का निर्माण किया गया और उन पर अलग-अलग कितनी धनराशि खर्च हुई?

**रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह)** :

अपेक्षित ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

**विवरण**

**1966-67, 1967-68 और 1968-69 में (वर्षवार) तीसरे दर्जे, पहले दर्जे और वातानुकूल पहले दर्जे के निर्मित सवारी-डिब्बों की कुल संख्या और उनकी लागत**

| | सवारी डिब्बों की कुल संख्या | कुल लागत लाख में |
|---|---|---|
| **तीसरे दर्जे के डिब्बे—** | | |
| 1966-67 | 339 | 565.21 रुपये |
| 1967-68 | 503 | 984.65 रुपये |
| 1968-69 | 517 | 938.84 रुपये |
| **पहले दर्जे के डिब्बे—** | | |
| 1966-67 | 63 | 118.58 रुपये |
| 1967-68 | 114 | 231.42 रुपये |
| 1968-69 | 76 | 163.78 रुपये |
| **वातानुकूल पहले दर्जे के डिब्बे—** | | |
| 1966-67 | 4 | 24.88 रुपये |
| 1967-68 | 1 | 6.22 रुपये |
| 1968-69 | 2 | 12.44 रुपये |

**रेलवे अधिकारियों को दण्ड**

4007. **श्री अब्दुल गनी दार** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन रेल-कर्मचारियों की वर्षवार संख्या कितनी है जिनका गत तीन वर्षों में चालान करके कारावास की सजा दी गई;

(ख) उन अधिकारियों की संख्या कितनी है जो पाँच अथवा पाँच वृर्षों से अधिक और दस अथवा दस वर्षों से अधिक समय से दिल्ली में 15 मील के क्षेत्र में ऊँचे वेतनमान में कार्य कर रहे थे; और

(ग) उनका तबादला न किए जाने के क्या कारण थे?

**रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) :**

(क) से (ग) सूचना इकटठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

## तीर्थयात्रा गाड़ियाँ

4008. **श्री अब्दुल गनी दार** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों में वर्षवार हिन्दुओं, सिखों तथा मुसलमानों के लिये कितनी तीर्थयात्रा रेल गाड़ियाँ अथवा रेल-डिब्बे आरक्षित किए गए?

**रेलवे-मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) :**

स्पेशल गाड़ियों/ आरक्षित सवारी-डिब्बों को तीर्थ यात्रियों और अन्य लोगों द्वारा विशिष्ठ रूप से माँग लिए जाने पर धर्म का ध्यान रखे बगैर पहले-आये-सो-पहले-पाये के आधार पर आवंटित किया जाता है। आवंटित स्पेशल गाड़ियों/ आरक्षित सवारी-डब्बों के आँकड़े धर्मवार अलग से नहीं रखे जाते।

## मध्य रेलवे में विद्यार्थियों की यात्रा दर में रियायत

4009. **श्री अब्दुल गनी दार** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मध्य रेलवे में गत तीन वर्षों में वर्षवार कितनी रेलगाड़ियाँ अथवा रेल-डब्बे रियायती दर पर विद्यार्थियों के लिए आरक्षित किए गए?

**रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) :**

पिछले तीन वर्षों में मध्य रेलवे द्वारा विद्यार्थियों के लिए अलग से कोई स्पेशल गाड़ियाँ नहीं चलायी गयी हैं। 1966 से 1969 तक की अवधि में विद्यार्थियों की टोलियों के लिए रियायती दर पर जितने आरक्षित डिब्बों की व्यवस्था की गयी थी उनकी संख्या नीचे दी गयी है:—

| वर्ष | तीसरे दर्जे के आरक्षित डिब्बे | पहले दर्जे के आरक्षित डिब्बे |
|---|---|---|
| 1966 | 71 | 9 |
| 1967 | 29 | 2 |
| 1968 | 38 | 6 |
| 1969 (जून, 1969 तक) | 24 | कोई नहीं । |

## रेलवे कर्मचारियों के लिये सस्ते अनाज की दूकानें

4010. **श्री अब्दुल गनी दार** : **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि;

(क) रेलवे कर्मचारियों के लिये 1948, 1953, 1958, 1963 तथा 1968 में सस्ते अनाज की कितनी दुकानें चल रही थीं तथा कितने कर्मचारियों को इन दुकानों का लाभ उठाने की अनुमति थी; और

(ख) उपर्युक्त प्रत्येक वर्ष में इस कारण उनके मंत्रालय को कितनी हानि हुई ?

**रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) :**

(क) और (ख) वित्तीय वर्षों से संबंधित सूचना नीचे दी गयी है:—

| वर्ष | अनाज की दूकानों की संख्या | उन कर्मचारियों की संख्या जिन्होंने अनाज की दूकानों से लाभ उठाया | कितनी हानि हुई (हजार रु० में) |
|---|---|---|---|
| 1948–49 | 490 | 6,32,838 | 3,50,054 |
| 1952–53 | 285 | 3,31,934 | 80,211 |
| 1958–59 | 15 | 11,992 | 7,103 |
| 1962–63 | 5 | 2,655 | 1,999 |
| 1968–69 | 2 | 873 | 1,229 |

यह सूचना अभी तक उपलब्ध अभिलेखों पर आधारित है।

**काजीपेट-मद्रास एक्सप्रेस तथा दिल्ली-मद्रास जनता एक्सप्रेस रेलगाड़ियों की टक्कर**

4011. **श्री एन शिवप्पा : श्री गाडिलिंगन गौड :**

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि काजीपेट-मद्रास, एक्सप्रैस तथा दिल्ली-मद्रास जनता एक्सप्रैस रेल गाड़ियों के बीच 16 मई, 1969 को टक्कर हो गई थी;

(ख) यदि हाँ, तो इसमें कितने व्यक्ति घायल हुए तथा कितने मारे गए;

(ग) घायल हुए व्यक्तियों तथा मृतकों के परिवारों को मुआवजे के रूप में कितना-कितना धन दिया गया; और

(घ) इस सम्बन्ध में की गयी जाँच का व्यौरा क्या है?

**रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) :**

(क) जी हाँ, दुर्घटना 17–5–1969 को हुई थी।

(ख) इस दुर्घटना में किसी की मृत्यु नहीं हुई। फिर भी, 11 व्यक्तियों को चोटें आयीं जिनमें से 3 गम्भीर रूप से घायल हुए थे।

(ग) अभी तक कोई क्षतिपूर्ति का दावा या भुगतान नहीं किया गया है।

(घ) बेंगलूर स्थित रेल संरक्षा के अपर-आयुक्त द्वारा इस दुर्घटना की जाँच की गयी थी। उनके अन्तिम निष्कर्षों के अनुसार यह दुर्घटना रेल कर्मचारियों की गलती के कारण हुई।

## पश्चिमोत्तर रेलवे (पाकिस्तान) से आये हुए रेलवे कर्मचारियों के लिये अवकाश सुविधायें

4012. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिमोत्तर रेलवे (अब पाकिस्तान में) के उन कर्मचारियों की जिन्होंने पश्चिमोत्तर रेलवे से प्रव्रजन के समय भारत आने की इच्छा व्यक्त की थी, 1922 में मूल अवकाश नियम लागू किए जाने से पहले जो पुनरीक्षित सिविल सेवा नियम 1920 लागू थे उनके अन्तर्गत सभी विशेषाधिकार प्राप्त थे ;

(ख) क्या एकरूपता लाने के उद्देश्य से रेलवे बोर्ड ने अपने 14 दिसम्बर, 1948 के पत्र संख्या ई० 48/आर० टी०/9/2 तथा 23 दिसम्बर, 1953 के ई० 52-आर० टी० 1/4/2 के द्वारा एफ एल० आर० के अन्तर्गत ऐसे कर्मचारियों को अनुमति दी थी कि वे 28 महीने के एल० पी० आर० का लाभ उठा सकते हैं;

(ग) क्या इस प्रकार प्रदत्त विशेषाधिकारियों का बहुत से कर्मचारियों (प्रशासनिक) ने लाभ उठाया था जिन्हें तुरन्त तथा मनमाने ढंग से वर्ष 1958 से वापिस ले लिया गया और जिसके परिणामस्वरूप बहुत से लोगों को जो आंशिक तौर से ऐसी छुट्टियाँ ले चुके थे, अवकाश की अवधि का वेतन लौटाना पड़ा था और जिसे अधिकतर मामलों में उनकी भविष्य निधि से वसूल किया गया था; और

(घ) यदि हाँ, तो उसके क्या कारण थे और प्रभावित व्यक्तियों की शिकायत को दूर करने के लिये क्या कार्रवाही की जायेगी ?

**रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) :**

(क) से (घ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

## ट्रैक टाइप ट्रैक्टरों का निर्माण

4013. **श्री नन्द कुमार सोमानी :** क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ट्रैक टाइप ट्रैक्टरों की वास्तविक आवश्यकताओं के बारे में कोई अनुमान लगाये गए हैं और यदि हाँ, तो उनकी अश्व शक्तिवार आवश्यकताओं का ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या इन ट्रैक्टरों को बनाने के लिए लाइसेंस दिए गए हैं और यदि हाँ, तो ऐसी भारतीय कम्पनियाँ कौन-कौन सी हैं जिन्हें लाइसेंस दिए गए हैं, उनके सहयोगी कौन-कौन हैं, उन्हें शक्तिवार कितनी-कितनी मात्रा के लिए लाइसेंस दिया गया है तथा क्या लाइसेंस-प्राप्त प्रत्येक कम्पनी में उत्पादन आरम्भ हो गया है ;

(ग) क्या और औद्योगिक लाइसेंस जारी करने का सरकार का विचार है और यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं ;

(घ) क्या देश के इस उद्योग को बचाने के उद्देश्य से इन ट्रैक्टरों के आयात पर सरकार ने पूरी तरह से प्रतिबन्ध लगा दिया है और यदि हाँ, तो कब से; और

(ङ) क्या सरकार किसी अन्य मंत्रालय के दबाव से उन ट्रैक्टरों का आयात करेगी अथवा आयातित ट्रैक्टरों की अनुचित प्रतिस्पर्धा से देश के उद्योग की जोरदार तरीके से रक्षा करेगी?

**औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद):**

(क) निर्माण उपकरणों के कार्यकारी दल ने चतुर्थ पंचवर्षीय योजनावधि में के अन्त तक ट्रैक प्रकार के ट्रैक्टरों का निम्नलिखित अनुमान लगाया है:—

| | |
|---|---|
| 50–100 अश्व-शक्ति | 1000 नग प्रतिवर्ष |
| 120–200 अश्व-शक्ति | 200 नग प्रतिवर्ष |
| 225–300 अश्व-शक्ति | 125 नग प्रतिवर्ष |
| 300 अश्व शक्ति से ऊपर | 30 नग प्रतिवर्ष |
| फ्रंट एण्ड लोडर्ज के लिए ट्रैक्टर लगभग 140 अश्व शक्ति तक | 125 नग प्रतिवर्ष |
| योग | 1,40 नग |

(ख) जारी किए गए लाइसेंसों का व्यौरा निम्न प्रकार है:—

| भारतीय पार्टी का नाम | विदेशी सहयोगी का नाम | वार्षिक स्वीकृत क्षमता (अश्व शक्ति अनुसार) | | क्या उत्पादन किया जा रहा है अथवा नहीं |
|---|---|---|---|---|
| 1. मै० स्टैण्डर्ड ट्रैक्टर्स प्रा० लि० बड़ौदा | मै० रडनैप आफ यूगोस्लाविया। | 50 अश्व शक्ति<br>90 अश्व शक्ति | 200 सं०<br>200 सं० | उत्पादन हो रहा है |
| 2. मै० ब्रिटानिया इन्जी० कं०प्रा० लि० कलकत्ता | मै० मार्शल सन्स आफ यू० के० | 70 अश्व शक्ति<br>50 अश्व शक्ति | 150 सं० | उत्पदन अभी चालू नहीं हुआ |
| 3. बर्ड एण्ड कं० प्रा० लि० कलकत्ता। | मै० रहनस्थलहनोमेग आफ वेस्ट जर्मनी | 50 अश्व शक्ति<br>84 अश्व शक्ति | 150 सं० | वही |
| 4. मै० हिन्दुस्तान मोटर्स लि० कलकत्ता | मै० जनरल मोटर्स कारपो० यू० एस० ए० | 200–300 अ० श०<br>400 से ऊपर | 200 सं०<br>40 सं० | वही |
| 5. मै० भारत अर्थ मूवर्स लि० बंगलौर | मै० कोमाट्सू आफ जापान | 84 अश्व शक्ति<br>165 अश्व शक्ति<br>250 अश्व शक्ति | 300 सं०<br>350 सं० | वही उत्पादन चालू है। |

(ग) लाइसेंस के लिए कुछ आवेदन हाल ही में प्राप्त हुए हैं और वे विचाराधीन हैं। निर्णय लाइसेंसिंग समिति की सिफारिशों के प्राप्त होने के पश्चात् किया जायगा।

(घ) चूंकि देशीय उद्योग अभी माँग की पूर्ति के लिए सक्षम नहीं है इसलिए इनके आयात पर पूर्ण प्रतिबन्ध नहीं लगाया गया।

(ङ) आयात पर निर्णय सभी सम्बद्ध मंत्रालयों के परामर्श पर किए जाते हैं और इससे पूर्व सभी पक्षों पर जिसमें देशीय उद्योग के संरक्षण की आवश्यकता भी सम्मिलित है पर विचार किया जाता है।

**Capital Finance of India (P) Limited**

4014. **Shri Ram Singh Ayarwai : Shri Bharat Singh Chauhan : Shri Hukam Chand Kachwai :**

Will the Minister of **Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 206 on the 12th November, 1968 and state;

(a) the number of such persons as have deposited the money, as fixed deposits in the Capital Finance of India (Private) Limited, Delhi and the amount deposited by each;

(b) whether it is a fact that some depositors have asked for the refund of their money but the company is reluctant to refund the same;

(c) if so, whether Government would ask the company to refund the deposits to those depositors who ask for the refund; and

(d) the total amount of fixed deposits refunded by the company during the last three years and the number of persons to whom these were refunded ?

**The Minister of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed) :**

(a) to (d) Under the Companies Act, 1956 information about the number of depositors, deposits made by them and refunds of such deposits is not required to be filed with the Registrar of Companies and is not available. However, the information is being collected and will be laid on the Table of the House.

**दानेदार सुहागे का मूल्य**

4015. **श्री मधु लिमये :** क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि बोरेक्स मोरारजी लिमिटड द्वारा दानेदार सोहागे का निर्धारित मूल्य लगभग 1400 रुपए प्रति टन है;

(ख) क्या यह सच है कि अत्यन्त त्रुटिपूर्ण वितरण व्यवस्था होने तथा धर्मशी मोरारजी के निदेशकों द्वारा, जो इस कम्पनी का प्रबन्ध करते हैं, आयातित कच्चा माल प्राप्त करने में जानबूझ कर की जाने वाली देरी के कारण बाजार मूल्य अभी भी 5,000 रुपए प्रति टन है और यह 8,000 से 9,000 रुपए प्रति टन तक पहुँच गया था ;

(ग) शीशा उद्योग के लिये आवश्यक कच्चे माल की अत्यधिक कमी को दृष्टि में रखते हुए क्या सरकार राजकीय व्यापार निगम से तुरन्त सुहागे का निर्यात करने के लिये कहेगी / निर्यात करने की अनुमति देगी ; और

(घ) क्या सरकार नए उपक्रमियों को उत्तर भारत के राज्यों तथा उत्तर प्रदेश या बिहार में सुहागा बनाने के कारखाने स्थापित करने की अनुमति देगी क्योंकि उन्हें बम्बई से सुहागा प्राप्त करने में कठिनाई होती है ?

**औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद):**

(क) बोरक्स मोरारजी लि० द्वारा हाल ही में घोषित कारखाने से बाहर की कीमत निम्न-लिखित है:

| | | |
|---|---|---|
| 1. | तकनीकी दानेदार सुहागा | 1280 रु० प्रति मी० टन |
| 2. | तकनीकी चूरा सुहागा | 1400 रु० प्रति मी० टन |
| 3. | तकनीकी टुकड़े सुहागा | 1600 रु० प्रति मी० टन |

(ख) 1969 की प्रथम तिमाही में सुहागे के उत्पादन तथा संभरण में अस्थाई कमी का कारण यह था कि कुछ आवश्यक कच्चे माल, जो अमरीका से आयात किए जाते हैं, वे समय के अन्दर बम्बई इन कारणों से नहीं पहुँचे (i) जहाजों की अप्राप्ति (ii) अमरीका में गोदी कर्मचारियों की हड़ताल (iii) सिंगापुर में आशा के विपरीत जहाजों का बदलना। स्वीकृत किए गए लाइसेंस के अनुसार काफी कच्चे माल के आ जाने से, जनवरी, 1969 में बोरक्स मोरारजी लि० का सुहागे का उत्पादन 13 मी० टन से जुलाई, 1968 में 1137 मी० टन तक बढ़ गया है। मई, 1968 में बोरक्स मोरारजी लि० ने समाचारों में विज्ञापन दिया जहाँ साथ ही उन्होंने सुहागे की विभिन्न किस्म के वितरक के गोदाम से निकलने के बाद का मूल्य भी दिया था जो उनके अधिकृत वितरकों से प्राप्त है। विज्ञापन के प्रकाशन के पश्चात् सरकार के पास ऊँची कीमतों के बारे में कोई शकायत नहीं आई है।

(ग) ऐसी आशा है कि चालू वर्ष में उत्पादन 9000 मी० टन तक पहुँच जायेगा चूंकि देश का आन्तरिक उत्पादन विभिन्न उपभोक्ता उद्योगों की माँग को पूरा कर सकने में सक्षम है इसलिए राज्य व्यापार निगम के माध्यम से सुहागे के आयात की आवश्यकता नहीं है।

(घ) चूंकि इस समय सुहागे की लाइसेंस-प्राप्त तथा स्थापित क्षमता चालू माँग के पूरा करने में पर्याप्त समझी जाती है इसलिए इस समय इस उद्योग में और लाइसेंस देने की गुंजाइश नहीं है।

### Survey of New Site for Sonai Station

4016. **Shri Nihal Singh :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state ;

(a) the designations of the Officers of the Railway Board and Ministry of Railways who had gone for survey of the site of Sonai Station on Mathura-Hathras metre gage line since January, 1969 to date and the dates on which they had gone for survey;

(b) the result of the survey made by them and whether this survey was done in the presence of the residents of that area and, if not, the reasons therefor; and

(c) whether some Members of Parliament have sent any memoranda to Government in this regard ?

**The Minister of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) :**

(a) No Officer went for survey of the site of Sonai Station since January, 1969 to date :

(b) Does not arise.

(c) A memorandum duly forwarded by two Members of Parliament has since been received.

**अतिरिक्त क्षमता की मान्यता देने के लिये बैरल उद्योग में अनियमिततायें**

4017. **श्री मधु लिमये :** क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 'बैरेल' उद्योग के प्रतिबिन्धत सूची में होने पर भी उसकी अतिरिक्त क्षमता को मान्यता देने के लिये की गई अनियमितताओं के बारे में प्राक्कलन समिति (चौथी लोक-सभा) के 85वें प्रतिवेदन की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में किसी अधिकारी या व्यक्ति के विरुद्ध कोई कार्यवाही की है,

(ग) क्या किसी अधिकारी को विभागीय जाँच आदि पूरी हो जाने तक मुअत्तिल किया गया है; और

(घ) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है?

**औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) :**

(क) से (घ) सरकार 3 अप्रैल, 1969 को लोकसभा में प्रस्तुत की गई प्राक्कलन समिति की 85वीं रिपोर्ट में की गई सिफारिशों की जाँच कर रही है। सरकार की राय समिति को बता दी जायगी। समिति की अन्य सिफारिशें सरकार को मिल जाने के बाद उन पर अंतिम निर्णय लिया जायगा।

**कम्पनी (संशोधन) अधिनियम के उपबन्धों की प्रवंचना**

4018. **श्री मधु लिमये :** क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को एक संसद्-सदस्य से एक चार सूत्री ज्ञापन-पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें कम्पनी (संशोधन) अधिनियम (जिसे हाल में राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्ति हो गई है) के उपबन्धों का उल्लंघन करने के लिए जो प्रयास किए जाने की संभावना है उनका उल्लेख किया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो ये चार सूत्र कौन-कौन से हैं; और

(ग) उस ज्ञापन-पत्र पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

**औद्योगिक विकास आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) :**

(क) हाँ, श्रीमान्।

(ख) ज्ञापन में निम्नलिखित चार सुझाव हैं:

(1) राजनैतिक चन्दों के प्रतिबन्ध के सिद्धान्त के विस्तार को न्यास तथा भागीदार फर्मों में भी आवश्यकता है;

(2) वृहद उद्योग-गृहों द्वारा, विक्रेता अभिकर्ताओं तथा वितरकों पर राजनैतिक चन्दे देने के लिए दबाव डालने की प्रक्रिया को रोकने की शक्यता पर परीक्षा की जानी चाहिये ;

(3) प्रबन्ध निदेशकों के किसी पारिश्रमिक को बढ़ाने को, सिद्धान्त रूप से, स्वीकृति नहीं देनी चाहिये। वर्तमान पारिश्रमिकों को भी, जहाँ वह अधिक हों, कम करने के पग उठाने चाहिये ।

(4) एक माल विक्रेता अभिकर्ता समझौते के लिए भविष्य में अनुमति नहीं देनी चाहिये क्योंकि अनेक व्यापारिक समूहों ने, इस प्रणाली को प्रबन्ध अभिकरणों के स्थान पर रूपान्तर करने का निर्णय कर लिया है।

(ग) यह विषय परीक्षान्तर्गत है।

**दुर्बल, अन्धों तथा मानसिक रोगियों के लिये राष्ट्रीय संस्थायें**

4019. **श्री नीतिराज सिंह चौहान :** क्या **विधि तथा समाज-कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में दुर्बल, अन्धों तथा मानसिक रोगियों के लिये कोई राष्ट्रीय संस्थाएँ चलाई जा रही हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो उनका ब्यौरा क्या है?

**विधि मंत्रालय तथा समाज-कल्याण विभाग में राज्य मंत्री (डा० (श्रीमती) फूलरेणु गुह) :**

(क) हाँ, श्रीमान्।

(ख) भारत सरकार निम्नलिखित चार केन्द्र चला रही है—

| नाम | स्थान | संक्षिप्त विवरण |
|---|---|---|
| (1) नेत्रहीनों के लिए राष्ट्रीय केन्द्र | देहरादून | यह कई सेवाएँ प्रदान करता है, जिनमें शिक्षा, प्रशिक्षण, उपकरणों का निर्माण, पुस्तकों का प्रकाशन, शेल्टर्ड वर्कशाप तथा एक पुस्तकालय-सेवा शामिल हैं। |
| (2) बहरे व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय केन्द्र | हैदराबाद | इस केन्द्र में 16 से 25 वर्ष की आयु के बहरे व्यक्तियों को इंजीनियरी तथा गैर-इंजीनियरी व्यवसायों में प्रशिक्षण दिया जाता है। कम बहरे बच्चों के लिए एक स्कूल भी शीघ्र खोला जाएगा। |

| | | | |
|---|---|---|---|
| (3) | मं-बुद्धि बच्चों के लिए राष्ट्रीय केन्द्र | नई दिल्ली | मंद-बुद्धि बच्चों के लिए एक आदर्श स्कूल की स्थापना की गई है, जिसमें 6 से 15 वर्ष की आयु के शिक्षा योग्य लगभग 130 बच्चों को, जिनका आई० क्य० 50 और 75 के भीतर होता है, शिक्षा तथा प्रशिक्षण के अवसर दिए जाते हैं। अन्य एककों की क्रमशः इस केन्द्र के अन्तर्गत स्थापना की जाएगी। |
| (4) | विकलांग व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय केन्द्र | चुना जायेगा | उचित रूप-रेखा का सुझाव देने के लिये भारत सरकार के एक संकल्प द्वारा एक समिति नियुक्त की गयी है। |

**पश्चिम रेलवे में सहायक निर्माण परीक्षक की सेवा समाप्त किया जाना**

4020. **श्री हुकुम चन्द कछवाय** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पश्चिम रेलवे के कुछ वरिष्ठ सहायक निर्माण परीक्षकों की सेवाएं समाप्त किए जाने के क्या कारण थे जबकि उनके कनिष्ठ अधिकारियों को सहायक निर्माण परीक्षकों के रूप में काम करने की अनुमति दी गई थी;

(ख) क्या यह सच है कि उत्तर रेलवे में जब उन्हें सहायक निर्माण परीक्षकों के रूप में नियुक्त कर लिया गया है तो उनकी सेवा नए सिरे से मानी जा रही है तथा उन्हें उनकी पहली सेवा के लाभ से वंचित किया जा रहा है जबकि उनसे कनिष्ठ अधिकारियों को सेवा का लाभ दिया जा रहा है;

(ग) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या उनके सेवा-भंग को (जो प्रशासनिक गलती के कारण हुई है) माफ करने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) :**

(क) से (ग) निर्माण-कार्य पूरा हो जाने के कारण पश्चिम रेलवे के कुछ सहायक निर्माण निरीक्षक फालतू घोषित कर दिए गए थे। उन्हें शुरू में क्लर्कों के वैकल्पिक पद देने का प्रस्ताव किया गया था जिसे कनिष्ट कर्मचारियों ने तो स्वीकार कर लिया लेकिन वरिष्ट कर्मचारियों ने स्वीकार नहीं किया। इसलिए वरिष्ठ कर्मचारियों को कार्यमुक्त कर दिया गया। जिन कनिष्ठ कर्मचारियों ने वैकल्पिक नियुक्तियाँ स्वीकार कर ली थीं वे और तीन अन्य कनिष्ठ कर्मचारी, जो सहायक निर्माण निरीक्षक के पद पर काम करते रहने के लिए न्यायालय से स्थगन-आदेश लाये थे, सेवा में बने रहे जबकि वरिष्ठ कर्मचारियों की सेवा की निरंतरता भंग हो गयी। आदेशों में इस प्रकार की व्यवस्था है कि जिन कर्मचारियों की सेवा की निरंतरता भंग हो गयी हो, वैकल्पिक पदों में

समाहित होने पर वे अपनी पछली सेवा के लाभ के पात्र नहीं होते। इसलिए जो निर्माण-निरीक्षक कार्यमुक्त कर दिए गएथे, बाद में नियुक्त किए जाने पर उन्हें उनकी पिछली सेवा का लाभ नहीं दिया जा सकता जबकि पहले के उनसे कनिष्ठ कर्मचारियों को, जिनकी सेवा निरंतर बनी रही नियमों के अन्तर्गत सामान्यत: स्वीकार्य लाभ देना पड़ा।

(घ) और (ङ) भाग (क) से (ग) तक के उत्तर में जो स्थिति बतायी गयी है उसे देखते हुए सवाल नहीं उठता।

**स्थायी सहायक रेलपथ निरीक्षकों का प्रशिक्षण**

4021. **श्री हुकम चन्द कछवाय** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) रेलवे बोर्ड के निर्णय के अनुसार छ: महीने के लिये निर्धारित स्थायी सहायक रेलपथ निरीक्षकों के संक्षिप्त प्रशिक्षण पाठ्यक्रम को बढ़ा कर उत्तर रेलवे में 10 महीने तक क्यों किया जा रहा है जिससे उन स्थायी सहायक रेलपथ निरीक्षकों को हानि उठानी पड़ेगी जिनकी सेवा भंग हो गई हो;

(ख) क्या उन सहायक रेलपथ निरीक्षकों को, जिनकी सेवा भंग हो गई है, यात्रा भत्ता, वार्षिक वृद्धि आदि का लाभ दिया जायेगा तथा उन्हें बढ़े हुए प्रशिक्षण काल में कार्य कर रहे कर्मचारी माना जायेगा; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**रेलवे मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह) :**

(क) सहायक स्थायी मार्ग निरीक्षकों के पदों के लिए प्रशिक्षण के छ: महीने के संक्षिप्त पाठ्यक्रम की पाठ्यचर्या प्रारम्भिक रूप में उत्तर रेल प्रशासन द्वारा तैयार की गयी थी जिसमें आधुनिक उच्च गति रेल-पथ, रेल-पथ के यांत्रिक अनुरक्षण, रेल-पथ नवीकरण की योजना और क्रियान्वयन आदि की कुछ महत्त्वपूर्ण बातों का कारगर समावेश नहीं किया गया था। इसलिए यह विनिश्चय किया गया था कि रेल प्रशासन प्रशिक्षण के संक्षिप्त पाठ्यक्रम को छ: महीने से बढ़ा कर 10 महीने कर दे। लेकिन, अब रेल प्रशासन से अनुरोध किया गया है कि भविष्य में होने वाली टोलियों के लिए प्रशिक्षण की अवधि प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में कमी-बेशी करके इस प्रकार घटा दी जाये कि छ: महीने के भीतर सभी बातों का समावेश हो जाये।

(ख) जी नहीं।

(ग) सेवा की सतता न होने पर अतिरिक्त कर्मचारी वैकल्पिक नियोजन में उन पदों के कार्यभारी होने से पहले प्रशिक्षण की अवधि में खुली प्रतियोगिता द्वारा सीधी भर्ती से आने वाले व्यक्तियों की तरह समझे जाते हैं।

**राँची रोड, स्टेशन (पूर्व रेलवे) पर खान-पान कक्ष/रेस्तराँ**

4022. **श्री मधु लिमये** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास यह शिकायत आई है कि राँची रोड स्टेशन (पूर्व रेलवे) पर कोई खान पान कक्ष / रेस्तराँ नहीं है;

(ख) यदि हाँ तो क्या यात्रियों की सुविधा के लिए कोई रेस्तराँ खोलने का सरकार का विचार है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**रेलवे मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह) :**

(क) जी हाँ।

(ख) जी नहीं।

(ग) अभी हाल तक राँची रोड स्टेशन पर एक भोजनालय चल रहा था लेकिन जो ठेकेदार इसे चला रहा था, उसने ग्राहकों की कमी के कारण इसे छोड़ दिया। विकल्प के रूप में, बरकाकाना, स्टेशन पर एक भोजनालय की व्यवस्था की जा रही है, क्योंकि यह स्थान ऐसा है कि यहाँ ग्राहकों की संख्या अधिक होने की सम्भावना है, और इस प्रकार यात्रियों की जरूरतें अधिक अच्छी तरह पूरी होंगी। फिर भी, यात्रियों की सुविधा के लिए राँची रोड स्टेशन पर चाय, विस्कुट आदि की बिक्री का प्रबन्ध किया गया है।

### Loss to Railway Property Due to Agitations

4023. **Shri Valmiki Choudhary:** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the number of Railway engines, bogies and Railway lines destroyed in various agitations during 1968-69 and 1969-70, so far ; and

(b) the approximate loss suffered on account of these agitations?

**The Minister of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) :**

(a) 16 engines and 214 bogies were damaged/destroyed fully or partially in various agitations during 1968-69 and 1969-70 (upto June 1969).

(b) The damages caused to the Railway property on account of these agitations has been estimated at Rs. 20 lakhs. This includes the approximate damages Rs. 17.5 lakhs caused to the Rolling Stock mentioned in part (a).

### समस्तीपुर (पूर्वोत्तर रेलवे) में डिविजनल सुपरिटेंडेन्ट का कार्यालय

4024. **श्री द्वा० ना० तिवारी :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या समस्तीपुर में डिवीज़नल सुपरिन्टेन्डेन्ट व्यवस्था लागू करने तथा डिविज़नल सुपरिन्टेन्डेंट कार्यालय रखने से कोई बचत होने की संभावना है; और

(ख) क्या यह सच है कि आसाम में पूर्वोत्तर रेलवे के तीन डिवीज़नल सुपरिन्टेंडेंट कार्यालय हैं जबकि पूर्वोत्तर रेलवे के बिहार के भाग को तोड़ कर बनारस के साथ जोड़ दिया गया है तथा सोनपुर को नजरन्दाज कर दिया गया है, जहाँ पर डिवीज़नल सुपरिन्टेन्डेंट कार्यालय के लिए सभी सुविधाएँ उपलब्ध हैं?

**रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) :**

(क) समस्तीपुर में एक मण्डल प्रधान कार्यालय सहित पूर्वोत्तर रेलवे में मण्डल प्रणाली लागू करने से, आशा है, परिचालन-कुशलता में वृद्धि होगी और संचालन व्यय में भी कमी आयेगी।

(ख) पूर्वोत्तर सीमा रेलवे के दो मण्डल प्रधान कार्यालय (इनमें से एक परिवहन मण्डल है) असम राज्य में स्थित हैं। मण्डल प्रधान कार्यालय के स्थान का निर्धारण, परिचालन-कुशलता और मितव्ययिता के आधार पर किया जाता है, राज्यों की परिसीमाओं के आधार पर नहीं। इसी विचार से भूतपूर्व सोनपुर रेलवे-परिचालन जिले को पूर्वोत्तर रेलवे के समस्तीपुर और वाराणसी मण्डलों में विभाजित कर दिया गया।

**समस्तीपुर तथा बनारस में मंडल अधीक्षक के कार्यालय**

4025. **श्री द्वा० ना० तिवारी :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि समस्तीपुर तथा बनारस में मण्डल अधीक्षक के कार्यालय में स्थान की कमी के कारण अच्छी तरह से काम नहीं कर रहे हैं जिसके कारण यातायात अस्तव्यस्त हो जाता है, गाड़ी देर से चलती है तथा नियंत्रण व्यवस्था ठीक ढंग से काम नहीं करती;

(ख) जिन कर्मचारियों को वहाँ भेजा गया है क्या उनके पास रहने के लिये कोई स्थान नहीं है तथा वे कार्यालय में प्रायः देर से पहुँचते हैं; और

(ग) क्या लगभग एक करोड़ रुपए अथवा उससे अधिक लागत से कोई नई इमारतें बनाई जायेंगी ?

**रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) :**

(क) जी नहीं।

(ख) जी नहीं।

(ग) समस्तीपुर में कार्यालय और रिहायशी आवास की व्यवस्था की जा रही है जिस पर क्रमशः 6.20 लाख और 19.18 लाख रुपए खर्च होने का अनुमान है।

वाराणसी में क्वार्टरों का निर्माण किया जा रहा है जिस पर 6.89 लाख रुपए खर्च होने का अनुमान है।

**राजस्थान में बेरोजगारी को हल करने के लिये लघु तथा कटीर उद्योग की स्थापना**

4026. **डा० कर्ण सिंह :** क्या **औद्योगिक विकास, आन्तारक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आपको इस बात की जानकारी है कि रोजगार के अवसरों में कमी के कारण देश के युवकों में निराशा है और इसको दूर करने का एकमात्र उपाय यह है कि देश के एक सिरे से दूसरे सिरे तक लघु और कुटीर उद्योगों की स्थापना की जाये;

(ख) क्या सरकार का विचार बीकानेर डिवीजन के प्रायः सूखा और अकालग्रस्त क्षेत्रों में, जहाँ बेकारी की समस्या बहुत चिन्ताजनक है, सरकार का विचार कुछ लघु और कुटीर उद्योग आरम्भ करने का है ; और

(ग) यदि हाँ, तो उसका व्यौरा क्या है ?

**औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद):**

(क) हम बेरोजगारी की समस्या से अवगत हैं। निजी काम के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य

से युवक इंजीनियरों को लघु उद्योगों के कार्य-संचालन के आवश्यक पक्ष का प्रशिक्षण प्रदान कर निजी उद्योगों की स्थापना के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।

(ख) और (ग) किसी विशिष्ट प्रखण्ड में लघु उद्योगों की स्थापना की योजनायें राज्य सरकार द्वारा तैयार की जाती हैं। इसकी कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है कि राजस्थान सरकार ने बीकानेर के प्रखन्ड के लिये ऐसी कोई योजना तैयार की है या नहीं ।

**जूते बनाने के कारखाने की मशीनों के आयात को अनुमति देने में देरी**

4027. **श्री बाबू राव पटेल : क्या औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि फियाकोनी शू मैनफैक्चरिंग कम्पनी, फेनों, इटली के मालिक श्री जार्ज ने 30 जून, 1969 को मद्रास में हुए समाचारपत्र सम्मेलन में, दुःख प्रकट करते हुए, यह कहा था कि जूता बनाने वाले कारखाने की इमारत पहले ही बन चुकी है तथापि उसके लिए आवश्यक मशीनें आयात करने की अनुमति देने में भारत सरकार अनावश्यक विलम्ब कर रही है;

(ख) क्या यह भी सच है कि श्री फियाकोनी इटली के उस व्यापार प्रतिनिधि-मण्डल के सदस्य थे जो, कुछ समय पहले, भारत आया तथा जिसे भारत सरकार ने कारखाना स्थापित करने के लिए आमंत्रित किया था;

(ग) जूतों के उत्पादन तथा उसके निर्यात के लिए इस कम्पनी के साथ हुए करार की मुख्य शर्तें क्या हैं:

(घ) क्या यह सच है कि इस कम्पनी द्वारा नियुक्त किए गए इटली के तकनीशनों ने यह धमकी दी है कि वे इस कम्पनी के साथ हुए करार को रद्द करके किसी अन्य कम्पनी में काम कर लेंगे: यदि हाँ, तो क्या सरकार मशीन का तुरन्त आयात करायेगी ताकि वह कारखाना निर्धारित अनुसूची के अनुसार कार्य कर सके; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) :**

(क) सरकार का ध्यान इस बारे में एक समाचार की ओर खींचा गया है।

(ख) श्री फियाकोनी इतालियन व्यापार शिष्टमंडल के एक सदस्य थे जिसने मार्च 1969 में भारत का भ्रमण किया। सरकार ने उन्हें भारत में एक कारखाना प्रारम्भ करने के लिए आमंत्रित नहीं किया है।

(ग) मार्च, 1969 में मद्रास के श्रीनिवास एण्ड कंपनी ने इटली के जी० फियाकोनी एक्सपोर्ट सरल के सहयोग में चमड़े के जूते, सैंडिल इत्यादि बनाने का एक प्रस्ताव सरकार के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया। यह प्रस्ताव निम्नलिखित शर्तों पर अनुमोदित किया गया है:—

1. विदेशी सहयोगी तकनीकी जानकारी, तथा योजना प्रदान करेंगे और अभिन्यास के अनुसार कारखाना स्थापित करेंगे, नमूने तथा प्रतिमान देंगे और सभी देशों को तैयार माल का निर्यात करने के लिए अपने व्यापार चिह्नों को प्रयोग की अनुमति देंगे।

2. विदेशी सहयोगी उपयुक्त मशीनों का चुनाव करेंगे तथा कारखाने के लिए विदेशी तकनीशियनों की नियुक्ति करेंगे।, किन्तु यह सरकार की पूर्वानुमति से किया जायेगा।

3. 5.7 लाख रुपए की प्रारम्भिक अंश पूंजी से एक नई पब्लिक लिमिटेड कम्पनी बनाई जायेगी तथा विदेशी सहयोगियों को 1.9 लाख रुपए के मुक्त शेयरों का आवंटन होगा एवं कोई रायल्टी या तकनीकी फीस देय नहीं होगी।

4. विदेशी कंपनी को भारत से बाहर कंपनी के उत्पादों का निर्यात करने के लिए किसी व्यक्ति, फर्म या कंपनी को विक्रय संगठनकर्त्ताओं या विक्रय अभिकरणों के रूप में नियुक्त करने का अधिकार होगा, जिनको कंपनी, निर्यात की गई बिक्री का 5 प्रतिशत कमीशन देगी।

5. तैयार माल का निर्यात सरकार की संतुष्टि तक किसी भी ढंग में, जो इस संदर्भ में निर्धारित किया जायेगा, पूर्णतः अनुमत तथा प्रत्याभूत होगा तथा प्रथम वर्ष में कुल बिक्री के 63 प्रतिशत से कम नहीं, द्वितीय वर्ष में 72 प्रतिशत से कम नहीं तथा तत्पश्चात् कुल बिक्री के 80 प्रतिशत से कम निर्यात नहीं होगा।

(घ) सरकार को इसकी जानकारी नहीं है, सरकार के पास इस योजना से संबंधित कोई आयात आवेदन रुका हुआ नहीं है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

### Prevention of Prostitution in India

4028. **Shri Nathu Ram Ahirwar** : Will the Minister of **Law and Social Welfare** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that prostitution is still going on in the various cities of the country ;

(b) the names of those cities and the number of prostitutes;

(c) whether Government propose to take active steps to check prostitution; and

(d) if so the outlines thereof?

**The Minister of State in the Ministry of Law and in the Department of Social Welfare (Dr. (Smt.) Phulrenu Guha) :**

(a) and (b) No information is available on the extent of prostitution in different cities of the country.

(c) and (d) The Suppression of Immoral Traffic for Women and Girls Act was passed by the Parliament in 1956 to control prostitution in the country. A number of States have implemented the Act and provided measures for the suppression of prostitution in cities under their jurisdiction. The implementation of the Act rests with the State Governments.

### Complaints against Ticket Collectors with Headquarters at Kanpur Central Station

4029. **Shri Ram Charan**: Will the Minister of **Railways** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 125 on the 18th February, 1969 and state:

(a) whether several other complaints of serious irregularities have since been received against the other Ticket Collectors (with Headquarters at Kanpur Central, Northern Railway) whose past record of service has been full of irregularities;

(b) if so, the action taken on the said complaints; and

(c) the result of action which is being taken to keep a watch on the Ticket Collectors referred to in the reply to parts (c) and (d) of Unstarred Question No. 125?

**The Minister of Railwxys (Dr. Ram Subhag Singh) :**

(a) No such complaint has been received.

(b) Does not arise in view of the reply to part (a).

(c) The watch kept on the head of the Squad of Ticket Collectors headquartered at Kanpur; referred to in the answer to parts (c) and (d) of Unstarred Question No. 125, has not revealed anything adverse against him.

### हिन्द गैलवेनाइजिंग एन्ड इंजीनियरिंग कम्पनी (प्राइवेट) लिमिटेड की आस्तियाँ

4030. **श्री स० बनर्जी :** क्या औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिन्द गैलवेनाइजिंग एण्ड इंजीनियरिंग कम्पनी (प्राइवेट) लिमिटेड के 6000 टन वार्षिक क्षमता के लिए 40/45 गैलन के तेल के ड्रमों के निर्माण के लिये मान्यता दिए जाने के बाद के वर्षों में उसकी स्थिर आस्तयाँ 25 लाख रुपए की सीमा से अधिक हो गई;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार का विचार 40/45 गैलन के तेल के ड्रमों के लिये उसकी क्षमता की मान्यता को वापस लेने का है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद):**

(क) जी, हाँ।

(ख) और (ग) बैरल उद्योग में अतरिकत क्षमता के निर्माण के प्रश्न पर प्राक्कलन समिति ने विचार किया था और उसने अपना प्रतिवेदन (85वाँ) 30 अप्रैल, 1969 को लोक-सभा में प्रस्तुत कर दिया था। समिति ने बैरल निर्माता फर्मों के सम्बन्ध में कुछ सिफारिशें की हैं। इन पर सरकार विचार कर रही है । सरकार के विचार समिति के समक्ष रखे जायेंगे। उन पर अन्तिम निर्णय समिति की सरकार के विचारों को ध्यान में रखने के उपरान्त की गई सिफारिशों के पश्चात् ही लिया जायेगा।

### पश्चिम बंगाल में माल गाड़ियों तथा सावारी गाड़ियों का लूटा जाना

4031. **श्री यशपल सिंह :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या माल गाड़ियों तथा सवारी गाड़ियों की लूट की घटनाओं में, विशेषकर पश्चिम बंगाल में, हाल में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या गत कुछ महीनों के तत्सम्बन्धी कोई आँकड़े उपलब्ध हैं; और

(ग) इसे रोकने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं?

**रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) :**

(क) जी नहीं।

(ख) सवाल नहीं उठता।

(ग) इस अपराध को रोकने के लिए जो उपाय किए गए हैं, वे इस प्रकार हैं:—

1. रात की सभी महत्त्वपूर्ण सवारी गाड़ियाँ सरकारी रेलवे पुलिस के सशस्त्र सैनिकों के पहरों में भेजी जाती हैं।
2. सरकारी रेलवे पुलिस की सशस्त्र आरक्षी टुकड़ियों और गश्त लगाने वालों को भेद्य बदनाम खण्डों में तैनात किया जाता है।
3. प्रभावित खण्डों पर माल गाड़ियों में रेलवे सुरक्षा दल के सशस्त्र पहरेदारों की व्यवस्था की जाती है।
4. भेद्य स्थानों और क्षेत्रों में रेलवे सुरक्षा दल के सशस्त्र आरक्षी टुकड़ियों और गश्त लगाने वालों की व्यवस्था की जाती है।
5. रेलों पर अपराधियों की गतिविधि के बारे में गुप्त सूचनाओं का आदान-प्रदान करने के लिए रेलवे सुरक्षा दल, सरकारी रेलवे पुलिस और राज्य पुलिस अधिकारियों के बीच निकट सम्पर्क रखा जाता है।
6. प्रभावित यार्डों में रेलवे सुरक्षा दल के कुत्ते गश्त लगाते हैं।

## यूगोस्लाविया तथा संयुक्त अरब गणराज्य के सहयोग से छोटी कार परियोजना

4032. **श्री यशपाल सिंह :**          **श्री ई० के० नायनार**

क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या युगोस्लाविया तथा संयुक्त अरब गणराज्य के सहयोग से सरकारी क्षेत्र में एक छोटी कार परियोजना स्थापित करने का सरकार का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) उसे कब तक अन्तिम रूप दिए जाने की संभावना है?

**औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद):**

(क) और (ख) संयुक्त अरब गणराज्य के सहयोग से भारत में जेस्तवा 750 कारों का निर्माण करने हेतु यूगोस्लाविया की जवोदी क्रवेना जेस्तवा नामक फर्म से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था। इसके पश्चात् में फिएट आफ इटली के सहयोग से जेस्तवा 750 तथा फिएट 1100 डी का निर्माण करने के लिए मे० जवोदी क्रवेना जेस्तवा ने एक अन्य संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत किया। इस तरह की अन्य योजनाओं के साथ-साथ सरकार इस प्रस्ताव पर भी विचार कर रही है।

(ग) क्या चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि में छोटी कार परियोजना को कार्यान्वित किया जाना है, इस मामले पर निर्णय कर लेने के पश्चात इसी तरह के अन्य प्रस्तावों के साथ-साथ इस प्रस्ताव पर भी निर्णय किया जाएगा।

**औद्योगिक बस्तियों का उपयोग**

4033. **श्री जनार्दन : श्री हिम्मतसिंहका :**

क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि विभिन्न राज्यों में स्थापित की गई औद्योगिक बस्तियों का इस समय ठीक प्रकार उपयोग नहीं किया जा रहा है:

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इन बस्तियों का उचित तथा पूर्ण उपयोग सुनिश्चित करने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

**औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद):**

(क) और (ख) अनुपयुक्त स्थापना स्थल, उद्यमियों की कमी, विद्युत् तथा जल की अपर्याप्त पूर्ति आदि के कारण कुछ औद्योगिक बस्तियों में बनाये गए अनेक शेडों का या तो पूर्ण प्रयोग नहीं किया गया है, या उन्हें किसी अन्य प्रयोजन के लिए प्रयुक्त किया जा रहा है।

(ग) औद्योगिक बस्तियों के कार्यक्रम की संवीक्षा संसद् की प्राक्कलन समिति द्वारा की गई है और इसकी सिफारिशों को राज्य सरकारों के ध्यान में लाया गया है क्योंकि औद्योगिक बस्तियों की स्थापना तथा उनके रख-रखाव से वे ही मुख्यता संबंधित हैं। राज्य सरकारों को परामर्श दिया गया है कि वे प्रत्येक औद्योगिक बस्ती का पुनरीक्षण करें और उन औद्योगिक बस्तियों को जिनके पनपने की संभाव्यनायें हैं किन्तु वे ठीक काम नहीं कर रही हैं उन्हें उचित तथा पर्याप्त प्रोत्साहन दें।

**पूर्वोत्तर रेलवे के स्टेशनों पर पीने का पानी तथा खाद्य पदार्थ सप्लाई करने के लिए सहकारी समितियाँ/निजी ठेकेदारों को ठेके देना**

4034. **श्री विश्वनाथ पान्डेय:** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1966-67 से 1968 तक की अवधि में पूर्वोत्तर रेलवे के जिन स्टेशनों पर पीने का पानी और खाद्य पदार्थ सप्लाई करने के लिए ठेके दिए गए थे, उनके नाम क्या हैं तथा इस प्रकार के ठेकों की शर्तें क्या थीं; और

(ख) जिन स्थानों पर सहकारी समितियों के अतिरिक्त खाद्य पदार्थ सप्लाई करने के लिए ठेके गैर-सरकारी ठेकेदारों को दिए गए थे उनके नाम क्या हैं ?

**रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) :**

(क) 1966 और 1968 के बीच पीने का पानी सप्लाई करने के लिए किसी सहकारी समिति

को ठेका नहीं दिया गया। लेकिन 1966 और 1968 के बीच खाद्य पदार्थ बेचने का ठेका पहलेजाघाट के एक सहकारी समिति को खोमचा ठेकेदारों के लिए लागू सामान्य शर्तों पर दिया गया था।

(ख) खाद्य पदार्थ बेचने का ठेका, सहकारी समितियों के अलावा पूर्वोत्तर रेलवे के स्टेशनों पर, जैसा कि सभा-पटल पर रखी गयी सूची में दिया गया है, प्राइवेट ठेकेदारों को भी दिया गया है।

**[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1731/69]**

**उत्तर प्रदेश के समाज-कल्याण विभाग को अनुदान**

4035. **श्री विश्वनाथ पान्डेय** : क्या **विधि तथा समाज-कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के समाज-कल्याण विभाग को वर्ष 1966-67, 1967-68 और 1968-69 में क्रमशः केन्द्रीय अनुदानों की कितनी राशि दी गई थी और वर्ष 1969-70 के लिये कितनी राशि नियत की गई है;

(ख) क्या यह भी सच है कि पहले के वर्षों की अपेक्षा वर्ष 1968-69 में इन अनुदानों की राशि कम कर दी गयी है; और

(ग) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं ?

**विधि मंत्रालय तथा समाज-कल्याण विभाग में राज्य मंत्री (डा० (श्रीमती) फूलरेणु गुह)** :

(क)

| | रुपए लाख की राशियों में |
|---|---|
| 1966-67 | 1.92 |
| 1967-68 | 2.38 |
| 1968-69 | 5.60 |
| 1969-70 | 3.10 |

कुछ विशिष्ट योजनाओं के लिए कोई अलग आवंटन नहीं है। यह खर्च कुल राशि में से किया जाएगा।

(ख) नहीं, श्रीमान्।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

**पूर्वोत्तर रेलवे पर 74-डाउन सवारी गाड़ी का पटरी से उतरना**

4036. **श्री विश्व नाथ पांडेय** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जुलाई, 1969 के प्रथम सप्ताह में पूर्वोत्तर रेलवे में लार रोड तथा सलीमपुर रेलवे स्टेशनों के बीच ड्राइवर को समय पर चेतावनी देकर 74-डाउन सवारी गाड़ी को रेल की पटरी से उतरने से बचा लिया गया था; और

(ख) यदि हाँ, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**रेलवे मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह)** :

(क) जी नहीं।

(ख) सवाल नहीं उठता।

**क्यूबा को इस्पात का निर्यात**

4037. **श्रीमती सुशीला गोपालन : श्री प० गोपालन :**
**श्री उमानाथ : श्री अनिरुद्धन :**

**क्या इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या क्यूबा सरकार ने भारत से बहुत बड़ी मात्रा में इस्पात खरीदने की पेशकश की है;

(ख) यदि हाँ, तो उसने इस्पात की कौन सी विशिष्ट वस्तुएँ तथा कितनी मात्रा में खरीदने की पेशकश की है;

(ग) उसका कुल मूल्य कितना होगा; और

(घ) इस समय बातचीत किस स्थिति में है?

**इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) :**

(क) से (घ) ऐसा मालूम हुआ है कि इस्पात के कुछ भारतीय उत्पादकों और निर्यातकों को क्यूबा से कुछ पत्र प्राप्त हुए हैं। सप्लाई स्थिति कठिन होने तथा पूर्व वचन-बद्धता के कारण पत्र पाने वालों के लिए "हाँ" में उत्तर देना संभव नहीं हो सका है।

**पूर्व रेलवे के सियालदह डिवीजन के क्लर्कों के लिए पदोन्नति के अवसर**

4038. **श्री रामावतार शास्त्री : श्री क० मि० मधुकर :**

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 110–180 रुपए के वेतनमान में पूर्व रेलवे के सियालदह डिवीजन के 152 क्लर्कों, जो इस वेतनमान में रुके पड़े हैं, इस ग्रेड में ठीक-ठीक कितने वर्ष की सेवा कर चुके हैं, तथा उनके नाम क्या हैं;

(ख) उनके एक ही वेतनमान में रुके रहने के क्या कारण हैं;

(ग) 110–180 रुपए के वेतनमान के एक क्लर्क की 130-300 रुपए के अगले वेतनमान में पदोन्नति पाने में भारतीय रेलों में सामान्यतः औसतन कितने वर्ष का समय लगता है; और

(घ) गत पाँच वर्षों में सियालदह डिवीजन से 110–180 रुपए के वेतनमान में कितने क्लर्क सेवा-निवृत्त हुए और उनके नाम क्या हैं तथा सेवा-निवृत्ति के समय उनकी वेतन-दर क्या थी और यदि उनमें से कोई क्लर्क वेतनमान की अधिकतम राशि ले रहे थे, तो कितने वर्षों से?

**रेलवे मंत्री (डा राम सुभग सिंह) :**

(क) सभा-पटल पर रखे गए अनुबन्ध 'क' में इन 152 कर्मचारियों के नाम और 110–180 रुपए के अधिकृत वेतनमान में उनकी सेवा की अवधि बतायी गयी हैं। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1732/69]**

(ख) (i) उच्चतर ग्रेडों में पर्याप्त संख्या में खाली स्थान न होना;

(ii) सियालदह मण्डल में, युद्ध के दौरान भूतपूर्व बी० ए० रेलवे में भर्ती किए गए, एक ही आयु-वर्ग के ऐसे कर्मचारियों को बड़ी संख्या में समाहित किया जाना, जिन्होंने भारत के लिए विकल्प दिया;

(ग) रेलों में सामान्यतः किसी क्लर्क को अगले उच्चतर ग्रेड में पदोन्नति पाने में औसतन 15 वर्ष लग जाते हैं। लेकिन वास्तविक अवधि, संवर्ग के अवयवों के अनुसार, 9 से 20 वर्ष के बीच हो सकती है;

(घ) 8 क्लर्क;

अनुबन्ध 'ख' में इन सेवा-निवृत्त कर्मचारियों के वेतन की दर दी गयी है और यह बताया गया है कि इस वेतनमान के अधिकतम पर वे कितने समय तक रुके रहे। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1732/69]

**पूर्व रेलवे में सियालदह डिवीजन के क्लर्क**

4039. **श्री रामावतार शास्त्री :**　　**श्री क० मि० मधुकर**

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि पूर्व रेलवे के सियालदह डिवीजन के लगभग 152 क्लर्क 110–180 रुपए के वेतनमान में अनेक वर्षों से वेतनमान की अधिकतम राशि अर्थात् 180 रुपए पर रुके पड़े हैं;

(ख) क्या सम्बन्धित कर्मचारियों से इस आशय का कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ग) यदि हाँ तो उनके वेतन में इस स्थिरता को समाप्त करने के बारे में क्या कार्यवाही करने का विचार है; और

(घ) सरकार को निर्णय करने में अनुमानतः कितना समय लगेगा।

**रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह):**

(क) जी हाँ।

(ख) जी हाँ।

(ग) और (घ) इस मामले पर विचार किया जा रहा है।

**Setting up of Industries with Japanese Collaboration**

4040. **Shri Shashi Bhushan :** Will the Minister of **Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs** be pleased to state:

(a) the areas of production ear-marked for those Japanese Industrialists who have been invited to make investments in India;

(b) the percentage of shares that India would have in those Industries which would be set up in India by the said Industrialists;

(c) the areas where the goods to be produced by those Industries would be consumed; and

(d) whether Government have formulated any scheme in respect of setting up of Industries in collaboration with Japan and, if so, the details thereof ?

**The Minister of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed):**

(a) No areas of production have been specifically ear-marked for Japanese investment.

(b) to (d) Do not arise.

### रेलवे लेखा विभाग में परिशिष्ट 2–ए परीक्षा

4041. श्री भगवानदास : श्री पी० पी० एस्थोस
श्री सी० के० चक्रपाणी : श्री नम्बियार :

क्या रेलवे मं ी यह बताने की कृपा करेंगे कि इस समय लेखा विभाग में एसे क्लर्कों की कुल संख्या कितनी है जो परिशिष्ट 2–ए परीक्षा में असफल हो गए थे परन्तु जिन्हें एक या दो विषयों में छूट मिल गई थी, उन्हें किन-किन विषयों में छूट दी गई थी और उन उम्मीदवारों की अलग-अलग संख्या कितनी है जिन्हें प्रत्येक जोनल रेलवे में छूट अंक प्राप्त हुए थे?

**रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह):**

एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। [पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 1733/69]

### अन्य रेलवे यातायात लेखा कार्यालय, पश्चिम रेलवे, दिल्ली में ग्रेड 2 क्लर्कों को स्थायी बनाना

4042. श्री इ० के० नायनार : श्री सत्यनारायण सिंह :
श्री बी कु० मोडक : श्री नम्बियार :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम रेलवे, दिल्ली के अन्य रेलवे यातायात लेखा कार्यालय में ग्रेड 2 के बहुत से क्लर्क 12 वर्ष से अधिक अवधि की सेवा पूरी कर लेने के बाद भी अभी तक अस्थायी हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो उनको स्थायी बनाने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

**रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह):**

(क) जी नहीं।

(ख) सवाल नहीं उठता।

### उत्तर रेलवे के लेखा विभाग के जूनियर क्लर्कों ग्रेड I द्वारा मुकदमा दायर किया जाना

4043. श्री मुहम्मद इस्माइल : श्री पी० राममूर्ति :
श्री गनेश घोष : श्री सत्यनारायण सिंह :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि उत्तर रेलवे के लेखा विभाग के ग्रेड 1 के कुछ जूनियर क्लर्कों ने अपने वरिष्ठ अधिकारियों के विरुद्ध मुकदमा दायर किया है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या रेलवे बोर्ड ने इस बारे में कोई अधिसूचना जारी की है जिससे अन्य जोनल रेलों के कर्मचारी इस मामले में हस्तक्षेप कर सकें; और

(ग) यदि नहीं, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

**रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह):**

(क) जी हाँ, भारत के उच्चतम न्यायालय में रिट याचिका दायर करके। यह मामला न्यायाधीन है।

(ख) जी नहीं।

(ग) सवाल नहीं उठता।

**रेलवे लेखा विभाग में परिशिष्ट 2-ए परीक्षा**

4044. **श्री के० एम० अब्राहम : श्री विश्वनाथ मेनन : श्री के० रमानी : श्री भगवान दास :**

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भूतपूर्व कम्पनी रेलवे द्वारा भर्ती किए गए लेखा विभाग के कर्मचारियों की, जिन्हें अब उच्चतर रेलवे में नियुक्त कर दिया गया है, उच्चतर ग्रेड में पदोन्नति करने के लिए परिशिष्ट 2-ए परीक्षा से छूट दी गयी थी;

(ख) यदि हाँ, तो क्या अब भी इस प्रकार के कर्मचारियों को परिशिष्ट 2-ए परीक्षा से छूट देकर ग्रेड 1 क्लर्क के पदों पर पदोन्नत किया जा रहा है;

(ग) यदि नहीं, तो सेवा की शर्तों से भिन्न कार्यवाही किए जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

**रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह):**

(क) भूतपूर्व कम्पनी के जो लेखा कर्मचारी 1-1-1950 को 45 वर्ष के हो चुके थे, उन्हें क्लर्क ग्रेड 1 और उच्चतर पदों पर पदोन्नति के लिए अपेन्डिक्स 2-ए की परीक्षा पास करने से छूट दी गयी थी।

(ख) और (ग) इसके अलावा 1-11-1962 से ग्रेड 1 के क्लर्कों की 25 प्रतिशत रिक्तियों को वरिष्ठता एवं उपयुक्तता के आधार पर उन व्यक्तियों से भरा जाता है जिन्होंने अपेन्डिक्स 2-ए परीक्षा पास नहीं की है।

(घ) सवाल नहीं उठता।

**इगतपुरी-भुसावल सेक्शन (मध्य रेलवे) के लिये विद्युत्-चालित इंजन**

4045. **श्री कृ० गु० देशमुख**: क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि मध्य रेलवे के इगतपुरी-भुसावल सैक्शन पर, जिस पर अभी-अभी बिजली लगी है उपयुक्त विद्युत-चालित इंजन न उपलब्ध होने के कारण आगामी दो वर्ष तक विद्युत्चालित यात्री गाड़ियाँ नहीं चल सकेंगी; और

(ख) यदि हाँ, तो इस सैक्शन की क्षमता का पूरा उपयोग करने के लिये इन विद्युत्-चालित इंजनों कोस प्लाई करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है?

**रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह):**

(क) और (ख) इस खण्ड का विद्युतीकरण फिलहाल माल गाड़ियों के कर्षण के लिए किया गया है। जब पर्याप्त संख्या में बिजली के रेल इंजन उपलब्ध हो जायेंगे तो माल यातायात की जरूरतों को पूरा करने के बाद सवारी गाड़ियों को भी बिजली इंजनों से चलाना प्रारम्भ किया जायेगा।

### भुसावल–नागपुर सेक्शन का विद्युतीकरण

4046. **श्री कृ० गु० देशमुख।** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने रेलवे के भुसावल सेक्शन के विद्युतीकरण के बारे में कोई निर्णय किया है;

(ख) यदि हाँ, तो इसका कार्य कब आरम्भ किया जायेगा और इसके कब तक पूरा हो जाने का अनुमान है; और

(ग) इन कार्यों पर कुल कितना व्यय होगा?

**रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह):**

(क) जी नहीं।

(ख) और (ग) सवाल नहीं उठता।

### कागज और लुग्दी तैयार करने के लिए फर्मों को लाइसेंस देना

4047. **श्री स० कुण्डू:** क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कागज तथा लुग्दी की विभिन्न किस्मों का वर्तमान उत्पादन कितना है;

(ख) चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि में कागज और लुग्दी की विभिन्न किस्मों के उत्पादन के लक्ष्य क्या हैं;

(ग) चौथी पंचवर्षीय योजना में उड़ीसा, बिहार और आसाम में कागज तैयार करने के लिये कुछ फर्मों को लाइसेंस दिए गए हैं;

(घ) क्या इन फर्मों ने कागज का उत्पादन आरंभ कर दिया है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इन फर्मों द्वारा कागज का उत्पादन आरम्भ करने में विलम्ब होने के क्या कारण हैं?

**औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद):**

(क) 1968 में कागज, गत्ते तथा लुग्दी का उत्पादन निम्न प्रकार था:—

**(1) कागज तथा गत्ता (मी० टनों में)**

| लिखाई तथा छपाई का | लपेटने तथा पैक करने का | | गत्ता | | | विशिष्ट किस्में | योग |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | क्राफ्ट | भूरा | दोहरी तथा तिहरी परत का | लुग्दी का गत्ता | अन्य | | |
| 3,93,680 | 93,159 | 34,262 | 46,695 | 30,003 | 28,425 | 18,441 | 6,46,580 |

**लुग्दी मी० टनों में**

| **कागज की कोटि की लुग्दी** | **रेयन की कोटि की लुग्दी** |
|---|---|
| 15,000+ | 60,000 |

(ख) कागज, गत्ते तथा लुगदी का इकट्ठा उत्पादन निम्नलिखित है :—

| | |
|---|---|
| कागज तथा गत्ता* | 9,60,00 मी० टन प्रतिवर्ष |
| लुग्दी—रेयन कोटि की | 1,50,000 मी० टन प्रतिवर्ष |
| कागज की कोटि की** | 1,20,000 मी० टन प्रतिवर्ष |

(ग) जुलाई, 1966 से कागज तथा लुग्दी उद्योग को उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 के लाइसेंसीकरण के उपबन्धों से मुक्त कर दिया गया है। अतः चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में इस उद्योग के लिए लाइसेंस जारी करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) और (ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

**हैवी इलैक्ट्रिकल तापीय कारखानों के लिए क्रयादेशों की कमी**

4048. **श्री वीरेन्द्र कुमार शाह :** क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकारी क्षेत्र के हैवी इलैक्ट्रिक्ल कारखोनों के लिए, विशेष कर तापीय कारखानों के लिए, क्रयादेश की स्थिति इस समय संतोषजनक नहीं है और यदि इन कारखानों के लिए अग्रिम क्रयादेशों की व्यवस्था करने के लिये कोई कार्यवाही नहीं की गई, तो वर्ष 1970 के बाद स्थिति और भी अधिक खराब होने की संभावना है;

(ख) क्या यह भी सच है कि हैवी इलेक्ट्रिकल्स के लिए अग्रिम क्रयादेश प्राप्त करने के लिए संबंधित अधिकारियों को सहमत कराने हेतु प्रधान मंत्री से हस्तक्षेप करने के लिये अनुरोध किया गया है; और

(ग) क्या उन्होंने गैर-सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के संबंध में भी, जैसे कि माल डिब्बे बनाने वाले कारखाने, जो क्रयादेशों की कमी अनुभव कर रहे हैं, कोई कार्यवाही की है?

**औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) :**

(क) सरकारी क्षेत्र के दो वैद्युत् संयंत्रों में उत्पादन भार स्वभावतः आगामी कुछ वर्षों

+इसमें एकीकृत मिलों द्वारा उत्पादित लुग्दी सम्मिलित नहीं हैं जिसका उपयोग मिलों द्वारा स्वयं किया जाता है और उसके उत्पादन के आँकड़े सरकार को नहीं भेजे जाते हैं। कागज की कोटि की लुग्दी बनाने वाली केवल एक मिल है जिसका इस समय वार्षिक उत्पादन 15,000 मी० टन है।

*चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में विभिन्न प्रकार के कागज के उत्पादन के लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए हैं।

**योजना आयोग ने अभी तक लुग्दी का कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया है। यह आँकड़े 1973–74 के अन्त तक अनुमानित माँग को दिखाते हैं।

में विद्युत्-विकास के अन्तिम रूप से निर्धारित कार्यक्रम पर निर्भर करता है क्योंकि इन संयंत्रों को मुख्यतः विद्युत्-जनित्रण के लिये आवश्यक भारी उपकरण के निर्माण के लिए स्थापित किया गया था। जिस सीमा तक विद्युत्-विकास कार्यक्रम इन संयंत्रों की क्षमता से कम होगा, उस सीमा तक इनकी क्षमता फालतू रहेगी। इस स्थिति का सही ज्ञान यथासमय ही होगा। इन उपक्रमों के उत्पादन में यथासम्भव सीमा तक विविधता लाने के प्रयास किए जा रहे हैं, ताकि भारी वैद्युत् संयंत्रों की निर्माण-क्षमता का अधिकतम सीमा तक प्रयोग किया जा सके।

(ख) सरकारी क्षेत्र के संयंत्रों की आधारभूत समस्याओं के समन्वय के लिए एक समिति कठित करने का सरकार का प्रस्ताव है जो कि अन्य वस्तुओं के साथ-साथ इन संयंत्रों और विशेष-कर भारी मशीन निर्माण तथा भारी वैद्युत् संयंत्रों की क्रयादेशों की स्थिति की समय-समय पर संवीक्षा करेगी और साधनों की आवश्यकताओं पर और उनके आवंटन पर उनकी पूँजी स्थिति के अतिरिक्त उनकी क्षमता के उपयोग को सुनिश्चित करने के लिये विचार करेगी और इसके अतिरिक्त जहाँ भी आवश्यक हो वह इन संयंत्रों की बड़ी-बड़ी समस्याओं पर भी विचार करेगी। समिति के गठन सम्बन्धी व्यारे को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है।

(ग) वैगन निर्माण की उपलब्ध क्षमता तथा भूतकाल में गैर सरकारी क्षेत्र में इस उद्योग के कार्य को देखते हुए और 1969-70 में उद्योग को प्राप्त हुए क्रयादेशों तथा उद्योग के पास जुलाई, 1969 तक निपटाये न गये क्रयादेशों को देखते हुए यह नहीं कहा जा सकता कि वैगन उद्योग को क्रयादेशों की कमी है।

**हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन द्वारा न्यायालयों मे मुकदमों पर किया गया खर्च**

4049. **श्री वीरेन्द्र कुमार शाह :** क्या **इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उनका ध्यान 1 जुलाई, 1969 के "इंजीनियरिंग टाइम्स" में हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, राँची द्वारा न्यायालयों में मुकदमों पर फिजूलखर्ची के बारे में प्रकाशित हुए समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) क्या उनके कानूनी विभाग में काफी कर्मचारी होने पर भी कारपोरेशन श्रम विवादों में बाहर के वकील को नियुक्त कर रहा है;

(ग) क्या ऐसे अधिकांश मामले, जिनमें बाहर के वकील को नियुक्त किया गया था, अन्त में बातचीत द्वारा तय हो गए थे;

(घ) क्या इस मामले की जाँच की गई है; और

(ङ) यदि हाँ, तो उसका व्यौरा क्या है?

**इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) :**

(क) जी, हाँ। समाचार में लगाये गए आरोप सही नहीं है।

(ख) हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन के विधि विभाग में केवल एक विधि अधिकारी है जो कम्पनी का पूर्णकाल अधिकारी है। उसका काम कारपोरेशन के दिन-प्रति-दिन के कार्यों में विभिन्न मामलों में प्रबन्धक-वर्ग को कानूनी सलाह देना है। चूंकि वह पूर्णकाल अधिकारी होता है अतः वर्तमान कानून के अधीन वह कारपोरेशन या किसी अन्य निकाय/व्यक्ति की तरफ से वकील

के रूप में पेश नहीं हो सकता। जब तक वह पूर्णकाल अधिकारी के रूप में कार्य करेगा तब तक उसे प्रेक्टिस करने का अधिकार नहीं है। अतः बाहर से वकीलों की सेवाएँ प्राप्त करना अनिवार्य है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

**सलेम में इस्पात संयंत्र**

4050. **श्री वीरेन्द्र कुमार शाह** : क्या **इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या उनका ध्यान 4 जुलाई, 1969 को "इंडियन एक्सप्रैस" के विजयवाड़ा संस्करण में प्रकाशित हुए, योजना आयोग के सदस्य श्री पी० वेंकटरमण के उस वक्तव्य की ओर दिलाया गया है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ उन्होंने यह कहा है कि योजना आयोग ने तमिलनाडु की चतुर्थ योजना में सलेम में इस्पात संयंत्र स्थापित करना स्वीकार कर लिया है और इस प्रयोजन के लिए 10 करोड़ रुपये की राशि नियत की गई है; और

(ख) यदि हाँ, तो क्या यह सच है कि सलेम इस्पात संयंत्र को चतुर्थ योजना में शामिल कर लिया गया है ?

**इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त)** :

(क) जी, हाँ।

(ख) जी, नहीं। योजना आयोग से पता चला है कि योजना आयोग के सदस्य श्री आर० वेंकटरामन, "इन्डियन एक्सप्रैस" द्वारा गलत उद्धृत किए गए थे और वे इस समाचार का खण्डन भी कर चुके हैं।

**Supply of Uniforms to Class IV Railway Employees in Northern Railway**

4051. **Shri Nihal Singh** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the categories of Class IV employees in the Northern Railway who have not been provided with uniforms ;

(b) whether it is a fact that class IV employees in this Railway are provided with summer uniforms only and winter uniforms are not supplied to them ;

(c) if so, the reasons therefor ; and

(d) the action taken by Government in this regard ?

**The Minister of Railways (Dr Ram Subhag Singh)** :

(a) A list of categories of class IV employees on the Northern Railway not provided with uniforms is laid on the Table of the House as Annexure 'A' **[Placed in Library. See No. LT—1734/69]**.

(b) No.

(c) and (d) Do not arise.

**जबलपुर-इटारसी सेक्शन में यात्री-गाड़ी का चलने का समय**

4052. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जबलपुर-इटारसी सेक्शन में दुहरी लाइन हो जाने के बाद भी यात्री गाड़ियों द्वारा गन्तव्य स्थान पर पहुँचने में नौ घंटे से भी अधिक समय लिये जाने के क्या कारण हैं जबकि 1957 और 1963 में इकहरी लाइन होते हुए भी वे क्रमशः छः और साढ़े छः घंटे लेती थीं;

(ख) क्या चलन-समय में वृद्धि करने का उद्देश्य यह दिखाना है कि इससे सेक्शन में यात्री-रेलगाड़ियाँ अपने गंतव्य स्थान पर ठीक समय पर पहुँचती है चाहे वे इस सेक्शन में दो-तीन घंटे देरी से चली आ रही हों ; और

(ग) यदि नहीं, तो इस सेक्शन पर चलन-समय अधिक होने के अन्य क्या कारण हैं ?

**रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) :**

(क) 1-10-61 से लागू होने वाली समय-सारणी की तुलना में (जब इटारसी-जबलपुर इकहरी लाइन वाला खण्ड था) चालन-समय में जो वृद्धि हुई है वह डाक/एक्सप्रैस गाड़ियों के सम्बन्ध में 3 मिनट से लेकर 55 मिनट तक और सवारी-गाड़ियों के सम्बन्ध में 1 घंटे से 2 घंटे तक हुई है।

डाक/एक्सप्रैस गाड़ियों के चालन-समय में मामूली वृद्धि मुख्यतः इस कारण से है कि दोहरी लाइन बिछाने के सम्बन्ध में इंजीनियरिंग कार्यों के लिए अतिरिक्त समय की छूट दी गई है।

1-10-61 से पहले, इस खण्ड पर यात्री गाड़ियों की निर्धारित रफ्तार 87 कि० मी० प्रति घंटा थी। संरक्षा के विचार से, चौपहिये माल-डिब्बों को लेकर चलने वाली यात्री गाड़ियों की अधिकतम अनुमत रफ्तार घटा कर 72 कि० मी० प्रति घंटा कर दी गयी, जिसके फलस्वरूप निर्धारित रफ्तार घट कर 60 कि० मी० प्रति घंटा रह गयी। सवारी गाड़ियों के चालन-समय में वृद्धि एक तो इसलिए हुई है कि उनकी निर्धारित रफ्तार कम हो गयी है और साथ ही इसलिए कि दोहरी लाइन बिछाने के सम्बन्ध में इंजीनियरिंग कार्यों के लिए अतिरिक्त समय-छूट दी गयी।

(ख) जी नहीं।

### आसाम में कोच-राजवंशी समाज का सामाजिक/आर्थिक सर्वेक्षण

4053. **श्री जार्ज फरनेंडीज :** क्या **विधि तथा समाज-कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आसाम में कोच-राजवशी समाज को सामाजिक-आर्थिक स्थिति का कोई सर्वेक्षण किया है ;

(ख) यदि हाँ, तो इसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या इस समाज के लोगों की ओर से ऐसी माँग आई है कि इनको अनसूचित जाति घोषित कर दिया जाये ; और

(घ) यदि हाँ, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**विधि मंत्रालय तथा समाज-कल्याण विभाग में उप मंत्री (श्री मुत्याल राव) :**

(क) और (ख) इस विभाग ने इस समुदाय का कोई सामाजिक/आर्थिक सर्वेक्षण नहीं किया है।

(ग) और (घ) हाँ, श्रीमान् । यह मामला अनुसूचित जातियाँ तथा अनुसूचित आदिम जातियाँ आदेश (संशोधन) अविधेयक, 1967 से सम्बद्ध संसद् की संयुक्त समिति के विचाराधीन है ।

**टिकट निरीक्षक कर्मचारियों की ओर से ज्ञापन**

4054. **श्री देवेन सेन** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें भारतीय रेलवे के टिकट निरीक्षक कर्मचारियों की ओर से कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है जिसमें माँग की गई है कि टिकट निरीक्षक कर्मचारियों को संगचल कर्मचारी माना जाये, और

(ख) यदि हाँ, तो इस में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**रेलवे मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह) :**

(क) जी हाँ ।

(ख) इस मामले की जाँच की गयी है और यह विनिश्चय किया गया है कि टिकट जाँच कर्मचारियों को रनिंग कर्मचारी नहीं माना जा सकता ।

**तुमकुर, मैसूर राज्य के सिद्दाराजू द्वारा अपने नियंत्रण में ली गई रेलवे सम्पत्ति के दावों के बारे में शिकायत**

4055. **श्री क० लकप्पा** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय को दक्षिण रेलवे के तुमकुर रेलवे स्टेशन के निकट रेलवे सम्पत्ति के दावों के बारे में शिकायत मिली है जिसे तुमकुर, मैसूर राज्य के सिद्दाराजू ने गैर-कानूनी रूप से धोखेबाजी से अपने नियंत्रण में कर लिया है ;

(ख) यदि हाँ, तो रेलवे की उस सम्पत्ति के बारे में दावा करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है जिसे उपर्युक्त सिद्दाराजू ने धोखेबाजी से अपने नियंत्रण में कर लिया है; और

(ग) रेलवे सम्पत्ति लौटाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

**रेलवे मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह) :**

(क) जी हाँ ।

(ख) और (ग) इस मामले के सम्बन्ध में मैसूर की राज्य सरकार के राजस्व प्राधिकारियों के जरिए लिखा-पढ़ी की गयी थी और उनके परामर्श के अनुसार रेलवे का अधिकार सिद्ध करने के लिए पार्टी के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही के सम्बन्ध में जाँच की जा रही है ।

**मैसूर राज्य में नीचे के पुल/उपरि पुल**

4056. **श्री क० लकप्पा** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में मैसूर राज्य में कितने नीचे के और कितने उपरि पुलों की स्वीकृति दी गयी है;

(ख) गत तीन वर्षों में कितने निर्माण-कार्य निलम्बित पड़े हैं; और

(ग) निलम्बित कार्यों को शीघ्र पूरा करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

**रेलवे मन्त्री (डॉ० राम सुभग सिंह) :**

(क) वर्षवार स्वीकृत निर्माण-कार्य इस प्रकार हैं :

| | |
|---|---|
| 1966–67 | 7 |
| 1967–68 | 2 |
| 1968–69 | 6 |
| जोड़ | 15 |

(ख) (1) 1966–67 से पिछले तीन वर्षों में स्वीकृत निर्माण-कार्यों में से बारह ।

(2) 1966–67 से पहले स्वीकृत निर्माण-कार्य में से पाँच ।

(ग) रेल प्रशासन पुलों के निर्माण करने की योजना इस प्रकार बनाते हैं ताकि राज्य सरकार / सड़क प्राधिकारी द्वारा पहुँच मार्गों के निर्माण साथ-साथ हों । रुके हुए निर्माण-कार्यों की प्रगति में रेलवे द्वारा शीघ्रता इसलिए नहीं की जा सकी क्योंकि या तो राज्य सरकार पहुंच मार्ग बनाने के अपने हिस्से के काम में धीमी रफ्तार से चलती रही अथवा योजना में संशोधन करने की आवश्यकता थी । राज्य सरकार से इस मामले में जल्दी करने के लिए कहा जा रहा है ।

**देशी कच्चे माल का उपयोग तथा स्थानीय प्रतिभावान लोगों का प्रोत्साहन**

4057. **श्री क० लकप्पा** : क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने औद्योगिक विकास के क्षेत्र में देशी कच्चे माल का उपयोग करने और स्थानीय प्रतिभावान लोगों को प्रोत्साहन देने के लिए कोई नई नीति बनाई है ; और

(ख) यदि हाँ, तो इसका व्यौरा क्या है और इस नीति को किस प्रकार क्रियान्वित करने का विचार है ?

**औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) :**

(क) और (ख) औद्योगिक लाइसेंसीकरण नीति संकल्प के अनुसार सरकार देशीय कच्चे माल तथा प्रतिमा के प्रयोग को प्रोत्साहित करने की नीति पर विगत बीस वर्षों से अमल कर रही है । सरकार ऐसे किसी भी कच्चे माल के आयात की अनुमति नहीं देती जो कि देश में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है । तकनीकी विकास का महानिदेशालय तथा वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् आयातित कच्चे माल के देशीय प्रतिस्थापना के विकास-कार्य में निरन्तर लगे हुए हैं ।

देशीय प्रतिमा, जहाँ कहीं उपलब्ध हो, के प्रगत्यात्मक प्रयोग की भी नीति का पालन किया गया है । यहाँ तक कि जहाँ विशिष्ट तकनीकी व्यक्ति उपलब्ध नहीं हैं और विदेशियों की सेवायें लेनी पड़ीं हैं वहाँ पर भी प्रगत्यात्मक भारतीयकरण पर बल दिया गया है ।

**पिछड़े क्षेत्रों का औद्योगिक विकास**

4058. **श्री रा० कु० सिंह** : क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने कोई ऐसी योजना तैयार की है, जिसके अन्तर्गत देश के "पिछड़े क्षेत्रों" में औद्योगिक विकास को तेज गति प्राप्त होगी ;

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या उक्त उपाय उत्तर प्रदेश के फैजाबाद जिले में भी लागू होंगे ?

**औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद ):**

(क) जी, हाँ।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) जी, हाँ। यदि पूर्वी उत्तर प्रदेश का फैजाबाद जिला पिछड़ा क्षेत्र चुना जाता है।

**विवरण**

पिछड़े क्षेत्रों के औद्योगिक विकास के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किये गये अभ्युपायों की रूपरेखा निम्नलिखित है :—

1. ग्रामीण तथा कम विकसित, अर्ध-ग्रामीण क्षेत्रों एवं कम बैंक सुविधा-प्राप्त क्षेत्रों में अधिक शाखाएँ खोलना।
2. ऐसे राज्यों में जमा करने तथा उधार देने की सुविधाओं का बढ़ाना।
3. कम बैंकों वाले राज्यों में राजकीय निकायों को बैंकों द्वारा सहायता देना विशेषकर जहाँ उनकी जमा और उधार देने की औसत कम है।
4. औद्योगिक एवं व्यापारिक परियोजनाओं को जो पिछड़े राज्यों के निवेश को बढ़ाना चाहती हैं, सहायता देना।

**Overcrowding in Trains between Banda and Chitrakot Railway Stations**

4059. **Shri Jageshwar Yadav** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that recently there was heavy over-crowding in trains running between Banda and Chitrakot Railway Stations on the Central Railway because of a large number of passengers going to attend the Chitrakot fair on Amavasya ;

(b) whether it is also a fact that many persons fell into the Ken river from the trains runnng on the bridge over the river between the aforesaid stations between the 13th and 15th July, 1969 and were drowned;

(c) the number of persons died as a result thereof;

(d) whether it is also a fact that a good number of passengers were also travelling on the roofs of the compartments of the trains and due to their weight, the roofs of the com-

partments caved in, as a result of which many passengers are reported to have been killed and, if so, their nnmber ; and

(e) the amouut of loss suffered by the Railways as a result of the roofs of the compartments having caved in ?

**The Minister of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) :**

(a) Yes, owing to the spurt in pilgrim traffic in connection with the Amavasya Fair, 521 Dn/522 Up and 523 Dn/524Up Jhansi-Manikpur Passenger trains ran over-crowded between Banda aud Chitrakot stations on the three days 13th to 15th July, 1969.

(b) No.

(c) Does not arise.

(d) No.

(e) Does not arise.

### Repair of approach Road to Chakia Railway Station (N.E. Rly.)

4060. **Shri K.M. Madhukar** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the condition of the approach road to Chakia Railway Station on the Muzaffarpur-Narkatiaganj line of the North-Eastern Railway is so bad that the passengers have to face great difficulties because that road is low and rain water accumlates thereon;

(b) if so, the reasons therefor;

(c) whether Government propose to repair that road early by raising its level and by making arrangements for draining out the water;

(d) if so, the time by which it would be done; and

(e) if not, the reasons therefor ?

**The Minister of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) :**

(a) No.

(b) Does not arise.

(c) It is proposed to improve drainage of area near the approach road by providing pipe drain culvert across nearby P. W. D. road. Raising of the level of the road is not necessary ;

(d) Pipe drain culvert through P. W. D. Road will be provided shortly.

(e) Does not arise.

### Setting up of Maleic Anhydride Plant in Bhilai (Madhya Pradesh)

4061. **Shri Hukam Chand Kachwai : Shri G. C. Dixit :**

Will the Minister of **Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that some industrialist has applied for a licence for setting up a Maleic Anhydride Plant in Bhilai (Madhya Pradesh) and that the said industralist is not being issued the licence on the plea that the unit is being shifted from Calcutta to Bhilai;

(b) whether the said industrialist has preferred to shift the unit because raw material benzene would be readily available in Bhilai ;

(c) whether in competition with another industrialist of Gujarat, the said industrialist has offered better terms of foreign collaboration ;

(d) whether his Ministry proposes to cancel the production of the Maleic Anhydride so that the proposal might be made favourable to the industrialist from Gujarat; and

(e) the time by which a decision on this matter, which is pending for the last three years, is likely to be taken ?

**The Minister of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed) :**

(a) A Calcutta firm has been issued a letter of intent on 18th July, 1969 for setting up a plant for the manufacture of Maleic Anhydride. The requst for shifting the location of the plant from Calcutta to Bhilai is under consideration of Government.

(b) The firm has given this as one of the grounds for shifting the location of the plant to Bhilai.

(c) and (d) Both the parties have been asked to submit applications for foreign collaboration in the prescribed form. The applications when received will be considered on merits.

(e) As early as possible after the receipt of applications from the parties for foreign collaboration.

**Dispute over Extraction of Minerals from Land Acquired from Madhya Pradesh Government**

4062. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that there is a dispute between the Madhya Pradesh Government and the Railways in regard to the extraction of minerals from the land acquired for Railway purposes in Madhya Pradesh;

(b) whether the contractors are benefiting from the said situation and are extracting minerals illegally without lease consequent to which there is loss to the revenue of the State :

(c) whether the Madhya Pradesh Government have written to the Central Government to remove the bottleneck ; and

(d) if so, the action taken in the matter ?

**The Minister of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) :**

(a) The Govt. of Madhya Pradesh had been pressing for the payment of Royalty for the extraction of minor minerials like sand, stones etc. from the Railway land falling in that State. The advice of the Ministry of Law was sought in the matter who opined that no royalty is payable to the State Govt. on this account and when the land is acquired under the Land Acquistion Act 1894, both the surface rights and underground rights are acquired by the Central Govt. The State Govt. was accordingly advised not to insist on recovery of royalty from the Zonal Railways for extraction of sand, stones etc. from the Railway land.

(b) No.

(c) and (d) As explained in reply to part (a) above the legal position has been advised to Madhya Pradesh Government and no further communication in the matter has been received from them.

**Strike in Durgapur Steel Plant**

4063. **Shri K. M. Madhukar :** Will the Minister of **Steel and Heavy Engineering** be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn to the news-item published in the Patriot dated the 23rd July, 1969 to the effect that the workers of the Durgapur Steel Plant went on strike recently to press their 11-point demand;

(b) if so, the reaction of Government to the said demands;

(c) whether Government propose to take such steps in this regard which may result in dissuading the workers from going on strike for long periods so that the production is not interrupted ; and

(d) if so, the details thereof ?

**The Minister of State in the Ministry of Steel and Heavy Engineering (Shri K. C. Pant) :**

(a) Government have seen the News-item referred to. It is about the 24 hour strike that took place only in the Conditioning Department of the Alloy Steel Plant, Durgapur, on the 22nd of July, 1969.

(b) to (d) Government is naturally anxious that production should not be interrupted on account of strikes etc. There are well defined procedures under the Code of conduct agreed upon between the management and labour, and under the labour laws, for settlement at the management level of any genuine grievance of the employees. Normally there is no reason why matters should be precipitated by the workers going on strike for long periods.

**विदेशों से भारतीय तकनीकी जानकारी की मांग**

4064. **श्री रा० कृ० बिड़ला :** क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अनेक देशों ने भारतीय तकनीकी जानकारी का लाभ उठाने के लिए सरकार से अनुरोध किया है;

(ख) यदि हाँ, तो उन देशों के नाम क्या हैं; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) :**

(क) से (ग) जानकारी इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

**Employment to Handicapped Persons in Delhi**

4065. **Shri Sheopujan Shastri** : Will the Minister of **Law and Social Welfare** be pleased to state:

(a) whether the Indian Handicapped Youth Training and Rehabilitation Centre and All India Council of Physical Education, New Delhi have presented a scheme or submitted an application to the Delhi Administration for the grant of a temporary cinema licence in Narela, Delhi in order to keep the handicapped persons in regular service ;

(b) the policy of Government for providing employment to the handicapped persons;

(c) the present total number of blind, crippled, dumb and deaf and mentally-retarded persons, who have got their names registered in the special Employment Exchange for the Handicapped in Delhi; and

(d) if the reply to part (a) above be in the affirmative, the decision taken by the Delhi Administration in this regard?

**The Minister of State in the Ministry of law and in the Department of Social Welfare (Dr. (Smt.) Phulrenu Guha):**

(a) Yes, Sir. The two organisations have applied for a temporary licence for cinema to promote the employment of the handicapped.

(b) The policy of the Government is to encourage the placement of handicapped persons in suitable work which they could perform without seriously impairing standards of efficiency.

(c) The special employment exchanges for the physically handicapped register blind, deaf and orthopaedically handicapped persons. The break up of registrations in the New Delhi Exchange on the 31st July, 1969 was as follows:

| Category | | Number |
|---|---|---|
| Orthopaedically Handicapped | | 394 |
| Blind | | 90 |
| Deaf | | 52 |
| | Total | 536 |

(d) The application will be processed further on receiving information which has been called for from the concerned organisations.

**मेसर्स नारायणदास ब्रदर्स, कालबादेवी रोड, बम्बई से अभ्यावेदन**

4066. **श्री जार्ज फरनेन्डीज** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें मेसर्स नारायणदास ब्रदर्स 521, कालबादेवी रोड, बम्बई-2 से कोई अभ्यावेदन मिला है जिसमें माल के रास्ते में खो जाने और क्षतिग्रस्त हो जाने के लिये मुआवजे के दावों को रद्द किये जाने के बारे में शिकायत की गई है;

(ख) उस शिकायत का सार क्या है; और

(ग) उस पर क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

**रेलवे मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह)** :

(क) जी हां।

(ख) शिकायत का सारांश यह है कि जिस दर पर दावा किया जाता है, मध्य रेलवे मनमाने ढंग से उससे कम दर पर दावे का निबटारा करती है और पैकिंग की शर्तें पूरी न करने या कुछ वस्तुओं के लिए माल डिब्बों के दरवाजों में निभार की व्यवस्था करने की विशेष शर्त का पालन न करने का तर्क देकर या अन्य तकनीकी आधार पर दावे रद्द कर दिये जाते हैं। सुझाव दिया गया है कि इन सभी पहलुओं की जाँच करने के लिए एक समिति नियुक्त की जाये।

(ग) अभ्यावेदन पर विचार किया गया है। कानून के अन्तर्गत रेलवे की दायिता को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक दावे पर उसके गुण-दोष के आधार पर विचार किया जाता है। जैसा कि सुझाव दिया गया है, ऐसी कोई समिति नियुक्त करने का विचार नहीं है।

## रेलवे के स्कूलों में अध्यापकों का वेतन

4067. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे के स्कूलों में कोठारी आयोग की सिफारिशें लागू करने में बड़ा विलम्ब किया गया है जब कि संघ राज्य क्षेत्रों के स्कूलों में इन सिफारिशों को बहुत पहले ही क्रियान्वित कर दिया गया था ;

(ख) यदि हाँ, तो क्या यह सच है कि संघ राज्य क्षेत्रों के स्कूलों तथा रेलवे के स्कूलों में अध्यापक के वेतन में विद्यमान अन्तर के कारण रेलवे के स्कूलों के कुछ श्रेणियों के अध्यापकों को आर्थिक हानि हो रही है और उनमें असंतोष फैल रहा है ; और

(ग) यदि हाँ, तो क्या सरकार का विचार कोठारी आयोग की सिफारिशों को उसी तारीख से लागू करने का है जिस तारीख से वे संघ राज्य-क्षेत्रों के स्कूलों में लागू हुई थीं ?

**रेलवे मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह)** :

(क) कोठारी आयोग की सिफारिशों को रेलवे स्कूलों में लागू करने के लिए उन सिफारिशों की जाँच करने में कुछ समय लगा और विनिश्चय होते ही आदेशों को कार्यान्वित कर दिया गया।

(ख) कोठारी आयोग की सिफारिशों के आधार पर, केन्द्र शासित क्षेत्रों में स्थित स्कूलों के अध्यापकों के मामले में लागू वेतन मान और रेलवे स्कूलों के अध्यापकों के लिए लागू वेतन मान में कोई अन्तर नहीं है। अतः असन्तोष का कोई कारण नहीं है।

(ग) इस विनिश्चय को केन्द्र शासित क्षेत्रों में लागू होने की तारीख से ही लागू करने का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि रेलवे स्कूलों में इन वेतन मानों को स्वतः लागू नहीं हो जाना था।

## रेल कर्मचारियों के संगठनों को मान्यता

4068. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे में अनेक श्रेणियों के कर्मचारी काम करते हैं और प्रत्येक श्रेणी के कर्मचारियों की समस्याएँ भिन्न-भिन्न प्रकार की हैं जिन पर रेलवे कर्मचारी संघ या इसी प्रकार के अन्य संगठन ध्यान नहीं दे सकते और सामान्यतः उन पर ध्यान नहीं दिया जाता

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार स्टेशन मास्टरों आदि अन्य श्रेणियों के कर्मचारियों के संगठनों को मान्यता देने के प्रश्न पर विचार करेगी; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**रेलवे मंत्री (डा० सुभग सिंह)** : (क) जहाँ यह ठीक है कि भारतीय रेलों पर कर्मचारियों की बहुत सी कोटियाँ हैं, वहाँ यह ठीक नहीं है कि रेलवे द्वारा श्रम-संगठनों या रेलों की मान्यता-प्राप्त यूनियनों जिन्हें बातचीत की सुविधाएँ मिली हुई हैं, की समस्याओं का ध्यान नहीं रखा जाता ।

(ख) और (ग) इस मामले की पूरी तरह से जाँच की गयी है लेकिन कोटिवार संगठनों को मान्यता देना वांछनीय नहीं समझा गया क्योंकि ऐसा करना रेल प्रशासनों की क्षेत्रीय प्रणाली के अनुरूप नहीं है और इससे रेलों पर मौजूदा श्रम-संगठनों का विभाजन हो जायेगा ।

## कलकत्ता में वृत्ताकार रेलवे

4069. **श्रीमती इला पाल चौधरी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच हुगली नदी पर पुल की किस्म तथा स्थान के बारे में काफी मतभेद पैदा होने के कारण कलकत्ता के लिये वृत्ताकार रेलवे की योजना के क्रियान्वयन को भारी धक्का लगा है ;

(ख) यदि हाँ, तो वर्तमान स्थिति का पूरा ब्यौरा क्या है; और

(ग) यह निर्माण-कार्य कब तक आरम्भ कर दिये जाने की संभावना है ?

**रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह)** : (क) और (ख) जी नहीं । कलकत्ता में प्रस्तावित उपनगरी विसर्जन लाइन को हुगली नदी पर विवेकानन्द पुल का लाभ उठा कर दमदम से जोड़ा जायेगा और इसके लिए कोई नया पुल बनाने का प्रस्ताव नहीं है ।

(ग) उपनगरी विसर्जन लाइन के लिए अन्तिम स्थान-निर्धारण सर्वेक्षण किया जा रहा है । सर्वेक्षण पूरा होने पर ही वास्तविक निर्माण शुरू किया जायेगा ।

## रेल-यात्रियों के लिये बीमा की सुविधायें

4070. **श्री यशपाल सिंह** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रेल-यात्रियों को बीमा की सुविधाएँ देने के प्रस्ताव का अध्ययन किया है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस मामले में सरकार का निर्णय क्या है ?

**रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह)** : (क) और (ख) भारतीय रेल अधिनियम 1890 की धारा 82 (क) में ऐसी व्यवस्थाएँ हैं जो रेल-यात्रियों के लिए 20,000 रुपये तक के जीवन-बीमा सुविधाओं की किस्म की हैं । इन व्यवस्थाओं के अन्तर्गत रेल दुर्घटना में दुर्घटना-ग्रस्त हो जाने वाला रेल-यात्री मुआवजा प्राप्त करता है चाहे उस दुर्घटना के लिए रेलवे उत्तरदायी हो या न हो ।

### आयकर अपील अधिकरण के सामने अपीलें

4071. **श्री बेणी शंकर शर्मा :** क्या **विधि तथा समाज-कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आयकर अधिनियम की विभिन्न दांडिक धाराओं के अन्तर्गत निरीक्षण सहायक आयुक्तों द्वारा लगाई गई शास्तियों के विरुद्ध निर्धारितियों द्वारा कलकत्ता के आयकर अपील अधिकरण में दायर की गयी अपीलों में से कितनी अपीलों का निपटारा 1967-68 और 1968-69 में किया जा चुका है, उन अपीलों में से कितने प्रतिशत तथा कुल कितनी अपीलें सफल रही हैं और उनमें कुल कितनी राशि की शास्तियाँ अधिरोपित की गई हैं और अधिकरणों ने उनमें से कितनी राशि की राहत दी है ;

(ख) यदि 50 प्रतिशत से अधिक अपीलें सफल रही हैं तो क्या सरकार यह समझती है कि अधिकतर मामलों में शास्तियाँ तुच्छ आधार पर अधिरोपित की गई हैं जिससे निर्धारितियों तथा विभाग के आयकर एकत्र करने वाले कर्मचारियों को बड़ी परेशानी और असुविधा होती है; और

(ग) यदि हाँ, तो निरीक्षण सहायक आयुक्तों के इस निरर्थक काम को रोकने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

**विधि मंत्रालय तथा समाज-कल्याण विभाग में उप-मंत्री (श्री मु० यूनुस सलीम):** (क) से (ग) वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) द्वारा जानकारी संगृहीत की जा रही है जिसने प्रश्न के अन्तरण को स्वीकार कर लिया है ।

### छोटे पैमाने के उद्योगों के लिए निर्यात संवर्धन संबंधी विचार गोष्ठी

4072. **श्री क० मि० मधुकर :** क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अप्रैल, 1969 में दिल्ली में छोटे पैमाने के उद्योगों के लिए निर्यात संवर्धन सम्बन्धी एक विचार गोष्ठी हुई थी ;

(ख) यदि हाँ, तो विचार गोष्ठी में क्या सिफारिशें की गई थीं तथा उनको कार्यान्वित करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ;

(ग) यदि कोई कार्यवाही नहीं की गई है तो सरकार को अमान्य प्रस्तावों का व्यौरा क्या है; और

(घ) उसके क्या कारण हैं ?

**औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) :**

(क) जी, हाँ ।

(ख) से (घ) विचार गोष्ठी ने कई सिफारिशें कीं जैसे दिल्ली में शुष्क पत्तन का निर्माण, लघु उद्योग विकास संगठन में निर्यात संवर्धन निदेशालय का बनाया जाना, कच्चे माल का अधि-

कोष स्थापित करना और व्यापारिक शिष्ट मण्डलों में लघु उद्योगों के प्रतिनिधियों को सम्मिलित करना आदि। लघु उद्योग मण्डल ने लघु उद्योग के निर्यात संवर्धन की एक स्थायी समिति का गठन किया है और ये सुझाव उस समिति के समक्ष विचारार्थ रखे गये थे। समिति ने अपनी सिफारिशें सरकार को भेज दी हैं जो विचाराधीन हैं।

**Seminar on Export Promotion for-Small Scale Industries**

4073. **Shri K. M. Madhukar** : Will the Minister of **Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a seminar on export promotion for small-scale industries was held in Delhi on the 11th and 12th April, wherein a suggestion was made to develop Delhi as a dry port with a view to promote the trade of small-scale industries in Punjab, Haryana and Uttar Pradesh, to ensure an increase in the number of articles produced by them as also to ensure superior quality thereof, and to enable them to compete in the World market ;

(b) if so, the reaction of Government in regard thereto;

(c) in case the reaction is favourable, the steps taken by Government in this regard ; and

(d) in case the reaction is not favourable the reasons therefor ?

**The Minister of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed)**:

(a) Yes, Sir.

(b) to (d) This and the other suggestions of the seminar were placed before the Standing Committee on Export Promotion (of the Small-scale Industries Board), for their consideration. The Committee's recommendations are under Government's consideration.

**Recovery of Bombs from an Employee of Gauhati office of Eastern Railway**

4074. **Shri Yashwant Singh Kushwah** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a bag full of bombs was unearthed in the house of an employee of the Gauhati Office of the Eastern Railway ;

(b) if so, the action taken against the said employee; and

(c) the steps taken to identify as to the number of such traitors in the Railway staff and to know the identity of such employees?

**The Minister of Railways (Dr Ram Subhag Singh)** :

(a) Yes. On 23.7.69 one olive green hand bag containing nine hand bombs and some ingredients of manufacturing hand bombs was found lying in the compound of an employee of the North-east Frontier Railway at Gauhati and not Eastern Railway.

(b) During investigations Police found no evidence against the said employee. However, three other employees of the North-east Frontier Railway and a domestic servant of one of these suspects were found involved in the case. Three of them including the domestic servant have been taken into custody and the fourth employee has also surrendered in the Court.

(c) Police investigations are in progress to find out further details.

### Ticketless Travel in Bikaner Division

4075. **Shri Jageshwar Yadav** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the number of persons travelling without tickets is increasing immensely in the Bikaner Railway Division;

(b) whether it is also a fact that a large number of persons travel without tickets between Suratgarh and Hanumangarh after given some money to the police;

(c) whether it is further a fact that the exit of many passengers from the gates of the Stations is also ensured in connivance with the staff concerned; and

(d) whether Government propose to entrust the enquiry into the said affair to the C.I.D. and bring about improvement in the said division so that there is no loss to the revenues of the Railways ?

**The Minister of Railways (Dr. Ram Subhag Singh):**

(a) No.

(b) and (c) Surprise raids carried out by the ticket checking staff have not revealed that a large number of persons travel without tickets after giving some money to the police or that they escape through the station gates with the connivance of staff concerned.

(d) Does not arise in view of the replies to parts (a), (b) and (c). However the intensity of surprise checks is being increased.

### Construction of a Platform at Banda Junction

4076. **Shri Jageshwar Yadav**: Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a separate platform is being constructed at Banda Junction (Central Railway) for receiving and departing of the Kanpur-Banda and Lucknow-Banda Express at that junction and, if so; the exact location where it is being constructed ;

(b) whether a shed would also be provided at the said platform so that the passengers are not subjected to inconvenience in sun and rain ; and

(c) whether it is a fact that Government are incurring less expenditure in bringing about improvement in the Jhansi-Manikpur Branch line ?

**The Minister of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) :**

(a) Yes. A separate bay platform in continuation of existing passenger platform at Jhansi end is under construction for receipt and despatch of Kanpur and Lucknow bound trains.

(b) No.

(d) No Basic amenities have been provided at all stations on Janshi-Manikpur section including Banda station. Improvements to these amenities is carried out on a programmed basis according to relative urgency and importance of such works. Stations on Jhansi-Manikpur section are also given due consideration in allotment of funds for such works in consultation with the Railway Users' Amenities Committee.

### Construction of an Overbridge at Banda Junction

4077. **Shri Jageshwar Yadav** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state ;

(a) whether Government propose to construct an overbridge at Banda Jnnction during the Fourth Five Year Plan which is very essential there; and

(b) if not, the reasons therefor ?

**The Minister of Railways (Dr. Ram Subhag Singh):**

(a) and (b) Presumably, the Hon'ble Member is referring to the construction of road overbridge in replacement of existing level-crossing at Banda. If so, the reply is as under:

Under the extant rules, the proposals for construction of road over/under-bridges in replacement of existing busy level-crossings are required to be sponsored by the State Government Road authority indicating the relevant priority and the year in which they would be able to provide funds towards their share of the cost of the work. Broadly, as per new rules, 50% of the cost of road over/under bridge for a 24' wide roadway and its approaches (excluding cost of land for approaches) is borne by the Railway and the balance 50% as well as the cost of acquisition of any land required for the approaches is borne by the road authority.

So far, the State Government have not sponsored any proposal for the construction of road over/under-bridge in replacement of existing level crossing at Banda.

### अस्पृश्यता सम्बन्धी समिति के भूतपूर्व अध्यक्ष का प्रधान मंत्री को पत्र

4078. **श्री सूरज भान :** **श्री प्र० रं० ठाकुर :**

क्या **विधि तथा समाज-कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अस्पृश्यता सम्बन्धी समिति के भूतपूर्व अध्यक्ष श्री एल० इलयापेरुमाल ने 12 मई, 1969 को प्रधान मंत्री को कोई पत्र लिखा था जिसमें उक्त समिति की कार्यप्रणाली तथा प्रतिवेदन के बारे में विस्तारपूर्वक लिखा गया है ;

(ख) क्या उक्त पत्र में समाज-कल्याण विभाग के विरुद्ध कई गम्भीर आरोप लगाये गये हैं और यदि हाँ, तो आरोप क्या हैं; और

(ग) इसके सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**विधि-मंत्रालय तथा समाज-कल्याण विभाग में उप-मंत्री (श्री मुत्याल राव) :**

(क) हाँ, श्रीमान।

(ख) और (ग) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। [**पुस्तकालय में र ा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1735/69**]

### धर्मनगर से अगरतला तक रेलवे लाइन का विस्तार

4079. **श्री किरित विक्रम देव बर्मन :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) त्रिपुरा में धर्मनगर से अगरतला तक रेलवे लाइन के विस्तार के लिए सर्वेक्षण-कार्य की लागत तथा विस्तार-कार्य की कुल पूंजीगत लागत के बारे में मोटा अनुमान लगाया गया है और यदि हाँ, तो इसका ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या कुछ समय पहले कुल पूंजीगत लागत का अनुमान 20 करोड़ रुपया लगाया गया था और यदि हाँ, तो हाल ही में लगाया गया अनुमान इससे कितना अधिक है और इसके क्या कारण हैं ;

(ग) सर्वेक्षण-कार्य कब आरम्भ किया जायेगा और कब तक पूरा हो जायेगा; और

(घ) इस कार्य के लिये चालू वर्ष के आयव्ययक में कितने धन की व्यवस्था की गई है ?

**रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह):**

(क) से (घ) धर्मनगर से अगरतला तक नयी लाइन के खर्च और अर्थ-क्षमता का पता लगाने के उद्देश्य से इंजीनियरिंग और यातायात सर्वेक्षण शीघ्र ही करने का विचार है। चूंकि इस सर्वेक्षण के लिए चालू वर्ष के बजट में कोई व्यवस्था नहीं की गयी है, संसद् से एक अनुदान प्राप्त किया जा रहा है और शीघ्र ही सर्वेक्षण की मंजूरी दी जायेगी।। इसे लगभग एक वर्ष के समय में पूरा किया जायेगा। सर्वेक्षण की अनुमानित लागत लगभग 13 लाख रुपये है।

**Preparation of Hindi Equivalents of Telegraph Codes of Railways**

4080. **Shri Valmiki Choudhary :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state ;

(a) the number of years that have passed since the work preparing Hindi equivalents of Telegraph code of the Railways was started by his Ministry;

(b) the reasons for which the said work could not be completed so far; and

(c) whether some target date has been fixed for the completion of the aforesaid work and, if not, the reasons therefor?

**The Minister of Railways (Dr. Ram Subhag Singh):**

(a) to (c) The Indian Railway Telegraph Code was sent to the Central Hindi Directorate (Ministry of Education) for translation in 1963. The non-technical portion of the Code was translated by that Directorate sometime back. Tentative Hindi equivalents of telegraphic code messages have also been evolved. But they have to be scrutinised before they are finally adopted. Efforts are being made to expedite the work, but lt is not possible to indicate precisely the time by which it will be completed as the work involved is of a difficult nature.

**Hindi Code Names of Railway Stations**

4081. **Shri Valmiki Choudhary :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether the Code names of the Railway Stations have been finalised in Hindi;

(b) if not, the steps taken so far for the finalisation of the Code-names and the target fixed for the completion of this work; and

(c) in case no steps have been taken in this connection, the reasons therefor?

**The Minister of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) :**

(a) and (b) A tentative list of Code-names of Railway stations has already been prepared in Hindi. The list will shortly be circulated to the Railways for their comments. Action will be taken to finalise the same in the light of the Railways' comments. It is, however, not possible to indicate precisely the time by which the work will be completed.

(c) Does not arise.

## राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम का प्रतिवेदन

4082. **श्री तुलसीदास जाधव:** क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है जिसमें कुछ उद्योगों की स्थापना का सुझाव दिया गया है ;

(ख) यदि हाँ, तो प्रस्तावित उद्योगों के नाम क्या हैं और उन्हें कहाँ-कहाँ स्थापित करने का प्रस्ताव है;

(ग) सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या निर्णय किया है; और

(घ) यदि इस सम्बन्ध में अभी तक कोई निर्णय नहीं किया गया, तो कब तक किया जायेगा ?

**औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) :**

(क) राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम केवल केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, सरकारी क्षेत्र के उपक्रम तथा गैर-सरकारी उद्यमियों के विशिष्ट मामलों से सम्बन्धित तकनीकी आर्थिक संभाव्यता अध्ययन तथा प्रारम्भिक परियोजना प्रतिवेदन तैयार करता है । राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम ने कुछ उद्योगों की स्थापना का सुझाव देते हुए कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया है ।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

## Legislation for the Protection of Scheduled Castes from Usury of Money-Lenders

4083. **Shri Deorao Patil :** Will the Minister of **Law and Social Welfare** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government have taken a decision to enact a legislation to protect the Scheduled Castes from the usury of the money-lenders or to issue directives to the State Governments for enacting legislation in this regard;

(b) if so, the details of the proposed legislation; and

(c) the names of the States where such laws are aleady in force?

**The Deputy Minister in the Ministry of Law and in the Department of Social Welfare (Shri Muthyal Rao):**

(a) to (c) The subject of money lending is enumerated in the State List of the Constitution. Almost all the States have enacted laws to control money-lending.

## इस्पात सम्बन्धी प्रक्रिया

4084. **श्री लोबो प्रभु :** क्या **इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस्पात के उत्पादों की बकाया माँग कितनी थी जिसके आधार पर संयुक्त संयंत्र समिति ने वितरण प्रक्रिया निर्धारित की थी;

(ख) क्या उक्त समिति ने उत्पादन की योजना बनाते समय इस कमी पर भी ध्यान दिया था और यदि हाँ, तो क्या इस कमी का कारण उत्पादन में गिरावट आना है ;

(ग) गत वर्ष जिन उत्पादों की कमी रही उनका कुल कितनी मात्रा में निर्यात किया गया और करों में कटौती सहित निर्यात के लिए कितनी राज-सहायता दी गई;

(घ) जो योजना बनाई गई थी क्या वह असफल रही और यदि हाँ, तो वह योजना सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्र में अलग-अलग कितने प्रतिशत असफल रही;

(ङ) जिन उत्पादों का अभाव था उनके निर्यात की अनुमति दी जाने के कारण क्या हैं; और

(च) क्या ऐसा करने के लिए सरकार वचनबद्ध है और क्या सरकार का विचार उन्हें संशोधित करने का है ?

**इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) :**

(क) और (ख) संयुक्त समिति ने अनुमानित उपलब्धि के यथानुपात प्रत्येक प्रायोजक प्राधिकारी के 1968-69 के आयोजन के आधार पर वर्ष 1969-70 के लिए दुर्लभ किस्म के माल की वितरण प्रणाली बनाई है । माँगें आमंत्रित नहीं की गई थीं । कमी मुख्यत: चपटे उत्पादों के निर्माण के लिए अपर्याप्त क्षमता और आंशिक रूप से कारखानों द्वारा अधिष्ठापित क्षमता तक उत्पादन न कर सकने के कारण है ।

(ग) 1968-69 में प्लेटों और अधिक पतली गेज की चादरों के निर्यात की अनुमति नहीं दी गई । इस वर्ष 3435 टन मोटी चादरों (10-14) गेज का निर्यात किया गया । इस माल के निर्यात के लिए जहाज तक निष्प्रभाव मूल्य में 25% की दर से और उत्पादन-शुल्क में 175 रुपये प्रति टन की दर से घटौती के लिए नगद सहायता दी गई ।

(घ) प्लेटों और चादरों का उत्पादन करने की कारखानों की क्षमता तथा 1968-69 में उत्पादन प्रतिशतता इस प्रकार थी :—

| कारखाना | प्लेटों और चादरों की क्षमता | 1968-69 में वास्तविक उत्पादन | क्षमता के मुकाबिले में उत्पादन प्रतिशतता |
|---|---|---|---|
| टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी | 292.00 | 250.6 | 85 |
| इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी | 120.00 | 130.2 | 108 |
| राउरकेला | 900.00 | 691.0 | 77 |

(ङ) और (च) व्यापक राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए थोडी मात्रा में दुर्लभ किस्म के माल के निर्यात की अनुमति दी जा रही है । वर्ष 1969-70 के लिए 1000 टन काली और जस्ती चादरों का निर्यात करने का लक्ष्य रखा गया है । फिर भी निर्यात के प्रत्येक करार के लिए सरकार की मंजूरी प्राप्त करनी होगी ।

### दिल्ली और जयपुर के बीच चलने वाली यात्री-गाड़ी में भीड़-भाड़

4085. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली और जयपुर (जो राजस्थान की राजधानी है) के बीच केवल एक ही यात्री-गाड़ी चलती है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि रात को जाने वाली रेलगाड़ी में, तीसरे दर्जे के डिब्बों में बहुत भीड़भाड़ रहती है; और

(ग) इस भीड़-भाड़ को ध्यान में रखते हुए और कम दूरी वाले यात्रियों की सुविधा के लिए क्या सरकार बाँदीकुई और जयपुर के बीच शटल रेलगाड़ियाँ चलाने अथवा बाँदीकुई और रिवाड़ी के बीच चलने वाली शटल रेलगाड़ियों को जयपुर तक बढ़ाने के बारे में विचार करेगी ?

**रेलवे मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह) :**

(क) दिल्ली-जयपुर खण्ड पर चलने वाली एक जोड़ी तेज सवारी-गाड़ी के अलावा इस समय इस खण्ड पर दो जोड़ी डाक-एक्सप्रैस गाड़ियाँ भी चलती हैं।

(ख) दिल्ली-जयपुर खण्ड पर चलने वाली नं० 13 अप / 14 डाउन तेज सवारी-गाड़ियों में कुछ भीड़-भाड़ देखी गयी है।

(ग) बाँदीकुई-जयपुर खण्ड पर दो जोड़ी सवारी-गाड़ियाँ, अर्थात् 7/8 आगरा फोर्ट-जोधपुर तेज सवारी गाड़ी और 13/14 दिल्ली-अजमेर तेज सवारी गाड़ी पहले से चल रही हैं। इस खण्ड पर अतिरिक्त स्थान की व्यवस्था करने के लिए , दिल्ली और उदयपुर के बीच शीघ्र ही एक जोड़ी अतिरिक्त एक्सप्रैस गाड़ी चलाने का विचार है। इस अतिरिक्त गाड़ी को चलाने और लम्बी दूरी वाले यात्रियों द्वारा इसका उपयोग किये जाने से इस खण्ड की सवारी-गाड़ियों में भीड़ कम हो जाने की आशा है।

### जयपुर तथा दिल्ली के बीच बड़ी रेल लाइन

4086. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार को इस आशय का एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है कि जयपुर तथा दिल्ली के बीच बड़ी रेलवे लाइन होनी चाहिए;

(ख) क्या सरकार ने कोई ऐसी योजना बनाई है जिससे जयपुर बड़ी रेल लाइन पर आ जाये;

(ग) यदि हाँ, तो उक्त योजना का कार्य कब आरम्भ किया जायेगा; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**रेलवे मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह) :**

(क) जी हाँ।

(ख) जी नहीं।

(ग) सवाल नहीं उठता।

(घ) धन की कमी होने और यातायात सम्बन्धी पर्याप्त औचित्य न रहने के कारण इस निर्माण को चौथी पंचवर्षीय योजना में शामिल करने के लिए पर्याप्त प्राथमिकता मिलने की सम्भावना नहीं है ।

**मध्य प्रदेश में आदिवासियों के गाँवों में पेयजल के लिए नलकूप लगाना**

4088. **श्री दे० वि० सिंह** : क्या **विधि तथा समाज-कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत वर्ष मध्य प्रदेश सरकार ने कोई ऐसा पत्र भेजा था जिसमें ऐसे अनेक गाँवों के बारे में लिखा गया था, जिनमें मुख्य रूप से आदिवासी लोग रहते हैं और जहाँ पीने के पानी की बिल्कुल भी व्यवस्था नहीं है और जहाँ पर पीने के पानी का प्रबन्ध पर्याप्त मात्रा में नहीं है;

(ख) यदि हाँ, तो ऐसे गाँवों की कुल संख्या कितनी है और इन गाँवों में पेय-जल की व्यवस्था करने के लिए जो योजना बनाई गई है उसका ब्यौरा क्या है, उस पर कितनी लागत आयेगी तथा उसके लिए सरकार से कितनी सहायता माँगी गई है और कितनी सहायता की स्वीकृति दी गई है;

(ग) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय सरकार को इस आशय का एक प्रस्ताव मार्च, 1966 में भेजा था कि इनमें से कुछ गाँवों में पाँच वर्ष की अवधि में 2500 कुएँ लगाये जायें तथा साथ ही यह अनुरोध भी किया था कि इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार ही योजना बनाये।

(घ) क्या यह सच है कि 24 मार्च, 1966 को हुई बैठक में समाज-कल्याण मंत्री ने मध्य प्रदेश के संसद् सदस्यों को यह आश्वासन दिया था कि केन्द्रीय सरकार राज्य सरकार के प्रस्ताव को स्वीकार करेगी; और

(ङ) इन गाँवों में 2500 कुएँ लगाने के कार्य में कितनी प्रगति हुई है ?

**विधि मंत्रालय तथा समाज-कल्याण विभाग में उपमंत्री (श्री मुत्यालराव)** :

(क) और (ख) राज्य सरकार ने 1967–68 में बस्तर जिले में चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के दौरान 35.50 लाख रुपए के खर्च पर 500 कुएँ बनाए जाने का प्रस्ताव किया था। यह योजना 1561 गाँवों तथा 1364 बस्तियों के लिए बनाई गई थी, जहाँ पीने के पानी की प्रदाय की सुविधाएँ अपर्याप्त बताई गई थीं । इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया गया, क्योंकि :

(1) चतुर्थ पंचवर्षीय योजना तैयार नहीं हुई थी ।

(2) अन्दरुनी साधनों की सम्भावित उपलब्धता तथा उस राज्य में अन्य आदिम जातीय क्षेत्रों की आवश्यकताओं पर आधारित यथार्थिक कार्यक्रम बनाने के लिए कोई प्रयत्न किया गया प्रतीत नहीं होता था ।

(3) बस्तर जिले की विकासात्मक समस्याओं को अध्ययन करने के लिए उच्च स्तरीय एकक नियुक्त करने सम्बन्धी पाँडे आयोग की सिफारिश को राज्य सरकार ने क्रियान्वित नहीं किया था।

(ग) और (घ) 25 मार्च, 1968 को अतारांकित प्रश्न संख्या 5136 के उत्तर की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है ।

(3) यह सूचना राज्य सरकार से एकत्रित की जा रही है तथा प्राप्त होने पर सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

### कारों और ट्रकों का निर्माण

**4089. श्री बेणी शंकर शर्मा: क्या औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में विभिन्न कारखाने असैनिक उपयोग के लिए प्रतिवर्ष कितनी कारों और ट्रकों का निर्माण कर रहे हैं;

(ख) इनकी कुल वार्षिक आवश्यकता कितनी है; और

(ग) कमी को किस प्रकार पूरा करने का विचार है?

**औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद):**

(क) 1968 तथा जनवरी से जुलाई, 1969 की अवधि में विभिन्न मेकों की कारों तथा वाणिज्यिक गाड़ियों का उत्पादन निम्न प्रकार है:—

**कारें**

| कम्पनी का नाम | कारों की मेक | उत्पादन 1968 | उत्पादन 1969 जनवरी–जुलाई |
|---|---|---|---|
| 1. मै० हिन्दुस्तान मोटर्स लि० | एम्बासेडर | 22,687 | 12016 |
| 2. मै० प्रीमियर आटोमोबाइल्स लि० | फिएट | 12,276 | 7052 |
| 3. मै० स्टैण्डर्ड मोटर प्राडक्ट्स आफ इण्डिया लि० | स्टैण्डर्ड हेराल्ड | 2,345 | 1089 |
| | | 37,308 | 20,157 |

**वाणिज्यिक गाड़ियाँ**

| निर्माता का नाम | वाणिज्यिक गाड़ियों का मेक | उत्पादन 1968 | उत्पादन 1969 (जनवरी-जुलाई) |
|---|---|---|---|
| 1. मै० हिन्दुस्तान मोटर्स लिमिटेड | बेडफोर्ड | 1981 | 1335 |
| 2. मै० प्रीमियर आटोमोबाइल्स | डाज/फार्गो | 3355 | 1234 |
| 3. मै० स्टैण्डर्ड मोटर प्राडक्ट्स आफ इंडिया लि० | स्टैण्डर्ड | 448 | 271 |
| 4. मै० टाटा इंजीनियरिंग एण्ड लोकोमोटिव कं० लि० | टाटा | 21669 | 14207 |
| 5. मै० अशोका लेलैण्ड लिमिटेड | लेलैण्ड | 4390 | 2766 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 6. मे० महीन्द्रा एण्ड महीन्द्रा | जीप ट्रकें | 1453 | 838 |
| 7. मै० बजाज टेम्पो लिमिटेड | टेम्पो 3-पहिए वाला तथा 4-पहिए वाला | 2924 | 1208 |
| | **योग** | 36220 | 22759 |

(ख) मशीन उद्योग के योजना समूह द्वारा 1973–74 तक कारों तथा वाणिज्यिक गाड़ियों की वार्षिक माँग का लगाया गया अनुमान निम्न प्रकार है:

| | |
|---|---|
| कारें | 75,000 संख्या प्रतिवर्ष |
| वाणिज्यिक गाड़ियाँ | 85,000 संख्या प्रतिवर्ष |

(ग) जहाँ तक वाणिज्यिक गाड़ियों का संबंध है सरकार की नीति माँग को पूरा करने की दृष्टि से उत्पादन के स्तर को अधिक से अधिक ऊँचा करके विद्यमान एककों में विस्तार की अनुमति देकर उन्हें समर्थ की जा रही है। इस समय विद्यमान एककों का उत्पादन माँग को पूरा करने की दृष्टि से पर्याप्त है।

बढ़ती हुई माँग को पूरा करने के लिए यात्री-कारों का वर्तमान उत्पादन काफी नहीं है। यात्री-कारों की अतिरिक्त क्षमता किस प्रकार स्थापित की जानी चाहिये सरकार इस प्रश्न की ओर ध्यान दे रही है। कम लागत की कार बनाने के लिए सरकारी क्षेत्र में एक परियोजना स्थापित करने के मामले पर विचार किया जा रहा है।

## बेरोजगारी की समस्या के समाधान के लिये लघु उद्योग प्रारम्भ करना

4090. **श्री बेणी शंकर शर्मा :** क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या लघु उद्योगों का एक व्यापक कार्यक्रम देश में बड़े पैमाने पर बढ़ती हुई बेरोजगारी की समस्या का समाधान करने में बड़ी हद तक सहायक सिद्ध हो सकता है;

(ख) यदि हाँ, तो ऐसे उद्योग स्थापित करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) कितने तथा किस प्रकार के उद्योग स्थापित किए जा सकते हैं और उनमें कितने व्यक्तियों को रोजगार दिया जा सकता है; और

(घ) क्या जापान की तरह कुटीर उद्योग के आधार पर बड़े कारखानों के सहायक उद्योग स्थापित करने के लिए कोई योजना तैयार की गई है?

**औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद):**

(क) जी हाँ, कुछ हद तक।

(ख) और (ग) लघु उद्योग विकास संस्थान ने भावी उद्यमियों के मार्गदर्शन के लिए अनेक योजनायें बनाई हैं। कुछ उद्योगों को लघु उद्योगों के लिए आरक्षित कर दिया गया है। जिसकी सूचना जनता को समय-समय पर अधिसूचित कर दी जाती है।

(घ) सरकार सहायक-उद्योगों की स्थापना को अधिकाधिक प्रोत्साहन दे रही है

**पुनर्बलन के लिये प्रक्रिया संहिता में संशोधन**

4091. **श्री सी० मुत्तुस्वामी : श्री गार्डिलिंगन गौड :**
**श्री जे० मुहम्मद इमाम :**

क्या **इस्पात तथा भारी इंजीयरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय मानक संस्थान ने पुनर्बलन की प्रक्रिया संहिता अर्थात् आई० एस०: 456 में संशोधन किया है जिसके परिणामस्वरूप निर्माण-कार्य में सादी छड़ों और सलाखों के स्थान पर हाईटेन्सिल छड़ों और सलाखों के प्रयोग के मामले में अधिक प्रतिबलन (स्ट्रेस) की अनुमति दी गई है;

(ख) क्या हाईटेन्सिल छड़ों और सलाखों के प्रयोग से इस्पात की 40 प्रतिशत की बचत वजन में होगी; और

(ग) यदि हाँ, तो इस माल के, जो देश के लिए अत्यधिक लाभप्रद होगा, अधिकतम उत्पादन के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

**इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) :**

(क) भारतीय मानक संस्थान ने आई० एस० : 456 को संशोधित करके उच्चतर अनुमेय प्रतिबल की स्वीकृति दी है। यदि हाई टेंसाइल छड़ों और दण्डों का उपयोग किया जाय। पुनर्बलक कंक्रीट के लिए गर्म बेलित और ठण्डी मरोड़ित डिफार्म्ड छड़ों के लिए दो अलग मानक तय किए गए हैं।

(ख) इस्पात के बचत की मात्रा प्रयुक्त कंक्रीट के गुण और प्रबेलित कंक्रीट के लिए अपनाए गए रूपांकन पर निर्भर है। यदि हाई स्ट्रेंथ छड़ों के साथ अच्छे गुण वाली कंक्रीट और रूपांकन की अन्तिम भार विधि का प्रयोग किया जाय तो कुछ मामलों में साधारण इस्पात की सादी गोल छड़ों की तुलना में इस्पात के प्रयोग में, भार के विचार से, 40 प्रतिशत की बचत हो सकती है।

(ग) इस इस्पात के प्रयोग को लोकप्रिय करने के लिये और साथ ही अधिकाधिक उत्पादन के लिए वर्ष, 1968 के दौरान कई कदम उठाए गए। उस साल टाटा आयरन एण्ड स्टील लिमिटेड, इण्डियन आयरन एण्ड स्टील लिमिटेड और हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के भिलाई और दुर्गापुर इस्पात कारखानों में हाई टेंसाइल डिफार्म्ड छड़ों के उत्पादन की क्षमता अधिष्ठापित की गई। वर्ष 1968-69 में टाटा ने, 15,000 टन डिफार्म्ड छड़ें बाजार में भेजीं और इस साल 60,000 टन सप्लाई करने की उनकी योजना है। हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के कारखानों में गत वर्ष लगभग 3360 टन उत्पादन हुआ। इस साल इसके 30,000 या 40,000 टन होने की आशा है। इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी का उत्पादन भी इस साल पिछले वर्ष की तुलना में अधिक होने की आशा है। इसके अतिरिक्त पुनर्बलकों के उत्पादन में भी वृद्धि हुई है यद्यपि उनके उत्पादन पर बिलेट की मौजूदा कमी का प्रभाव रहा है। सर्वतोमुखी इस्पात कारखाने उत्पादन-वृद्धि के लिए और उपाय कर रहे हैं।

**छड़ों तथा सलाखों की आवश्यकता**

4092. **श्री गार्डिलिगन गौड़ :** **श्री जे० मुहम्मद इमाम :**
**श्री सी० मुत्तुस्वामी :**

क्या **इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि लोहा तथा इस्पात की कर्णधार समिति ने अनुमान लगाया है कि चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि में छड़ों तथा सलाखों की कुल वार्षिक आवश्यकता लगभग 22 लाख मीट्रिक टन होगी;

(ख) क्या उसने यह भी अनुमान लगाया है कि इसमें से 15 लाख मीट्रिक टन छड़ों तथा सलाखों की आवश्यकता निर्माण-कार्यों में इस्पात के काम को मजबूत करने के रूप में होगी;

(ग) क्या सरकार को पता है कि यदि सादी छड़ों तथा सलाखों के स्थान पर हाई टेंसिल छड़ों तथा सलाखों का प्रयोग किया जाये तो यह आवश्यकता केवल 6 लाख मीट्रिक टन प्रतिवर्श तक लाई जा सकती है;

(घ) क्या यह भी सच है कि चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में हाई टेंसिल छड़ों तथा सलाखों के प्रयोग से लगभग 50 करोड़ रुपयों की बचत हो सकती है; और

(ङ) यदि उपरोक्त भाग (ग) और (घ) के उत्तर में 'हाँ' हों तो सरकार ने देश में हाई टेंसिल छड़ों तथा सलाखों का पर्याप्त टनभार निर्माण करने के लिए क्या कार्यवाही की है?

**इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) :**

(क) और (ख) जी, हाँ।

(ग) इस्पात के बचत की मात्रा प्रयुक्त कंक्रीट के गुण और प्रबलित कंक्रीट के लिए अपनाए गए रूपांकन पर निर्भर है। यदि हाई स्ट्रेंथ छड़ों के साथ अच्छे गुण वाली कंक्रीट और रूपांकन की अन्तिम भार विधि का प्रयोग किया जाय तो कुछ मामलों में साधारण इस्पात की सादी गोल छड़ों की तुलना में, भार के विचार से, इस्पात के प्रयोग में 40 प्रतिशत की बचत हो सकती है। लगभग 25–30 प्रतिशत की बचत का अनुमान ज्यादा तर्कसंगत है। अन्य देशों में हाई टेंसाइल डिफार्म्ड छड़ों के उपयोग की जानकारी के आधार पर साधारण इस्पात की गोल छड़ों की जगह पर अधिक से अधिक 70 प्रतिशत हाई टेंसाइल डिफार्म्ड छड़ों का प्रयोग किया जा सकता है। इसके आधार पर पुनर्बेलक छड़ों की माँग अधिक से अधिक 3 लाख टन की कमी की जा सकती है। तथापि, चूंकि परिवर्तन धीरे-धीरे ही सम्भव हो सकता है, और दूसरे हाई टेंसाइल छड़ों का उत्पादन पुनर्बेलकों द्वारा पुनर्बेलनीय रद्दी इस्पात से सम्भव नहीं है, अतः कर्णधार समिति ने हाई टेंसाइल डिफार्म्ड छड़ों के प्रयोग के कारण 200.000 टन की बचत की सम्भावना को ध्यान में रक्खा है।

(घ) ऐसी बचत हो सकती है।

(ङ) इस इस्पात के प्रयोग को लोकप्रिय बनाने के लिये और साथ ही अधिकाधिक उत्पादन के लिए वर्ष 1968 के मध्य में कई कदम उठाए गए। गत वर्ष टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी, इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी और हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के भिलाई और दुर्गा-पुर इस्पात कारखानों में हाई टेंसाइल डिफार्म्ड छड़ों के उत्पादन की क्षमता अधिष्ठापित की

गई। वर्ष 1968–69 में टाटा ने 15,000 टन डिफार्म्ड छड़े बाजार में भेजीं और इस वर्ष 60,000 टन सप्लाई करने की उनकी योजना है। हिन्दुस्तान स्टील के कारखानों में गत वर्ष लगभग 3,360 टन उत्पादन हुआ। इसके इसी वर्ष 30,000 से 40,000 टन होने की आशा है। इस साल इण्डियन एण्ड आयरन स्टील कम्पनी का उत्पादन भी अधिक होने की आशा है। इसके अतिरिक्त पुनर्बेलकों के उत्पादन में भी वृद्धि हुई है यद्यपि उनके बिलेट की मौजूदा कमी का प्रभाव पड़ा है। सर्वतोमुखी इस्पात कारखाने अपना उत्पादन बढ़ाने के लिए और उपाय कर रहे हैं। अगले साल और उससे आगे उत्पादन में काफी वृद्धि की आशा है।

**बिलेटों की कमी**

4093. **श्री गार्डिलिंगन गौड :** **श्री सी० मुत्तुस्वामी :**
**श्री जे० मुहम्मद इमाम :**

क्या **इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि इस्पात के मुख्य कारखानों के लिए यह सम्भव नहीं हो सका है कि वे अपनी अधिष्ठापित क्षमता के अन्तर्गत बिक्री के लिए बिलेट का उतना उत्पादन कर सकें जितनी उसकी माँग है;

(ख) क्या बिलेटों की यह कमी सम्भवतः लम्बे समय तक चलेगी;

(ग) क्या उन्हें यह पता है कि यदि सादी छड़ और सलाख न बना कर उनके स्थान पर हाई टेंसिल छड़ों या सलाखों का उत्पादन किया जाये तो उनका और अधिक अच्छे ढंग से उपयोग किया जा सकता है;

(घ) क्या यह भी सच है कि यदि उपर्युक्त भाग (ग) में दिए गए सुझाव को क्रियान्वित किया जाये तो पुनर्वलित (री-इनफोरसिंग) इस्पात की 40 प्रतिशत बचत वजन में होगी, और

(ङ) यदि हाँ, तो देश में हाई टेंसिल छड़ों और सलाखों के पर्याप्त मात्रा में उत्पादन के लिए क्या कार्यवाही की गई है?

**इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) :**

(क) दुर्गापुर इस्पात कारखानों को छोड़ कर दूसरे इस्पात कारखाने अर्ध-तैयार इस्पात, के जिसमें बिलेट भी शामिल है, पूरी क्षमता तक और भिलाई तथा टाटा क्षमता से अधिक उत्पादन का विचार कर रहे हैं।

(ख) वर्तमान कमी की कुछ मात्रा में तब तक बने रहने की संभावना है, जब तक कि दुर्गापुर इस्पात कारखाना अपनी पूरी क्षमता तक उत्पादन नहीं करने लगता।

(ग) जी, हाँ। लेकिन सभी पुनर्बेलक हाईटेंसाइल डिफार्म्ड बार और छड़ के उत्पादन में समर्थ नहीं है।

(घ) हाई टेंसाइल डिफार्म्ड बार और छड़ों के योग इस्पात की खपत में बचत की आशा है जो कुछ परिस्थितियों में 40 प्रतिशत तक हो सकती है।

(ङ) टौर स्टील के उत्पादक पुनर्बेलकों को बिलेट के संरक्षित कोटे में से विशेष आवंटन किया गया है। ये पुनर्बेलक यदि चाहें तो बिलेट के अपने सारे आंतरिक कोटे को "टोर स्टील"

के उत्पादन के लिए प्रयुक्त करने को स्वतंत्र हैं। पुनर्बेलकों के अतिरिक्त हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड और इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कं० लिमिटेड भी हाई टेन्साइल बार और छड़ (टोर-स्टील) का उत्पादन कर रहे हैं। टाटा आयरन एण्ड स्टील कं० भी अपने ही ब्रैण्ड के हाई टेन्साइल डिफार्म्ड बार और छड़ का उत्पादन करते हैं।

## बिलेट वितरण नीति

4094. श्री गार्डिलिंगन गौड़ : श्री सी० मुत्तु स्वामी :
श्री जे० मुहम्मद इमाम :

क्या **इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि जनवरी 1969 में बिलेट वितरण की जो नीति निर्धारित की गई थी उसके अनुसार हाई टेंसिल छड़ें तथा टोरस्टील जैसी सिलाखों के निर्माताओं को टेस्टिड बिलेटों का विशेष नियतन किया गया था;

(ख) क्या चालू नीति के अनुसार टोरस्टील निर्माताओं के लिए कोई विशेष व्यवस्था नहीं है;

(ग) यदि हाँ, तो क्या इससे टोरस्टील के उत्पादन में भारी कमी होगी;

(घ) क्या छड़ों और सिलाखों का 40 प्रतिशत उत्पादन बर्बाद रहा है और क्या सादी छड़ों और सिलाखों के स्थान पर हाई टेंसिल छड़ों और सिलाखों के प्रयोग से पुनर्वलित इस्पात में उतनी ही बचत हो सकती है;

(ङ) यदि हाँ, तो हाई टेंसिल छड़ों और सिलाखों के निर्माताओं को बिलेटों की पर्याप्त मात्रा में सप्लाई करने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है?

**इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) :**

(क) जी, हाँ।

(ख) से (ङ) संयुक्त संयंत्र समिति द्वारा निकाली गई नई वितरण नीति में टोर-स्टील के लिए सामान्य कोटे के अतिरिक्त विशेष कोष रखना खतम कर दिया गया है। तथापि, टोर-स्टील उत्पादक अपने सामान्य कोटे का उपयोग टोर-स्टील के उत्पादन के लिए कर सकते हैं। इसके अलावा, टोर-स्टील उत्पादन के लिए विशेष प्रोत्साहन देने के लिए सभी टोर-स्टील उत्पादकों को सुरक्षित कोटे से बिलेट का आवंटन किया गया है। टोर-स्टील के प्रयोग से इस्पात की खपत में बचत का अनुमान किया जाता है जो कि कुछ मामलों में 40 प्रतिशत तक हो सकती है। पुनर्बेलकों को अतिरिक्त, जिनके लिए विशेष प्रबन्ध किए गए हैं, दो मुख्य उत्पादक, तथा हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड और इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी भी टोर-स्टील का उत्पादन कर रहे हैं। टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लिमिटेड भी पुनर्बेलन के लिए अपने ब्रैण्ड के डिफार्म्ड/मरोड़ित छड़ का उत्पादन करते हैं।

**हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड तथा लक्समबर्ग के मेसर्स टोर-इसटेग स्टील के बीच अधिक तनाव वाली छड़ों तथा डंडों के निर्माण के लिये करार**

4095. **श्री गार्डिलिंगन गौड :** **श्री जे० मुहम्मद इमाम :** **श्री मुत्तु स्वामी :**

क्या **इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड ने अधिक तनाव वाले छड़ों तथा डंडों जो, टोरस्टील के नाम से जाने जाते हैं के निर्माण के लिए लक्समबर्ग के मेसर्स 'टोर-इसटेग स्टील के साथ तकनीकी सहयोग करार किया है;

(ख) उत्पादन आरम्भ होने की तारीख से इसका प्रति तिमाही कितना उत्पादन हुआ है; और

(ग) आगामी दो वर्षों में इस उत्पादन की योजना क्या है?

**इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त)** :

(क) जी हाँ।

(ख) हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के भिलाई और दुर्गापुर स्थित इस्पात कारखानों में टोर-स्टील का उत्पादन अक्तूबर 1968 में आरम्भ हुआ था। वर्ष 1968–69 में इसका उत्पादन 3360 टन हुआ और 1969 के अप्रैल,-जून की तिमाही में 8200 टन का उत्पादन हुआ।

(ग) कंपनी ने आगामी दो वर्षों में इस धातु के उत्पादन के लिए कोई विशेष योजना तैयार नहीं की है परन्तु इसकी बढ़ती हुई माँग को पूरा करने के लिए कई उपायों पर विचार किया जा रहा है।

**अधिक तनाव वाली छड़ों तथा डंडों का निर्माण**

4096. **श्री गार्डिलिंगन गौड :** **श्री सी० मुत्तु स्वामी :** **श्री जे० मुहम्मद इमाम :**

क्या **इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उनको यह मालूम है कि कुछ प्रतिष्ठित निर्माताओं द्वारा जिनमें हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड भी शामिल है अधिक तनाव वाली छड़ों तथा डंडों, जो पुनर्बलित इस्पात के रूप में प्रयोग में लाये जायेंगे, के निर्माण के लिए पर्याप्त सुविधायें दी गई हैं;

(ख) क्या यह वस्तु निर्माण कार्य में इस्पात के भार को 40 प्रतिशत कम कर सकती है तथा इससे अगले कुछ वर्षों में 50 करोड़ रुपए वार्षिक की बचत संभव है;

(ग) क्या सरकारी उद्यम ब्यूरो ने सरकारी क्षेत्र के सभी उपक्रमों के नाम एक परिपत्र जारी किया है कि वे सादे छड़ों तथा डंडों के स्थान पर उक्त माल प्रयोग करें।

(घ) क्या परिपत्र कारगर रूप से कार्यान्वित नहीं किया गया है क्योंकि इस माल के निर्माताओं को पर्याप्त मात्रा में बिलेट नहीं मिल रहे हैं; और

(ङ) यदि हाँ, तो उन्हें आवश्यक मात्रा में बिलेट उपलब्ध कराने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है।

**इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) :**

(क) जी, हाँ। मौजूदा माँग को पूरा करने के लिए पर्याप्त क्षमता अधिष्टापित की गई है।

(ख) इस्पात के बचत की मात्रा प्रमुख कंक्रीट के गुण और प्रबलित कंक्रीट के लिए अपनाए गए रूपांकन पर निर्भर है। यदि हाई स्ट्रेंग्थ डिफार्म्ड छड़ों के साथ अच्छे गुण वाली कंक्रीट और रूपांकन की अन्तिम-भार विधि का प्रयोग किया जाय तो कुछ मामलों में साधारण इस्पात की सादी गोल छड़ों की तुलना में इस्पात के प्रयोग में भार के विचार से 40 प्रतिशत की बचत हो सकती है। लगभग 25–30 प्रतिशत की बचत का अनुमान ज्यादा तर्कसंगत होगा। अन्य देशों में हाई टेंसाइल छड़ों के प्रयोग की जानकारी के आधार पर साधारण इस्पात की गोल छड़ों की जगह पर अधिक से अधिक 70 प्रतिशत हाई टेंसाइल छड़ों का प्रयोग किया जा सकता है। इसके आधार पर पुनर्बलक छड़ों की माँग अधिक से अधिक 3 लाख टन की कम की जा सकती है। तथापि, चूंकि परिवर्तन धीरे-धीरे ही सम्भव हो सकता है, और दूसरे, हाई टेंसाइल छड़ों का उत्पादन पुनर्बेलकों द्वारा पुनर्बेलनीय रद्दी इस्पात से सम्भव नहीं है, अतः कर्णधार समिति ने वर्ष 1973–74 में 200,000 टन की सम्भावित बचत को ध्यान में रक्खा है। इसका अर्थ यह है कि उस साल में 20 करोड़ रुपए की बचत होगी।

(ग) जी, हाँ। सरकारी उपक्रमों के ब्यूरो ने मार्च, 1966 में एक परिपत्र जारी किया था।

(घ) देश में बिलेटों की साधारणतः कमी है और इस सीमा तक हाई टेंसाइल रिब्ड छड़ें बनाने वाले पुनर्बेलक प्रभावित हैं।

(ङ) हाई टेंसाइल रिब्ड छड़ें बनाने वाले पुनर्बेलकों को "सुरक्षित कोटे" से विशेष आवंटन किया गया है। इन पुनर्बेलकों को यह भी छूट है कि वे यदि चाहें तो अपने पूरे आन्तरिक कोटे का उपयोग हाई टेंसाइल रिब्ड छड़ों के उत्पादन के लिए कर सकते हैं।

## मैसर्स करम चन्द थापर

4097. **श्री मंगला थुमाडोम :** क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मैसर्स करम चन्द थापर के विरुद्ध, उनको अनियमितताओं के सम्बन्ध में, जो कानून कम्पनी बोर्ड के निरीक्षक ने निकाली है, कोई कार्यवाही की गई है; और

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है?

**औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद):**

(क) और (ख) संभवतः माननीय सदस्य का निर्देश मैसर्स करम चन्द थापर एण्ड ब्रादर्स (कौल सेल्स) लिमिटेड की ओर है। वह परिस्थितियाँ, जिनके अन्तर्गत कम्पनी ने कुछ अग्रिम ऋण दिए थे, जो देने के समय अनियमित थे, निरीक्षण के समय वर्तमान नहीं थीं, अतः

कम्पनी के विरुद्ध कोई दांडिक कार्यवाही नहीं की गई, परन्तु उसे कानून के उपबन्धों के अनुपालन करने में सावधान रहने की चेतावनी दे दी गई।

**रेलवे के कार्यसंचालन के बारे में प्रशासनिक सुधार आयोग के दल की सिफारिशें**

4098. **श्री मंगला थुमाडोम :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने प्रशासनिक सुधार आयोग के दल (के० बी० माथुर समिति) द्वारा रेलवे के कार्य-संचालन के बारे में की गई सभी सिफारिशों का अध्ययन कर लिया है; और

(ख) यदि हाँ, तो उन सिफारिशों की मुख्य रूपरेखा क्या है, जो अब तक क्रियान्वित की गई है अथवा जो सरकार के विचाराधीन है?

**रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह):**

(क) जी नहीं। सरकार प्रशासनिक सुधार आयोग की रिपोर्ट की प्रतीक्षा कर रही है।

(ख) सवाल नहीं उठता।

**आदिलाबाद (दक्षिण-मध्य रेलवे) के राजूरा-मानिकगढ़ तक रेलवे लाइन**

4099. **श्री गंगा रेड्डी :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उन्हें पता है कि आँध्र प्रदेश में आदिलाबाद (दक्षिण-मध्य रेलवे) से राजूरा-मानिकगढ़ तक जो भूतपूर्व हैदराबाद राज्य में था, रेलवे लाइन बिछाने के बारे में कोई योजना विचाराधीन थी और क्या कोई सर्वेक्षण भी किया गया था;

(ख) क्या सरकार का विचार इस लाइन को आगे बढ़ाने तथा मद्रास-दिल्ली लाइन से मिलाने का है और यदि हाँ, तो यह कार्य कब आरम्भ किया जायेगा; और

(ग) क्या सरकार का विचार इसका सर्वेक्षण करके इस कार्य को अपने हाथ में लेने का है ताकि आँध्र प्रदेश और महाराष्ट्र के पिछड़े हुए क्षेत्रों का विकास हो सके?

**रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) :**

(क) आदिलाबाद से मानिकगढ़ तक एक नयी लाइन के निर्माण के लिए अतीत में कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया था। लेकिन माजरी (मद्रास-दिल्ली ट्रंक मार्ग पर) राजपुर लाइन को आदिलाबाद तक बढ़ाने के सम्बन्ध में 1929 में यातायात संबंधी जो जाँच की गयी थी उससे पता चला था कि इस तरह की लाइन से प्रतिफल बहुत कम होगा।

(ख) जी नहीं।

(ग) फिलहाल किसी सर्वेक्षण को हाथ में लेने का विचार नहीं है।

**बेल्लमपल्ली रेलवे स्टेशन (दक्षिणी-मध्य रेलवे) के प्लेटफार्म को ऊँचा करना**

4100. **श्री गंगा रेड्डी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दक्षिण रेलवे में बेल्लमपल्ली-रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म को ऊँचा करने का कोई प्रस्ताव है, क्योंकि इससे यात्रियों को रेलगाड़ी से उतरते समय बड़ी कठिनाई होती है; और

(ख) यदि हाँ, तो इसमें कितना समय लगेगा?

**रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह)** :

(क) इस स्टेशन पर नीची सतह वाले मौजूदा प्लेटफार्म को ऊँचा करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। लेकिन इस स्टेशन पर दोहरी लाइन बिछाने के साथ-साथ एक अतिरिक्त द्वीप प्लेटफार्म बनाने का भी प्रस्ताव है। यह एक ऊँची सतह वाला प्लेटफार्म होगा।

(ख) यार्ड के ढाँचे में परिवर्तन के साथ ही अतिरिक्त द्वीप प्लेटफार्म का काम भी पूरा हो जाने की आशा है।

## अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लोगों को रोजगार की सुविधायें

4101. **श्री सोमचन्द सोलंकी** : क्या **विधि तथा समाज-कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि रोजगार कार्यालयों के आँकड़ों के अनुसार अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के शिक्षित लोगों में बेरोजगारी धीरे-धीरे बढ़ती जा रही है; और

(ख) क्या सरकार का विचार गाँधी शताब्दी वर्ष में इन जातियों के उन सब लोगों को उन सेवाओं में एक निश्चित तारीख तक लगाने का है जिनके लिए उनके नाम रोजगार दिलाऊ कार्यालयों में दर्ज है?

**विधि मंत्रालय तथा समाज-कल्याण विभाग में उप मंत्री (श्री मुत्याल राव)**:

(क) 1964-68 की कालावधि में प्रत्येक वर्ष के अन्त में रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टर पर अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के शिक्षित नौकरी खोजने वालों की संख्या दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ख) व्यवसायिक मार्ग दर्शन तथा रोजगार परामर्श सेवाओं की व्यवस्था कर दी गई है। उनके अतिरिक्त कोचिंग तथा विश्वास पैदा करने के लिये विशेष योजनायें भी शुरू की जा रही हैं।

### विवरण

1964-68 की कालावधि में प्रत्येक वर्ष के अन्त में रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टर पर अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के शिक्षित नौकरी खोजने वालों की संख्या।

| वर्ष | वर्ष के अन्त में चालू रजिस्टर पर शिक्षित नौकरी खोजने वालों की संख्या | |
|---|---|---|
| | अनुसूचित जातियाँ | अनुसूचित आदिम जातियाँ |
| 1 | 2 | 3 |
| 1964 | 47,418 | 4,395 |
| 1965 | 53,485 | 6,115 |
| 1966 | 63,740 | 8,468 |
| 1967 | 73,112 | 11,930 |
| 1968 | 93,972 | 14,025 |

**टिप्पणी** :—1. सभी बेरोजगार व्यक्ति रोजगार-कार्यालयों में रजिस्टर नहीं होते हैं।

2. रोजगार-कार्यालयों में रजिस्टर व्यक्तियों में से काफी अनुपात में ऐसे व्यक्ति हैं जो पहले से रोजगार पर लगे हुए हैं तथा ऊँची नौकरियाँ चाहते हैं।

**औद्योगिक लाइसेंस नीति पर दत्त समिति**

4102. **श्री ज्योतिर्मय बसु :**　　**श्री भगवान दास :**
**श्री बदरुद्दुजा :**　　**श्री सत्यनारायण सिंह :**
**श्री कंवर लाल गुप्त :**　　**श्री वि० नरसिम्हा राव :**

क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

क्या दत्त जाँच समिति ने औद्योगिक लाइसेंस नीति पर अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है;

(ख) क्या इसने बिरला बन्धुओं के विरुद्ध उपयुक्त जाँच करने के लिए सिफारिशें की हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार इस बारे में जाँच करने का है और यदि हाँ, तो कितनी जल्दी; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद):**

(क) जी, हाँ।

(ख) औद्योगिक लाइसेंस नीति जाँच समिति की रिपोर्ट में बिड़ला उद्योग समूहों समेत कई बड़े औद्योगिक समूहों का उल्लेख किया गया है। इस रिपोर्ट की प्रति पहले ही सदन के पटल पर रखी जा चुकी है।

(ग) और (घ) इस संबंध में लोक-सभा में दिनांक 13 मई, 1969 को अतारांकित प्रश्न संख्या 9451 के उत्तर की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है जिसमें यह कहा गया था कि अनेक मामलों में सरकार के अत्यधिक उपयुक्त अभिकरण के जरिये विस्तृत जाँच-पड़ताल तथा कार्यवाही की जा चुकी थी या प्रारम्भ की जा रही है तथा उद्योगों को लाइसेंस देने संबंधी आरोप औद्योगिक लाइसेंस नीति जाँच समित को बता दिए गए थे। यह भी बता दिया गया था कि कुछ आरोपों के बारे में जाँच-पड़ताल की जा रही है तथा कुछ अन्य मामले न्यायालय के विचाराधीन हैं। अग्रेतर सदन को सूचित कर दिया गया था कि विभिन्न न्यायाधिकरणों के समक्ष प्रस्तुत अथवा जिन मामलों में जाँच-पड़ताल चल रही है उनसे संबंधित आगे का कार्य करने तथा उन पर कड़ी निगरानी रखने के बारे में सरकार ने मंत्रिमण्डल सचिवालय में ऐसी जाँच-पड़ताल में समन्वय बनाए रखने तथा सरकार द्वारा निर्णय करने हेतु एक विशेष आयुक्त नियुक्त किया था। ऐसी परिस्थितियों में जाँच आयोग स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं था।

औद्योगिक लाइसेंस देने के संबंध में तथा कुछ विशेष आरोपों के संबंध में, जिनका सम्मिति में उल्लेख किया गया था, औद्योगिक लाइसेंस नीति जाँच समिति की रिपोर्ट अब प्राप्त हो चुकी है। इन दोनों रिपोर्टों की प्रतियाँ सभा-पटल पर पहले ही रखी जा चुकी हैं। ये रिपोर्ट फिलहाल सरकार के विचाराधीन हैं।

**Continuance of Reservation of seats for Scheduled Castes and Scheduled Tribes in Parliament and Assemblies beyond 1971**

4103. **Shri Deorao Patel** : Will the Minister of **Law and Social Welfare** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the same number of reservations for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes would continue for the next ten years beyond 1971 as are there at present in Parliament and Legislative Assemblies;

(b) if so, the reasons for continuing the same number beyond 1971 also; and

(c) the reasons for not increasing their number on the basis of population ?

**The Deputy Minister in the Ministry of Law and in the Department of Social Welfare (Shri Muthyal Rao)**:

(a) to (c) Under articles 330 and 332 of the Constitution seats will have to be reserved for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes in proportion to their population. The Bill for the revision of lists of Scheduled Castes and Seheduled Tribes contains provisions for estimating the population of these classes on the basis of the revised lists, and for the re-adjustment of constituencies by the Election Commission.

**हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन के अध्यक्ष की नियुक्ति**

4104. **श्री वेणी शंकर शर्मा : क्या इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन राँची, के निदेशक-मंडल में अध्यक्ष पद पर 1958 से अब तक कितने लोग रहे तथा उनके नाम और अर्हताए क्या-क्या हैं;

(ख) क्या यह सच है कि इस महत्वपूर्ण पद पर नियुक्तियाँ और परिवर्तन बड़ी जल्दी-जल्दी हुए; और

(ग) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं और इस प्रकार बार-बार परिवर्तन के परिणाम-स्वरूप उपरोक्त उद्योग-समूह में कितना विकास या प्रगति हुई ?

**इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त):**

| अध्यक्ष का नाम | नियुक्ति की अवधि | | अर्हतायें |
|---|---|---|---|
| डा० ए० नागाराजा राव | 28.1.59 | 24.2.64 | एम० एस सी (इंजीनियरी) |
| श्री जी० आर० गुप्ता | 24.3.64 | 7.10.67 | बी० एससी० (इंजीनियरी) मैकेनिकल, एम० आई० ई०, एम० आई० पी० ई० (लन्दन) |
| श्री के० डी० मालवीय | 23.2.68 | 4.1.69 | एम० एस सी० |
| श्री सी० चलापति | 27.4.69 | अभी तक काम कर रहे हैं। | बी० ई० |

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

**इस्पात के मूल्यों का पुनरीक्षण**

4105. **श्री हिम्मतसिंहका : क्या इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत संशोधित माँग के अनुमानों को पूरा करने के लिये इस्पात मूल्यों का पुनरीक्षण करने तथा इस्पात कार्यक्रम को नया रूप देने का कोई प्रस्ताव हाल ही में तैयार किया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो इस पुनरीक्षण का वास्तविक कारण क्या है; और

(ग) निर्णय लेने में विलम्ब होने के क्या कारण हैं और इस सम्बन्ध में क्या निर्णय किया गया है?

**इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा):**

(क) से (ग) सरकारी तथा गैर-सरकारी दोनों क्षेत्रों के इस्पात कारखानों से अप्रतिकर लागत वृद्धियों और ऊपरी खर्चों में वृद्धि के कारण इस्पात के मूल्य बढ़ाने के लिए अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। सरकार सभी संबंधित बातों की जिनमें मूल्य वृद्धि के कारण अर्थ-व्यवस्था के दूसरे क्षेत्रों पर पड़ने वाला प्रभाव भी शामिल है, जाँच कर रही है।

**कारों के मूल्यों में संशोधन**

4106. **श्री हिम्मतसिंहका : क्या औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि कार के मूल्यों में संशोधन करने का निर्णय स्थगित कर दिया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो इसके मुख्य कारण क्या हैं;

(ग) इस मामले में कब तक निर्णय किया जायेगा; और

(घ) कार का मूल्य बढ़ाने के लिए उद्योग की माँग के बारे में सरकार का क्या रवैया है?

**औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) :**

(क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) और (घ) मोटरगाड़ियों के उचित बिक्री मूल्य निर्धारित करने हेतु प्रशुल्क आयोग की रिपोर्ट (1968) पर शीघ्र ही निर्णय किए जाने की आशा है। आयोग की रिपोर्ट पर निर्णय हो जाने पर ही सरकार कार के मूल्यों में वृद्धि करने से सम्बन्धित निर्माताओं के आवेदनों पर विचार करेगी।

**आसाम में उद्योगों का विकास**

4107. **श्री नि० रं० लास्कर : श्री रा० बरुआ :**
**श्री चेंगलराया नायडू :**

क्या **औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि आसाम सरकार ने कपड़ा, पेट्रो-रसायन और कृषि सम्बन्धी उपकरण बनाने वाले चुने हुए अनेक उद्योगों का विकास करने के लिए जोरदार अभियान चलाया है:

(ख) यदि हाँ, तो क्या यह भी सच है कि राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है कि पर्याप्त पूंजी तथा तकनीकी जानकारी के लिए परिवहन राज्य-सहायता, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क कम करना और विकास छूट बढ़ाने जैसे प्रोत्साहन देना आवश्यक होंगे ?

(ग) यदि हाँ, तो सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) औद्योगिक कार्यक्रम का विकास करने में उनकी सहायता करने के लिये किस प्रकार की केन्द्रीय सहायता दी जायेगी ?

**औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) :**

(क) और (ख) जी, हाँ।

(ग) और (घ) आसाम सरकार को सूचित कर दिया गया है कि योजना आयोग ने पिछड़े क्षेत्रों की पहचान तथा उनके विकास के अभ्युपायों के लिए दो कार्यकारी दल नियुक्त किए थे और उनके प्रतिवेदन प्राप्त हो गए हैं जो कि राष्ट्रीय विकास परिषद् द्वारा नियुक्त समिति के विचाराधीन हैं। आसाम को सहायता देना उस समिति की सिफारिशों पर निर्भर करता है।

### त्रिवेन्द्रम-कोचीन मीटरगेज लाइन की बड़ी लाइन में बदलना

4108. **श्री ई० के० नायनार :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने त्रिवेन्द्रम-कोचीन मीटर गेज लाइन को बड़ी लाइन में बदलने की योजना की स्वीकृति दे दी है;

(ख) यदि हाँ, तो इस बड़ी लाइन के सम्बन्ध में सर्वेक्षण-प्रतिवेदन कब तक पूरा हो जायेगा; और

(ग) इस पर कुल कितना धन व्यय होने का अनुमान है ?

**रेलवे मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह) :**

(क) से (ग) एर्णाकुलम-क्विलन-त्रिवेन्द्रम मीटर लाइन को बड़ी लाइन में बदलने के सम्बन्ध में इंजीनियरी और यातायात सर्वेक्षणों के लिए अभी हाल में 4,02,362 रु० के अनुमानित खर्च की मंजूरी दी गयी है। सर्वेक्षण-कार्य आरम्भ करने के लिये दणिण रेलवे द्वारा प्रारम्भिक प्रबन्ध किए जा चुके हैं।

### ओलवक्कोट रेलवे स्टेशन पर सूक्ष्म-तरंग-व्यवस्था के उद्घाटन समारोह के अवसर पर रेलवे अधिकारियों द्वारा बाँटा गया भारत का नक्शा

4109. **श्री ई० के० नायनार :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि रेलवे अधिकारियों द्वारा ओलवक्कोट स्टेशन पर सूक्ष्म-तरंग-व्यवस्था के उद्घाटन समारोह के अवसर पर पालघाट (केरल राज्य) में गत 14 जून को

जो पुस्तिका वितरित की गई थी उसके मुख पष्ठ पर छपे भारत के नक्शे में असम, त्रिपुरा तथा मनीपुर को अंकित नहीं किया गया है; और

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं ?

**रेलवे मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह)**: (क) और (ख) जिस पुस्तिका का जिक्र किया गया है, वह एक तकनीकी पुस्तिका है जो माइक्रोवेव उपस्कर सप्लाई करने वाली एक विदेशी फर्म द्वारा प्रकाशित की गयी थी, न कि रेलवे द्वारा। उक्त फर्म द्वारा अभिकल्पित मुख-पृष्ठ पर हमारे देश के केवल एक भाग के खाके में माइक्रोवेव टावर और दक्षिण रेलवे के माइक्रोवेव केन्द्र-जाल को दिखाया गया था।

## भूतपूर्व सैनिकों का पुनर्वास

4110. **श्री अदिचन** : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत विभिन्न राज्यों तथा संघ राज्य-क्षेत्रों में भूत-पूर्व सैनिकों को कृषि तथा उद्योग में लगाने की कोई योजना है ;

(ख) यदि हाँ, तो प्रत्येक राज्य में इस समय ऐसे कितने भूतपूर्व सैनिक हैं, जिनका इस प्रकार पुनर्वास किया जाना शेष है; और

(ग) इस उद्देश्य के लिए बनाई गई योजना का मोटा व्यौरा क्या है और चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत इस कार्यक्रम पर कितना धन व्यय होगा ?

**प्रतिरक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मं० रं० कृष्ण ) :**

(क) और (ग) जानकारी प्राप्त की जा रही है और उसे प्राप्त होने पर सभा के पटल पर रख दिया जायेगा।

(ख) सूचना उपलब्ध नहीं है। उसके इकट्ठा करने में लगने वाला समय और श्रम दोनों ही उससे प्राप्त होने वाले परिणामों के अनुकूल न होगा।

## भारतीय केन्द्रीय लोक-निर्माण विभाग द्वारा नेपाल में आरम्भ की गई परियोजनाएँ

4111. **श्री बाबूराव पटेल**: क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 15 अगस्त, 1947 से लेकर अब तक भारतीय केन्द्रीय लोक-निर्माण विभाग द्वारा नेपाल में कितने बड़े तथा छोटे पुलों और पुलियों का निर्माण किया गया है, कितने पुलों और पुलियों का निर्माण किया जा रहा है और कितनों का निर्माण करने का प्रस्ताव है ;

(ख) इन पुलों और पुलियों पर कितनी लागत आई है ;

(ग) केन्द्रीय लोक-निर्माण विभाग द्वारा कितने मील लम्बी सड़कों का निर्माण किया गया और इनसे भारत में और नेपाल में किन स्थानों को आपस में जोड़ा गया है; और

(घ) यह कार्य आरम्भ करने से भारत को वास्तव में क्या लाभ हुआ है ?

**वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) :**

| | | | पुल | पुलियाँ |
|---|---|---|---|---|
| (क) | जो पहले ही बन चुकी हैं | . . | 14 | 1,129 |
| | जिनका निर्माण-कार्य चल रहा है | . . | 60 | 264 |
| | जिनके निर्माण करने का प्रस्ताव है | . . | 84 | 472 |

(ख) बड़े और छोटे पुलों तथा पुलियों का कुछ अंश तक काम पूरा कर लिया गया है, कुछ प्रगति पर हैं और कुछ पर भविष्य में काम शुरू किया जाने वाला है। इनके पूरा होने पर ही कुल खर्च जाना जाएगा।

(ग) सड़कों का अभी भी निर्माण-कार्य जारी है। मोटे तौर पर सड़कों की कुल दूरी 304 मील होगी। एक सड़क पश्चिम नेपाल पोखरा के साथ गोरखपुर जिला के सोनौली को जोड़ेगी। एक दूसरी सड़क भारत और नेपाल की सीमा पर मेची नदी से लेकर गुजरेगी और जनकपुर के निकट नेपाल में जलेश्वर में समाप्त हो जाएगी।

(घ) ये परियोजनाएँ भारत और नेपाल आर्थिक सहयोग कार्यक्रम के अधीन तैयार की जा रही हैं, जिसका प्रमुख उद्देश्य नेपाल के आर्थिक विकास को आगे बढ़ाना है।

## एक पाकिस्तानी जासूस गुलजार हुसेन शाह की श्री त्रिलोक चंद्र के बदले में रिहाई

4112. **श्री बाबूराव पटेल** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एक पाकिस्तानी जासूस श्री गुलजार हुसैन शाह ने, जिसको कि पाकिस्तान में नजरबन्द दिल्ली के विद्यार्थी त्रिलोकचन्द्र के बदले में रिहा किया गया था, भारत से रिहा किये जाने के समय अपनी सजा की अवधि पूरी नहीं की थी;

(ख) यदि नहीं, तो उनके विरुद्ध अभियोग तथा दण्ड का व्यौरा क्या है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि पाकिस्तानी जेल में श्री त्रिलोकचन्द्र की बहुत पिटाई की गई तथा उसे बड़ी यातनाएँ पहुँचाई गईं ; और

(घ) यदि हाँ, तो क्या पाकिस्तान को कोई विरोध प्रकट किया गया है; यदि नहीं; तो इसके क्या कारण हैं ?

**वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह)** : (क) जी नहीं। जब त्रिलोकचन्द्र के बदले में गुलजार हुसैन शाह को छोड़ा गया था, उस समय उसने अपनी सजा की मिआद पूरी कर ली थी।

(ख) फारेनर्स एक्ट और पासपोर्ट्स एक्ट के अधीन अपराध के जुर्म में, गुलजार हुसैन शाह जलंधर में 13–10–60 को दोषी गया था और उसे 5 वर्ष की कड़ी कैद की सजा दी गई थी और उस पर 2,000 रु० का जुर्माना लगाया गया था और जुर्माना न देने पर और एक वर्ष की कड़ी कैद की सजा उसे दी गयी थी। 10–6–63 को आफिसियल सिक्रेट्स एक्ट के अधीन अपराध के जुर्म में 3½ वर्ष की कड़ी कैद की सजा दी गई। दोनों सजाएँ एक ही

साथ चलनी थीं। कैद की सजा पूरी कर लेने पर, उसे 1–7–67 को पाकिस्तान वापिस भेज दिया गया। शाह फिर भारत में घुस आया और तब उस पर मुकदमा चलाया गया और पासपोर्ट्स एक्ट और फारेनर्स एक्ट के अधीन उसे 11–1–68 को एक वर्ष की कड़ी कैद की सजा दी गई।

(ग) और (घ) श्री त्रिलोकचन्द्र के बयान के अनुसार, उसकी गिरफ्तारी के बाद उसे पाकिस्तान में पूछ-ताछ के दौरान पीटा गया था। परन्तु पाकिस्तान सरकार ने इस आरोप का खंडन किया है कि पाकिस्तान के जेलों में उसके साथ दुर्व्यवहार किया गया।

**राजकीय व्यापार निगम के अध्यक्ष की विदेश यात्रा पर व्यय**

4113. **श्री बाबूराव पटेल :** क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजकीय व्यापार निगम के वर्तमान अध्यक्ष ने कितनी बार विदेश यात्रा की है, और 1968 में कार्यभार संभालने के बाद उन्होंने किन-किन देशों की यात्रा की है;

(ख) इन यात्राओं में हवाई जहाज का किराया तथा विदेशी मुद्रा के रूप में सरकार का कुल व्यय कितना हुआ है ; और

(ग) इन विदेश यात्राओं के परिणामस्वरूप सरकार को क्या लाभ हुए हैं ?

**वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति-मंत्रालय में उपमंत्री (श्री चौधरी राम सेवक) :**

(क) तीन बार। उन्होंने जिन देशों की यात्रा की उनके नाम ये हैं : केन्या, सं० अ० गणराज्य, चेकोस्लोवाकिया, जर्मन लोकतंत्रीय गणराज्य, हंगरी, पोलैण्ड, सोवियत रूस, यूगोस्लाविया, बेल्जियम, फ्रांस, इटली, नीदरलैंड, ब्रिटेन, आस्ट्रेलिया, मलयेशिया, न्यूजीलैण्ड, थाईलैण्ड।

| | | |
|---|---|---|
| (ख) | विमान का किराया | 32,646.40 रु० |
| | विदेशी मुद्रा | 15,297.03 रु० |

(ग) इन यात्राओं के परिणामस्वरूप, निगम के निर्यात-कार्य में पर्याप्त वृद्धि हुई है और नये निर्यात क्षेत्रों का विकास हुआ है और इंजीनियरी जैसे वर्तमान क्षेत्रों को और अधिक सुदृढ़ बनाने में सहायता मिली है।

**राजकीय व्यापार निगम द्वारा रेलवे के माल–डिब्बों का निर्यात**

4114. **श्री बाबूराव पटेल :** क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे के माल-डिब्बों की सप्लाई करने के लिए राजकीय व्यापार निगम ने 1968–69 में कितने ठेकों पर हस्ताक्षर किये, ये डिब्बे किन देशों को निर्यात किये जायेंगे, अब तक कितने तथा कितने मूल्य के माल-डिब्बे सप्लाई किये गये हैं तथा अभी कितने माल-डिब्बे निर्यात किये जाने बाकी हैं ;

(ख) ठेकों की कुछ महत्वपूर्ण शर्तें क्या हैं;

(ग) क्या एक विशेष व्यापार योजना के अधीन हमारे माल-डिब्बों के सोलह प्रोटोटाइप शीघ्र रूस भेजे जा रहे हैं ;

(घ) रेल माल-डिब्बों सम्बन्धी सौदे के सम्बन्ध में कितनी बार तथा कितने सरकारी दल मास्को जा चुके हैं; और

(ङ) क्या सरकार को हानि न होने देने के लिए ठेके में एक विशिष्ट गारंटी खण्ड है ?

**वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री चौधरी राम सेवक):** (क) पोलैण्ड को 500 रेलवे माल-डिब्बों का निर्यात करने की एक संविदा पर राज्य व्यापार निगम ने 1968–69 में हस्ताक्षर किए थे। इन माल-डिब्बों की सुपुर्दगी 1970 में आरम्भ होगी और 1971 में पूरी हो जायेगी।

(ख) माल-डिब्बों को यू० आई० सी० अन्तर्राष्ट्रीय विशिष्टियों के अनुसार टके हुए चार पहिये वाले डिब्बों के रूप में वर्णित किया गया है। अन्यथा यह एक यथासामान्य करार है।

(ग) जी नहीं। सोवियत रूस को प्रोटोटाइप तभी भेजे जायेंगे जब राज्य व्यापार निगम सम्बद्ध सोवियत उद्यम के साथ पक्की संविदा कर लेगा।

(घ) राज्य व्यापार निगम के दो प्रतिनिधि-मंडल मास्को गये थे : पहला जून, 1968 में तथा दूसरा नवम्बर, 1968 में।

(ङ) देय मूल्य, भुगतान की शर्तों, विनिमय-परिवर्तन, गुण तथा कार्य-निष्पादन से सम्बन्धित विशिष्ट खण्डों को रख कर सामान्यतया संविदाकारी पक्षों के हितों की रक्षा की जाती है। मै० कोलमेक्स ऑफ पोलैण्ड के साथ राज्य व्यापार निगम द्वारा की गई संविदा के अन्तर्गत ये सभी खण्ड आते हैं।

**भारतीय फलों तथा सब्जियों के निर्यात के लिए प्रतिनिधि मंडल**

4115. **श्री बाबूराव पटेल :** क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उस व्यापारी दल के सदस्यों के नाम क्या हैं, जिसने भारतीय फलों तथा सब्जियों की माँग का पता लगाने के लिये हाल ही में समस्त विश्व का दौरा किया था, वे किन-किन नगरों में गये थे और उन स्थानों पर उन्होंने व्यापार के बारे में क्या बातचीत की ;

(ख) विमान किराये तथा विदेशी मुद्रा के रूप में इस दौरे पर कुल कितना व्यय हुआ;

(ग) केला तथा फल विकास समिति द्वारा दिसम्बर, 1968 में घोषित की गई 40 करोड़ रु० अर्जित करने वाली योजना कहाँ तक सफल रही है और मोटे तौर पर उसका ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या यह सच है कि जापान तथा रूस को परीक्षा के तौर पर जहाजों द्वारा केला भेजने का प्रयास निराशाजनक सिद्ध हुआ है और यदि हाँ, तो राजकीय व्यापार निगम को रुपयों के रूप में कितनी हानि हुई है; और

(ङ) वर्ष 1962 से 1968 तक भारत ने केले का कितना निर्यात किया और इटली के विशेषज्ञ से विशेष सलाह प्राप्त करने के बावजूद भी हमारा पैकिंग खराब होने के क्या कारण हैं ?

**वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री चौधरी राम सेवक)** : (क) और (ख) सरकार द्वारा प्रायोजित किसी दल ने हाल ही में भारतीय फलों तथा सब्जियों के लिये बाजारों का पता लगाने के लिए समस्त विश्व का दौरा नहीं किया।

(ग) केला तथा फल विकास समिति द्वारा कोई ऐसी योजना घोषित नहीं की गई।

(घ) सोवियत संघ तथा जापान को परीक्षा के तौर पर जहाजों द्वारा भेजने का प्रयास एकदम विफल नहीं रहा क्योंकि इनसे दूर के स्थानों को केलों के निर्यात की सम्भाव्यता स्थापित करने में सहायता मिली। किन्तु राज्य व्यापार निगम को सोवियत संघ तथा जापान को जहाज द्वारा भेजे गए सभी माल पर उच्च समुद्री भाड़ा-दर तथा ऊँचे पैकिंग प्रभारों आदि के कारण लगभग 24 लाख रुपये की हानि हुई है।

(ङ) 1962-63 से 1968-69 के वित्तीय वर्षों में भारत से निर्यातित केलों की मात्रा निम्नलिखित थी :

| वर्ष | मात्रा मे० टन में |
|---|---|
| 1962-63 | 11,269 |
| 1963-64 | 10,730 |
| 1964-65 | 8,052 |
| 1965-66 | 9,149 |
| 1966-67 | 12,012 |
| 1967-68 | 3,878 |
| 1968-69 | 10,235 |

हमारा पैंकि घटिया नहीं है और वह सामान्यतः विदेशी खरीदारों को स्वीकार्य है। विभिन्न पोत-लदानों के समय लकड़ी की पेटियों, पोलीथीलीन के थैले तथा गत्ते के बक्सों में केलों की पैकिंग के विभिन्न उपायों का प्रयोग किया गया। ये डिब्बे अन्य कतिपय निर्यातक देशों द्वारा प्रयोग में लाए गए उसी प्रकार के डिब्बों के आधार पर बनाये गये थे। यदि उचित किस्म की सामग्री देश में प्राप्य न हो तो सरकार पैंकिंग सामग्री के लिए आयात लाइसेंस प्रदान करने पर भी विचार करती है।

**कैंटीन स्टोर्ज डिपार्टमेन्ट (भारत) के महाप्रबन्धक द्वारा विमान-यात्रा**

4116. **श्री चन्द्रशेखर सिंह** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रशासन बोर्ड के अध्यक्ष अर्थात् कैंटीन स्टोर्ज डिपार्टमेंट (भारत) के महाप्रबन्धक सम्बन्धित नियमों के अधीन विमान-यात्रा करने के अधिकारी हैं;

(ख) यदि हाँ तो पिछले तीन वर्षों के दौरान इस पर कार्य करने वाले व्यक्तियों द्वारा की गई विमान-यात्राओं की वर्ष-वार संख्या क्या है;

(ग) कैंटीन स्टोर्ज डिपार्टमेंट (भारत) द्वारा इन यात्राओं पर इस अवधि में वर्ष-वार कितनी धनराशि खर्च की गई;

(घ) क्या यह सच है कि अधिकांश मामलों में वायु सेना के मुख्यालय में क्वाटर मास्टर के विरुद्ध इन विमान-यात्राओं के लिए अपनी मौखिक स्वीकृति देते रहे हैं अथवा बाद में भूतलक्षी प्रभाव से इसे स्वीकार करते रहे हैं; और

(ङ) यदि हाँ, तो क्या कैंटीन स्टोर्ज डिपार्टमेंट (भारत) के कर्मचारियों पर लागू होने वाले यात्रा-नियमों की एक प्रति सभा-पटल पर रखने का सरकार का विचार है ?

**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह)** : (क) प्रशासन मंडल के अध्यक्ष अर्थात् सी० एस० डी० (भारत) के महाप्रबन्धक अपनी इच्छा पर सरकारी ड्यूटी पर विमान द्वारा यात्रा करने के अधिकारी हैं;

(ख) और (ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान सी० एस० डी० (भारत) के महाप्रबन्धक और सरकारी ड्यूटी पर की गई उनकी हवाई-यात्रा सम्बन्धी सूचना नीचे दी गई है :

| वर्ष | विमान द्वारा दौरों की संख्या | व्यय की गई धनराशि |
|---|---|---|
| 1966–67 | 3 | 1,567.15 रुपये |
| 1967–68 | 6 | 3,458.95 रुपये |
| 1968–69 | 10 | 6,161·80 रुपये |

(घ) और (ङ) उपर्युक्त (क) में दी गई सूचना को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता ।

### कैंटीन स्टोर्स डिपार्टमेन्ट (इंडिया)

4117. क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कैंटीन स्टोर्ज डिपार्टमेंट (इंडिया) के डिपो मैनेजर का 700–1250 रुपये का प्रवर वेतनमान हाल में दिया गया था;

(ख) यदि हाँ, तो उन व्यक्तियों के नाम तथा अर्हताएँ क्या हैं ;

(ग) क्या उनमें से एक प्रबन्धक को, अन्य वरिष्ठ प्रबन्धकों की वरिष्ठता को अधिक्रमण करके सहायक महाप्रबन्धक बना कर कैंटीन स्टोर्स डिपार्टमेंट (इंडिया) के बम्बई मुख्यालय में नियुक्त किया गया है; और

(घ) इस विभाग के व्यवस्थापकों ने किस आधार पर उसे अन्य प्रबन्धकों की वरिष्ठता का अधिक्रमण करके सहायक महाप्रबन्धक बनने दिया ?

**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह)** : (क) जी नहीं ।

(ख) ऊपर (क) को देखते हुए, इसका प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) ऊपर (ग) को देखते हुए, इसका प्रश्न ही नहीं उठता ।

### सेवामुक्त सैनिक अधिकारियों को रोजगार दिलाना

4118. **श्री चन्द्रशेखर सिंह** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री सेवामुक्त सैनिक अधिकारियों को रोजगार देने के सम्बन्ध में 7 मई, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 8691 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने इस बीच अपेक्षित जानकारी एकत्रित कर ली है; और

(ख) यदि हाँ, तो उसे कब तक सभा-पटल पर रखा जायेगा ?

**प्रतिरक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मं० रं० कृष्ण)** : (क) और (ख) सूचना अभी भी एकत्रित की जा रही है और उसे प्राप्त होने पर सभा के पटल पर रख दिया जायेगा।

**उलपाईगुड़ी में चाय बागानों को ऋण**

4119. **श्री चन्द्रशेखर सिंह** : क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जलपाईगुड़ी जिला में चाय बागानों को चाय बागानों के विकास-कार्य के लिए चाय बोर्ड से ऋण लेने की सुविधा का लाभ उठाने नहीं दिया जाता क्योंकि जलपाई-गुड़ी का जिला मजिस्ट्रेट चाय बागानों को ऋण लेने के लिए भू-बन्धन करने की तब तक अनुमति नहीं देता है जब तक वे चाय बागान कुछ कठोर शर्तों को पूरा नहीं करते;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार ने जलपाईगुड़ी के जिला अधिकारियों द्वारा लागू की जा रही कड़ी शर्तों को वापिस लेने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार से अनुरोध किया है; और

(ग) चाय बागानों की कठिनाइयों को दूर करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

**वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री चौधरी राम सेवक)** : (क) से (ग) चाय बागान ऋणों के लिये चाय बागानों का चाय बोर्ड के पास गिरवी रखा जाना अपेक्षित है। गिरवी रखने से पूर्व बागान के पास या तो पट्टा होना चाहिए अथवा संक्षिप्त पट्टा। ये उत्तरी बंगाल के चाय बागानों के सम्बन्ध में विद्यमान नहीं थे क्योंकि किराये के बढ़ाने के बारे में कठिनाइयाँ थीं। अतः चाय बोर्ड ने इस मामले पर बंगाल की सरकार को लिखा जिसने जिला प्राधिकारियों को निम्नलिखित हिदायतें दीं।

"कि चाय बागानों को गिरवी रखने के लिए अनुमति देने से पूर्व संक्षिप्त समझौता करने पर बल दिया जाए। किन्तु संक्षिप्त समझौता करते समय किराये की बढ़ी हुई दर, जो कि संपदा अभिग्रहण अधिनियम की धारा 42 के अन्तर्गत निर्धारित की जानी है, पर भुगतान करने पर बल देने की आवश्यकता नहीं है। बागान उसी दर पर किराये का भुगतान करते रहें जो कि बागान को सुपुर्द करने के दिन से पूर्व थी और इससे बढ़ी हुई दर जो संपदा अभिग्रहण अधिनियम की धारा 42 के अन्तर्गत निर्धारित की जायेगी, सुपुर्दगी की तारीख से किराया वसूल करने के सरकार के अधिकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।"

कतिपय चाय बागानों ने पहले ही संक्षिप्त पट्टे प्राप्त कर लिए हैं परन्तु अन्य को भय है कि संक्षिप्त पट्टे को लेने का यह भी अर्थ होगा कि वे पूर्व व्याप्ति सहित बढ़ी हुई दर देने के लिये सहमत हैं। अतः उन्होंने अपने मामलों पर राज्य सरकार को अभ्यावेदन भेजे हैं और कतिपय मामले उन्होंने विधि न्यायालय में भी दायर किये हैं।

**सीमा-सड़क महानिदेशालय के अधिकारियों के विरुद्ध शिकायत**

4120. **श्री अब्दुल गनी दार** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सीमा-सड़क महानिदेशालय के कनिष्ठ अधिकारियों ने कुछ वरिष्ठ अधिकारियों और उनके निजी सहायकों के द्वारा भ्रष्ट तरीके अपनाए जाने के बारे में लिखित शिकायतें की हैं;

(ख) यदि हाँ, तो अब तक ऐसी कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं और उन पर क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या यह भी सच है कि निष्ठावान और ईमानदार कर्मचारियों की इस उद्देश्य से तबदीली कर दी गई है ताकि इस मामले को दबाया जा सके; और

(घ) यदि हाँ, तो ऐसे अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह)** : (क) और (ख) वरिष्ठ अधिकारियों और उनके निजी सहायकों के विरुद्ध सीमा-सड़क महानिदेशक को दो लिखित शिकायतें—एक हस्ताक्षरित और दूसरी बिना हस्ताक्षर के—प्राप्त हुई थीं। उनकी जाँच की गई लेकिन उन्हें गलत पाया गया।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

**जन्म-तिथि प्रमाण-पत्र में परिवर्तन**

4121. **श्री एन० शिवप्पा** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अधिकारियों के सेवा रिकार्ड का सत्यापन करने में सही जन्म तिथि निश्चित करने हेतु मैट्रिक परीक्षा के प्रमाण-पत्र को वास्तविक आधार माना जाता है;

(ख) यदि हाँ, तो भारतीय सेना के कितने अधिकारियों के मामले में उनके प्रथम कमीशन के समय दिखाई गई जन्म-तिथियों में संशोधन करना पड़ा था; और

(ग) यदि किसी अधिकारी ने अपनी जन्म-तिथि गलत दी है और उसका पता बाद में चला है तो क्या उसमें संशोधन किया जा सकता है ?

**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह)**: (क) जी हाँ। मैट्रीकुलेशन का प्रमाणपत्र या मैट्रिकुलेशन के समकक्ष के रूप में किसी भी भारतीय विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त प्रमाणपत्र या सरकार द्वारा निर्धारित कोई भी दस्तावेज जन्मतिथि के सत्यापन के लिए गाइड के रूप में हैं।

(ख) 1–8–68 से 31–7–69 तक की अवधि के दौरान 9 व्यक्तियो के मामलों में (7 नान-मेडिकल अफसर और 2 मेडिकल अफसर) उनकी जन्मतिथि को प्रथम कमीशन के समय उनके रिकार्ड में उल्लिखित जन्म-तिथि के आधार पर संशोधित किया गया।

(ग) जी हाँ। अगर कोई अफसर अपनी जन्म-तिथि में परिवर्तन कराना चाहता हो तो उसके दावे पर इस शर्त पर विचार किया जाता है कि उसकी कमीशन की तारीख से एवं उचित अवधि के अन्तर्गत वह इसके लिए लिखे और इस सम्बन्ध में पर्याप्त सबूत पेश करे। इस प्रकार का अगर कोई अनुरोध अधिवर्ष के आस-पास किया जाय तो सामान्यतया इस पर विचार नहीं किया जाता है।

### टेरीवूल उ ों का मिथ्या निर्यात

4123. **श्री नरेन्द्र सिंह महीडा : क्या वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में नई दिल्ली में टैरीवूल उत्पादों का मिथ्या निर्यात करने वाले एक बड़े गिरोह का पता लगाया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो इस गिरोह की कार्य-प्रणाली क्या है; और

(ग) ऐसी गतिविधियों को दबाने के लिए इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

**वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री चौधरी राम सेवक) :**

(क) और (ख) नई दिल्ली में, टैरिवूल उत्पादों के सम्बन्ध में निर्यातों के बीजक ( अधिक मूल्य दिखाने तथा तत्वों को गलत बताने के कतिपय मामले ध्यान में आये हैं ।

(ग) दिल्ली के सीमा-शुल्क समाहर्ता इस मामले में सक्रिय हैं और वे विधि मंत्रालय के परामर्श से आवश्यक कार्यवाही कर रहे हैं ।

### हांगकांग में औद्योगिक प्रदर्शनी

4124. **श्री नरेन्द्र सिंह महीडा : क्या वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि मई, 1969 में हमारे देश ने हांगकांग में एक औद्योगिक प्रदर्शनी लगाई थी;

(ख) यदि हाँ, तो उस पर कुल कितनी धनराशि व्यय हुई है; और

(ग) प्रदर्शनी लगाये जाने के परिणामस्वरूप कुल कितने क्रयादेश प्राप्त किये गये हैं ?

**वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री चौधरी राम सेवक) :**

(क) और (ख) जी हाँ। हांगकांग में भारतीय समुदाय तथा भारतीय वाणिज्य मण्डल, हांगकांग के सहयोग से "दी इण्डिया प्रोमोशन" का आयोजन किया गया था और उसमें भारत सरकार द्वारा किया गया खर्च 23,000 रु० था जिसमें विदेशी मुद्रा में किया गया लगभग 5,000 रु० का खर्च शामिल था ।

(ग) रु० 1.23 लाख की मौके की बिक्री के अतिरिक्त प्रदर्शनी के दौरान 4.95 लाख रु० की लागत के क्रयादेश बुक किये गये थे । इसके अलावा काफी संख्या में प्राप्त व्यापारिक पूछ-ताछों पर कार्यवाही की जा रही है ।

### केबलों का आयात

4126. **श्री रा० कृ० बिड़ला : क्या वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केबलों का जिनमें 11 किलोवाट ट्रेलिंग तथा क्वेरी माईनिंग केबल भी शामिल हैं आयात किया जा रहा है;

(ख) यदि हाँ, तो अप्रैल, 1968 से फरवरी, 1969 तक की अवधि में हर किस्म के कितने

केबलों का आयात किया गया है, उस पर कितनी धनराशि व्यय हुई है और जिन देशों से आयात किया गया है उनके नाम क्या हैं;

(ग) क्या यह सच है कि देश में केबल उद्योग की फालतू क्षमता है और देश में पूरी तकनीकी जानकारी उपलब्ध है, यदि हाँ, तो इस फालतू क्षमता और तकनीकी जानकारी का पूरा लाभ उठाने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है;

(घ) क्या 11 किलोवाट ट्रेलिंग तथा क्वेरी माईनिंग केबल सहित सभी केबलों के आयात पर प्रतिबन्ध लगाने की केबल उद्योग बार-बार माँग कर रहा है; और

(ङ) यदि हाँ, तो इस माँग के प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

**वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री चौधरी राम सेवक) :**

(क) 33 किलोवाट तक के विद्युत् केबलों के आयात करने की अनुमति नहीं है। फिर भी 33 किलोवाट से ऊपर के केबलों के आयात की अनुमति प्रतिबन्धित आधार पर दी जाती है।

(ख) एक विवरण (अंग्रेजी में) सभा-पटल पर रखा जाता है। **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०** 1736/69]

(ग) देश में 33 किलोवाट तक के केबलों के निर्माण करने की पर्याप्त क्षमता है और इनके लिए तकनीकी जानकारी भी पूर्णतः उपलब्ध है । यह उद्योग अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण क्षेत्र में है और निर्माण की इस लाइन में उपलब्ध क्षमता का पूर्णतः प्रयोग करने के लिए निर्माताओं को कच्चे माल आदि के आयात सम्बन्धी मामलों में पूरी सहायता दी जा रही है ।

(घ) जी नहीं ।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता ।

### आयुध कारखानों में पदोन्नति के लिये मानदंड

4127. **श्री ए० श्रीधरन :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयुध कारखानों में आराजपतित्रत पदों की पदोन्नतियाँ अखिल भारतीय विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा कर्मचारियों की वरिष्ठता, अर्हताओं तथा गोपनीय रिपोर्ट के आधार पर की जाती है, तथा क्या इन सब बातों में गोपनीय रिपोर्ट सर्वाधिक महत्त्व रखती है;

(ख) क्या सरकार को मालूम है कि इन रिपोर्टों को लिखने वाले ग्रुप अधिकारी विभिन्न विचारों और स्वभाव के होते हैं तथा क्या ये रिपोर्टें ग्रुप अधिकारी के साथ कर्मचारी के वैयक्तिका सम्बन्धों तथा अधिकारी की प्रादेशिक व जातीय भावनाओं पर आधारित होती हैं;

(ग) क्या यह भी सच है कि सैनिक इंजीनियरिंग सेवा में अधीक्षक ग्रेड 2 से ग्रेड 1 के पद पर पदोन्नति लिखित परीक्षा के आधार पर होती है;

(घ) यदि हाँ, तो क्या सरकार का विचार आयुध कारखानों में भी पदोन्नतियों के लिए विभागीय लिखित परीक्षा पद्धति चालू करने का है; और

(ङ) यदि हाँ, तो कब, और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र ):**

(क) आर्डनेन्स कारखानों में अराजपत्रित अफसरों के पद सेलेक्शन पद हैं। अखिल भारतीय आधार पर प्रत्येक ग्रेड में एक संयुक्त प्रवरता-सूची बनाई रखी जाती है। जब कभी किसी ग्रेड विशेष में पदोन्नति के लिए नामावली तैयार की जाती है तो निचले ग्रेडों वाले अफसरों के चयन के लिए नामावली में कोई सीमा निर्धारित की जाती है जो कि रिक्त स्थानों के अनुसार होती है। विभागीय पदोन्नति समिति योग्य अफसरों में से उनके अनुभवों और कार्यों के आधार पर, जो कि उनकी गोपनीय रिपोर्टों से विदित होता है, चुनाव करती है।

(ख) गोपनीय रिपोर्टें ग्रुप अफसर, डिवीजनल अफसर और उच्चतर अफसर लिखते हैं और उनसे उच्चतर अधिकारी उनकी संवीक्षा करते हैं। अगर ये रिपोर्टें प्राकृष्ट (आउटस्टेंडिंग) हों या प्रतिकूल हों तो उन्हें आर्डनेन्स कारखानों के महानिदेशालय के मुख्यालय में सम्बन्धित वरिष्ठ अधिकारियों और स्वयं आर्डनेन्स कारखानों के महानिदेशक द्वारा अन्तिम रूप से स्वीकृत किया जाना होता है। चूंकि रिपोर्टें दो या दो से अधिक उच्चतर स्तरों पर देखी जाती हैं इसलिए प्रारम्भ में किसी अधिकारी द्वारा लिखी गई किसी भी व्यक्ति विशेष की रिपोर्ट में असामान्य बातें बाद में अन्य उच्चतर अधिकारी द्वारा संवीक्षा के दौरान ठीक करने का अवसर मिल जाता है। तथापि, सरकार यह नहीं समझती कि प्रान्तीयता या जातीयता के आधार पर रिपोर्टें भरी जाती हैं।

(ग) एम० ई० एस० में, अधीक्षक ग्रेड 2 के लिए लिखित परीक्षा ली जाती है और जो उसमें पास हो जाते हैं वे अधीक्षक ग्रेड 1 में पदोन्नत होने के योग्य समझे जाते हैं। इस मामले में भी, जो परीक्षा में पास हो जाते हैं उन्हें योग्यता तथा वरिष्टता के आधार पर पदोन्नत करने के लिए विभागीय पदोन्नति समिति उनका जायजा लेती है।

(घ) आर्डनेन्स कारखानों में अराजपत्रित ग्रेडों में पदोन्नति के लिए विभागीय परीक्षा की व्यवस्था चालू करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ङ) वर्तमान प्रक्रिया सन्तोषजनक है और इसलिए उसमें किसी प्रकार के परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है।

**प्रतिरक्षा मंत्रालय द्वारा बम्बई नगर निगम के सियो-माटुंग में एक भूमिस्थल का किराया दिया जाना**

4128. **श्री वीरेन्द्र कुमार शाह :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उनके मंत्रालय ने कई वर्षों से बम्बई में सियो-माटुंग में एक भूमिस्थल का किराया बम्बई नगर निगम को नहीं दिया है;

(ख) क्या ये बकाया राशि वर्ष 1954 से जमा हो रही है और अब यह धनराशि 1.25 लाख रुपए हो गई है;

(ग) क्या उपयुक्त धनराशि में निगम केवल 3,000 रुपये से कुछ अधिक धनराशि ही वसूल कर सका है; और

(घ) यदि उपरोक्त भाग (क) से (ग) का उत्तर स्वीकारात्मक है तो भुगतान में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह)**: (क) से (घ) सूचना इस समय उपलब्ध नहीं है और उसे एकत्रित किया जा रहा है ।

**छावनी बोर्ड के उप-प्रधानों का झांसी में सम्मेलन**

4129. **श्री ईश्वर रेड्डी** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मई, 1969 मे विभिन्न छावनी बोर्ड के उप-प्रधानों का एक सम्मेलन झाँसी (उत्तर प्रदेश) में हुआ था;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार को उस सम्मेलन के निर्णयों की प्रति प्राप्त हो गई है;

(ग) यदि हाँ, तो उनकी माँग क्या हैं; और

(घ) उन पर क्या निर्णय किया गया है ?

**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह)** : (क) से (घ) झाँसी में मई 1969 में हुई अखिल भारतीय छावनी उपाध्यक्षों के सम्मेलन की कार्यवाहियों की एक प्रति सरकार को प्राप्त हुई है । उन कार्यवाहियों से पता चलता है कि 62 छावनियों में से केवल 9 छावनियों के उपाध्यक्षों ने ही उसमें भाग लिया । उसमें दी गई सिफारिशें मुख्य रूप से छावनी अधिनियम मे संशोधनों या छावनियों के अन्तर्गत सरकारी भूमि से सम्बन्धित हैं । छावनी अधिनियम को संशोधित करने की सिफारिशों को छावनी अधिनियम में व्यापक संशोधन करने हेतु विधेयक को बनाते समय ध्यान में रखा जाएगा । जहाँ तक निर्माण, 'पुराने अनुदान' स्थलों के सम्बन्ध में सबडिवीजन इत्यादि, अनुदान की शर्तों के अनुसार पुराने अनुदान वाले स्थलों के परिवर्तनकारियों द्वारा बिलेखों का निष्पादन और सरकारी भूमि का निपटान का सम्बन्ध है उनमें कोई परिवर्तन करने का प्रस्ताव नहीं है ।

कुछ सिफारिशें राज्य सरकार के कार्य-क्षेत्र के अन्तर्गत आती हैं। यह मुख्य रूप से छावनी बोर्ड के लिए है कि वह ऐसे मामलों को सम्बन्धित राज्य सरकारों के साथ स्वयं उठाए । कुछ सिफारिशें तो छावनी विशेषों से सम्बन्धित हैं, उनके सम्बन्ध में, जहाँ सम्भव हो, सम्बन्धित छावनी बोर्ड अपेक्षित कार्यवाही करे या अगर केन्द्रीय सरकार की मंजूरी की आवश्यकता है तो अपनी विशिष्ट सिफारिशें प्रस्तुत करे ।

**मद्रास स्थित अवाड़ी फैक्ट्री में निर्मित मोटर-गाड़ियाँ**

4130. **श्री मंगलाथुमाडोम** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मद्रास स्थित अवाड़ी फैक्ट्री में निर्मित छोटी मोटर-गाड़ियों का मूल्य बाजार में प्रचलित मूल्यों की तुलना में अधिक है;

(ख) क्या अवाड़ी फैक्ट्री के कार्यभारी प्रबन्धक ने भी इन मोटर-गाड़ियों की बिक्री में कमी का कारण इनका अपेक्षाकृत अधिक मूल्य होना बताया है; और

(ग) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

**प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र)** :

(क) हैवी विहिकल फैक्ट्री अवाड़ी मद्रास, छोटे वाहन नहीं बनाती है। इसलिए यह प्रश्न नहीं पैदा होता।

(ख) और (ग) ये प्रश्न भी नहीं उठते।

**टेलीविजन सेटों का निर्माण**

4131. **श्री ज्योतिर्मय बसु :**　　　　**श्री मंगलाथुमाडोम :**

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) स्थानीय रूप से टेलीविजन सेटों का निर्माण करने के लिए सुनियोजित तथा लघु उद्योग क्षेत्रों में लाइसेंसप्राप्त उपक्रमों के नाम क्या हैं और उनकी लाइसेंस के अनुसार तथा अधिष्ठापित क्षमता कितनी-कितनी है; और

(ख) जनवरी से जून, 1969 तक महीनेवार, सुनियोजित तथा लघु उद्योग क्षेत्रों में अलग-अलग कुल कितने टेलीविजन सेटों का निर्माण किया गया था?

**प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र)** :

(क) और (ख) टेलीविजन सैट बनाने के लिए जिन फर्मों को लाइसेंस दिए गए हैं उनके नाम इस प्रकार हैं:—

| फार्म का नाम | प्रतिवर्ष निर्मित किए जाने वाले सेटों की संख्या | क्षेत्र |
|---|---|---|
| (1) मेसर्स जे० के० इलेक्ट्रानिक्स, कानपुर | 10,000 | संगठित |
| (2) मेसर्स टेलीराड प्राइवेट लिमिटेड, बम्बई | 10 000 | संगठित |
| (3) मेसर्स टेलीस्टार, दिल्ली | 5,000 | लघु उद्योग |
| (4) मेसर्स पोलीस्टार, बम्बई | 5,000 | लघु उद्योग |

केवल मेसर्स जे० के० इलेक्ट्रानिक्स ने ही निर्माण-कार्य आरम्भ किया है। अन्य फर्में 1970 में उत्पादन आरम्भ करने लगेंगी। मेसर्स जे० के० इलेक्ट्रानिक्स का उत्पादन मासिक क्रम में इस प्रकार है:—

| | |
|---|---|
| जनवरी, 1969 | 58 |
| फरवरी, 1969 | 170 |
| मार्च, 1969 | 76 |
| अप्रैल, 1969 | 63 |
| मई, 1969 | 50 |
| जून, 1969 | 118 |

**1969-70 की प्रतिरक्षा योजना का आकार**

4132. **श्री देवकीनन्दन पाटोदिया** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 1969–70 की प्रतिरक्षा योजना के आकार और विषय के बारे में कोई अन्तिम निर्णय कर लिया गया है; और

(ख) यदि हाँ, तो इसका ब्यौरा क्या है?

**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) :**

(क) और (ख) 1966–71 की रक्षा योजना को परिशोधित किया गया है और उसे 1969–74 की अवधि की योजना का रूप दिया गया है। 30 अप्रैल, 1969 को लोक-सभा में दिए गए अतारांकित प्रश्न संख्या 8189 के उत्तर में जो ब्यौरा पहले दिया जा चुका है, उससे इतर इस योजना के आकार और वस्तु-विषयों के सम्बन्ध में विस्तृत ब्यौरा देना जन-हित में न होगा।

**Ordnance Depot, Sewri (Bombay)**

4133. **Shri P. M. Sayeed:** **Shri Ram Swarup Vidyarthi:** **Shri J. Sundar Lal:** **Shri Balraj Madhok:** **Shri Om Prakash Tyagi:**

Will the Minister of **Defence** be pleased to state:

(a) the name of the Military Officers in Ordnance Depot, Sewri (Bombay) who are working in Bombay for the last more than four years;

(b) whether it is also a fact that according to a rule, officers can ordinarily work for two years at one station;

(c) if so, the reasons for allowing these officers to work at a particular station for more than four years.

(d) whether Government would consider the question of transferring these officers elsewhere; and

(e) if not, the reasons therefor ?

**The Minister o Defence (Shri Swaran Singh):**

(a) to (e) Lt. Col. D.R. Puri is the only Army Officer at present working in Ordnance Depot, Sewri (Bombay) who has been working in Bombay for more than four years. He had been initially posted to Bombay in August, 1964 as OC, COD Malad, which is a Command appointment. On completion of his tenure, orders had been issued posting him to Dehu in October 1968. The officer, however, continued in COD, Malad as his relief was not posted till 31st December, 1968. Lt. Col. Puri also represented that as he had about 1½ years to serve and as he intended to ask for premature retirement, taking into consideration his leave entitlement, he may be allowed to serve in a Unit in Bombay till his retirement.

In accordance with the existing orders, the minimum tenure of service in a station is two years. In command appointments, however, the initial tenure is 3 years, extendable to 4 years.

An officer can, in accordance with the existing orders, apply, not earlier than two years of the due date of retirement, for posting to station of his choice before retirement. Such applications are considered on merits.

The request of Lt. Col. Puri was considered in accordance with these orders and he was posted to Ordnance Depot, Sewri from 7th January, 1969.

As the posting of the officer to COD, Sewri (Bombay), the station of his choice, has been made in accordance with the existing orders and as the officer has since applied for premature retirement with effect from 10th December, 1969 and his application is under consideration, it is not proposed to transfer him to any other station at this stage.

**पी० एल० 480 के अन्तर्गत रुई का आयात**

4134. **श्री महन्त दिग्विजय नाथ :** **श्री एस० आर० दामानी :** **श्री राम कृ० बिड़ला :** **श्री वि० नरसिम्हा राव :** **श्री नि० एं० लास्कर :** **श्री चेंगलराया नायडू :**

क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में भारत सरकार और अमरीका के बीच एक करार हुआ है जिसके अन्तर्गत पी० एल० 480 के अन्तर्गत अमरीकी रुई की एक लाख गाँठों का आयात किया जायेगा;

(ख) यदि हाँ, तो रुई की अनुमानित लागत कितनी होगी;

(ग) क्या रुई की खरीद वस्तु-विनिमय आधार पर है अथवा नकद भुगतान के आधार पर;

(घ) क्या देश में खेती के लिये बिनौलों का आयात भी किया जायेगा; और

(ख) भारत में रुई और बीज कब तक पहुँच जाने की सम्भावना है और इनके मूल्य का भुगतान कब तक किया जायेगा?

**वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री चौधरी राम सेवक) :**

(क) कुल 2 लाख गाँठ अमरीकी रुई खरीदने के लिये 25 अप्रैल, 1969 तथा 20 मई, 1969 को दो करारों पर हस्ताक्षर किए गए थे।

(ख) 259 लाख डालर।

(ग) 81,900 अमरीकी गाँठें रुपये में भुगतान के आधार पर और 1,18,000 गाँठें परिवर्तनीय मुद्रा के आधार पर खरीदी गई हैं और इसका भुगतान 40 वर्ष की अवधि में होना है।

(घ) जी नहीं

(ङ) अल्प परिमाणों को छोड़ कर, जिसके 15 अगस्त, 1969 तक रवाना होने की सम्भावना थी, दोनो करारों की रुई 30–6–69 तक रवाना की जानी थी।

जहाजी दस्तावेजों के मिलते ही 7 दिन में आयातकों द्वारा भुगतान किया जाना है।

**Indo-Nepal Trade Agreement**

4136. **Shri Ram Swarup Vidyarthi :** **Shri J. Sundar Lal :** **Shri Narain Swarup Sharma :** **Shri Om Prakash Tyagi :** **Shri Himatsincka :**

Will the Minister of **Foreign Trade and Supply** be pleased to state:

(a) whether Government are aware that the trade agreement concluded between India and Nepal being faulty, traders bring into India such foreign goods, with marking made in Nepal, the import of which is otherwise, banned ;

(b) whether such trade practices are adversely affecting several new industries in India;

(c) If so, whether Government propose to make any amendment in its trade agreement with Nepal so that this illegal trade could be checked ; and

(d) if so, the details thereof?

**The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade and Supply (Shri Choudhary Ram Sewak) :**

(a) and (b) Import of third-country goods from Nepal into India is banned under the Custom Act, 1962. No case of import of third-country goods from Nepal with the marking "Made in Nepal" has come to Government's notice. Therefore, the question of such imports adversely affecting new industries in India, does not arise.

(c) and (d) The Indo-Nepal Treaty of Trade and Transit (1960) is valid upto October 31, 1970. The question of renewing the Treaty with such modifications as may be necessary, will be considered by the Government at the appropriate time.

## डिम्बार में गोमती नदी पर बाँध

4137. **श्री बे० कृ० दासचौधरी :** क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमा के समीप डिम्बार में गोमती नदी पर हाल ही में बनाये गए बाँध के बारे में पूर्व पाकिस्तान सरकार ने त्रिपुरा सरकार को कोई विशेष पत्र भेजा है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

**वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) :**

(क) जी हाँ।

(ख) पाकिस्तान का यह आरोप कि गोमती जल-विद्युत् परियोजना में कुछ इलाकों में जलप्लावन हो जाएगा और पूर्वी पाकिस्तान के कुछ इलाकों में सिंचाई सुविधाओं पर प्रभाव पड़ेगा, निराधार है। तदनुसार, त्रिपुरा सरकार ने पूर्वी पाकिस्तान सरकार को उत्तर दे दिया है।

## पटसन उद्योग को सहायता

4138. **श्री हिम्मतसिंहका :** क्या वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पटसन उद्योग को समर्थन देने का हाल में निर्णय किया है;

(ख) यदि हाँ, तो इस मामले में सही-सही क्या निर्णय किया गया है;

(ग) इस निर्णय के परिणामस्वरूप आगामी वर्ष में पटसन की खेती का कहाँ तक विस्तार होने की सम्भावना है; और

(घ) इस निर्णय से पटसन के उद्योग की उत्पादन लागत कहाँ तक बढ़ेगी तथा पटसन उद्योग की बढ़ी हुई उत्पादन लागत को पूरा करने के लिये क्या सहायता देने का सरकार का विचार है ताकि वह उद्योग पटसन उत्पादों के सम्बन्ध में विदेशी बाजारों में अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा का मुकाबला कर सके?

**वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री चौधरी राम सेवक) :**

(क) जी, हाँ।

(ख) 1969-70 के मौसम के लिये कच्चे पटसन की आसाम बाटम किस्म की कलकत्ता में सुपुर्दगी का न्यूनतम समर्थन मूल्य 107.17 रु० प्रति क्विटल (40 रु० प्रति मन) निर्धारित किया गया है।

(ग) इस विनिश्चय के फलस्वरूप पटसन का उत्पादन स्थिर होने की सम्भावना है।

(घ) सरकार द्वारा घोषित किए गए न्यूनतम समर्थन मूल्य से पटसन के माल की उत्पादन लागत बढ़ने की सम्भावना नहीं है क्योंकि यह मूल्य निर्धारण, अन्य उत्पादक देशों तथा संश्लिष्ट प्रतिस्थापनों के मुकाबले विश्व बाजार में हमारी प्रतियोगिता स्थिति को बनाये रखने की आवश्यकता को दृष्टि में रख कर किया गया है।

**देश में रुई की माँग तथा पूर्ति**

4139. **श्री गु० च० नायक :**
**श्री एस० जेवियर :**
**श्री रा० रा० सिंह देव :**
**श्री रा० को० अमीन :**
**श्री जे० मुहम्मद इमाम :**
**श्री अब्दुल गनी दार :**
**श्री द० रा० परमार :**
**श्री क० लकप्पा :**
**श्री पी० विश्वंभरन :**
**श्री राम चरण :**
**श्री एस० एम० कृष्ण :**
**श्री अदिचन :**

क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 1 जुलाई, 1969 को देश में कपड़ा मिलों की रुई की कुल माँग कितनी थी;

(ख) उसी तिथि को देश में इसके उत्पादन के आँकड़े क्या थे;

(ग) माँग तथा पूर्ति के इस अन्तर को कैसे पूरा किया जा रहा है;

(घ) क्या देश में रुई की अत्यधिक कमी होने के परिणामस्वरूप रुई के व्यापार और कपड़ा मिलों के कार्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है; और

(ङ) यदि हाँ, तो देश में रुई का उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है।

**वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री चौधरी राम सेवक) :**

(क) और (ख) वर्ष 1968-69 में मिलों में खपत के लिये लगभग 62 लाख रुई की गाँठों की आवश्यकता के मुकाबले रुई का स्वदेशी उत्पादन लगभग 59 लाख गाँठ होने का अनुमान है जिसमें से कुछ मिलों के बाहर खपत के लिये अपेक्षित है और मोटी तथा अकर्तनीय किस्मों के कुछ परिमाण का निर्यात किया जाता है।

(ग) रुई के आयात द्वारा तथा साथ ही रुई का स्वदेशी उत्पादन बढ़ाने के लिये प्रयत्नों द्वारा।

(घ) जी नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

## रेशम बोर्ड, बम्बई

4140. **डा० सुशीला नैयर :** क्या वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने गत तीन वर्षों में बम्बई स्थित रेशम बोर्ड के कार्यकरण का कोई मूल्यांकन किया है;

(ख) यदि हाँ, तो उक्त अवधि में क्या अनियमितताएँ पाई गईं; और

(ग) इस बारे में क्या कार्यवाही की गई?

**वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री चौधरी राम सेवक):**

(क) जैसा कि केन्द्रीय रेशम बोर्ड अधिनियम, 1948 की धारा 8 (3) (बी) के अनुसरण में बोर्ड द्वारा प्रस्तुत किए गए अर्द्ध-वार्षिक तथा वार्षिक प्रतिवेदनों से प्रकट है, केन्द्रीय रेशम बोर्ड का कार्य-चालन सन्तोषप्रद पाया गया है। वार्षिक प्रतिवेदन संसद् में भी रखे जाते हैं।

(ख) बोर्ड के कार्यचालन में कोई अनियमितता सरकार के ध्यान में नहीं आई है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

## Applications for Import Licence from States

4141. **Shri Molahu Prashad :** Will the Minister of **Foreign Trade and Supply** be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 1518 on the 6th May, 1969 and state :

(a) whether the requisite information regarding the Import Licence has since been collected ;

(b) if so, the details thereof; and

(c) if not, the reasons therefor ?

**The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade and Supply (Shri Chowdhary Ram Sewak):**

(a) Yes, Sir.

(b) A statement is attached. Against 6796 applications received from the Directors of Industries of State/Union Territories, 5628 licences/Release Orders by the Minerals and Metals Trading Corporation have been issued. The details of the Import licences issued are published in the "Weekly Bulletin of Industrial Licences, Import Licences and Export Licences" copies of which are available in the Parliament Library.

(c) Does not arise.

### Statement

**Statement showing the number of State-wise applications for import licences sponsored by Director of Industries Vide Public Notice No. 156-ITC (PN)/66 dated the 17th December, 1966.**

| S. No. | State | No. of applications received |
|---|---|---|
| 1. | West Bengal | 631 |
| 2. | Bihar | 59 |
| 3. | Orissa | 362 |

| | | |
|---|---|---|
| 4. | Tripura | 1 |
| 5. | Madras | 304 |
| 6. | Andhra Pradesh | 140 |
| 7. | Haryana | 431 |
| 8. | Nagaland | 1 |
| 9. | Pondichery | 45 |
| 10. | Goa Daman | 29 |
| 11. | Dadra and Nagar Haveli | 3 |
| 12. | Gujarat | 176 |
| 13. | Jammu & Kashmir | 58 |
| 14. | Maharashtra | 326 |
| 15. | Madhya Pradesh | 217 |
| 16. | Rajasthan | 128 |
| 17. | Himachal Pradesh | 22 |
| 18. | Delhi | 436 |
| 19. | Chandigarh | 41 |
| 20. | Punjab | 819 |
| 21. | Kerala | 129 |
| 22. | Mysore | 850 |
| 23. | Assam | 11 |
| 24. | U. P. | 1573 |
| 25. | Manipur | 4 |
| | Total : | 6796 |

## निर्यात कार्यक्रम

4142. **श्री जनार्दनन :**
**डा० रानेन सेन :**
**श्री वासुदेवन नायर :**
**श्री क० प्र० सिंह देव :**
**श्री के० हाल्दर :**
**श्री जि० मो० बिस्वास :**
**श्री सीता राम केसरी :**

**क्या वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने निर्यात सम्बन्धी कोई रूपरेखा तैयार की है जिसमें आगामी तीन अथवा चार वर्षों में निर्यात अभियान में बाधा डालने वाली अनेक बातें बताई गई हैं;

(ख) यदि हाँ, तो उस दस्तावेज में बाधा डालने वाली कौन-कौन सी बातें बताई गई हैं; और

(ग) बाधा डालने वाली इन बातों को दूर करने के लिये क्या उपाय करने का सुझाव दिया गया है?

**वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री चौधरी राम सेवक) :**

(क) और (ख) चौथी पंचवर्षीय योजना 1969–74 के मसौदे (जिसकी एक प्रति पहले ही सभा-पटल पर रख दी गई है), में यह प्रस्थापना है कि चौथी पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान कुल निर्यात उपार्जन 8300 करोड़ रु० के लगभग का होगा (पैरा 4.38); इस सीमा तक निर्यात उपार्जनों की प्राप्ति के लिए जो विभिन्न उपाय करने पड़ेंगे उनकी सूची चौथी योजना के प्रारूप के पैरा 4.39 से 4.44 में दी गई है। निर्यात प्रयास में जिन कारणों से कठिनाई आती है उनका पता लगाने के लिए सरकार लगातार आकंलन करती रहती है; वे कारण भिन्न-भिन्न उत्पादों के विषय में तथा समय-समय पर भिन्न-भिन्न होते हैं। प्रधानतः निर्यात के विस्तार में निम्नलिखित कारणों से कठिनाई होती है: (क) विदेशी माँग के ढंग में परिवर्तन, (ख) अन्य देशों की वाणिज्यिक नीतियाँ, (ग) कुछ क्षेत्रों में घरेलू उत्पादन की अपर्याप्तता, (घ) कच्चे माल, विशेषतः औद्योगिक उत्पादों के लिये, की ऊँची लागत (ङ) बढ़ती हुई घरेलू माँग और (च) विपणन प्रयास की अपर्याप्तता।

(ग) इन कठिनाइयों को दूर करने के लिये मुख्य उपाय ये हैं:

(1) देश में निर्यात के लिए अधिक माल उत्पन्न करने और घरेलू बाजार की माँग का प्रतिकार करने के लिये उत्पादन आधार का विस्तार।

(2) निर्यात के लिए अपर्याप्त फालतू माल होने की स्थिति में घरेलू खपत पर अस्थायी प्रतिबन्ध।

(3) विशेषतः औद्योगिक उत्पादों के विषय में उत्पादन लागत को कम करने के लिए कच्चे माल की अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों पर पूर्ति।

(4) उत्पाद विकास तथा अनुकूलन।

(5) विदेश में विपणन प्रयासों को अधिक तीव्र करना।

(6) अन्य देशों की वाणिज्यिक नीतियों में सम्यक समायोजना करवाने के लिये द्विपक्षीय तथा बहु-पक्षीय प्रयास।

### Export Trade

4143. **Shri Prakash Vir Shastri :** Will the Minister of **Foreign Trade and Supply** be pleased to state :

(a) the further progress made in export trade during the last two years;

(b) whether trade relations with some countries have also deteriorated ;

(c) if so, the causes therefor ; and

(d) the policy of Government in regard to improving trade relations with those countries having no diplomatic relations with India ?

**The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade and Supply (Shri Chowdhary Ram Sewak):**

(a) India's Export including re-exports during the last 2 years showed an increase of 17.6% *i.e* from Rs. 1156.5 crores in 1966-67 to Rs. 1360 crores in 1968-69.

(b) and (c) there have been adverse Balance ef Trade with certain developing countries because of our dependence for essential raw material for our industries and with certain developed countries on account of our dependence on them for capital goods, machinery spares etc.

(d) There arc certain countries like South Africa, N. Rhodesia, Angola, Mozambique and Portugal with which we have neither trade nor diplomatic relations. Apart from these, there, are no restrictions regarding trade with countries having no diplematic relatioos with India.

**Increase in Military Activities of China and Pakistan on Indian Borders**

4144. **Shrl Prakash Vir Shastri : Shri Hukam Chand Kachwai : Shrl Gadilingana Gowd : Shri Abdul Ghani Dur : Shri Mahant Digvijai Nath : Shri M. S. Oberoi : Shri N. R. Deoghare :**

Will the Minister of **Defence** be pleased to state.

(a) whether provocations, apart from mtlitary pressure, by China and Pakistan have incressed for the past some time on Indian borders ;

(b) whether it is also a fact that the leaders in power there indulge in such acts to divert the attention of masses in order to keep themselves saddled in power ;

(c) the names of the particular sectors in which such activities have increase?

**The Minister of Defence (Shri Swaran Singh) :**

(a) and (b) No significant change has been noticed recently in the pattern of Pakistani and Chinese military activities across our borders.

(c) The military pressures exerted by these countries should be viewed in the context of their general policy of continuing confrontation towards India.

**Cost of Generating Power from Atomic Energy**

4145. **Shri Prakash Vir Shastri :** Will the **Prime Minister** be pleased to state :

(a) whether the cost of generating power from atomic energy is comparatively less ;

(b) if so, whether such schemes are proposed to be more rnpidly extended ; and

(c) if so, whether more atomic power stations would be established in different parts of the countries ?

**The Prime Minister, Minister of Finance, Minister of Atomic Energy and Minister of Planning (Shrimati Indira Gandhi) :**

(a) At present power generated from nuclear power station is regarded as competitive with the power generated from thermal station of a comparable size in areas remote from coal fields.

(b) and (c) It has not been possible so far, to allocate resources in the Fourth Plan to set up any new atomic power stations. The matter is, however, under consideration with references to the country's resources position and other relevant factors.

**Effects of Explosions of Atom and Hydrogen Bombs**

4146. **Shri Prakash Vir Shastri :** Will the **Prime Minister** be pleased to state :

(a) whether Indian Scientists are taking certain measures to neutralise the effect on India of Atom and Hydrogon Bomb explosions ;

(b) if so, when the effect of such measures would be known; and

(c) whether the co-operation of scientists of certain foreign countries is alsa being solicited in this connection ?

**The Prime Minister, Minister of Finance, Minister of Atomic Energy and Minister of Planning (Shrimati Indira Gandhi) :**

(a) and (b) There is no known method of 'neutralising' the effect of nuclear explosions. The level of radio activity in the atmosphere in different parts of the country is being continually monitored. The current level is well within the safety limit. Necessary measures will be taken in the event of radioactivity exceeding the safety limit.

(c) Does not arise.

## सीमा-सड़क संगठन द्वारा बनाई गई सड़कें

4147. **श्री यज्ञदत्त शर्मा ।** **श्री जय सिंह :**
**श्री हृदयाल देवगुण :**

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सीमा-सड़क संगठन द्वारा सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण की नवीनतम स्थिति क्या है;

(ख) 1962 में चीन द्वारा किए गए आक्रमण के बाद बनाई गई सड़कों का व्यौरा क्या है तथा वे किन-किन क्षेत्रों में बनाई गई हैं; और

(ग) सीमा-सड़क संगठन भारत में सड़कों के निर्माण का अपना कार्यक्रम कब तक पूरा कर लेगा जिससे भारत पूरी दृढ़ता के साथ किसी भी संकटापन्न स्थिति का सामना कर सकेगा ?

**प्रतिरक्षा मंत्री श्री (स्वर्ण सिंह) :**

(क) अन्त मई, 1969 तक 8 फुट से 20 फुट तक विभिन्न चौड़ी 5200 कि० मी० लम्बाई की नई सड़कों की तल-कटाई सम्पूर्ण की गई है। इसके अतिरिक्त लगभग 3700 कि० मी० सड़कों में सुधार किया गया है।

(ख) 1-1-1963 से 31-5-1969 तक क्षेत्र-वार नई निर्माण की गई सड़कों की लम्बाई के विस्तार नीचे दर्शाये गए हैं:—

| क्षेत्र | 8 फुट से 20 फुट की विभिन्न चौड़ी 1-1-1963 से 31-5-1969 तक नई निर्माण की गई सड़कों की लम्बाई (किलो मीटर में) |
|---|---|
| जम्मू तथा काश्मीर | 378.00 (लगभग) |
| पंजाब तथा हिमाचल प्रदेश | 479.00 |
| उत्तर प्रदेश | 26.00 |
| सिक्किम तथा भूटान संपर्क-सड़कों समेत | 571.00 |
| मिजो पहाड़ी माला समेत असम | 523.00 |

| | |
|---|---|
| नेफा | 628.00 |
| नागालैण्ड | 286.00 |
| मणिपुर | 17.00 |
| कुल जोड़ | 2,908.00 |

(ग) क्षेत्रों के रक्षा-विकास की परिवर्तनशील आवश्यकताओं को सामने रखते हुए समय-समय पर कार्यक्रम का बोर्ड द्वारा पुनरीक्षण किया जाता है। इसलिए यह बता पाना शक्य नहीं कि सीमा-सड़क संगठन किस तिथि तक सड़कों का निर्माण सम्पूर्ण करने में समर्थ हो पाएगा।

**चैकोस्लोवाकिया में रूसी हस्तक्षेप**

4148. **श्री यशवन्त शर्मा : श्री जय सिंह :**
**श्री हरदयाल देवगुण :**

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री अपने उस वक्तव्य के सम्बन्ध में, जो उन्होंने अपने मंत्रालय की अनुदान की माँगों पर हुए वादविवाद का उत्तर देते हुए 8 अप्रैल, 1969 को दिया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि "विदेशी शासन के अधीन अत्याचार सहन करने और स्वतंत्रता के लिये संघर्ष करने के पश्चात् हमारे लिये यही बात सर्वथा स्वाभाविक है कि हम विदेशी सत्ता से मुक्ति पाने का प्रयत्न कर रहे राष्ट्र को पूर्ण समर्थन प्रदान करें" यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारत सरकार के उपरोक्त वक्तव्य के संदर्भ में चैकोस्लोवाकिया के आन्तरिक मामलों में रूसी हस्तक्षेप के सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ख) विदेशी सत्ता से मुक्ति पाने का प्रयत्न कर रहे राष्ट्रों को समर्थन देने के अपने पुनीत-ध्येय को पूर्ण करने के लिये भारत सरकार ने क्या प्रयत्न किए हैं, इस समय क्या कार्यवाही की जा रही है और उस देश में घटी हाल की घटनाओं को ध्यान में रखते हुए सराकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है?

**वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) :**

(क) 21-8-68 को सदन में प्रधान मंत्री ने जो वक्तव्य दिया था उसमें सरकार की प्रतिक्रिया बता दी गई थी।

(ख) चैकोस्लोवाकिया और सोवियत संघ की सरकारें एक-दूसरे से संपर्क बनाए हुए हैं। भारत सरकार को यह उम्मीद है कि दोनों प्रभुसत्ता-प्राप्त राज्य शान्तिपूर्वक और सौहार्दपूर्ण तरीके से अपने मतभेद को दूर कर लेंगे।

**गणतन्त्र-दिवस परेड, 1969 के लिए निमंत्रण-पत्र**

4149. **श्री जय सिंह : श्री यज्ञदत्त शर्मा :**

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री 12 मार्च, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2827 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि उनके मंत्रालय ने इस वर्ष के गणतन्त्र-दिवस के सम्बन्ध में एक प्रेस नोट जारी किया था, जिसमें कहा गया था कि संसद् सदस्यों को गणतन्त्र-दिवस से एक

दिन पहले प्रवेश-पत्र दिए गए थे और संसद् सदस्यों को प्रसन्न करने के लिए भरसक प्रयत्न किए गए थे;

(ख) यदि हाँ, तो क्या इस प्रेस नोट की एक प्रति सभा-पटल पर रखने का सरकार का विचार है;

(ग) मंत्रियों को दिए गए प्रवेश-पत्रों के बारे में जानकारी देने में सरकार को क्या कठिनाइयाँ हैं; और

(घ) उन बीस संसद् सदस्यों के नाम क्या हैं, जिन्हें सबसे अधिक प्रवेश-पत्र दिए गए थे और प्रत्यक को कितने प्रवेश-पत्र दिए गए थे?

**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) :**

(क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) गणतंत्र दिवस परेड, 1969 के लिये मंत्रियों तथा संसद्-सदस्यों को कुल कितने स्थानों के लिये निमंत्रण-पत्र दिए गए थे, यह जानकारी 12 मार्च, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2827 के उत्तर में दी गई है। प्रश्न में जो विस्तृत जानकारी माँगी गई है, उसे संकलित करने में काफी समय तथा श्रम लगेगा और वह संकलन उसमें लगे समय तथा श्रम के अनुकूल नहीं होगा।

### गणतन्त्र-दिवस परेड के लिए झाँकी

4150. **श्री यज्ञदत्त शर्मा :** **श्री जय सिंह :**

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री 19 फरवरी, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 238 के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि किन राज्यों अथवा दिल्ली को छोड़ कर अन्य संघ राज्य क्षेत्रों के 26 जनवरी की झाँकियों के प्रस्तावों को इस वर्ष या गत तीन वर्षों से उस समिति ने स्वीकार नहीं किया है, जो इस उद्देश्य के लिए नियुक्त की गई है?

**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) :**

1967, 1968 और 1969 के गणतन्त्र-दिवस परेड समारोहों में राज्य सरकारों/केन्द्रीय शासित प्रदेशों द्वारा प्रस्तुत उनकी झाकियाँ शामिल करने के प्रस्तावों पर विचार करने के लिये इस हेतु निर्मित एक समिति ने विचार किया था। समिति के निर्णयों के अनुसार जिन राज्य सरकारों/केन्द्रीय शासित प्रदेशों (दिल्ली प्रशासन को छोड़ कर) से यह अनुरोध किया गया था कि उनके द्वारा सुझाए गए विषयों से भिन्न विषयों पर वे झाँकियाँ भेजें, उनके नाम इस प्रकार हैं—आन्ध्र प्रदेश, गोवा, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, मणिपुर, पंजाब, तमिलनाडु तथा पश्चिमी बंगाल।

### राज्य व्यापार निगम के माध्यम से 'वूल टाप्स' का आयात

4151. **श्री यशवन्त शर्मा :** **श्री जय सिंह :**
**श्री हरदयाल देवगुण :**

क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि ऊनी 'होजरी' के निर्यातकों ने केवल राज्य व्यापार निगम के माध्यम से 'वुल टाप्स' का आयात करने के सरकार के निर्णय पर विरोध प्रकट किया है;

(ख) यदि हाँ, तो यदि कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री चौधरी राम सेवक) :**

(क) और (ख) ऊन तथा ऊनी माल निर्यात संवर्धन परिषद्, जो ऊनी तथा मिश्रित होज़री का प्रतिनिधित्व भी करती है, ने राज्य व्यापार निगम के माध्यम से ऊन का आयात करने के विनिश्चय के विरोध में 29 नवम्बर, 1967 को एक संकल्प पारित किया था।

(ग) सरकार का विचार है कि राज्य व्यापार निगम के माध्यम से ऊन का आयात करने का विनिश्चय उचित कारणों के आधार पर किया गया था और वह एक सही विनिश्चय था।

### मजगौन डौक लिमिटेड

4152. **श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मजगौन डौक लिमिटेड ने एक विस्तार योजना बनाई है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार ने उसकी स्वीकृति दे दी है;

(ग) उस पर कुल कितनी लागत आयेगी; और

(घ) इसके द्वारा निर्मित विभिन्न जहाजों और वस्तुओं के उत्पादन में अनुमानतः कितनी वृद्धि होगी और विस्तार कार्यक्रम का लक्ष्य क्या है ?

**प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) :**

(क) जी हाँ।

(ख) जी हाँ।

(ग) प्रसार योजना पर कुल 832 लाख रुपए की लागत आने का अनुमान है।

(घ) मझगाँव डौक लिमिटेड ने निम्नलिखित प्रकार के जिन जहाजों का निर्माण किया है या करेगा, उन्हें वह पहले नहीं बना सकता था:—

(1) नौसेना के लिए फ्रीगेट, माइनस्वीपर, ड्रेजर तथा टैंकर।

(2) शिपिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया के लिए सवारी जहाज तथा अण्डमान और निकोबार प्रशासन के लिए माल तथा सवारी जहाज़।

इनके अतिरिक्त वह अब ड्रेजर तथा बन्दरगाह के सहायक यानों जैसे छोटे यानों को काफी अधिक संख्या में बना सकता है। यह सब प्रसार योजना से पूर्व बनाना उसके लिए अपेक्षाकृत सम्भव नहीं था। इस कम्पनी की मरम्मत आदि करने की क्षमता भी पर्याप्त रूप से बढ़ी है और इस प्रकार वह विदेशी मुद्रा कमाने का अच्छा स्रोत बन पाया है। 1965–66 में 66.54 लाख रुपए की विदेशी मुद्रा कमाई गई थी जो बढ़ कर 1968–69 में 139 लाख रुपए (अनुमानित) तक पहुँच गई। प्रसार योजना से पूर्व इस कम्पनी का कुल लेन-देन लगभग 9 करोड़ रुपये का होता था जो अब बढ़ कर 1968–69 में 10.71 करोड़ रुपए तक पहुँच गया है। प्रसार योजना के अन्तर्गत किए जाने वाले बड़े-बड़े निर्माण-कार्य सफलतापूर्वक पहले ही पूरे हो चुके हैं। कुछ छोटे-मोटे

निर्माण-कार्य अभी किए जा रहे हैं। प्रसार योजना का पूरा फायदा 1970–71 के बाद से मालूम होने लगेगा।

**गैर-परम्परागत सामान का निर्यात**

4153. **श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी :** क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि गैर-परम्परागत सामान का निर्यात गत तीन वर्षों में बहुत बढ़ गया है;

(ख) यदि हाँ, तो भविष्य में उनके निर्यात को बनाये रखने तथा बढ़ाने की कहाँ तक सम्भावना है;

(ग) कौन-कौन सी वस्तुएँ निर्यात में पिछड़ रही हैं; और

(घ) गैर-परम्परागत वस्तुओं का निर्यात बढ़ाने के उद्देश्य से सरकार क्या कार्यवाही कर रही है?

**वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री चौधरी राम सेवक) :**

(क) जी हाँ।

(ख) उत्पादन, खपत तथा निर्यात के क्षेत्रों में आयोजित प्रयत्नों से अपरम्परागत माल के निर्यात में और भी वृद्धि होने की आशा है।

(ग) ऐसे अपरम्परागत माल की सूची निम्नलिखित है जिनके निर्यातों में वर्ष 1967–68 की तुलना में वर्ष 1968–69 में गिरावट आई है:—

1. चीनी।
2. माँस तथा माँस-उत्पाद।
3. पशुओं के खोल।
4. हवाबन्द डिब्बों में मछली।
5. नारियल जटा के कालीन तथा फर्श-पायंदाज।
6. पटसन के रस्से, रस्सी तथा सुतली।
7. तैयार चमड़ा।
8. हाथ-छापे के वस्त्र।
9. तम्बाकू से बनी वस्तुएँ।

**नोट** :—ऐसी मदों को अपरम्परागत निर्यात माना गया है जो पहली पंचवर्षीय योजना में हमारे निर्यातों में प्रमुख रूप में नहीं आती थी।

(घ) किए गए निर्यात संवर्धन उपायों के ब्यौरे (1) 18–2–69 के अतारांकित प्रश्न संख्या 182 के उत्तर में तथा (2) 19–3–69 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3592 में दिए गए आश्वासन को पूरा करने वाले विवरण में और जिसकी प्रतियाँ संसद्-कार्य विभाग को भेजी जा चुकी हैं, देखे जा सकते हैं।

**समुद्र-तल के सम्बन्ध में अमेरिका/रूस की प्रारूप संधि**

4154. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अमरीकी सरकार ने जेनेवा निरस्त्रीकरण सम्मेलन में समुद्र-तल संबंधी संधि का प्रारूप पेश किया था;

(ख) यदि हाँ, तो अमरीकी प्रारूप की मुख्य रूपरेखा क्या है;

(ग) कुछ महीने बाद रूस द्वारा प्रस्तुत प्रारूप प्रस्ताव की तुलना में यह प्रारूप कैसा है; और

(घ) अमरीकी प्रारूप संधि के बारे में भारत का दृष्टिकोण क्या है?

**वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) :**

(क) जी हाँ।

(ख) और (ग) दो संधियों के मसौदों के मूल पाठ सदन की मेज़ पर रख दिए गए हैं। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०** 1737/69]

(घ) सरकार इस बात के पक्ष में है कि सागर-तल और महासागर-तल का प्रयोग केवल शान्तिपूर्ण उद्देश्यों के लिए हो। इस प्रश्न के निरस्त्रीकरण संबंधी पक्षों पर अभी बातचीत हो रही है, जिसका उद्देश्य यह है कि संधि के मसौदे के मूलपाठ पर सहमति हो और जो निरस्त्रीकरण समिति के सभी सदस्यों के लिए स्वीकार्य हो।

**जापान से यूरिया की खरीद**

4155. **श्री सु० कु० तपाड़िया :** क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जापान से नकद भुगतान में यूरिया खरीदने में कुछ कठिनाई है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या इसका मूल्य अधिक दिया जायेगा; और

(ग) इस कारण कुल कितनी हानि होगी?

**वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री चौधरी राम सेवक):**

(क) जापान से नकद अदायगी पर अर्थात् निर्बाध साधनों से यूरिया खरीदने के बारे में फिलहाल कोई योजना नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

**पटसन का आयात**

4156. **श्री सीताराम केसरी :** क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पटसन आयात स्वीकृति समिति ने पटसन की 6.24 लाख गाँठों की आयात की अनुमति दी है;

(ख) क्या इस समिति ने पटसन के आयात की शर्तों आदि के बारे में भी निर्णय किया है; और

(ग) यदि हाँ, तो पटसन के आयात से पटसन उद्योग को कहाँ तक सहायता मिलने की संभावना है?

**वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति-मंत्रालय में उपमंत्री (श्री चौधरी राम सेवक) :**

(क) जी, हाँ। पटसन आयात स्वीकृति समिति ने पटसन की 6.25 लाख गाँठों के आयात का अनुमोदन कर दिया है।

(ख) जी हाँ।

(ग) पटसन के आयात से माँग तथा आपूर्ति का अन्तर अंशतः पूरा हो जाने की सम्भावना है।

**तारापुर परमाणु बिजलीघर**

4157. **श्री सीताराम केसरी :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि तारापुर परमाणु बिजलीघर के बार-बार बन्द हो जाने से बिजली के उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है जिसके परिणामस्वरूप गैर-सरकारी और सरकारी दोनों ही क्षेत्रों में महत्त्वपूर्ण प्रतिष्ठानों में अव्यवस्था उत्पन्न हो जाती है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है।

**प्रधान मंत्री, वित्त मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) :**

(क) तारापुर परमाणु बिजलीघर ने अभी तक व्यापारिक स्तर पर बिजली का उत्पादन आरम्भ नहीं किया है। व्यापारिक स्तर पर उत्पादन करने से पहले यह आवश्यक है कि समय-समय पर तथा अलग-अलग विद्युत् स्तरों पर बिजलीघर को चला कर बहुत बार उसकी जाँच-पड़ताल की जाये। अभी हाल ही में बिजली की सप्लाई में जो बाधा पड़ी थी उसका कारण बिजलीघर में खराबी न होकर स्विचयार्ड में खराबी का होना था।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

**इलेक्ट्रानिक उपकरणों के नए कारखानों की स्थापना**

4158. **श्री सीताराम केसरी :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री 26 फरवरी, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1198 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इलेक्ट्रानिक उपकणों के नए कारखाने स्थापित करने के लिये कितने आवेदन-पत्र प्राप्त हुए;

(ख) क्या उन आवेदन-पत्रों पर सरकार ने विचार कर लिया है;

(ग) यदि हाँ, तो कितने नए लाइसेंस दिए जायेंगे; और

(घ) किन-किन फर्मों को लाइसेंस देने की स्वीकृति दी गई है?

**प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) :**

(क) से (घ) उद्यमकर्ताओं को भेजे गए आमंत्रण के प्रत्युत्तर में संगठित क्षेत्र में इलेक्ट्रानिक उपकरणों के निर्माण के लिए अतिरिक्त क्षमता तैयार करने के लिये 123 आवेदन-पत्र प्राप्त हुए हैं। ये आवेदन-पत्र वर्तमान निर्माताओं और नई स्थापनाएँ स्थापित करने वाले लोगों से मिले हैं। आवेदन-पत्रों पर विचार किया जा रहा है।

**भारत की सूचना सेवा**

4159. **श्री म० ला० सोंधी :** क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत की सूचना सेवा के मनोबल तथा कार्य-कुशलता में वृद्धि करने के लिये क्या उपाय किए गए हैं ;

(ख) क्या किसी विशेष दल ने उस सेवा के कार्य की जाँच की है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या उसे अब करने का सरकार का विचार है; और

(घ) क्या भारत की सूचना-सेवा के सम्पूर्ण कार्य की जाँच करने के लिये एक संसदीय समिति बनाने का सरकार का विचार है?

**वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) :**

(क) इन अधिकारियों की नौकरी की शर्तों में, जो कि पहले ठेके पर नौकरी में लगे थे, धीरे-धीरे बराबर सुधार हुआ है। 1964 में उन्हें स्थायी सेवा की शर्तों और पेंशन का लाभ दिया गया है। हाल में, पिल्ले समिति की सिफारिशों के अनुरूप भारतीय सूचना-सेवा के कई अधिकारियों को संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से भारतीय विदेश-सेवा में पदोन्नत कर दिया गया है। जो इस तरह पदोन्नत नहीं किए गए हैं उन्हें संबंद्ध सिफारिशों पर और उनकी ओर से आए सुझावों पर इस समय विचार किया जा रहा है।

(ख) हाल के वर्षों में भारतीय सूचना-सेवा की कार्यविधि का तीन बार अध्ययन किया जा चुका है। भारतीय सूचना-सेवा और मंत्रालय के विदेश प्रचार विभाग की कार्यविधि पर डा० के०एस० शैलवंकट ने जून, 1963 में एक रिपोर्ट दी थी। पिल्ले समिति ने 1966 में अपनी रिपोर्ट में भारतीय सूचना-सेवा के बारे में कुछ सिफारिशें की थीं। 1967 की वर्गीज़ समिति की रिपोर्ट में दूसरी बातों के अलावा इस विषय पर भी विचार किया गया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) जी नहीं।

**योजना द्वारा रोजगार तथा उत्पादन को बढ़ाना**

4160. **श्री लोबो प्रभु :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) परिवार नियोजन के वर्तमान उपायों से जनसंख्या में कितनी कमी हुई है तथा वर्तमान जन्म-दर जो इस समय 39 है, को 1980-81 में कम करके अनुमानतः 26 पर लाने में इससे कहाँ तक सहायता मिलेगी;

(ख) क्या यह अनुमान लगाया गया है कि आय में वृद्धि होने के साथ जनसंख्या में कमी होती है और यदि हाँ, तो परिवार नियोजन कार्यक्रम के द्वारा रोज़गार के नए अवसर बनाने तथा उत्पादन बढ़ाने में सहायता न मिलने के क्या कारण हैं;

(ग) 28 प्रतिशत तक बचत दर बढ़ाने का उत्पादन तथा ख़पत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तथा इस धारणा का आधार क्या है कि जब लोग खर्च नहीं कर सकेंगे तो वे धन कमायेंगे; और

(घ) क्या दालों, तिलहनों तथा रेशे के उत्पादन में कमी का कारण यह नहीं है कि अधिक मूल्य वाले अनाजों के प्रति आकर्षण है और यदि नहीं, तो इन फसलों की उपेक्षा क्यों की गई है?

**प्रधान मंत्रीं, वित्त मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इंदिरा गाँधी) :**

(क) परिवार नियोजन कार्यक्रम का मुख्य लक्ष्य जन्म-दर में कमी करना है। वर्ष 1966–69 की अवधि के दौरान परिवार नियोजन कार्यक्रम में प्रगति हुई है और जन्म दर में कमी आई है। यदि चौथी पंचवर्षीय योजना के संक्रिया लक्ष्य पूरे कर लिए गए तो 1974–75 तक जन्म-दर को घटाकर प्रति हजार 33 तक पहुँचाया जा सकेगा और 1981–82 तक प्रति हजार 25 तक।

(ख) अध्ययनों से पता चला है कि प्रसव-शक्ति और घरेलू खर्च में परस्पर कुछ सम्बन्ध है। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के 19वें दौर, संख्या 196 में सूचित किया गया है कि ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति निम्न खर्च वाले वर्ग में जन्म-दर सबसे अधिक है और प्रति व्यक्ति घरेलू मासिक खर्च में वृद्धि के साथ जन्म-दर घटती जाती है।

(ग) चौथी योजना के मसौदे में बचत दर में 28% वृद्धि की परिकल्पना नहीं की गई है बल्कि यह परिकल्पना की गई है कि अगले 12 वर्षों के दौरान राष्ट्रीय आय में होने वाली वृद्धि का लगभग 28% बचत में लगेगा। बचत की औसत दर 1967–69 में लगभग 8% से बढ़कर 1973–74 में लगभग 12.6 प्रतिशत और 1980–81 में 18 प्रतिशत तक पहुँच जायेगी। निवेश के द्वारा उत्पादन बढ़ाने की प्रवृत्ति बचत में रहती है। बचत करने वाले को होने वाला लाभ उसकी अतिरिक्त भावी आय होती है जो उसे वर्तमान आय में से बचत करने के लिए प्रेरित करती है।

(घ) दालों, तिलहनों और रेशों के उत्पादन में वर्ष प्रतिवर्ष घट-बढ़ हुई होगी पर उसकी प्रवृत्ति ऊपर की ओर रही है। चौथी योजना अवधि में इनके उत्पादन को बढ़ाने के लिए सोचे गए उपायों में ये शामिल हैं: बेहतर सस्यवैज्ञानिक पद्धतियाँ, अधिक उपज देने वाली किस्मों का प्रयोग, दुहरी फसल पद्धति, नए क्षेत्रों में खेती का विस्तार, अधिक उपज देने वाली किस्मों के अनुसंधान में तेज़ी लाना आदि इनका विस्तृत ब्यौरा चौथी पंचवर्षीय योजना 1969–74 के मसौदे के कृषि सम्बन्धी छठे अध्याय में दिया गया है।

**चौथी योजना में परिकल्पित समाजवादी व्यवस्था**

4161. **श्री लोबो प्रभु :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) चौथी योजना के प्रारूप में परिकल्पित समाजवादी व्यवस्था मुद्रास्फति से कैसे मेल खाती है क्योंकि इससे उपभोक्ता की आय का समपहरण हो जाता है और उत्पादकों और मालिकों की अनुपार्जित आय बढ़ जाती है;

(ख) योजना आयोग के अनुसार मुद्रा-स्फीति के क्या कारण हैं और उन पर नियंत्रण रखने के क्या विशिष्ट प्रस्ताव हैं;

(ग) योजना आयोग ने जनसाधारण की माँग वाली वस्तुओं के मूल्यों पर करों, विशेष रूप से अप्रत्यक्ष करों, के प्रभाव के बारे में क्या जाँच की है;

(घ) यदि मुद्रा-स्फीति का कारण वस्तुओं का अभाव है, तो क्या योजना आयोग ने पता लगाया है कि उत्पादन पर नियंत्रणों के कारण कहाँ तक ऐसा हुआ है; और

(ङ) यदि सूचक-अंक के जो 1965–66 में 169 था, 1967–68 में बढ़ कर 213

हो जाने के लिए सूखा उत्तरदायी था, तो गत वर्षों में फसल बहुत अच्छ होने पर मूल्य कम नहीं होने के क्या कारण हैं?

**प्रधान मंत्री वित्त मंत्री अणु-शक्ति मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) :**

(क) चौथी योजना प्रारूप का लक्ष्य मूल्यों में स्थिरता लाना और मुद्रास्फीति को रोकना है। इसके मुख्य उद्देश्यों में से एक उद्देश्य आय का समान वितरण है। अतः उपभोक्ताओं की आय या उत्पादकों और मालिकों की बढ़ी हुई आयों के समपहरण का प्रश्न नहीं उठता।

(ख) विगत काल में, मुद्रास्फीति का मुख्य कारण खाद्यान्नों की कमी और मुद्रा सम्भरण में वृद्धि है। मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए निम्नांकित उपायों की सिफारिश की गई है:–

(1) कृषि तथा औद्योगिक उत्पादन के विकास की दर तेज करना,

(2) खाद्यान्नों और सरकारी प्राधिकारियों के पास अन्य आधारभूत कृषि उत्पादनों के समीकरण भण्डार का रख-रखाव;

(3) खाद्यान्नों और महत्वपूर्ण कृषि कच्चे माल के मूल्यों के मौसमी और वर्षवार, उतार-चढ़ाव को ठीक करना तथा सुनियोजित ढंग से वसूली व बिक्री का संचालन करना;

(4) ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में आवश्यक जिन्सों के वितरण के लिए सस्ते गल्ले की दूकानों और उपभोक्ता सस्कारी समितियों को सुदृढ़ करना; और

(5) योजना परिव्ययों के लिए मुद्रास्फीति–इतर वित्तीय–व्यवस्था पर भरोसा।

(ग) अन्य बातों के अलावा, उनके मूल्य प्रभावों को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक वर्ष अप्रत्यक्ष करों में तालमेल बिठाया जाना है।

(घ) अत्यधिक प्रतिकूल मौसम के कारण उत्पादन में और विशेषकर कृषि उत्पादन में कमी आई और इसी कारण से 1965–66, 1966–67 और 1967–68 में मूल्यों में वृद्धि हुई। विद्यमान स्थिति को ध्यान में रखते हुए नियंत्रणों की समीक्षा की जाती है और जब अनिवार्य समझा जाता है, आवश्यक तालमेल बिठाया जाता है।

(ङ) क्रमिक सूखे पड़ने के कारण कृषि उत्पादन में बहुत कमी आ गई है और थोक मूल्यों का सूचकांक जो 1965–66 में 165.1 था वह 1967–68 में बढ़ कर 212.4 हो गया। 1967 की खरीफ की फसल बाजार में आने के बाद थोक मूल्यों का सूचकांक गिरने लगा। वर्ष 1968–69 में थोक मूल्यों के औसत सूचकांक में 1.1 प्रतिशत की कमी आई और 210.2 हो गया।

**उत्पादन दर तथा तदनुसार खपत**

4162. **श्री लोबो प्रभु :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) औद्योगिक उत्पादन में 9 प्रतिशत की लक्षित वार्षिक वृद्धि करने के लिए कितनी माँग का अनुमान लगाया गया है;

(ख) क्या रहन-सहन का स्तर ऊँचा उठाने तथा बेकार क्षमता का प्रयोग करने के

लिए बढ़े हुए उत्पादन को खपत के लिए राज-सहायता देने का सरकार का विचार है; और यदि नहीं, तो पूरी क्षमता से हुए उत्पादन की खपत कैसे होगी;

(ग) चूंकि आयात के लिए निर्यात करना पड़ेगा, जिससे देश में मूल्य बढ़ेंगे, यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार किया गया है कि आयात के वर्तमान आँकड़ों के, जो इस समय 1541 करोड़ रुपए के हैं 1973-74 में 2030 करोड़ रुपए तक बढ़ जाने से सामान्य जनता को आवश्यकताओं पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़ने पाये; और

(घ) 7 प्रतिशत तक निर्यात में वृद्धि होने से देश में वस्तुओं के मूल्य कितने बढ़ जाने का अनुमान है और प्रतिवर्ष के कुल निर्यात के साथ अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों को बराबर करने के लिये कितनी आर्थिक सहायता की आवश्यकता होगी?

**प्रधान मंत्री, वित्त मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इंदिरा गाँधी) :**

(क) और (ख) योजना में औद्योगिक उत्पादन के लक्ष्य आन्तरिक और बाहरी माँग को और देसी उत्पादन द्वारा आयात के प्रतिस्थापन को ध्यान में रख कर निश्चित किए गए हैं। इनसे वर्तमान उपयोग में न आने वाली क्षमता का अधिक पूर्णता से उपयोग हो सकेगा।

(ग) क्योंकि उत्पादन के लक्ष्यों में निर्यात की माँग का ध्यान रखा गया है, इसलिए इनसे देश के अंदर मूल्य स्तर ऊँचा नहीं होगा। इसके अतिरिक्त आयात में संभावित वृद्धि मुख्यतया कच्चे माल और पुर्जों के मामले में होगी जो कि आन्तरिक उत्पादन और निर्यात बढ़ाने के लिए आवश्यक है।

(घ) क्योंकि भारत द्वारा निर्यात किए जाने वाले विभिन्न उत्पादनों के लागत-विदेशी मूल्य का सम्बन्ध भिन्न-भिन्न होता है और एक ही उत्पादन के विषय में वह सम्बन्ध समय-समय पर बदलता रहता है अतः यदि आवश्यक हो तो भी देश द्वारा निर्यात की जाने वाली सभी वस्तुओं के लिए उपदान (सब्सिडी) की कोई एक समान दर निर्दिष्ट करना संभव नहीं है। इसके अतिरिक्त चौथी योजना में अभिधारित मूल्य स्थिरता को दृष्टि में रखते हुए, यदि विदेशी मूल्यों में कमी न हो तो निर्यात में अनुमानतः 7% प्रतिवर्ष वृद्धि की जा सकती है और इसके साथ ही उपदान (सब्सिडी) की दर में क्रमशः कमी की जा सकती है।

### Congress President's Visit Abroad

4163. **Shri Mahant Digvijai Nath : Shri S. M. Banerjee :**

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to ssate :

(a) whether it is a fact that Congress President visited some of the European countries in May, 1969;

(b) if so, the names of countries which he visited ;

(c) the capacity in which he visited those countries ;

(d) the foreign exchange spent on his visit ; and

(e) the details of his discussion with the leaders of respective countries ?

**The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh) :**

(a) Yes, Sir.

(b) and (c) He visited the United Arab Republic, Yugoslavia, Federal Republic of Germany, United Kingdom, Austria and Italy. The visit to the first four countries was in response to the invitations received by him in his capacity as the President of the Indian National Congress. Visits to the remaining two countries were private.

(d) He was sanctioned foreign exchange for £80/-

(e) The Government cannot give details of Shri Nijalingappa's discussions in these countries since his visit was in his capacity as the President of the Congress Party and not as a representative of the Government of India.

**Research work on the use of Thorium**

4507. **Shri Maharaj Singh Bharati** : Will the **Prime Minister** be pleased to state;

(a) the result of research work which was being done by Government on the use of Thorium; and

(b) whether the production of Thorium would be increased as a result of this research ?

**The Prime Minister, Minister of Finance, Minister of Atomic Energy and Minister of Planning (Shrimati Indira Gandhi)**:

(a) Studies have been carried out by the Bhabha Atomic Research Centre on the utilisation of thorium in Power Reactors. Reactors potentially most suitable for effective utilisation of thorium are being studied in detail.

The Fast Breeder Test Reactor proposed to be set up at Kalpakkam will use plutonium and thorium in blanket. When completed, it will provide a valuable facility for extensive research in thorium technology.

(b) The production of thorium in this country is adequate.

**Generation of Atomic Power from Sea Water**

4165. **Shri Maharaj Singh Bharati** : Will the **Prime Minister** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that in Oakridge in U. S. A. and the near East countries, attempts are being made to set up atomic power stations which would make the sea water potable and generate atomic power; and

(b) if so, the reasons for which Government are not implementing this project in Gujarat?

**The Prime Minister, Minister of Finance, Minister of Atomic Energy and Minister of Planning (Shrimati Indira Gandhi)**:

(a) and (b) Evaluation and preliminary project studies have been made in different countries such as U.S.A., U.S.S.R., U.K., Mexico, Isreal and India for setting up nuclear powered dual-purpose plants to produce power and desalinated water. Detailed feasibility studies have still to be made and a proto-type desalination unit constructed. Implementation of a project in the Kutch Saurashtra region can only be considered on the completion of these processes.

**कीनिया के भारतीयों का पुनर्वास**

4166. **श्री देवकीनन्दन पाटोदिया** : क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि ब्रिटिश सरकार ने कीनिया के एशियाई लोगों को जो तकनीकी दृष्टि से ब्रिटिश नागरिक हैं और कीनियाकरण की नीति के अन्तर्गत निकाले जा रहे हैं, बसाने का दायित्व सार्वजनिक रूप में स्वीकार कर लिया है;

(ख) यदि हाँ, तो ब्रिटिश सरकार द्वारा अब तक कितने भारतीयों को रोजगार की सुविधायें दी गई हैं और इंगलैण्ड में बसने के लिए कहा गया है; और

(ग) क्या ब्रिटिश नीति के क्षेत्राधिकार के बारे में सरकार को बताया गया है?

**वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) :**

(क) और (ग) माननीय सदस्य जिस तरह की घोषणा की ओर संकेत करते हैं, वह भारत सरकार की निगाह में नहीं आई है। ब्रिटिश पासपोर्टधारी भारत मूल के विस्थापित व्यक्तियों का यूनाइटेड किंगडम में प्रवेश राष्ट्रमंडल उत्प्रवास अधिनियम मार्च, 1968 के द्वारा नियमित किया जाता है।

(ख) जिन व्यक्तियों को युनाइटेड किंगडम में बस जाने की सुविधाएँ प्रदान की गयी हैं उनकी संख्या एकत्रित की जा रही है।

**संघ राज्यक्षेत्र सम्बन्धी योजनाओं के लिये लिए धन का नियतन**

4167. **श्री प्रेम चन्द वर्मा :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि योजना आयोग ने संघ राज्यक्षेत्र योजनाओं के मामले में विभिन्न व्यय शीर्षों के लिए स्वयं धन नियत किया है;

(ख) क्या यह भी सच है कि संघ राज्यक्षेत्रों की सरकारों ने यह माँग की है कि योजनायें पूरी करने में उन्हें पूरी स्वतन्त्रता दी जाये तथा विभिन्न क्षेत्रों में कम व अधिक व्यय करने की उन्हें अनुमति दी जाये; और

(ग) यदि हाँ, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है तथा इन प्रशासनों को, जिनकी स्थानीय आवश्यकताओं की जानकारी अधिक अच्छी है, पूरी स्वतंत्रता देने के बारे में केन्द्रीय सरकार को क्या आपत्ति है?

**प्रधान मंत्री, वित्त मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इंदिरा गाँधी) :**

(क) से (ग) जी, नहीं।

संघशोसित क्षेत्रों से परामर्श करने के बाद विभिन्न क्षेत्रों के अंतर्गत नियतन किये गए थे।

कृषि कार्यक्रमों तथा उल्लिखित योजनाओं/कार्यक्रमों को छोड़ कर, अन्य मामलों में संघशासित क्षेत्रों को योजना आयोग से परामर्श कर योजना नियतनों के पुनर्विनियोजन करने का अधिकार है।

**भारतीय हस्तशिल्प तथा हथकरघा निर्यात निगम द्वारा निर्यात**

4168. **श्री प्रेमचन्द वर्मा :** क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत दो वर्षों में वर्षवार भारतीय हस्तशिल्प तथा हथकरघा निर्यात निगम ने कितने मूल्य के माल का निर्यात किया;

(ख) किन-किन देशों को माल का निर्यात किया गया और उनकी मात्रा कितनी थी और निर्यात की गयी मुख्य वस्तुओं का व्यौरा क्या है ;

(ग) क्या यह सच है कि इस निगम में कुप्रबन्ध, गबन तथा अपव्यय खूब है;

(घ) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में की गई प्रतिरोधात्मक कार्यवाही का व्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इस निगम को हानि होने के क्या कारण हैं और गत तीन वर्षों में प्रतिवर्ष कितनी हानि हुई है ?

**वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री चौधरी राम सेवक):**

(क) गत दो वर्षों में भारतीय हस्तशिल्प तथा हथकरघा निर्यात निगम लि०, नई दिल्ली द्वारा निर्यातित वस्तुओं का मूल्य निम्नलिखित था:—

| **वर्ष** | **निर्यातित वस्तुओं का मूल्य** |
|---|---|
| 1967–68 | 1.24 करोड़ रु० |
| 1968–69 | 1.45 ,, ,, |

(ख) जिन देशों को (1) हस्तशिल्प की वस्तुओं और (2) हथकरघा की वस्तुओं का निर्यात किया गया तथा (3) विदेश में स्थित दुकानों/डिपो/मिलों के माध्यम से हस्तशिल्प तथा हथ-करघा की वस्तुओं की बिक्री की गई उन्हें दर्शाने वाला विवरण (अंग्रेजी में) सभा-पटल पर रखे गए हैं। **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्य० एल० टी०** 1738/69]

निगम द्वारा निर्यात की गई मुख्य मदें ये हैं । पीतल के बर्तन, ऊनी गलीचे, नमदे, गहे आभूषण, लकड़ी की नक्काशी, हाथ से बुने, छपे तथा सादे सूती तथा रेशमी फैशन परिधान, विशेषत: डिजाइन वाले छपे रेशमी तथा सूती वस्त्र, दीवार पर लटकाने के आवरण तथा विभिन्न प्रकार के अन्य सूती तथा रेशमी कपड़े की वस्तुएँ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) गत तीन वर्षों में निगम ने अपने सीधे व्यापार के कार्यकलापों से लाभ कमाया। निगम ने निर्यात संवर्धन तथा व्यापार विकास कार्यों पर व्यय किया और मूल्य समर्थन क्रिया-कलाप में घाटा दिया। वे निम्नलिखित हैं:—

| | | **लाख रु०** | |
|---|---|---|---|
| | 1966–67 | 1967–68 | 1968–69 |
| (1) निर्यात संवर्धन तथा व्यापार विकास कार्य-कलापों पर व्यय | 11.17 | 14.86 | 13.11 |
| (2) मूल्य समर्थन क्रिया-कलाप | 9.70 | 53.05 | 3.20 |

निगम के उपर्युक्त व्यय/हानियाँ, निर्यात संवर्धन, व्यापार-विकास तथा मूल्य-समर्थन क्रिया-कलापों, जिनका स्वरूप गैर-वाणिज्यिक है, पर हुई ।

**Minerals and Metals Trading Corporation of India**

4169. **Shri Prem Chand Verma :** Will the Minister of **Foreign Trade and Supply** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Minerals and Metals Trading Corporation of India could not achieve the targets fixed by it;

(b) whether it is also a fact that the Corporation could not expand its trade abroad to the extent it wanted to because of the monopoly in the trade ;

(c) whether the iron, which could be sold to European countries, could not be sold by the Corporation;

(d) whether the Corporation earned profits by the import of Copper, Zinc, Lead, Tin and Steel but it could not earn the profit to the extent it should have earned because of loss in export and other mistakes; and

(e) if so, the details thereof?

**The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade and Supply (Shri Choudhary Ram Sewak):**

(a) No, Sir, There was a marginal short-fall in the export of Coal.

(b) and (c) No, Sir.

(d) and (e) The Corporation earned marginal profits on import of Copper, zinc, lead, tin and steel, but these could not offset the losses on exports which occurred on account of increase in internal costs and railway freight on the one hand and declining prices in the international market on the other.

**पाकिस्तान को पटसन मशीनों की बिक्री**

4170. **श्री ने० कृ० दास चौधरी :** क्या वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पटसन उद्योग के लोगों ने देश के कुछ पटसन मिल मशीन निर्माताओं द्वारा पाकिस्तानी पटसन मिल को फालतू पुर्जे तथा 'ब्राडलूम' उपकरण बेचे जाने पर चिन्ता व्यक्त की है;

(ख) क्या सरकार ने इस बारे में अग्रेतर जाँच पूरी कर ली है; और

(ग) यदि हाँ, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है?

**वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री चौधरी राम सेवक):**

(क) से (ग) हांगकांग तथा सिंगापुर के माध्यम से पाकिस्तान को चौड़े करघों के पुर्जों के निर्यात के बारे में कुछ सूचनाएँ प्राप्त हुई हैं। परन्तु अब तक की गयी जाँच से, इन समाचारों को सिद्ध करने वाली कोई सामग्री नहीं प्राप्त हुई।

**कच्छ का सीमांकन**

4171. **श्री ने० कृ० दास चौधरी।** क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि भारत और पाकिस्तान के सर्वेक्षण अधिकारियों ने कच्छ

के रन में गुजरात-पश्चिम पाकिस्तान सीमा के सीमांकन सम्बन्धी अभिलेखों पर हस्ताक्षर कर दिए हैं;

(ख) यदि हाँ, तो कहाँ और कब; और

(ग) इस समझौते पर कुल कितनी राशि खर्च हुई है?

**वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) :**

(क) और (ख) दोनों देशों के सर्वेक्षण अधिकारियों, सरकारों के प्रतिनिधियों और पूर्णाधिकारियों द्वारा 4 जुलाई 1969 को इस्लामाबाद में पश्चिमी पाकिस्तान सीमा के सीमांकन के अभिलेखों पर हस्ताक्षर करने का काम पूरा कर लिया गया।

(ग) अब तक हुए इसमें कुल खर्च इस प्रकार हैं:—

| | | |
|---|---|---|
| (i) | न्यायाधिकरण और इसकी बैठकों पर हुए खर्च | ··30,37,741 रुपए। |
| (ii) | सीमांकन-कार्य पर खर्च की राशि | ··17,24,422 रुपए। |
| (iii) | हस्ताक्षर करने के लिये इस्लामाबाद गए हुए भारतीय प्रतिनिधियों की यात्रा संबंधी खर्च | ·· 16,100 रुपए। |

(**टिप्पणी**—सीमांकन-कार्य के लिए गुजरात सरकार रक्षा मंत्रालय और गृह-मंत्रालय तथा भारत सर्वेक्षण कार्यालय की ओर से भेजे गये कर्मचारी संबंधी और उनके द्वारा प्राप्त की गयी सहायता के कुछ नामखाते आने बाकी हैं। इन नामखातों के विवरण अभी प्राप्त नहीं हुए हैं।)

**विदेशों में स्थित भारतीय दूतावासों द्वारा भारतीय संस्कृति का प्रतिनिधित्व करना**

4172. **श्रीहरदयाल देवगुण :** क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उनका ध्यान कैलीफोर्निया में भारतीय राजदूत के भाषण तथा 'अमरीकी समाज शास्त्री द्वारा भारतीय गाँवों में महान् परिवर्तन का अनुभव होना (यू० एस० सोसियालोजिस्ट फाउण्डर्स् ड्रामैटिक चेंजेस इन इण्डियन विलेज)' पर एक लेख के बारे में वाशिंगटन स्थित भारतीय दूतावास से प्रकाशित होने वाले 'इण्डियन न्यूज' के 4 और 25 अप्रैल, 1969 के अंकों में प्रकाशित लेख की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) क्या 'इण्डियन न्यूज' की प्रतियाँ सभा-पटल पर रखी जायेंगी; और

(ग) क्या हमारे दूतावासों द्वारा विदेशों में भारतीय संस्कृति का प्रतिनिधित्व के बारे में कोई हिदायतें जारी की गई हैं?

**वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) :**

(क) जी हाँ।

(ख) भारत का दूतावास, वाशिंगटन द्वारा प्रकाशित 'इंडिया न्यूज' की तारीख 4 और 25 अप्रैल, 1969 की एक-एक प्रति सदन के पुस्तकालय में रख दी गयी है।

(ग) विदेश स्थित मारे मिशनों को इस बारे में समय-समय पर अनुदेश जारी किए जाते हैं कि वे ſ, प्रदर्शनी, फिल्म प्रदर्शनी, पुस्तकालयों की स्थापना, पुस्तकों और कला-कृतियों

का प्रदर्शन कर, भारतीय संगीत के रिकार्ड प्रदान कर, सांस्कृतिक मंडलियों आदि की यात्रा के माध्यम से भारत के सांस्कृतिक जीवन का सही चित्र प्रस्तुत करें।

**Promotion of Scheduled caste Employees in External Affairs Ministry**

4173. **Shri Ram Swarup Vidyarthi : Shri Molahu Prashad:**

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 9598 on the 14th May, 1969 and state:

(a) the reasons for no promotions having been made against such posts; and

(b) whether it is proposed to give promations against the said posts by the end of the year ?

**The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh) :**

(a) The Ministry of Home Affairs instructions dated 11th July, 1968 providing for reservation of vacancies for Scheduled Caste and Scheduled Tribes at 12½% and 5% of the vacancies respectively apply to certain catagories of promotion and these categories involve, so far as this Ministry is concerned, the holding of Departmental Examinations. During the period in question, *i.e.*, from the date of issue of the Ministry of Home Affairs instructions to 15th March, 1969, no such Departmental Examinations could be held and therefore no opportunity arose to fill vacancies involving such promotions.

(b) It is proposed to fill by promotion in the near future certain categories of posts to which the reservations of 12½% and 5% referred to in part (a) above, would be applicable. However, as such promotions would involve the holding of Limited Departmental Examinations either by Union Public Service Commission or by this Ministry, no definite time can be set for the promotions.

**Non-officials accompanying the Prime Minister on Foreign Tours**

4174. **Shri Ram Swarup Vidyarthi : Shri Om Prakash Tyagi: Shri Molahu Prashad :**

Will the **Prime Minister** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 7424 on the 23rd April, 1969 and state:

(a) the details of the inward journey to India by the Members of the Prime Minister's family who accompanied the Prime Minister on her foreign tours during the period from March, 1966 to March, 1969;

(b) the amount of foreign exchange sanctioned to each of them or the amount given to them out of the accounts maintained by any of the members of the family in the foreign banks;

(c) whether any of them visited any institutions or firms with which agreements were concluded; if so, the detaits thereof; and

(d) whether any foreign firms or Governments offered collboration to any of them in setting up of industries in India?

**The Prime Minister, Minister of Finance, Minister of Atomic Energy and Minister of Planing (Shrimati Indira Gandhi):**

(a) The requisite information is contained in the enclosed statement.

(b) No foreign exchange was sanctioned for any member of the Prime Minister's family, for purposes of these trips.

(c) and (d) No, Sir.

**Statement**

**The details of the return Journeys of the Members of the Prime Minister's Family who Accompanied her on her Foreign Tours during the period March, 1966 to March 1969**

1. Shri Sanjay Gandhi and Shri Rajiv Gandhi were in U.K. as students at the time when the Prime Minister undertook her State visit to the U.S.A. in March/April, 1966. They accompained the Prime Minister to the USA from Paris in the special plane of the U.S. President and returned with her in the same plane to London where they stayed back, because they were studying in the U.K.

2. Shri Sanjay Gandhi accompanied the Prime Minister from New Delhi on the Prime Minister's visit to the USSR, Yugoslavia and the U.A.R. and returned to India along with the Prime Minister.

3. Shrimati Sonia Gandhi accompanied the Prime Minister from Delhi on her visit to Bhutan and Sikkim in May, 1968 and returned with her.

**Note :** No foreign exchange was sanctioned, and no expenditure was incurred by the Government in respect of the trips referred to. For journeys undertaken in commercial services, the Prime Minister herself paid the air-fare amounting to Rs. 4,921/-.

**Atomic Power Plant in Northern Region**

4175. **Shri Molahu Prasad :** Will the **Prime Minister** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the entire country has been divided into five Regional Power Areas ;

(b) if so, whether the Northern Region is the biggest of all in which Uttar Pradesh, Punjab, Himachal Pradesh, Haryana, Rajasthan, Jammu and Kashmir, Delhi and Chandigarh are included and and whether agricultural and industrial capacity of Northern Region is very high and its land is very fertile :

(c) if so, whether it is also a fact that China and Pakistan are in the neighbourhood of this region and keeping this in view the development of this region due to its strategic importance is also essential ;

(d) whether Government propose to set up a nuclear power station in the Northern Region with a view to meet the shortage of electricity ; and

(e) if so, its location and the time by which the said power station would be set up and if not, the reasons therefor ?

**The Prime Minister, Minister of Finance, Minister of Atomic Energy and Minister of Planning (Shrimati Indira Gandhi):**

(a) Yes, Sir.

(b) to (e) : The Northern Zone is the largest. Government are aware both of the potential and strategic and other importance of the areas incorporated in the Zone, as also of their economic needs. The Fourth Plan does not at present provide for any new nuclear power stations. But the question will naturally be considered at the appropriate stage, in the light of all relevant factors.

### Agro-Industrial Complex in Uttar Pradesh

4176. **Shri Molahu Prasad** : Will the **Prime Minister** be pleased to state :

(a) whether Uttar Pradesh needs nuclear-powered Agro-Industrial complex ;

(b) whether it is proposed to set up a 100 M. W. nuclear Power Station at an early date to meet the power requirement of the State ; and

(c) if so, when it is proposed to be set up ?

**The Prime Minister, Minister of Finance, Minister of Atomic Energy and Minister of Planning (Shrimati Indira Gandhi)** :

(a) A preliminary study has revealed potentialities of increased agricultural production in Western region based on nuclear powered Agro-Industrial Complex.

(b) and (c) The question of a decision will arise only after detailed study, now being undertaken is completed and resources can be identified.

### Educational Qualifications of Ambassadors and Staff of the External Affairs Ministry

4177. **Shri Molahu Prashad** : Will the Minister of **External Affairs** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 8210 on the 30th April, 1969, and state :

(a) the number of each Ambassadors and Officers in the Indian Missions abroad and the Ministry of External Affairs who do not possess any specific educational qualification ; and

(b) whether they were appointed on political consideration ?

**The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh)** :

(a) Nil.

(b) Does not arise.

### नायलोन सूत का वितरण

4179. **श्री सीताराम केसरी** : क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार को देशी और आयातित नायलोन के वितरण के बारे में बहुत से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि नायलोन सूत के अनुचित वितरण से कुछ उद्योगों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है; और

(ग) यदि हाँ, तो सरकार ने नायलोन सूत के उचित वितरण तथा स्थिर मूल्यों में उसकी सप्लाई के लिए क्या कार्यवाही की है?

**वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री चौधरी राम सेवक)** :

(क) और (ख) जी नहीं ।

(ग) स्वदेशी नायलोन धागे के वितरण पर कोई कानूनी नियंत्रण नहीं है। राज्य व्यापार

निगम द्वारा आयातित धागा, विभिन्न बुनकर संघों के माध्यम से वास्तविक प्रयोक्ताओं को वितरित किया जा रहा है और यह कार्य संतोषजनक रुप से चल रहा है।

**Import of Films**

4180. **Shri Om Prakash Tyagi : Shri N. R. Deoghare :**

Will the Minister of **Foreign Trade and Supply** be pleased to state :

(a) the country-wise number of films imported by Government during the year 1968 and the amount of foreign exchange spent thereon ;

(b) the number of Indian films exported during the above period ;

(c) the amount of foreign exchange earned by Government through the export of the said Indian films, ; and

(d) the number of Indian films exported to each country ?

**The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade and Supply (Shri Chowdhary Ram Sewak) :**

(a) to (d) Import and export statistics of films are not maintained by D.G.C.I. & S., Calcutta in numbers. Information about import and export of films is available in lengths. Statement showing country-wise import and export of cinematograph films in length (metres) and valne thereof during 1968-69 is laid on the Table of the House. [**Placed in Library. See No, LT-1739/69**].

**भारत का निर्यात व्यापार**

4181. **श्री लोबो प्रभु :** क्या वै क व्यापार तथा पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि निर्यात-व्यापार में वर्ष 1961 में भारत का स्थान सोलहवें नम्बर पर था जो कम होकर वर्ष 1968 में 22वें नम्बर पर आ गया है तथा हांगकांग का स्थान भी उससे ऊपर है;

(ख) देश के थोक मूल्यों में 50 प्रतिशत की वृद्धि हो गई है जब कि आयात के इकाई मूल्यों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, तो इस अन्तर का भार किसके ऊपर पड़ा है, तथा वर्ष 1968 में मोटे तौर पर कितनी राशि की राज-सहायता तथा रियायतें दी गयीं;——

(ग) चालू वर्ष के व्यापार में अनुमानित 7 प्रतिशत वृद्धि के स्थान पर कितनी वृद्धि हुई; और

(घ) क्योंकि निर्यात के लिए इतना त्याग करना पड़ता है तथा अवमूल्यन के कारण आयात के मूल्य बढ़ गए हैं, क्या सरकार निष्कार्य क्षमता का पूरा उपयोग होने तक संयंत्रों के आयात पर प्रतिबन्ध लगाने पर विचार कर रही है?

**वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (श्री चौधरी राम सेवक) :**

(क) अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा प्रकाशित अप्रैल, 1969 के अन्तर्राष्ट्रीय 'वित्तीय आँकड़े' में दिए गए आँकड़ों के अनुसार निर्यातों के मूल्य के अवरोही क्रम में उन देशों की तुलना में, 1961 तथा 1968 दोनों के सम्बद्ध आँकड़े प्रकाशित किए गए हैं। भारत का दर्जा वर्ष 1961 में सोल-

हवाँ तथा वर्ष 1968 में बाइसवाँ था परन्तु वर्ष 1968 में हांगकांग का दर्जा भारत से नीचे था। 1961 तथा 1968 के बीच भारत के मुकाबले जिन छः देशों ने अपने दर्जे में सुधार किया था उनमें से तीन पेट्रौल निर्यातक देश हैं और दो विकसित देश हैं।

(ख) भारत में, थोक मूल्यों के सूचकांक में वर्ष 1960–61 तथा 1968–69 के बीच लगभग 65 प्रतिशत की वृद्धि हुई है और उसी अवधि में निर्यात के औसत इकाई मूल्यों के सूचकांक में लगभग 51 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। स्वदेशी मूल्यों तथा निर्यात इकाई मूल्यों के बीच अन्तर को पूरा करने का भार अनिवार्यतः सामान्य अर्थव्यवस्था पर पड़ता है।

(ग) चौथी पंचवर्षीय योजना के प्रलेख की तालिका 6 पृष्ठ 40 पर दिया गया वृद्धि का लक्ष्य यह था कि वर्ष 1968–69 में 1340 करोड़ रुपए के अनुमानित निर्यातों की अपेक्षा 1969–70 के वर्ष में 7 प्र० श० की वृद्धि होनी चाहिये, इस लक्ष्य की तुलना में, वर्ष 1969–70 की पहली तिमाही में, जिसके लिए अब तक आँकड़े उपलब्ध हैं, वर्ष 1968–69 की उसी अवधि में प्राप्त स्तर की अपेक्षा निर्यातों में 11.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

(घ) जी नहीं। जहाँ तक संयंत्र के आयात की नीति का सम्बन्ध है। माननीय सदस्य का ध्यान अप्रैल, 1969 से मार्च, 1970 तक के लिए आयात व्यापार नियंत्रण नीति (खण्ड 1) के पृष्ठ 14 के पैरा 68–70 तथा इम्पोर्ट ट्रेड कंट्रोल हैण्डबुक आफ रूल्स एंड प्रोसीजर 1969 के अध्याय 4 की ओर दिलाया जाता है।

## हिमाचल प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण

4182. **श्री प्रेम चन्द वर्मा :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) हिमाचल प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों में 31 मार्च, 1969 तक कितने किलोमीटर लम्बी सड़कें बनाने का लक्ष्य था;

(ख) इसमें से कितना लक्ष्य पूरा हो चुका है;

(ग) यदि यह लक्ष्य पूरा न हुआ तो किन कारणों से;

(घ) चौथी पंचवर्षीय योजना में हिमाचल प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण के लिए कितनी राशि नियत की गई है; और किलोमीटरों में यह लक्ष्य कितना है; और

(ङ) निर्धारित लक्ष्य को निश्चित समय में पूरा करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है?

**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) :**

(क) से (ग) हिमाचल प्रदेश में सीमा-सड़क विकास बोर्ड के अविलम्ब निर्माण कार्यक्रम के अन्तर्गत लगभग 730 किलोमीटर नई सड़कें बनाने और वर्तमान 690 किलोमीटर लम्बी सड़कों-पगडण्डियों को सुधारने का काम शामिल है। मार्च, 1969 के अन्त तक निम्नलिखित काम किया गया:

**नई सड़कें** :—8 फुट से 20 फुट तक के विभिन्न चौड़ाई वाले 654 किलोमीटर मार्ग पर कटान-कार्य।

**वर्तमान सड़कों की मरम्मत**—लगभग 675 किलोमीटर (निर्धारण के अनुसार) मरम्मत।

(घ) सीमा-सड़क विकास बोर्ड का कार्यक्रम पंचवर्षीय योजनाओं से बाहर का कार्यक्रम है और इसकी बजट-व्यवस्था वार्षिक आधार पर की जाती है।

(ङ) निर्माण-कार्य की प्रगति समय-समय पर देखी जाती है। जहाँ तक जनरल रिज़र्व इंजीनियर फोर्स को सौंपे गए काम का सम्बन्ध है, उसके लिए आवश्यकता होने पर अतिरिक्त संसाधन जुटाए जाते हैं। काम के पूरे होने की निर्धारित तारीख के अनुसार जब सार्वजनिक निर्माण विभाग काम पूरा नहीं कर पाता, निर्माण करने वाली एजेन्सी को बदलने के प्रश्न पर विचार किया जाता है और उसमें सम्बन्धित सड़क को बनाने की प्राथमिकता को तथा जनरल रिज़र्व इंजीनियर फोर्स द्वारा उस काम को अपने हाथ में लेने की क्षमता को ध्यान में रख कर उस काम को पहले पूरा किया जाता है।

**गत आम चुनावों में पराजित राजनीतिज्ञों की उच्च पदों पर नियुक्तियाँ**

4183. **श्री महन्त दिग्विजय नाथ**: क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि जो राजनीतिज्ञ गत आम चुनावों में विधान सभा या लोक-सभा की सदस्यता के लिए निर्वाचन में पराजित हो गए थे उन्हें राजदूत या उच्च आयुक्त के पद पर नियुक्त किया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इन उच्च पदों पर ऐसे कितने व्यक्ति नियुक्त किए गए हैं?

**वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह)** :

(क) से (ग) प्रश्न के भाग (क) में उल्लिखित वर्ग के अन्तर्गत चार मिशन प्रमुख आते हैं। विदेश में राजनयिक कार्य के लिए लोक जीवन के प्रतिष्ठित व्यक्तियों को नियुक्त करते समय मोटे तौर पर इस बात का ध्यान रखा जाता है कि जिस काम के लिए उन्हें नियुक्त किया जा रहा है, उसके लिए वे कहाँ तक उपयुक्त हैं, इस बात पर नहीं कि चुनाव में वे सफल हुए थे अथवा असफल।

**सरकारी क्षेत्र द्वारा निर्यात**

4184. **श्री अब्दुल गनी दार** : क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकारी क्षेत्र ने हाल में विकसित तथा विकासशील देशों को गत तीन वर्षों में कितने मूल्य की वस्तुओं का निर्यात किया तथा उससे कितनी विदेशी मुद्रा की आय हुई; और

(ख) उस अवधि में इस्लामिक देशों को कितने मूल्य की वस्तुओं का निर्यात किया गया तथा उनसे आयात की गई वस्तुओं पर कितना धन व्यय किया गया?

**वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री चौधरी राम सेवक)** :

(क) और (ख) अपेक्षित जानकारी एकत्र की जा रही है और यथाशीघ्र सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

## हज यात्रियों को होने वाली कठिनाइयां

4185. **श्री अब्दुल गनी दार** : क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मंत्री को हज यात्रियों को होने वाली विभिन्न कठिनाइयों के बारे में 17 मार्च, 1969 को एक संसद् सदस्य से रिपोर्ट मिली थी;

(ख) क्या इस मामले पर विचार किया गया है; और

(ग) यदि हाँ, तो क्या निर्णय किया गया है और उसकी क्रियान्विति के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

**वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह)**: (क) जी हाँ। सरकार को माननीय सदस्य से रिपोर्ट मिली है जिसमें उन्होंने उन तमाम तकलीफों को बयान किया है जो उनकी 1969 की हज यात्रा के दौरान सऊदी अरब में भारतीय हाजियों को हुई थीं।

(ख) और (ग) जी हाँ। हाजियों की तकलीफों को दूर करने के लिए जो विभिन्न सुझाव दिए गए हैं उन पर भारत सरकार की प्रतिक्रिया अनुबंध में बताई गई है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1740/69]**

## नये विकसित देशों को निर्यात

4186. **श्री अब्दुल गनी दार** : क्या वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में नये विकसित देशों को भारत के निर्यात में से कितनी वृद्धि हुई है; और

(ख) इसके परिणामस्वरूप कितना लाभ प्राप्त किया गया है ?

**वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री चौधरी राम सेवक)** : (क) और (ख) विकासशील देशों को भारतीय निर्यात इस प्रकार रहा है :

| वर्ष | अवमूल्यन उपरान्त के (करोड़ रु० में) |
|---|---|
| 1965–66 | 397.7 |
| 1966–67 | 335.2 |
| 1967–68 | 337.2 |
| 1968–69 | 428.6 |

वर्ष 1965–66 की तुलना में वर्ष 1968–69 में लगभग 8 प्रतिशत वृद्धि हुई है।

## प्रधान मंत्री की विदेश यात्रा

4187. **श्री अब्दुल गनी दार** : क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मंत्री ने गत दो वर्षों के दौरान विदेशों की यात्रा की थी;

(ख) यदि हाँ, तो किन तारीखों को, उन पर कितना खर्च हुआ, दौरे का क्या उद्देश्य था तथा उनसे क्या उपलब्धि हुई;

(ग) क्या उनके साथ कोई कर्मचारी भी गये और यदि हाँ, तो उन पर क्या खर्च हुआ; और

(घ) क्या प्रधान मंत्री को सऊदी अरब, अमेरिका तथा इसराईल से उन देशों का दौरा करने के निमंत्रण मिले हैं, और यदि हाँ, तो प्रत्येक देश की यात्रा के लिए कौन-सी तारीख निश्चित हुई है ?

**वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह)** : (क) से (ग) गत दो वर्षों के दौरान प्रधान मंत्री ने अधिकारियों के साथ विभिन्न देशों की यात्रा की थी। इन यात्राओं और इनमें हुए खर्च का ब्यौरा विवरण में दिया गया है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1741/69**] संबद्ध देशों के आमंत्रण पर जो यात्राएं की गई थीं, वे सद्भावना यात्रा थीं, वे भारत और संबद्ध देशों के बीच विद्यमान मैत्री सम्बन्धों को और मजबूत बनाने और एक-दूसरे के विचारों को और अच्छी तरह समझने के विचार से की गई थीं और यह उम्मीद की जाती है कि इसके परिणामस्वरूप पारस्परिक लाभदायक सहयोग में वृद्धि होगी।

(घ) जी नहीं।

### तारापुर परमाणु केन्द्र में विद्युत-शक्ति का उत्पादन

4188. **श्री बलराज मधोक** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तारापुर परमाणु केन्द्र ने विद्युत्-शक्ति का उत्पादन आरम्भ कर दिया है; और

(ख) यदि हाँ, तो कुल कितनी मात्रा में उत्पादन हुआ, इसकी प्रति इकाई उत्पादन लागत क्या है तथा यह लागत भाखड़ा और शेरावती जैसी बड़ी पन-बिजली परियोजनाओं द्वारा उत्पादित विद्युत्-शक्ति की उत्पादन लागत की तुलना में कितनी कम अथवा अधिक है ?

**प्रधान मंत्री, वित्त मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी)** :

(क) जी, हाँ। बिजली पर अभी उत्पादन-कार्य की आरम्भिक अवस्थाओं में है।

(ख) जुलाई, 1969 तक कुल मिलाकर 237 किलोवाट आवर मिलियन बिजली का उत्पादन किया गया। जब बिजली का व्यापारिक स्तर पर उत्पादन होने लगेगा तब बिजली 5.61 पैसे प्रति किलोवाट-आवर की दर से बेचने का प्रस्ताव है। उत्पादन-मूल्य का सही निर्धारण बिजली-घर के पूरी गति से काम शुरू करने के बाद किया जा सकेगा। तारापुर में पैदा की गई बिजली के मूल्य का मुकाबला भाखड़ा तथा शरावती जैसी बड़ी-बड़ी जल-विद्युत् प्रायोजनाओं में पैदा की गई बिजली के मूल्य से करना उचित नहीं क्योंकि बिजली का उत्पादन मूल्य बहुत सी बातों पर निर्भर करता है जैसे बिजली के लोड का स्वरूप, जल की उपलब्धता और ग्रिड का आकार।

### भारत में यूरेनियम और थोरियम का उत्पादन

4189. **श्री समर गुह** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में यूरेनियम और थोरियम शुद्धावस्था में तैयार किये जाते हैं;

(ख) क्या यूरेनियम तथा थोरियम के विस्फोट्य आइसोटोप्स शुद्ध तत्वों से पृथक किये जाते हैं;

(ग) यदि हाँ, तो यूरेनियम तथा थोरियम के विस्फोट्य आइसटोप्स को पृथक करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है और भारत में प्रतिवर्ष कितना शुद्ध तथा विस्फोट्य यूरेनियम और थोरियम तैयार किया जाता है;

(घ) भारत में शुद्ध तथा विस्फोट्य यूरेनियम तथा थोरियम के उत्पादन तथा विभिन्न रिएक्टरों, जिसमें तारापुर शामिल है, के लिए अपेक्षित 'न्यूबिलयर चार्जेज' में कब तक आत्मनिर्भर होने की आशा है; और

(ङ) भारत द्वारा प्रतिवर्ष शुद्ध विस्फोट तथा आणविक तत्वों का रिएक्टर चार्ज कितनी मात्रा में आयात किया जाता है और उस पर कितनी लागत आती है ?

**प्रधान मंत्री, वित्त मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, तथा योजना मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) :**

(क) जी, हाँ ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(घ) वर्तमान भारतीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम में शोधित विखण्डनशील यूरेनियम का उत्पादन करना शामिल नहीं है । शोधित थोरियम विखण्डनशील नहीं होता लेकिन रिएक्टर में किरणीयन के बाद इससे विखण्डनशील यूरेनियम प्राप्त होता है ।

(ङ) तारापुर परमाणु बिजलीघर और राजस्थान परमाणु बिजलीघर के पहले यूनिट के लिए आयात किये गये न्यूक्लीय ईंधन की मात्रा तथा उसका मूल्य निम्नलिखित है:

| **बिजलीघर** | **ईंधन** | **मात्रा** | | **मूल्य** |
|---|---|---|---|---|
| तारापुर | समृद्ध यूरेनियम | (आरंभ में) | 83 मीट्रिक टन | 10 करोड़ 80 लाख |
| | | (वार्षिक) | 22 मीट्रिक टन | 2 करोड़ 40 लाख |
| राजस्थान | प्राकृतिक यूरेनियम | (आरम्भ में) | 28 मीट्रिक टन | 1 करोड 35 लाख |
| (पहला यूनिट) | | (वार्षिक) | — | — |

## विज्ञान के लिए पृथक मंत्रालय की माँग

4190. **श्री समर गुह** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विश्व के प्रौद्योगिक दृष्टि से उन्नत अधिकतर देशों में वैज्ञानिक विषयों, जिनमें अणु-शक्ति भी शामिल है, के लिये एक विशेष विज्ञान मंत्रालय है;

(ख) यदि हाँ, तो उन देशों के नाम क्या हैं;

(ग) क्या वैज्ञानिक विषयों और विशेषकर अणुशक्ति सम्बन्धी विषयों की कारगर ढंग से निपटाने के लिए एक मंत्री और प्रसिद्ध वैज्ञानिकों से युक्त एक मंत्रालय की आवश्यकता है;

(घ) क्या केन्द्र में एक पृथक विज्ञान मंत्रालय की माँग देश के अनेक वर्गों द्वारा की गई है; और

(ङ) यदि हाँ, तो क्या सरकार एक विज्ञान मंत्रालय स्थापित करने के प्रश्न पर नये सिरे से विचार करेगी ?

**प्रधान मंत्री, वित्त मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) :** (क) और (ख) सरकारी स्तर पर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की संगठनात्मक संरचना भिन्न-भिन्न देशों में अलग-अलग है और समस्त उन्नत देशों के लिए उसका रूप (प्रतिमान) एक जैसा नहीं है ।

(ग) ऐसा विचार किया जाता है कि वर्तमान व्यवस्था संतोषजनक ढंग से काम कर रही है ।

(घ) और (ङ) विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के लिए एक पृथक मंत्रालय बनाने के निमित्त कुछ क्षेत्रों से माँग की गई है । सरकार विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सम्बन्धी विषयों को शिक्षा तथा युवक-सेवा मंत्रालय में मिला देना उचित समझती है ।

### चाँद पर बस्तियाँ बसाना

4191. **श्री समर गुह** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चाँद, जिस पर अब विजय पायी जा रही है, पर विभिन्न अत्यधिक शक्तिशाली राष्ट्रों द्वारा बस्तियाँ स्थापित करने के प्रश्न को लेकर चाँद तथा पृथ्वी पर नये किस्म के हिंसात्मक संघर्ष तथा युद्ध हो सकते हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो क्या भारत सरकार शक्तिशाली राष्ट्रों द्वारा चाँद का बस्तीकरण के प्रश्न को उठाने की पहल करेगी ताकि विश्व के सभी राष्ट्रों द्वारा चाँद पर शाँतिपूर्ण ढंग से बस्तियाँ बसाने के बारे में अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग तथा करार हो सके ?

**वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) :** (क) और (ख) बाह्य अन्तरिक्ष की खोज और प्रयोग करने के सम्बन्ध में, जिसमें चन्द्रमा और अन्य खगोलीय पिंडों की खोज और प्रयोग भी शामिल हैं, राष्ट्रों द्वारा किये जाने वाले कार्यों के संचालन से संबद्ध सिद्धान्तों पर पहले ही संधि हो चुकी है । यह संधि 10 अक्तूबर 1967 को लागू हुई । इस संधि में इस आशय की व्यवस्थाएँ हैं कि संप्रभुता के दावे से या इसके प्रयोग से या इस पर कब्जा जमा करके या किसी अन्य साधन से, कोई राष्ट्र इस पर अपना अधिपत्य नहीं जमा सकता और चन्दमा की जो खोज की जाएगी और उसका जो प्रयोग किया जाएगा, वह सभी देशों की भलाई और हित के लिए किया जाएगा और सम्पूर्ण मानव जाति का इस पर अधिकार होगा । ऐसे कार्य अन्तर्राष्ट्रीय विधि के अनुसार होंगे जिसमें संयुक्त राष्ट्र संघ का चार्टर भी शामिल है, इनसे अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा बनाए रखने में सहायता मिलेगी और अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग और समझबूझ का वातावरण तैयार होगा ।

### नेताजी सुभाष चन्द्र बोस द्वारा मास्को रेडियो से प्रसारण के समाचार

4192. **श्री समर गुह** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिल्ली से प्रकाशित तथा मुद्रित 'विश्व नेता' नामक हिन्दी पत्रिका में प्रकाशित इस आशय के समाचार की ओर दिलाया गया है कि ताशकन्द समझौते पर हस्ताक्षर होने के बाद नेता जी सुभाषचन्द्र बोस ने मास्को रेडियो से प्रसारण किया था ;

(ख) क्या उसी पत्रिका ने नई दिल्ली स्थित रूस के दूतावास द्वारा दिये गये इस मामले से सम्बन्धित उत्तर की फोटोस्टेट प्रतिलिपि प्रकाशित की थी; और

(ग) यदि हाँ, तो क्या प्रकाशित इस समाचार की कोई जाँच कराई जायेगी और यदि हाँ, तो कब तक ?

**वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह)** : (क) और (ख) जी हाँ। रेडियो मास्को के इस पत्र की फोटोस्टैट कापी में 'सुभाषचन्द्र' के नाम का उल्लेख है, 'सुभाषचन्द्र बोस' का नहीं।

(ग) मास्को स्थित हमारे राजदूतावास ने मास्को रेडियो अधिकारियों से पूछताछ की है और उन्होंने बताया है कि भारत के सुभाषचन्द्र नामक एक विद्यार्थी ने यह प्रसारण किया था।

**भारत बौद्ध धर्म के प्रचारक के रूप में काम करने के लिए श्री उ० नू० की प्रार्थना**

4193. **श्रीमती इला पालचौधरी** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बर्मा के भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री उ० नू० ने, जिनका इस समय बम्बई में इलाज किया जा रहा है और जिन्होंने राजनीति से अलग होने का हाल में निश्चय किया है, भारत सरकार से बौद्ध धर्म के पुनरुत्थान के लिए बौद्ध धर्म प्रचारक के रूप में भारत में काम करने की अनुमति माँगी है;

(ख) यदि हाँ, तो इसका पूरा व्यौरा क्या है; और

(ग) उस पर भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह)** : (क) जी हाँ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

**India—A Muslim country**

4194. **Shri Ram Gopal Shalwale :**
**Shri Ranjeet Singh :**
**Shri Jagannath Rao Joshi :**
**Shri Suraj Bhan :**
**Shri Brij Bhushan Lal :**

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that in the last week of May, 1969, a Government spokesman had stated that India was more or less a Muslim country ; and

(b) if so, the basis thereof ?

**The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh)** :

(a) No, Sir.

(b) Does not arise.

**भारत के निर्यात तथा आयात में अन्य देशों द्वारा नियंत्रित कम्पनियों का अंश**

4195. **श्री ज्योतिर्मय बसु**: क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1964-65 से 1967-68 तक की अवधि में वर्षवार भारत द्वारा किये गये निर्यात तथा आयात के कुल मूल्य में अन्य देशों द्वारा नियंत्रित कम्पनियों का अंश (रुपयों तथा प्रतिशत में पृथक-पृथक) कितना था ;

(ख) उपरोक्त अवधि में वर्षवार जूट की वस्तुओं, सूती कपड़े, चाय, खालें, चमड़ा, इंजीनियरी वस्तुओं, इस्पात आदि के मूल्य में अन्य देशों द्वारा नियंत्रित कम्पनियों का कितना अंश था; और

(ग) उपरोक्त वर्षों में प्रत्येक किस्म के इस्पात, पेट्रोलियम, रसायन तथा खाद्य उत्पादों का कितना आयात किया गया ?

**वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री चौधरी राम सेवक):** (क) और (ख) आयात तथा निर्यात के आँकड़े क्षेत्रवार उपलब्ध नहीं हैं क्योंकि व्यापारिक आँकड़े समूचे देश के लिए ही रखे जाते हैं ।

(ग) आयातों के ब्यौरे 'मन्थली स्टैटिक्स आफ फारेन ट्रेड आफ इण्डिया'—खण्ड-2 में प्रकाशित किए जाते हैं जिसकी प्रतियाँ संसद् पुस्तकालय में उपलब्ध हैं ।

**मेसर्स बिड़लाओं द्वारा आयात लाइसेंसों का दुरुपयोग**

4196. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ वस्तुओं के आयात के लिए जारी किया गया आयात लाइसेंस कुछ अन्य वस्तुओं के आयात के लिए परिवर्तित किया जा सकता है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या यह सामान्य नियम है अथवा इसके कुछ अपवाद हैं ;

(ग) क्या सरकार को जिम्मेवार व्यक्तियों से यह शिकायत मिली है कि बिड़ला समूह के नियंत्रणाधीन कई साथों ने चमड़ा उद्योग में काम आने वाले सामान के आयात के लिए चमड़े की वस्तुओं के निर्यातकों को दिए गए बहुत से आयात लाइसेंस खरीद लिए हैं और उन्होंने यह लाइसेंस बाजार में खरीदे हैं तथा उसके बदले में भारत में साबुन उद्योगों को करोड़ों रुपये की भेड़-बकरी की चर्बी बेची है;

(घ) क्या सरकार ने इस शिकायत की कोई जाँच कराई है; और

(ङ) यदि हाँ, तो उसके क्या परिणाम निकले ?

**वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री चौधरी राम सेवक):** (क) जी हाँ। नियम तथा क्रियाविधि की आयात व्यापार नियंत्रण हस्तपुस्तिका के पैराग्राफ 84 तथा 85 के अन्तर्गत कच्चे माल, संघटकों तथा फालतू पुर्जों के लिए वास्तविक उपयोक्ताओं को अपने आयात लाइसेंसों के उपयोग में छूट दी गई है ताकि वे कच्चे माल तथा माल संघटकों की अपनी आवश्यकताओं को अपनी उत्पादन आवश्यकताओं के अनुकूल समायोजित कर सकें । सुस्थापित आयातकों को कतिपय मदों के लिए दिए गए कोटा लाइसेंसों का भी अन्य ऐसी मदों के आयात के लिए उपयोग किया जा सकता है जो अप्रैल, 1969 मार्च, 1970 की अवधि के लिए आयात व्यापार नियंत्रण नीति पुस्तक (भाग 9) के खण्ड 3 के अनुच्छेद में दिखाई गई हैं ।

(ख) उपर्युक्त (क) में उल्लिखित उपबन्ध सामान्य नियम हैं ।

(ग) से (ङ) एक शिकायत प्राप्त हुई है जिसमें यह आरोप है कि बिड़ला समूह के कुछ साथों ने चमड़ा उद्योग में अपेक्षित माल का आयात करने के लिए चमड़े के माल के निर्यातकों

को दिए गए अनेक आयात लाइसेंस खरीदे हैं और इसके बदले में उन्होंने भारत में साबुन उद्योग को करोड़ों रुपये के मूल्य की भेड़-बकरी की चर्बी बेची है ।

पूंजीकृत निर्यातकों के लिए आयात नीति में निर्यातकों को अनुमति है कि वे निर्यात उत्पाद अथवा संघटक अथवा उसके कच्चे माल के निर्माताओं को ऐसे कच्चे माल के आयात के लिए जो उसके (नामित) वास्तविक उपयोक्ता लाइसेंस में शामिल हैं। अपने (नामित) नाम से आयात लाइसेंस प्राप्त करने के लिए नामांकित करें । चमड़े के कतिपय निर्यातकों ने साबुन निर्माताओं को इस आधार पर नामांकित किया कि साबुन का चमड़ा उद्योग में साधित माल के रूप में प्रयोग किया जाता है और इस तरह नामित निर्माताओं ने भेड़ बकरी की चर्बी के लिए आयात लाइसेंस की माँग की जिसके साधारणतया वास्तविक उपयोक्ता लाइसेंसों के अन्तर्गत अनुमति दी जाती है । यह पता लगा कि बहुत से चमड़ा निर्यातकों ने साबुन निर्माताओं के पक्ष में पहले ही नामांकन किए थे जिन्होंने वास्तविक उपयोक्ता लाइसेंसों, जो उनके पास है, के आधार पर प्रतिपूर्ति लाइसेंसों की माँग की थी । कतिपय मामलों में पत्तन लाइसेंसिंग प्राधिकारियों द्वारा ऐसे नामित निर्माताओं को लाइसेंस जारी कर दिये होंगे लेकिन इसे लाइसेंस की बिक्री नहीं माना जा सकता ।

### Accumulation of Tobacco Stocks

4197. **Shri G.C. Dixit:** Will the Minister of **Foreign Trade and Supply** be pleased to state:

(a) the stock and value of inferior quality tobacco accumulated in Madhya Pradesh this year and the reasons therefor;

(b) whether the State Trading Corporation will take over the stock of tobacco and if so, the quantity thereof; and

(c) the quantity and value of inferior and superior quality tobacco exported from Madhya Pradesh during the last three years and the names of countries to which it was exported?

**The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade and Supply (Shri Chowdhary Ram Sewak):**

(a) Government have not received any information about accumuluation of stocks of inferior quality tabacco in Madhya Pradesh this year.

(b) No, Sir.

(c) Statewise export statistics are not maintained.

### Development of Handloom Industry in Madhya Pradesh

4198. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Foreign Trade and Supply** be pleased to state:

(a) the amount spent for the development of Handloom industry in Madhya Pradesh in the year 1968;

(b) the amount proposed to be allocated for the development of this industry in 1969;

(c) the proposals of Madhya Pradesh Government for giving more aid for the development of this industry ; and

(d) whether Government propose to give assistance to those weavers whose families are fully dependent upon it?

**The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade and Supply (Shri Chowdary Ram Sewak):**

(a) Expenditure in 1968-69 was Rs. 19.83 lakhs.

(b) Proposed allocation by State Government during 1969-70 is Rs. 11.11 lakhs.

(c) The Madhya Pradesh Government has proposed a total outlay of Rs. 88.75 lakhs for the development of handloom industry during the Fourth Five Years Plan.

(d) Assistance is given to weavers who are members of Co-operative Societies.

**मध्य प्रदेश में भूमिहीन सैनिकों को भूमि का आवंटन**

4199. **श्री गं० च० दीक्षित** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में गत दो वर्षों में कितने भूमिहीनों सैनिकों को भूमि का आवंटन किया गया; और

(ख) भूमि का आवंटन करने सम्बन्धी कितने आवेदन-पत्र अभी भी होशंगाबाद और पूर्व निमाड़ जिलों में विचाराधीन हैं ?

**प्रतिरक्षा मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मं० रं० कृष्ण) :** (क) और (ख) राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और उसके प्राप्त होने पर उसे सभा के पटल में रख दिया जाएगा ।

**Issue of Import Licences to Madhya Pradesh**

4200. **Shri G. C. Dixit:** Will the Minister of **Foreign Trade and Supply** be pleased to state:

(a) the value of licences issued in the years 1967 and 1968 to Madhya Pradesh for importing capital and consumer goods; and

(b) the value of supplementary import licences issued for capital and consnmer goods?

**The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade and Supply (Shri Chowdhary Ram Sewak):**

(a) and (b) The information is not available as statistics of Import Licences are maintained for the country as a whole and not State-wise or region-wise.

Details of all import licences are published in the "Weekly Bulletin of Industrial licences, Import Licences and Export Licences", which is a priced publication.

**Production of Kosa Cloth**

4201. **Shri G. C. Dixit:** Will the Minister of **Foreign Trade and Supply** be pleased to state:

(a) whether Government have ascertained the reasons due to which the fixed targets of production of Kosa Cloth and the expenditure to be incurred thereon could not be achieved; and

(b) whether it is a fact that the targets were not achieved because the State Government could not spend sufficient amount due to its difficult economic position?

**The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade and Supply (Shri Chowdhary Ram Sewak):**

(a) No production target in respect of kosa cloth as such have been fixed. The estimated

production of kosa cloth in 1968 was 20.64 lakhs metres as against 18.76 lakh metres in 1966.

(b) Does not arise.

**दिल्ली छावनी के गाँवों में नागरिक-सुविधाओं की व्यवस्था**

4202. **श्री बलराज मधोक :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली छावनी की सीमा में आने वाले गाँवों की कुल संख्या कितनी है और उनकी गाँववार जनसंख्या कितनी है ;

(ख) इनमें से कितने गाँवों में नल का पानी, बिजली, नालियाँ, स्कूलों और पार्कों जैसी न्यूनतम नागरिक सुविधाएँ उपलब्ध हैं तथा इन सुविधाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि दिल्ली छावनी के अन्तर्गत आने वाले गाँवों की नागरिक सुविधाओं के मामले में सामान्य स्थिति उन गाँवों से लगे दिल्ली नगरपालिका के अन्तर्गत आने वाले गाँवों की तुलना में बहुत खराब है; और

(घ) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं ?

**प्रतिरक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मं० रं० कृष्ण):** (क) दिल्ली छावनी में 8 गाँव हैं और उनकी जनसंख्या निम्नलिखित है :—

| | |
|---|---|
| नाँगल | 2,200 |
| झरेडा | 1,800 |
| मेहरम नगर | 3,000 |
| पहलादपुर | 550 |
| मंगलपुरी | 700 |
| धौलाकुआँ | 1,300 |
| सराय सोहाल | 600 |
| नरेणा | 600 |

(ख) नलों से पानी पहुँचाने की व्यवस्था नांगल, झरेड़ा, नरेणा और धौलाकुआँ में तथा बिजली की व्यवस्था मेहरम गाँव में उपलब्ध है । नरेणा को छोड़ कर शेष सभी गाँवों में छावनी बोर्ड दिल्ली के प्राइमरी स्कूल हैं । पुराना नांगल, मेहराम नगर और नरेणा के कुछ इलाको में नालियों की व्यवस्था मौजूद है । किसी भी गाँव मे पार्क नहीं है ।

(ग) और (घ) छावनी क्षेत्र के गाँवों में सामान्य सुख-सुविधाओं की ओर अच्छी व्यवस्था करने की आवश्यकता है । इस दिशा में छावनी बोर्ड अपनी आय के अनुसार प्रयास कर रहा है ।

**Disparities in Facilities for officers and other Rank in Army**

4203. **Shri Shashi Bhushan :** Will the Minister of **Defence** be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to the fact that dining rooms, bath rooms, retiring rooms and recreation rooms of officers of Indian army are different from those of junior officers like soldier, Naik, lance Naik etc.;

(b) if so, the reasons for such a disparity among the various cadres in the army when the policy of Government is based on democracy and socialism; and

(c) the steps proposed to be taken by Government to bring about change in this regard ?

**The Minister of Defence (Shri Swaran Singh):**

(a) The scales for dining rooms, bath rooms and recreation rooms are different for officers, JCOs and other ranks; Retiring rooms are not provided in the Army.

(b) The scales prescribed for each category are designed to cater for the reasonable requirements consistent with the normal standard of living of each category.

(c) Does not arise.

### बन्द सूती कपड़ा मिलों का पुनः खोला जाना

4204. **श्री हिम्मतसिहका :** **श्री उमा नाथ :**
**श्री राम मूर्ति :** **श्री इ० के० नायनार :**
**श्री श्री के० रमानी :** **श्री नन्दकुमार सोमानी :**
**श्री सीताराम केसरी :**

क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय सूती कपड़ा निगम द्वारा कुछ अन्य सूती कपड़ा मिलों को पुनः खोला गया है या खोले जाने की सम्भावना है;

(ख) यदि हाँ तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) चालू वित्तीय वर्ष के अन्त में कितनी बन्द मिलों को फिर से चालू किया जायेगा ?

**वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (श्री चौधरी राम सेवक) :** (क) से (ग) राष्ट्रीय सूती कपड़ा निगम की सलाह पर सरकार ने तीन सूती कपड़ा मिलों के लिए प्राधिकृत नियंत्रक नियुक्त किए हैं। जैसा कि राष्ट्रीय सूती कपड़ा निगम ने सिफारिश की थी, यह भी विनिश्चय किया गया है कि एक अन्य सूती कपड़ा मिल के लिए प्राधिकृत नियंत्रक नियुक्त किया जाए। सात सूती कपड़ा मिलों के मामले, जिनके सम्बन्ध में राष्ट्रीय सूती कपड़ा निगम ने सकार द्वारा प्रबन्ध अपने हाथ में लेने की सिफारिश की है, सरकार के विचाराधीन हैं। सरकार केवल उन्हीं मिलों का प्रबन्ध अपने हाथ में लेती है जिन्हें उपयुक्त पूँजी निवेश के द्वारा आर्थिक दृष्टि से सक्षम बनाया जा सकता है।

### सूती कपड़ा सम्बन्धी नीति

4205. **श्री हिम्मतसिहका : वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस वर्ष जून, 1969 मास में बम्बई में हुई भारतीय सूती कपड़ा संघ की ग्यारहवीं वार्षिक साधारण बैठक की ओर दिलाया गया है; जिसमें संघ ने सरकार से हथकरघा विद्युत्-करघा और खादी जैसे विभिन्न क्षेत्रों के बारे में सरकार की सूती कपड़े की नीति में पुनरीक्षण करने और उसे नया रूप देने का अनुरोध किया था;

(ख) यदि हाँ तो उक्त बैठक में क्या मुख्य टिप्पणियाँ और सुझाव दिए गये; और

(ग) उनको ध्यान में रखते हुए सरकार ने इस बारे में क्या निर्णय किया है ?

**वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (श्री चौधरी राम सेवक):** (क) से (ग) सरकार का ध्यान जून 1969 में हुई ग्यारहवीं वार्षिक साधारण बैठक में भारतीय सूती कपड़ा मिल संघ के अध्यक्ष द्वारा दिए गए भाषण की ओर दिलाया गया है जिसमें उन्होंने कहा कि "हमारे लिए अब समय आ गया है जब कि हम भारतीय वस्त्र उद्योग की स्थिति को विश्व वस्त्र उद्योग की तुलना में तीव्र दृष्टि से देखें और निम्नलिखित विषयों पर निर्णय करें :—

(क) हमारे यहाँ कितने क्षेत्र होने चाहिए अर्थात् मिल, हथकरघा, विद्युत् चालित करघा तथा खादी क्षेत्र और इनमें से प्रत्येक क्षेत्र द्वारा कितनी आन्तरिक तथा कितनी निर्यात माँगे पूरी की जानी चाहिए;

(ख) मिल क्षेत्र का ढाँचा किस प्रकार का होना चाहिए जिससे यह अपने नियत कार्य को पूरा कर सके; और ढांचे से मेरा तात्पर्य ऊर्ध्वाधिर समाकलन की सीमा तथा इकाइयों के न्यूनतम आकार सम्बन्धी मामलों से है; और

(ग) मिल क्षेत्र को कितना आधुनिक होना चाहिए ताकि यह सौंपे गए अपने कार्यों को पूरा कर सके ।"

भारतीय सूती कपड़ा मिल संघ द्वारा सरकार के विचारार्थ कोई विशेष प्रस्थापनाएँ नहीं की गई है ।

### फिल्मों का निर्यात

4206. **श्री हिम्मतसिंहका :** क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एशियाई तथा अफ्रीकी देशों में भारतीय दूतों के हाल के सम्मेलन में भारतीय 'फीचर फिल्मों' के निर्यात को बढ़ाने के बारे में विचार किया गया था;

(ख) यदि हाँ, तो इन क्षेत्रों को इन 'फीचर फिल्मों' के निर्यात की जिन सम्भावनाओं का पता लगाया गया था; और

(ग) इन क्षेत्रों के देशों को वर्ष 1968–69 में किया गया वास्तविक वार्षिक निर्यात कितना है और उक्त बातचीत के आधार पर इन निर्यातों में कितनी वृद्धि होने की संभावना है ?

**वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री चौधरी राम सेवक) :**

(क) से (ग) यद्यपि सम्मेलन में एशियाई तथा अफ्रीकी देशों को भारतीय 'फीचर फिल्मों' के निर्यात को बढ़ाने के प्रश्न पर विचार नहीं किया गया था तथापि भारतीय फिल्मों तथा संगीत की लोकप्रियता और पश्चिम एशियाई तथा उत्तर अफ्रीकी क्षेत्र के अधिकतम देशों में 'फीचर फिल्म' और वृत्त-चित्रों के संयुक्त रूप में निर्माण की गुंजाइश के विषय में चर्चा हुई थी । सम्मेल द्वारा इन क्षेत्रों को भारतीय फीचर फिल्मों के निर्यातों की कोई भावी योजनाएँ स्वीकार नहीं की गयीं । 1968–69 में एशियाई तथा अफ्रीकी देशों को भारतीय 'फीचर फिल्मों' के निर्यात का मूल्य 1.33 करोड़ रुपये था ।

## केन्द्रीय आयुध विभाग के कर्मचारियों द्वारा कानपुर में शोक-सभा का आयोजन

4207. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय आयुध विभाग के कर्मचारियों को कानपुर में भारत के राष्ट्रपति की मृत्यु पर शोक प्रकट करने के लिए मजदूर संघ के तत्वावधान के अन्तर्गत शोक-सभा आयोजित करने की अनुमति नहीं दी गई थी;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण थे; और

(ग) उक्त सभा की अनुमति न देने के लिए उत्तरदायी अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ?

**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) :**

(क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

## Kohinoor Mills Ltd., Bombay

4208. **Shri Bansh Narain Singh :** Will the Minister of **Foreign Trade and Supply** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 190 on the 18th February, 1969 and state:

(a) whether the requisite information has since been collected;

(b) if so, the details thereof;

(c) if not, the reasons for which the information could not be collected; and

(d) the time by which the information is likely to be collected and laid on the Table?

**The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade and Supply (Shri Chowdhary Ram Sewak):**

(a) and (b) The requisite information had been collected and supplied to the Department of Parliamentary Affairs towards fulfilment of the assurance on the 5th July, 1969. The information given therein was as in the attached statement.

(c) and (d) Do not arise.

### Statement

(a) The Kohinoor Mills had applied for registration of their unit under the provisions of Industries (Development and Regulation) Act, 1951 on 16th August, 1952 for all the 3 units. The mills were existing long before the Industries (Development and Regulation) Act came into force.

(b) The above mills were registered under the Industries (Development and Regulation) Act 1951. No Special terms and conditions were attached to same. The mills are manufacturing cotton textiles/art silk textiles.

(c) Production figures of cotton textiles/art silk fabrics for the past few years are as follows:—

(Figures in miliions)

| | Cotton Textiles | | Art Silk fabrics | |
|---|---|---|---|---|
| Year | Yarn (Kgs.) | Cloth (mts.) | Metre | Kg. |
| 1963 | 7.16 | 30.66 | 1.46 | .14 |
| 1964 | 7.41 | 33.40 | 1.64 | .17 |
| 1965 | 6.99 | 31.52 | 2.03 | .22 |
| 1966 | 6.81 | 32.04 | 1.63 | .17 |
| 1967 | 5.87 | 30.01 | .86 | .11 |
| 1968 | 6.36 | 36.72 | .51 | .09 |

## पाकिस्तान द्वारा चिट्टगाँव (पूर्व पाकिस्तान) में हथियारों का कारखाना स्थापित करना

4209. **श्री हेम बरुआ :** क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पाकिस्तान ने चीन की सहायता से चिट्टगाँव, पूर्व पाकिस्तान में एक हथियारों का कारखाना स्थापित किया है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार इसको अपनी सुरक्षा के लिए खतरा समझती है; और

(ग) यदि हाँ, तो क्या सरकार ने इसके विरुद्ध विरोध प्रकट किया है; और उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) :** (क) सरकार को यह मालूम है कि पाकिस्तान चीनियों की सहायता से पूर्वी पाकिस्तान में ज्वायदेवपुर नामक स्थान पर एक आर्डनेन्स कारखाना स्थापित कर रहा है। सरकार ने इस आशय की रिपोर्ट भी देखी है कि चीनियों के सहयोग से पूर्वी पाकिस्तान में एक और दूसरा आर्डनेन्स कारखाना स्थापित करने की योजना है।

(ख) पाकिस्तान की सशस्त्र शक्ति अभी भी उसकी रक्षा आवश्यकताओं के अनुपात में काफी अधिक है और उस शक्ति में किसी भी प्रकार की वृद्धि से हमारी सुरक्षा को और अधिक खतरा हो जाता है और उससे दोनों देशों के बीच सामान्य सम्बन्ध बनाने में पाकिस्तान के हटीलेपन को भी और बढ़ावा मिलता है।

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार के दृष्टिकोण से उन्हें अनेक बार अवगत कराया गया है और विरोध-पत्र भेजना आवश्यक नहीं समझा गया है।

## 1966 की विश्व सुन्दरी रीता फारिया का वैध पारपत्र के बिना विदेशों का दौरा

4210. **श्री भगवान दास :** क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भूतपूर्व विश्वसुन्दरी रीता फारिया हाल ही में भारत लौट आई है;

(ख) क्या उसने पहले ऐसे देशों का दौरा किया था जो उसके पारपत्र में दर्ज नहीं थे;

(ग) क्या उसने यात्रा सम्बन्धी विभिन्न नियमों का उल्लंघन किया था;

(घ) क्या सरकार का इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही करने का विचार है; और

(ङ) यदि हाँ तो उसका ब्यौरा क्या है ?

**वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह)** : (क) सरकार ने कुमारी रीता फारिया के सम्बन्ध में ये खबरें देखी हैं कि वे दो महीनों के लिए हाल में भारत आई और यू० के० लौट गईं ।

(ख) कुमारी फारिया ने भारत सरकार से अपना पासपोर्ट पृष्ठांकित कराए बिना संयुक्त राज्य अमरीका और दक्षिण राज्य अमरीका और दक्षिण वियतनाम की यात्रा की ।

(ग) जी नहीं । 24 जून, 1967 से ला पासपोर्ट एक्ट, 1967 लागू हुआ और कुमारी फारिया ने उस तारीख के पहले संयुक्त राज्य अमरीका और दक्षिण अमरीका की यात्रा की ।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठते ।

**भारत-रूस व्यापार**

4211. **श्री रवि राय** : क्या **वैदेशिक-व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रूस के साथ आगामी पंचवर्षीय व्यापार करार के बारे में बातचीत की तैयारी के लिए भारत नई क्रय-सूची तैयार कर रहा है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या यह सच है कि इसके प्रयत्न के रास्ते में रूसी सहायता-प्राप्त परियोजनाओं को छोटा करने तथा भारत के औद्योगिक ढांचे में परिवर्तन करने जैसी कठिनाइयाँ बाधक है; और

(ग) यदि हाँ, तो उसका व्यौरा क्या है ?

**वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री चौधरी राम सेवक)** : (क) से (ग) आगामी पंचवर्षीय व्यापार करार के अन्तर्गत भारत तथा सोवियत संघ के बीच आदान-प्रदान की जाने वाली वस्तुओं की सूचियों पर इस समय विचार किया जा रहा है। वस्तु-सूचियाँ तैयार करते समय रूसी सहायता-प्राप्त विद्यमान परियोजनाओं की आयात आवश्यकताओं में उत्तरोत्तर कमी तथा भारत के औद्योगिक ढाँचे में परिवर्तनों को, अन्य संगत कारकों के साथ, पूर्ण रूप से ध्यान में रखा जा रहा है ।

**रबड़ का मूल्य**

4212. **श्री नन्द कुमार सोमानी** : **श्री वासुदेवन नायर** :

क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रशुल्क आयोग ने रबड़ का न्यूनतम मूल्य 415 रुपये से बढ़ा कर 500 रुपये प्रति क्विंटल तथा अधिकतम मूल्य 416 रुपये से बढ़ा कर 550 रुपये प्रति क्विंटल कर देने की सिफारिश की है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस बारे में सरकार का अन्तिम निर्णय किया है ?

**वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री राम चौधरी सेवक)** : (क) और (ख) टैरिफ आयोग द्वारा अपने प्रतिवेदन में कच्चे रबड़ के न्यूनतम मूल्यों के पुनरीक्षण के बारे में की गई सिफारिशों पर विचार हो रहा है । इन सिफारिशों पर किये गये विनिश्चयों को यथाशीघ्र प्रकट कर दिया जायेगा ।

### पाकिस्तान अधिकृत काश्मीर में सैनिक तैयारियाँ

4213. **श्री पी० सी० अदिचन :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास इस बात का प्रमाण है कि काश्मीर के पाकिस्तानी अधिकृत क्षेत्रों में लोगों को शस्त्रों से पूरी तरह लैस किया गया है और वहाँ विस्फोटक पदार्थ तथा शस्त्र निर्माण करने वाले कारखाने स्थापित किए गए हैं;

(ख) यदि हाँ, तो क्या काश्मीर में युद्ध-विराम रेखा के पास से सशस्त्र पाकिस्तानियों की घुसपैठ की सरकार को कोई आशंका है; और

(ग) ऐसे किसी प्रयत्न को रोकने के लिए सरकार की इस बारे में प्रतिक्रिया क्या है?

**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) :**

(क) सरकार यह जानती है कि पाक-अधिकृत काश्मीर में पाकिस्तान ने काफी बड़ी संख्या में रजाकारों और अन्य छाताधारी सैनिकों को शस्त्रास्त्रों से सज्जित किया है और उन्हें छापामार तरीकों, तोड़फोड़ करने जैसे अन्य कार्यवाहियाँ करने का पूरा प्रशिक्षण दिया है। पाक-अधिकृत काश्मीर में शस्त्र निर्माण करने वाले किसी कारखाने को उनके द्वारा स्थापित किए जाने के सम्बन्ध में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है।

(ख) और (ग) जैसा कि अतारांकित प्रश्न संख्या 2481 के उत्तर में 6 अगस्त, 1969 को बताया गया था, देश की सुरक्षा सम्बन्धी योजनायें बनाते समय इन परिस्थितियों को ध्यान में रखा गया है।

### कांग्रेस अध्यक्ष तथा महासचिव की विदेश यात्रा

4214. **श्री एन० शिवप्पा :** क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि इन्डियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष तथा महासचिव जून, 1969 में विदेश यात्रा पर गए थे; और

(ख) यदि हाँ, तो उनकी यात्रा का प्रयोजन क्या था?

**वैदेशिक-कार्य मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह):**

(क) जी हाँ।

(ख) इण्डियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष और महासचिव के रूप में, संयुक्त अरब गणराज्य, यूगोस्लाविया, जर्मन संघीय गणराज्य और यूनाइटेड किंगडम के निमंत्रण पर इन देशों की यात्राएँ की गई। आस्ट्रिया और इटली की यात्राएँ निजी थीं।

### पारपत्रों का दुरुपयोग

4215. **श्री गार्डिलिगन गौड :** क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री पारपत्रों के दुरुपयोग के बारे में 7 मई, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 8733 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इस बीच जानकारी प्राप्त कर ली गई है; और

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

**वैदशिक-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) :**

(क) और (ख) सूचना इकट्ठी की जा रही है और विवरण सदन की मेज पर रख दिया जाएगा।

**विदेशी सैनिक प्रतिनिधि मण्डलों द्वारा भारत का दौरा**

4216. **श्री गाडिलिंगन गौड : क्या प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 1 जनवरी, 1969 से 30 जून, 1969 की अवधि में विदेशों से ऐसे कौन-कौन से प्रतिनिधि मण्डल भारत आए जिनमें सैनिक विशेषज्ञ शामिल थे;

(ख) उन्होंने किन-किन संस्थापनाओं का दौरा किया; और

(ग) उनके दौरे का उद्देश्य क्या था ?

**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह):**

(क) पहली जनवरी से 30 जून 1969 तक यूगोस्लाविया, फ्रांस, अफगानिस्तान, ब्रिटेन, अमेरिका और सोवियत संघ के सैनिक अधिकारी भारत आए।

(ख) **प्रशिक्षण संस्थान**—नेशनल डिफेन्स कालेज, नई दिल्ली, इंडियन मिलिट्री अकादमी देहरादून, ए० एस० सी० स्कूल, बरैली और नेशनल डिफेन्स अकादमी खड़कवास्ला ।

**रेजीमेन्टल सेन्टर**—राज राइफलस सेन्टर, दिल्ली कैंट, मद्रास इंजीनियरिंग ग्रुप बंगलौर, गोरखा ट्रेनिंग सेन्टर, देहरादून और आर्टीलरी सेन्टर देवलाली।

**उत्पादन यूनिटें**—हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड, बंगलौर, भारत इलक्ट्रोनिक्स लिमिटेड, बंगलौर, क्लाथिंग फैक्टरी, शाहजहाँपुर और हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड, नासिक।

**यूनिट तथा विरचनाएँ**: पैरा ब्रिगेड, आर्मर्ड ब्रिगेड, रिमाउन्ट डिपो, सहारनपुर, आर्टीलरी ब्रिगेड, इक्विन ब्रिडिंग स्टड बाबूगढ़, आर्मी अस्पताल दिल्ली कैन्ट, आर्मी सप्लाई डिपो और बेक्री दिल्ली कैन्ट, सेन्ट्रल आर्डीनेन्स डिपो, कानपुर, एक एयरफोर्स स्टेशन, हाशीभारा और शीलाँग में एयर फोर्स स्थापनायें, एक माउंटेन डिवीजन हेडक्वार्टर और एक को हेड क्वार्टर।

उपयुक्त सूची उन स्थापनाओं की है जहाँ वे गए। प्रत्येक प्रतिनिधि मण्डल ने उपर्युक्त स्थापनाओं में से कुछ ही स्थापनाओं का दौरा किया ।

(ग) ये यात्रायें मुख्यतः सद्भाव दौरे के रूप में ही थीं।

**राजकीय व्यापार निगम के पास निर्यात सम्बन्धी क्रियादेश**

4217. **श्री एन० शिवप्पा : श्रीमती सुधा रेड्डी :**

क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राजकीय व्यापार निगम के पास निर्यात सम्बन्धी क्रयादेशों का नवीनतम ब्यौरा क्या है;

(ख) किन-किन वस्तुओं का निर्यात किया जायेगा और उसका कुल मूल्य कितना है;

(ग) क्या इस वर्ष निर्यात सम्बन्धी क्रयादेशों में ऐसी वस्तुयें शामिल हैं जो अब तक निर्यात नहीं की जाती थीं; और

(घ) क्या फलों, सब्जियों, फूलों जड़ी-बूटियों, तैयार खाद्य पदार्थों तथा ऐसी ही अन्य वस्तुओं के निर्यात को बढ़ावा देने के लिये कोई प्रयत्न किए गए हैं?

**वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री चौधरी राम सेवक) :**

(क) और (ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) जी हाँ। निम्नलिखित नयी मदें शामिल हैं:—

ताजी सब्जियाँ, कट फ्लावर, कार्डी सीड निस्सारण, ट्राइक्लोरो एथिलीन, परक्लोरोएथिलीन तथा एल्युमिनियम सल्फेट, रेडिएटर जुड़नार, इस्पात के तार के रस्से, वस्त्र मशीनें, बल्ब होल्डर्स, छड़ें तथा कायल्स, पी० वी० सी० केबल्स, एम० एस० पिण्ड, दाब वाल्व्ज़, ड्रिल इस्पात, पाइप जुड़नार, पलम्बर, ब्लाक्स, ताले तथा पैडलाक्स, तैयार चमड़े के अपर्स।

(ख) जी हाँ। निगम ने ताजे फलों, सब्जियों, कटफ्लावर्स, साधित खाद्यों, चावलों, दलहन, मसालों आदि की विपणन संभाव्यताओं का पता लगा लिया है और इस विषय में अनुकूल परिणाम निकले हैं।

**विवरण**

**राज्य व्यापार निगम के निर्यात क्रयादेशों की स्थिति तथा उनके कुल मूल्य को दर्शाने वाला विवरण**

**(करोड़ रु० में)**

| क्रमांक | मद | मूल्य |
|---|---|---|
| 1. | कृषि-उत्पाद | 6.64 |
| 2. | रासायनिक पदार्थ | 1.45 |
| 3. | वस्त्र | 10.19 |
| 4. | सामान्य उत्पाद | 0.35 |
| 5. | इंजीनियरी माल | 17.81 |
| 6. | चमड़ा तथा चमड़े की वस्तुएँ | 5.69 |
| 7. | रेलवे उपकरण | 12.00 |
| | | 54.13 |

**हिन्द महासागर में टोह लेने वाली रूसी परमाणु पनडुब्बी**

4218. **श्री एन० शिवप्पा : श्री रामावतार शर्मा : श्री वंश नारायण सिंह : श्री देवकी नन्दन पाटोदिया : श्री भारत सिंह चौहान : श्री यशपाल सिंह : श्री हुकम चन्द कछवाय : श्री बे० कृ० दासचौधरी :**

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 24 जून, 1969 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में प्रकाशित एक समाचार के अनुसार पेकिंग रेडियो ने एक प्रसारण में कहा है कि हिन्द महासागर में एक रूसी परमाणु पनडुब्बी टोह ले रही है और 14 जहाजों का रूसी बेड़ा स्थायी रूप से हिन्द महासागर में ठहरा हुआ था;

(ख) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में वास्तविक स्थिति क्या है; और

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) :**

(क) और (ख) सरकार ने इस आशय की खबरें देखी हैं, किन्तु इस मामले में कोई निश्चित सूचना नहीं है।

(ग) जैसा कि बार-बार यह कहा गया है कि भारत सरकार इस बात के लिए चिन्तित है कि हिन्द महासागर शान्ति और सहयोग का क्षेत्र बना रहे ।

### कोसीपुर फैक्ट्री में हुए गोली कांड की जाँच

4219. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया : श्री यशपाल सिंह :**

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने कोसीपुर में हुए गोलीकांड की आगे जाँच न कराने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या राज्य सरकार द्वारा जाँच का विरोध किया जाना भी इस निर्णय का एक कारण है ?

**प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) :**

(क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

### Employees of Indian Embassies

4220. **Shri Nihal Singh** : Will the Minister of **External Affairs** be pleaesd to **state :**

(a) the number of employees in the Indian Embasssies abroad, country-wise;

(b) the number of Indians among them and of those who are nationals of the country in which each of our embassies is situated; and

(c) whether the Indian employees in our Embassies abroad are getting pay and allowances, equal to that of the foreign nationals and if so, the details thereof?

**The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh):**

(a) and (b) The requisite information is given in the statement. **[Placed in Library See No. LT-1742/69]**

(c) While the pay scales proper of local employees are generally higher than Indian Pay scales, Government incurs larger expenditure on an India-based official than on a local recuit, because of the additional allowances and facilities provided to the former and this difference varies from country to country.

**Military Secretaries Appointed in Rashtrapati Bhavan**

4221. **Shri Nihal Singh:** Will the Minister of **Defence** be pleased to state:

(a) the names of the Generals appointed as Military Secretaries in the Rashirapati Bhavan during the years from 1960 to 1968;

(b) whether Government have ascertained the fact that these Generals constructed their private bungalows during the period of their appointment as Military Secretaries in the Rashtrapati Bhavan;

(c) if so, the names of such Generals and the action taken in respect of them ;

(d) whether it is a fact that one Military Secretary utilised Government's Cement, stones, furniture, iron etc. worth thousands of rupees for constructing his own bungalow in collusion with a C.P.W.D. engineer in Rashtrapati Bhavan ; and

(h) if so, the action taken by Government in this regard?

**The Minister of Defence (Shri Swaran Singh):**

(a) Maj. Gen. Sardar Harnarain Singh (Retd.) from 1.7.57.

Maj. Gen. DGR Rajwade (Retd.) from 16.3.63.

Maj. Gen. GS Gill (Retd.) from 17.7.65.

(b) to (d) The first two did not report acquisition of any immovable property during the relevant period. Maj. Gen. Gill. however, reported acquisition of house property in 1967. No irregularities on the part of the officer in this connection have come to Governments notice.

(e) Does not arise.

**बिहार की खनिज सम्पत्ति**

4222. **श्री यमुना प्रसाद मण्डल : क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि बिहार राज्य में देश की दो-तिहाई खनिज सम्पत्ति है;

(ख) क्या यह भी सच है कि अन्य राज्यों की अपेक्षा उस राज्य का विकास बहुत धीमा है; और

(ग) बिहार राज्य का तेजी से विकास करने के लिए चौथी योजना में क्या-क्या योजनायें बनाई गयी हैं अथवा किन-किन योजनाओं को क्रियान्वित किया जायेगा?

**प्रधान मंत्री, वित्त मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) :**

(क) यद्यपि बिहार राज्य खनिज सम्पदा से भरपूर है, परन्तु देश की खनिज सम्पदा के प्रतिशत के रूप में उसका विस्तार बताना कठिन है।

(ख) सामान्यतया बिहार को अपेक्षाकृत पिछड़ा राज्य समझा जाता है।

(ग) चौथी पंचवर्षीय योजना प्रारूप 1969-74, जिसकी एक प्रति अप्रैल, 1969 को सभा-पटल पर रखी जा चुकी है, के पृष्ठ 65-66 में दी गई सूचना की ओर ध्यान दिलाया जाता है। केन्द्रीय सहायता का दस प्रतिशत केवल पिछड़े राज्यों में वितरण के लिए निर्धारित किया गया है और इस सूत्र के अन्तर्गत लाभान्वित होने वालों में बिहार एक है। बोकारो इस्पात संयंत्र के लिए अधिक नियतन को ध्यान में रखते हुए, चौथी योजना अवधि में इस राज्य में औद्योगिक विकास पर काफी केन्द्रीय विनियोजन होने की सम्भावना है।

**नेपाल द्वारा उपहार पार्सल योजना का दुरुपयोग**

4223. **श्री मधु लिमये** : क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नेपाल उपहार पार्सल योजना के अन्तर्गत अन्य देशों से विलासिता की वस्तुओं का आयात कर रहा है ताकि उसे अन्ततः भारतीय बाजारों में खपाया जा सके;

(ख) भारत से हो कर फारस की खाड़ी में दुबाई तथा अन्य देशों से नेपाल को प्रति मास लगभग कितने मूल्य के उपहार पार्सल का आयात होता है तथा प्रति सप्ताह कितनी बार विमानों की उड़ानें होती हैं; और

(ग) इस योजना के अन्तर्गत आयात किए हुए माल की तस्करी के विरुद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

**वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री चौधरी राम सेवक) :**

(क) से (ग) समाचार है कि नेपाल उपहार पार्सल योजना के अन्तर्गत तीस देशों से उपहार पार्सलों के द्वारा उपभोक्ता माल का आयात कर रहा है। कलकत्ता से काठमांडू तक प्रति सप्ताह औसतन लगभग 12 विमान उड़ानें होती हैं और उनके द्वारा ले जाए गए माल में अन्य वस्तुओं के साथ-साथ नेपाल द्वारा उपहार पार्सलों के रूप में तीसरे देशों से आयातित माल भी शामिल हो सकता है। नेपाल में आयातित उपहार पार्सलों के मूल्य के सम्बन्ध में जानकारी उपलब्ध नहीं है।

सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) के अन्तर्गत नेपाल से भारत में तीसरे देश के उद्भव के माल के आयात पर रोक है। तस्करी को रोकने के उद्देश्य से भारत-नेपाल सीमा पर निगरानी कड़ी कर दी गई है और निवारक प्रबन्धों को मजबूत बनाने के लिए अनेक उपाय किए गए हैं जिनमें ये शामिल हैं: अतिरिक्त स्टाफ का लगाया जाना, निवारक संगठनों के मध्य अच्छा समन्वय और सीमाशुल्क (संशोधन) अधिनियम, 1969 के उपबन्धों का उपयोग।

**World Assembly for Press**

4224. **Shri Ramavatar Shastri : Shri Onkar Lal Berwa:**

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that World Assembly for Peace was held in Berlin from the 21st to 24th June, 1969; if so, the name of the organiser;

(b) whether it is also a fact that the number of Indian representatives in the Assembly was the largest ;

(c) if so, their number and names of the prominent Indian representatives;

(d) whether it is further a fact that a Resolution on the main international issues has also been passed in that Assembly; and

(e) if so, the details thereof and the reaction of Government thereto?

**The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh):**

(a) Yes, Sir. The Assembly was convened jointly by some international organisations including the International Confederation of Disarmament, the War Resisters International,

Quackers, Ammesty International, Christian Peace Conference, International Confederation of Arab Trade Unions, World Federation of United Nations Association, Women's International League for Peace and Freedom, World Federation of Scientific Workers, Berlin Conference of Catholic Christians (European countries), Stockholm Conference on Vietnam, International Committee in Support of Arab Peoples, World Esperantists for Peace, World Federation of Trade Unions, Arab Lawyers Federation, Afro-Asian People's Solidarity Organisation, World Council of Peace.

(b) Government is not aware of the numerical strength of all delegations which participated in the Assembly.

(c) The final list of Indian delegates submitted by the All India peace Council included:—

1. Shri K.D. Malaviya.
2. Maulana Ishaq Sambhali, M.P.
3. Dr. Mulk Raj Anand.
4. Shri O.P. Paliwal.
5. Shri Chitta Biswas.
6. Shri B.D. Wadhawa.
7. Shri Jagat Prakash.
8. Shri R. Achutta Menon.
9. Shri K.P.S. Menon,
10. Shri Harish Chandra.
11. Shri H.R. Gokhale.
12, Dr. S.K. Sen.
13. Miss Sumitra Chakravarty.
14. Shri Madhu Pannikkar,
15. Shri I.S. Dewan.
16. Shri Vishwamitra Upadhyay.
17. Shri N.C. Kasliwal.
18. Shri Chandrashekhar Reddy.
19. Dr. Dwaraka Bai.
20. Shri Nilmani Phookan.
21. Prof. Anil Sharma.
22. Shri M.N. Dutt Barua.
23. Shri K.P. Verma.
24. Shri Gopal Appa Kamat. M.L.A.
25. Shri Jayant Hargovind Shukla.
26. Shri Jashwant Singh Chauhan.
27. Shri Paras Ram, M.L.A.
28. Shri Yagya Dutt Sharma M.L.A.
29. Prof. Nusrat Bano Ruhi.
30. Shri J.C. Kothari.
31. Shri Dinesh Prasad Pandey.
32. Shri Balchandra Lagad.
33. Shri Dhanraj Acharyya.

34. Shri Sheodhan Mal.
35. Shri A.T. Samachar.
36. Shri T.R. Subbarao.
37. Shri Hameed Shah.
38. Shri B.K. Rajashekhar.
39. Dr. T. Parthasarathi.
40. Shri Ajit Singh Sarhadi.
41. Shri Brahmananda Panda, M.P.
42. Shri Amar Singh Chaturvedi.
43. Dr. V. Ramakrishnan.
44. Shri A.S.K. Iyengar.
45. Shri M.S. Sivasamy, M.L.A.
46. Shri M. Balasubramaniam.
47. Shri Isajje.
48. Shri J.A. Subbaraju, M.L.A.
49. Dr. Raj Kapur.
50. Shri Prem Narain Bhargava.
51. Shri P.C. Jain.
52. Shri Jalil Abbasi M.L.A.
53. Dr. Raghubir Chakravarity.
54. Shri Bejoy Bhattacharyya.
55. Shri Nand Lal Tantia.
56. Smt. Bina Choudhry.
57. Dr. D.N. Ganguli.
58. Dr. N.K. Munshi.
59. Shri Shiv Ram.
60. Shri V.K. Krishna Menon, M.P.
61. Shri R.K. Khadilkar, M.P.
62. Smt. Violet Alva, M.P.
63. Smt. Aruna Asaf Ali.
64. Shri Joachim Alva M.P.
65. Shri Bhupesh Gupta, M.P.
66. Shri Chandrajeet Yadav, M.P.
67. Giani Gurmukh Singh Musafir, M.P.
68. Dr. Abdul Aleem.
69. Smt. Perin Romesh Chandra.
70. Shri K.P. Ganesh M.P.
71. Smt. Hamida Habibullah, M.L.A.
72. Shri Rajendra Singh Bhatia.
73. Shri Y.D. Sharma.
74. Shri Bassavraja Kattimani.
75. Prof. Mohan Singh.

(d) Yes, Sir

(e) Hon. Members would have undoubtedly seen the published Press versions of the Resolutions in the Assembly.

As the Assembly was a meeting of private organisations and not of Governments, the question of Government's reaction does not arise.

**यूनेस्को के प्रशासनिक अधिकारी श्री दीवान को राजनयकों में शामिल करना**

4225. **श्री मधु लिमये :** क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एक संसद् सदस्य ने सरकार का ध्यान नई दिल्ली स्थित यूनेस्को कार्यालय के प्रशासनिक अधिकारी, श्री एस० पी० दीवान का नाम अप्रैल, 1969 की राजनयिक सूची में शामिल करने की ओर दिलाया है;

(ख) क्या यह सच है कि श्री दीवान इस कार्यालय में गैर-अंतर्राष्ट्रीय कर्मचारी हैं;

(ग) क्या यह भी सच है कि नई दिल्ली में एक न्यायालय में श्री दीवान के विरुद्ध तस्करी के आरोप पर कानूनी कार्यवाही चल रही है और भारत सरकार द्वारा अन्य मामलों में उनके विरुद्ध जाँच भी की जा रही है;

(घ) यदि हाँ, तो श्री दीवान को क्यों तथा किस आधार पर राजनयिक दर्जा प्रदान किया गया है;

(ङ) क्या देश के कानूनों के इस उल्लंघन के विरुद्ध कार्यवाही बन्द करने का सरकार का विचार है;

(च) क्या सरकार ने इस बात की जाँच की है कि इतना बड़ा अनौचित्य कैसे हुआ; और

(छ) यदि हाँ, तो सरकार ने गलती को सुधारने के लिए क्या कार्यवाही की है और दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

**वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) :**

(क) और (ख) जी हाँ।

(ग) इस कार्यवाही का संबंध वित्त मंत्रालय से है।

(घ) श्री दीवान को राजनयिक दर्जा नहीं दिया गया है।

(ङ) से (छ) प्रश्न नहीं उठते।

**संयुक्त राष्ट्र अभिकरणों में कार्य करने वाले भारतीय नागरिकों का राजनयिक सूची में शामिल करना**

4226. **श्री मधु लिमये** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में संयुक्त राष्ट्र अभिकरणों के अन्तर्राष्ट्रीय कर्मचारियों के रूप में कार्य करने वाले कुछ भारतीयों के नाम राजनयिक सूची में शामिल किए गए हैं;

(ख) यदि हाँ, तो क्या ऐसे कर्मचारियों को राजनयिक विशेषाधिकार प्राप्त हैं;

(ग) क्या संयुक्त राष्ट्र अभिकरणों के गैर-अन्तर्राष्ट्रीय कर्मचारियों के नाम भी राजनयिक सूची में शामिल किए जा सकते हैं; और

(घ) यदि हाँ, तो क्या उन्हें राजनयिक दर्जा दिया जाता है?

**वैदेशिक-कार्य मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) :**

(क) जी हाँ।

(ख) जी नहीं।

(ग) जी हाँ।

(घ) जी नहीं।

**ऊनी कपड़ा उद्योग के आयात में अनियमितताएँ**

4227. **श्री मधु लिमये** : क्या **वैदेशिक-व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान अक्तूबर, 1962 से ऊनी कपड़ा उद्योग के लिए ऊन, नाइलोन, ऊनी धागे तथा ऊन की बनी अन्य वस्तुओं के आयात में तथा विभिन्न कारखानों को इन वस्तुओं के आवंटन में की गई अनियमितताओं के सम्बन्ध में प्राक्कलन समिति (चतुर्थ लोक-सभा) के 87वें प्रतिवेदन की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या इस मामले में सरकार द्वारा किन्हीं अधिाकरियों/व्यक्तियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही आरम्भ की गई है;

(ग) क्या विभागीय जाँच आदि होने तक किसी अधिकारी को मुअत्तल किया गया है; और

(घ) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है?

**वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री चौधरी राम सेवक) :**

(क) जी हाँ।

(ख) वस्तु आयुक्त के संगठन में एक निदेशक श्री आर० जी० जलानी के पास उसकी आय के ज्ञात साधनों के अनुपात से अधिक परिसम्पत्तियाँ होने पर उसके विरुद्ध ग्रेटर बम्बई के विशेष न्यायाधीश की अदालत में 20 जनवरी, 1969 को केन्द्रीय जाँच ब्यूरो द्वारा एक आरोप-पत्र दाखिल किया गया है। केन्द्रीय जाँच ब्यूरो मैसर्स मार्डन वुलन मिल्स, जिके सम्बन्ध में प्राक्कलन समिति द्वारा प्रतिकूल आलोचना की गई थी, से सम्बन्धित कुछ व्यक्तियों के विरुद्ध मुकदमे चलाने का विचार कर रहा है। प्राक्कलन समिति के प्रतिवेदन में निर्दिष्ट अन्य मामलों पर विचार किया जा रहा है।

(ग) और (घ) वस्त्र आयुक्त के संगठन में निदेशक श्री आर० पी० जलानी को 24 दिसम्बर, 1969 से मुअत्तिल कर दिया गया है।

**अन्तर्राष्ट्रीय नियन्त्रण आयोग की अध्यक्षता समाप्त करना**

4228. **श्री दी० चं० शर्मा** । क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि भूतपूर्व हिन्द-चीन राज्य में अन्तर्राष्ट्रीय नियंत्रण आयोग की भारत की अध्यक्षता भारत पर एक भार बनती जा रही है;

(ख) क्या उसे समाप्त करने की वांछनीयता पर विचार किया गया है; और

(ग) यदि हाँ, तो उसका क्या परिणाम निकला?

**वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह ):**

(क) जी नहीं। हिन्द चीन की अत्यधिक कठिन वर्तमान परिस्थितियों में भी भारत अन्तर्राष्ट्रीय नियंत्रण आयोग के अध्यक्ष के रूप में यथाशक्ति अपने कर्त्तव्यों का पालन करने का प्रयत्न कर रहा है।

(ख) और (ग) सरकार का मत यह है कि जब तक संबद्ध पक्ष अन्तर्राष्ट्रीय नियंत्रण आयोग को बनाए रखना चाहते हैं, तब तक इसके अध्यक्ष के रूप में भारत अब भी लाभदायक काम कर सकता है।

**सेना में जवानों तथा अधिकारियों को दंड देने सम्बन्धी नियम**

4229. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि जवानों तथा अधिकारियों द्वारा किए गए एक ही प्रकार के अपराधों के लिए बनाए गए नियमों तथा अधिनियमों के अन्तर्गत दंड देने की भिन्न-भिन्न प्रक्रिया तथा शर्तें हैं।

(ख) यदि हाँ, तो क्या इन नियमों में इस प्रकार की विषमता को दूर करने का कोई विचार है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) :**

(क) से (ग) कुछ भिन्नताओं को छोड़ कर, जैसे—

(1) ऐसे कुछ अपराधों के लिए जो कि अफसरों से अपेक्षाकृत अधिक जिम्मेदारी की अपेक्षा से सम्बन्धित हो, अफसरों को अधिक सख्त दण्ड देना; और

(2) प्रशासनिक आधारों पर भिन्नता;

थल सेना अधिनियम के अन्तर्गत आने वाले सभी व्यक्तियों द्वारा किए जाने वाले अपराधों के लिए निर्धारित दण्ड और प्रक्रियाएँ समान हैं।

वर्तमान व्यवस्थाएँ उपयुक्त हैं और उनमें संशोधन करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

**अशोधित लौह-अयस्क का निर्यात**

4230. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अशोधित लौह-अयस्क का निर्यात बन्द करने का विचार है; और

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है?

**वैदेशिक-व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री चौधरी राम सेवक) :**

(क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

### Trade Agreements

4231. **Shri Ram Singh Ayarwal:** **Shri Bharat Singh Chauhan:**
**Shri Hukum Chand Kachwai:** **Shri Nathu Ram Ahirwar:**
**Shri Onkar Lal Berwa:** **Shri R. N. Deoghare:**

Will the Minister of **Foreign Trade and Supply** be pleased to state :

(a) the names of the countries with which Government have concluded agreements during the years 1968-69 and 1969-70 so far for economic assistance and promotion of foreign trades ;

(b) the value of goods in terms of Indian currency to be imported and exported respectively under these agreements and the names of such goods; and

(c) the amount of financial assistance being received for Plan and for non-Plan purposes respectively?

**The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade and Supply (Shri Chowdhary Ram Sewak):**

(a) Government have concluded Trade Agreements/Arrangements with the following countries during the years 1968-69 and 1969-70 :—

Finland, Thailand, Bulgaria, GDR, Rumania, Poland, D.P.R, (North Korea) and Afghanistan.

Agreements have also been cuncluded for Economic Assistance with Austria, Belgium Canada, Denmark, France, W. Germany, Italy, Japan; Netherlands, United Kingdom, U.S.A., Norway, Sweden, Australia and Argentina.

(b) The value of Indian imports & Exports during 1969 as a rusult of Trade and Payment Agreements with the Rupee payment countries are expected to be of the order of Rs. 11.76 crores and 11.81 crores respectively. In regard to the other countries, no limit has been fixed for imports and exports to be effected as a result of agreements concluded with these countries.

List of goods to be exchanged between the respective countries have been appended to the Agreements, copies of which are available in the Parliament Library.

(c) 1229.1 and 261.4 million U.S. dollars for the year 1968-69 and 1969-70 respectively.

All the assistance received by Government is for Plan purposes only.

### आगरा और जोधपुर के निकट भारतीय नौसेना के विमानों का दुर्घटनाग्रस्त होना

4232. श्री यमुना प्रसाद मंडल : श्री स० मो० बनर्जी :
श्री वाल्मीकि चौधरी : श्री ज्योतिर्मय बसु :
श्री जनार्दनन : श्री जुगल मंडल :
श्री रघुवीर सिंह शास्त्री : श्री भारत सिंह चौहान :
श्री वंश नारायण सिंह : श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री न० रा० देवधरे : श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :
श्री विश्वनाथ पांडेय : श्री बें० कृ० दास चौधरी :
श्री रा० रा० सिंह देव :

क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि 1 जुलाई, 1969 को भारतीय नौसेना के दो विमान आगरा और जोधपुर के निकट दुर्घटनाग्रस्त हो गए थे;

(ख) यदि हाँ, तो इन दुर्घटनाओं के परिणामस्वरूप कितने व्यक्ति मारे गए;

(ग) सम्पत्ति की अनुमानित हानि कितनी हुई;

(घ) क्या जाँच का आदेश दिया गया है; और

(ङ) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है?

**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) :**

(क) और (ख) जी हाँ। 30 जून, 1969 को आगरा के पास एक विमान-दुर्घटना में वायु सेना के 14 कार्मिक मारे गए। उसी दिन जोधपुर में एक हेलीकाप्टर दुर्घटना में वायुसेना के 4 कार्मिक और 8 सिविलियन मारे गए।

(ग) से (ङ) दोनों मामलों में अदालती जाँच का आदेश दिया गया था। इस समय अदालती जाँच की रिपोर्टें वायु-सेना मुख्यालय में विचाराधीन हैं।

### Construction of a Long Trench by Pakistan from Chittagong to Sylhet

4233. **Shri Shashi Bhushan : Shri Onkar Lal Berwa : Shri Kirit Bikram Deb Burman :**

Will the Minister of **Defence** be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to the report that Pakistan Government have taken up the construction of a long trench from Chittagong to Sylhet along East Pakistan border adjoining Tripura and the construction work is being done with hectic speed; and

(b) if so, the reaction of Government thereto?

**The Minister of Defence (Shri Swaran Singh):**

(a) Yes, Sir, the Government has seen the report.

(b) Such activities are duly taken note of.

### Manufacture of Guided Missiles

4334. **Shri Shashi Bhushan : Shri Kanwar Lal Gupta: Shri Chengalraya Naidu: Shri N. R. Laskar: Shri Beni Shankar Sharma :**

Will the Minister of **Defence** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that he had made an announcement during the last Session of Parliament that guided missiles could be made in India and if so, whether these guided missiles would be made in India completely ;

(b) whether Government have ascertained that all the parts of these missiles can be manufactured in the private and public factories in the country;

(c) whether Government would try to make complete missiles indigenously so that taking recourse to foreign collaboration is avoided; and

(d) whether Government have appointed a Committee comprising of scientific research workers and the workers of his Ministry to achieve this end and have asked this Committee to submit its report soon?

**The Minister of State in the Ministry of Defence (Shri L. N. Mishra):**

(a) to (d) An announcement had been made that some proposals for production of missiles in the country under licence, were under consideration. The proposals are still under consideration. Details cannot be discussed in the public interest.

### यूरोपीय आर्थिक साझा बाजार के देशों को भारतीय चाय का निर्यात

4235. **श्री नन्द कुमार सोमानी :** क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि यूरोपीय साझा बाजार के देशों में भारतीय चाय सबसे अधिक मँहगी पेय वस्तु है;

(ख) यदि हाँ, तो भारत, लंका तथा अन्य स्थानों से यूरोपीय साझा बाजार के देशों में कितनी-कितनी मात्रा में चाय का आयात हुआ तथा उनके तुलनात्मक मूल्य क्या थे; और

(ग) यूरोपीय साझा बाजार क्षेत्र में अपने बाजार भाव की स्थति में सुधार करने के लिये सरकार द्वारा क्या प्रभावपूर्ण उपाय करने की सम्भावना है?

**वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री चौधरी राम सेवक):**

(क) अन्य चायों की तुलना में भारतीय चाय का औसत मूल्य यूरोपीय साझा बाजार के सभी देशों में सबसे अधिक है।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) वर्ष 1964 से चाय बोर्ड यूरोपीय साझा बाजार के देशों में भारतीय चाय का संवर्धन-कार्य कर रहा है। विपणन सम्बन्धी कठिनाइयों के बावजूद स्थानीय संवेष्टनकर्त्ताओं द्वारा शुद्ध भारतीय चाय के अनेक पैकटों का विपणन किया जा रहा है। बोर्ड के संवर्धनात्मक कार्यकलापों में मुख्यत: ये शामिल हैं: महत्वपूर्ण स्थानों पर उपभोक्ताओं की पसंद का पता लगाना तथा माल का सार्वजनिक प्रदर्शन, स्थानीय प्रदर्शनियों और मेलों में उनके नमूने देना और प्रदर्शित करना तथा चाय की वर्धित खपत के लिए सामान्य संवर्धन के अतिरिक्त समाचार-पत्रों में सीमित विज्ञापन देना।

भारत सरकार द्वारा वर्ष 1968 तथा 1969 में चाय पर लगने वाले सीमाशुल्क और निर्यात-शुल्क में दी गयी राजस्व सम्बन्धी राहतों से, सामान्य रूप में, यूरोपीय साझा बाजार में भारतीय चाय के निर्यातों में की सहायता मिलनी चाहिये।

### विवरण

यूरोपीय साझा बाजार के देशों को निर्यात की गई भारतीय चाय के बारे में विवरण।

I वर्ष 1968 में आयात की गई चाय के रुपयों में प्रति किलोग्राम औसत मूल्य इस प्रकार थे:—

| | नीदरलैंडस् (रुपये) | जर्मनी (रुपये) | फांस (रुपये) | इटली* (रुपये) | बेल्जियम (रुपये) |
|---|---|---|---|---|---|
| भारत | 8.73 | 11.02 | 16.36 | 9.37 | 15.21 |
| श्रीलंका | 7.82 | 10.13 | 12.87 | 8.25 | 9.88 |
| इन्डोनेशिया | 5.01 | 5.86 | उपलब्ध | नहीं | हैं— |

II. वर्ष 1968 में विभिन्न देशों से यूरोपीय साझा बाजार के देशों में आयात की गई चाय के आँकड़े इस प्रकार हैं

(आंकड़ हजार किलोग्राम में)

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| भारत | 2,869 | 3,974 | 379 | 233 | 16 |
| श्रीलंका | 3,507 | 2,657 | 1,721 | 1,080 | 69 |
| इन्डोनेशिया | 10,575 | 1,484 | उपलब्ध | नहीं | हैं। |
| अन्य देश | 15,871 | 864 | 1,053 | 383 | 796 |
| जोड़ | 32,822 | 8,979 | 3,153 | 1,696 | 881 |

**खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा मैंगनीज अयस्क का निर्यात**

4236. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : क्या वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) रामबहादुर ठाकुर एण्ड कं० के माध्यम से खनिज तथा धातु व्यापार निगम के द्वारा मई, 1969 से 31 जुलाई, 1969 तक कितना मैंगनीज अवस्क का निर्यात हुआ; और

(ख) जिन देशों को अब तक इसका निर्यात किया गया है, अनेक नाम क्या हैं ?

**वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री चौधरी राम सेवक) :**

(क) और (ख) खनिज तथा धातु व्यापार निगम ने मई, 1969 से 31 जुलाई, 1969 की अवधि में चैकोस्लोवाकिया को 27,214 मे० टन मैंगनीज अयस्क का निर्यात किया। इस निर्यात के लिए मे० राम बहादुर ठाकुर एण्ड कं० से अयस्क प्राप्त किया गया था।

**एक्सरे फिल्मों की कमी**

4237. **श्री मोहन स्वरूप : श्री रामचरण :**
**श्री० विश्वम्भरन :**

**क्या वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि देश में एक्सरे फिल्मों की भारी कमी है;

(ख) क्या यह भी सच है कि कुछ देश इन फिल्मों का निर्यात करने के इच्छुक हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या इस कमी को पूरा करने के लिए एक्सरे फिल्मों के आयात हेतु सरकार ने कोई लाइसेंस जारी किए हैं; और

*इटली के बारे में अक्तूबर, 1968 को समाप्त हुए 10 महीनों के आँकड़े दिए गए हैं।

(घ) यदि हाँ, तो किन-किन देशों ने भारत को एक्सरे फिल्मों का निर्यात करने की इच्छा व्यक्त की है?

**वैदेशिक-व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री चौधरी राम सेवक):**

(क) जी हाँ।

(ख) से (घ) जर्मन लोकतंत्रीय गणराज्य, प० जर्मनी तथा ब्रिटेन से विदेशी सम्भरण-कर्ताओं के भारतीय एजेंटों ने एक्स-रे फिल्मों के तुरन्त संभरण करने की इच्छा प्रकट की है। एक विवरण, जिसमें अपेक्षित जानकारी दी गई है, संलग्न है।

**विवरण**

| लाइसेंस | जारी किए गए लाइसेन्सों के मूल्य (रु०) | सम्भरणकर्ता देश | टिप्पण |
|---|---|---|---|
| 1. राज्य व्यापार निगम | 30 लाख | जर्मन लोकतंत्रीय गणराज्य, 1969 व्यापार योजना | |
| राज्य व्यापार निगम | 20 लाख | जर्मन लोकतंत्रीय गणराज्य, 1969 व्यापार योजना | 2 लाख रु० लागत मूल्य की ऐक्स-रे फिल्मों को हवाई जहाज द्वारा भेजा जाना है। |
| 2. राज्य व्यापार निगम | 10 लाख | हंगरी, 1969 व्यापार योजना | |
| 3. मेसर्स एग्फा | 1.5 लाख | जी० सी० ए० | |
| | 5 लाख | जी० सी० ए० | 3.5 लाख रु० लागत की ऐक्स-रे फिल्में पहले ही हवाई जहाज द्वारा आयात की जा चुकी हैं। |
| | 20 लाख | प० जर्मनी से उधार पर | |
| 4. मैसर्स कोडक | 1.5 लाख | जी० सी० ए० | |
| | 5 लाख | जी० सी० ए० | 3 लाख रु० लागत की ऐक्स-रे फिल्में पहले ही हवाई जहाज द्वारा आयात की जा चुकी हैं। |
| | ?0 लाख | ब्रिटेन से उधार पर | |

**पश्चिम बंगाल में सैनिक स्पेशल गाड़ी का लूटा जाना**

4238. **श्री यमुना प्रसाद मंडल :** **श्री दा० ना तिवारी :**
**श्रीमती इला पालचौधरी :** **श्री जुगल मंडल :**
**श्री यशपाल सिंह :** **श्री महन्त दिग्विजय नाथ:**
**श्री रामवतार शर्मा :** **श्री च० का० भट्टाचार्य :**
**श्री सीताराम केसरी :** **श्री भारत सिंह चौहान :**
**श्री हुकम चन्द कछवाय :** **श्री वंशनारायण सिंह :**
**श्री नाथू राम अरिवार :** **श्री न० रा० देवधरे :**
**श्री विश्वनाथ पांडेय :** **श्री वीरेन्द्र कुमार शाह :**
**श्रीमती ज्योत्स्ना चन्दा :** **श्री रा० कृ० बिड़ला:**
**श्री मोहन स्वरूप :** **श्री वेणी शंकर शर्मा :**
**श्री विश्वम्भरन:** **श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी:**
**श्री ए० श्रीधरन:** **श्री शशि भूषण वाजपेई :**
**श्री रा० रा० सिंह देव :**

**क्या प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को 7 जुलाई, 1969 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में प्रकाशित हुए इस समाचार की जानकारी है कि कुछ अज्ञात व्यक्तियों ने पूर्व रेलवे के रानीगंज और बक्तानागोर स्टेशनों के बीच एक सुनसान स्थान पर एक सैनिक स्पेशल गाड़ी को, जिसमें गोला बारूद तथा अन्य सामग्री थी, रेल की पटरी पर पत्थर रख कर खड़ी करके लूट लिया था;

(ख) यदि हाँ, तो घटना का व्यौरा क्या है और इसके कारण कितनी हानि हुई; और

(ग) क्या सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में कोई व्यक्ति गिरफ्तार किए गए हैं और क्या कार्यवाही की गई है?

**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) :**

(क) जी हाँ।

(ख) 6 जुलाई, 1969 को पूर्वी रेलवे के बक्तानाबोर रेलवे स्टेशन के पास प्रातः लगभग 9.25 बजे गाड़ियों को क्षति पहुँचाने वाले एक गिरोह ने गाड़ी को रोका और उसके तीन डिब्बों में घुस गए। उन्होंने गोलाबारुद से भरे 37 बक्से वहाँ से निकाल लिए। ये सभी बक्से बाद में हासिल कर लिए गए लेकिन लगभग 5,078 रुपए के कुल लागत के प्रोपालेन्ट चार्ज बैगों सहित 125 कारतूत और एक गोला अभी तक लापता है।

(ग) पुलिस मामले की जाँच कर रही है और कुछ लोग हिरासत में भी ले लिए गए हैं। रेल द्वारा हथियारों और गोलाबारूद को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते समय उनकी और अधिक सुरक्षा की सुनिश्चितता के लिये आवश्यक कदम उठाए गए हैं।

## आमों का निर्यात

4239. **श्री यमुना प्रसाद मण्डल :** **श्री द्वा० ना० तिवारी :**
**श्री रा० कृ० बिड़ला :**

क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विदेशों को आमों के निर्यात को बढ़ाने के लिये कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हाँ, तो क्या यह भी सच है कि आमों के बारे में एक सात-दिवसीय गोष्ठी ने भी आमों के निर्यात को प्रोत्साहित करने का सुझाव दिया है; और

(ग) यदि हाँ, तो इसके फलस्वरूप कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित किए जाने की आशा है ?

**वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में (श्री चौधरी राम सेवक)** :

(क) आमों के निर्यात बढ़ाने के लिये अब तक निम्नलिखित उपाय किए गए हैं :—

(1) केलों, आमों तथा अन्य फलों का निर्यात बढ़ाने के उपायों/पद्धतियों पर विचार करने के लिए केला तथा फल विकास समिति नामक एक समिति का गठन किया गया है।

(2) कुछ यूरोपीय देशों में भारतीय आमों की विपणन संभाव्यताओं का पता लगाने के लिए वर्ष 1966 में उन देशों में आम-प्रतिनिधिमण्डल भेजा गया था।

(3) विदेशों में आमों के निर्यात के लिए एयर इण्डिया विशेष भाड़ा रियायतें दे रहा है।

(4) आमों के निर्यात की तकनीकों के विकास के लिए केन्द्रीय खाद्य तकनीकी गवेषणा संस्थान, मैसूर तकनीकी सहायता प्रदान करता है।

(5) व्यापक प्रचार के लिए, आमों के निर्यात के बारे में प्रचार सामग्री तैयार की गयी है और भारत तथा विदेशों के व्यापार-क्षेत्रों में वितरित की गयी है।

(ख) जी हाँ।

(ग) आमों के निर्यात में अन्तर्हित जोखिम को देखते हुए निर्यातों की प्रगति का अनुमान लगाना कठिन है। इस समय किए जा रहे सामूहिक प्रयत्नों के आधार पर ऐसी आशा है कि विदेशी मुद्रा के उपार्जनों में, जो वर्ष 1968-69 के 24½ लाख रु० थे, लगातार वृद्धि होगी।

## विदेशों में पकौड़ों को लोकप्रिय बनाना

4240. **श्री यमुना प्रसाद मण्डल :** **श्री द्वा० ना० तिवारी :**

क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विदेशों में पकौड़ों का लोकप्रिय बनाने के किसी प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार का विचार पकौड़ों का निर्यात बढ़ाने का है; और

(ग) इसके परिणामस्वरूप विदेशी मुद्रा की कितनी आय होगी ?

**वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री चौधरी राम सेवक) :**

(क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

**रोडेशिया की जेल में बन्द भारतीय अध्यापक**

4241. **श्री धीरेश्वर कलिता :** क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जम्बिया में नियुक्त एक भारतीय अध्यापक डासुईगी फ्रांसिसी, जिसे रोडेशिया में गिरफ्तार किया गया था और दक्षिणी अफ्रीका की जेलों में 14 महीनों तक रखा गया था, के साथ अमानुषिक व्यवहार किया गया था;

(ख) यदि हाँ, तो रोडेशिया और दक्षिणी अफीका के अधिकारियों ने उसे किन अपराधों पर जेलों में रखा; और

(ग) क्या सरकार ने डासुईगी फ्रांसिस की गिरफ्तारी और उसके साथ किए गए दुर्व्यवहार के विरुद्ध कोई विरोध प्रकट किया है?

**वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) :**

(क) और (ख) रोडेशिया और दक्षिण अफीका में 427 दिन की कैद करने के बाद एशियाई मूल के दक्षिणी अफीकी, श्री डेसिंगी फ्रांसिस उर्फ डेशमोंड फ्रांसिस की रिहाई की खबरें सरकार ने देखी हैं।

जंबिया की अखबारों की खबरों के अनुसार फ्रांसिस को ऐसे संगठनों से संपर्क रखने के लिए गिरफ्तार किया गया था जिन पर रोडेशिया में पाबंदी लगी है। यह भी बताया जाता है कि गिरफ्तारी के समय उनके पास अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस का साहित्य भी मिला था।

(ग) श्री फ्रांसिस की ओर से जंबिया-स्थित हमारे हाई कमीशन से इस मामले में मध्यस्थता करने के लिए नहीं कहा गया था, स्पष्टतः चूंकि वे भारतीय राष्ट्रिक नहीं हैं। हमारे न तो दक्षिण अफ्रीकी सरकार के साथ राजनयिक संबंध हैं और न रोडेशिया की गैर-कानूनी सरकार के साथ।

**सिलाई की मशीनों का निर्यात**

4242. **श्री धीरेश्वर कलिता :** क्या वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि गत कुछ वर्षों में सिलाई की मशीनों के निर्यात में वृद्धि नहीं हुई है;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सिलाई की मशीनों के निर्यात में वृद्धि करने के लिये क्या उपाय किए गए हैं?

**वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री चौधरी राम सेवक) :**

(क) सिलाई की मशीनों के निर्यात 1966-67 में 41.79 लाख रुपए थे जो 1967-68 में बढ़ कर 63.69 लाख रुपए के हो गए। चालू वर्ष (अप्रैल-जून, 1969) के प्रथम तीन

महीनों में 16.44 लाख रुपए के निर्यात हुए जब कि गत वर्ष की उसी अवधि में 12·32 लाख रुपए के निर्यात हुए थे।

(ख) और (ग) अत्यधिक अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता तथा उत्पाद विकास की कमी वे प्रमुख कारण हैं जिनसे सिलाई मशीनों के निर्यातों में बाधा होती है। व्यापारियों तथा सरकार ने नए बाजार खोजने तथा डिजाइनों में परिवर्तन तथा उत्पादों के अनुकूलन के लिए अपेक्षित विशेष मशीनों तथा उपकरणों के आयातों की अनुमति देने के लिये उपाय किए हैं।

**केरल में केन्द्रीय विधि मंत्री का भाषण**

4243. **श्री जनार्दन : क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उनका ध्यान 2 जुलाई, 1969 को 'मेले' में छपे इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि केन्द्रीय विधि मंत्री ने कोट्टायम (केरल) में एक वक्तव्य दिया था जिसमें उन्होंने यह कहा था कि केरल के लोगों के लिए उपयुक्त समय है कि उन्हें विकास कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने पर बल देने के लिये राज्य सरकार को विवश करना चाहिए; और

(ख) क्या उसी भाषण में उन्होंने केरल के लोगों से यह भी कहा था कि वे केरल सरकार तथा उसके समर्थकों को इड्डिकी जल विद्युत् परियोजना को शीघ्र पूरा करने के लिए अपेक्षित वातावरण पैदा करने हेतु वाध्य करने के लिए 'इड्डिकी दिवस' मनायें?

**प्रधान मंत्री, वित्त मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) :** (क) और (ख) केन्द्रीय विधि मंत्री के अनुसार उन्होंने लोगों से यह कहा था कि वे केरल सरकार पर इस बात के लिए दबाव डालें कि विकास कार्यक्रमों पर अमल किया जाए और परियोजना की धीमी प्रगति के प्रति विरोध प्रकट करने के लिए 'इड्डिकी दिवस' भी मनाएं। उन्होंने, जैसा कि बताया गया है, लोगों से यह नहीं कहा कि वे 'आफेंसिव' लें। विधि मंत्री का भाषण मलयाली में था और उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि जिन शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया, उनका सही अंग्रेजी पर्यायवाची शब्द 'आफेंसिव' नहीं होगा।

**सशस्त्र सेना मुख्यालय के लोअर डिवीजन क्लर्क**

4244. **श्री रघुवीर सिंह शास्त्री : क्या प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सशस्त्र सेना मुख्यालय के ऐसे लोअर डिवीजन क्लर्कों की संख्या कितनी है कि जिन्होंने तीन वर्ष से अधिक सेवा कर ली है और उन्हें अभी तक अर्धस्थायी घोषित नहीं किया गया;

(ख) क्या यह सच है कि ऐसे क्लर्क जिन्होंने पाँच वर्ष के अधिक सेवा कर ली है, ब्रिटेन में भारतीय उच्चायुक्त के कार्यालय में क्लर्क के पद के लिए आवेदन देने के पात्र नहीं हैं;

(ग) यदि हाँ, तो उन्हें इतनी अवधि तक अस्थायी रखने के क्या कारण हैं; और

(घ) क्या ऐसे क्लार्कों को उच्चायुक्त के कार्यालय में प्रतिनियुक्त करने पर विचार किया जायेगा, यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह):**

(क) 1,098

(ख) से (घ) संघ लोक सेवा आयोग की टाइपराइटिंग परीक्षा पास न करने के कारण 817 व्यक्ति अभी तक स्थायीवत् होने के पात्र नहीं हैं। शेष 281 व्यक्तियों के मामले विचाराधीन हैं।

वर्तमान नियमों के अनुसार विदेशों में भारतीय दूतावासों में भारतीय आधार पर निश्चित लिपिक पदों पर केवल स्थायी लिपिक ही नियुक्त किए जा सकते हैं।

**Import of Goods from Nepal**

4245. **Shri Nathu Ram Ahirwar** : Will the Minister of **Foreign Trade and Supply** he pleased to state:

(a) whether it is a fact that Custom duty of any kind is not charged in India on goods imported from Nepal;

(b) whether Government propose to review the Indo-Nepal Trade policy; and

(c) if so, the details thereof and if not, the reasons therefor?

**The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade and Supply (Shri Chowdhary Ram Sewak)**:

(a) Trade between India and Nepal is regulated in accordance with the provisions of the Treaty of Trade and Transit (1960) between the two countries. Article II of the Treaty provides *inter alia* that goods originating in either country and intended for consumption in the territory of the other shall be exempt from customs duty.

(b) and (c) The aforesaid Treaty is valid upto October 31, 1970. The question of renewing the Treaty with such modifications as may be necessary, will be considered by the Government at the appropriate time.

**Alleged Derogatory remarks by Indian Consul-General in West Germany**

4246. **Shri Bharat Singh Chauhun: Shri Hukam Chand Kachwai: Shri Bansh Narain Singh:**

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state;

(a) whether Government's attention has heen drawn to the news published in the daily Vir Arjun of the 6th July, 1969 that in a lunch given by the Deputy Mayor of West Germany, the Indian Consul-General in that country made remarks derogatory to India and also said that the Police there would not take any action if they are bribed and that it takes the files six months to reach the Secretariat;

(b) if so, the reaction of Government thereto; and

(c) the action proposed to be taken in this regard?

**The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh):**

(a) Yes, Sir, the Government has seen the report.

(b) The Government have made inquiries and have found that remarks derogatory to India were not made by the Consul-General. However, during informal exchange of views the German hosts and the guests including the Consul-General, reforred to some administrative delays and difficulties experienced by both sides.

(c) Does not arise.

### प्रतिरक्षा कर्मचारियों को उद्योगों में रोजगार देना

4247. **श्री क० प्र० सिंह देव :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में उद्योगों में कार्य करने वाले प्रतिरक्षा कर्मचारयों को बसाने के बारे में विचार करने के लिए नई दिल्ली में एक गोष्ठी बुलाई गई थी; और

(ख) यदि हाँ, तो गोष्ठी में क्या सुझाव दिए गए थे तथा उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**प्रतिरक्षा मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री मं० रं० कृष्ण):**

(क) और (ख) माननीय सदस्य का ध्यान 6 अगस्त, 1969 की लोक-सभा में दिए गए अतारांकित प्रश्न संख्या 2467 के उत्तर की ओर आकृष्ट किया जाता है।

### रेयन-धागे का मूल्य

4248. **श्री चन्द्रशेखर सिंह :** क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सूती कपड़ा आयुक्त ने हाल ही में रेयन स्पिनर्स से आग्रह किया है कि वह रेयन धागे के मूल्यों में स्वेच्छा से 10 से 20 प्रतिशत तक कमी कर दें;

(ख) क्या यह भी सच है कि अभी तक रेयन स्पिनर्स ने इस धागे के मूल्य में कोई कमी नहीं की है; और

(ग) यदि हाँ, तो क्या सरकार का विचार रेयन धागे के मूल्यों पर नियंत्रण करने का है ?

**वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय मे उप-मंत्री (श्री चौधरी राम सेवक ):**

(क) और (ख) टैरिफ आयोग से मानव निर्मित रेशा / धागा उद्योग के लागत ढाँचे की जाँच के लिए कहा गया था। चूँकि इस जाँच के पूरा होने में समय लग रहा था अतः रेयन धागे के उचित मूल्यों पर आयोग ने सरकार को कतिपय सिफारिशें कीं। रेयन धागे के मानक डेनियर (120) के लिए 10 रु० प्रति किग्रा के मूल्य का सुझाव दिया गया था। टैरिफ आयोग ने मानक डेनियर के लिए जिस मूल्य की सिफारिश की है उसके आधार पर रेयन धागे के अन्य विभिन्न डेनियरों के मूल्य निर्धारित करने के लिए वस्त्र आयुक्त से अनुरोध किया गया था। उन्होंने यह कार्य कर दिया है। रेयन धागे के निर्माताओं और बुनकरों (सूरत के बुनकरों को छोड़ कर) के बीच रेयन के धागे की बिक्री के लिए एक समझौता हो गया है। समझौते की मुख्य बातें निम्नलिखित हैं :—

(1) रेयन धागे के उत्पादन का 10 प्रतिशत रेयन वस्त्रों के निर्यात के आधार पर रियायती मूल्यों पर आवंटन हेतु आरक्षित किया जायेगा।

(2) कर्त्तकों और बुनकरों द्वारा स्वीकार किये गये मूल्यों पर उत्पादन के 45 प्रतिशत अंश का आवंटन वास्तविक उपयोक्ताओं को किया जायेगा।

(3) उत्पादन का 45 प्रतिशत अंश निर्माता अपनी इच्छानुसार खुले बाजार में बेचेंगे।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

### ब्रिटेन को सूती कपड़े का निर्यात

4249. **श्री जनार्दन** : क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही के महीनों में ब्रिटेन को किये जाने वाले भारतीय सूती कपड़े के निर्यात में कमी हुई है;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) ब्रिटेन की सूती कपड़े का निर्यात बढ़ाने के लिए क्या उपाय किये गये हैं ?

**वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री चौधरी राम सेवक)** : (क) जनवरी-जुलाई, 1969 की अवधि में गत वर्ष की इसी अवधि की तुलना में ब्रिटेन को सूती वस्त्रों के निर्यातों में गिरावट आई है ।

(ख) ब्रिटेन की सरकार ने, आयात निक्षेप योजना, 13.75 प्र० श० का क्रय कर जैसे कतिपय कदम उठाये हैं जिनके परिणामस्वरूप उस देश में सूती वस्त्रों की माँग कम हो गई है ।

(ग) ब्रिटेन को सूती वस्त्रों के निर्यातों के सम्बन्ध में बैंक ऋण सुविधा को समुचित रूप से उदार बना दिया गया है और साथ ही निर्यात लाइसेंसिंग नीति में भी संशोधन किया गया है । इस विषय में निरन्तर निगरानी रखी जा रही है और जब भी आवश्यक समझा गया, नये उपाय किये जायेंगे ।

### उत्तर प्रदेश में हथकरघा उद्योग का विकास

4250. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय** : क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1968 में उत्तर प्रदेश में हथकरघा उद्योग के विकास के लिए कितनी धनराशि व्यय की गई है ;

(ख) वर्ष 1969 के लिए कितनी धनराशि नियत करने का प्रस्ताव है;

(ग) उत्तर प्रदेश सरकार का अपने राज्य में इस उद्योग के विकास के लिए अधिक सहायता देने के बारे में क्या प्रस्ताव है; और

(घ) क्या सरकार का विचार उन बुनकरों को प्रोत्साहित करने का है जिनके परिवार पूर्णतः इसी उद्योग पर आश्रित हैं ?

**वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री चौधरी राम सेवक)** : (क) 1968–69 में 23,20,634 रुपये ।

(ख) 1969–70 की अवधि में हथकरघा उद्योग विकास के लिए राज्य सरकार ने 30.49 लाख रु० की राशि नियत करने का प्रस्ताव किया है । केन्द्रीय सहायता के आँकड़े बताये नहीं जा सकते क्योंकि राष्ट्रीय विकास परिषद के निर्णय के अनुसार 1969–70 के लिए केन्द्रीय सहायता एक-मुश्त ऋणों तथा अनुदानों के रूप में दी जायेगी जिसका किसी प्रायोजना अथवा योजना से सम्बन्ध नहीं होगा ।

(ग) चौथी पंचवर्षीय योजना में हथकरघा उद्योग का विकास के लिए राज्य सरकार

ने 381.00 लाख रुपये के व्यय का प्रस्ताव किया है जैसा कि संलग्न विवरण (अंग्रेजी में) में दिखाया गया है। **[पुस्कालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1743/69]**

(घ) जी हाँ, बशर्ते कि वे सहकारी क्षेत्र में हों।

**छावनी क्षेत्रों में सम्पत्ति का हस्तान्तरण**

4251. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री 24 अप्रैल, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 8338(ख) के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चूंकि सरकार को 1836 के आर्ड संख्या 179 के अन्तर्गत स्थान के लिए आवेदन देने वाले किसी व्यक्ति के बारे में जानकारी नहीं है, अतः यह मान लिया जाय कि ऐसा कोई आवेदन पत्र प्राप्त नहीं हुआ था और न ही उक्त आर्डर के अन्तर्गत स्थान किसी को दिया गया था;

(ख) क्या उक्त प्रश्न के उत्तर में दी गई इस धारणा का कोई आधार है कि 1836 के उक्त आर्डर संख्या 179 की शर्तों के अनुसार कहीं भी कभी कोई स्थान दिया गया था; और

(ग) 1836 के उक्त आर्डर 179 के अन्तर्गत स्थानों के लिए दिये जाने के बारे में सरकार की धारणा छावनी क्षेत्रों में स्थानों के मालिकों पर कानून के अनुसार किस हद तक बाध्य है ?

**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह)** : (क) से (ग) इस प्रश्न में उठाए गए सामान्य कानूनी मसलों पर कोई राय व्यक्त करना सरकार के लिए उपयुक्त न होगा।

**छावनी क्षेत्रों में भूमि के स्वामित्व सम्बन्धी अधिकारों के बारे में न्यायालयों में अनिर्णीत मामले**

4252. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या : **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सैनिक सम्पदा कार्यालयों के बारे में छावनी क्षेत्रों में भूमि के स्वामित्व सम्बन्धी अधिकार को लेकर पिछले तीन वर्षों में भारतीय न्यायालयों में निर्णीत या अनिर्णीत विवादों की संख्या क्या है;

(ख) ऐसे मामलों की संख्या कितनी है जिनमें न्यायालयों के निष्कर्ष सरकार के विपरीत जाते हैं; और

(ग) इन मुकदमों पर सरकार ने कुल कितनी धनराशि व्यय की है ?

**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह)** : (क) से (ग) जानकारी प्राप्त की जा रही है और उसे सभा के पटल र रख दिया जाएगा।

**Use of Hindi in Offices under Defence Ministry**

4253. **Shri Ramavatar Shastri:** Will the Minister of **Defence** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government accept both Hindi and English as official languages;

(b) if so, whether ii is also a fact that in the offices of his Ministry in Bihar, Uttar Pradesh, Madhya Pradesh etc., the work is being done only in English and not in Hindi;

(c) whether it is further a fact that in the M.E.S. office at Danapur in District

Patna (Bihar) threats have been given to some employees who started working in Hindi that action would be taken against them;

(d) if so, whether Government propose to take any action against such an anti-Hindi officer, if not, the reasons therefor; and

(e) whether Government propose to permit those employees to work in Hindi who wish to do so?

**The Minister of Defence (Shri Swaran Singh):**

(a), (b) and (c) On the basis of the orders issued by the Ministry of Home Affairs, comprehensive instructions were issued to all concerned in Defence Organisation in regard to progressive use of Hindi for official proposes. These instructions provide inter alia that Government employees are free to use Hindi or English in their official work.

(c) No, Sir.

(d) Does not arise.

### Trade Relations with South Vietnam

4254. **Shri Ramavatar Shastri:** Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a new revolutionary Government has been set up in South Vietnam under the leadership of National Liberation Front;

(b) if so, whether Government propose to establish trade relations with the said Government;

(c) if so, the steps taken so far in this regard; and

(d) if not, the reasons therefor?

**The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh):**

(a) Yes, Sir.

(b) The Government have no such proposal under consideration at present.

(c) Does not arise.

(d) The situation in Vietnam is very fluid and is being kept constantly under review by Government.

### Extension of Period of Cease-Fire in Nagaland

4255. **Shri Onkar Lal Berwa:** Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a proposal has been made to Government to extend the period of cease-fire with Nagas; and

(b) if so, the number of times the period of cease-fire has been extended so far?

**The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh):**

(a) and (b) No formal proposal has been received by the Government for the extension of the agreement on the suspension of operations. A faction of the Underground Naga had, however, intimated through the Peace Centre, Kohima, their intention to further continue the suspension of operations till the 31st August, 1969. The recent breaches committed by the extreme sections of Under-ground Nagas have highlighted the hollowness of their professions.

However, the vast majority of the Naga people is in favour of the continuance of peaceful conditions in Nagaland. Having regard to their wishes and the recommendation of the State Government, Governor of Nagaland has extended the period of suspension of operations till the 31st August, 1969. This extension is the 33rd in the series.

## राजकीय व्यापार निगम द्वारा निर्यात

4256. **श्री धीरेन्द्र कुमार शाह** : क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजकीय व्यापार निगम द्वारा किया जाने वाला निर्यात वर्ष 1968–68 के पहले दो महीनों में घट कर 4.04 करोड़ रुपये रह गया है जब कि वर्ष 1967–68 की इसी अवधि में 6.93 करोड़ रुपयों के मूल्य का निर्यात हुआ था;

(ख) यदि हाँ, तो निर्यात में कमी आने के क्या कारण हैं; और

(ग) राजकीय व्यापार निगम ने वर्ष 1969–70 के लिए 60 करोड़ रुपयों के मूल्य का निर्यात करने का जो लक्ष्य निर्धारित किया था उसे प्राप्त करने के लिए, विशेषकर उपर्युक्त अड़चन को ध्यान में रखते हुए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

**वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री चौधरी राम सेवक)** : (क) राज्य व्यापार निगम का निर्यात 1967–68 में 23.57 करोड़ रु० का था जो बढ़ कर 1968–69 में लगभग 48 करोड़ रु० का हो गया । चालू वर्ष में भी निर्यात बढ़ने की प्रवृत्ति दिखाई दे रही है और आशा है कि 60 करोड़ रु० का निर्यात-लक्ष्य प्राप्त कर लिया जायेगा ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते ।

## राजकीय व्यापार निगम द्वारा कच्चे माल का आयात

4257. **श्री यशपाल सिंह** : क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार राजकीय व्यापार निगम के द्वारा कच्चे माल का आयात करने का है; और

(ख) यदि हाँ, तो क्या इस निर्णय को क्रियान्वित करने से पूर्व वैदेशिक व्यापार बोर्ड की राय ली जायेगी ?

**वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री चौधरी राम सेवक)**

(क) और (ख) अत्यावश्यक कच्चे माल के आयात के क्षेत्र में राज्य व्यापार निगम के कार्यकलापों के क्षेत्र को उत्तरोत्तर बढ़ाने का प्रस्ताव है ।

व्यापार बोर्ड की जनवरी, 1969 में जो बैठक हुई थी, उसमें इस मामले पर चर्चा हुई थी । इस प्रश्न पर कुछ सदस्यों द्वारा व्यक्त किये गये विचारों को नोट कर लिया गया है ।

## विगों का निर्यात

4258. श्री देवकी नन्दन पाटोदिया : श्री राज देव सिंह :
श्री सु० कु० तापड़िया : श्री मंगलाथुमाडोम :
श्री एस० एम० कृष्ण :

क्या वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत से होने वाले विगों का निर्यात कम हो गया है;

(ख) क्या यह भी सच है कि निर्यात में कमी का कारण घटिया किस्म के विगों का निर्यात है और यदि हाँ, तो विगों के निर्यात में कितनी कमी हुई है तथा पिछले दो वर्षों में कितनी विदेशी मुद्रा की हानि हुई है;

(ग) विगों की किस्म को सुधारने तथा इनके निर्यात को बढ़ावा होने देने के लिए क्या उपाय किये जा रहे हैं ;

(घ) क्या यह भी सच है कि विग फैक्टरी, मद्रास में जितना उत्पादन होता है उसकी तुलना में वहाँ कर्मचारी अधिक हैं; और

(ङ) इस फैक्टरी में इस समय कितना उत्पादन होता है और गत वर्ष के तुलनात्मक आँकड़े क्या हैं और इसके उत्पादित माल के निर्यात से प्रति वर्ष कितनी विदेशी मुद्रा कमाई जाती है ?

**वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री चौधरी राम सेवक):**

(क) जी हाँ।

(ख) और (ग) जी नहीं। विग इंडिया द्वारा तैयार किए गये विगों की किस्म विदेशी खरीदारों का स्वीकार्य रही है। फैशन के बदलते हुए रुखों के साथ अनुरूपता रखने के लिए समय-समय पर उत्पादन में उपयुक्त समायोजन भी किया जाता है।

(घ) जी हाँ। किन्तु विगों तथा बालों के अन्य उत्पादों के निर्यात के लिए विपणन व्यवस्था में सुधार हो जाने से श्रमिक शक्ति को पूर्णतः उपयोग में लाने की आशा है। अधिशेष शक्ति को बरौनियाँ बनाने में लगाया जा रहा है।

(ङ) फैक्टरी में इस वर्ष तथा 1968-69 के दौरान मासिक उत्पादन का मूल्य इस प्रकार है :

(मूल्य लाख रु० में)

| | 1968-69 | 1969-70 |
|---|---|---|
| बालों के उत्पादन | 1.20 | 1.00 |
| डबल ड्रान हेयर | 7.50 | 3.00 |

1967-68 तथा 1968-69 के दौरान फैक्टरी से किये गये निर्यातों से क्रमशः 62.56 लाख रु० तथा 53.55 लाख रु० की विदेशी मुद्रा कमायी गयी।

**छावनियों की सीमाओं के अन्दर निजी सम्पत्ति का हस्तान्तरण**

4259. **श्री क० मि० मधुकर : श्री चन्द्रशेखर सिंह :**
**श्री योगेन्द्र शर्मा : श्री रामावतार शास्त्री :**

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1833 में मुख्य सेनाध्यक्ष ने एक सामान्य आदेश जारी किया था जिसमें यह हिदायत की गई थी कि छावनियों की सीमाओं के भीतर निजी सम्पत्ति के हस्तान्तरण के बारे में जानकारी एक रजिस्टर में लिखी जाएगी जिसे स्टेशन स्टाफ कार्यालयों में रखा जाएगा;

(ख) क्या आदेश संख्या 179 के खण्ड 1 के अनुसार 1836 में जारी किया गया गवर्नर जनरल का आदेश छावनी क्षेत्रों में उस भूमि से सम्बन्धित था जिस पर उस समय किसी का कब्जा नहीं था और इसलिए उसका उस समय विद्यमान भवनों आदि से कोई सम्बन्ध नहीं था;

(ग) क्या उक्त आदेश के खण्ड 7 में यह उपबन्ध है कि किसी सैनिक छावनी से सैनिक कर्मचारियों के उपायोग के लिए उन मकानों का जो सेना के कर्मचारियों की सम्पत्ति नहीं होते हैं, अधिग्रहण केवल मालिकों के विकल्प पर ही किया जा सकता है; और

(घ) यदि हाँ, तो छावनी क्षेत्रों में उन सम्पत्तियों का व्यौरा क्या है जो सरकार की मलकियत में नहीं थी ?

**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह):** (क) सम्भवतः यहाँ सेनाध्यक्ष के 16 सितम्बर, 1833 के आम आदेश से आशय है। यह आदेश कुछ विशिष्ट छावनियों पर लागू किया गया था और अन्य बातों के साथ उसमें यह व्यवस्था थी :—

"भविष्य में जब उपर्युक्त छावनियों के अन्तर्गत किसी घर को या भूमि को बेचना हो या हस्तान्तरित करना हो तो हस्तान्तरित करने वाले व्यक्ति को सारी परिस्थितियाँ अफसर कमांडिंग को सूचनार्थ बतानी होगी और रजिस्टर में लिखवाना होगा।"

(ख) और (ग) अतारांकित प्रश्न संख्या 3059 के अनुसरण में 1836 के आदेश संख्या 79 की एक प्रति 7 अगस्त, 1968 को सभा के पटल पर रखी जा चुकी है।

(घ) कानून के अनुसार प्रत्येक छावनी के लिए रखे गए जनरल लैण्ड रजिस्टर में अन्य बातों के साथ प्रत्येक भूमि, प्रत्येक भूमि के स्वामी और भूमि के स्वामी के अधिकार की प्रकृति का उल्लेख रहता है।

**छावनी क्षेत्रों में सम्पत्ति की किरायेदारी समाप्त करना**

4260. **श्री क० मि० मधुकर: श्री चन्द्रशेखर सिंह:**
**श्री योगेन्द्र शर्मा : श्री रामावतार शास्त्री :**

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि छावनी क्षेत्रों से सम्पत्तियों की किरायेदारी समाप्त करने के बारे में उनके मंत्रालय ने हाल ही में एक परिपत्र जारी किया है जिसमें सैनिक भूमि तथा छावनी निदेशक को यह निदेश दिया गया है कि उन्हें ऐसी किरायेदारी को समाप्त करने के लिए स्वामियों

की प्रार्थना पर उन तथा कथित ओल्ड ग्रांट साइटों पर, जिनका अधिग्रहण सेना के उपयोग के लिए किया गया था, बने हुए भवनों को वास्तव में तब तक मुक्त न करें जब तक कि वामी स्टाम्प-कागज पर लिख कर यह घोषित नहीं करता कि सम्बन्धित भूमि गवर्नर जनरल के 1836 के आदेश संख्या 179 के अन्तर्गत ओल्ड ग्रांट पट्टे के रूप में उसके कब्जे में है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या यह निदेश अधिकारियों को किराये पर लिए गए भवनों के स्वामियों के साथ हुए समझौते की शर्तों का उल्लंघन करने का निर्देश नहीं है; और

(ग) क्या उक्त परिपत्र का आशय नागरिकों को सम्पत्ति रखने के उनके अपने संवैधानिक अधिकार से वंचित करने का यत्न नहीं है ?

**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह)** : (क) जी हाँ। अन्य बातों के साथ यथा उल्लिखित व्यवस्था वाला घोषणा-पत्र केवल उन प्रार्थियों से लेना होता है जो कि उल्लिखित शर्तों पर भू-सम्पत्ति के मालिक हैं।

(ख) जी नहीं।

(ग) जी नहीं।

### Gift of Tractors by Foreign Countries

4261. **Shri Nihal Singh** : Will the Minister of **Foreign Trade and Supply** be pleased to state:

(a) whether Government have received complaints about the distribution of tractors among States received under the Gift Tractor Scheme;

(b) if so, the action taken thereon; and

(c) the number of tractors out of them supplied to ex-servicemen and if not, the reasons, therefor?

**The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade and Supply (Shri Chowdhary Ram Sewak)**:

(a) No, Sir.

(b) Does not arise.

(c) The information is not available. The CCPs are issued to those who fulfil the condition laid down in Public Notice 234/68 dated 24-10-68 irrespective of the fact whether the applicant is an ex-serviceman or otherwise.

### आयुध कारखानों के लिए परामर्शदाताओं की एक अमरीकी फार्म की नियुक्ति

4262. **श्री जार्ज फरनेन्डीज** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने अपने आयुध कारखानों की स्थिति की जाँच करने हेतु परामर्शदाताओं की एक अमरीकी फर्म को नियुक्त किया है;

(ख) यदि हाँ, तो फर्म का नाम क्या है और इस फर्म को किन शर्तों पर नियुक्त किया गया है ;

(ग) इस फर्म को किन परिस्थितियों में नियुक्त किया गया है; और

(घ) सरकार के पास इस बात की क्या गारण्टी है कि यह फर्म हितबद्ध पार्टियों को हमारे प्रतिरक्षा सम्बन्धी गुप्त भेद नहीं बताएगी ?

**प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र)** :(क) जी नहीं ।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते ।

**Roads Constructed by China and Pakistan in Pakistan-occupied and China-occupied Areas**

4263. **Shri Jashwant Singh Kushwah :** Will the Minister of **Defence** be pleased to state:

(a) the names and length of the roads constructed by the Governments of China and Pakistan in the China and Pak-occupied areas of India with a view to render the India territory insecure; and

(b) the reaction of Government thereto?

**The Deputy Minister of Defence (Shri Swaran Singh):**

(a) The House is aware that, in 1957, the Chinese built a road of about 170 Km in length through the Indian territory of Aksai Chin. Since then the Chinese have improved their road communication facilities in the area. Pakistan has constructed a 240 Km road linking Gilgit with Skardu in Pakistan-occupied-Kashmir which was opened to traffic in September 1958. Information relating to the construction of the roads linking Gilgit with Sinkiang through the Mintaka Pass and the Khunjerab Pass on the Kashmir-Sinkiang border were given to the House in reply to Unstarred Question No. 604 on 24th July 1968 and in the statement made by the Minister of External Affairs on 22nd July 1969. Certain subsidiary roads have also been built by Pakistan in POK.

(b) Government have lodged protests and taken due note of these developments in making our defence arrangements.

**Foreign Bases in Indian Ocean**

4264. **Shri Shashi Bhushan:**
**Shri K. Lakkappa:**
**Shri S. M. Krishna:**
**Shri M. H. Gowda:**
**Shri Srinibas Misra:**

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that U.S.A. and U.S.S.R. are making preparations to set up their bases, separately, in the Indian Ocean; and

(b) if so, the reaction of Government thereto and the details of the action taken in this regard?

**The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh):**

(a) and (b) The Soviet Government has denied that they are planning to have any military base in the Indian Ocean. U.S.A. has treaty arrangements with Great Britain to have joint communications facilities in the British Indian Ocean territories. The policy of the Government of India is that the Indian Ocean should remain an area of peace and co-operation free from domination by any power. We are accordingly opposed to foreign military bases in this area and our views have been made known to the countries concerned.

## भारत इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड, बंगलौर में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कर्मचारी

4265. **श्री क० लकप्पा** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों में भारत इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड, बंगलौर में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कितने व्यक्तियों को नियुक्त किया गया;

(ख) कितने स्थानों पर नियुक्ति कर ली गई है तथा कितने स्थान खाली पड़े हैं;

(ग) यदि सिर्फ स्थानों पर नियुक्तियाँ नहीं की गई हैं तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) ये पद कितने समय से रिक्त पड़े हैं ?

**प्रतिरक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मं० रं० कृष्ण)**: (क) सूचना नीचे दी गई है—

| कैलेण्डर वर्ष | भारत इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड में नियुक्त अनुसूचित जातियों / अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों की संख्या |
|---|---|
| 1967 | 154 |
| 1968 | 233 |

(ख) स्थिति इस प्रकार है—

| कैलेण्डर वर्ष | भरे गए रिक्त स्थानों की संख्या | न भरे गए रिक्त स्थानों की संख्या |
|---|---|---|
| 1967 | 1220 | 213 |
| 1968 | 1490 | 2053 |

(ग) ऊपर भाग (ख) के उत्तर में निर्दिष्ट न भरे गए "रिक्त स्थान" उत्पादन के प्रसार के लिए भावी कार्मिक आवश्यकताओं को भी प्रदर्शित करते हैं। उसमें सुव्यवस्थित रूप से भर्ती करने और प्रशिक्षण देने के लिए की जाने वाली व्यवस्था का भी विचार रखा जाता है। ये आँकड़े कुल रिक्त स्थान निर्दिष्ट करते हैं न कि आरक्षित रिक्त स्थानों को बताते हैं। कम्पनी समय-समय पर अपने वास्तविक कार्यभार, कार्यदक्षता, उत्पादन आदि के तरीकों में परिवर्तन को ध्यान में रख कर कुछ मंजूरी की संवीक्षा करती रहती है तथा रिक्त स्थानों को एक सुव्यवस्थित कार्यक्रम के अनुसार भरा जाता है।

(घ) भाग (ग) के उत्तर को देखते हुए इसके लिए अपेक्षित सूचना को एकत्रित करने में लगने वाला समय और श्रम दोनों ही इससे प्राप्त होने वाले परिणामों के अनुकूल न होंगे।

## व्यापार प्रतिनिधि मण्डल

4266. **श्री मंगलाथुमाडोम** : क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विभिन्न निर्यात संवर्धन परिषदों द्वारा निर्यात संभावनाओं का पता लगाने के लिए विदेशों को अलग-अलग प्रतिनिधि मंडल भेजे जाते हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो क्या इस काम को करने के लिये मंत्रालय में एक केन्द्रीकृत अभिकरण की व्यवस्था करने का प्रस्ताव है ?

**वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री चौधरी राम सेवक)**:

(क) और (ख) निर्यात संवर्धन परिषदें, मदों के विशिष्ट वर्गों का पर्यवेक्षण करती हैं। किसी एक विशेष निर्यात संवर्धन परिषद् के कार्यक्षेत्र की वस्तुओं की निर्यात संभाव्यताओं का पता लगाने के लिए व्यापार प्रतिनिधिमंडल उसी परिषद् द्वारा प्रायोजित किये जाते हैं। हाँ, बहु-वस्तु प्रतिनिधिमंडल, भारतीय निर्यात संगठन संघ के तत्वाधान में भेजे जाते हैं जो कि देश में स्थित समस्त निर्यात संवर्धन निकायों के निर्यात प्रयासों का समन्वय करने वाला शीर्ष निकाय है।

### Tenements Built for Defence Personnel in Dehu Cantonment

4267. **Shri S. M. Joshi**; Will the Minister of **Defence** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that about 1200 tenements have been built for the Defence personnel in Dehu Cantonment;

(b) if so, the total estimated cost thereof and the expenditure incurred thereon;

(c) whether the Completion Certificate has been issued by the Officer concerned on the completion of the work;

(d) if so, whether the contractors have been paid their dues and if not, the reasons therefor; and

(e) whether Government are aware that the tenements as constructed are not upto the standard of the model according to which they had to be constructed; and whether Government propose to investigate into the entire constuction work ?

**The Minister of Defence (Shri Swaran Singh)**:

(a) Yes, Sir. The number of quarters is 1,232.

(b) The project has been sanctioned at an estimated cost of Rs. 1,62,68,400. The expenditure booked so far is approximately Rs. 151 lakhs.

(c) Completion certificates have been issued except for arboricultre and area drainage in respect whereof the work is in progress.

(d) Amounts due to the contractors have been paid.

(e) The quarters have been built according to the approved designs and specifications and the need for investigation into the entire construction work does not consequently arise.

### Tenements Constructed for Defence Personnel in Dehu Cantonment

4268. **Shri S. M. Joshi**: Will the Minister of **Defence** be pleased to state:

(a) the number of tenements out of 1200, already constructed in Dehu Cantonment, which have been allotted to the Defence personnel upto the 30th June, 1969 and the number of employees who have taken occupation thereof;

(b) the number of employee who have been refused allotment; and

(c) the number of tenements which have not so far been allotted and the reasons therefor?

**The Minister of Defence (Shri Swaran Singh):**

(a) to (c) The information is being collected and will be placed on the Table of the House.

**अमरीका तथा रूस का हिन्दमहासागर में अड्डे स्थापित करने का प्रयत्न**

4269. **श्री चेंगलराया नायडू : श्री रा० बरुआ :**
**श्री नि० रं० लास्कर :**

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने रूस तथा संयुक्त राज्य अमरीका के हिन्द महासागर में अपने सैनिक अड्डे स्थापित करने के प्रयत्न का विरोध किया है;

(ख) क्या यह सच है कि रूस कराची के पश्चिम में पाकिस्तान के गवाद्धर पत्तन को पनडुब्बियों का अड्डा बनाने की योजना बना रहा है और संयुक्त राज्य अमरीका ने हिन्द महासागर में ब्रिटिश क्षेत्र के कुछ द्वीपों को पहले ही वायु तथा समुद्रीय मार्ग के लिए संचार तथा भण्डार अड्डों के रूप में परिवर्तित करना आरम्भ कर दिया है ;

(ग) यदि हाँ, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इस बारे में क्या कार्यवाही किये जाने की सम्भावना है ?

**वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह):** (क) से (ग) सोवियत सरकार ने इस बात का खंडन किया है कि वह पाकिस्तान के गवाद्धर पत्तन को पनडुब्बियों का अड्डा बनाने या हिन्द महासागर में सैनिक अड्डा बनाने की योजना बना रही है। ग्रेट ब्रिटेन के साथ संयुक्त राज्य अमरीका की एक संधि हुई है, जिसके द्वारा दोनों देशों के बीच यह समझौता हुआ है कि ब्रिटिश हिन्द महासागर क्षेत्रों में संयुक्त संचार सुविधाओं की व्यवस्था की जाए। भारत सरकार की यह नीति रही है कि हिन्द महासागर किसी भी शासन सत्ता से स्वतंत्र रहे और शान्ति तथा सहयोग का इलाका बना रहे। इसीलिए हम उस क्षेत्र में विदेशी सैनिक अड्डों के विरुद्ध हैं और हमारे विचारों से संबद्ध देशों को अवगत करा दिया गया है।

**ट्रैक्टर उपहार योजना**

4270. **श्री रा० कृ० बिड़ला : श्री नारायन रेड्डी :**

क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ट्रैक्टर उपहार योजना कब से चल रही है;

(ख) इस योजना के अन्तर्गत अब तक किस-किस देश से और कुल कितने ट्रैक्टर भारत में आये हैं;

(ग) इस योजना के अन्तर्गत आये ट्रैक्टरों का मूल्य रुपयों में कितना है; और

(घ) क्या इस योजना को अभी जारी रखने का विचार है और यदि हाँ, तो कितनी अवधि तक ?

**वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री चौधरी राम सेवक)** : (क) 24 अक्तूबर, 1968 से ।

(ख) अब तक 505 सीमा शुल्क निकासी अनुज्ञा-पत्र मंजूर किये जा चुके हैं । ये अनुज्ञा-पत्र सामान्य मुद्रा क्षेत्र से आयात करने के लिए विधि-मान्य हैं और उद्‌भव के देश के विषय में जानकारी उपलब्ध नहीं है ।

(ग) उपहार ट्रैक्टरों के आयात सम्बन्धी आँकड़े अलग से नहीं रखे जाते, अतः अपेक्षित जानकारी नहीं दी जा सकती ।

(घ) वर्तमान योजना के 31 अक्तूबर, 1969 को समाप्त हो जाने पर स्थिति का पुनरीक्षण किया जायेगा ।

**Rajasthanis Employed in Kota Atomic Power Station**

4271. **Shri Onkar Lal Berwa:** Will the **Prime Minister** be pleased to state:

(a) the percentage of persons of Rajasthan who were appointed against non-gazetted posts in Atomic Power Station under construction at Kota as also their designations, separately;

(b) whether this matter very often causes resentment among the workers; and

(c) if so, the measures adopted to remove this resentment?

**The Prime Minister, Minister of Finance, Minister of Atomic Energy and Minister of Planaing (Shrimati Indira Gandhi):**

(a) The required information is given in the attached statement. **[Placed in Library. See No. LT-1744/69.]**

(b) Government are not aware of any such resentment.

(c) Does not arise.

**Pakistan Radio Propaganda Re. Indore Riots**

4272. **Shri Ram Avtar Sharma:** Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state:

(a) whether Government have sent any protest note to Pakistan against the false propaganda launched by the Pakistan Radio about the recent riots in Indore; and

(b) if so, the reply received from the Government of Pakistan in this regard?

**The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh):**

(a) We have from time to time sent protest notes to Pakistan Government on anti-India propaganda on communal matters. The latest note was sent on 13th June, 1969. However, no specific protest note was sent on false propaganda about recent riets in Indore.

(b) Does not arise.

**रासायनिक तथा जीवाणु शास्त्रों के प्रयोग पर प्रतिबन्ध लगाने के लिए संयुक्त राष्ट्र का प्रस्ताव**

4273. **श्री जनार्दनन** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) युद्ध में रासायनिक एवं जीवाणु शस्त्रों के प्रयोग पर प्रतिबन्ध लगाने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रस्ताव इस समय किस अवस्था में है;

(ख) इस प्रस्ताव के अन्तर्गत जिन रासायनिक शस्त्रों पर प्रतिबन्ध लगाने का प्रस्ताव है उन शस्त्रों की सूची में अश्रुगैस को सम्मिलित करने के लिए क्या किसी सदस्य राष्ट्र ने कोई विरोध प्रकट किया है;

(ग) यदि हाँ, तो कौन-कौन से देशों ने तथा किन-किन आधारों पर; और

(घ) इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) :** (क) 17 जून, 1925 के जेनेवा प्रोतोकोल में, जिसका एक पक्षधर भारत भी है, युद्ध में "बेहोश करने वाली, जहरीली अथवा दूसरी गैसों के तथा इसी तरह के तमाम द्रवों, पदार्थों अथवा युक्तियों का और लड़ाई की सैनिकीय तरीकों" का निषेध है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अपने तेईसवें अधिवेशन में प्रधान सचिव से अनुरोध किया था कि वे इस तरह के हथियारों के संभावित प्रयोग के प्रभावों पर विशेषज्ञों के एक दल की सहायता से एक रिपोर्ट तैयार करें। यह रिपोर्ट जुलाई 1969 में तैयार हो गई थी और प्रधान सचिव ने इसे जेनेवा निरस्त्रीकरण समिति को भेज दिया था जो कि इस पर अब विचार कर रही है।

(ख) और (ग) यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमरीका का विचार है कि जहाँ जरूरत हो वहाँ साधारण अश्रुगैस जैसे अविषाक्त रासायनिक पदार्थों का इस्तेमाल किया जा सकता है जिससे किसी व्यक्ति को क्षति न पहुँचे।

(घ) निरस्त्रीकरण समिति 1925 के जेनेवा प्रोतोकोल में निहित निषेधों को विस्तृत अथवा सीमित करने के प्रश्न पर विचार कर रही है तथा महासभा के अगले अधिवेशन में भी इस प्रश्न पर विचार किया जाएगा। सरकार इस मामले पर विचार कर रही है।

### रूरकेला इस्पात कारखाने को लोह-अयस्क की आवश्यकता

4274. **श्री गु० चं० नायक : श्री महेन्द्र भाड़ी :**
**श्री दे० अमात :**

क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खनिज तथा धातु व्यापार निगम ने रूरकेला इस्पात कारखाने की लौह-अयस्क की आवश्यकता को पूरा करने का प्रबन्ध किया है ;

(ख) यदि हाँ, तो खनिज तथा धातु व्यापार निगम ने सब खान मालिकों को समान वितरण के लिए कितनी मात्रा में लौह-अयस्क का आवंटन किया है;

(ग) लौह-अयस्क को प्राप्त करने की प्रणाली क्या है;

(घ) क्या खनिज तथा धातु व्यापार निगम लौह-अयस्क की सप्लाई के साथ मैंगनीज अयस्क की सप्लाई का मामला भी जोड़ रही है; और

(ङ) यदि हाँ, तो उन खान मालिकों की क्या स्थिति होगी जिनके पास मैंगनीज अयस्क के पट्टे नहीं हैं ?

**वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री चौधरी राम सेवक) :** (क) जी हाँ ।

(ख) रूरकेला इस्पात संयंत्र की कुल माँग सामुहिक रूप से आंकी गई है और पूर्ति का काम समस्त संभरकों में न्यायपूर्ण तरीके से बाँट दिया जाता है ।

(ग) प्रत्येक संभरक के जुलाई, 1967–जून 1968 के वर्ष के दौरान वास्तविक निष्पादन के आधार पर, बराजमदा-बारविल क्षेत्र से निर्यात तथा रूरकेला को संभरण के लिए खरीदारी की जा रही है ।

(घ) जी हाँ । मैंगनीज अयस्क का संभरण करने वाले संभरकों को उनके द्वारा संभरित किये गये मैंगनीज अयस्क के प्रत्येक टन पर दो टन लौह अयस्क का विशेष कोटा दिया जाता है ।

(ङ) उन खान-स्वामियों को, जिनके पास मैंगनीज अयस्क के लिए पट्टे नहीं हैं, लौह-अयस्क का अपना सामान्य कोटा मिलेगा ।

### Import of Printing Machines

4275. **Shri S.M. Joshi :** Will the Minister of **Foreign Trade and Supply** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that certain big firms of Bombay and other places have been granted consummers' licences for the import of printing machines for their private printing work;

(b) whether at the time of grant of such licenses, it was stipulated that those firms would not accept printing work from outside and utilise them entirely for their own work ;

(c) whether it is also a fact that the Imperial Tobacco Company and Patanwala have imported machines on the above terms;

(d) whether Government are aware that the above companies are accepting printing work from open market which is resulting in loss to such other printing establishments as have not been granted such consumer licences; and

(e) the action proposed to be taken by Government in this regard?

**The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade and Supply (Shri Chowdhary Ram Sewak):**

(a) Yes, Sir.

(b) No, Sir.

(c) Licences for Import of Printing Machines were issued only to M/s Imperial Tobacco Co., Bombay and M/s. R.M.D. Pvt. Ltd., Bombay. No licence was issued to Ms Patanwala. The licence issued to the Imperial Tobacco Co. was not subject to any condition that the licencee would use the machinery for their private printing work only.

(d) and (e) Do not arise.

### Abolition of Post of Deputy Prime Minister

4276. **Shri Yashwant Singh Kushwah:** Will the **Prime Minister** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the post of Deputy Prime Minister in the Central Government has been abolished; and

(b) if so, the reasons therefor and details in regard thereto?

**The Prime Minister, Minister of Finance, Minister of Atomic Energy and Minister of Planning (Shrimati Indira Gandhi):**

(a) and (b) In March 1967, on the advice of the Prime Minister, the President appointed Shri Morarji R. Desai as Minister for the Union with the designation of Deputy Prime Minister. Shri Desai resigned on 19th July, 1969. As no post of Deputy Prime Minister was created, the question of its abolition did not arise.

### Goods Stolen by a Defence Employee of Dehu Road from Railway Goods Wagon

4277. **Shri Baswant:** Will the Minister of **Defence** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a Defence employee of Dehu Road committeed a theft in June-July, 1969 after breaking open a railway goods wagon;

(b) whether it is also a fact that a truck of his Ministry was used for taking away the stolen goods;

(c) the various items of goods stolen and the value thereof; and

(d) whether any action has been taken against this employee and if so, the details thereof?

**The Minister of Defence (Shri Swaran Singh):**

(a) to (d) The information is being collected and will be laid on the Table of the house in due course.

### देहू रोड छावनी क्षेत्र

4278. **श्री बसवन्त :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देहू रोड छावनी क्षेत्र में असैनिक आबादी कितनी है और सैनिक कर्मचारी कितने हैं;

(ख) असैनिक आबादी को प्रतिदिन कितनी और किस दर पर जल की सप्लाई की जाती है और इससे प्रतिवर्ष कितनी आय होती है;

(ग) बिजली कितने असैनिक परिवारों को दी गई है और इनके अतिरिक्त शेष कितने परिवार हैं; और

(घ) शेष परिवारों को कब तक बिजली दिए जाने की सम्भावना है ?

**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह)** (क) : 1961 की जनगणना के अनुसार देहूरोड छावनी की सिविल जनसंख्या 14,643 थी। थल सेना के कार्मिकों की संख्या समय-समय पर बदलती रहती है और उसकी वर्तमान संख्या को बताना जनहित में उचित न होगा।

(ख) सिविल जनसंख्या की पानी की आवश्यकताएँ अधिकतया कुओं के पानी से और अंशत: नलों द्वारा सप्लाई किए जाने वाले पानी से पूरी की जाती है। कुओं से प्राप्त पानी की मात्रा ज्ञात नहीं है। नलों से प्रतिदिन लगभग 10,000 गैलन पानी प्राप्त होता है। 1967-68 के दौरान छावनी बोर्ड को पानी-कर से 24,625 रुपए की आय हुई।

(ग) और (घ) जानकारी प्राप्त की जा रही है और उसे सभा के पटल पर रख दिया जाएगा ।

**श्री भगवत झा आजाद द्वारा जयपुर में दिया गया वक्तव्य**

4280. **श्री यशपाल सिंह** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान श्री भगवत झा आजाद द्वारा 26 जुलाई, 1969 को जयपुर में दिये गए उस वक्तव्य की ओर दिलाया गया है, जिसमें उनके द्वारा यह कहा बताया जाता है कि यदि पूंजीपति दक्षिण पंथियों को देश पर शासन करने दिया गया तो गली-कूचों में खून की नदियाँ बहेंगी ;

(ख) यदि हाँ, तो क्या वे उस टिप्पणी का अनुमोदन करती हैं; और

(ग) इसे मामले में क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

**प्रधान मंत्री, वित्त मन्त्री, अणु-शक्ति मन्त्री तथा योजना मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी)**: (क) से (ग) श्री भगवत झा आजाद ने हाल ही में जयपुर में अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी महा-संघ के छठें वार्षिक सम्मेलन में जो भाषण दिया था, उसका मूल पाठ प्रधानमंत्री ने देखा है । श्री आजाद से पूछा गया था । उन्होंने किसी हिंसात्मक परिवर्तन की बात नहीं कही; बल्कि, उन्होंने कहा था कि वह किसी हिंसात्मक क्रान्ति के विरुद्ध हैं, और अगर इस तरह की कोई घटना हुई तो वह दुर्भाग्यपूर्ण होगी । उनका आशय यह चेतावनी देने का था कि व्यापक असमानताओं और विषमताओं को बढ़ने देने से समाज में तनाव बढ़ने का स्पष्ट खतरा है ।

**Incentive to Shell-Button Industry in Champaran District, Bihar**

4281. **Shri K. M. Madhukar:** Will the Minister of **Foreign Trade and Supply** be pleased to state:

(a) the form in which incentive would be given to the shell-button industry situated in Mesi District Champaran, out of the amount to be acquired by Government after the nationalisation of banks;

(b) whether Government would conduct a thorough enquiry into the problems of the industry before giving the proposed incentives to it;

(c) if so, the nature of the said enquiry; and

(d) if not, the reasons therefor?

**The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade and Supply (Shri Chowdhary Ram Sewak):**

(a) to (d) Government has so far not considered incentive to be given to the shell-button industry stiuated in Mehsi, District Champaran, out of the amount acquired by the Government after nationalisation of banks.

**सरसों के तेल का निर्यात**

4282. **श्री ज्योतिर्मय बसु : श्री सत्य नारायन सिंह :**
**श्री बदरुद्दुजा : श्री गणेश घोष :**

क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) क्या सरसों के तेल के निर्यात की अनुमति दी जाती है;

(ख) यदि हाँ, तो उसका पूरा विवरण क्या है; और

(ग) किस दर पर इसका निर्यात किया जाता है ?

**वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री चौधरी राम सेवक)**: (क) जी हाँ ।

(ख) और (ग) सरसों के तेल के निर्यात के लिए निश्चित अधिकतम सीमा के भीतर निर्बाध लाइसेंस दिये जाते हैं । सरसों के तेल की निर्यातों का ब्यौरा और जिस मूल्य पर उसका निर्यात किया गया वह नीचे दिया गया है :—

सरसों के तेल का निर्यात (तोरिया तथा कोल्जा तेल सहित)

मात्रा. में, टन में
मूल्य हजार रुपये में

| | मात्रा | मूल्य | जहाज पर प्रति किग्रा मूल्य रु० में |
|---|---|---|---|
| 1966–67 | 276 | 1366 | 4.95 |
| 1967–68 | 321 | 1489 | 4.65 |
| 1968–69 | 610 | 2472 | 4.05 |

**पटसन तथा पटसन के माल का निर्यात**

4283. **श्री ज्योतिर्मय बसु : श्री देवेन सेन : श्री गणेश घोष : श्री बदरुद्दुजा :**

क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पटसन तथा पटसन से बने सामान का 1965–66, 1966–67 तथा 1967-68 में कितने मूल्य का निर्यात हुआ; और

(ख) निर्यातकर्ताओं द्वारा अपने निर्यात किये सामान के दावों पर आयातकर्ताओं ने कितना धन दिया ?

**वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री चौधरी राम सेवक)** :

| | |
|---|---|
| 1965–66 | 182.71 लाख रुपये |
| 1966–67 | 250.82 लाख रुपये |
| 1967–68 | 233.50 लाख रुपये |

(ख) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

**Expenditure on Press Reporters and others Accompanying the U. S. President**

4284. **Shri Hukam Chand Kachwai**: Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a large number of Press Reporters and others connected with publicity had come to India along with the President of the United States of America at the time of his visit to India; and

(b) if so, the expenditure incurred by Government on his State visit as well as on his party?

**The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh):**

(a) Yes, Sir.

(b) The actual expenditure incurred on the visit is not yet known. However, the pressmen were not treated as guests of the Government of India.

### अमरीका और जापान को फैरो-सिलिकोन के निर्यात

4285. **श्री बे० कृ० दासचौधरी** : क्या वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका तथा जापान ने हाल ही में भारत से फैरो-सिलिकोन का आयात करने के क्रयादेश भेजे हैं;

(ख) यदि हाँ, तो फैरोसिलिकोन का कितनी मात्रा में आयात किया जायेगा;

(ग) प्रत्येक देश को इसका निर्यात किस दर पर किया जायेगा ?

**वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री चौधरी राम सेवक) :** (क) फैरो-सिलिकोन का निर्यात गैर-सरकारी निर्यातकों द्वारा किया जाता है। इन पार्टियों द्वारा अमेरिका तथा जापान से बुक किये गये निर्यात आदेशों के बारे में सरकार के पास ठीक-ठीक जानकारी नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

### पाकिस्तान के साथ वार्ता के बारे में शेख अब्दुल्ला का बयान

4286. **श्री रा० रा० सिंह देव** : क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 8 जुलाई, 1969 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में प्रकाशित हुए इस समाचार की ओर दिलाया गया है जिसमें शेख अब्दुल्ला द्वारा यह कहा गया बताया गया है कि भारत पाकिस्तान के साथ वार्ता करने के लिए तैयार नहीं है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस मामले में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) :** (क) जी हाँ।

(ख) सरकार की नीति यह है कि भारत और पाकिस्तान के बीच सभी मामलों पर बात-चीत हो और उन्हें द्विपक्षीय आधार पर सुलझाया जाए।

### गैर-सरकारी तथा सरकारी क्षेत्र द्वारा निर्यात का ब्यौरा

4287. **श्री गा० शं० मिश्र** : क्या वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गैर-सरकारी क्षेत्र तथा सरकारी क्षेत्र द्वारा वर्ष 1968-69 में किये गये निर्यात का रुपयों में अलग-अलग ब्यौरा क्या है;

(ख) अन्तर्राष्ट्रीय मंडियों में किन-किन बड़ी वस्तुओं की माँग बढ़ी है और उनके लिये कितने मूल्य के आर्डर प्राप्त हुए हैं;

(ग) सरकारी क्षेत्र के उपक्रम द्वारा निर्यात के वायदों का ब्यौरा क्या है और आर्डरों को पूरा करने में उनका कार्य कैसा रहा;

(घ) सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के निर्यात सम्बन्धी वायदे क्या उनकी निर्यात क्षमता और पूर्व निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार है; और

(ङ) यदि हाँ, तो उनका व्यौरा क्या है ?

**वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री चौधरी राम सेवक) :** (क) और (ख) आयात तथा निर्यात सम्बन्धी आँकड़े क्षेत्र-वार उपलब्ध नहीं हैं क्योंकि व्यापारिक आँकड़े समूचे देश के लिए ही रखे जाते हैं।

(ग) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

## विदेशों में भारतीय वस्तुओं का प्रचार अभियान

4288. **श्री गा० शं० मिश्र :** क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा विश्व के महत्त्वपूर्ण व्यापार केन्द्रों में भारतीय निर्यात-योग्य वस्तुओं के प्रदर्शन के लिए निर्यातकों को क्या साधन तथा सुविधाएँ दी गई हैं;

(ख) दक्षिण-पूर्वी एशियाई देशों, सुदूर पूर्व देशों तथा अफ्रीकी देशों में जहाँ वस्तुओं के निर्यात हेतु भारत के अच्छे अवसर हैं, सरकार तथा गैर-सरकारी निर्यातकों द्वारा आयोजित किए गए प्रचार अभियान का व्यौरा क्या है;

(ग) वर्ष 1969-70 में ऐसे अभियान के लिए कितनी धनराशि रखी गयी है ?

**वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री चौधरी राम सेवक) :**

(क) प्रदत्त सुविधाएँ निम्नलिखित हैं:—

(1) प्रदर्शनी निदेशालय, भारतीय व्यापार मेला तथा प्रदर्शनी परिषद्, बम्बई और विभिन्न निर्यात संवर्धन परिषदों/वस्तु बोर्डों द्वारा आयोजित प्रदर्शनियों तथा भारत संवर्धन सप्ताहों के माध्यम से कम खर्चे पर विश्व के महत्त्वपूर्ण व्यापार केन्द्रों में भारतीय उत्पादों को प्रदर्शित करने का अवसर देना।

(2) विदेशों में विभिन्न उत्पादों का प्रचार तथा ख्याति प्रतिष्ठित करना।

(3) निर्यातकों द्वारा भाग लेना सुकर बनाने तथा उनके प्रतिनिधियों द्वारा वार्ताएं करने तथा क्रया देश प्राप्त करने के लिये उनकी यात्राओं पर होने वाले व्यय की व्यवस्था के लिये विदेशी मुद्रा देना।

(4) पोत्त-लदान के पत्तन से गन्तव्य को भेजने और वहाँ से लाने के लिए नि:शुल्क परिवहन सुविधाएं।

(5) प्रदर्शन हेतु प्रदर्शों के संबंध में निर्यात / आयात नियंत्रण औपचारिकताओं में ढील देना, उन पर लगने वाले सीमाशुल्कों से छूट तथा जी० आर० आई औपचारिकातएँ समाप्त करना।

(6) अनुवर्ती कार्यवाही तथा प्रदर्शनियों में संभाव्यता वाले खरीदारों और निर्यातकों के बीच संविदाएँ करना सुकर बनाने के लिये व्यापारसंबंधी पूछताछ का निर्यातकों में वितरण।

(7) आवश्यक होने पर द्वि-भाषियों की निःशुल्क सेवाओं की व्यवस्था।

(ख) विदेशों में आवधिक-पत्रिकाओं, पैम्फलेटों, विवरणकाओं तथा वृत्त-चित्रों के माध्यम से वाणिज्यिक प्रचार किया जाता है। विदेशी समाचारपत्रों तथा पत्रिकाओं में समय-समय पर भारत के आर्थिक विकास पर विशेष परिशिष्ट भी प्रोयोजित किए जाते हैं। गैर-सरकारी क्षेत्र के निर्यात सदन अपनी आवश्यकता के अनुसार अपने प्रचार तथा विज्ञापन द्वारा प्रचार के इस प्रयत्न में योग देते हैं।

(ग) 1,79,62,000 रुपये।

**मैसर्स राम बहादुर ठाकुर एण्ड कम्पनी द्वारा मैंगनीज तथा अन्य अयस्कों का निर्यात**

4289. **श्री लखन लाल गुप्त :** **श्री नीतिराज सिंह चौधरी :**

क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मैसर्ज राम बहादुर ठाकुर एण्ड कम्पनी ने गत तीन वर्षों में वर्षवार कितनी मात्रा में मैंगनीज तथा अन्य अयस्कों का निर्यात किया?

**वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री चौधरी राम सेवक):**

मैसर्ज राम बहादुर ठाकुर एण्ड कं० द्वारा निर्यातित मैंगनीज अयस्क, जिसे खनिज तथा धातु व्यापार निगम के माध्यम से निर्यात किया गया था, के विषय में और जिस लौह अयस्क को, पिछले तीन वर्षों में निर्यात की संविदाओं को पूरा करने के लिये, खनिज तथा धातु व्यापार निगम ने इस पार्टी से प्राप्त किया था, के संबंध में जानकारी इस प्रकार है:

**खनिज तथा धातु व्यापार निगम के माध्यम से मैंगनीज अयस्क का निर्यात**

| | | |
|---|---|---|
| 1966 | – | 1,16,307 मे० टन |
| 1967 | – | 1,50,111 मे० टन |
| 1968 | – | 1,95,151 मे० टन |

**मैसर्स राम बहादुर ठाकुर एण्ड कं० से खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा, अपनी निर्यात संविदाओं को पूरी करने हेतु, प्राप्त किया गया लौह अयस्क**

| | | मे० टन |
|---|---|---|
| 1966 | – | कुछ नहीं |
| 1967 | – | 204 |
| 1968 | – | 65,991 |

पिछले तीन वर्षों में मैसर्ज राम बहादुर ठाकुर एण्ड कं० द्वारा निर्यात किए गए लौह तथा मैंगनीज अयस्क के अलावा अन्य अयस्कों के निर्यात आँकड़े इस समय उपलब्ध नहीं हैं।

**कांडला बंदरगाह के कार्य की धीमी प्रगति के कारणों की जाँच**

4290. **श्री तुलसीदास जाधव :** क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग-मंडल संघ द्वारा काँडला बंदरगाह के कार्य की

धीमी प्रगति के करणों की जाँच करने के लिए नियुक्त की गई समिति ने यह सुझाव दिया है कि यदि बेहतर सुविधाएँ तथा प्रोत्साहन दिए जायँ तो कांडला बन्दरगाह निर्बाध बंदरगाह तथा अबाध व्यापार क्षेत्र के रूप में विश्व की अन्य अबाध बंदरगाह के साथ अच्छी तरह मुकाबला कर सकता है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

**वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री चौधरी राम सेवक) :**

(क) और (ख) भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग-मंडल संघ द्वारा स्थापित समिति कांडला पत्तन के विषय में नहीं थी अपितु कांडला मुक्त व्यापार क्षेत्र के विषय में थी और उसने उक्त क्षेत्र में चल रहे कारखानों के लिये अनेक प्रकार के प्रोत्साहन तथा सुविधाएँ देने की सिफारिश की हैं। इन पर संबंधित मंत्रालयों तथा विभागों की सलाह से विचार किया जा रहा है।

**Message to Appollo-11**

4291. **Shri Yashwant Singh Kushwah:** Will the **Prime Minister** be pleased to state the message conveyed to Apollo-11 astronauts by her, on behalf of India, to be carried by them on their journey to moon?

**The Prime Minister, Minister of Finance, Minister of Atomic Energy, and Minister of Planning (Shrimati Indira Gandhi):**

As the President himself had sent a message on the occasion, the Prime Minister did not send any.

**कृषि-उद्योग समूह**

4292. **श्री नि० रं० लास्कर :** **श्री चेंगलराया नायडू :**
**श्री रा० बरुआ :**

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि अणु-शक्ति आयोग ने इस बात की सम्भावना के बारे में अध्ययन आरम्भ किया है कि क्या एक बड़े परमाणु बिजली-घर से प्राप्त कम कीमत वाली बिजली को कृषि उद्योग समूह के लिये प्रयोग में लाया जा सकता है;

(ख) क्या यह भी सच है कि यह आयोग मुख्य जल-विद्युत् परियोजना की उपयोगिता को बढ़ाने के लिए कम लागत वाली परमाणु बिजली को पम्पस्टोर के काम में लाने के प्रश्न पर भी सक्रिय रूप से अध्ययन कर रहा है; और

(ग) यदि हाँ, तो अन्तिम प्रतिवेदन कब तक प्रस्तुत होने की सम्भावना है?

**प्रधान मंत्री, वित्त मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री तथा योजना मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी)**

(क) और (ख) जी, हाँ।

(ग) यह आशा की जाती है कि कृषि उद्योग समूह के बारे में किए गए अध्ययनों की अन्तिम रिपोर्ट इस वर्ष पेश कर दी जायेगी तथा सस्ती परमाणु बिजली को पम्पस्टोर के काम में लाने से सम्बन्धित रिपोर्ट सन् 1970 के मध्य तक पेश की जायेगी।

**भारत तथा नेपाल के बीच चौकियों से भारतीय सैनिकों की वापसी**

4293. **श्री चेंगलराया नायडू : 　　　　श्री रा० बरुआ :**
**श्री नि० रं० लास्कर :**

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय सैनिक संपर्क दल तथा सीमा चौकियों के कर्मचारियों की वापसी में भारत तथा नेपाल के बीच खुली सीमा पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा;

(ख) यदि हाँ, तो किस हद तक;

(ग) इस बारे में क्या कार्यवाही की जा रही है; और

(घ) क्या नेपाल के सुझाव के अनुसार भारतीय सैनिकों को वापस बुला लिया गया है और यदि नहीं, तो ऐसा कब तक किए जाने की संभावना है?

**वैदेशिक-कार्य मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) :**

(क) से (घ) नेपाली अधिकारियों का दल हमारे अधिकारियों से बातचीत करने के लिए दिल्ली आएगा। उस समय जिन मसलों पर गहराई से विचार किया जाना है उनमें यह भी एक है; नेपाली अधिकारियों का यह दल जल्दी ही आने वाला है। भारत और नेपाल, दोनों को मान्य विशिष्ट समाधान खोजने के विचार से भारतीय सैनिक संपर्क दल का दर्जा बदलने के सभी निहतार्थों का तभी अध्ययन किया जाएगा।

**इस्पात के आयात के लिये मध्य प्रदेश के लिये विदेशी मुद्रा का निर्यात**

4294. **श्री दे० वि० सिंह :** क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 1965 से अब तक विभिन्न नियतन अवधियों में एस० एस० आई० एककों के लिये लोहे तथा इस्पात के आयात हेतु मध्य प्रदेश सरकार को कितनी विदेशी मुद्रा (रुपयों में) उपलब्ध की गई;

(ख) खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा इस धनराशि का लोहे तथा इस्पात के आयात के लिये किस हद तक उपयोग किया गया; और

(ग) क्या कोई राशि शेष है और यदि हाँ, तो नियत की गई राशि के शेष भाग को शीघ्र उपयोग करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है?

**वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री चौधरी राम सेवक) :**

(क) अक्तूबर-मार्च, 1965 से अप्रैल-मार्च, 1967 तक की अवधि में लघु उद्योग एककों के लिये लोहे तथा इस्पात के आयात के लिये मध्य प्रदेश सरकार को निम्नांकित विदेशी मुद्रा (रुपए में) दी गई है:—

| अवधि | मूल्य रुपये |
|---|---|
| अक्तूबर-मार्च, 1965 | 24,83,000 |

| | | |
|---|---|---|
| अप्रैल-मार्च, | 1966 | 12,53,000 |
| अप्रैल-मार्च, | 1967 | 89,64,000 |

(ख) और (घ) 1965-66 से 1967-66 की अवधि में उद्योग निदेशक, मध्य प्रदेश के हक में निर्धारित नियतन तथा खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा की गई पूर्तियाँ निम्नांकित प्रकार हैं :—

| **इस्पात की कोटि** | 1965-66 | | 1966-67 | | 1967-68 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **नियतन** | **पूर्ति** | **नियतन** | **पूर्ति** | **नियतन** | **पूर्ति** |
| जी पी शीट | 934 | 221 | 291 | 713 | — | 291 |
| बी पी शीट | — | — | 74 | 15 | — | 59 |
| सी० आर० डी डी शीट | — | — | 211 | — | — | 212 |
| टिन प्लेट | 510 | — | — | 41(क) | — | — |

(क) शेष मात्रा अर्थात् 469 में टन मध्य प्रदेश द्वारा नहीं उठाई गई थी और खनिज तथा धातु व्यापार निगम को घाटे पर बेचनी पड़ी।

**प्रतिरक्षा मंत्रालय द्वारा नियंत्रित हवाई अड्डों पर विमान उतारने के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा अनुमति मांगा जाना**

4295. **श्री दे० वि० सिंह :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार से कोई पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें उनके मंत्रालय द्वारा नियंत्रित नीमच, ग्वालियर और इलाहाबाद के हवाई अड्डों पर प्रत्येक अवसर पर विमान उतारने के लिए पूर्व अनुमति लिए बिना विमान उतारने के लिए सामान्य अनुमति के लिए प्रार्थना की गई है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस बारे में सरकार ने क्या निर्णय किया है?

**प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) :**

(क) जी हाँ।

(ख) इस मामले में सामान्य रियायतें देना सम्भव नहीं हो सका था।

**प्रतिरक्षा संस्थानों में अनुसूचित जातियों-अनुसूचित आदिम जातियों के असैनिक प्रशिक्षु**

4296. **श्री प्र० रं० ठाकुर :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री प्रतिरक्षा संस्थानों में असैनिक प्रशिक्षुओं के बारे में 26 मार्च, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4517 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 21 अगस्त, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4775 के भाग (क) के नकारात्मक उत्तर के विचाराधीन मामले पर अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त के वर्ष 1952 के दूसरे वार्षिक प्रतिवेदन के पृष्ठ 62 पर दर्ज स्पष्ट बयान को कैसे उचित ठहराने का सरकार का विचार है;

(ख) क्या मंत्रालय के निर्णय के उचित रिकार्ड तथा इस सम्बन्ध में जारी की गई हिदायतों को, जो आयुक्त के वार्षिक प्रतिवेदन में विशेष रूप से उल्लिखित हैं, ढूंढ कर उनकी प्रतियाँ सभा-पटल पर रखी जाएगी; और

(ग) सभा को गुमराह करने के लिये गलत बयान देने वाले सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार है?

**प्रतिरक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मं० रं० कृष्ण) :**

(क) से (ग) मामले पर विचार किया जा रहा है और एक विवरण सभा के पटल पर सम्भव रूप से यथाशीघ्र रख दिया जाएगा।

**डमडम आयुध कारखाने में सफल प्रशिक्षुओं को कार्य पर लगाना**

4297. **श्री प्र० रं. ठाकुर :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि डमडम आयुध कारखाने के सातवें प्रशिक्षण दल के सभी सफल प्रशिक्षुओं को हाल ही में कारखाने में नियुक्त कर दिया गया है;

(ख) क्या यह भी सच है कि पहले सफल हुए ऐसे ही दो दलों को अभी तक रोजगार नहीं दिया गया; और

(ग) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं?

**प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) :**

(क) से (ग) जानकारी प्राप्त की जा रही है और उसे सभा के पटल पर रख दिया जाएगा।

**डमडम आयुध कारखाने में नियुक्त तकनीकी व्यक्ति**

4298. **श्री प्र० रं० ठाकुर :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) डमडम आयुध कारखाने में इस समय दस्तकरों, दक्ष शिल्पियों और पर्यवेक्षी व्यक्तियों जैसे तकनीकी व्यक्तियों की संख्या कितनी है और प्रत्येक वर्ग में अनुसूचित जातियों तथा अनुचित आदिम जातियों के पृथक-पृथक कितने व्यक्ति हैं;

(ख) पिछले पाँच वर्षों में वर्षवार प्रत्येक वर्ग में कितने स्थान रिक्त थे और उनमें से कितने स्थान वास्तविक रूप से भरे गए, उनमें से अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कितने व्यक्ति नियुक्त किए गए और क्या इनकी भर्ती 'आगे ले जाओ' विनियमों सहित रक्षित कोटे के अनुसार थी;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या इन समुदायों से प्रशिक्षुओं का चयन पूरा कोटा भरने तथा उनको उचित कार्य देकर उपलब्ध रिक्त स्थानों पर लगाने की दृष्टि से किया गया था; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र):**

(क) से (ङ) सूचना एकत्रित की जा रही है और वह सभा के पटल पर रख दी जायेगी।

**अणुशक्ति का उत्पादन**

4299. **श्री रामावतार शर्मा :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि अणुशक्ति के उत्पादन में भारत बहुत पिछड़ा हुआ है और विश्व के पन्द्रह अणुशक्ति उत्पादक देशों में इसका आठवाँ स्थान है;

(ख) क्या यह भी सच है कि अगले वर्ष भारत का ग्यारहवाँ स्थान हो जायेगा और 1974 में इसका स्थान तेरहवाँ रह जायेगा; और

(ग) यदि हाँ, तो देश में अणु सम्बन्धी अनुसंधान और उत्पादन को बढ़ाने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है?

**प्रधान मंत्री, वित्त मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी):**

(क) और (ख) जी, हाँ। अन्तर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी द्वारा लगाये गए नवीनतम अनुमानों के अनुसार परिस्थिति ऐसी है।

(ग) परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का विकास देश के साधनों, इस कार्यक्रम की तुलना में महत्त्वपूर्ण अन्य विभिन्न कार्यक्रमों तथा अन्य सम्बन्धित कारणों पर निर्भर करता है।

## ट्रैक्टर उपहार योजना

4300. **श्री नारायण रेड्डी :** क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि: उन राज्यों के नाम क्या हैं जिनकी ट्रैक्टर उपहार योजना के अंतर्गत आयातित ट्रैक्टर भेजे गए हैं तथा उसका व्यौरा क्या है?

**वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री चौधरी राम सेवक) :**

जानकारी उपलब्ध नहीं है क्योंकि आयात आँकड़े समूचे देश के लिये रखे जाते हैं न कि राज्य-वार अथवा क्षेत्र-वार।

## पाक अधिकृत काश्मीर की मुक्ति

4301. **श्री बेणी शंकर शर्मा :** क्या वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) चूंकि भारत में काश्मीर का विलयन एक पूर्ण तथ्य है और इस प्रश्न को किन्हीं परिस्थितियों में पुनः नहीं उठाया जा सकता है अतः सरकार काश्मीर के पाक अधिकृत क्षेत्र को मुक्त कराने के लिये क्या कार्यवाही कर रही है;

(ख) क्या यह भी सच है कि पाक अधिकृत काश्मीर के लोग इस ओर के अपने भाइयों के साथ मिलने के लिये उत्सुक हैं; और

(ग) यदि हाँ, तो सरकार उनके इस उद्देश्य को पूरा करने में हमारे देश के इन नागरिकों की क्या सहायता करने जा रही है?

**वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) :**

(क) और (ग) सरकार की नीति पकिस्तान द्वारा काश्मीर के एक हिस्से को बलपूर्वक और अवैध ढंग से अधिकृत किए जाने के कारण उत्पन्न विवाद को पारस्परिक बातचीत के द्वारा शान्तिपूर्ण ढंग से निपटाने की रही है।

(ख) पाकिस्तान द्वारा अधिकृत काश्मीर से समय-समय पर सरकार को असंतोष की रिपोर्टें प्राप्त होती हैं।

### अभ्रक का निर्यात

4302. **श्री बेणी शंकर शर्मा:** क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि अभ्रक खनन का भारत के उद्योगों में महत्त्वपूर्ण स्थान है;

(ख) यदि हाँ, तो पिछले तीन वर्षों में कितनी मात्रा में कितने मूल्य का अभ्रक किन-किन देशों को निर्यात किया गया;

(ग) क्या यह सच है कि सरकार की नीतियों के कारण पिछले कुछ वर्षों में अभ्रक के निर्यात में कमी आई है;

(घ) यदि हाँ, तो सरकार ने इस स्थिति को सुधारने के लिये क्या कार्यवाही की है?

**वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री चौधरी राम सेवक)** :

(क) अभ्रक खनन भारत में अत्यन्त महत्त्वपूर्ण खनन उद्योगों में एक है।

(ख) गत तीन वर्षों में अभ्रक का निर्यात नीचे दिखाया गया है

| वर्ष | मात्रा (लाख किग्रा) | मूल्य (लाख रु०) |
|---|---|---|
| 1966–67 | 188.4 | 1594.68 |
| 1967–68 | 230.3 | 1618.00 |
| 1968–69 | 209.6 | 1549.51 |

हमारे अभ्रक का निर्यात का लगभग 75% अंश सं० रा० अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, सोवियत संघ, जर्मन संघीय गणराज्य, पोलैण्ड तथा चैकोस्लोवाकिया को जाता है जिनमें यूरोप, आस्ट्रेलिया, मध्यपूर्व तथा सुदूरपूर्व के देश शामिल हैं।

(ग) यद्यपि हमें प्राप्त होने वाले प्रति एकक मूल्य में पर्याप्त सुधार हुआ है तथापि 1966–67 के बाद से अभ्रक के निर्यात परिमाण की दृष्टि से गिर गए हैं। निर्यातों में गिरावट मुख्यतः निम्नलिखित कारणों से है:—

(1) पुनर्गठित अभ्रक का उत्पादन;
(2) संश्लिष्ट प्रतिस्थानों का विकास; और
(3) ब्राजील तथा मडगास्कर जैसे संभरण के नए स्रोतों से प्रतियोगिता।

(घ) अभ्रक के निर्यातों में स्थायित्व लाने के लिये सरकार द्वारा किए गए उपायों में ये शामिल हैं:—

(क) निर्यातों को बढ़ाने के लिये विदेशों में भारतीय मिशनों की सेवाओं का उपयोग;
(ख) प्रेषण के आधार पर अभ्रक के निर्यात पर रोक लगाना (100% साख-पत्र के आधार पर निर्यात की अनुमति दी जाती है)
(ग) अभ्रक के अभिज्ञात वर्गों के लिए न्यूनतम मूल्य का निर्धारण।
(घ) विदेशी खरीदारों में हमारे उत्पादों के प्रति पुनः विश्वास पैदा करने हेतु जहाज-लदान से पूर्व अनिवार्य निरीक्षण का लागू किया जाना; और
(ङ) अभ्रक के विखंडित टुकड़ों तथा अभ्रक के चूरे पर निर्यात शुल्क में कमी।

**पटसन उद्योग के कर्मचारियों की मजूरी में वृद्धि**

4303. **श्री बेणी शंकर शर्मा :** क्या वैदेशिक-व्यापार तथा पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि कलकत्ता में 27 मई 1969 को हुए त्रिदलीय सम्मेलन में पटसन उद्योग कर्मचारियों ने माँग की कि उनके वेतन को 142 रुपए से बढ़ाकर 235 रुपए कर दिया जाये;

(ख) क्या उस माँग को मालिकों द्वारा स्वीकार कर लिया गया था;

(ग) यदि नहीं तो मालिकों ने उसके लिये क्या कारण बताये; और

(घ) क्या सरकार समझती है कि मालिकों का श्रमिकों के प्रति इस प्रकार का रवैया उचित है?

**वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री चौधरी राम सेवक) :**

(क) से (घ) मई 1969 में कलकत्ता में हुई त्रिदलीय वार्ताएँ असफल हो गई थीं और 4 अगस्त, 1969 से पटसन उद्योग के कर्मचारियों ने अनिश्चित हड़ताल कर दी थी।

पटसन उद्योग की हड़ताल के संबंध में 5 अगस्त, 1969 तथा 11 अगस्त, 1969 को सभा में विदेशी व्यापार तथा पूर्ति मंत्री द्वारा दिए गए वक्तव्यों की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है।

**ऊन का उत्पादन तथा निर्यात**

4304. **श्री नि० रं० लास्कर : श्री रा० बरुआ :**
**श्री चेंगलराया नायडू :**

क्या वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार अच्छी ऊन के उत्पादन के, तथा विदेशों में ऊन के बाजारों को पुनः प्राप्त करने का प्रयत्न कर रही है;

(ख) यदि हाँ, तो भारत में उत्पन्न ऊन की मात्रा व मूल्य, तथा पिछले वर्ष निर्यात की गई ऊन की मात्रा तथा मूल्य, पृथक-पृथक रूप में कितना था; और

(ग) विदेशों में खोये हुए ऊन-बाजारों को पुनः प्राप्त करने के लिये सरकार द्वारा क्या प्रयत्न किए गए हैं?

**वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री चौधरी राम सेवक) :**

(क) जी हाँ।

(ख) देश में कच्ची ऊन का उत्पादन का प्राक्कलन प्रत्येक पाँच वर्ष में एक बार किया जाता है और गत गणना के आधार पर वर्ष 1966 में इसका प्राक्कलन 3 करोड़ 56 लाख किग्रा किया गया था। 1968–69 में लगभग 486 लाख रु० मूल्य की 89 लाख किग्रा ऊन का निर्यात किया गया था।

(ग) कच्ची ऊन पर निर्यात शुल्क को समाप्त कर दिया गया है। कच्ची ऊन के वर्तमान निर्यात को स्थिर रखने के साथ-साथ, व्यापार मुख्यतया तैयार माल के निर्यात पर ध्यान

दे रहा है। विदेशी बाजारों में भारतीय कच्ची ऊन को लोकप्रिय बनाने के लिये समुचित उपाय करने की ओर अखिल भारतीय ऊन व्यापारी संघ और ऊन तथा ऊनी माल निर्यात संवर्धन परिषद् का ध्यान आकर्षित किया जा रहा है।

### रबड़ का आयात

4305. **श्री ई० के० नायनार :** क्या वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार भारत के रबड़ उत्पादकों की सहायता करने के लिये रबड़ के आयात को बन्द करने का है;

(ख) क्या सरकार का विचार भारतीय रबड़ न्यूनतम दर 550 रुपए प्रति सैकड़ा किलोग्राम नियत करने का है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

**वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री चौधरी राम सेवक) :**

(क) जी नहीं। रबड़ का स्वदेशी उत्पादन भारत की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है।

(ख) और (ग) कच्चे रबड़ के न्यूनतम मूल्यों के पुनरीक्षण के विषय में टैरिफ आयोग द्वारा अपने प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों पर विचार किया जा रहा है। आयोग की सिफारिशों पर किए गए विनिश्चियों को यथा शीघ्र प्रकट कर दिया जायेगा।

### इस्पात की ट्यूबों के निर्यात के लिए क्रयादेश

4306. **श्री रा० बरुआ :** क्या वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नर्म इस्पात और जस्ती चादरों आदि कच्चे माल की कमी के कारण इस्पात की ट्यूबों के निर्यात के क्रयादेश रुके पड़े हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो इस कमी को कैसे पूरा करने का सरकार का विचार है?

**वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री चौधरी राम सेवक) :**

(क) और (ख) जी नहीं। इस्पात की ट्यूबों की निर्यात वचनबद्धताओं को पूरा करने के लिये गर्म करके बेल्लित इस्पात/पट्टी/स्कैल्प के उपयुक्त संभरणों की व्यवस्था की गई है। इस्पात ट्यूबों के उत्पादन के लिये जस्ती चादरों की आवश्यकता नहीं है।

किन्तु घरेलू बाजार के लिये इस्पात की ट्यूबों के उत्पादन के निमित्त स्ट्रिप/स्कैल्प की कुछ कमी है।

### मद्रास में भारतीय नौ-सेना का बेड़ा

4307. **श्री चित्त बाबू :** क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार भारतीय नौ-सेना के एक बेड़ा डिवीज़न को बम्बई से हटा कर मद्रास में तैनात करेगी क्योंकि वहाँ चीन के आक्रमण का खतरा है; और

(ख) यदि हाँ, तो इसे कब तैनात किया जायेगा?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) :

(क) और (ख) नौसेना रक्षा योजनाओं में पूर्वी समुद्री तट की सुरक्षा के लिए व्यवस्था निहित है। समुद्री बेड़े की यूनिटों की जगहों की निर्धारणा उन उत्पन्न सामरिक आवश्यकताओं के अनुकूल की जाती है जो कि मद्रास को भी समाहित कर सके। समुद्री बेड़े की कोई भी बड़ी यूनिट इस समय वहाँ मौजूद नहीं है।

**Development of Backward Hill Areas of U. P.**

4308. **Shri J. B. S. Bist**: Will the **Prime Minister** be pleased to refer to the reply given to the Unstarred Question No. 1896 on the 31st July, 1968 and state:

(a) the number of meetings held by the Hill Development Board so far and the date on which they were held;

(b) the details of the recommendations made by the said Board in these meetings to the State Government and the subjects on which these recommendations were made;

(c) the names of the motorable roads recommended by the Board for the construction of which the State Government have taken a decision and the names thereof which are likely to be included in the Fourth Five Year Plan;

(d) whether Government would expeditiously implement the recommendations so far made by the Board in the order in which they have been made ; and

(e) if so, the progress made so far in this regard, and if not, reasons thereof?

**The Prime Minister, Minister of Finance, Minister of Atomic Energy and Minister of Planning (Shrimati Indira Gandhi) :**

(a) to (e) The State Government has been requested to furnish the information which is still awaited.

## सभा-पटल पर रखे गये पत्र

## PAPERS LAID ON THE TABLE

**औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार और कम्पनी-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) :** मैं उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 की धारा 7 की उप-धारा (4) के अन्तर्गत वर्ष 1968–69 के निम्नलिखित विकास परिषदों के वार्षिक प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूँ :—

(1) खाद्य पदार्थ तैयार करने वाले उद्योगों की विकास परिषद् ।

(2) तेल, प्रक्षालकों (डिटर्नेन्ट्स) और रोगनों की विकास परिषद ।

**[पुस्तकालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी०** 1716/69]

**इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी):** श्री पे० मु० पुनाचा की ओर से मैं कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं :—

(1) वर्ष 1967–68 के लिए माईनिंग एण्ड इलाईड मशीनरी कारपोरेशन लिमिटेड, दुर्गापुर के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(2) माईनिंग एण्ड एलाईड मशीनरी कारपोरेशन लिमिटेड, दुर्गापुर का वर्ष 1967–68 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियन्त्रक महा-लेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।

**[पुस्तकालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 1717/69]**

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी)** : मैं केन्द्रीय सरकार के वर्ष 1967–68 के वित्त लेखे की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूँ।

**[पुस्तकालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 1718/69]**

**विधि मंत्रालय तथा समाज-कल्याण विभाग में उपमंत्री (श्री मुहम्मद यूनुस सलीम)** : मैं लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 9 की उप-धारा (2) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या एस० ओ० 2128 की एक प्रति जो दिनाँक 2 अगस्त, 1969 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा मैसूर राज्य के सम्बन्ध में संसदीय तथा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन आदेश, 1966 की अनुसूची XI के भाग ख में कतिपय शुद्धियाँ और संशोधन किये गये, सभा-पटल पर रखता हूँ।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 1719/69]

**The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade and Supply (Shri Chaudhary Ram Sewak)**: I beg to lay the following papers:—

1. A copy of the Audited Accounts of the Central Silk Board for the year 1967-68.

2. A copy of the Annual Report of the Central Silk Board for the year 1968-69. **[Placed in Library. See No. LT-1720/69]**.

3. A copy of Errata published in Gazette of India dated the 9th July, 1969 changing the number of Notification from S.O. 2459 laid on the Table on the 23rd July, 1969 to S.O. 2559. **[Placed in Library. See No. LT-1721/69]**.

4. A copy of the Essential Commodities (Regulation of Production and Distribution for Purposes of Export) (Third Amendment) Order, 1969, published in Notification No. S.O. 2699 (English version) and S.O. 2700 (Hindi version) in Gazette of India dated the 2nd July, 1969, under sub-section (6) of section 3 of the Essential Commodities Act, 1955. **[Placed in Library. See No. LT-1722/69)**.

5. A copy of Notification No. S.O. 2701 (English version) and S.O. 2702 (Hindi version) published in Gazette of India dated the 2nd July, 1969, issued under clause 5-A of the Essential Commodities (Regulation of Production and Distribution for Purposes of Export) Order, 1966. **[Placed in Library. See No. LT-1723/69]**.

---

## प्राक्कलन समिति

## ESTIMATES COMMITTEE

### 97वाँ प्रतिवेदन

**श्री श्रीधरन** (बडागरा) : मैं सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय—फिल्म सेंसर बोर्ड बम्बई, के सम्बन्ध में प्राक्कलन समिति के दूसरे प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में प्राक्कलन समिति का 97वाँ प्रतिवेदन पेश करता हूँ।

# केन्द्रीय श्रम विधियाँ (जम्मू तथा कश्मीर पर विस्तारण) विधेयक

## CENTRAL LABOUR LAWS (EXTENSION TO JAMMU AND KASHMIR) BILL

**श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी)** । में प्रस्ताव करता हूँ कि जम्मू तथा काश्मीर राज्य पर केन्द्रीय श्रम विधियों के विस्तारण का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय।

**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

> "कि जम्मू तथा काश्मीर राज्य पर केन्द्रीय श्रम विधियों के विस्तारण का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय।"

**Shri Shiv Chandra Jha** : I want to oppose the introduction of this Bill.

**Mr. Speaker** It is a formal thing to introduce a Bill. It should be opposed in those cases only where there are certain constitutional and fundamental points but not in ordinary cases . The hon. Member has opposed the introduction of each and every Bill in the past.

**Shri Shiv Chandra Jha**: We make constructive criticism of the Government Bills. These Bills have various lacunas and as such it beeomes neccessary for us to point them out. Is it not our duty to see whether a Bill is drafted whithin the constitutional provision. The present Bill is sought to be extended to Jammu and Kashmir. In the past also Several Bills were brought here saying that "" it is hereby extended to and shall be in force in the State of Jammu and Kashmir." Does it mean that Jammu and Kashmir is not a part of India ? Weare aganist the policy of the Government whereby they provide in every legislation that it would not apply to that State and later on they bring a Bill to make it applicable there. Since the present Bill has also been brought in pursuance of the the same policy, it is objectionable. Secondly, what steps are Government taking to see that the present Bill applies to that part of Jammu and Kashmir which is now in Pakistan ?

**विधि तथा समाज-कल्याण मंत्री (श्री गोविन्द मेनन)** : ऐसी आपत्ति प्रायः उठायी जाती रही है। यह कोई सरकारी नीति नहीं है कि केन्द्रीय विधियाँ जम्मू तथा कश्मीर राज्य पर विशेष रूप से लागू की जाएँ परन्तु संविधान सभा ने जब संविधान बनाया था तो उस समय संविधान के केवल दो अनुच्छेद । और 370 जम्मू तथा कश्मीर पर लागू किये गये थे । अन्य रियासतों में समूचा संविधान लागू किया गया था । अनुच्छेद 370 बनाने में संविधान सभा का उद्देश्य इस बात पर बल देना था कि जम्मू तथा कश्मीर राज्य हस्तान्तरण दस्तावेज के अधीन भारत का अंग बना है । चूँकि अन्य राज्यों ने समूचे संविधान को मान लिया था इसलिए उनके मामले में हस्तान्तरण दस्तावेज 25 नवम्बर, 1949 को समाप्त कर दिया गया था। परन्तु जम्मू तथा कश्मीर राज्य के मामले में दस्तावेज में यह व्यवस्था थी कि इस राज्य पर संविधान के केवल वही अनुच्छेद लागू होंगे जिनमें इसका उल्लेख होगा। संविधान सभा और भारत सरकार ने कुछ कारणों से हस्तांतरण दस्तावेज पर, जो कि जम्मू तथा कश्मीर के शासक और भारत सरकार के बीच लिखा गया था, जोर दिया था । परन्तु अब सरकार की कोशिश यह है कि जम्मू तथा कश्मीर के इस विशिष्ट स्थान को धीरे-धीरे समाप्त कर दिया जाये और इसमें थोड़ा संतोष तथा राजनीतिज्ञता

के साथ काम लें ताकि थोड़े वर्षों के बाद जम्मू तथा कश्मीर राज्य की स्थिति भारत के अन्य राज्यों की तरह हो जाये ।

**श्री श्रीनिवास मिश्र** : मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाता हूँ । मैं चाहता हूँ कि यह विधेयक जम्मू तथा कश्मीर राज्य पर भी लागू हो परन्तु मैं यह नहीं चाहता कि उसमें संवैधानिक त्रुटि रह जाये । राज्य के लिए विधान बनाने की अनुच्छेद 370 में दी गई संसद् की शक्ति संघ सूची तथा समवर्ती सूची तक सीमित है और यह हस्तान्तरण दस्तावेज में लिखित मामलों के अनुरूप राष्ट्रपति द्वारा राज्य सरकार के परामर्श से घोषित की जानी चाहिए । इस विधेयक में बताया गया है कि 'उक्त सूचियों में दिये मामलों में, जो कि राष्ट्रपति राज्य सरकार की सहमति से आदेश द्वारा स्पष्ट करें ।' परन्तु यह घोषणा और आदेश नहीं दिये गये हैं ।

**श्री गोविन्द मेनन** : यह आदेश 1954 में जारी किया गया था और उसमें समय-समय पर संशोधन किये गये हैं । इस विधेयक में समवर्ती सूची की उल्लिखित मद 22, 23 और 24 उस संशोधित आदेश में शामिल हैं ।

**अध्यक्ष महोदय** : यह प्रश्न पहले भी उठाया गया है और उसका उत्तर दिया जा चुका है ।

प्रश्न यह है :

"कि कतिपय केन्द्रीय श्रम विधियों के जम्मू तथा कश्मीर राज्य पर विस्तारण का उपलब्ध करने वाले विधेयक को पेश करने की अनुमति दी जाय ।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।**

**The motion was adopted**

**श्री हाथी** : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूँ ।

---

## नियम 377 के अधीन मामला

### MATTER UNDER RULE 377

### नवनिर्वाचित राष्ट्रपति को शपथ ग्रहण कराने में विलम्ब

**श्री देवकी नन्दन पाटोदिया (जालोर)** : 20 अगस्त को राष्ट्रपति के चुनाव परिणाम की घोषणा होगी और 24 अगस्त को नये राष्ट्रपति पद-भार ग्रहण करेंगे । इस प्रकार एक संवैधानिक अनौचित्य की स्थिति उत्पन्न हो गई है । इससे पहले भूतपूर्व राष्ट्रपति अपना पाँच वर्ष का कार्यकाल समाप्त करने के बाद 13 मई को अपना कार्य-भार नये निर्वाचित राष्ट्रपति को सौंपते रहे । 20 अगस्त से 24 अगस्त के बीच की इस अवधि के दौरान नया राष्ट्रपति निर्वाचित होने पर भी उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति का कार्य करते रहेंगे । यदि इस अवधि के दौरान कोई आपात स्थिति उत्पन्न हो जाय तो मुख्य न्यायाधीश को ही स्थिति से निपटने की छूट होगी । यदि नव-निर्वाचित राष्ट्रपति यह कहें कि "मुझे राष्ट्रपति चुन लिया गया है और मुझे पद की शपथ दिलायी जाये", तो सरकार ऐसी स्थिति में क्या करेगी ? नये राष्ट्रपति को निर्वाचित होने के बाद तुरन्त पद की शपथ दिलायी जानी चाहिए । डा० जाकिर हुसैन की मई के पहले हफ्ते में मृत्यु हो गई थी । उनकी मृत्यु के एक महीने बाद नये राष्ट्रपति का चुनाव

किया जा सकता था। नये राष्ट्रपति को निर्वाचित होने के तुरन्त बाद उन्हें आज ही पद का कार्यभार सौंप दिया जाना चाहिए और भविष्य में जब भी इस तरह की स्थिति उत्पन्न हो राष्ट्रपति का चुनाव कम से कम समय में किया जाये ।

**विधि तथा समाज-कल्याण मंत्री (श्री गोविन्द मेनन)** : मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूँ कि वे अनुच्छेद 56 (1) को देखें। राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर कार्य करते हैं। अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में बताया गया है और अनुच्छेद 56 में बताया गया है कि राष्ट्रपति के पद का कार्य-भार ग्रहण करने के बारे में भी दिन तय किया जाता है और इस सम्बन्ध में संविधान में समारोह आयोजित करने का उपबन्ध है। सरकार ने नये राष्ट्रपति को 24 अगस्त को उनके पद का कार्यभार सौंपने के लिए समुचित व्यवस्था कर दी और इस सम्बन्ध में अनावश्यक बिलम्ब नहीं होगा ।

**अध्यक्ष महोदय** : इस सम्बन्ध में बहुत सी औपचारिकताओं को पूरा करना होता है। राजपत्र-अधिसूचना जारी करनी होती है और अन्य व्यवस्था भी करनी होती है। मैंने अमरीकी चुनावों के बारे में मालूम किया और मुझे बताया गया कि संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति 20 दिसम्बर को निर्वाचित हो गये थे लेकिन उन्हें उनके पद की शपथ 20 जनवरी को दिलायी गई। राष्ट्रपति के चुनाव की और उन्हें पद का कार्यभार सौंपने की तारीख निश्चित की गई हैं ।

**श्री बलराज मधोक** (दक्षिण दिल्ली) : क्या सरकार यह आश्वासन देगी कि इन चार दिनों के दौरान यह सरकार काम-चलाऊ सरकार और राष्ट्रपति काम-चलाऊ राष्ट्रपति के रूप में ही कार्य करेंगे और इस अवधि में कोई महत्त्वपूर्ण निर्णय नहीं किया जायगा ?

**श्री रंगा** (श्रीकाकुलम) : क्या सरकार यह आश्वासन देगी कि भविष्य में राष्ट्रपति के चुनाव और उन्हें पदभार सौंपने के सम्बन्ध में इस प्रकार विलम्ब नहीं होगा ।

**श्री गोविन्द मेनन** : प्रो० रंगा के मूल्यवान सुझाव पर अवश्य विचार किया जायगा ।

---

## पश्चिम बंगाल में चाय बागान के मजदूरों को हड़ताल के बारे में

### RE : STRIKE BY TEA GARDEN WORKERS IN WEST BENGAL

**श्री स० मो० बनर्जी** (कानपुर): मेरा अनुरोध है कि श्रम मंत्री ध्यानाकर्षण सूचना या अल्प-सूचना प्रश्न का उत्तर दें। श्रम मंत्री से वक्तव्य देने को कहा जाये क्योंकि दो लाख मजदूर हड़ताल पर हैं और इसका असर बंगाल की सम्पूर्ण अर्थ-व्यवस्था पर पड़ रहा है ।

**श्री इन्द्रजीत गुप्त** (अलीपुर) : ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचना देने वाले चार सदस्यों के नाम भी अल्प-सूचना प्रश्न में शामिल किए जाने चाहिये।

**अध्यक्ष महोदय** : मैं श्रम मंत्री से इन प्रश्नों का उत्तर देने को कहूँगा। फिर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचना देने वाले चार सदस्यों के नाम भी अल्प-सूचना प्रश्न में शामिल कर लिए जायेंगे।

---

## लोकपाल तथा लोकायुक्त विधेयक-जारी

LOKPAL AND LOKAYUKTAS BILL—Contd.

**अध्यक्ष महोदय**: अब लोकपाल तथा लोकायुक्त विधेयक पर विचार किया जायेगा। हमें यथासंभव कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा निर्धारित समय-सीमा का पालन करना चाहिये। हम खण्ड 2 पर चर्चा कर रहे थे।

**Shri B. P. Mandal** (Madhipura): On the basis of castes discrimination is prevalent in our country. There should be specific provision in the Bill whereby this state of affairs is also brought under the purview of the Lokpal. It is improper to exclude Prime Minister from the purview of the Lokpal. He or she should be brought under the purview of this Bill and the President of India should be deemed as competent authority in the case of Prime Minister. Another objectionable provision in the Bill is that the Ministers and Secretaries have been put in the same category and any charge can be brought by the Prime Minister against them. This should be amended to provide that a charge agaist the Ministers is brought by the Prime Minister and a charge against the Secretaries is brought by the Prime Minister as well as the Minister of the Department concerned.

It is also difficult to agree with the provision that the Lokpal should be appointed in consultation with the leader of the Opposition. The Lokpal should be kept completely free from political influence. Therefore what should be done is that there should be a panel of 3 names suggested by the Chief Justice, the Comptroller and Auditor-General and the Speaker of Lok Sabha and the President of India should appoint one of the three as Lokpal.

**अध्यक्ष महोदय**: मैं संशोधन संख्या 91 सभा में मतदान के लिये प्रस्तुत करता हूँ।

**अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 91 मतदान के लिये रखा गया।**

**लोक-सभा में मत विभाजन हुआ**
**The Lok Sabha divided**

**पक्ष में 33, विपक्ष में 120**
**Ayes 33, Noes 120**

**प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।**
**The Motion was negatived.**

**अध्यक्ष महोदय द्वारा अन्य सभी संशोधन मतदान के लिये रखे गए तथा अस्वीकृत हुए।**
**All the other amendments were put and negatived.**

**अध्यक्ष महोदय**: प्रश्न है :

"कि खण्ड 2 विधेयक का अंग बने।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**
**The Motion was adopted.**

**खंड 2 विधायक में जोड़ा गया**

**Clause 2 was added to the Bill**

**खंड 3 लोकपाल तथा लोकायुक्तों की नियुक्ति**

**श्री ओम प्रकाश त्यागी** : मैं संशोधन संख्या 47 और 176 पेश करता हूँ ।

**श्री पी० विश्वम्भरन** : मैं संशोधन संख्या 96 और 97 पेश करता हूँ ।

**श्री बि० प्र० मंडल** : मैं संशोधन संख्या 122 पेश करता हूँ ।

**श्री जे० एम० ईमाम** : मैं संशोधन संख्या 140 पेश करता हूँ ।

**Shri Om Prakash Tyagi** (Moradabad): Mr. speaker, Sir, clause No. 3 tells about the way of appointment of Lokpal and Lokayukta by the President. In this connection, through my amendment I want that the appointment to these posts should be given to the persons who are impartial for they have a vital role to play while making enquiries in respect of the corruption cases against big persons and political parties. It is because of this order that our Govt. has barred Govt. servants from taking part in political activities. So to keep the tradition of impartiality a person who is a member of any party should not be appointed on these key posts.

**Shri Raghuvir Singh Shastri** (Baghpat): May I know the clause on which the hon. Member is speaking.

**Shri Om Prakash Tyagi :** On clause 3. This comes under 3(A). It tells that:—

"लोकपाल की नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश तथा लोकसभा के विरोधी पक्ष के नेता की सम्मति से होगी ।"

I have added the following in that :

"बशर्ते उस आदमी को जो किसी राजनैतिक संस्था का सक्रिय सदस्य है या रहा हो लोकपाल या लोकायुक्त नियुक्त नहीं किया जायगा ।"

**अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 47, 96, 97, 122, 140 तथा 176, मतदान के लिए रखे गये तथा अस्वीकृत हुए ।**

**The amendments Nos. 47, 96, 97, 122, 140 and 176 were put and negatived.**

**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 3 विधेयक का अंग बने ।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ**

**The motion was adopted**

**खंड 3 विधेयक में जोड़ दिया गया ।**

**Clause 3 was added to the Bill.**

**खंड 4**

**श्री लोबो प्रभु** : मैं संशोधन संख्या 66 और 67 पेश करता हूँ ।

**श्री रघुनाथ सिंह शास्त्री** : मैं संशोधन संख्या 195 पेश करता हूँ ।

**श्री लोबो प्रभु** (उदीपी) : मेरे मित्र श्री त्यागी जी ने भी मेरे संशोधन का अनुमोदन किया

है कि कोई भी व्यक्ति जो कि राजनैतिक पार्टी से सम्बन्धित हो जिसमें मैं यह और जोड़ना चाहता हूँ किसी संसद् सदस्य की भी इस स्थान पर नियुक्ति नहीं होनी चाहिए ।

**श्री विद्याचरण शुक्ल** (महासमेद) : यह संशोधन अस्वीकृत कर दिये गये हैं तथा खण्ड तीन सदन द्वारा स्वीकृत हो चुका है ।

**श्री लोबो प्रभु** (उदीपी) : मैं खण्ड 4 में पंक्ति 34, 35, 38 तथा 39 हटाना चाहता हूँ क्योंकि कोई भी राजनैतिक पार्टी से संबद्ध व्यक्ति या संसद सदस्य इन पदों पर नियुक्त नहीं किया जाना चाहिए । मुझे पता चला है कि निर्वाचन में हारे हुए संसद् सदस्य विभिन्न पदों पर नियुक्त हुए हैं, जो कि उससे भी बुरी बात है क्योंकि संसद् सदस्य का कोई कर्तव्य तो होता है तथा वह किसी विशेष ध्येय से निर्वाचित किया जाता है । मैं इन दोनों अपने संशोधनों द्वारा उपखंडों को हटाना चाहता हूँ तथा इसके द्वारा राजनैतिक पार्टी के सदस्यों तथा संसद् सदस्यों को इससे छूट दिलाना चाहता हूँ ।

**Shri Om Prakash Tyagi:** A person affiliated with any political party cannot be expected to be impartial. It is with this end in view that Government do not allow their employees to get themselves associated with any political party. Although I never intended to make references yet in order to prove my contention it has become necessary. Mr. Malviya on his appointment in Ranchi Heavy Enginereing Corporation started the propaganda for Indian Trade Union Congress which caused a good deal of confusion in labour there. So it would not be without danger to appoint persons connected with any political party to the posts of Lokpal or Lakayukta.

**Shri Raghuvir Singh Shastri:** A person who would be appointed to these posts will necessarily be of at least 55 or 60 year of age. A man who has remained associated with some or the other party for all this time cannot all of a sudden forget its interest and thus cannot be impartial. So in order to respect the feeling behind the appointment of Lokpal or Lokayukta only impartial persons should be appointed on these posts.

**Shri Vidya Charan Shukla:** Mr speaker, I agree with the feelings expressed by hon. Members. Now the question is how to achieve this end. Here I would suggest the person who will be appointed on these posts should not be person nominated by Prime Minister. only but he should be unanimously nominated by the opposition as well as the Chief Justice of India. Thus he should be an unanimous choice. But I am not in favour of attaching any strings to it and hence I am unable to accept any of the amendments.

**श्री लोबो प्रभु** : संसद्-सदस्य की लोकपाल के पद पर नियुक्ति के विषय में माननीय मंत्री महोदय ने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया।

**श्री विद्याचरण शुक्ल** : यदि कोई संसद्-सदस्य इस पद पर नियुक्त होता है तो उसे सदस्यता से त्यागपत्र देना होगा।

**श्री लोबो प्रभु** : उसका त्यागपत्र देना आवश्यक है ।

**श्री स० मो० बनर्जी** (कानपुर) : इसमें वह आपत्ति क्यों करते हैं ? हम उनके नाम की सिफारिश कर रहे हैं।

**अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 66, 67 तथा 195 मतदान के लिए रखे गये तथा अस्वीकृत हुए**

**Amendments No. 66, 67 and 195 were put & negatived**

**अध्यक्ष महोदय**: प्रश्न यह है:

"कि खण्ड 4 विधेयक का अंग बने।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

**The motion was adopted.**

**खन्ड 4 विधेयक में जोड़ा गया**

**Clause 4 was added to the Bill.**

**अध्यक्ष महोदय**: मध्याह्न-भोजन के बाद हम खण्ड 5 पर विचार करेंगे।

**इसके पश्चात लोक-सभा मध्याह्न भोजन के लिये 2 बजे तक के लिए स्थगित हुई।**

**The Lok Sabha then adjourned for Lunch till Fourteen of the Clock.**

**लोक-सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात् पुनः समवेत हुई।**

**The Lok Sabha reassembled after Lunch at Four Minuts Past Fourteen of the Clock.**

[ **श्री एम० बी० राणा पीठासीन हुए**
**Shree M. B. Rana in the Chair** ]

**खण्ड 5**

**(लोक-सभा तथा लोकायुक्त की सेवा की अवधि तथा अन्य शर्तें)**

**श्री राम अवतार शास्त्री**: मैं संशोधन संख्या 41 और 148 पेश करता हूँ।

**श्री ओम प्रकाश त्यागी**: मैं संशोधन संख्या 178 पेश करता हूँ।

**अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 41, 148 तथा 178 मतदान के लिये रखे गए तथा अस्वीकृत हुये।**

**The amendments Nos 48, 148 178 and were put and negatived.**

**सभापति महोदय**: प्रश्न यह है:

"कि खण्ड 5 विधेयक का अंग बने।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

**The motion was adopted.**

**खण्ड 5 विधेयक में जोड़ दिया गया।**

**Clause 5 was added to the Bill**

**खण्ड 6**

**श्री शिव चन्द्र झा**: मैं संशोधन संख्या 15 पेश करता हूँ।

**श्री ओम प्रकाश त्यागी**: मैं संशोवन संख्या 48, 181, तथा 182 पेश करता हूँ।

**श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी**: मैं संशोवन संख्या 180 पेश करता हूँ।

**Shri Shiva Chandra Jha** (Madhubani): Clause 6 (3) states about the provision by which the Lokpal and Lokayukta can be removed from the office by the President if the

same is moved by the majority of both the houses. But when the Rajya Sabha does not come into the picture while the appointment of the Lokpal and Lokayukta is made then why the Rajya Sabha is being dragged in to remove them. So the power of removal of the Lokpal and Lokayukta should be restricted to Lok Sabha only as proposed bp me in my amendment No. 15.

**Shri Om Prakash Tyagi** (Moradabad): Clause 6 provides that Lokpal or Lokayukta can be removed by the President on the grounds of misbehaviour or incapacityand on no other ground. This is not proper. If the Lokpal or Lokayukta is found to be corrupt or partial, he cannot be removed on the basis of 'on no other ground', as such the 'on no other ground' should be deleted.

**श्री विद्याचरण शुक्ल** (महासमंद) : यदि माननीय सदस्य खण्ड को गौर से देखें तो उन्हें पता चलेगा कि दुर्व्यवहार शब्द के अन्तर्गत वह सभी बातें आती हैं जो कि माननीय सदस्य सोचते हैं। वास्तव में हमने संविधान के 124 (4) अनुच्छेद के अनुसार ही कार्य किया है, और क्योंकि हम लोकपाल को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की श्रेणी में ही रख रहे हैं इसलिए जिस आधार पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को उनके पद से हटाया जा सकता है उसी आधार पर लोकपाल को भी उसके पद से हटाया जा सकेगा। इसलिए सदस्यों को इस प्रश्न पर अपने संशोधनों को रखने का जोर नहीं देना चाहिये। श्री शिव चन्द्र झा ने सुझाव दिया है कि लोकपाल के विरुद्ध कार्यवाही का अधिकार केवल लोकसभा को ही होना चाहिये। परन्तु संविधान के अनुसार उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को केवल लोक सभा ही नहीं बल्कि संसद के दोनों सदनों के सम्मिलित समात्तिव के बाद ही अपने पद से हटाया जा सकता है। इस मामले में हमने यह उपबन्ध किया है कि जब भी लोकपाल को उसके पद से हटाने की आवश्यकता का अनुभव हो तो संसद के दोनों सदनों से सलाह ली जाय।

**सभापति महोदय द्वारा संशोधन सख्या 15, 48, 180, 181 तथा 182 मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।**

**The amendments Nos. 15, 48, 180, 181 and 182 were put and negatived.**

**सभापति महोदय** : प्रश्न यह है : कि खण्ड 6 विधेयक का अंग बने।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

**The motion was adopted.**

**खंड 6 विधेयक में जोड़ दिया गया।**

**The clause 6 was added to the Bill.**

**खंड 7**

**श्री वेणीशंकर शर्मा** : मैं संशोधन संख्या 24 पेश करता हूँ।

**श्री विश्वम्भरन** : मैं संशोधन संख्या 98 पेश करता हूँ।

**श्री रामावतार शास्त्री** : मैं संशोधन संख्या 149 पेश करता हूँ।

**श्री ओम प्रकाश त्यागी** : मैं संशोधन संख्या 183 पेश करता हूँ।

**श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी** : संशोधन संख्या 185 पेश करता हूँ।

**Shree Ramavatar Shastri** (Patna): The Ministers and Secretaries acquire large assets during their tenure of office. There have been several cases in Bihar where the Ministers have acquired large assets and cases are going or against them. Therefore the Lokpal should have the power to inquire into the assets of the Ministers and Secretaries so that this thing can be stopped. An amendment to that effect should be accepted by the Minister.

**श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी** (मंदसौर): आज जबकि भ्रष्टाचार का बोलबाला है तो आमतौर पर अपराधियों को रंगे हाथों पकड़ना सम्भव नहीं है। लेकिन सम्पत्ति की बारीकी से जाँच की जा सकती है। यदि सम्पत्ति कमोवेश होती है तो लोकपाल सिफारिश कर सकता है कि आवश्यक कार्यवाही की जाये तथा वह सम्बन्धित व्यक्ति से यह स्पष्ट करने के लिये कह सकता है कि उसने यह सम्पत्ति कैसे अर्जित की और यदि वह संतोषजनक ढंग से इसका स्पष्टीकरण नहीं कर सकता तो कार्यवाही की जा सकती है। विधेयक में इसका उपबन्ध किया जाना चाहिए।

**श्री विश्वम्भरन** (त्रिवेन्द्रम) : यह एक अपर्याप्त विधेयक है। इस विधेयक में मुख्य कमी यह है कि इस विधेयक के अन्तर्गत संसद् सदस्यों को नहीं लाया गया है। इस कमी को दूर किया जाना चाहिए।

**श्री विद्याचरण शुक्ल** : विधेयक में दिये गये निबन्धन आरोप की परिभाषा अत्यन्त विस्तृत है। लोकपाल निश्चित रूप से मंत्रियों तथा सचिवों के असंतुलित अस्तियों की जाँच कर सकेगा और खंड 11 (11) और 11 (2) के अन्तर्गत लोकपाल सचिवों अथवा मंत्रियों से उन अस्तियों का विवरण माँग सकता है और यदि उनका विवरण रिकार्ड या अन्य जगह न हो तो वह इस मामले की जाँच और फिर कार्यवाही कर सकता है। इसलिए प्रस्तावित संशोधनों में जो भी सुझाव दिये गये हैं वे वर्तमान उपबन्धों में आ चुके हैं। जहाँ तक संसद्-सदस्यों को भी इसके क्षेत्राधिकार में लेने का संबन्ध है, संयुक्त समिति ने इस पर बड़े गौर से विचार किया था परन्तु बाद में यह निष्कर्ष निकला था कि लोकपाल या लोकायुक्त के क्षेत्राधिकार में संसद्-सदस्यों को लेना न तो उचित होगा और न ही हमारी योजना से मेल खायेगा। इसलिए हमने यह निर्णय किया कि लोकपाल के क्षेत्राधिकार में संसद्-सदस्यों को नहीं लिया जाना चाहिए। अतएव यह संशोधन स्वीकृत नहीं किया जा सकता।

**सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या** 24, 98, 149, 183, **तथा** 185 **मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए।**

**The amendments Nos. 24, 98, 149, 183 and 185 were put and negatived.**

**सभापति महोदय** : प्रश्न यह है: "कि खण्ड 7 विधेयक का अंग बने।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

**The motion was adopted.**

**खंड 7 विधेयक में जोड़ दिया गया ।**

**Clause 7 was added to the Bill**

(खंड 8)

**श्री लोबो प्रभु** : मैं अपना संशोधन संख्या 75 पेश करता हूँ ।

**श्री सालवे** : मैं अपना संशोधन संख्या 89 पेश करता हूँ ।

**श्री लोबो प्रभु** (उदीपी) : यह उचित नहीं है कि किसी राजनैतिक दल से सम्बन्ध रखने वाला व्यक्ति या संसद सदस्य लोकपाल बनने का पात्र हो । इसलिए खण्ड 4 से ऐसा उपबन्ध निकाल दिया जाना चाहिए । खंड (2) के उपखण्ड (v) में यह उपबन्ध है कि लोकपाल अथवा लोकायुक्त किसी स्थानीय अधिकरण, निगम, सरकारी कम्पनी और किसी संस्था में नियुक्त एक सरकारी कर्मचारी के विरुद्ध व्यथा की किसी शिकायत की जाँच नहीं करेंगे । यह उचित नहीं है क्योंकि इन निकायों में काफी भ्रष्टाचार होता है । इसलिए इन अधिकायिों को भी लोकपाल के क्षेत्राधिकार में लाया जाना चाहिए ।

**श्री साल्वे** (बेतूल) : विधेयक में यह कहा गया है कि यदि शिकायत करने वाला व्यक्ति किसी न्यायालय में कार्यवाही करके शिकायत का समाधान कर सकता है तो व्यथा की कोई शिकायत नहीं की जा सकेगी । लेकिन यदि एक उच्च न्यायालय में लेख-याचिका के द्वारा शिकायत करने वाला व्यक्ति अपनी शिकायत का समाधान कर सकता है तो भी लेख-याचिका के बजाय उस व्यक्ति को लोकपाल या लोकायुक्त के पास जाने की छूट होनी चाहिए । क्योंकि प्रादेश (रिट) दायर करने में कठिनाई होती है । यह भी आवश्यक है कि आय-कर विभाग, विक्रय-कर विभाग सीमा-शुल्क और उत्पादन-शुल्क इस विधेयक की सीमा से बाहर न रहने दिये जाँय । हम प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष करों के माध्यम से 2.20 करोड़ रुपये वसूल करते हैं । इसलिए यह परम आवश्यक है कि ये लोग लोकपाल तथा लोकायुक्त के क्षेत्राधिकार में हों जो इन प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष करों की वसूली करते हैं । इसका विधेयक में स्पष्ट रूप से उपबन्ध किया जाना है। अनुचित ढंग से मसौदा तैयार करने के कारण अनेक मुकदमें चलाये जाते हैं क्योंकि उचित तथा सही ढंग से संविधि-पुस्तक में विधान सभा के इरादे प्रकाशित नहीं किये जाते । अतः इस तरह की बेकार मुकदमेबाजी से बचने के लिए विधेयक में स्पष्ट रूप से इस बात का उल्लेख किया जाये कि अन सभी लोगों को भी लोकपालों के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत लाया जायेगा जो प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष करों की वसूली करने के लिए उत्तरदायी हैं ।

**श्री विद्याचरण शुक्ल** : कुछ शिकायतें तो पहले ही विधेयक के अन्तर्गत आती हैं । अन्य शिकायतों को दूर करने के लिए दूसरे उपाय हैं । वरिष्ठ अधिकारी से अपील की जा सकती है या उच्च न्यायालय में लेख्य-याचिका दी जा सकती है । इसलिए इन सबको भी सम्मिलित करके लोकपाल और लोकायुक्त के क्षेत्र को विस्तृत करना हमारे लिये संभव नहीं होगा ।

यदि कोई करदाता किसी आयकर या विक्रय-कर अधिकारी के विरुद्ध कर से सम्बन्धित कोई आरोप लगाना चाहता है तो वह वर्तमान नियम के अनुसार भी लोकपाल से शिकायत कर सकता है । इस पर कोई रोक नहीं लगाई गई है । अगर करदाता को अधिक या गलत कर-निर्धारण के बारे में शिकायत है तो वरिष्ठ अधिकारियों से अपील कर सकता है या उच्च न्यायालय

में लेख्य-याचिका दे सकता है। इसलिए इन सबको सम्मिलित करके लोकपाल और लोकायुक्त के क्षेत्र को विस्तृत करना हमारे लिए सम्भव न होगा। जिन शिकायतों को दूर करने के लिए कोई उपाय मौजूद हैं उन्हें हमने इसमें शामिल नहीं किया है परन्तु सभी तरह के आरोपों को हमने इसके क्षेत्र में शामिल कर लिया है।

श्री लोबो प्रभु द्वारा पेश किये संशोधनों का अभिप्राय संघ राज्य क्षेत्रों के सरकारी कर्मचारियों तथा सरकारी उपक्रमों में भ्रटाचार रोकने का है और इसका उपाय विधेयक में पहले ही शामिल है। अतः मेरे विचार से ये संशोधन स्वीकार करना जरूरी नहीं है।

**श्री साल्वे** : माननीय गृह मंत्री ने जो स्पष्टीकरण किया है उसे देखते हुए मैं अपना संशोधन वापस लेने की सभा से अनुमति माँगता हूँ।

**श्री लोबो प्रभु** : मैं अपना संशोधन वापस लेना चाहता हूँ।

**सभापति महोदय**: क्या माननीय सदस्यों को अपने संशोधन वापस लेने के लिए सभा की अनुमति है?

**संशोधन संख्या 75 और 89 सभा की अनुमति से वापस लिये गये।**

**Amendments Nos. 75 and 89 were. by leave, withdrawn.**

**सभापति महोदय**: प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 8 विधेयक का अंग बने।'

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

**The motion was adopted.**

**खण्ड 8 विधेयक में जोड़ा गया।**

**Clause 8 was added to the Bill**

**खण्ड 9–(शिकायतों के सम्बन्ध में उपबन्ध)**

**श्री शिवचन्द्र झा**: मैं अपना संशोधन संख्या 17 पेश करता हूँ।

**श्री श्रीनिवास मिश्र** : मैं संशोध संख्या 52 और 53 तथा मौखिक रूप-भेद के साथ संशोधन संख्या 54 प्रस्तुत करता हूँ। संशोधन संख्या 54 इस प्रकार है :—

"कि पृष्ठ 9, पंक्ति 10 में, अन्त में यह जोड़ा जाए :—

"and the Lokpal or Lokayukta as the case may be if satisfied that it is necessary so to do, treat such letter as a complaint made in accordance with the provision of sub-section (2)"

"और यदि लोकपाल या लोकायुक्त, जो भी हो, इस बात से सन्तुष्ट हैं कि ऐसा करना आवश्यक हो तो वह ऐसे पत्र को उप-धारा (2) के उपबन्धों के अनुसार की गई शिकायत समझें।"

**श्री बी० पी० मण्डल** : मैं संशोधन संख्या 132 प्रस्तुत करता हूँ।

**श्री ओम प्रकाश त्यागी** : मैं संशोधन संख्या 188 प्रस्तुत करता हूँ।

**श्री श्रीनिवास मिश्र** : विधेयक में यह व्यवस्था है कि यदि कोई व्यक्ति पुलिस हिरासत आदि से लोकपाल या लोकायुक्त को कोई पत्र लिखता है तो वह पत्र बिना खोले तुरन्त लोकपाल या लोकायुक्त के पास भेज दिया जायेगा। मेरा सुझाव है कि 'पुलिस हिरासत' आदि के बाद आये

'स्थान' शब्द की जगह 'संस्था' शब्द रखा जाये और लोकपाल या लोकायुक्त को यह शक्ति दी जानी चाहिए कि वह ऐसे पत्रों को शिकायत समझें ।

**Shri Shiv Chandra Jha:** In regard to the procedure relating to complaints against the Ministers or public servants, it should be provided that anonymous complaints can also be made. It will give a chance to those persons also who felt like making complaints against the Minister or public servants but dare not to do so openly.

**Shri O.P. Tyagi:** The procedure of making complaints should be so simple that anybody who wants to lodge a complaint against any Minister or public servant to the Lokpal or Lokayukta can do so easily. Further, there should be no stamp duty for making such complaints.

**Shri B. P. Mandal:** The institution of Lokpal or Lokayukta should not be made like courts where poor people do not get justice. There should be no condition that duty stamp will have to be affixed on the complaint made to the Lokpal or Lokayukta.

**Shri Vidya charan Shukla ;** It has already been provided in the Bill that if the Lokpal is satisfied that there is a *prima facie* case against any Minister, he can, without any complaint being made to him, inquire into the matter. Hence there is no need to provide in the Bill specifically that anonymous complaints can be made.

I share with the views of hon. Members that it will be difficult for a person being in jail or such place to complete the formalities like affixing duty stamp etc. while making a complaint to Lokpal or Lokayukta. So I agree to the amendment No. 54 moved by Shri Mishra in modified form. As regards his amendment No 52 and 53, I say that the ward 'place' is wide and it does not exclude an institution.

**संशोधन संख्या 17, 52, 53, 132 और 188 सभा को**

**अनुमति से वापस लिये गये**

**Amendment Nos. 17, 52, 53, 132 and 188 were, by leave, withdrawn.**

**सभापति महोदय** : प्रश्न यह है कि—

पृष्ठ 9, पंक्ति 10 में, अन्त में यह जोड़ा जाये—

" and the Lokpal or Lokayukta as the case may be, may, if satisfied that it is necessary so to do, treat such letters as a complaint made in accordance with the provisions of sub-section (2)."

'और यदि लोकपाल या लोकायुक्त, जो भी हो, इस बात से संतुष्ट हैं कि ऐसा करना आवश्यक हो तो वह ऐसे पत्र को उपधारा (2) के उपबन्धों के अनुसार की गई शिकायत समझें ।" (54)

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।**

**The motion was adopted.**

**सभापति महोदय** : प्रश्न यह है—

"कि खण्ड 9, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने ।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ**

**The motion was adopted**

**खंड 9 संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया ।**

**Clause 9, as amended, was added to the Bill.**

खण्ड 10

श्री बी० पी० मंडल : मैं संशोधन संख्या 133 पेश करता हूँ ।

श्री रामावतार शास्त्री : मैं संशोधन संख्या 150, 151 और 152 पेश करता हूँ ।

श्री ओम प्रकाश त्यागी : मैं संशोध संख्या 189 पेश करता हूँ ।

**Shri B. P. Mandal:** In the procedure in respect of investigations it should be provided that no legal practitioner shall be allowed to appear on behalf of any party. The absence of lawyers at this stage will result in quick disposal of the cases.

**Shri Ramavtar Shastri :** It is not necessary that the Lokpal or Lokayukta should forward a copy of the complaint or in the case of any investigation a statement setting out the grounds therefor to the concerned public servant and the competent authority. Hence clause 10 (1) (a) should be deleted.

In case of any complaint against a public servant, he should be asked to explain his action in relation to the complaint and not that he should be allowed to offer this 'comments in that regard.

**Shri O. P. Tyagi:** It has been provided in the Bill that if the Lokpal or a Lokayukta finds that a complaint made to him is baseless, he shall communicate the same to the complainant and the public servant concerned. We want that such a complaint should not be communicated to the public servant concerned. Because, the communication of such complaints to the public servants will encourage them to harm the complainants.

**Shri Vidya Charan Shukla:** The Lokpal or a Lokayukta has been given powers in the Bill to establish procedure of investigation. If he feels that there is no need of any legal practitioner to appear on behalf of any party, he can say so in the procedure established by him.

If the Lokpal or a Lokayukta does not forward a copy of the complaint to publitc servant concerned how the public servant will be able to explain his conduct. Therefore, it is necessary that a copy of complaint is forwarded to the public servant concerned.

The Government is of the view that it is not proper to disclose the name of any public servant even after the final decision is taken.

**Shri Vidya Charan Shukla :** Whenever the Lokpal wants to conduct any enquiry against anybody, he sends a copy of the complaint to the concerned official and asks him to give his own views. So that the official comes to know that some enquiry would be held against him.

**Shri Om Prakash Tyagi:** Why do you send a copy of the complaint to the officer? What is the objective which would be achieved thereby.

श्री बि० प्र० मंडल : मैं सभा की अनुमति से अपना संशोधन संख्या 133 वापस लेना चाहता हूँ ।

**संशोधन संख्या 133 सभा की अनुमति से वापस लिया गया**

**The Amendment No. 133 was, by leave, withdrawn**

सभापति महोदय : अब मैं खण्ड 10 के अन्य संशोधन मतदान के लिए रखूँगा ।

**सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या 150, 151, 152, 189 मतदान के लिए रखे गये तथा अस्वीकृत हुए**

**The amendments Nos. 150, 151, 152 and 189 were put and negatived.**

**सभापति महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 10 विधेयक का अंग बने ।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

**The motion was adopted.**

**खंड 10 विधेयक में जोड़ दिया गया**

**Clause 10 was added to the Bill.**

**खंड 11**

**श्री श्रीनिवास मिश्र** : मैं संशोधन संख्या 55, 56 और 57 प्रस्तुत करता हूँ ।

**श्री ओमप्रकाश त्यागी** : मैं संशोधन संख्या 190 प्रस्तुत करता हूँ ।

**श्री श्रीनिवास मिश्र** : खण्ड 11 लोकपाल अथवा लोकायुक्त द्वारा लिए जाने वाले साक्ष्य से सम्बन्धित है। उसमें यह भी उल्लिखित है कि कोई व्यक्ति अपने साक्ष्य को गोपनीय रखने के लिए नहीं कह सकता ।

उप-खण्ड (4) (ख) में यह उल्लिखित है कि किसी भी व्यक्ति को ऐसी साक्ष्य देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता जिससे मंत्रिमंडल अथवा मंत्रिमंडल की किसी समिति की कार्यवाही का प्रकटीकरण हो । कोई भी व्यक्ति इस खण्ड की शरण लेकर साक्ष्य देने से इन्कार कर सकता है । परन्तु मेरे विचार में इस बात का अधिकार लोकपाल अथवा लोकायुक्त को दिया जाना चाहिए; उसके समक्ष सारा मामला रखा जाना चाहिए और वह निर्णय लेगा कि साक्ष्य दिया जाय अथवा नहीं । यदि वह निदेश दे, तो साक्ष्य दिया जाना चाहिए ।

**Shri Om Prakash Tyagi :** I agree with sub-clause 5 which mentions that no person shall be required to give evidence which might prejudice the security or defence of the country or which might involve disclosure of the proceedings of the Cabinet of Union Government. But I want to seek clarification in the matter. Supposing there are communal riots in the country and a Pakistani agent is caught and certain documents are captured from him. If he takes the plea that disclosure of documents will lead to bad relation between India and Pakistan, will Government make public the documents? Some unscrupulous lawyer may come to his defence and taking shelter under this clause may ask the Government not to disclose the document. Therefore, I suggest that 'No person' should be substituted by 'Government employee.'

**Shri Vidya Charan Shukla:** I do not agree with the amendment of Shri Mishra that the Lokpal should be vested with poverriding powers *i.e.* in case Government consider that a particular document cannot be produced in public interest he should have the final power to decide whether the disclosure of the document is in public interest or not. But if it is done, it will be difficult for the cabinet system to function. In other countries also, where the institution of Ombudsmen is prevalent, it is not obligatory for the Government to disclose a document which it considers is not in public interest.

Shri Tyagi has also introduced an amendment that 'No person' should be substituted by 'Government employees' I do not agree with this amendment also. If this amendment is agreed to certain persons would be excluded from the purview of this clause.

**Shri Om Prakash Tyagi:** Suppose an agent of some other country is arrested and he says that the documents in his possession should not be disclosed as that would spoil the relations of our country with that country.

**Shri Vidya Charan Shukla:** That will have no effect. No private certificate will be valid in this case. The certificate must be issued by Secretary to Government of India. Therefore the hon. Member should not press his amendment.

**सभापति महोदय** : क्या श्री त्यागी और श्री मिश्र अपने संशोधन वापस ले सकते हैं ?

**सभा की अनुमति से संशोधन संख्या 190, 55 56, तथा 57, वापस लिये गये**

**The amendments Nos. 190, 55, 56 and 57 were, by leave, withdrawn.**

**सभापति महोदय** : प्रश्न यह है : "कि खण्ड 11 विधेयक का अंग बने ।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ**

**The motion was adopted.**

**खण्ड 11 विधेयक में जोड़ दिया गया**

**Clause 11 was added to the Bill.**

**खण्ड 12**

**श्री लोबो प्रभु** : मैं अपने संशोधन संख्या 77 और 78 प्रस्तुत करता हूँ ।

**श्री ओमप्रकाश त्यागी** : मैं अपना संशोधन संख्या 192 प्रस्तुत करता हूँ ।

**श्री लोबो प्रभु** : इन संशोधनों में मैंने एक मूलभूत प्रश्न उठाया है कि क्या लोकपाल सरकार के आयुक्त होंगे अथवा संसद् के ? वर्तमान प्रक्रिया के अनुसार लोकपाल राष्ट्रपति के अधीन होंगे अथवा अन्य शब्दों में सरकार के अधीन होंगे । यदि किसी मामले में उन्होंने सरकार के विरुद्ध निर्णय लिया तो वह उस निर्णय को संतोषप्रद ढंग से पेश नहीं कर सकेंगे ।

इस सम्बन्ध में यह भी उल्लेखनीय है कि राष्ट्रपति और सरकार द्वारा नियुक्त प्राधिकारी भ्रष्टाचार को रोकने में असफल रहे हैं । इस सम्बन्ध में मैं शिकायत-आयुक्त और सतर्कता-आयुक्त का हवाला देता हूँ । तीन वर्ष के पश्चात् शिकायत-आयुक्त का पद अनुपयुक्त पाया गया और उसे समाप्त कर दिया गया । गृह-कार्य मंत्रालय के प्रतिवेदन के अनुसार पहले वर्ष सतर्कता-आयुक्त के पास 6,100 शिकायतें आईं और पिछले वर्ष केवल 1,000 शिकायतें आईं । इससे स्पष्ट है कि जनता को उस पर विश्वास नहीं रहा । इस सब का एक ही कारण है : वे सब उसी सरकार के अंग थे जिनके विरुद्ध कि उनको जाँच करनी थी । अतः मेरा संशोधन यह है कि जहाँ कहीं भी 'राष्ट्रपति' शब्द हो उसके स्थान पर 'अध्यक्ष' शब्द रखा जाय । मैं चाहता हूँ कि लोकपाल अध्यक्ष के अधीन हो । आपको जनता में विश्वास उत्पन्न करना चाहिए । जनता में यह धारणा नहीं होनी चाहिए कि वह निरर्थक शिकायतें कर रही है ।

**Shri O. P. Tyagi:** The report of the Lokpal sent to the President should be laid on the Table of the House within three months.

**Shri Vidya Charan Shukla:** It would be the best course that like other reports the report of the Lokpal is also sent to the President instead of to the Speaker and is laid on the Table of the House along with the explanatory memorandum on the action taken by the Government. There is no use of making a provision for the time-limit of three months for laying the report before the Parliament since we have already provided in the Bill that the report of the Lokpal shall be laid before the Parliament annually like the reports of U.P.S.C. and Comptroller and Auditor-General etc.

**श्री लोबो प्रभु :** मैं अपने संशोधनों पर सभा के मतदान की अनुमति चाहता हूँ।

**सभापति महोदय :** मैं संशोधन संख्या 77 और 78 सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूँ।

**सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या 77 और 78 मतदान के लिए रखे गये तथा अस्वीकृत हुए**

**The amendments Nos. 77 and 78 were put and negatived.**

**श्री ओम प्रकाश त्यागी :** मैं अपना संशोधन वापस लेना चाहता हूँ।

**सभापति महोदय :** क्या सदस्य महोदय को अपना संशोधन वापस लेने की सभा की अनुमति है ?

**कुछ माननीय सदस्य :** जी हाँ।

**संशोधन संख्या 192 सभा की अनुमति से वापस लिया गया।**

**The amendment No. 192 was, by leave, withdrawn.**

**सभापति महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 12 विधेयक का अंग बने।

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

**The motion was adopted.**

**खण्ड 12 विधेयक में जोड़ दिया गया।**

**Clause 12 was added to the Bill.**

**खण्ड 13 14 और 15 विधेयक में जोड़ दिये गये।**

**Clauses 13, 14 and 15 were added to the Bill.**

**खंड 16 (संरक्षण)**

**श्री विद्याचरण शुक्ल :** मैं संशोधन संख्या 11 पेश करता हूँ। यह मामूली-सा संशोधन इसलिए जरूरी है कि खण्ड 13 में उल्लिखित अभिकरणों अथवा व्यक्तियों द्वारा सदाशय से किये गये किसी कार्य के लिए उन्हें संरक्षण दिया जाये। संशोधन इस प्रकार है :—

"कि पृष्ठ 14, पंक्ति 28 और 29 में—

'or any member of their staff and employees.'

['अथवा उनके किसी कर्मचारी'] के स्थान पर

'or against any officer, employee, agency or person referred to in section 13.'

["अथवा धारा 13 में उल्लिखित किसी अधिकारी, कर्मचारी, अभिकरण या व्यक्ति के विरुद्ध"] रखा जाय।" (11)

**सभापति महोदय** : प्रश्न यह है—'

'कि पृष्ठ 14, पंक्ति 28 और 29 में

"or any member of their staff and employees".

["अथवा उनके किसी कर्मचारी"] के स्थान पर

"or against any officer, employee, agency or person referred to the section 13".

["अथवा धारा 13 में उल्लिखित किसी अधिकारी, कर्मचारी, अभिकरण या व्यक्ति के विरुद्ध"] रखा जाये। (11)

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

**The motion was adopted.**

**सभापति महोदय**: प्रश्न यह है–

"कि खण्ड 16, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ**

**The motion was adopted.**

**खण्ड 16 संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया।**

**Clause 16, as amended, was added to the Bill.**

**खण्ड 17 विधेयक में जोड़ा गया**

**Clause 17 was added to the Bill.**

**खण्ड 18**

**श्री श्रीनिवास मिश्र** : इस खण्ड में कहा गया है 'एक हजार रुपये या उससे अधिक का न्यूनतम मासिक वेतन (भत्तों को छोड़ कर)'। इसमें 'न्यूनतम' शब्द लगाना तर्कसंगत नहीं है क्योंकि 'या अधिक' शब्द लगाने से वेतन की न्यूनतम राशि स्पष्ट नहीं है।

**श्री विद्या चरण शुक्ल** : सरकारी कर्मचारियों के वेतनमान में न्यूनतम और अधिकतम सीमा दोनों ही होती हैं। इसमें कोई परस्पर विरोधी बात नहीं है।

**सभापति महोदय** : प्रश्न यह है कि—

"खण्ड 18 विधेयक का अंग बने"।

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ**

**The motion was adopted.**

**खंड 18 विधेयक में जोड़ दिया गया**

**Clause 18 was added to the Bill.**

**खण्ड 19, 20, 21, 22 और प्रथम तथा द्वितीय अनुसूची विधेयक में जोड दी गईं।**

**Clauses 19, 20, 21, 22 and the First Schedule and the Second Schedule were added to the Bill.**

**तृतीय अनुसूची**

**श्री श्रीनिवास मिश्र** : मैं संशोधन संख्या 60 और 61 प्रस्तुत करता हूँ। संशोधन संख्या 60 इस प्रकार है :

पृष्ठ 18, पंक्ति 28 में 'Government' ('सरकार') के स्थान पर 'Goverments' ('सरकारों') रखा जाय। (60)

**श्री विद्याचरण शुक्ल** : यह संशोधन उपयुक्त है। हम इसे स्वीकार करते हैं।

**श्री श्रीनिवास मिश्र** : मैं अपने संशोधन संख्या 61 के बारे में यह कहना चाहता हूँ कि सरकारी कर्मचारियों से सम्बन्धित तीसरी अनुसूची के भाग (ख) में बताई गई अनेक बातों को लोकपाल तथा लोकायुक्त के क्षेत्राधिकार के बाहर रखा गया है। यह उचित नहीं है। सरकारी कर्मचारियों की जो इस देश के नागरिक हैं, शिकायतों तथा आरोपों पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। अतः तीसरी अनुसूची का भाग (ख) हटा दिया जाना चाहिए।

**श्री विद्याचरण शुक्ल** : यदि सरकारी कर्मचारियों के व्यक्तिगत मामलों को भी लोकपाल और लोकायुक्त के क्षेत्राधिकार में शामिल कर दिया जायेगा, तो इससे लोकपाल और लोकायुक्तों का कार्य बहुत कठिन हो जायेगा। अतः हमने भूतपूर्व सरकारी कर्मचारियों के निवृत्ति-वेतन, उपदान, भविष्य निधि से सम्बन्धित प्रश्नों को छोड़ कर सरकारी कर्मचारियों के और किसी व्यक्तिगत मामले को विधेयक के क्षेत्राधिकार में नहीं रखा है।

**सभापति महोदय** : अब मैं श्री श्रीनिवास मिश्र द्वारा पेश किया गया संशोधन संख्या 61 सभा के मतदान के लिए रखता हूँ।

**सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।**

**The amendment No. 61 was put and negatived.**

**सभापति महोदय** : प्रश्न यह है :

"पृष्ठ 18, पंक्ति 28 में 'Government' ("सरकार") के स्थान पर 'Government ('सरकारों') रखा जाये (60)

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

**The motion was adopted.**

**सभापति महोदय** : प्रश्न यह है:

"कि तृतीय अनुसूची, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने।'

**'प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

**The motion was adopted.**

**तृतीय अनुसूची सशोधित रूप में विधेयक जोड़ दी गई।**

**The third Schedule, as amended, was added to the Bill.**

**खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिया गया**

**Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.**

**श्री विद्या चरण शुक्ल** : मैं प्रस्ताव करता हूँ—

"कि विधेयक को संशोधित रूप में पारित किया जाये।"

**सभापति महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ!

**सभापति महोदय** : विधेयक का यह तीसरा वाचन है। अतः लम्बा भाषण न दिया जाये।

**श्री रंगा** : मैं सभा को इस विधेयक के लिए बधाई देता हूँ इसलिए नहीं कि यह पूरी तरह से संतोषप्रद है अपितु इसलिए कि इस सभा के सदस्यों ने सरकार को यह विधान बनाने

के लिए प्रेरित किया है । इसका मुख्य श्रेय हमारे वयोवृद्ध नेता श्री मुंशी को है जिन्होंने सर्वप्रथम जनता को ओम्बुड्समैन नामक संस्था का परिचय दिया था । तब स्व० श्री हरिश्चन्द्र माथुर ने एक गैर-सरकारी संकल्प रख कर सरकार से यह वचन लिया था कि वह इस मामले पर गम्भीरता से विचार कर आवश्यक कार्यवाही करेगी । इसी के बाद प्रशासनिक सुधार आयोग ने विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया था ।

यदि सरकार विधेयक के नाम में प्रयुक्त संस्कृत शब्दों की अपेक्षा विधेयक के लिए इस तरह का नाम चुनती जो एक बड़े अर्थ का सूचक होता, तो बेहतर होता ।

यह बड़े खेद की बात है कि प्रधान मंत्री को इस विधेयक के अन्तर्गत लाने से इन्कार करने में सरकार ने अपनी सहज रूढ़िवादिता का परिचय दिया है ।

हम निश्चयपूर्वक नहीं कह सकते हैं कि जिन दो संस्थाओं को बनाने का प्रयास किया गया है उनसे सतर्कता आयोग की अपेक्षा देश को अधिक संतोष प्राप्त हो सकेगा । महत्त्वपूर्ण प्रश्न समय का है जो शिकायतों को छानबीन करने और सम्बन्धित व्यक्तियों को छुटकारा दिलाने में लगाया जायेगा । दूसरा प्रश्न धन का है जो जनसाधारण को इन संस्थाओं की सहायता लेने में खर्च करना पड़ेगा । यदि धन अधिक खर्च होगा या लोगों को इन संस्थाओं से शीघ्र न्याय नहीं मिलेगा तो इस समूची व्यवस्था से अच्छा परिणाम नहीं निकल सकेगा । आशा है सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक सावधानी बरतने की कोशिश करेगी कि शिकायतों को निपटाने में अधिक समय नहीं लगे और जनता को इन संस्थाओं में अपनी शिकायतें पेश करने में प्रक्रिया कठिन और खर्चीली न हो ।

**Shri Shiv Chandra Jha:** After independence corruption has become wide-spread in our country. In order to tackle the problem the necessity of having such a Bill has arisen. This legislation proves that the Government is guilty of the present wide-spread corruption in the country.

The office of the Prime Minister should be brought within the purview of the Bill. It is wrong to think that no Prime Minister can indulge in corruption.

Corruption has increased at a very great speed after independence. The basic reason for this is that after independence there has been no ideal before the people.

The capitalistic system in our country is also responsible for spreading corruption. Unless inequality in our society is removed, corruption cannot be eradicated. A ceiling on income should be imposed. The highest and the lowest income should be in the ratio of 1 to 10. The Government should take concrete measures in that regard.

The Bill is welcome as is seeks to create on atmosphere congenial for eradicating corruption.

**श्री नरेन्द्र सिंह महीडा** (आनंद): स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जनजीवन का स्तर गिर गया है । राज्य तथा केन्द्रीय मंत्रीगण पद का कार्यभार संभालने के बाद आत्म-संयम और अनुशासन में रहने के बजाय शान-शौकन के तरीके अपना लेते हैं । लोकतंत्र की रक्षा करने और जनजीवन के स्तर को जीवित रखने के लिए यह विधेयक आवश्यक हो गया है । लेकिन केवल इतने से

ही समस्या हल नहीं होगी । जो लोग ऊँचे पदों पर हैं उन्हें साधारण जीवन बिताना चाहिए तभी वे भ्रष्टाचार से बच सकते हैं ।

दिन प्रतिदिन हमारे चुनाव अधिक खर्चीले होते जा रहे हैं और ऊँचे पदों पर आसीन व्यक्तियों को चुनाव-खर्च पूरा करने के लिए व्यापारिक संस्थाओं तथा अन्य लोगों से आर्थिक सहायता लेने का प्रलोभन मिलता है । इस समस्या की ओर ध्यान दिया जाना चाहिए ।

भ्रष्ट व्यक्ति की, विशेषकर जो उच्च पद पर हो, खुले आम भर्त्सना की जानी चाहिए । उसके विरुद्ध केवल मामला दायर करने या उसे कुछ मामूली-सा दण्ड देने से कोई लाभ नहीं होगा । दण्ड इतना कठोर होना चाहिए कि वह दोबारा सार्वजनिक जीवन में न आ सके ।

**श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी (मन्दसौर)** : इस विधेयक को लाने के लिए सरकार बधाई की पात्र है । इस विधेयक को समाज में भ्रष्टाचार का उन्मूलन करने के सम्बन्ध में अच्छा कार्य करना चाहिए । लेकिन इस सम्बन्ध में प्रश्न यह उठता है कि क्या यह विधेयक भ्रष्टाचार को जड़ से समाप्त करने में सफल होगा ? यह विधेयक इस अर्थ में पूरा नहीं है कि इसमें भ्रष्टाचार के मुख्य कारण पर विचार नहीं किया गया है और इसमें कठोर दण्ड की व्यवस्था नहीं की गई है । यहाँ तक कि यदि सेवा नियमों में संशोधन करने की जरूरत हो तो उनमें संशोधन किया जाना चाहिए ताकि एक सिविल कर्मचारी समझ सके कि यदि वह भ्रष्ट तरीके अपनायेगा तो दण्ड बहुत कठोर होगा । सरकारी उपक्रमों में भी भ्रष्टाचार फैला हुआ है । कुछ घाटा भ्रष्टाचार के कारण होता है । इसलिए सरकारी उपक्रमों के सम्बन्ध में भी कठोर नियम निर्धारित किये जाने चाहिए । इसके अलावा जहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है वहाँ छानबीन करने तथा पता लगाने के लिये प्रयत्न किये जाने चाहिए । सरकारी उपक्रमों द्वारा किये गये समझौतों के सम्बन्ध में भ्रष्टाचार के बहुत से मामलों का पता चला है । सरकारी उपक्रमों की भलीभाँति छानबीन की जानी चाहिए । लेकिन कुछ भी हो, सरकार कोई कार्यवाही नहीं करना चाहती । ऐसे मामले हैं कि सशस्त्र बल को खराब माल सप्लाई किया गया है । जो व्यक्ति भ्रष्ट पाया जाय, उसके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्यवाही करने के लिए सशस्त्र बल के पास शक्ति होनी चाहिए । विधेयक के क्षेत्र से गुमनाम शिकायतों को अलग नहीं रखा जाना चाहिए । लोकपाल के साथ संसद की एक समिति रहनी चाहिए जो शिकायतों को छाँटे, उनका पुनरीक्षण करे और उसमें यदि वाकई कोई मामला हो, तो उसे वह लोकपाल के पास भेजे चूँकि लोकपाल के पास शिकायतों का ढेर लग जायगा, इसलिए आवश्यक यह होगा कि इस तरह की एक समिति उसके साथ रखी जाय ताकि वह ठीक प्रकार से कार्य कर सके । इस विधेयक की सफलता अधिकांश रूप से लोकपाल या लोकायुक्त के गुण पर ही निर्भर होगी । उन्हें ईमानदार व्यक्ति होना चाहिए और सार्वजनिक जीवन में उन्हें अधिक से अधिक समर्थन प्राप्त होना चाहिए ।

**श्री पी० विश्वम्भरन (त्रिवेन्द्रम)** : यह एक अपर्याप्त विधेयक है । इस विधेयक में मुख्य कमी यह है कि इस विधेयक के अन्तर्गत प्रधान मंत्री और संसद सदस्यों को नहीं लाया गया है। इस कमी को दूर किया जाना चाहिए । यह विधेयक उचित दिशा में एक कदम है और सरकार को इसके उपबन्धों को समुचित ढंग से कार्यान्वित करना चाहिए । सरकार को लोकपाल और लोकायुक्त की सिफारिशों का समुचित सम्मान करना चाहिए ।

**श्री रा० कृ० बिड़ला (झुंझुनू)** : यह बताया जाना चाहिए कि क्या सशस्त्र बल के लिए एक पृथक लोकायुक्त होगा या इस विधेयक के उपबन्ध सशस्त्र बल पर भी लागू होंगे ? ब्याव

हारिक दृष्टि से प्रत्येक क्षेत्र में भ्रष्टाचार व्याप्त है। भ्रष्टाचार का कारण यह है कि लोगों को जिन चीजों की जरूरत है, उनका उत्पादन बहुत कम होता है। हमें उनका अधिक से अधिक उत्पादन करना चाहिए। देश में जितना ही अधिक धन होगा भ्रष्टाचार उतना ही कम होगा।

**Shri Ramavtar Shastri** (Patna): On the whole the Bill is welcome. But the important fact is that the provisions of the Bill should be implemented. The Government should see to it that the provisions of the Bill are given effect to. The Lokpal should not only be honest, but should be a person, who understands the problems of common man and is above communal or caste considerations. He should also be a person who can perform his duties impartially. The Lokpal should have a clean record and should never have been gulity of corruption.

[श्री प्रकाशवीर शास्त्री पीठासीन हुए
Shri Prakash Vir Shastri in the Chair]

Corruption will have to be eradicated through some revolutionary change in our social structure and socialism should have to be ushend in the country.

**Shri Abdul Ghani Dar** (Gurgaon): This Bill will play a good role in rooting out corruption in the country. The passage of the Bill would vanish about 50 per cent of corruption. The Bill showed that the Government was serious in tackling the problem of corruption. Prime Minister and MPs should also be brought within the purview of the Bill. At times allegations and charges of corrupt practices appear in the Press. Recently a case involving corruption relating to the consumer cooperative store of the Delhi Administration has appeared in the Press. An audit report has been suppressed and fresh audit has been ordered. The Lokpal or Lokayukta should take cognizance of even those allegations about which complaints are not made. The Lokpal or Lokayukta should look into anonymous complaints also. Licence-holder for import of raw material misuse their licences. They do not utilise the imported raw material in their factories. check on the electricity Bills of such people will reveal the use of imported raw material—whether the same has actually been used for the purpose for which they are actually imported.

**Shri Beni Shanker Sharma** (Banka): The basic principle of the Bill are laudable. The license permit system is mainly responsible for corruption in our country. This system should cease now. It is difficult to say that all the future Prime Ministers will be such persons as will not be corrupt, so the office of Prime Minister and M Ps. should also be brought within the ambit of the Bill.

**Shri Vidya Charan Shukla** (Mahasamund): Almost all the members are of the opinion that the office of Lokpal or Lokayukta should be open to the persons who are impartial and honest and men of integrity. They stress that the scope of the powers of Lokpal and Lokayukta should be enlarged so that Prime Minister and MPs may also come within its purview to which Prime Minister had no objection. But when the difficulties involved in implementing this thing was impressed upon her she readily agreed to exclude the Prime Minister from its purview. As a matter of fact this office is proposed to be created not only to eredicate corruption but also to combat false allegations against high officials. So only the person having high moral standards and is liked by all will be appointed to the office of Lokpal or Lokayukta. I know that this Bill may not be able to root out corruption and other such ailments completely yet it is a good step in this direction.

**Mr. Chairman:** The question is :—

"That the Bill, as amended, be passed."

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

**The motion was adopted.**

# अनुपूरक अनुदानों की माँगें (रेलवे), 1969–70

## DEMANDS FOR SUPPLEMENTARY GRANTS (RAILWAYS) 1969-70

वर्ष 1969–70 के लिए रेलवे मंत्रालय के सम्बन्ध में निम्नलिखित अनुपूरक अनुदानों की माँगें प्रस्तुत की गईं :—

| माँग संख्या | शीर्षक | राशि |
|---|---|---|
| 2 | विविध व्यय | 4,000 रुपये |
| 15 | चालू लाइन निर्माण-पूंजी, मूल्य ह्रास आरक्षित निधि और विकास निधि | 1,000 रुपये |

**वर्ष 1969–70 के लिए रेलवे मंत्रालय की अनुपूरक अनुदानों की माँगों के सम्बन्ध में निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये :**

| माँग संख्या | कटौती प्रस्ताव | प्रस्तावक का नाम | कटौती का आधार | कटौती की राशि |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2 | 2 | **श्री जे० एम० लोबो प्रभु** | नये सर्वेक्षणों का किया जाना जब कि सैकड़ों पूरे किए जा चुके सर्वेक्षण कार्यान्वित नहीं किये जा रहे हैं | राशि घटा कर 1 रुपया कर दी दी जाय । |
| 2 | 5 | **श्री जे० एम० इमाम** | रेलवे प्रशासन में मितव्ययता करने की आवश्यकता | 100 रुपये |
| 2 | 6 | **श्री जे० एम० इमाम** | दक्षिण रेलवे में चिकजाजुर-चित्रदुर्ग लाइन को होस्पेट—जसवन्तनगर रेलवे लाइन से मिलाने के लिए तकनीकी सर्वेक्षण करने की आवश्यकता। | 100 रुपये |
| 15 | 9 | **श्री जे० एम० लोबो प्रभु** | दुहरी रेलवे लाइन बिछाने के कार्य की मन्द प्रगति | राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाय। |
| 15 | 10 | **श्री जे० एम० मामम** | रेलवे दुर्घटनाओं की बढ़ती हुई संख्या। | 100 रुपये |
| 2 | 12 | **श्री वेणी शंकर शर्मा** | कर्मचारियों की लापरवाही तथा असावधानी के कारण दुर्घटनाओं को रोकने में असफलता। | 100 रुपये |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 13 | **श्री वेणी शंकर शर्मा** | रेल गाड़ियाँ समय पर चलाने में असफलता । | 100 रुपये |
| 2 | 14 | **श्री वेणी शंकर शर्मा** | भागलपुर–मन्दारहिल शाखा के सर्वेक्षण तथा विस्तार की आवश्यकता ताकि इसको बरास्ता सन्थाल परगना देव-धन्द्र या जसीडीह के साथ मिलाया जा सके । | 100 रुपये |
| 2 | 32 | **श्री मीठा लाल मीना** | स्वीकृत नई धौलपुर-गंगापुर सिटी रेलवे लाइन योजना का सर्वेक्षण किये जाने की आव-श्यकता । | 100 रुपये |
| 2 | 33 | **श्री मीठा लाल मीना** | राजस्थान में और अधिक रेलवे लाइनें बनाने की आवश्यकता । | 100 रुपये |
| 15 | 38 | **श्री श्रीनिवास मिश्र** | दक्षिण पूर्व रेलवे में 26½ मील पर बरंग रेलवे स्टेशन पर रेलवे क्रासिंग न बनाना | 100 रुपये |
| 2 | 42 | **श्री वेणी शंकर शर्मा** | गाड़ियों को समयानुसार चलाने की आवश्यकता । | 100 रुपये |
| 2 | 43 | **श्री वेणी शंकर शर्मा** | रेलवे के कर्मचारियों में कर्तव्य और जिम्मेवारी की भावना लाने में असफलता : | 100 रुपये |
| 2 | 44 | **श्री वेणीशंकर शर्मा** | कर्मचारियों की लापरवाही असावधानता द्वारा दुर्घटनाओं को रोकने की आवश्यकता । | 100 रुपये |

**सभापति महोदय** : ये माँगे तथा कटौती प्रस्ताव सभा के समक्ष प्रस्तुत हैं ।

**रेलवे मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री परिमल घोष )**: वर्ष 1969–70 के लिए अनुदानों को अनुपूरक माँगों में 5,000 रुपए कतिपय निर्माण-कार्यों, जैसे नए सर्वेक्षण आदि, के लिए हैं और सभा के अनुमोदन के लिए रखे जायेंगे। लोक लेखा समिति की सिफारिशों के अनुसार हम केवल सांकेतिक धन राशि लेते हैं और बाद में सभा के समक्ष अनुपूरक माँगें पेश की जाती हैं।

**श्री धी० न० देव** (अंगुल) : सर्वप्रथम हमें यह पता चलना चाहिए कि क्या सभी आन्तरिक साधनों का उपयोग किया गया है, यदि हाँ, तो क्या परिणाम रहा ? रेलवे बोर्ड के प्रतिवेदन के अनुसार 1966–67 में 5.45 करोड़ रुपए और 1967–68 में 7.22 करोड़ रुपए का मुआवजा

दिया गया। इसमें लगभग 2 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई है। 1967-68 में दावों की संख्या भी बढ़ गई है। इसको रोकने के लिए रेलवे प्रशासन द्वारा क्या कार्यवाही की गई है? समाचारपत्रों में हम रोजाना पढ़ते हैं कि रेलवे सम्पत्ति को कहीं क्षति पहुँची है तो कहीं चोरी हुई है। राष्ट्रीय रेलवे प्रयोगकर्ता सलाहकार समिति ने सुझाव दिया था कि सैनिक रेलवे की गश्त लगाया करें, परन्तु रेलवे बोर्ड ने इसे बहुत खर्चीला कह कर स्वीकार नहीं किया। इस सुझाव पर अमल किया जाना चाहिये।

रेलवे पुलिस और रेलवे सुरक्षा दल भी अपने कार्य के अनुपयुक्त हैं। वे स्थानीय लोगों के साथ मिल जाते हैं। उनका शीघ्रातिशीघ्र स्थानान्तरण किया जाना चाहिए। यदि ऐसा किया गया तो गुंडों के साथ उनका सम्पर्क नहीं रहेगा।

बिना टिकट यात्रा वहाँ होती है जहाँ कुछ लोगों का गुट हो और टिकट चैकिंग कर्मचारियों की टिकट चैक करने की हिम्मत नहीं पड़ती।

मैं अपने राज्य के सम्बन्ध में भी कुछ कहना चाहता हूँ। बिमलगढ़ और तालचेर को मिलाने के लिये जो सर्वेक्षण किया जा रहा है उसे शीघ्र पूरा किया जाना चाहिये। इस लाइन का 1947 में सर्वेक्षण किया गया था और समझ में नहीं आता कि सरकार इसे वरीयता क्यों नहीं देती?

उड़ीसा में बहुत से संसाधन हैं जैसे बिजली, इस्पात, मजदूर आदि-आदि। परन्तु रेल विभाग ने सम्पूर्ण उड़ीसा में कोई वर्कशाप नहीं खोली है। उड़ीसा में एक वर्कशाप खोली जानी चाहिये।

**श्री चिन्तामणि पाणिग्रही**: हम पहले भी रेल मंत्री से मिले थे और उन्होंने आश्वासन दिया था कि तालचेर-बिमलगढ़ रेल लाइन का इंजीनियरिंग और यातायात सर्वेक्षण 1969-70 के बजट में लिया जायगा और पूरा किया जायगा। यह समझ में नहीं आता कि रेल मंत्री ने अपना वचन पूरा क्यों नहीं किया? कटक-प्रदीप लाइन का निर्माण 1970 तक पूरा किया जाना था, परन्तु वहीं इतनी धीमी प्रगति है कि कार्यक्रम के अनुसार उसके पूरा होने की आशा नहीं। मंत्री महोदय को इसे शीघ्र पूरा करने के लिए कार्यवाही करनी चाहिये।

पिछले वर्ष जब उड़ीसा में भयंकर बाढ़ और तूफान आया था तो वहाँ की रेल लाइन कई स्थानों से उखड़ गई थी। यह बहुत अजीब बात है कि मालगोनी नदी की चौड़ाई 140 फुट है परन्तु इसके ऊपर पुल 120 फुट चौड़ा है। अब वहाँ जो नया पुल बनाया जा रहा है वह कम से कम 140 फुट होना चाहिये ताकि बाढ़ के दौरान रेलवे लाइनें न टूटें।

न्यायालय में कुछ कर्मचारियों के विरुद्ध मामले चल रहे हैं। कुरदाह डिवीजन में कुछ चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की छंटनी की गई थी। जब उनका मामला उच्च न्यायालय में गया तो वे जीत गए। अब अधिकारी रेलवे बोर्ड को सलाह दे रहे हैं कि उच्चतम न्यायालय में अपील की जाय। यह अनुचित है: उच्चतम न्यायालय में अपील कर उन्हें परेशान नहीं किया जाना चाहिए।

**Shri Beni Shankar Sharma:** The number of Railway accidents has touched so high that people are afraid to travel by Railway. I think it is the feeling of negligence which causes accidents. It is high time that they should be made conscious of their duties.

The tecdency of ticketless travel is also on the increase. It should be checked.

In the end I want to draw the attention of hon. Minister to certain problems of my area. There is only one Railway line in Bhagalpur Mandar hill in Santhal Pargana. This line should be extended with the main line *via* Dumka. It is most essential for the development of this backward area.

Hawrah Barauni passenger train is not much useful for passengers of Northern Bihar. It should, therefore, be extended to Samastipur from where several branah lines are available. The two tier third class compartment in Danapur—Hawrah fast passenger train should be replaced by a three-tier third class compartment. This will be of great help to passengers of Darbhanga, Motihari and Muzaffarnagar.

There is no arrangement of light or water in trains on branch lines. The hon. Minister should ensure that there is proper arrangement of light and water on these trains.

**Shri Shiv Chandra Jha** (Madhumati): It is a happy thing that the metre gauge line from Bhatni to Barauni in the Eastern Railway is being converted into Broad gauge line. But the metre gauge line from Samastipur to Narkatyaganj Raxaul should also be converted into a broad gauge line.

As per the survey conducted, Chinka Railway Station in being converted into a flag station. A station is also being constructed between Sakri and Pandol where train would halt. There is no mention in the Supplementary Demands for grants about the expenditure to be imcurred or these works. No Railway line has yet been constructed between Nirmali, Bhaptlah and Saharsa. I would like to know whether any servey has been conducted there so far.

Una should also be made a halt station. A retiring room should be provided in Madhubani. There should be a third class retiring room in Saheri. Electricity should be provided at Ghagriha station and Tamuria station. If you would keep in view all these things then I can support the Supplementary Demands.

**श्री वी० कृष्णामूर्ति** : (कुड्डलोर): मैं रेलवे की अनुपूरक मागों का समर्थन नहीं कर सकता। श्री कामराज के चुनाव के समय कन्याकुमारी-त्रिवेन्द्रम रेलवे लाइन के बारे में बहुत कुछ कहा गया परन्तु उसके पश्चात् उपयुक्त ढंग से सर्वेक्षण नहीं किया गया और विस्तृत योजनाएँ तथा लागत का अनुमान तैयार नहीं किया गया। मंत्री महोदय कृपया यह स्पष्ट करें कि तिरुनेलवेली-नागरकोइल कन्याकुमारी–त्रिवेन्द्रम रेलवे लाइन कब तक बिछा दी जायेगी ?

रेलवे बोर्ड का कहना है कि तमिलनाडु में छः छोटी रेलवे लाइनों पर रेलवे को हानि हो रही है। इसका कारण रेलों का देर से चलना है। जब तक रेलें ठीक समय पर नहीं चलेंगी तब तक रेलवे विभाग की आमदनी नहीं बढ़ सकती, चूंकि रेल गाड़ी न मिलने पर लोग बसों से गन्तव्य स्थान पर शीघ्रता से पहुँच जाते हैं। माननीय मंत्री ने कहा है कि सम्बन्धित राज्य इन लाइनों पर हानि की पूर्ति करें परन्तु मेरा सुझाव है कि ये रेलवे लाइनें आप उन राज्यों को सौंप दें तो वे उन्हें कुशलता से चला कर दिखा सकते हैं ?

विना टिकट यात्रा के लिए और सवारी-गाड़ी से डाक-गाड़ी बदलने के लिए 10 रुपए का जुर्माना रखा गया है चाहे उस पर 1 रुपया अथवा 50 पैसे ही का खर्चा हो। इस जुर्माने को वसूल करने अथवा उसके वसूल न होने पर चार्जशीट जारी करने में टिकट-निरीक्षकों को काफी

कठिनाई उठानी पड़ेगी और उन्हें अपनी जान तक का खतरा रहेगा। टिकट-निरीक्षण कर्मचारियों की सुरक्षा का पूरा प्रबन्ध होना चाहिए।

स्वतंत्रता के बाद से मेरे निर्वाचन क्षेत्र के कुछ भागों के रेलवे स्टेशनों की दशा शोचनीय होती जा रही है और वे पहले जैसे साफ तथा सुन्दर नहीं रहे हैं। दक्षिण रेलवे के कर्मचारी अपने कर्त्तव्य का पालन ठीक से नहीं कर रहे हैं।

विल्लूपुरम स्टेशन पर रेलवे डाक सेवा के लिए किसी स्नानागार का प्रबन्ध नहीं है। उसका प्रबन्ध किया जाना चाहिये। पनरूती की जनसंख्या 50,000 है और उसके साथ ही नेवेली लिग्नाइट निगम के भी 40,000 से 50,000 तक लोग हैं। 101 और 102 बोट मेल गाड़ियों को यहाँ पर रुकना चाहिये।

**Shri Yashpal Singh** (Kairana): Dehradun is an important railway station but there is not sufficient supply of water. The rivulets, which are near the station and wash away the villages, can be utilized for supply of water.

Although there are important institutions like Engineering University, (workshop) Irrigation Research Institute, Building Research, Institute etc. in Roorkee but there is not a single retiring room at Roorkee station. As a number of visitors from abroad come to this place to see University, there is great need of retiring rooms for their stay.

Chandak is a railway station which links Bijnor and Nagimabad, but not a single express train stops there. This matter should be looked into.

The running staff gets more travelling allowance etc. in case the trains are late. Instead of punishing them, they are rewarded for running the trains late. You may increase their salary and other benefits but it is improper to give them overtime allowance for late running of trains.

[ **श्री वासुदेवन नायर पीठासीन हुए**
**Shri Vasudevan Nair in the Chair** ]

**Shri B. P. Mandal** (Madhepura); The Railway Department pay less attention to the railway lines in the rural areas than those connecting big cities. It should not be so, because majority of our population lives in the villages.

There is great need for a level crossing at Mithai station on the North Eastern Railway In spite of representations from the people concerned and my letters to the Railway Minister, nothing has been done in this direction. The Railway authorities should pay attention to this matter.

No attention has been paid to restore the railway line from Dharbhanga to Saharsa *vie* Bhaptiyahi. After the construction of the Kosi Baarrge there should be no difficulty in restoring this line.

There is need for an over-bridge at Samastipur, but no step has been taken in this direction. In the case of rail-cum-road bridges, the Railway authorities should themselves settle the matters with the State Governments.

Third Class passengers, who are a source of major portion of railway earnings, have been neglected. The Railways should pay more attention to their difficulties.

**श्री रा० कृ० बिड़ला** (झुनझुनू) : कुछ गाड़ियों को बहुत ही सुन्दर नाम दिए गए हैं जैसे ताज एक्सप्रैस, राजधानी एक्सप्रैस और चेतक एक्सप्रैस। जवान एक्सप्रैस और किसान एक्सप्रैस जैसे नाम भी कुछ रेलगाड़ियों को दिए जाने चाहिये।

राजस्थान के अकाल तथा सूखा-ग्रस्त क्षेत्रों में माल पहुँचाने के लिए माल डिब्बे पहुँचाने में रेलवे विभाग ने जो कार्य किया है वह अत्यन्त सराहनीय है।

हमने कृषि क्रान्ति शुरू की है। हमें कृषि-क्रान्ति की जरूरतें पूरी करने के लिये डीजल इंजनों और साधारण इंजनों की आवश्यकता है।

समूचे राजस्थान राज्य का सर्वेक्षण किया जाना चाहिये और मीटर गेज लाइनों को चरणवार बढ़ी लाइनों में बदला जाना चाहिये। सीमावर्ती इलाकों को भी रेलवे लाइनों से जोड़ दिया जाना चाहिये।

पिलानी में हमारे देश की बहुत महत्त्वपूर्ण औद्योगिकी और शैक्षणिक संस्था है। लेकिन इसे रेलमार्ग से नहीं जोड़ा गया है। पिलानी को चिडावा या लोहारू से जोड़ दिया जाना चाहिए।

समाचार-पत्र में प्रकाशित हुआ है कि मंत्री महोदय ने उत्तर रेलवे में रात में चलने वाली रेलगाड़ियों में सशस्त्र अनुरक्षक तैनात करने का अनुदेश दिया है। यह व्यवस्था अन्य रेलों में की जानी चाहिए। रेल डिब्बों को अफ्रीकी देशों में निर्यात करने की ओर मंत्री महोदय को विशेष ध्यान देना चाहिए। इस प्रकार इनका निर्यात बढ़ेगा।

**Shri Chandrika Prasad** (Balia): The hon. Minister has ordered for a survey from Banaras to Chhapra and Mau to Balia, but there is no mention about this in the Supplementary Demands. This work should be completed expeditiously.

We should be told about the progress made in regard to the survey from Muadeeh to Barauni and also about the action taken for providing Tigni, Samra and Chhata halts.

There is no train available from Balia to Banaras between 7 A.M. to 4 P.M. A shuttle service from Balia to Banaras should be introduced. A shuttle service should also be introduced from Balia to Chhapra.

There is great need of an over-bridge at Balia. It should be provided as early as possible.

The bogies which ply on the railway line from Balia to Shahganj are very old. There is no arrangement of light, fans and water in these bogies. Attention should be paid to this matter.

**Shri Lakhan Lal Kapoor** (Kishenganj): Barauni is an industrial area. There is a fertilizer plant and an oil refinery. Barauni-Katihar is an important section. It eaters the needs not only of an industrial area but also of our defence forces. There is a heavy traffic on this section. It a matter of regret that this meter gauge line has not been converted into broad gauge line in spite of the fact that the survey has already been completed therefor. There is already broad gauge line from Katihar upto Bogai. So there will not be much difficulty in extending the broad gauge line upto Barauni.

Katihar is an important railway station of Northern-Eastern India and a number of trains start and terminate at this station.

[ अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Speaker in the Chair. ]

Even then no developmental work has been undertaken there for long. There is no facility for passengers to stay and to change trains at this station. As far as I know Katihar is the dirtiest station in India. It is, therefore, necessary that the developmental work at this station is taken up.

Traffic has increased on the Rajendra bridge over Ganga. There is single broad gauge line on this bridge.

---

## 'बसुमति' की पूँजी-ढाँचे के बारे में**

## CAPITAL STRUCTURE OF 'BASUMATI'**

**श्री ज्योतिर्मय बसु** (डायमंड हार्बर) : 'पैट्रियट' जैसे प्रगतिशील अखबार और जनता के लिए संघर्ष करने वाली तथा संदेहातीत व्यक्तित्व वाली श्रीमती अरुणा आसफ अली के विरुद्ध कीचड़ उछाली जाने लगी है। मैं आपको 'बसुमती' अखबार के बारे में बताता हूँ जिसमें बहुत पूंजी लगी हुई है परन्तु वह उसके स्रोत के बारे में कर-अधिकारियों को सन्तुष्ट नहीं कर सका है। सरकार ने हाल ही में एक प्रश्न के उत्तर में बताया था कि 'बसुमती' मामले के सम्बन्ध में भूतपूर्व विधि मंत्री पर जो कुछ आरोप लगाये गए और जिन पर केन्द्रीय जाँच ब्यूरो का ध्यान गया, उनके बारे में जाँच-कार्य चल रहा है। मैं जानना चाहता हूँ कि यह जाँच-कार्य कब तक पूरा होगा ?

भतपूर्व विधि मंत्री के विरुद्ध ये कथित आरोप हैं कि 1960-63 के दौरान, जब वह विधि मंत्री पद पर थे, उन्होंने बंगाल की व्यापारिक संस्थाओं में जाली नामों से काफी काला धन कमाया और उनमें धन लगाया।

इन व्यापारिक संस्थाओं में 'बसुमती' नाम का एक समाचारपत्र है। इसके अतिरिक्त 'लोक सेवक' समाचारपत्र, राष्ट्रीय प्रचार फोरम और महानगर वित्त निगम है। बाद की दोनों संस्थाएँ जाली हैं। भूतपूर्व मंत्री ने 'बसुमती' में 18 लाख रुपए और दूसरी संस्थाओं में कुल मिलाकर लगभग 25 लाख रुपए लगाये थे।

इसके बाद अखबारी कागज में गड़बड़-घोटाला किया गया है। 'बसुमती' की असली बिक्री प्रतिदिन 45,000 प्रतियों की है लेकिन प्रेस रजिस्ट्रार को 1,50,000 प्रतियों की बिक्री बताई गई है। नकली सम्भरणकर्ता के माध्यम से कम्पनी से प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए से लेकर 6 लाख रूपए तक लिये गए हैं।

एकाएक प्रतियों की बिक्री संख्या प्रतिदिन 1,20,000 प्रतियों से घटकर 70,000 प्रतियाँ रह गई है। अपने समाचारपत्र में यह सूचना कि अखबारी कागज की कमी की वजह से अधिक

**आधे घंटे की चर्चा

**Half-an-hour Discussion

प्रतियाँ छापना कठिन है, प्रकाशित करके यह काम एकाएक रात भर में कर दिया गया। जब तक इस समाचार-पत्र को तत्काल काली सूची में दर्ज नहीं किया जायेगा तब तक उसे अपने पहले के बढ़े हुए और जाली बिक्री संख्या के अनुसार अधिक विज्ञापन मिलते रहेंगे। हालाँकि सरकार के अखबारी कागज के कोटे में प्रतिदिन 60,000 प्रतियों की बिक्री है फिर भी इसके विपरीत प्रतियों की वर्तमान बिक्री-संख्या प्रतिदिन 45,000 से 46,000 ही है।

एक काँग्रेसी होने के नाते भूतपूर्व विधि मंत्री को भारत सरकार से विभिन्न विभागों से सभी तरह की सहायता और संरक्षण मिला है। सरकार मामले को दबाने की कोशिश कर रही है। जिस समय केन्द्रीय जाँच ब्यूरो 'बसुमती' के विरुद्ध जाँच कर रहा था उस समय दिल्ली में केन्द्रीय जाँच ब्यूरो की एक गोष्ठी हुई और उसने समारोह में भाषण देने को इन्हीं महाशय को बुलाया। केन्द्रीय जाँच ब्यूरो इसी तरह कार्य कर रहा है।

इसके अतिरिक्त कम्पनी कानून के प्रत्येक उपबन्धक अतिक्रमण कर रहा है। 'बसुमती' प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक मंडल की 18 जनवरी, 1963 से 29 अगस्त, 1967 तक की अवधि की बैठकों की कार्यवाही-साराँश पुस्तक में 4 अगस्त, 1967 को हुई निदेशक मंडल की बैठक के संकल्प के सबन्ध में पृष्ठ 82 पर जो हस्ताक्षर हैं वे आपत्तिजनक हैं। वास्तव में उपरोक्त दो बैठकों का सभापतित्व करते हुए जिस व्यक्ति को दिखाया गया है, उसने उपरोक्त दो बैठकों का न तो सभापतित्व किया और न ही वह उस बैठक में उपस्थित हुआ।

मेरा सुझाव है कि सरकार को इसे अपने हाथ में लेकर न्यासी स्वयं नियुक्त करने चाहिये, दूसरे सभी न्यासियों के वित्तीय साधन की जाँच की जाए और तीसरे शेयर हस्तान्तरण और कार्यवाही-साराँश पुस्तकों की जाँच की जाए, चौथे अखबारी कागज के घोटाले को समाप्त कर विज्ञापनों का दिया जाना रोक दिया जाए और आगे उन्हें कोई विज्ञापन न दिया जाए।

**श्री लोबो प्रभु** (उदीपी) : हम समझते हैं कि कांग्रेस तथा साम्यवादी दोनों दल व्यक्तिगत समाचारपत्रों को चलाने के लिए दल का धन उपलब्ध करते हैं। राज्य सभा में एक प्रश्न के उत्तर में बताया गया था कि श्रीमती अरुणा आसफ अली ने 'पेट्रियट' को 18 लाख रुपए दिए। इतना धन उनके पास कहाँ से आया? लोकतंत्र में पत्रकारिता स्वतंत्र रहनी चाहिये। मैं चाहता हूँ कि सभी साम्यवादी समाचारपत्रों के वित्तीय साधनों की जाँच की जाए।

मैं समझता हूँ कि केन्द्रीय जाँच ब्यूरो द्वारा जाँच के चलते हमें एक दूसरे पर कीचड़ नहीं उछालना चाहिये।

**Shri Ramavtar Shastri** (Patna): While an enquiry has been ordered in the case of the 'Patriot' and 'Link'. Why no such enquiry is conducted iu the case of the 'Basumati'? Because, it is being run by the Syndicate, the vested interest and enemies of the masses?

I want that an enquiry should be conducted into the financial resources of 'Basumati' through the Lokayukta under the legislation recently framed by Parliament. Will Government hand over the control of the paper to its donors so as to enable them to frame is policies according to the aspirations of the people and the currents of event flowing in the country at present.

**श्री स० मो० बनर्जी**: (कानपुर) : क्योंकि जाँच चल रही है इसलिए मैं केवल यह

जानना चाहता हूँ कि यह जाँच कब पूरी होगी, क्या इसका संबंध केवल समाचारपत्र से होगा अथवा जिस संसद-सदस्य का नाम लिया जा रहा है उस पर लगाए गए व्यक्तिगत आरोपों की भी जाँच की जाएगी और यह भी कि क्या उन्हें न्यायालय अथवा किसी आयोग में अपनी सफाई पेश करने की आज्ञा दी जाएगी?

**अध्यक्ष महोदय** : श्री ए० के० सेन ! श्री सेन ने मुझसे अनुरोध किया था कि यदि उनका नाम सभा में इस संबंध में लिया जाए तो उन्हें बोलने का अवसर प्रदान किया जाए। अतः मैं उन्हें बोलने के लिए कह रहा हूँ।

**श्री अ० कु० सेन** (कलकत्ता–उतर–पश्चिम) : 'बसुमती' अभी-अभी निकलना आरम्भ हुआ है। इसके मुखपृष्ठ पर ठाकुर रामकृष्ण का मंत्र छपता है। इस पत्र के अन्तिम मालिक के निधन के बाद उसकी पुत्रियाँ आपस में लड़ने-झगड़ने लगीं, मामला न्यायालय में गया जिसके द्वारा एक 'रिसीवर' नियुक्त किया गया। 1962 में कुछ प्रमुख वकीलों ने और कुछ अंशधारियों ने मुझसे प्रार्थना की कि मैं ही इस संस्था को बचा सकता हूँ अतः मैं इसे बचा लूं अन्यथा 400 कर्मचारी बेकार हो जायेंगे। मैंने इसकी जिम्मेदारी संभाल ली। परन्तु मंत्री होने के कारण मैं इसका प्रबन्ध नहीं देख सकता था। 1967 में पता चला कि कुछ निदेशकों ने, जिन्हें हटा दिया गया था, कतिपय अनियमितताएं की हैं और वही लोग श्री बसु के पास जाकर उसे जानकारी देते रहे हैं, जिसके फलस्वरूप..... (**अन्तर्बाधाएं**)

एक आरोप यह था कि जब कि इस पत्र की एक लाख प्रतियाँ छपती हैं और कागज का कोटा इसे 40,000 प्रतियों के लिए ही मिलता है तो शेष कागज कहाँ से आता है न कि कागज़ को काले बाजार में बेचा जाता है। मुझे इस संबंध में कोई जानकारी नहीं है, मैं दिल्ली में रहा करता था। जाँच हो रही है। इस बीच दो निदेशक हटा दिए गए जिन्होंने श्री बसु की शरण ली। आरोप उनके विरुद्ध हैं, मेरे विरुद्ध नहीं।

हमारे देश में बिना जाँच का परिणाम जाने या उसके पूरी हुए, संसद् में आरोप लगाए जाते हैं। मैं लोकपाल द्वारा जाँच के लिए अपने को प्रस्तुत करता हूँ। किसी अन्य समाचारपत्र के विरुद्ध इस प्रकार की जाँच नहीं की गई जबकि अनेक बहुत से पत्र जनता के दान से चलते हैं। मेरा विश्वास है कि जाँच पूरी होने पर यह आरोप निराधार सिद्ध होंगे।

मैं 1 सितम्बर, 1967 से इस पत्र का प्रधान हूँ और मैं चुनौती देता हूँ कि मेरी प्रधानता अवधि में एक भी आरोप सदस्यगण अथवा मंत्री महोदय सिद्ध करें। मुझे एक भी आरोप नहीं बताया गया है।

**औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद)**: अध्यक्ष महोदय, मैं नहीं कह सकता कि यह चर्चा क्यों उठाई गई है जबकि हमने एक सदस्य द्वारा पूछे गए किन्हीं प्रश्नों का संतोषजनक उत्तर दिया है।

मैं बाहरी बातों का उल्लेख न करके, जिनका इस चर्चा में संकेत किया गया है, केवल यही बताना चाहता हूँ कि किन्हीं आरोपों की जाँच आय-कर विभाग द्वारा की जा रही है। इसका संबंध दूसरे मंत्रालय से है।

हमने कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत जांच आरम्भ की है परन्तु कुछ पुस्तकें आय-कर विभाग के पास हैं अतः जांच पूरी नहीं हो पा रही है।

**श्री ज्योतिर्मय बसु**: जांच पूरी कब होगी?

**श्री फखरुद्दीन अली अहमद**: जांच वित्त मंत्रालय द्वारा की जा रही है।

**अध्यक्ष महोदय**: सभा अब कल 11.00 बजे म० पू० तक के लिए स्थगित होती है।

**इसके पश्चात् लोक-सभा गुरुवार, 21 अगस्त 1969/30 श्रावण, 1891 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।**

**The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Thursday, August 21, 1969/Sravana 30, 1891 (Saka).**

Printed by Job Printers, 119, Swami Vivekanand Marg, Alld.

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है।

This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi.]